(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

श्रंक : 4] दसवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का पैंतीसवां दिवस [संख्या : 19

बुधवार,

26 अप्रेल, 1995

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायणजी।

पुलिस/जेल हिरासत में मृतकों को अनुग्रह राशि

96. **श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पुलिस/जेल हिरासत में मृत्यु होने पर सरकार द्वारा अनुग्रह/सहायता राशि स्वीकृत की जाती है? यदि हां, तो किस आदेश के तहत? इस बाबत जारी आदेश एवं परिपत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि केन्द्रीय कारागृह, जयपुर से टी. बी. सेनेटोरियम, जयपुर में भर्ती करवाये गये विचाराधीन कैदी केसरा पुत्र गंगाविशन मीणा, निवासी कोरमा (जिला बूंदी) की मृत्यु दिनांक 28–3–1994 को हो चुकी है? यदि हां, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त विचाराधीन कैदी की मृत्यु बाबत जांच करवायी गयी है? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा? जांच परिणाम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त मृतक व्यक्ति के वारिसान को कितनी अनुग्रह/सहायता राशि स्वीकृत की गयी है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त मृतक के परिजनों को राशि स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि मृतक अत्यन्त अल्प आय वाला कृषिहर मजदूर की श्रेणी का व्यक्ति था?

राज्य मंत्री, कारागृह (श्री श्रीकिशन सोनगरा) : (1) जी नहीं। पुलिस हिरासत अथवा जेल हिरासत में मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि अथवा सहायता राशि स्वीकृत किये जाने बाबत कोई आदेश या नियम नहीं हैं।

(2) जी हां। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) जी हां। जांच सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुख्यालय, जयपुर द्वारा सम्पन्न की गयी है। जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(4) अनुग्रह राशि अथवा सहायता राशि स्वीकृत करने हेतु कोई प्रावधान न होने के कारण न तो कोई राशि स्वीकृत

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

ही की गयी है और न ही इस बाबत कोई मामला विचाराधीन है।

(5) जी नहीं। ग्राम कोरमा में मृतक की तीन बीघा सिंचित भूमि तथा छह बीघा असिंचित भूमि थी। मृतक अविवाहित था।

(रिपोर्ट विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्ष महोदय, बहुत अहम प्रश्न है, यह पूरे राजस्थान में पुलिस की ज्यादती से सम्बन्धित मामला है। जिस तरह से सरकार का जवाब आया है, पूर्णतया असंतोषजनक है। मेरा कहना यह है कि ऐसे केसेज में सरकार संवेदनहीन हो गयी है। मैं जानकारी चाहूंगा कि उसकी मृत्यु 28–3–1994 को होने के बाद सरकार ने उसकी मौत की मजिस्ट्रेट जांच करवायी? मजिस्ट्रेट जांच के लिये तो आप कहते हो, माननीय मन्त्री महोदय, लेकिन उन अधिकारियों के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हो जिन्होंने साल भर तक मजिस्ट्रेट रिपोर्ट नहीं दी? कोई जांच नहीं हुई, मेरा आरोप है जो 20 तारीख की जांच बतायी गयी है, साल भर बाद अभी विधान सभा में प्रश्न रखा गया, अध्यक्ष महोदय, उसके बाद जाकर मजिस्ट्रेट से, जो उस टाइम वहां पोस्टेड भी नहीं था और जिसको कोई इन्क्वायरी की जिम्मेदारी नहीं दी गयी थी, उससे जांच रिपोर्ट ली गयी? इसमें कौन-कौन इन्वाल्व हैं? कोई जांच नहीं की गयी है और सदन को गुमराह करने के लिए आपके पास जो गलत कागजात दिये गये वैसे के वैसे कागजात आपने पेश किये हैं।

दूसरा, मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है कि वह आदमी गरीब था, यह तो आप मानते हैं। जिस तरह की जमीन है, कुओं में पानी नहीं है। कोरमा का आपको ध्यान नहीं है, माननीय मंत्रीजी, आप शायद सिटी में रहते होंगे। वह आदमी गरीब था, उसके पास अपना कुछ नहीं था। सरकार को राजस्थान हाई कोर्ट ने बाउन्ड किया है, क्योंकि इस आदमी को गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने खाना नहीं दिया और एक महीने तक जेल में बंद रखा। जेल में बंद रखने के बाद गिरफ्तारी बतायी गयी और गिरफ्तारी के कागजात में यह नहीं बताया गया कि इसको किस लिये गिरफ्तार किया गया। इसलिये वह बीमार पड़ गया और उसके बाद, जब आप गिरफ्तारी के कागजात देखोगे, माननीय मंत्रीजी, उसमें कहीं नहीं है कि इसके क्या बीमारी थी। जब उसके कोई बीमारी नहीं थी, गिरफ्तार होते ही वह क्यों बीमार हुआ? क्योंकि उसके साथ ज्यादती की गयी, मारपीट की गयी और उसके बाद में उस आदमी को आपने यहां हॉस्पिटल में भेजा। तो वह चूंकि पुलिस ज्यादती से मरा था और राजस्थान उच्च न्यायालय ने आपको कह रखा है, आप कहीं तो लाख रुपये देते हो, कहीं दो लाख रुपये देते हो, इस केस में आपने पैसा क्यों नहीं दिया? जबकि राजस्थान हाई कोर्ट ने आपको आदेश दे रखा है कि प्रत्येक ऐसे केसेज में 50,000 रुपये दिये जायं। यह बात अलग है कि सरकार इस मामले में क्या व्यू लेती है, उसको कहां रुकाती है और क्या करती है। तो ऐसे मामले में,

Page No. 3

(3)

(श्री रामनारायण मीणा)

जब गरीब आदमी है तो आपने उसको 50,000 रुपये क्यों नहीं दिये ? इसी केस में नहीं, राजस्थान में आप कहीं नहीं दे रहे हो। जो गरीब आदमी है उसको कोई पैसा नहीं मिल रहा है और जो पैसे वाले हैं, जिनकी एप्रोच है, पोलिटिशियन जिनको एप्रोच कर देते हैं, विधान सभा में मामला उठ जाता है उस मामले में आप पैसे दे देते हो। ऐसे गरीब आदमी को क्यों नहीं देते ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिये आप।

श्री रामनारायण मीणा : मान्यवर, मेरा पाइण्टेड क्वेश्चन है। मैं इसलिये कहना चाह रहा हूं कि सरकार इतनी संवेदनहीन हो गयी है जिसकी आशा हम नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष : आप पाइण्टेड प्रश्न पूछें, माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं।

क्या यह भी सही है कि उस आदमी की मृत्यु के बाद उसके भाई के यहां आने के बाद भी और यहां उपस्थित होने के बाद भी यह कहा गया कि उसका भाई यहां उपस्थित नहीं था ? इससे भी यह साबित होता है कि जो इंक्वायरी की गयी है वह विधान सभा में ...(व्यवधान)....दूसरा, मेरा प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : माननीय, प्रश्न पूछें।

श्री रामनारायण मीणा : मेरा यह प्रश्न है, मान्यवर, कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी मृत्यु टी.बी. से हुई हो। इनके बारे में आप पहले जवाब दे दें।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि बंदी एक महीने कारागृह में रहा और जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, तो मेरा इस सन्दर्भ में यह निवेदन है कि यह जो बंदी था इसका नाम था केसरा, सन ऑफ गंगा विशन, जाति मीणा, निवासी कोरमा, थाना नैनवां, जिला बूंदी को ए.सी.जे.एम., नैनवां द्वारा 392 आई.पी.सी. के प्रकरण संख्या 223/79 में दिनांक 28–2–1994 को उक्त कारागृह नैनवां में विचाराधीन बंदी के रूप में प्रविष्ट किया गया। कारागृह अभिलेख के अनुसार बंदी बीमारी की हालत में जेल में दाखिल हुआ था।

अब मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे ही वह आया, वह 28 तारीख को वहां आया, वैसे तो जेल में ये सुविधाएं हैं कि वहां डाक्टर देखते हैं और उस नाते 4–3–1994 को चिकित्सा अधिकारी, नैनवां ने उसको चिकित्सालय बूंदी रैफर कर दिया....

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह मामला....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप, पूरा जवाब सुनिये, माननीय।....(व्यवधान)....

श्री श्रीकिशन सोनगरा : आप पूरी बात सुनिये। जैसा आपने आरोप लगाया उस संदर्भ में।

श्री रामनारायण मीणा : नहीं, यह बात नहीं है। यह पुलिस कस्टडी का मामला है, पुलिस कस्टडी में ज्यादती हुई है।....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।....(व्यवधान)....

श्री श्रीकिशन सोनगरा : आप सुनिये। ये सुनना नहीं चाहते जवाब।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री रामनारायण मीणा : वह प्रश्न तो माननीय गृह मंत्रीजी से सम्बन्धित है और मुझे ताज्जुब है....(व्यवधान)....

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : यह सरकार गरीबों के हितों के खिलाफ....

श्री अध्यक्ष : माननीय परसादीलालजी बिराजें आप।

श्री परसादीलाल मीणा : +++ आनी चाहिए सरकार को, गरीब मर रहे हैं....(व्यवधान).... गरीबों को आप मार रहे हो, पैसा नहीं देना चाहते। (व्यवधान) गृह मंत्रीजी जवाब दें।

एक माननीय सदस्य : जब इनको पाइण्टेड प्रश्न पूछने के लिए कहते हैं....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री रामनारायण मीणा : पुलिस कस्टडी का मामला हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।....(व्यवधान)....

एक माननीय सदस्य : और जब जवाब देते हैं तो ये +++ मचाते हैं।

श्री रामनारायण मीणा : पुलिस कस्टडी का मामला है, मान्यवर, गृह मंत्री जी जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : एक साथ प्रश्नकर्ता तो बात करें अपनी, जवाब दे रहे हैं माननीय मंत्रीजी। मंत्रीजी को जवाब देने दें आप।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : अब उसको 4–3–1994 को....

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, आप सुनिये पहले, माननीय सदस्य।....(व्यवधान)....

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, पुलिस कस्टडी में जो मौतें हुई उनका सवाल है यह।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।....(व्यवधान)....

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : सवाल पुलिस की कस्टडी में निर्ममता से जो आदमियों की मृत्यु होती है, उसके बारे में है। बड़ा संवेदनशील मामला है।

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री अध्यक्ष : माननीय परसादीलालजी, विराजिये आप ।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी का सवाल है ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : पुलिस हिरासत में और न्यायिक अभिरक्षा में जिन लोगों की निर्मम हत्याएं होती हैं, उनके मामले में प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप ।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी का सवाल है । पुलिस हिरासत में जो मौतें हुई हैं उनका सवाल है गृह मंत्रीजी का, कारागृह मंत्रीजी का कोई सवाल ही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप ।

श्री रामनारायण मीणा : मेरे मामले को डाइल्यूट क्यों किया जा रहा है ? प्रदेश में रोजाना मौतें हो रही हैं । सरकार में बैठे माननीय चतुर्वेदीजी, आपके कोटा में साल में पांच-पांच आदमी मर रहे हैं, पुलिस ज्यादती से मर रहे है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें । आप जवाब सुनें, माननीय । मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं आप सुन नहीं रहे हैं । बार-बार खड़े हो रहे हो, माननीय सदस्य, आप पहले उनका जवाब सुनें ।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : बंदी 28 तारीख को नैनवां जेल में दाखिल हुआ उसके बाद उसको, जैसा इलाज में आया है टी बी. की बीमारी थी, तो 4.3.1994 को उसको चिकित्सा अधिकारी, नैनवां ने चिकित्सालय बूंदी रेफर कर दिया और 5.3.1994 को बूंदी चिकित्सालय उसको भेज दिया गया । फिर 7.3.1994 को वह पुनः नैनवां आया, क्योंकि उसकी 8 तारीख को पेशी थी वहां । फिर 9 तारीख को उसको बूंदी भेज दिया गया चिकित्सा हेतु और फिर बूंदी में उसको 19.3.1994 को क्षय निवारण केन्द्र, कोटा रेफर कर दिया गया टी.बी. की बीमारी के कारण । फिर 24.3.1994 को उसको कोटा से रेफर किया गया टी.बी. हास्पिटल जयपुर के लिये । फिर 26.3.1994 को बंदी को टी.बी. सेनेटोरियम, जयपुर में भर्ती करा दिया गया ।

मैं इस संदर्भ में यही निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से तत्काल और उसकी बीमारी के कारण एक के बाद एक जिस स्तर पर भी उसका इलाज सम्भव हो सकता था, विभाग ने कराने का प्रयास किया । अध्यक्ष महोदय, वह 26 तारीख को टी.बी. सेनेटोरियम, जयपुर में भर्ती हुआ उसका वहां 26 और 27 तारीख को इलाज चला और उस दरमियान भी हमारे विभाग ने उसके रिश्तेदारों को वितन्तु संदेश द्वारा मैसेज किया था कि इसकी बीमारी के कारण आप कोई हैं तो आयें मगर कोई आया नहीं । 28 तारीख को उसकी तबीयत फिर बिगड़ती है टी.बी. सेनेटोरियम हास्पिटल, जयपुर में । 8.10 पर जब सूचना मिलती है तो डाक्टर तत्काल वहां पहुंचते हैं और उसके लिये जो प्रयास कर सकते हैं वह करते हैं और 8.40 पर उसका देहान्त हो जाता है और उसके बाद उसके रिश्तेदारों को वहा जाता है । जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि उसके भाई को सूचना नहीं दी गयी, उसका भाई आया

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

नहीं, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने उसकी मृत्यु के बाद जिला कलेक्टर, जयपुर को सूचना दी जांच के लिये और जिला कलेक्टर ने ए.सी.एम. को लगाया, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को लगाया और उनके भाई, उनके परिजन, हो सकता है भाई होगा, आये थे, उनको उसकी देह थी, लाश थी उसको उनको सम्हलाया। तो ऐसा इलाज में....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शैलेन्द्र जी, आपका प्रश्न नहीं है। बिराजिये।

श्री आर. पी. शर्मा : भाग एक का उत्तर नहीं दिया ....(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : मेरा स्पष्ट मामला था, मान्यवर। माननीय गृह मंत्री जी सदन में विराजमान हैं और मैं आसन से भी निवेदन करूंगा, माननीय गृह मंत्रीजी जब आपकी पुलिस ने उस आदमी को गिरफ्तार किया उसके गिरफ्तारी प्रपत्र में कोई बीमारी अंकित नहीं है, उसके गिरफ्तारी प्रपत्र में कोई बात नहीं है....

श्री अध्यक्ष : गिरफ्तारी प्रपत्र में तो बीमारी अंकित होना मुश्किल है, माननीय सदस्य, आप बिराजिये।

श्री रामनारायण मीणा : न उसको बीमार दिखाया गया है, न उसके लिये स्थान अंकित है....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री रामनारायण मीणा : मेरा पाइंटेडली क्वेश्चन है, मान्यवर, इतना लम्बा भाषण देकर....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : भाषण तो आपने दिया है।

श्री अध्यक्ष : भाषण आपने दिया है।

श्री परसादीलाल मीणा : आप गरीबों के खिलाफ हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री रामनारायण मीणा : सरकार के मंत्रीजी को कण्ट्रोल करें पहले। आप पहले उन्हें बिठाओ उधर बगल में। मान्यवर, मेरा साफ पाइण्टेड प्रश्न है क्या प्रदेश में पुलिस हिरासत में पुलिस ज्यादतियों से– मेरा इसमें आरोप है ज्यादती, ऐसे हरेक केसेज हो रहे हैं, पुलिस ज्यादती से मरने वालों के मामले में कोई कानून नहीं है। फिर यह जो राशि दी जाती है, सरकार आर्बिट्रेरिज्म से कहीं दो लाख रुपये दे देती है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्री रामनारायण मीणा : मेरा निवेदन करना साफ है कि सरकार संवेदनहीनता को छोड़कर संवेदनशील बन कर इसको पैसा देने की बात करेगी, माननीय गृह मंत्रीजी? यह तकिया कलाम है।

श्री अध्यक्ष : यह मामला टी.बी. से सम्बन्धित है और टी.बी. का सिमटम आया, बूंदी में भेजा, बूंदी से वापस नैनवां आया, नैनवां से वापस बूंदी गया, बूंदी से जयपुर आया। माननीय सदस्य, बिराजिये आप। श्री जीतराम जी।

श्री रामनारायण मीणा : माननीय, आपने प्रश्न नहीं पढ़ा। मान्यवर, यह गृह मन्त्रीजी का प्रश्न है। मेरा साफ सवाल है कि....

श्री अध्यक्ष : जेल में मृत्यु हुई है, जेल मन्त्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री रामनारायण मीणा : किसकी बात है ? पुलिस हिरासत की बात कर रहा हूं मैं तो। आप पढ़िये प्रश्न को।

श्री अध्यक्ष : हां, मैंने पढ़ लिया प्रश्न।

श्री रामनारायण मीणा : आप सरकार से जवाब दिलाइये। आप प्रश्न को पढ़िये और सरकार से जवाब दिलाइये।

श्री अध्यक्ष : जवाब दें दिया इन्होंने।

श्री रामनारायण मीणा :... (व्यवधान) साफ कहा है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने 50 हजार रुपये देने के मामले में तो आदेश दिया है सरकार को, और किसी तरह के मामले में क्यों नहीं दे रही है ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री): अड़ गये तो अड़ गये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। वह क्रोनिक पेशेण्ट था टी.बी. का। बिराजिये आप।

श्री रामनारायण मीणा : कौन पेशेण्ट था ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : उसकी डैथ सेनेटोरियम में हुई है। कौनसी हिरासत में हुई है ? सेनेटोरियम में मरा है वह।

श्री रामनारायण मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप प्रश्न का प्रथम भाग देखिये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, उसकी डैथ सेनेटोरियम में हुई है, कोई हिरासत में नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : हिरासत की बात ही कहां है ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : सेनेटोरियम में हुई है उसकी डैथ।

श्री रामनारायण मीणा : आप पहला भाग देखिये, आप उसको पढ़िये। यह माननीय उप मुख्य मन्त्री....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जेल में थे और जेल से टी.बी. सेनेटोरियम, जयपुर में भेजा गया। 8.40 पर 28 तारीख को मृत्यु हुई है। क्रोनिक पेशेण्ट था टी.बी. का। आप बिराजिये।

श्री रामनारायण मीणा : मेरा प्रश्न स्पेसिफिक है....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। जीतराम जी।

श्री रामनारायण मीणा : क्या यह सही है कि प्रदेश में पुलिस हिरासत में मृत्यु होने से सरकार द्वारा अनुग्रह/सहायता राशि दी जाती है ? मेरा प्रश्न है, आप गृह मंत्रीजी से कहला दीजिये। आप इसको पढ़िये।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। मैंने पढ़ लिया।

श्री आर. पी. शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मैं कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप, आर. पी. शर्मा जी। नहीं, आपका प्रश्न ही नहीं है।

श्री आर. पी. शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे से सम्बन्धित घटना का प्रश्न है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपका कोई प्रश्न नहीं है इसमें, बिराजें आप।

श्री आर. पी. शर्मा : मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे सामने जो घटना घटी है, पुलिस ने मेरे सामने यह कहा है कि हम इसको देंगे। उसके बारे में सदन में नहीं सुनें....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजें आप।

श्री आर. पी. शर्मा : उसके बारे में सदन में नहीं सुनें.... (व्यवधान) नहीं, मैं सुनाना चाहता हूं, सुनिये। एक विधायक के सामने आदमी को गिरफ्तार करके ले गये और उसकी मौत हो गयी....(व्यवधान) नहीं दिया गया, यह गलत बात है।

श्री अध्यक्ष : किस कानून के तहत, किस रूल के तहत आप बता रहे हैं? बिराजें आप। कोई अंकित नहीं होगा।

श्री आर. पी. शर्मा : × × ×

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित नहीं होगा। आपकी मर्जी है जो बोलने के लिए अनुमति नहीं लेंगे।

श्री आर. पी. शर्मा : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री आर. पी. शर्मा : × × ×

श्री अध्यक्ष : आसन की व्यवस्था की पालना करें। आप बिराजें।

श्री आर. पी. शर्मा : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। बिना काम के समय खराब कर रहे हैं आप।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह भरतपुर के महिमन हत्याकाण्ड के पुलिस में .. (व्यवधान) नोटिस आ गये।

श्री अध्यक्ष : वह इससे सम्बन्धित नहीं है. माननीय।

श्री परसादीलाल मीणा : पुलिस हिरासत में विधायक महोदय के सामने महिमन को ले जाकर....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय इससे सम्बन्धित नहीं है, बिराजें आप। श्री जीतराम जी।

श्री परसादीलाल मीणा : उसकी हत्या कर दी और उनके परिजनों को....

श्री अध्यक्ष : कल भी दो ही प्रश्न आये थे। माननीय, बिराजें आप, दूसरे माननीय सदस्यों के प्रश्न आने दें। लाखों रुपये सरकार के खर्च होते हैं एक प्रश्न पर।

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री परसादीलाल मीणा : सुन लें दो मिनट, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : नियमों में व्यवस्था है उसके अन्तर्गत उठायें आप, 121 में उठायें या जो भी नियम है उसमें उठायें। आप बिराजें।

श्री आर. पी. शर्मा : पुलिस हिरासत में मेरे सामने पकड़ कर ले गये, उसकी मौत हो गयी।

श्री अध्यक्ष : आप नहीं खड़े हों। माननीय, बिराज जायं। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आप बिराज जायं।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट बात तो सुनो आप।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। प्रश्न आने दें। आप यह क्या कर रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र पारीक : एक मिनट बात सुनिये आप।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। पन्द्रह मिनट हो गये एक प्रश्न में। कल भी दो प्रश्न आये थे। बिराजें आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट बात तो सुनिये आप।

श्री अध्यक्ष : आप मुझे बाद में बता देना, मेरे वेश्म में बता देना। बिराजें आप। आप क्या कहना चाहते हैं ? ....(व्यवधान)

श्री आर. पी. शर्मा : मैं यह सदन को बताना चाह रहा हूं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। I never allowed you.

श्री आर. पी. शर्मा : मत अलाउ करिये आप।

श्री अध्यक्ष : देखिये, मुझे हार्श होने के लिए आप मुझे मजबूर नहीं करेंगे।

श्री आर. पी. शर्मा : हां, करिये आप।

श्री अध्यक्ष : आप, बैठ जाइये अब।

श्री आर. पी. शर्मा : मैं जो बताना चाह रहा हूं...

श्री अध्यक्ष : You sit down. मैं कह रहा हूं आप बैठ जाइये .. (व्यवधान)

श्री आर. पी. शर्मा : मौत हो गयी....

श्री अध्यक्ष : I name you. एम. एल. ए. में आपको नेम कर रहा हूं, बैठ जाइये।

श्री राजेन्द्र पारीक : इतना समय खराब हो रहा है। माननीय सदस्य खुद की मौजूदगी में पुलिस द्वारा एक आदमी को ले जाया गया....

श्री अध्यक्ष : बैठ जाइये, फिर खड़े हो गये आप। आप फिर खड़े हो गये। आप बिराज जाइये।

श्री राजेन्द्र पारीक : सुन लीजिये आप।

श्री अध्यक्ष : बिराज जाइये। श्री जीतराम जी।

मालपुरा (टोंक) में महाविद्यालय की स्थापना

97. श्री जीतराम (मालपुरा) : क्या उच्च शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में कितनी छात्र संख्या पर महाविद्यालय स्वीकृत किया जाता है ? तत्सम्बन्धी नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) गत तीन वर्षों में विभिन्न जिलों में खोले गये नवीन महाविद्यालयों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) टोंक जिले में कुल कितने महाविद्यालय वर्तमान में हैं ? क्या वर्तमान महाविद्यालय वर्तमान छात्रों एवं जनसंख्या की दृष्टि से अपर्याप्त है ? क्या सरकार जन सुविधार्थ व दूरी को देखते हुए अतिरिक्त महाविद्यालय मालपुरा में खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी) : (1) नये महाविद्यालय की स्वीकृति के लिए छात्र संख्या का कोई आधार नहीं है । नियमों (मानदण्ड) की प्रति संलग्न है ।

(2) गत तीन वर्षों में विभिन्न जिलों में निम्न प्रकार नये राजकीय महाविद्यालय खोले गये –

1992–93 – निल
1993–94 – निल
1994–95 – 1. जिला मुख्यालय अजमेर में कन्या महाविद्यालय
2. जिला मुख्यालय राजसमन्द में महाविद्यालय

(3) वर्तमान में टोंक जिले में दो राजकीय महाविद्यालय हैं जो क्रमशः देवली व टोंक में हैं तथा वनस्थली में छात्राओं के लिए विश्वविद्यालयबद्ध संस्था वनस्थली विद्यापीठ है । उच्च शिक्षा की आवश्यकता को देखते हुए साधनों के परिप्रेक्ष्य में अभी व्यवस्था में वृद्धि अनिवार्य नहीं है । वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने अथवा करवा दिये जाने पर अन्य स्थानों से प्राप्त प्रस्तावों के साथ गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकेगा ।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–1 देखें)

श्री जीतराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यह मापदण्ड आपने अपनाये हैं प्रस्तावित स्थान के 20 किलोमीटर में मेरे मालपुरा क्षेत्र में आठ सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल हैं । 30 किलोमीटर का बताया इसमें दूरी होनी चाहिए । 90 किलोमीटर तो है जयपुर, 80 किलोमीटर है टोंक, ग्रामीण क्षेत्र का इलाका है । आज तक नगर पालिका, नगर परिषद् और नगर निगम में कालेज खुलते रहते हैं, गांवों में कोई कालेज नहीं खुलता । गांव के जो बच्चे जयपुर में पढ़ने के लिए आते हैं तो पहली बात तो उनको कोई कमरा नहीं देता रहने के लिए । अगर कमरा दे देंगे तो एक हजार में....

श्री अध्यक्ष : माननीय, पाइंटेड प्रश्न पूछें अब ।

श्री जीतराम : हां, प्रश्न ही पूछ रहा हूं । मेरे मालपुरा में एस.डी.ओ. हैडक्वार्टर

(श्री जीतराम) :

है, ए.डी.जे. कोर्ट है, सीनियर सैकण्डरी में लड़के 3668, लड़कियां 835 हैं। मेरे मालपुरा के बराबर टोडारायसिंह 35 किलोमीटर है वहां भी कोई महाविद्यालय नहीं है, पीपलू में भी नहीं है। टोडारायसिंह में 1348 लड़के, 161 लड़कियां हैं। जून 1994 को मुख्य मन्त्रीजी टोंक जिले में साक्षरता कार्यक्रम का उद्घाटन करने गये थे, चालीस हजार की हाजरी थी उसमें वीस हजार औरतें थीं। शिक्षा लेने के लिए तो आते हैं। जब सैकण्डरी स्कूल, हायर सैकण्डरी स्कूल इतने हैं तो कालेज क्यों नहीं? ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा की गयी है, इसलिए मेरी यह मांग है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा कालेज खोले जायें।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : ... (व्यवधान) मन्त्री महोदय, यह तो कुलिशजी का क्षेत्र है, डेरा गांव यहां से सात-आठ किलोमीटर है। + + + माननीय सदस्य मुख्य मन्त्री जी को ले गये, अब तो आप खोल दीजिए। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। माननीय मन्त्रीजी जवाब दे रहे हैं, आपस में नोंक-झोंक नहीं।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह + + + शब्द उपयोग किया गया है, यह एक्सपंज किया जाय।

श्री अध्यक्ष : एक्सपंज कर दीजिये। (व्यवधान) ... बीच में बिना अनुमति के नहीं बोलें आप। बिराजिये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक पूर्व योजनानुसार प्रत्येक जिले में महाविद्यालय की स्थापना कर दी गयी है। जैसा मैंने उस दिन शिक्षा की मांगों के समय निवेदन किया था आज राज्य सरकार कन्या महाविद्यालय खोलने पर आठवीं पंचवर्षीय योजना में जोर दे रही है और उसी दृष्टि से चार कन्या महाविद्यालय इस बार खोले जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि वित्तीय साधन अपरिमित नहीं होते। आपकी जानकारी के लिए, बताऊं कि 44 प्रस्ताव जिसमें एस.डी.एम. क्षेत्र भी बहुत सारे हैं, राज्य सरकार को महाविद्यालय खोलने के प्राप्त हुए हैं छात्रों के। उसी प्रकार कन्या महाविद्यालय के उन योजनाओं को छोड़ कर जिला केन्द्रों पर 15 प्रस्ताव और प्राप्त हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, भवन बनाने के लिए आवर्ती और अनावर्ती जो व्यय होता है एक वर्ष से इस कारण से उस परिमाण में बिना संसाधन हुए किसी प्रकार सम्भव नहीं है। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं, मेरे मन की भी इच्छा है कि मालपुरा एस.डी.एम. क्षेत्र है इसलिए वहां पर महाविद्यालय हो। किन्तु जैसी उनसे बात हुई, एक बार भवन बनाने की व्यवस्था वह वहां के लोगों से निश्चित रूप से सम्पर्क कर, उन्होंने योजना भी बनायी है उसको पूरा करें और तीन साल का व्यय आवर्ती और अनावर्ती जमा करें तो निश्चित रूप से उनके यहां महाविद्यालय खोलने की व्यवस्था मैं करूंगा। वरना जो प्रायोरिटीज हैं उन्हीं पर मैं जाऊंगा और क्या कर सकता हूं ?

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय लक्ष्मण सिंह जी ।

श्री जीतराम : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो रह गया ।

श्री अध्यक्ष : आपको और पूछना है, पूछिये ।

श्री जीतराम : अध्यक्ष महोदय, मेरा मालपुरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है इसलिए मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि वहां भवन भी आप बना कर दें । पिछली सरकार ने यह कहा था कि जहां चार सीनियर सैकण्डरी स्कूल होंगे वहां कालेज बनाये जायेंगे, महाविद्यालय बनाया जायेगा । मेरे यहां तो आठ हैं और सबसे पिछड़ा हुआ एरिया है ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : किन्तु सबसे धनाढ्य वहां के एम.एल.ए. हैं, करोड़पति एम.एल.ए. हैं ।

श्री अध्यक्ष : एम.एल.ए. धनाढ्य हैं यह बात सही है, अरबपति हैं ।

श्री जीतराम : इसलिए पिछड़ा हुआ क्षेत्र देखते हुए वहां आज ही घोषणा करें । जून के टाइम मुख्य मन्त्री जी कह कर आये थे कि आपकी मांग जायज है, इस पर मैं विचार करूंगा ।

श्री अध्यक्ष : आप थोड़ा कालेज का विचार करें । श्री लक्ष्मण सिंह जी ।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : चौधरी देवीलाल जी का समय नहीं रहा, नहीं माननीय सदस्य को इस प्रकार का उत्तर आप नहीं दे सकते थे । आप कृपा करके याद करो उन दिनों को जब चौधरी देवीलाल जी का डंका पुजता था और आप को यहां पर शासन में बैठाया था । आज उनके चेले की एक मांग है उस पर ही आप विचार नहीं कर रहे हो । चौधरी देवीलाल जी का एक चेला है आपकी विधान सभा में, उसकी मांग पर आप विचार नहीं कर रहे हो, उसकी मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं कर रहे हो । जवाब दे रहे कि तीन साल का खर्चा दो, बिल्डिंग बनाओ ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : पूरी सहानुभूति से विचार कर रहा हूं केवल इसलिए नहीं कि देवीलाल जी के वो हैं । वह आपके भी मित्र हैं, मेरे भी मित्र हैं और निश्चित रूप से आर्थिक स्थिति उनकी बहुत अच्छी है । उन्होंने सोच भी प्रारम्भ किया है । उन्होंने पार्लियामेंटरी सदस्य के साढ़े बारह लाख रुपये भी प्राप्त किये, स्वयं के पांच लाख जो देने हैं, दस लाख की व्यवस्था कर रहे हैं । वह सोच रहे हैं और जैसा मैंने निवेदन किया उस नाते से विचार हो रहा है । दोनों मिल जायेंगे जब कर देंगे, ऐसी क्या जल्दी है ?

श्री रामनारायण चौधरी : "मर जायं जिनके बादशाह रोते फिरें वजीर" जिनके बादशाह मर जाते हैं तो उनके वजीरों की हालत खराब हो जाती है ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : यह तो खुद ही बादशाह हैं ।

श्री रामनारायण चौधरी : वरना आज आपके सामने मोहताज नहीं होते कालेज

(श्री रामनारायण चौधरी)

के लिए, फटाफट एक टेलीफोन से कालेज खुलते और आप खोलते।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। लक्ष्मण सिंह जी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : न वह मोहताज हैं। वह माननीय सदस्य हैं, पूरा अधिकार उनको प्राप्त है। मेरी सहानुभूति है, मेरे मन की इच्छा है। दोनों तालमेल बैठा रहे हैं, तालमेल पूरा होते ही निश्चित रूप से होगा, ऐसी क्या बात है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आपकी सहानुभूति उनके किस काम आयेगी? न ओढ़ने के काम आयेगी न बिछाने के काम आयेगी न बिछाने के काम आयेगी। मेहरबानी करके प्राथमिकता के आधार पर मालपुरा के अन्दर खोलने की कृपा करें। मालपुरा बड़ा इम्पोर्टेंट प्लेस है। जिला हैडक्वार्टर था मालपुरा, स्वतन्त्रता संग्राम का वहां केन्द्र रहा है दामोदर लाल जी व्यास जयपुर जिले के सशक्त नेता थे।

श्री अध्यक्ष : माननीय चौधरी साहब, बिराजें आप।

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता था प्रश्न पूछना चाहता था कि हमारे कुछ पड़ौसी राज्यों में, जैसे गुजरात है वहां पर प्राइवेट कालेजेज काफी हैं और वहां एडेड कालेज हैं। तो क्या शिक्षा मन्त्री जी इस प्रकार की योजना बनाने पर विचार करते हैं कि जिससे राज्य सरकार पर ज्यादा बोझ भी नहीं आये और उच्च शिक्षा भी हमारे राजस्थान में प्रचारित-प्रसारित हो सके और जनसंख्या और उत्तीर्ण छात्रों की संख्या जो सीनियर सैकण्डरी स्कूल्स में भी है उनको मिला-जुलाकर एक मापदण्ड बनाया जा सके जिससे कि उच्च शिक्षा हमारे यहां पर....

श्री अध्यक्ष : भीम में चाहते हैं या देवगढ़ में? आप बिराजें। श्रीमती तारा जी।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, सिरोही महाविद्यालय की स्थापना 1952 में हुई थी....(व्यवधान).... शांति रखो, महिला उच्च शिक्षा का मामला है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पाइंटेड प्रश्न पूछें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, जब हमने बोला तब तो इररिलेवेन्ट था....

श्री रामनारायण चौधरी : मालपुरा का है सिरोही बीच में कहां से आ गया?

श्रीमती तारा भण्डारी : प्रश्न पूछने में क्या दिक्कत है?

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, जब हम सवाल पूछें सप्लीमेंट्री तो सवाल इररिलेवेन्ट हो जाता है और माननीय महोदया पूछें तो रेलेवेन्ट सवाल होता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्रीमती तारा भण्डारी : मेरा प्रश्न तो सुनिये। रेलेवेंस नहीं हो तो काट दीजिएगा, जब शिक्षा की मांग थी तब भी बोलने नहीं दिया।

(श्रीमती तारा भण्डारी)

अध्यक्ष महोदय, जोधपुर डिवीजन का सबसे पहला महाविद्यालय है सिरोही का। मेरे यहां पर भवन उपलब्ध है, जिला मुख्यालय है, एस.सी., एस.टी. और पिछड़े वर्ग की जातियों की बहुतायत है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं माननीय उच्च शिक्षा मन्त्री जी के मन की इच्छा, सिरोही जिला मुख्यालय पर महिला विद्यालय खोलने की है कि नहीं ?

श्री भंवर सिंह चौधरी (मेड़ता) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह नहीं है कि कहां विद्यालय खोले जायें।

श्री अध्यक्ष : मैं सारी व्यवस्था सुना दूंगा, बिराजिये आप। एजुकेशन पर पूरी चर्चा हो चुकी है। माननीय मन्त्री जी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : देवगढ़, भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है राज्य सरकार की उस योजना से पूर्ण सहमति है। मेरा अपना मत है कि शिक्षा के क्षेत्र में केवल मात्र सरकारी कार्य से काम नही चलेगा, निश्चित रूप से निजी संस्थाओं को आगे आना होगा और उसी दृष्टि से निजी संस्थाओं को प्रोत्साहन हम देंगे। मैं फिर दोहराना चाहता हूं सरकार और जनता, सरकार और निजी संस्थाएं, सरकार और प्रवासी राजस्थानी भाई, सरकार और अप्रवासी भारतीय भाई, दोनों से मिल कर निजी क्षेत्र में आने वाली संस्थाओं को राज्य सरकार निश्चित रूप से अधिक से अधिक अनुदान मुहैया करवायेगी नियमों के अनुसार और उनको प्रोत्साहन देगी।

मैं आपके माध्यम से सिरोही से आने वाली माननीय सदस्या ने जो कहा है उस बारे में बताना चाहूंगा, मैंने अपने उत्तर में कहा था कि आगामी तीन वर्ष में प्रत्येक जिले में कन्या महाविद्यालय की स्थापना कर देंगे किन्तु जो छात्राओं की संख्या है वह जिस नाते से आ रही है उस नाते से इस बार चार महाविद्यालयों की आयी है और अगले साल के लिये तीन महाविद्यालयों का, मैंने जिक्र किया है। सिरोही की माननीय सदस्या बेठ करें आगामी तीन साल में वहां कन्या विद्यालय खोल दिया जायेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। माननीय श्री कन्हैयालाल जी मीणा।... (व्यवधान) माननीय सदस्य, दो प्रश्नों में आधा घंटा हो गया।

श्री भंवर सिंह चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत अहम है।

श्री अध्यक्ष : यह अहम है और इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है।

श्री भंवर सिंह चौधरी : नहीं हुई है। जिस परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूं उसके सम्बन्ध में कोई भी बात नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष बिराजिये। माननीय कन्हैयालाल जी।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : प्रश्न संख्या 98।

श्री अध्यक्ष : जरा जोर से बोलो मुझे भी पता लगे।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य भंवर सिंहजी कह रहे हैं कि मेड़ता में महा-

(एक माननीय सदस्य)

विद्यालय खोला जाए और इससे सम्बन्धित मामला है।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। ये भी उसी श्रेणी में हैं, माननीय जीतराम जी की श्रेणी में हैं। आप बिराजिये। माननीय कन्हैयालाल जी।

विधान सभा क्षेत्र बस्सी में अकाल राहत कार्य

98. **श्री कन्हैयालाल मीणा** (बस्सी) : क्या सहायता राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में इस वित्तीय वर्ष में अकाल राहत कार्यों के तहत कौन-कौन से कार्य कहां-कहां एवं कितनी-कितनी राशियों के सम्पादित करवाये गये ?

(2) प्रारम्भ किये गए कार्यों में से कहां-कहां पर कार्य अधूरे रहे और क्यों ?

(3) क्या सरकार अधूरे रहे कार्यों को पूर्ण करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब ? अधूरे रहे कार्यों की सूची व्यय की गयी राशि सहित सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या इस क्षेत्र में अकाल राहत कार्यों के तहत हजारों टन शेष बची सामग्री पहाड़ों में या सड़कों के किनारे पड़ी हुई है ? यदि हां, तो सामान का विवरण व स्थान की सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सामान के सदुपयोग एवं उचित देखभाल के लिए इसे सरकार अन्य स्थान पर डलवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस स्थान पर तथा कहां से कहां ?

(6) क्या यह भी सही है कि उक्त पड़ी सामग्री की चोरी भी हो चुकी है एवं इसकी सूचना सम्बन्धित विभाग को भी दी गयी थी ? यदि हां, तो उस पर विभाग ने क्या कार्यवाही की ? चोरी हुई सामग्री पर सरकार को कितना वित्तीय भार उठाना पड़ा ?

राज्य मन्त्री, सहायता एवं पुनर्वास (श्री सांवर लाल) : (1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में इस वित्तीय वर्ष में अकाल राहत के तहत 76 कार्य करवाये गये हैं जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" में दर्शाया गया है।

(2) प्रारम्भ किये गये कार्यों में से जो कार्य अधूरे रहे हैं उनकी सूचना परिशिष्ट "अ" के कालम नं. 5 में अंकित है। जो कार्य अधूरे रहे उनके मुख्य कारण जमीन विवाद होना, श्रमिकों की अनुपलब्धता होना आदि हैं।

(3) अधूरे कार्यों को विभागीय बजट से पूर्ण करवाये जाने हेतु सभी जिला कलक्टरों एवं सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिये गए हैं। अधूरे रहे कार्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(4) विधान सभा क्षेत्र बस्सी के अकाल राहत कार्यों की अधिकांश सामग्री काम में ले ली गयी थी किन्तु जो सामग्री बची रह गयी उसका विवरण परिशिष्ट "ब" में दर्शाया गया है।

Page No. 16

(16)

(श्री सांवर लाल)

(5) अपूर्ण कार्यों को विभागीय बजट से पूर्ण करवाते समय शेष बची सामग्री का उसी कार्य में उपयोग किया जा सकेगा ।

(6) केवल बासखों क्वारी पर एकत्रित सड़क सामग्री से कुछ सामग्री चोरी हुई है जिसका सूचना प्राप्त होने पर सार्वजनिक निर्माण विभाग ने एफ.आई.आर. जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. बस्सी थाने में दर्ज करने हेतु दिनांक 21.3.95 को भेजी । चोरी से उठाये गये माल की अनुमानित कीमत दो हजार रुपये हैं ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया ।)

श्री कन्हैयालाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि....

श्री अध्यक्ष : आप भाषण नहीं देंगे, प्रश्न पूछेंगे ।

श्री कन्हैयालाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मेटीरियल साइट पर पड़ा हुआ था उसका आपने यह उत्तर दिया है कि वह मेटीरियल करीब-करीब काम में ले लिया गया है। आज भी हजारों ट्रोलियां, साइट पर पड़ी हुई हैं । बासखों की करीब 1300 ट्रोलियां रोड़ी की थीं, वे बार बार सूचना देने के बावजूद भी आज वहां पर एक ट्रोली बासखों में मौजूद नहीं मिलेगी सारी ट्रोलियां वहां से चली गयी हैं जबकि आप यह बता रहे हैं कि उनकी एफ.आई. आर. दर्ज करवा दी गयी है । तो न तो कोई एफ.आई.आर लॉज हुई है और यदि करवा भी दी होगी तो बाद में करवा दी होगी । अभी आज की तारीख में एक ट्रोली भी मौजूद नहीं है । उसके अलावा चाकसू कोटखावदा से जामदातला के लिए जो रोड डाली गयी और चाकसू से दौलतपुरा के लिए, उसमें करीब 10-20 ट्रोलियों के अलावा कोई रोड पर रोड़ी नहीं डाली गयी है । कानोता-सांभरिया रोड कार्य के लिए जो रोड़ी डाली गयी थी वह भी साइट पर पड़ी हुई है और अभी भी लोग चोरी से उठा उठा कर ले जा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय, प्रश्न पूछिये । यह तो सारे राजस्थान में मिल जायेगा ।

श्री कन्हैयालाल मीणा : मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि जो रोड़ी साइट पर पड़ी हुई है और जो चोरी चली गयी क्या उसको बरामद करके इन सड़कों पर कार्य को पूरा करवाने की मंशा रखते हैं ? दूसरा मेरा निवेदन यह है आपने उत्तर दिया है कि वहां पर गांव वालों की वजह से एक-दो रोड को छोड़ कर....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप, आपका प्रश्न हो गया ।

श्री कन्हैयालाल मीणा : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने ऐसा आश्वासन दिया था कि रोड का जो अधूरा कार्य है उसको पूरा करवाया जायेगा । मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो अधूरे पड़े हैं क्या उनको पूरा करा दिया जायेगा और पूरा करा दिया जायेगा तो कार्य कब तक चालू कर दिया जायेगा ?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी सवाल

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

इससे सम्बन्धित है और मेरी कांस्टीट्यूएंसी लगी हुई है।

श्री अध्यक्ष : आप बाद में पूछ लेना।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : इससे सम्बन्धित है। जो यह बोल रहे थे वही कठिनाई मेरे यहां भी है। अकाल राहत में जो काम अधूरे पड़े थे ...

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। पहले माननीय कन्हैयालाल जी का जवाब मंत्रीजी दे दें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मंत्रीजी एक साथ जवाब देंगे या पहले मैं पूछूं ?

श्री अध्यक्ष : पहले इनका जवाब आने दें।

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, सहायता विभाग का काम अकाल राहत के तहत कार्य करवाना है। जब गांवों में अकाल पड़ते हैं, वारिश नहीं होती है, फसलें खराब होती हैं उस समय ये कार्य करवाये जाते हैं विभिन्न एजेन्सीज के माध्यम से। पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से सड़क का निर्माण करवाया जाता है। अब गिट्टी भी डाली जाती है, ग्रेवल रोड भी बनायी जाती है उसमें मैंने स्वयं ने स्वीकार किया कि जहां तक चोरी की सूचना मिली है वहां एफ.आई.आर. दर्ज करवायी गयी है। अब कब तक जांच होगी। यह पुलिस विभाग इन्वेस्टीगेशन करेगा, यह मेरे विभाग से सम्बन्धित नहीं है। मैं तो यह कह सकता हूं कि उनको इन्वेस्टीगेशन के लिए जल्दी से जल्दी करने के लिए कहा जायेगा। जो कार्य अधूरे रह गये हैं और सरकार का जो नियमित बजट है विभिन्न योजनाओं के तहत उन कार्यों को लिया जाएगा और जैसे-जैसे पैसा उपलब्ध होगा उसके आधार पर प्राथमिकता के आधार पर उन कार्यों को पूरा करवाया जायेगा। अब अकाल के कार्य तो उसी समय शुरू होंगे जब अकाल का समय होगा, अकाल पड़ेगा और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूं, प्रभु से यही निवेदन करता हूं कि सड़कें चाहे दो साल बाद बनें लेकिन अकाल नहीं पड़े। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। माननीय मंत्रीजी को जवाब देने दें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय अध्यक्षजी, अभी जैसा आप बता रहे थे, मेरे यहां भी अकाल राहत में, मेरी और इनकी कान्स्टीट्यूएंसी लगी हुई है चाकसू के क्षेत्र में हमारे यहां भी अकाल राहत में जो काम शुरू किये थे वह अधूरे पड़े हैं। अब माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं कि हम रोज प्रार्थना करें, अकाल पड़े जब काम शुरू होंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रार्थना नहीं कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : यह कहा है कि अकाल नहीं पड़ें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मेरा कहना यह है कि जो अकाल राहत में सड़कें शुरू की गयी वह अधूरी पड़ी हुई हैं और बेकार हो रही है। आप उसको किस विभाग से करवायेंगे यह तो आपने नहीं बताया। कितना पैसा होगा ?

श्री अध्यक्ष : माननीय किशनारामजी।

Page No. 18

(18)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले मेरे सवाल का जवाब आने दें।

श्री अध्यक्ष : आपका हो गया, अब आप बिराजिये।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : उसका जवाब ही नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : आपका जवाब देंगे मंत्रीजी।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। एक सप्लीमेण्टरी और होगा।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : एक ही प्रश्न पूछा है मैंने। मैं एक ही प्रश्न का जवाब चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : आप यह पूछ रही हैं कि अकाल राहत के अधूरे कार्य कैसे पूरे होंगे। एक सप्लीमेण्टरी और हो जाय उसके बाद मंत्रीजी जवाब देंगे।

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि डूंगरगढ चूरू जिले का गांव है उसमें 60 गांव मेरे अकाल में घोषित हैं और उनमें खराबा बताया है 50 से 100 तक, तो उन गांवों में सरकार की यह मंशा थी....

श्री अध्यक्ष : आप क्या प्रश्न पूछ रहे हैं ?

श्री किशनाराम नाई : अकाल राहत के तहत जो भी काम अधूरे रहे हैं उनको सम्बन्धित डिपार्टमेंट कब तक पूरा करेगा ? मेरे 60 गांवों में अकाल है, अधूरे काम पड़े हैं।

श्री अध्यक्ष : अधूरे काम की बात हो गयी अब आप बिराजिये।

श्री किशनाराम नाई : यदि उनको पूरा करवाया जायेगा तो लोगों को काम मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ! दो से ज्यादा सप्लीमेण्टरी I will never allow

श्री रामनारायण मीणा : अकाल राहत के कामों को जे.आर.वाई. में इसलिए पूरे नहीं कर पाते कि उसमें 60 और 40 का रेश्यो होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक एनीकट है खुलखेड़ी में बून्दी जिले में, बार-बार सरकार लिखती है कि जे आर. वाई. में पूरे नहीं हो सकते। तो ऐसे कार्यों को जो जी.आर.वाई. में पूरे नहीं हो सकते उनके लिए आप क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री कन्हैयालाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। जवाब आने दीजिये।

श्री कन्हैयालाल मीणा : इस समय साइट पर पड़ा हुआ है। यह मेरे विधान सभा क्षेत्र का ही नहीं है मैं आपको हर विधान सभा क्षेत्र में बता दूंगा....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। आप एक घंटे से भाषण दे रहे हो। पाइंटेड प्रश्न पूछते नहीं।

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्या जो सांगानेर से आयी हैं, ने कहा है कि मंत्रीजी ने यह कहा कि आप भगवान से प्रार्थना करें कि अकाल पड़े। मैंने तो यह कहा था कि अकाल नहीं पड़े। सड़क तो साल दो साल बाद भी हो जायेगी तो भी लोग चल लेंगे पर हम गांव में रहते हैं, यह जानते हैं कि भगवान से हम तो यही आशा करते हैं कि हमेशा अच्छा जमाना हो, बरसात हो. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सुनें।

श्री सांवर लाल : माननीय सदस्या ने पूछा है कि यह सड़क कौनसा डिपार्टमेंट पूरा करेगा। यह तो माननीय सदस्या को भी ध्यान होना चाहिए सड़कें कौनसा विभाग बनाता है, पी.डब्ल्यू डी. सड़क बना रहा है....

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : कृषि उपज मंडी की बनाते हैं, फल-सब्जी मंडी की बनाते हैं, पी.डब्ल्यू.डी. कई बनाती है सड़कें।

श्री सांवर लाल : पी.डब्ल्यू डी. अपने हिसाब से सड़कों का निर्माण करायेगी। माननीय सदस्या ने पूछा कि गिट्टी को काम में लिया जायेगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस गिट्टी का उपयोग हो और आयंदा इस गिट्टी की चोरी न हो इस प्रकार की व्यवस्था आप अपने विभाग से करवायें। माननीय सदस्य किशनलाल जी ने पूछा तो मैं यही कह सकता हूं कि अकाल की स्थिति राजस्थान में नहीं है। खराबा की रिपोर्ट कुछ हो सकती है, बाकी अकाल का मतलब होता है चारा नहीं मिले, लोग रोजगार के लिए भटकते फिरें, अन्न नहीं मिले, ऐसी परिस्थिति राजस्थान के किसी भाग में नहीं है। आपके क्षेत्र में जो अधूरे कार्य हैं, कई योजनाएं चूरू जिले में चल रही है। मैं सम्बन्धित विभागों को लिखूंगा कि उन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न योजनाओं में लिया जाये।

श्रीमती तारा भण्डारी :....(व्यवधान) कौन विभाग करवायेगा, यह बात स्पष्ट होनी चाहिए।

श्री शीशराम ओला (झुन्झुनू) : मेरा निवेदन यह है कि पहले फेमिन कोड में यह प्रावधान होता था कि जो कार्य अकाल राहत के तहत करवाये जाते थे, सड़क आदि के उन्हें प्रायोरिटी पर पूरा करने के लिए पी डब्ल्यू.डी. धन उपलब्ध कराता था। क्या आज फेमिन कोड से वह क्लाज हटा दिया है या वह कायम है?

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया है कि जो रोड्स अकाल राहत के तहत बनी है, सम्बन्धित विभाग और डी.आर.डी.ए. की विभिन्न योजनाओं के तहत उनको प्राथमिकता से लिया जा रहा है, उनको पूरा करवाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंहजी, प्रश्न संख्या 99।

भरतपुर फीडर से सिंचाई

99. **श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री हरिसिंह)

(1) क्या भरतपुर फीडर से सिंचाई के पानी लेने का ग्रामवार कोई क्रम मुकर्रर किया जाता है ? यदि हां, तो वर्ष 1994 से मुकर्रर क्रम की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उक्त पानी के क्रम को मुनासिब समझती है ?

सिंचाई मंत्री (श्री देवीसिंह भाटी) : (1) जी नहीं। फीडर से कम समय के लिए तथा कम पानी की मात्रा आने के कारण पेयजल आपूर्ति को प्राथमिकता दी जाती है, एवं सिंचाई हेतु पानी लगाने का ग्रामवार क्रम मुकर्रर नहीं किया जाता।

(2) पानी की संतोषजनक आपूर्ति के पश्चात् ऐसे क्रम का निर्धारण उचित रहेगा।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने सवाल को 99 के फेर में डाल दिया है। मेरा आपसे निवेदन है कि जो फीडर बनी थी....

श्री देवीसिंह भाटी : आप सुझाव दें।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सुझाव दे रहा हूं कि जो फीडर बनी थी ये उस समय बनी थी जिस समय भरतपुर में पेयजल की कमी नहीं थी, यह सिंचाई के लिए फीडर बनी थी। अब भी जो पानी फीडर में आ रहा है, वह उन दिनों में आ रहा है, जिन दिनों में बरसात होती है। पेयजल की आवश्यकता के दिनों में तो इसमें पानी आता ही नहीं। आप मुलाहिजा करें मेरे पास आपके विभाग के दिये हुए फीगर्स हैं, इसमें जुलाई, 92 में पानी आया 1174 क्यूसेक, अगस्त में आया 4404 क्यूसेक्स, सितम्बर में आया 2016 क्यूसेक्स और अक्टूबर में आया 4958 क्यूसेक्स। कुल 15754 क्यूसेक आया 1992 में, जबकि सिंचाई की जरूरत होती है बरसात का दिन है। जहां सवाल है पीने के पानी का, अप्रेल, मई और जून वहां निल है स्टेटमेंट में। 1993 में यही स्थिति है और 94 में भी यही स्थिति है। 1994 में आया 15496, 94 में आया 9627 क्यूसेक्स 93 में आया 15491 क्यूसेक्स, इस प्रकार से जो पानी बरसात के दिनों में आया है। मंत्री महोदय, आप तो स्वयं संवेदनशील हैं। आपने बरसात के दिनों में वहां पर पानी को देखा है और इस पानी के ऊपर हमारे यहां पर कई गांवों में झगड़े हुए हैं, फायरिंग हुई है, आदमी मरे हैं। जबकि राजस्थान के भरतपुर जिले के अन्दर नहरों पर डेट्स फिक्स होती है, क्रमवार तारीखें फिक्स होती है कि पानी कहां जायेगा। अगर आप पानी के लिए पेयजल के लिए भी समझें तो पेयजल के लिए किस-किस गांव में पानी जायेगा सिस्टम बनना चाहिए। बगैर क्रम के पानी किसी भी जिले में मैं समझता हूं किसी नहर का नहीं चलता होगा।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसका क्रम बनाने का कब प्रयास करेंगे। अब तो यमुना जल का बंटवारा हो गया है, अब तो पानी आना ही आना है आपका, इसलिए आप जल्दी से क्रम क्यों नहीं बनाते ?

श्री अध्यक्ष : उसके लिए धन्यवाद दीजिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर भरतपुर से आने वाले सभी माननीय सदस्यों की मांग रही है कि भरतपुर में सबसे ज्यादा पेयजल संकट है और इसके लिए हम पहले भी जितने पोखर हैं, जहां आवश्यकता है, मैंने सूची दी है आपको, उसके अन्दर 21 पोखर हैं....

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सूची नहीं है।

श्री देवीसिंह भाटी : मेरा मैटीरियल है, मैं आपको सूचना दे रहा हूं कि आपके यहां जो 21 पोखर हैं, इसके अन्दर करीबन 36 ऐसे कुण्ड हैं जिनको हम पोखर कहते हैं। इनको हम पेयजल के लिए भरते हैं। यह बात सही है कि यह पानी जो अब तक हमें मिलता रहा है, यह सिर्फ बरसात के मौसम में हमको मिलता है। अब इसकी अनसर्टेन्टी रहने की वजह से देखिये हम जिस भी सिस्टम में पानी चलायेंगे। यदि हम निश्चित हों कि हमें इतना पानी मिलेगा तब हम उसका बराबर अपर रीच से लेकर टेल रीच तक इसकी सारी व्यवस्था कर सकते हैं। अब इस माइनर में इतना पानी देंगे इसके बाद इस माइनर का टर्न है और इस टेल तक पानी जायेगा। यह आपकी जानकारी में है और यह बहुत बड़ा समझौता हुआ है और इसके तहत हमें पूरी आशा है कि जो 100 क्यूसेक पानी हमको मिलने वाला है। यमुना बोर्ड के गठन के बाद जो प्रथम मीटिंग हुई उसके बाद पानी की जैसी उपलब्धता होगी तो निश्चित तौर पर क्रम निश्चित होगा। यदि क्रम हम आज दिन तय कर दें और हमारे पास पूरा पानी उपलब्ध नहीं हो तो हम यह किस प्रकार से कर पायेंगे, इसके लिए आप थोड़ा सुझाव दे दें। इस मामले में कोई दिक्कत नहीं है, हम करने के लिए तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें, श्री रामस्वरूप जी मीणा।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मेरा निवेदन यह है कि....

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूपजी मीणा।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे जीवन-मरण का प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : आपके तो जीवन-मरण का प्रश्न है लेकिन कई माननीय सदस्यों को दूसरे प्रश्न पूछने हैं। इन्होंने आपका स्पेसिफिक उत्तर दे दिया है। इन्होंने उत्तर दे दिया कि पोखर बनाने पड़ेंगे और पानी की शोर्टेज है, बिराजिये आप। जब पानी आयेगा तो उसमें आपका हिस्सा दे देंगे।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : **I have got a right to put second supplementary.** दूसरा सवाल पूछना मेरा अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : माननीय, जब पूरा उत्तर आ गया उसके बाद क्या पूछना है?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : आप मुझे उससे वंचित करना चाहते हैं, मैं बैठ जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : आप पूछ लें।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप पोखर भरना चाहते हैं तो

(श्री हरिसिंह)

पोखर का भी तो क्रम होना चाहिए। कुछ पोखर भर जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। अब तो 100 क्यूसेक्स पानी आपके लिए निर्धारित हो गया, इतने दिन चलेगा आप क्यों नहीं उसका क्रम बना देते हैं। कुछ गांव झगड़ते रहते है, कुछ गांव पहले वाले पानी ले जाते हैं, इसको बनाइये, रेगुलर करिये, नहीं तो लोगों में फिर झगड़े होंगे।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह हमेशा होता है। आज पी.एच.ई.डी. की कई पी.एस.पी. बनी हुई है। पानी यदि कम चलता है तो उस पर आपाधापी चलती है और उस पी.एस.पी. के ऊपर भी झगड़े शुरू हो जाते हैं। पानी की कमी के कारण यह दिक्कत आती है। जो अपर रीच में होगा वह पहले अपना पानी भरना चाहेगा। इसमें मैंने यह भी बताया है कि नोन मानसून पीरियड के अन्दर भी हमको पानी मिला है तो हम वह पानी सिंचाई के लिए भी देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन फिर भी जैसे ही हमें पानी उपलब्ध होगा। आपसे कहीं कोई मतभेद या ऐसी बात नहीं है आप जो भी सुझाव देंगे, हमें पानी का सही डिस्ट्रीब्यूशन करना है, पानी जितना उपलब्ध होगा उससे ज्यादा लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जितना उपलब्ध होगा उस का निश्चित तौर पर पानी मिलने के बाद क्रम तय होगा और यह आपाधापी नहीं होगी कि जिन्होंने जहां चाहा वहां ज्यादा पानी ले लिया, जो गरीब है वह रोता रहे और टेल पर पानी नहीं पहुंचे। यह सब मैं नहीं होने दूंगा। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप जी।

राज्य के मेडिकल कालेजों में अनुसूचित जाति/जनजाति के सहायक आचार्य के पदों का बैकलॉग

100. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में स्थित मेडिकल कालेजों में विभिन्न विषयों के सहायक आचार्य के कुल कितने पद हैं तथा उनमें से विभिन्न विषयों में सामान्य श्रेणी के कितने पद हैं? इनमें से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कितने-कितने पद हैं?

(2) वर्तमान में विभिन्न मेडिकल कालेजों में विभिन्न विषयों के कितने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सहायक प्राचार्य स्थायी व अस्थायी रूप से कार्यरत हैं?

(3) क्या सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सहायक प्राचार्य के पदों में बैकलॉग को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं तो क्यों?

राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (श्री राजेन्द्र राठौड़) : (1) राज्य में स्थित मेडिकल कालेजों में विभिन्न विषयों में सहायक आचार्य के कुल 604 पद हैं। इनमें सामान्य श्रेणी के 299, अनुसूचित जाति के 112 तथा अनुसूचित जनजाति के 79 व ओ.बी.सी. के 114 पद हैं। विषयवार सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) विभिन्न विषयों में सहायक आचार्य के पदों पर अनुसूचित जाति के 20 एवं अनुसूचित जनजाति के 5 एवं ओ.बी.सी.

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

का एक चिकित्सक नियमित रूप से नियुक्त है तथा अनुसूचित जाति के 19 एवं अनुसूचित जनजाति के 17 चिकित्सक अस्थायी आधार पर नियुक्त हैं।

(3) जी हां। नियमानुसार सहायक आचार्य के रिक्त पदों की अभ्यर्थना नियमानुसार अधिकतम पद इन वर्गों हेतु आरक्षित दर्शाते हुए चयन हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को प्रेषित कर दी गयी है। आयोग द्वारा अभिस्तावना प्राप्त होते ही नियुक्ति आदेश इन रिक्त पदों पर जारी कर दिये जायेंगे।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–2 देखें।)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है, ऐसा ही जवाब मैंने पिछले सदन में उठाया था। वह का वही रटा हुआ, वह का वही जवाब, उसी की कापी माननीय मंत्रीजी ने....

श्री अध्यक्ष : माननीय आप स्पेसीफिक प्रश्न पूछें, दूसरे माननीय सदस्यों के प्रश्न आने दें।

श्री रामस्वरूप मीणा : आपके माध्यम से मेरा यह निवेदन है कि मेरे दो सप्लीमेंटरी हैं। पहला तो यह कि क्या सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति के जो अस्थायी सहायक आचार्य गत 3 वर्ष से सुचारू रूप से संतोषजनक कार्य कर रहे हैं, को अस्थायी से स्थायी करने के लिए वर्तमान में क्या विचार रखती है ? और इसके लिए क्या कार्यवाही मंत्री महोदय ने की है ?

दूसरा मेरा निवेदन है माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और जनजाति के सहायक आचार्यों के कितने पद आपके विभाग में रिक्त पड़े हुए हैं? यह मेरे दो सप्लीमेण्टरी है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से। मंत्री महोदय उनको स्थायी करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति के 92 और अनुसूचित जनजाति के 74 पद रिक्त पड़े हैं। इन पदों को भरने के लिए हमने राजस्थान लोक सेवा आयोग को अभ्यर्थना के लिए भेजा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग से जब भी हमें योग्य अभ्यर्थी मिलेंगे इन पदों को भर दिया जायेगा।

दूसरा माननीय सदस्य आप जानना चाहते हैं कि जो अस्थायी तौर पर तीन वर्ष तक लगातार जिनकी सेवाएं अच्छी रहीं उनको सरकार नियमित रूप से सेवा में लेने का विचार रखती है या नहीं रखती है ? तो अध्यक्ष महोदय, यह नीतिगत सवाल है, मैं अभी तो कुछ नहीं कह पाऊंगा लेकिन सरकार ने अभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के अस्थायी प्राध्यापकों के बारे में निर्णय लिया है उसी के अनुरूप इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री रामनारायण चौधरी : जब तक आर.पी.एस.सी. से नहीं आयें तब तक ओपिन मार्केट से रिक्त स्थानों को आप डिपार्टमेंटल भरने की कार्यवाही करेंगे ? मंत्री महोदय ने बताया है कि आर.पी.एस.सी. को लिखा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, एक निश्चित समयावधि तक हम प्रयास यह

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

करते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग से हमें चयनित अभ्यर्थी मिल जायं लेकिन लम्बे समय तक जब यह चयनित अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो केन्द्रीय चयन समिति बनाकर हम इन रिक्त पदों को भरने का प्रयास करते हैं। यह जो रिक्त पद हैं अभी हमने अभ्यर्थना भेजी हुई है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही राजस्थान लोक सेवा आयोग चयनित अभ्यर्थियों को हमारे पास भेज देगी और अगर नहीं होंगे तो इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री रामनारायण चौधरी : कितना समय लेंगे ?

श्री अध्यक्ष : जब तक लोक सेवा आयोग चयन कर ले।

श्री परसादीलाल मीणा।

जिला (दौसा) को केरोसिन तेल का आबंटन

101. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) व **श्री हरिसिंह** (महुआ) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दौसा जिले में केरोसिन तेल का कितना आबंटन किया जा रहा है ? पिछले एक वर्ष का माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) दौसा जिले में केरोसिन तेल के वितरण के लिए कितने अधिकृत विक्रेता हैं ? विक्रेताओं की सूची पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रखें।

(3) दौसा जिले में माह अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 1994 तथा जनवरी एवं फरवरी, 1995 में कुल कितना तेल आबंटन किया गया एवं अधिकृत विक्रेताओं द्वारा कितना कितना आबंटित तेल उक्त महीनों में वितरित किया गया ?

(4) क्या यह सही है कि केरोसिन वितरण की शिकायत जिला अधिकारियों को मिली हैं ? यदि हां, तो शिकायतों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि जिन अधिकृत विक्रेताओं का लाइसेंस एक बार केरोसिन वितरण की शिकायत पर निरस्त कर दिया गया, उन्हीं के नाम से पुनः लाइसेंस बनाये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (श्री रामप्रताप) : (1) दौसा जिले को 800 किलोलीटर केरोसिन तेल का आबंटन माह मार्च, 95 में किया गया है। पिछले एक वर्ष का विवरण माहवार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) दौसा जिले में केरोसिन तेल के वितरण के लिए 193 अधिकृत विक्रेता हैं। अधिकृत विक्रेताओं की सूची पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) दौसा जिले में माह अक्टूबर, 94 से फरवरी, 95 तक केरोसिन तेल का आबंटन एवं अधिकृत विक्रेताओं द्वारा निम्न प्रकार वितरण किया गया :—

(श्री रामप्रताप)

माह	आबंटन	वितरण
	(मात्रा कि.ली. में)	
अक्टूबर, 94	793	792
नवम्बर, 94	900	912
दिसम्बर, 94	915	912
जनवरी, 95	900	888
फरवरी, 95	950	936

(4) जी हां, माह जनवरी, 94 से फरवरी, 95 तक की अवधि में प्राप्त शिकायतों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) जी नहीं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखा गया।)

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से पहले खण्ड में मैंने पूछा था कि दौसा जिले में केरोसिन तेल का कितना आबंटन किया जा रहा है पिछले एक वर्ष का माहवार वितरण। इन्होंने केवल मार्च महीने का ही दिया है और दूसरे में मैंने पूछा है कि कितने अधिकृत विक्रेता हैं। तो अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सभी ग्राम पंचायतों के लिए आपने केरोसिन वितरण की व्यवस्था के डीलर्स नियुक्त कर रखे हैं? जहां पर आपने डीलर्स अभी तक नियुक्त नहीं किये हैं वहां पर केरोसिन बिलकुल वितरण नहीं किया जा रहा है। जैसे एक ग्राम पंचायत के डीलर ने 5 पंचायतों का ले रखा है तथा उसी हैडक्वार्टर पर केरोसिन का वितरण करता है 5 का भी। जहां कोई केरोसिन लेने नहीं आता है केवल खानापूर्ति करते हैं। तो माननीय मंत्री महोदय आप हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर केरोसिन डीलर की व्यवस्था करने के लिए क्या करने जा रहे हैं?

दूसरा, मैंने आपसे पूछा है कि जो शिकायतें हुई हैं। यह आपने शिकायतों की सूची दी है, यह शिकायतें बहुत गम्भीर हैं और इसमें आपने जांच करवायी होगी। अगर जांच करवायी है, तो आपने किस-किस शिकायत में क्या-क्या कार्यवाही की?

श्री रामप्रताप : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक ग्राम पंचायत स्तर पर केरोसिन के आवंटन की बात है हम यह प्रयास कर रहे हैं कि ग्राम पंचायत स्तर पर उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से केरोसिन का वितरण कराया जाये। जहां तक माननीय सदस्य की शिकायतों की बात है तो पिछले एक साल में 9 शिकायतें मिली हैं और 9 शिकायतें होने की वजह से मैं मानकर चलता हूं कि वितरण व्यवस्था कुछ ठीक है। इसमें पंचायत समिति लालसोट की 5 शिकायतें हैं, सिकराय की 1 है और दौसा की 3 हैं। इसमें से पंचायत समिति लालसोट और सिकराय की शिकायतों की जांच अभी जारी है। दौसा पंचायत समिति की 3 में से 1 के अन्दर 180 लीटर केरोसिन कम पाया गया जिसकी वजह से उसकी एफ. आई. आर. लाज करवायी गयी है, उसकी जांच जारी है। दूसरा प्रकरण है 2 पीपे केरोसिन लावारिस स्थिति में मिला था उसको जब्त किया गया है और वहां के एरिये के जितने भी लाइसेंसधारी हैं उनसे जानकारी की जा रही है कि यह किसका

(श्री रामप्रताप)

है। तीसरी विद्यार्थियों के द्वारा शिकायत की गयी थी उसकी जांच जारी है।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह 5 शिकायतें पंचायत समिति लालसोट के डीलरों की है और इन शिकायतों को करीब-करीब एक साल पूरा हो गया है। एक साल में भी इतने लम्बे समय के बाद भी जांच नहीं हुई और इनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसलिए शिकायत करने वाले लोग क्या आशा करेंगे आपके अधिकारियों से कि किसी की शिकायत होने पर उसकी कार्यवाही हो जायेगी? तो माननीय मंत्री जी शिकायत लोग आपके विभाग में इसलिए नहीं करते हैं कि वहां शिकायतें करते हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। आपके अधिकारी उनसे मिलकर शिकायतों को रफादफा करते हैं। हकीकत यह है मंत्री जी कि केरोसिन का 80 प्रतिशत डीजल में जा रहा है। गांवों में किसानों से आप पूछ लें कहीं भी अपने 5 ड्रम केरोसिन के मिल जायेंगे। आपको जितना चाहिए उतना केरोसिन ले लो। कहीं भी वितरण नहीं हो रहा है। ईमानदारी की बात पूछें तो सारा केरोसिन आपका डीजल में जा रहा है। आप इसको रोकने के लिए कि केरोसिन का वितरण सही गरीबों में हो तो हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर इसका वितरण हो और इसके लिए आप क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं? और जो शिकायतें आती हैं एक-एक साल तक उसमें कार्यवाही नहीं होती है तो क्या आप समयबद्ध कार्यक्रम बना कर शिकायतों पर कार्यवाही करने का विचार रखते हैं?

श्री रामप्रताप : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले एक साल में जो शिकायतों की जांच में देरी हुई उसका मुख्य कारण निश्चित तौर पर कुछ तो चुनावों की वजह से हुई है। और इसके अलावा जहां तक मिलावट की बात है मैंने पहले भी निवेदन किया है कि इस चीज से मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, पर इसमें आप सबका सहयोग मैंने पहले भी मांगा था और हम हमारी तरफ से प्रयास भी कर रहे हैं और कुछ जगहों पर फ्लाइंग स्क्वैड भी भेजी गयी है और वह शिकायतें सही मिली हैं उनके ऊपर कार्यवाही भी की गयी है। और कुछ शिकायतें सही भी पाई गयी हैं उनके ऊपर भी कार्यवाही कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आप किसी भी वक्त कोई भी शिकायत बतायेंगे तो उस पर मैं पूरी तफतीश करवाऊंगा और तत्परता से कार्यवाही करवाऊंगा और इन शिकायतों को भी एक्सपीडाइट करवाकर निपटाने का प्रयत्न करूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री आर. पी. शर्मा।

भरतपुर शहर की यातायात व्यवस्था

102. श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) प्रदेश में जिला अनुसार यातायात पुलिसकर्मियों की संख्या कितनी-कितनी है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या भरतपुर जिले में यातायात पुलिसकर्मियों की संख्या यातायात साधनों के अनुसार पर्याप्त है? यदि हां, तो क्या

(श्री आर. पी. शर्मा)

शहर में यातायात व्यवस्था सही चल रही है।

(3) क्या भरतपुर शहर में यातायात की सुचारू व्यवस्था के लिए इसका आधुनिकीकरण करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

गृह मंत्री (कैलाश मेघवाल) : (1) प्रदेश में जिला अनुसार यातायात पुलिसकर्मियों की पदानुसार संख्या की सूची परिशिष्ट (क) में संलग्न प्रेषित है।

(2) जी नहीं। भरतपुर शहर में यातायात पुलिस में स्वीकृत नफरी पर्याप्त नहीं है।

(3) जी हां। पुलिस पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत यातायात पुलिस की संख्या की वृद्धि के लिये वर्तमान में उपलब्ध यातायात पुलिसकर्मियों के अतिरिक्त एक हैड कांस्टेबल, 6 कांस्टेबल पद सृजन करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें।)

श्री आर पी शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूं लेकिन आपने जो नफरी बढ़ाने की बात कही है जिले के लिहाज से बहुत कम है, कृपया उसको और बढ़ायें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(12.00)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट–4 देखें।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

फलासिया (उदयपुर) की प्रस्तावित सड़कें

144. **श्री कुबेरसिंह** (फलासिया) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में पिछली पंचवर्षीय योजना में कौन-कौनसी सड़कें कितनी-कितनी लागत की बनाया जाना प्रस्तावित थी? सूची सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पिछली पंचवर्षीय योजना में उक्त क्षेत्र की उपेक्षा की गई? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या अगली पंचवर्षीय योजना में उक्त क्षेत्र में सड़कों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कौन-कौन सी कितनी-कितनी लागत की? सड़कों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त निर्वाचन क्षेत्र में वर्षा के मौसम में कौन-कौनसी पंचायतों का तहसील मुख्यालय से सम्पर्क टूट जाता है? पंचायतों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार जनहित में इन पंचायतों में सड़कों का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फलासिया में पिछली पंचवर्षीय योजना अन्तर्गत कुल 4

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

सड़कें कुल लागत 97.60 लाख में बनायी जानी प्रस्तावित थीं। सूची "अ" संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) अगली पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकार की सड़क नीति के अनुरूप 1981/1991 जनसंख्या की 1000 या ऊपर की जनसंख्या वाले समस्त गांव तथा सभी पंचायत मुख्यालयों को डामर की सड़कों से जोड़ने का प्रावधान है।

(4) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया में 22 पंचायत मुख्यालय वर्षा के मौसम में तहसील मुख्यालय से सड़क सम्पर्क में नहीं रहते हैं। सूची "ब" संलग्न है।

(5) राज्य सरकार की सड़क नीति के अनुसार सभी पंचायत मुख्यालयों को चालू पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ग्रेवल सड़कों से जोड़ने का प्रावधान है तथा अगली पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक सभी पंचायत मुख्यालय को डामर सड़क से जोड़ने का विचार रखती है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट—5 देखें।)

राज्य पुल एवं निर्माण निगम द्वारा पुलों का निर्माण

145. **श्री भरत सिंह** (खानपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम ने अब तक कुल कितने नए पुलों का गत 10 वर्षों में निर्माण किया है तथा उनके निर्माण पर कितनी लागत आयी है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कितने अधूरे पड़े पुलों का निर्माण कार्य अभी चालू है तथा कहां-कहां नये पुलों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है ?

(3) कोटा, बारां व झालावाड़ जिले में छोटी-बड़ी नदियों पर रियासत काल की कुल कितनी रपटें हैं जिन पर वर्षा ऋतु में पानी आ जाने के कारण आवागमन बन्द हो जाता है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या विभाग इन रपटों पर नये पुल निर्माण करवाने की योजना बना रहा है ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम ने अब तक कुल 56 नए पुलों का गत 10 वर्षों में निर्माण किया है तथा उनके निर्माण पर रुपये 5480 लाख की लागत आई है। सूची "अ" संलग्न है।

(2) राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम द्वारा 16 अधूरे पड़े पुलों का निर्माण कार्य अभी चालू है तथा 4 नए पुलों का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है। सूची "ब" संलग्न है।

(3) कोटा, बारां व झालावाड़ जिलों में छोटी-बड़ी नदियों पर रियासत काल की कुल 86 रपटें हैं, जिन पर वर्षा ऋतु में पानी आ जाने के कारण आवागमन

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

बन्द हो जाता है। जिलेवार सूची "द" "म" एवं "न" संलग्न है।

(4) जी, हां। विभाग इन रपटों पर नये पुल/पुलियाओं के निर्माण के लिये प्रयत्नशील है जयपुर-झालावाड़ राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 12 के कि.मी. 346 में बहने वाली काली सिद्ध नदी पर नवीन पुल निर्माण हेतु रुपये 687 लाख की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है एवं इसी राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 12 के कि.मी. 376 में बहने वाली घार नदी पर पुल बनाना प्रस्तावित है। जिनकी क्रियान्विति भारत सरकार द्वारा वित्तीय आवंटन पर निर्भर है। शेष पुल/पुलियाओं के निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार (राष्ट्रीय राज मार्ग के लिये) तथा राज्य सरकार के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है। साथ ही राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा संस्थागत ऋण प्राप्त कर पुल निर्माण कार्य कराये जाने के लिये भी प्रयत्न जारी है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

लूणकरणसर से अर्जुनसर के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत

146. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय मार्ग संख्या 15 बीकानेर-गंगानगर 72 कि.मी. से 125 कि.मी. अर्थात् लूणकरणसर से अर्जुनसर के बीच जगह-जगह सड़क में गड्ढे बने हुए हैं एवं किनारे कटे हुए व कमजोर तथा क्षतिग्रस्त हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे ठीक कराने एवं किनारे मजबूत करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

(2) क्या यह सही है कि 15 किमी. से 70 किमी. के बीच जो कार्य हुआ वह गुणवत्ता का नहीं हुआ और न ही इस दूरी में पूरी खुदाई कर के कंकर निर्धारित मात्रा में प्रयोग में लिया गया है?

(3) उपरोक्त कार्य को विभागीय नॉर्म्स के अनुसार किस-किस अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाना चाहिये? क्या किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया? यदि हां, तो निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह पूर्ण रूप से सही नहीं है कि रा. मा. 15 बीकानेर-गंगानगर 72 कि.मी. से 125 कि.मी. अर्थात् लूणकरणसर-अर्जुनसर मार्ग पर जगह-जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। लेकिन यह आंशिक रूप से सही है कि किनारे कटे हुए कमजोर व क्षतिग्रस्त हैं। केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध राशि के उपयोग से कार्य करवा कर इसे ठीक करवाया जाता है। उक्त सड़क काफी कि.मी. में कमजोर हालत में है तथा इस पर यातायात का दबाव वाहन क्षमता से अधिक है। अतः कम समय के अन्तराल में क्षतिग्रस्त हो जाती है। रा. उ. मार्ग को ठीक कराने हेतु बजट प्रावधान भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है जो मांग के अनुसार भारत सरकार नहीं देती। अतः बजट की उपलब्धता के अनुपात में ही राजमार्ग के रख-रखाव का कार्य किया जाता है। कि.मी. 72/0 से 125/0 के बीच निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है/किये जा रहे हैं।

1. कि.मी 74/0 से 78/0 तथा 80/0 से 85/0

पेवर फिनिशर द्वारा रिन्यूवल कार्य (स्वीकृत राशि रु. 28.00 लाख) किया जाना है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

2. कि.मी. 81/800 से 82/600

सेमग्रस्त क्षेत्र में सड़क को ऊंचा कर पुनर्निर्माण का कार्य (स्वीकृत राशि रुपया 29.66 लाख) प्रगति पर है।

3. कि.मी. 80/0 से 125/0 :– वर्तमान 5.50 मी. चौड़ी सड़क का 7.00 मी. चौड़ाई में करने का कार्य (स्वीकृत राशि रु. 233.43 लाख) स्वीकृत है।

4. कि.मी. 85/0 से 100/0 :– कि.मी. 85/0 से 100/0 में पेवर फिनिशर द्वारा स्वीकृत राशि रु. 42.00 लाख रिन्यूवल का कार्य कराया जा चुका है। बर्म्स का कार्य प्रगति पर है।

5. अन्य कि.मी. में आवश्यकतानुसार पेंच-रिपेयर कार्य किया जा रहा है।

(2) जी, नहीं।

(3) उपरोक्त कार्यों की विभागीय नार्मस के अनुसार सहायक अभियन्ता, अधिशाषी अभियन्ता, अधिशाषी अभियन्ता (गुण नियंत्रण) एवं अधीक्षण अभियन्ता द्वारा निरीक्षण किया जाना चाहिये। उक्त सभी अधिकारियों द्वारा कार्य की प्रगति के दौरान निरीक्षण किया गया है। इसके अतिरिक्त विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है। भूतल परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा भी निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण प्रतिवेदन (अधिशासी अभियन्ता, गुणनियंत्रण खण्ड) की प्रतियां संलग्न है।

(निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

पंचायत समिति किशनगढ़-बास एवं तिजारा के ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ना

147. **श्री मदन मोहन (खैरथल)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति किशनगढ़–बास के धमूकड़, बिरसंगपुर, बाघोड़ा, जगताबसई पंचायत मुख्यालय अभी तक सड़क मार्ग से नहीं जुड़े हैं ? यदि हां, तो सरकार इन पंचायत मुख्यालयों को कब तक सड़क से जोड़ने का विचार रखती है?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति तिजारा में ग्राम पंचायत मुख्यालय महेसरा रूपवास अभी तक पक्की सड़क से नहीं जुड़े हैं ? यदि हां, तो सरकार इन्हें कब तक पक्की सड़क से जोड़ने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति कोटकासिम का ग्राम पंचायत मुख्यालय गुणसार अभी तक सड़क मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है ? यदि हां, तो सरकार इसे कब तक पक्की सड़क से जोड़ने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां। पंचायत समिति किशनगढ़-बास के अन्तर्गत धमूकड़ (572) बिरसंगपुर (714) बाघोड़ा, जगताबसई पंचायत मुख्यालय जो अभी तक सड़क मार्ग से जुड़े हुए नहीं हैं को सड़क नीति के अनुसार आठवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रेवल रोड से जोड़ना प्रस्तावित है और नवीं पंचवर्षीय योजना में डामर सड़क से जोड़ने का प्रावधान है।

(2) जी, हां। पंचायत समिति तिजारा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय महेसरा (586) एवं रूपबास को सड़क नीति के अनुसार नवीं पंचवर्षीय योजना में पक्की सड़क से जोड़ने का प्रावधान है।

(3) जी, हां। कोटकासिम पंचायत समिति में गुणसार ग्राम पंचायत मुख्यालय जिसकी 1971 की जनसंख्या 1058 है को प्लान 1995–96 में पक्की सड़क निर्माण प्रस्तावित है।

सड़कों पर पेवर पद्धति से डामरीकरण के मानदंड

148. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सड़कों पर पेवर पद्धति से डामरीकरण के क्या मानदण्ड हैं ? क्या राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं तहसील स्तर की सड़कों के अलग-अलग मानदण्ड हैं ?

(2) उदयपुर जिले में वित्तीय वर्ष 1994–95 में किन-किन सड़कों पर पेवर पद्धति से डामरीकरण कब-कब किया गया विवरण तिथि सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि डामरीकरण के तुरन्त बाद कई सड़कों पर डामर टूटने या उखड़ने की जानकारी विभाग के पास है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं एवं विभाग ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

(4) क्या जिलों के उच्च अधिकारियों ने पेवर कार्य के बाद इन सड़कों का कभी निरीक्षण किया ? यदि हां, तो किस-किस अधिकारी ने कौन-कौनसी सड़कों का ? विवरण तिथिवार सदन की मेज पर रखें।

(5) पेवर की गई सड़कों की वर्तमान स्थिति क्या है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सड़कों पर पेवर पद्धति से डामरीकरण का मानदण्ड सड़क की महत्वता, दशा, यातायात गणना, बहतर राइडिंग क्वालिटी के लिये एवं संसाधनों उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये किया जाता है।

(2) उदयपुर जिले में वित्तीय वर्ष 1994–95 में जिन-जिन सड़कों पर पेवर पद्धति से डामरीकरण कराया गया का विवरण परिशिष्ट "क" में दर्शाया गया है।

(3) जी नहीं।

(4) जिले के उच्च अधिकारियों के पेवर कार्य होने के बाद इन सड़कों के निरीक्षण का विवरण परिशिष्ट "ख" में दर्शाया गया है ?

(5) पेवर की गई सड़कों की स्थिति संतोषप्रद हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

ब्यावर-पाली-सिरोही राष्ट्रीय मार्ग के समीप अतिक्रमण

149. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ब्यावर-पाली-सिरोही मार्ग को नेशनल हाईवे नं. 14 कब घोषित किया गया ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें। इसमें कब परिवर्तन किया गया ? नेशनल हाईवे की चौड़ाई कितनी रखी हुई है।

(2) क्या यह सही है कि इसकी

Page No. 32

(32)

(श्री माधव सिंह दीवान)

घोषणा होने के बाद भी सड़क क्षेत्र में कई दीवारें, दुकानें, वगैरह बनाने की कार्यवाही बिना रोक-टोक के चालू है ?

(3) सोजत से सुमेरपुर के बीच ऐसे कितने निर्माण हुए तथा किस-किस को नोटिस दिये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) आगे से इस प्रकार के अनाधिकृत निर्माण न हों इसकी रोकथाम हेतु सरकार क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) ब्यावर-पाली-सिरोही मार्ग को नेशनल हाईवे 14 दिनांक 20 फरवरी, 1989 को घोषित किया गया । आदेश की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न हैं । इस मार्ग के वर्गीकरण में परिवर्तन उपरोक्त तिथि से ही किया गया है । नेशनल हाईवे डामर सड़क की चौड़ाई 7.0 मीटर व फारमेशन 12.0 मीटर हुई है ।

(2) नहीं । परन्तु गाँवों, कस्बों व शहरों के आबादी क्षेत्र में कच्चे व कच्चे-पक्के टीन शेड, केबिन इत्यादि, सड़क क्षेत्र में बनाने की कार्यवाही यदा-कदा चालू रहती है ।

(3) सोजत से सुमेरपुर की बीच ऐसे काफी कच्चे व कच्चे पक्के निर्माण हुये हैं । उनमें से 56 अतिक्रमणधारियों को रा. भू. रा. अ. की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस दिये गये हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है ।

(4) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार का राज्य मार्गों के सम्बन्ध में कानून बनाने का विचार है ।

(आदेश व सूची की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी ।)

डेगाना क्षेत्र की सड़कें

150 श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र डेगाना की कई डामर सड़कें क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन सी ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में डामर सड़कों की कुल लम्बाई कितनी है ?

(3) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1995-96 में नई डामर सड़कें बनाया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कौन-कौन सी एवं नहीं, तो क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) डेगाना विधान सभा क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास कुल 286.5 कि. मी. डामर की सड़कें हैं । सूची संलग्न है ।

(3) जी हां । डेगाना विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1995-96 में संलग्न सूची के अनुसार 12 नई डामर सड़कें बनाया जाना प्रस्तावित है । सूची संलग्न है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट--6 देखें ।)

राज्य की नई सड़क निर्माण नीति

151. श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) एवं **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में "सड़क निर्माण नीति" घोषित की गई है ? यदि हां, तो नई सड़क नीति की मुख्य विशेषताओं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सड़क निर्माण की निरन्तर चली आ रही पुरानी नीति व अब घोषित नई नीति में कोई मौतिक गुणात्मक अन्तर नहीं है ? यदि नहीं, तो वह अन्तर क्या है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस नई सड़क निर्माण नीति में धन का पर्याप्त प्रावधान रखा गया है ? यदि हां, तो क्या इससे प्रदेश के विकास में सन्तुलन का निर्वहन हो सकेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या इस नई सड़क नीति में सड़क निर्माण कार्य में निजीकरण द्वारा सड़कों को हाथ में लेने का प्रावधान है ? यदि हां, तो उसके पूंजी निवेश सहित विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि राज्य की नई सड़क नीति लागू कर दी गई है। नई सड़क नीति की मुख्य-मुख्य विशेषताएं परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। निरन्तर चली आ रही पुरानी नीति व घोषित नई नीति में मौतिक गुणात्मक अन्तर परिशिष्ट "ब" पर दर्शाया गया है।

(3) जी हां। इस नई सड़क निर्माण नीति में धन का पर्याप्त प्रावधान रखा गया है जिससे प्रदेश के विकास में सन्तुलन का निर्वहन हो सकेगा। "सड़क विकास नीति" में रखे गये धन के प्रावधान का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट "स" पर दर्शाया गया है।

(4) जी हां। इस नई सड़क नीति में सड़क निर्माण कार्य में निजीकरण द्वारा सड़कों को हाथ में लेने का प्रावधान है। निजीकरण का विवरण परिशिष्ट "द" पर दर्शाया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

डेढ़ हजार से अधिक की आबादी के ग्रामों को सड़क से जोड़ना

152. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार के निर्णय के अनुसार राज्य की डेढ़ हजार से अधिक की आबादी वाले सभी गांवों को वर्ष 1995 के अन्त तक पक्की सड़कों से जोड़ दिया जायेगा ?

(2) अब तक राज्य सरकार ने इ

(श्री विष्णु मोदी)

योजना के अन्तर्गत कुल कितनी राशि की स्वीकृतियां जारी कर दी है और उन स्वीकृतियों में से कितनी राशि व्यय हो चुकी है तथा जो राशि व्यय हुई है उसमें से कौन-कौन से कार्य करवाये गये हैं अथवा करवाये जा रहे है ?

(3) क्या यह सही है कि मरुस्थलीय जिलों तथा बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर के एक हजार से अधिक की आबादी वाले सभी गांवों को ग्रेवल सड़कों से जोड़ने की स्वीकृतियां भी वर्ष 1994–95 में जारी की गई हैं ? यदि हां, तो कितनी राशि की ? उनमें से कितनी राशि व्यय हो चुकी है और कितनी सड़कों के कार्य करवाये गये हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जारी की स्वीकृतियों में से राज्य की डेढ़ हजार से अधिक आबादी वाले सभी गांवों (1971 की जनगणनानुसार) को वर्ष 1995 के अन्त तक पक्की सड़कों से जोड़ दिया जायेगा।

(2) अब तक राज्य सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत 1971 की जनगणनानुसार 1500 से अधिक आबादी के सभी गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने के लिए 61.21 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां जारी की गई हैं जिसमें से फरवरी के अन्त तक लगभग 21.54 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं। इस राशि से 1500 से अधिक आबादी वाले गांवों को नवीन पक्की सड़कों से जोड़ने, कच्ची सड़कों से पक्की सड़कों में क्रमोन्नत करने के कार्य करवाये गये है अथवा करवाये जा रहे हैं।

(3) जी हां। यह सही है कि मरूस्थलीय जिलों यथा बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, के 1971 की जनगणना एक हजार से अधिक आबादी के सभी गांवों को ग्रेवल सड़क से जोड़ने की स्वीकृतियां वर्ष 1994–95 में जारी की गई हैं इनके लिए 78.60 लाख रुपयों की स्वीकृति जारी की गयी है जिसमें से लगभग फरवरी के अन्त तक 26 लाख रुपये व्यय किये गये हैं। 50.70 कि. मी. लम्बाई की सड़कों पर कार्य करवाये जा रहे हैं।

लाडनूं-जसवन्तगढ़ राज्य मार्ग के मध्य अतिक्रमण

153. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि हाइवे क्षेत्र में किये जा रहे अतिक्रमण के विरुद्ध सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यवाही की जानी चाहिए ? यदि हां, तो स्टेट हाईवे लाडनूं, जसवन्तगढ़ के बीच पेट्रोल पम्प के पास किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) उक्त स्थान पर किस-किस व्यक्ति ने कितना-कितना अतिक्रमण कब-कब से कर रखा है ? विभाग को इसकी जानकारी कब से है और विभाग ने कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की ?

(श्री हरजीराम बुरडक)

(3) अब उक्त अतिक्रमण कब तक हटा दिया जाएगा और विभागीय कर्मचारी/अधिकारी जिन्होंने अब तक कार्यवाही नहीं की और अतिक्रमण होने दिया उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों तथा अब क्या कार्यवाही की जाएगी।

उत्तर

(1) जी हां। स्टेट हाइवे लाडनूं जसवन्तगढ़ के बीच पेट्रोल पम्प के पास किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध में अतिक्रमणकारियों को राज. भू. राज. अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमण हटाने के लिये नोटिस देने की कार्यवाही की गई है।

(2) उक्त स्थान पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के नाम मय अतिक्रमण के क्षेत्रफल के विवरण के साथ परिशिष्ट "क" में संलग्न है। विभाग को इसकी जानकारी काफी पहले से हैं, लेकिन सड़क सीमा में कोई पक्का निर्माण नहीं है। केवल अस्थायी छप्पर बने हुये हैं। जिनको हटाने के लिये दिनांक 15–3–95 को नोटिस देने की कार्यवाही की गई है।"

(3) उक्त अतिक्रमण शीघ्र ही हटा दिया जावेगा। "उक्त अतिक्रमण हटाने के के लिये 'राज. भू. अधिनियम, 1956' की धारा 91 के तहत दिनांक 15–3–95 को नोटिस दिये गये हैं। इनकी कार्यवाही पूर्ण होने पर ही आगे की कार्यवाही संभव होगी।

जिन अधिकारियों ने अतिक्रमण होने के बाद कार्यवाही नहीं की उनकी सूचना मांगी जा रही है। जिससे उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें।)

बालेसर (जोधपुर) में महाविद्यालय खोलना

154. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार बालेसर तहसील शेरगढ़ (जोधपुर) में स्नातक महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार बालेसर में महाविद्यालय खोलना मानदण्डों में नहीं आता।

बस्सी विधान सभा क्षेत्र में महाविद्यालय खोलना

155. श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 1994–95 एवं 1995–96 में बस्सी विधान सभा क्षेत्र में महाविद्यालय खोलने का विचार रखी है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार ने महाविद्यालय खोलने के मानदण्ड निर्धारित कर रखे हैं ? यदि हां, तो अब तक इस क्षेत्र में महा-

Page No. 36

(36)

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

विद्यालय न खोले जाने के क्या कारण रहे हैं?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) नये महाविद्यालय खोलने के निम्न मानदण्ड निर्धारित हैं :–

1. प्रस्तावित स्थान पर जन सहयोग से निर्मित महाविद्यालय के लिए उपयुक्त भवन हो।
2. प्रस्तावित स्थान के बीस कि.मी. की परिधि में कम से कम चार सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल हो।
3. प्रस्तावित स्थान के 30 कि.मी. की परीधि में अन्य कोई महाविद्यालय न हो।
4. क्षेत्रीय दृष्टि से प्रस्तावित स्थान उपयुक्त हो।

बस्सी से 30 कि.मी. की दूरी पर जयपुर में एवं 20 कि.मी. की दूरी पर दौसा में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य, तीनों संकायों में अध्यापन की व्यवस्था है, अतः बस्सी के उक्त मानदण्डों की पूर्ति न करने के कारण महाविद्यालय खोलना सम्भव नहीं।

विधान सभा क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में स्वीकृत तालाब एवं एनीकट्स

156. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में विगत पांच वर्षों में विभाग ने कहां-कहां, कितनी-कितनी राशि के तालाब एवं एनीकट्स स्वीकृत किये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सभी स्वीकृत कार्य पूर्ण हो गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? अपूर्ण एवं पूर्ण कार्यों की सूची मय लागत के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार ने उक्त क्षेत्र में नये तालाब एवं एनीकट्स निर्माण कराने हेतु सर्वे कराया है या सर्वे कराये जाने का विचार है ? यदि हां, तो किस-किस स्थान का सर्वे पूर्ण हो गया है तथा किस-किस स्थान का सर्वे शेष है और नहीं, तो क्यों ? स्थानवार पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में विगत पांच वर्षों में इस विभाग द्वारा जानीवास तथा सावन क्यारा तहसील कोटड़ा लघु सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत की गई। जिनकी स्वीकृत राशि क्रमशः 43.83 लाख तथा 59.49 लाख रुपया है।

(2) जी नहीं। उपरोक्त दोनों कार्य वर्ष 1994-95 में स्वीकृत हुए हैं तथा दोनों परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है।

(3) जी हां। उपरोक्त दोनों कार्य वर्ष 1996-97 तक पूर्ण कराना प्रस्तावित है।

(सिंचाई मंत्री)

(4) जी हां। उक्त क्षेत्र में झाडोल तहसील की लोगरी माता, जवली का नाका, कुमारियों का नाका, मोहम्मद फलासिया तथा कोटड़ा तहसील की क्यारी तथा गोरीया का नाका परियोजनाओं का सर्वे करवाया गया। सभी परियोजनाओं का सर्वे पूर्ण हो गया है। लघु सिंचाई योजनाओं का सर्वेक्षण एक सतत प्रक्रिया है इन परियोजनाओं के अलावा अन्य कोई परियोजना का सर्वेक्षण फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

बेगूं विधान सभा क्षेत्र के क्षतिग्रस्त एनीकट्स की मरम्मत

157. **श्री चुन्नीलाल धाकड़** (बेगूं) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बेगूं विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1994 में हुई अतिवृष्टि से कौन-कौन से एनीकट्स क्षतिग्रस्त हुए हैं ? क्या उनकी मरम्मत कर दी गई है ? यदि नहीं, तो कब तक कर दी जायेगी ?

(2) क्या सरकार सांकड़ का नाला एनीकट को पूर्ण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विभाग का कोई एनीकट क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। पंचायत समिति की सूचना एकत्रित की जा रही है, जो प्राप्त होने पर प्रेषित कर दी जावेगी।

(2) सांकड नाला एनीकट वर्ष 1988 का अधूरा अकाल राहत कार्य है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर ही उक्त कार्य पूर्ण करना संभव हो सकेगा।

अतरिया बांध (अलवर) से सिंचाई

158. **श्री जुबेर खान** (रामगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील रामगढ़ (अलवर) में अतरिया बांध से कितनी भूमि की सिंचाई होती है ?

(2) अतरिया बांध पर कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ?

(3) बांध का कैचमेन्ट एरिया कितना है एवं किस-किस ग्राम की भूमि इसमें आती है ?

उत्तर

(1) अतरिया बांध तटबंद नदी के किनारे बसे गांव की सुरक्षा के लिए बनाया गया है इससे कोई सिंचाई नहीं होती है।

(2) इस पर दो कर्मचारी (बेलदार) कार्यरत हैं।

(3) यह तटबंध है अतः इसका कोई कैचमेन्ट एरिया नहीं है और इसमें किसी गांव की भूमि डूब में नहीं आती है।

बेगूं तहसील के कुओं का जल स्तर

159. **श्री चुन्नीलाल धाकड़** (बेगूं) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या विधान सभा क्षेत्र बेगूं तहसील

Page No. 38

(38)

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

के कृषकों के लिए सिंचाई सुविधा हेतु सरकार को छोटे तालाब / एनीकटस के निर्माण व कुओं के जल स्तर को बढ़ाने की कोई योजना प्रस्तावित अथवा विचाराधीन है ?

उत्तर

सिंचाई विभाग द्वारा बेगूं तहसील में सिंचाई सुविधा हेतु छोटे तालाब/एनीकट निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। पंचायत समिति बेगूं की मांग पर 5 एनीकट बनाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र अवश्य दिया गया है।

माही नहर योजना (डूंगरपुर) का विकास

160. श्री भीखा भाई (सागवाड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि माही नहर सागवाड़ा जिला डूंगरपुर का निर्माण कार्य बन्द पड़ा है ?

(2) यदि नहीं, तो इस योजना की स्वीकृति कब हुई और अब तक कितना-कितना कार्य प्रति वर्ष किया गया ? वर्ष वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र डूंगरपुर जिले की माही नहर सागवाड़ा की एक मात्र योजना है जिस पर तीन तहसीलों के कृषकों का भविष्य निर्भर है ? यदि हां, तो इस योजना को भारत सरकार के प्लानिंग कमीशन द्वारा अब तक अनुमोदित क्यों नहीं करवाया गया ?

(4) क्या पर्याप्त विभागीय राशि के अभाव में इस परियोजना को आदिवासी उपयोजना के माध्यम से केनेडियन, जर्मन या विश्व बैंक के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सम्पन्न कराने का सरकार द्वारा विचार किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि डूंगरपुर जिले की माही उपनहर योजना को जिले की पृथक योजना नहीं बनाई जाने से यह योजना चार दशक तक पूरी होना सम्भव नहीं है ?

(6) सिंचाई विभाग ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रयास किये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) सागवाड़ा नहर वर्ष 1985–86 में स्वीकृत हुई थी तथा उसी वर्ष कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था, विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) जी हां। यह एक अन्तरराज्यीय मामला है जिसके समाधान हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

(4) जी हां। प्रस्ताव विचाराधीन है।

(5) जी नहीं। इस कार्य को नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूर्ण कराना प्रस्तावित है।

(सिंचाई मंत्री)

(6) विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–8 देखें।)

उदयपुर जिले में सिंचाई मास्टर प्लान के आधार पर स्वीकृत योजनाएं

161. श्री महावीर भंगोरा (गोगुन्दा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले में सिंचाई विभाग का कोई मास्टर प्लान बना हुआ है? यदि हां, तो यह कब बनाया गया? उक्त प्लान में किस-किस तरह की योजनाएं कार्यान्वित की गयी हैं? मास्टर प्लान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) इस मास्टर प्लान के हिसाब से उदयपुर जिले की तहसील गोगुन्दा, कोटडा, खैरवाड़ा एवं झाड़ोल की अब तक कितनी–कितनी योजनाएं स्वीकृत की गयीं एवं कितनी–कितनी योजनाएं कहां–कहां अगले दो वर्षों के लिए प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सिंचाई कार्यों का मास्टर प्लान वर्ष 1992 में बनाया गया था। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

शोदानपुरा बांध (टोंक) के पानी से क्षतिग्रस्त भूमि

162. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि शोदानपुरा बांध (जिला टोंक) के भराव के पश्चात् निकलने वाला पानी कृषि भूमि खसरा संख्या 45, 126/1097/1, 126/1117, 128, 129, 130, 143/1118, 149, 150 ग्राम बिसनपुरा (जिला बूंदी) एवं इसकी सीमावर्ती भूमि में बह कर निकलता है? यदि हां, तो नकल जमाबन्दी सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त भूमि की सुरक्षा करने एवं प्रभावित किसानों को मुआवजा देने बाबत

Page No. 40

49

(श्री रामनारायण मीणा)

क्या कार्यवाही की जा रही है तथा मुआवजा राशि कब तक वितरित कर दी जावेगी ?

(3) उक्त बांध का कैचमेंट एरिया कितना है तथा भराव क्षमता से कितना अधिक पानी आता है ?

उत्तर

(1) शोदानपुरा बांध के वेस्टवीयर से निकलने वाला पानी ग्राम बिसनपुरा के खसरा नम्बर 126/1097/1, 126/1117 128, 143/1118, 150 के बहकर नाले में जाता है। वेस्टवीयर से अत्यधिक ओवर फ्लो होने की स्थिति में समीप के खेतों के खसरा नम्बर 129, 130, 143 में भी पानी फैल जाता है। खसरा नं. 45 से पानी कभी भी बहकर नाले में नहीं जाता। सम्बन्धित भूमि की नकल जमाबंदी परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त भूमि की सुरक्षा करने हेतु वेस्टवीयर से निकलने वाले पानी को एक गाईड बंध बनाकर पानी का प्रवाह नाले की ओर मोडना प्रस्तावित है। गाईड बंध के निर्माण में आने वाली भूमि का मुआवजा देने हेतु भूमि अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। एवार्ड घोषित होने के पश्चात् मुआवजे का भुगतान सम्भव हो सकेगा।

(3) उक्त बांध का कैचमेन्ट एरिया 21.50 वर्गमील है। गत पांच वर्षों में भराव क्षमता से अधिक आये पानी का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(नकल जमाबन्दी व विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये।)

सिंचाई मंत्री द्वारा सिंचाई परियोजनाओं का आकस्मिक निरीक्षण

163. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सिंचाई मंत्री ने 1 जनवरी, 1994 से 31 जनवरी, 1994 तक कौन-कौनसी परियोजनाओं, बांध व नहरों के निर्माण स्थलों आदि का बिना सूचना अचानक निरीक्षण किया ?

(2) क्या ऐसे निरीक्षण के आधार पर कोई प्रतिवेदन तैयार किये गये हैं ? यदि हां, तो ऐसे प्रतिवेदनों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) निरीक्षण के फलस्वरूप किस-किस प्रकार की अनियमितताएं, निर्माण कार्यों में घटिया स्तर के सामान का उपयोग, भण्डार गृहों में सामान की कमी, सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों की अनुपस्थिति आदि के मामले कहां-कहां व कब-कब प्रकाश में आये ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उपरोक्त विभिन्न अनियमितताओं, त्रुटियों, कमियों आदि के मामलों में किस-किस अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध, किन मामलों में क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो क्यों ?

उत्तर

(1) दिनांक 1.1.94 से 31.1.94 की अवधि में किसी भी सिंचाई परियोजना का अचानक निरीक्षण नहीं किया गया।

(2) भाग [1] के उत्तर के परिप्रेक्ष्य से कोई सूचना अपेक्षित नहीं है।

(3) उपरोक्तानुसार।

(4) उपरोक्तानुसार।

(5) उपरोक्तानुसार।

भीम तथा देवगढ़ तहसील के तालावों का निर्माण

164. **श्री लक्ष्मण सिंह** (भीम) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजसमन्द जिले की भीम तहसील का राव तालाब व देवगढ़ तहसील के मौसमसागर, बीलन की डांग तथा कुवास का गुडा तालाबों पर अकाल राहत के अन्तर्गत कार्य किया गया था ? क्या उक्त तालाब अधूरे पड़े हैं ?

(2) क्या सरकार उक्त तालावों को लघु सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत लेकर पूरा कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। उक्त योजनाएं, निर्माणाधीन वीसलपुर जलग्रहण क्षेत्र में प्रस्तावित होने के कारण इनको स्वीकृत करना सम्भव नहीं है।

कंवरसेन जलोत्थान योजना से सिंचाई

165. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

कंवरसेन जलोत्थान योजना की कौन-कौन सी नई वितरिकाओं एवं माइनर्स द्वारा कितनी-कितनी कृषि भूमि को सिंचाई सुविधायें प्रदान करना प्रस्तावित है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

कंवरसेन जलोत्थान नहर से नई माइनरों की स्वीकृत योजना एवं इनसे सिंचित होने वाला क्षेत्र निम्न प्रकार से प्रस्तावित है। इनमें से फूले जी माईनर (विस्तार-कार्य) व बन्धा माइनर का निर्माण कार्य पूरा करवाया जा चुका है।

क्र. स.	नाम माइनर	सिंचित क्षेत्र हैक्टेयरों में
1.	मालेर माइनर	925
2.	मीरचन्दवाला माइनर	1761
3.	रामबाग माइनर	885
4.	फुलेजी माइनर (विस्तार)	534
5.	बन्धा माइनर	516

इसके अलावा कंवरसेन जलोत्थान नहर का वाटर अलाउन्स 3.90 क्यूसेक के स्थान पर 3.0 क्यूसेक प्रति 1000 एकड़ कर और अधिक क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

पुलिस थाना गांधीनगर, जयपुर का मुकदमा संख्या 280/91

166. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि मुकदमा इल्जाम नम्बर 280/91 पुलिस थाना गांधीनगर, जयपुर के मजरूब की चोटों का परीक्षण चिकित्सक द्वारा करवाया गया है ? यदि हां, तो चोट प्रतिवेदन प्रपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या दौराने अनुसंधान उक्त मुकदमे के मुलजिम का पुश्तैनी मकान एवं कृषि भूमि ग्राम छावनी जिला बूंदी में होने की जानकारी हो चुकी थी ? यदि हां, तो सम्बन्धित कागजात एवं केस डायरी में अंकित इन्द्राज की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या पुलिस मुलजिम को पकड़ पाने में सफल हुई है ? यदि नहीं, तो मफरूरी की कार्यवाही नहीं करने से मुलजिम को मिले लाभ के लिये कौन जिम्मेदार है ?

उत्तर

(1) जी हां। श्री गोबरी लाल की चोटों का परीक्षण दि. 3-8-91 को मेडीकल ज्यूरिस्ट एस.एम.एस. अस्पताल, जयपुर द्वारा कराया गया था। चोट प्रतिवेदन व एक्सरे रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(2) अनुसंधान से इस मुकदमे के मुलजिम जगन्नाथसिंह निवासी छावनी जिला बून्दी के नाम से रिकार्ड के अनुसार गांव छावनी में उसका कोई मकान एवं कृषि भूमि नहीं है।

(3) अनुसंधान में अभियुक्त नहीं मिलने पर अंतिम प्रतिवेदन कर न्यायालय के समक्ष अवलोकन हेतु प्रस्तुत किया गया। पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार प्रकरण का पुनः अनुसंधान किया गया। अभियुक्त से भी बुलाकर पूछताछ की गई। अभियुक्त के विरुद्ध अपराध धारा 341, 323, भा.दं.सं. साबित नहीं पाने पर एफ.आर. अदम वकू दिया गया। नतीजा तफतीश के आधार पर मफरूरी की कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

(चोट प्रतिवेदन व एक्सरे रिपोर्ट की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये।)

बगरू पुलिस थाना में दीर्घ अवधि से पदस्थापित पुलिस कर्मी

167. **श्री भीखा भाई** (सागवाड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जयपुर जिले के पुलिस थाना बगरू में पदस्थापित पुलिस कर्मियों में से ऐसे कौन-कौन पुलिसकर्मी हैं, जिन्हें दो वर्ष या दो वर्ष से अधिक समय हो गया ?

(2) पुलिस मेन्युअल के तहत एक पुलिसकर्मी एक ही पुलिस थाने में कितने समय तक पदस्थापित रह सकता है ?

(3) क्या पुलिस मेन्युअल के अनुसार पुलिस थाना बगरू में ज्यादा समय तक पुलिस कर्मियों को पदस्थापित रखना अनियमितता एवं पक्षपात का द्योतक है ? यदि हां, तो इस थाने में ऐसे कितने पुलिसकर्मी हैं जिन्हें पुलिस मेन्युअल के तहत रखना उचित नहीं है ?

(श्री भीखा भाई)

(4) क्या पुलिस थाना बगरू के ऐरिया में रोजाना की घटनाओं को देखते हुए पुलिसकर्मी बढ़ाने की आवश्यकता है ? यदि हां, तो कब तक संख्या बढ़ाने का सरकार का विचार है ?

(5) क्या बगरू में झगड़े, मारपीट तथा जघन्य घटनाओं को देखते हुए सरकार पुलिस चौकियां बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितनी ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले के पुलिस थाना बगरू में पदस्थापित पुलिस कर्मी जिनको दो वर्ष से अधिक समय हो गया है की सूची उनके पदस्थापन दिनांक सहित परिशिष्ट "क" में संलग्न है ।

(2) पुलिस ग्राफिस मेन्युग्रल में पुलिस कर्मियों की पुलिस थानों में पदस्थापन की समय सीमा निर्धारित नहीं है ।

(3) जी नहीं ।

(4) राज्य में पुलिस बल के पुनर्गठन के लिए योजना बनी है । इस योजना में बगरू थाने की नफरी में एक निरीक्षक, तीन सहायक उप निरीक्षक, एक मुख्य ग्रारक्षक तथा नौ ग्रारक्षक के पद बढ़ाने का प्रस्ताव सम्मिलित कर लिया गया है ।

(5) थाना बगरू के ग्रधीन बगरू टाऊन के नाम से एक पुलिस चौकी खोले जाने का प्रस्ताव भी उक्त पुलिस पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत शामिल कर लिया गया है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–9 देखें ।)

बेगूं विधान सभा क्षेत्र में पुलिस चौकियों का सृजन

168. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सरकार बेगूं विधान सभा क्षेत्र में कहां-कहां नई पुलिस चौकियां खोलने का विचार रखती है और कब तक खोल दी जायेंगी ?

(2) क्या सरकार जावदा (नीमड़ी) में नया पुलिस थाना स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बेगूं विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत थाना बेगूं के ग्राम मण्डावरी में एक नई पुलिस चौकी स्थापित करने हेतु प्रस्ताव हाल ही में तैयार किये गए पुलिस पुनर्गठन योजना में शामिल किया गया है ।

(2) जी नहीं । चित्तौड़गढ़ जिले के थाना भैंसरोडगढ़ के अन्तर्गत वर्तमान पुलिस चौकी जावदा को पुलिस थाने मे क्रमोन्नत करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर राज्य पुलिस से पुनर्गठन की योजनाओं के सम्बन्ध में विचार किया गया था लेकिन फिलहाल इस प्रस्ताव को उपयुक्त नहीं पाया गया ।

रामपुरा बाजार, कोटा की ट्रैफिक व्यवस्था

169. श्री प्रतापसिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री प्रतापसिंह सिंघवी)

(1) कोटा शहर के रामपुरा बाजार में कार, जीप, ट्रक, टैम्पो के आने जाने की ट्रेफिक पुलिस द्वारा क्या-क्या व्यवस्था की हुई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि रामपुरा बाजार में आने वाली कार, जीप, ट्रक, टैम्पो आदि से आर्य समाज रोड व सरोवर सिनेमा के पास चक्का जाम हो जाता है ? यदि हां, तो भविष्य में चक्का जाम नहीं हो इसके लिए क्या ठोस कार्यवाही सरकार द्वारा की जा रही है ?

उत्तर

(1) कोटा शहर के रामपुरा बाजार क्षेत्र में ट्रेफिक पुलिस द्वारा यातायात नियन्त्रण की निम्न व्यवस्थायें की गई हैं :–

1. रामपुरा बाजार क्षेत्र में ट्रैफिक पुलिस द्वारा प्रातःकाल 9.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक ट्रक, टैम्पो तथा भारी वाहनों के आवागमन पर रोक है। केवल सरकारी वाहन, दुपहिया तथा हल्के वाहन जैसे जीप, कार, ऑटो-रिक्शा का आवागमन चालू रहता है।

2. जिन हल्के वाहनों जैसे-कार, जीप, ऑटो-रिक्शा का आवागमन चालू है, के प्रवेश तथा निकास के लिए जयपुर गोल्डन भैरो गली से रामपुरा बाजार में प्रवेश तथा वक्षपुरी कुण्ड आर्य समाज रोड से निकास की व्यवस्था की हुई है।

(2) यह आंशिक रूप से सत्य है। यातायात के दबाव से इस क्षेत्र में एवं हाथ ठेलों की अधिकता के कारण यदा-कदा आवागमन में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है जिसे यातायात पुलिस कर्मियों द्वारा शीघ्र व्यवस्थित कर लिया जाता है। तथा यह तथ्य यातायात पुलिस के ध्यान में हैं। यातायात पुलिस बल की संख्या में कमी भी इसका एक कारण है। कोटा शहर में बढ़ते हुए यातायात को देखते हुए पुलिस पुनर्गठन योजना में वर्तमान नफरी के अतिरिक्त एक उप पुलिस अधीक्षक, 1 सहायक उप निरीक्षक, 4 मुख्य आरक्षी एवं 35 आरक्षियों का प्रावधान किया जा रहा है जिससे यातायात व्यवस्था और सुदृढ़ होगी।

भीलवाड़ा जिले में उपलब्ध खनिज धातुएं

170. श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले में खनिज धातुओं की विपुल उपलब्धता है ? यदि हां, तो उपलब्ध खनिज धातुओं की मात्रा व उनके नाम की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले में अभ्रक (माइका) की अनेक खानें हैं ? यदि हां, तो कुल कितनी व कहां-कहां स्थित हैं और वर्तमान में उनकी क्या दशा है ? क्या उनके समुचित दोहन के लिये सरकार के पास कोई कारगर योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अभ्रक

(श्री रामपाल उपाध्याय)

(माइका) आधारित बड़ा उद्योग भीलवाड़ा जिले में लगाने (पब्लिक या प्राइवेट क्षेत्र में) का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उद्योग कब तक लगा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। भीलवाड़ा में उपलब्ध खनिज धातुओं की सूचना निम्न है :–

क्र.सं.	धातु का नाम	मात्रा
1.	जस्ता एवं शीशा अयस्क (आगूचा–63.63, तिरंगा–1.15, समोड़ी–3.68, डेडवास–11.50 एवं देवपुरा–3.45 मिलियन टन)	83.41 मिलियन टन
2.	ताम्बा अयस्क (पुर 1.65, बनेड़ा 3.23, बनेड़ा फोरेस्ट 1.0 एवं पुर दरीबा 1.65 मिलियन टन)	7.53 मिलियन टन
3.	लोह अयस्क (पूरा बनेड़ा क्षेत्र)	522 मिलियन टन

(2) जी हां। भीलवाड़ा जिले में माइका के 33 खनन पट्टे प्रभावी हैं, जिनमें से 21 खनन पट्टे चालू हैं और शेष 12 में खनन कार्य नहीं हो रहा है, जिसका विवरण संलग्न सूची क्रमांक (क) में दिया गया है। माइका की खानें बन्द होने का प्रमुख कारण यह है कि भीलवाड़ा में उपलब्ध माइका, अन्य प्रदेशों की तुलना में निम्न श्रेणी का है तथा सिन्थेटिक्स माइका का प्रयोग होने से एवं खानें काफी गहरी होने से उत्पादन आर्थिक दृष्टि से लाभकारी नहीं है। माइका का दोहन प्राइवेट सैक्टर द्वारा किया जा रहा है। अतः राजस्थान सरकार द्वारा इसके दोहन के लिए किसी तरह की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नहीं। खनिज अभ्रक पर आधारित कोई बड़ा उद्योग भीलवाड़ा जिले में पब्लिक या प्राइवेट सैक्टर में लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। खनिज माइका निम्न श्रेणी का होने से तथा सिन्थेटिक माइका का उपयोग होने के कारण माइका पर आधारित किसी तरह के उद्योग लगाये जाने की सम्भावना नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–10 देखें।)

मोड़क और रामगंज मण्डी (कोटा) में नाजायज पत्थर खनन

171. श्री गोपीचन्द (नगर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले के मोड़क और रामगंज मण्डी क्षेत्र में नाजायज रूप से पत्थर खनन का कार्य किया जा रहा है?

(2) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र में वन कृषि और मकानों के पिछवाड़े में पत्थर खनन का कार्य किया जा रहा है?

(3) क्या यह सही है कि दो वर्ष पूर्व

(श्री गोपीचन्द)

तहसीलदार रामगंज मण्डी द्वारा अंकुश लगाने का प्रयास किया गया ?

(4) क्या यह सही है कि सरकार को इस अवैध खनन से राजस्व की हानि हो रही है ?

(5) क्या सरकार इस अवैध खनन को रोक कर राजस्व की हानि रोकने का विचार रखती है ?

(6) क्या यह सही है कि अवैध खनन का कार्य खनिज एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है? यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं ।

(3) तहसीलदार, रामगंज मण्डी द्वारा दो वर्ष पूर्व दो अवैध खनन के मामले बनाये गये एवं जिसकी रिपोर्ट सुकेत थाने में दर्ज कराई गई ।

(4) जी नहीं । जब भी अवैध खनन की सूचना प्राप्त होती है, तत्काल क्षेत्र का निरीक्षण कर अनाधिकृत खनन कार्य को बन्द कराया जाता है और इस सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जाती है ।

(5) व (6) जी हां । विभाग द्वारा बिजोलिया, करौली, धौलपुर, कोटा, कोटपूतली, नागौर एवं चूरू क्षेत्रों में समय-समय पर आकस्मिक चैकिंग की है तथा राजस्व एवं पुलिस विभाग का भी सहयोग आवश्यकतानुसार लिया गया है । राज्य सरकार द्वारा जारी खनिज नीति, 1994 में लिये गये निर्णय के अनुसार अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के दण्ड सम्बन्धी नियम 48 के प्रावधानों को कठोर बनाया गया है तथा गैरकानूनी खनन करने पर सजा का प्रावधान छः माह से बढ़ा कर एक वर्ष किया है तथा जुर्माना राशि 1000/— रुपये से बढ़ा कर 5,000/— रुपये किया गया है ।

पाली जिले में चूने के पत्थर के खनन पट्टे

172. श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले में 1 जनवरी, 1994 से 21 दिसम्बर, 1994 तक चूने के पत्थर के किन-किन पट्टाधारियों के खनन पट्टे की अवधि किस-किस तारीख को समाप्त हुई व किन-किन पट्टाधारियों ने किस-किस तारीख को पट्टे के नवीनीकरण के लिये आवेदन दिया व आवेदन के साथ क्या प्लान पेश किया ?

(2) उक्त पट्टाधारियों के पूर्व के खनन पट्टे से जिन-जिन मामलों में नवीनीकरण में कम क्षेत्र का आवेदन किया गया उस छोड़े गये क्षेत्र का कब्जा कब-कब लिया गया ?

(3) उक्त क्षेत्र बाबत अप्रधान खनिज रियायती नियम, 1986 के नियम 59 की पालना कब-कब की गई व किन-किन

(श्री खंगारसिंह चौधरी)

मामलों में पालना नहीं की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या खनन पट्टे की अवधि समाप्ति के बाद जिस क्षेत्र के नवीनीकरण का आवेदन ही नहीं दिया गया क्या फिर भी वह क्षेत्र नवीनीकरण के आवेदन के फैसले तक उस पट्टे का अंग रहता है ? यदि हां, तो किस नियम के तहत ? जबकि खनन पट्टाधारी स्वयं उस क्षेत्र का नवीनीकरण भी नहीं चाहता ?

उत्तर

(1) पाली जिले में 1-1-1994 से 31-12-94 तक चूने के पत्थर के दो खनन पट्टाधारियों के खनन पट्टे की अवधि समाप्त हुई जिनका विवरण इस प्रकार है :–

क्र. सं.	पट्टाधारी का नाम	अवधि समाप्ति की दि.	नवीनीकरण आवेदन देने की तिथि
1	2	3	4
1.	श्री महेन्द्रकुमार पुत्र रामनारायण माली नि. जैतारण	13-2-94	12-8-93
2.	श्री राजेन्द्रसिंह कच्छावा	28-2-94	10-2-94

उक्त दोनों पट्टाधारियों ने नवीनीकरण आवेदन पत्र के साथ नक्शा पेश किया था।

(2) उक्त दो खनन पट्टों में से श्री राजेन्द्रसिंह कच्छावा द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र 14.385 वर्ग कि. मी. में से 4.385 वर्ग कि. मी. को छोड़कर नवीनीकरण आवेदित किया तथा छोड़े गये क्षेत्र का कब्जा विभाग द्वारा दिनांक 26-4-94 को लिया गया।

(3) श्री राजेन्द्रसिंह कच्छावा द्वारा छोड़े गये क्षेत्र 4.385 कि. मी. का पुनः अनुदान हेतु रिक्त घोषित करने की कार्यवाही की जा रही है।

(4) जी नहीं।

सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय में नियुक्तियां

173. श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1986 से 1989 के मध्य प्रधानाचार्य सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर द्वारा कब-कब किन-किन मंत्रालयिक कर्मचारियों को अन्य विभागों/बोर्डों में सेवारत होते हुये व उनके प्रार्थना-पत्र विभागों बोर्डों के माध्यम से भेजे जाने पर नियुक्ति दी गई तथा उन्होंने किस-किस तिथि से अपने पद का मेडिकल कालेज में कार्यभार सम्भाला ? नियुक्ति आदेश एवं ज्वाइनिंग रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) इस प्रकार से उक्त अवधि के दौरान नियुक्त किये गये कौन-कौन कर्मचारी अपनी स्वयं की प्रार्थना पर आये तथा

(श्री सुन्दरलाल)

किन-किन कर्मचारियों की सेवाओं की मांग मेडिकल कालेज द्वारा मांगी जाकर उन्हें नियुक्ति दी गई ? नियुक्ति हेतु कर्मचारी द्वारा किये गये आवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या मेडिकल कालेज तथा अन्य विभागों/बोर्डों की सेवाओं में भिन्नता होते हुए भी अन्य बोर्डों से स्वयं की प्रार्थना पर आये मंत्रालयिक कर्मचारियों को मेडिकल कालेज में उनकी वरीयता के निर्धारण के समय उनके पैतृक विभाग/बोर्ड में की गई सेवा अवधि का लाभ दिया जा सकता है ? यदि हां, तो मेडिकल कालेज द्वारा इस प्रकार से आये किस-किस कर्मचारी को किस-किस आधार पर सेवा में किस नियम के तहत लाभ दिया गया ?

(4) यदि नहीं, तो ऐसे कर्मचारी जिन्होंने जुलाई, 1987 में मेडिकल कालेज की सेवाओं में अपने पद का कार्यभार सम्भाला, उनकी वरीयता का निर्धारण मेडिकल कालेज द्वारा जनवरी, 1987 से किस प्रकार कर दिया गया ? नवीनतम प्रकाशित वरीयता सूची एवं इस विषयक आवश्यक दस्तावेज प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि प्रधानाचार्य के कार्यालय आदेश संख्या 53453-523 एफ.एम.सी/संस्था/94 दिनांक 22-10-94 में प्रकाशित अस्थाई वरिष्ठता सूची के स्थाई कनिष्ठ लिपिक शीर्षक के अन्तर्गत क्रम संख्या 15 पर दर्शाया गया कर्मचारी जो वस्तुतः कृषि बोर्ड से अपनी स्वय की प्रार्थना पर आया है, जो कुछ प्रभावी व्यक्तियों ने पत्राचार में कृषि बोर्ड के स्थान पर कृषि विभाग का शब्द प्रयुक्त कर उसका स्थाईकरण करते समय उसकी बोर्ड की उस सेवा अवधि को भी सम्मिलित कर लाभ दे दिया है जिसकी अनुमति वस्तुतः कृषि विभाग के संदर्भ में पत्राचार करने पर दी गई थी ? उक्त प्रकरण के निर्धारित कराने में शासन सचिवालय को भेजे गये समस्त पत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि उक्त वरिष्ठता इस प्रकार निर्धारित कर दिये जाने से कई वरिष्ठ कर्मचारी सेवा में कनिष्ट हो जायेंगे ?

(7) क्या सरकार प्रभावी व्यक्तियों के दबाव में आकर की गई इस अनियमितता की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितनी अवधि में इसकी जांच कर दुरुस्ती कर ली जायेगी ?

उत्तर

(1) वर्ष 1986-89 के मध्य प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय को अन्य विभागों/बोर्डों में सेवारत निम्नांकित मंत्रालयिक कर्मचारियों को उनके प्रार्थना-पत्र उचित माध्यम से प्राप्त होने पर रिक्त पदों पर स्थानान्तरण कर पद स्थापन इस महाविद्यालय में उपस्थिति देने की तिथि से वरिष्ठता मानने की शर्त पर किया गया :-

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री)

नाम कर्मचारी	विभाग/बोर्ड जहां से आवेदन पत्र प्राप्त हुए	महाविद्यालय में उपस्थिति देने की तिथि	स्थानान्तरण आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1. श्री रामचन्द्र क. लि.	कृषि निदेशालय राज. जयपुर के पत्र क्रमांक-एफ 3(5)(467) नि.कृ./प्रुप-1/5167 प्रति संलग्न है।	17.7.87	क्र. 11352-56 दिनांक 13.3.87
2. श्री राजेश टांक क. लि.	सहायक निदेशक, रा.बी.प्रा. नि. विभाग टोंक के आदेश, 0 4675 दिनांक 26.10 88 प्रति संलग्न।	27.10.88	क्र. 46269-73 दिनांक 15.10 88
3. श्री नाथूसिंह भाटी क. लि.	राज्य सरकार के आदेश एफ.2(13) चि. स्वा/ग्रुप-3/89 दिनांक 6 4.89 (पारस्परिक स्थानान्तरण)	22.4.89	राज्य सरकार के आदेश दिनांक 6.4.89 की अनुपालना में।

(2) वर्ष 86 से 89 की अवधि के दौरान निम्न कर्मचारियों को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर स्थानान्तरण कर रिक्त पदों पर पद स्थापित किया गया—

1. श्री रामचन्द्र, क. लि.

2. श्री राजेश टांक, क. लि.

3. श्री नाथूसिंह भाटी, क लि.

उक्त कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु इस महाविद्यालय द्वारा कोई मांग नहीं की गई। (आवेदन पत्र की प्रतियां संलग्न)

(3) उक्त कर्मचारियों में से कोई भी कर्मचारी बोर्ड से स्थानान्तरण पर नहीं लिया गया है। राजस्थान मंत्रालयिक सेवा नियमों के अन्तर्गत मेडिकल कॉलेज एवं अन्य विभागों के सेवा नियमों में कोई भिन्नता नहीं है। मेडिकल कॉलेज में उनकी वरीयता निर्धारण कर उनके पैतृक विभाग में दी गई सेवा अवधि का कोई लाभ नहीं दिया गया है। उन्हें केवल इस महाविद्यालय में कार्यग्रहण करने की तिथि से ही वरीयता का लाभ दिया गया है।

(4) वर्ष 1987 में स्थानान्तरित कर्मचारियों की वरीयता का निर्धारण मेडिकल कॉलेज द्वारा जनवरी, 87 से

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री)

नहीं किया गया है बल्कि 17.7.87 अर्थात कार्यग्रहण की तिथि से ही किया गया है। दिनांक 22.10.94 के पश्चात कोई नवीनतम वरिष्ठता सूची जारी नहीं की गई है। (प्राप्त वरिष्ठता सूची संलग्न है)

(5) उक्त कर्मचारी की इस महाविद्यालय में वरिष्ठता निर्धारण में किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया गया है (इस महाविद्यालय की इस प्रकरण से सम्बन्धित सभी पत्रों की प्रतियां संलग्न हैं)।

(6) उक्त प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो उक्त आशंका का प्रश्न ही नहीं।

(7) इस प्रकरण में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई है।

(संलग्न विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

जोधपुर के चिकित्सकों की प्राप्त शिकायतें

174. श्री शान्ति कुमार धारीवाल (हिण्डौली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर के सरकारी डाक्टर्स द्वारा प्राइवेट अस्पतालों में अपनी सेवाएं देने की शिकायतें चिकित्सा मंत्री को प्राप्त हुई हैं ?

(2) चिकित्सा मंत्री ने इस बाबत क्या कार्यवाही किये जाने के आदेश किये थे ? क्या उसका पालन हो गया है ? यदि हां, तो किस रूप में ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज जोधपुर को दिनांक 18 2-95 को सम्पन्न बैठक में यह निर्देश दिये गये थे कि यदि किसी चिकित्सक विशेष के विरुद्ध इस तरह की कोई शिकायत हो तो पूर्ण विवरण राज्य सरकार को प्रेषित करें। किन्तु प्रधानाचार्य ने अवगत कराया है कि ऐसी किसी शिकायत की पुष्टि नहीं हुई है।

भारतीय नर्सिंग परिषद् का पाठ्यक्रम

175. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) भारतीय नर्सिंग परिषद् द्वारा वर्ष 1986 में पारित पाठ्यक्रम क्या राजस्थान में लागू है ? यदि हां, तो पाठ्यक्रम की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो लागू नहीं करने का क्या कारण है और अब कब तक लागू करने का सरकार विचार रखती है ?

(2) क्या सरकार बी.एस.सी. नर्सिंग डिग्री कोर्स में कार्डियोलोजी, यूरोलोजी आदि विषय की पढ़ाई कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से तथा नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) भारतीय नर्सिंग परिषद् द्वारा वर्ष 1986 में पारित पाठ्यक्रम राजस्थान में लागू नहीं है। भारतीय नर्सिंग परिषद् के

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री)

द्वारा पूर्व में पारित पाठ्यक्रम राजस्थान में लागू है ।

(2) वर्तमान में बी.एस.सी. नर्सिंग कोर्स में कार्डियोलोजी में विशिष्टीकरण का कोई भी पाठ्यक्रम विचाराधीन नहीं है । बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रथम स्तर का पाठ्यक्रम है । जिसमें विशिष्टीकरण का प्रावधान नहीं होता है । विशिष्टीकरण, स्नातकोत्तर स्तर पर ही किया जाता है । बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम के अभ्यर्थियों को सभी विशिष्टीकरण जिनमें कार्डियोलोजी तथा यूरोलोजी भी शामिल है, में दिशा ज्ञान हेतु सवाई मानसिंह चिकित्सालय की सभी इकाईयों में भिजवाया जाता है । स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कॉलेज आफ नर्सिंग, राज. जयपुर में नहीं चलाया जाता ।

चिकित्सालयों में नर्सों का जोब चार्ट

176. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राजकीय चिकित्सालयों में नर्सों का जोब चार्ट निर्धारित है ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें । यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या किसी राजकीय चिकित्सालय में नर्स किसी मरीज को आवश्यकता पड़ने पर भर्ती कर सकती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) भारतीय नर्सिंग परिषद् द्वारा निर्धारित नर्सों का जोब चार्ट राज्य में लागू है । जोब चार्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी नहीं । नर्स अस्पताल में मरीजों को भर्ती करने हेतु अधिकृत नहीं है ।

(जोब चार्ट की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी ।)

सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय में विभागीय दक्षता परीक्षा

177. श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि प्रधानाचार्य सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर द्वारा उनके अधीन कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों जिन्हें वर्ष 1987 से वर्ष 1993 तक की अवधि के मध्य नियुक्ति दी गई थी, की विभागीय दक्षता परीक्षा बहुत विलम्ब से ली गई ? उक्त अवधि में किस-किस कर्मचारी को नियुक्ति दी गई एवं विभागीय दक्षता परीक्षा के लिये उसे कब-कब सूचित किया गया ? सूचना पत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें ।

(2) विभागीय दक्षता परीक्षा विलम्ब से लिये जाने के लिये कौन उत्तरदायी हैं तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यह परीक्षा कर्मचारी की नियुक्ति के पश्चात् कितनी समय अवधि में ली जानी चाहिये ? इस हेतु निर्धारित सेवा नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(श्री सुन्दरलाल)

(3) क्या यह सही है कि प्रधानाचार्य द्वारा दक्षता परीक्षा लिये जाने बाबत एक पत्र संख्या 31959 दि. 25 जून, 1994 अधीक्षिका, महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट, जयपुर को प्रेषित किया गया था जिसे महिला चिकित्सालय में कार्यरत किसी ऐसे कर्मचारी द्वारा,जो दक्षता परीक्षा में विलम्ब कर नव प्रकाशनाधीन अस्थायी वरिष्ठता सूची में अपना स्थान पहले निर्धारित कर उसका लाभ प्राप्त करना चाहता था, ने उस पत्र को सम्बन्धित कर्मचारियों तक समय रहते नहीं पहुंचने दिया ताकि दक्षता परीक्षा न हो सके ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करवाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि इस पत्र पर महिला चिकित्सालय द्वारा अस्थायी वरिष्ठता सूची के प्रकाशित किये जाने के बाद कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह सही है कि वर्ष 1987 में नियुक्त कर्मचारियों की दक्षता परीक्षा लिये बिना 1994 में वरिष्ठता सूची प्रकाशित कर ऐसे कर्मचारियों की वरिष्ठता दर्शा दी गई जो वस्तुतः उन कर्मचारियों से जिनकी दक्षता परीक्षा ली जानी थी, से सेवा अवधि कम रखते थे ?

(5) क्या अस्थायी वरिष्ठता सूची प्रकाशित किये जाने से पूर्व दक्षता परीक्षा ली जानी आवश्यक थी ? यदि हां, तो यह परीक्षा किन कारणों से नहीं ली गई तथा इस परीक्षा के न लिये जाने से कौन-कौन कर्मचारी प्रभावित हुए तथा उन पर क्या प्रभाव पड़ा ?

उत्तर

(1) जी नहीं, सम्बन्धित सूचना परिशिष्ट अ, ब, स, द संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) दक्षता परीक्षा में कोई विलम्ब नहीं हुआ । अतः उत्तरदायित्व के लिए प्रश्न ही नहीं होता है । तथा नियमों की प्रति परिशिष्ट ब, व, य में संलग्न है ।

(3) जी हां । महिला चिकित्सालय द्वारा पत्र वितरण विलम्ब हेतु जांच करवाई जा रही है । संशोधित वरिष्ठता अस्थाई सूची दिनांक 25.3.95 जारी कर दी गई है, जो सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(4) जी हां ।

(5) जी हां । केवल एक कर्मचारी की दक्षता परीक्षा उसकी सेवा पुस्तिका में लोक सेवा आयोग से उत्तीर्ण होने की प्रविष्टी होने के फलस्वरूप नहीं ली गई। उक्त प्रविष्टी अब गलत पायी गई है जिसकी जांच जारी है । इससे कोई कर्मचारी प्रभावित नहीं हुआ है ।

(सूचना, नियमों की प्रति तथा सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं ।)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मद में वृद्धि

178. **श्री कन्हैयालाल मीणा** (बस्सी): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 1994-95 में वार्षिक योजना के चिकित्सा और स्वास्थ्य मद में गत वर्ष की तुलना में दुगुनी राशि का प्रावधान किया है ?

Page No. 53

(53)

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

(2) क्या वित्तीय वर्ष 1994-95 में जयपुर नगर निगम की सीमा में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेफरल चिकित्सालय निकट भविष्य में खोले जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कहां-कहां पर ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जयपुर नगर निगम सीमा में स्थित राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य उप-केन्द्रों को भी क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्रमोन्नत किये जाने वाले केन्द्रों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार वित्तीय वर्ष 1995-96 में राजकीय चिकित्सालयों को रेफरल अस्पताल में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस-किस अस्पताल को तथा कितने-कितने बेड्स का ? अस्पतालों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) राजकीय चिकित्सालय, रेफरल अस्पताल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप केन्द्र कितनी-कितनी जनसंख्या के आधार पर खोला जाता है तथा उसमें कितने-कितने स्टाफ की आवश्यकता होती है ?

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 1994-95 में केवल भेषज एवं औषधि के मद में गत वर्ष की तुलना में दुगुनी राशि का प्रावधान किया है।

(2) जी नहीं, नगरीय क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा रेफरल हॉस्पीटल खोले जाने का प्रावधान नहीं है, अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(3) जी नहीं। नगरीय क्षेत्र में स्वास्थ्य उप केन्द्र खोले जाने का प्रावधान नहीं है, अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(4) वित्तीय वर्ष 95-96 में राजकीय चिकित्सालयों को रेफरल अस्पताल में क्रमोन्नत करने हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने व उपादेयता के आधार पर विचार करना सम्भव होगा। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(5) राजकीय चिकित्सालय के अन्तर्गत सभी प्रकार के राजकीय चिकित्सा संस्थान सम्मिलित है। रेफरल अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उपकेन्द्र खोलने के निम्न आधार है :–

1– रेफरल अस्पताल एक लाख की जनसंख्या पर एक।

2– प्रा.स्वा.के. सामान्य क्षेत्र में 30 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर एक जनजाति क्षेत्र / रेगिस्तानी क्षेत्र में 20 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर एक।

3– उपकेन्द्र :–

सामान्य क्षेत्र : 5 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर एक।

जनजाति क्षेत्र : 3 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर एक।

स्टाफ का विवरण निम्न प्रकार हैं :–

1– सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री)

पदों की संख्या :

1–कनिष्ठ विशेषज्ञ–2 (मेडिसन, सर्जरी)

2–चिकित्सा अधिकारी–2

3–नर्स श्रेणी प्रथम–एक

4–नर्स श्रेणी द्वितीय–दो

5–स्टाफ नर्स–दो

6–रेडियोग्राफर/सहायक रेडियोग्राफर–एक

7–लेब टैक्नीशियन–एक

8–वरिष्ठ लिपिक–एक

9–कनिष्ठ लिपिक–एक

10–वार्ड बॉय–तीन

11–हरिजन–दो

2–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र :–

1–चिकित्सा अधिकारी–एक

2–नर्स श्रेणी द्वितीय–दो

3–ए.एन.एम.–एक

4–लेब टैक्नीशियन–एक

5–स्वास्थ्य निरीक्षक–एक (पद समाप्त एवं भरने पर रोक)

6–वार्ड बॉय–दो

7–हरिजन–एक

3– उप केन्द्र :–

1–ए.एन.एम.–एक

2–अंशकालीन सहायक–एक

कुशलगढ़ क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सा सेवाएं

179. **श्री फतेहसिंह** (कुशलगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कितने रेफरल अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, मिनी जन स्वास्थ्य केन्द्र तथा स्वास्थ्य उप केन्द्र हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अस्पतालों में प्रत्येक में कितना स्टाफ स्वीकृत है, कितने कर्मचारी कार्यरत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में महिला व पुरुषों की संख्या के अनुपात में कितनी महिला चिकित्सक नियुक्त की हुई हैं ?

(4) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ रेफरल अस्पताल में 12 डाक्टरों के पद स्वीकृत हैं ? यदि हां, तो उनमें कितने पद रिक्त हैं ?

(5) क्या यह भी सही है कि पिछले 6 वर्षों से इस अस्पताल में एक भी महिला डाक्टर की नियुक्ति नहीं की गई है ?

उत्तर

(1) कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सा संस्थानों का विवरण निम्न प्रकार है :–

1–रेफरल अस्पताल—2

2–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र—6

3–उप केन्द्र—53

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) प्रश्न के भाग एक की सूची में

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री)

स्वीकृत एवं कार्यरत रिक्त पदों का विवरण अंकित है।

(3) कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 109341 पुरुषों एवं 105066 महिलाओं की संख्या है। महिला चिकित्सक की नियुक्ति किसी जनसंख्या के अनुपात में नहीं की जाती। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(4) जी नहीं। कुशलगढ़ रेफरल अस्पताल में कुल 10 पद डॉक्टरों के स्वीकृत है, जिनमें 5 पद रिक्त है।

(5) जी नहीं। डॉ. (श्रीमती) सुनीता जोशी महिला चिकित्सक वर्ष 1991 में तथा डॉ. कमला पगारिया 8/91 से 2/92 तक पदस्थापित रही।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

पेट्रोलियम पदार्थों के प्रदाय व उपलब्धता के सम्बन्ध में विभाग की भूमिका

180. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में पेट्रोलियम पदार्थ प्रदाय व उपलब्ता के सम्बन्ध में इस विभाग द्वारा क्या भूमिका निभाई जा रही है ? क्या इस सम्बन्ध में कोई नीति पत्र तैयार किया है या आदेश प्रसारित कर रखे हैं या नियम बना रखे हों, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कस्बा लाडनूं नागौर जिले का सबसे बड़ा शहर होते हुए भी यहां पर न तो पेट्रोल पम्प हैं और न ही कुकिंग गैस ही उपलब्ध है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विभाग ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

(3) क्या सरकार अब इस क्षेत्र में जनता को पेट्रोल पम्प और कुकिंग गैस की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार की नीति है कि हर नागरिक को पेट्रोलियम पदार्थ सुगमता से उपलब्ध हो। इस सम्बन्ध में जारी आदेश/निर्देश की प्रतियां सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) यह सही नहीं है कि कस्बा लाडनूं नागौर जिले का सबसे बड़ा शहर है। लेकिन यह सही है कि लाडनूं कस्बे में पेट्रोल पम्प व कुकिंग गैस उपलब्ध नहीं है। पेट्रोल पम्प और कुकिंग गैस की उपलब्धि के लिए भारत सरकार के पेट्रोलियम मन्त्रालय द्वारा वितरक की नियुक्ति की जाती है। इस सम्बन्ध में मुख्य मण्डल प्रबन्धक व तेल समन्वयक द्वारा बताया गया कि लाडनूं कस्बे में पेट्रोल पम्प की स्थापना के लिए सर्वेक्षण करवा रहे हैं तथा कुकिंग गैस वितरक की स्थापना का प्रस्ताव मार्केटिंग प्लान 1982-84 में था, परन्तु इसका कोर्ट केस चल रहा है।

(3) जी हां। लाडनूं क्षेत्र में तेल कम्पनियों द्वारा किये जा रहे सर्वेक्षण के उपरान्त ही तेल कम्पनियों की नीति के

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

अनुसार पेट्रोल पम्प खोले जाने एवं डीलर की नियुक्ति किये जाने की कार्यवाही संभव होगी। कुकिंग गैस के वितरक की नियुक्ति न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही संभव है।

(आदेश/निर्देश की प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

राज्य में रसोई गैस सिलेण्डरों की सप्लाई में विलम्ब

181. **श्री शान्ति कुमार धारीवाल (हिण्डोली)** : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य के विभिन्न शहरों में समय-समय पर रसोई गैस सिलेण्डरों की सप्लाई में विलम्ब और अनियमितता की शिकायतें होती रहती हैं? यदि हां, तो रसोई गैस सिलेण्डरों की सप्लाई में समय-समय पर जो विलम्ब और बाधायें उत्पन्न होती रहती हैं उनके मुख्य कारण क्या होते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि जयपुर में गत नवम्बर, दिसम्बर 1994 एवं जनवरी तथा फरवरी 1995 में गैस सिलेण्डर लोगों को वितरकों द्वारा लम्बे समय तक उपलब्ध नहीं कराये गयें ?

(3) जयपुर में उक्त अवधि में क्या सिलेण्डर सप्लाई की व्यवस्था में आये व्यवधान की कोई जांच करवाई गई है ? यदि हां, तो कौन-कौनसी एजेन्सियां सप्लाई में अनियमिततायें एवं कालाबाजारी में लिप्त पाई गई हैं ?

(4) क्या सरकार राज्य के विभिन्न शहरों में गैस की सप्लाई में गैस एजेन्सियों एवं वितरकों द्वारा अनियमित कार्यवाहियां कर कालाबाजारी करने की सम्भावनाओं पर रोक लगाने के लिये कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। रसोई गैस सिलेण्डरों की सप्लाई में समय-समय पर विलम्ब व बाधाओं के मुख्य कारण, जाड़े के मौसम में अधिक मांग होना, बाटलिंग प्लांटों में सिलेण्डर की भराई में अवरोध होना एवं प्लांटों से नियमित सप्लाई नहीं होना आदि रहते हैं।

(2) जी हां।

(3) उक्त अवधि में सिलेण्डरों की सप्लाई में आये व्यवधानों बाबत तीनों कम्पनियों के अधिकारियों के साथ बैठकें की गई। जिसमें राज्य स्तरीय समन्वयक ने बताया कि बीजापुर-हजीरा गैस लाइन पर रख-रखाव के कार्य चलने से बाटलिंग प्लान्टों को बल्क सप्लाई नहीं होने तथा भारत-पेट्रोलियम कार्पो. लि. तेल कम्पनी में श्रमिकों द्वारा "कार्य धीरे करो" चलाने से कुल आपूर्ति सामान्य से कम रही।

(4) जी हां। अनियमितता एवं काला-बाजारी करने की सूचना प्राप्त होने पर जिला प्रशासन एवं तेल कम्पनियों द्वारा प्रभावी कदम उठाये जाते हैं जयपुर में उक्त अवधि में सिलेण्डर सप्लाई व्यवस्था में

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

आये व्यवधान बाबत राज्य स्तरीय समन्वक व तीनों कम्पनियों के अधिकारियों को पाबन्द किया गया है। नियमित व्यवस्था हेतु कार्यरत एजेन्सियों की जांच कम्पनी स्तर व जिला प्रशासन स्तर से करायी जाती है।

नवीन गैस एजेन्सी (जयपुर) द्वारा गैस की बुकिंग

182. श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि माह दिसम्बर, 1991 में रसोई गैस की बुकिंग हेतु जयपुर शहर में नवीन गैस एजेन्सी (इण्डियन आयल) द्वारा बुकिंग की गई थी? यदि हां, तो उनमें से अब तक कितने लोगों को रसोई गैस कनेक्शन जारी कर दिये गये हैं? जारी किये गये कनेक्शनों के नाम एवं पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वित्तीय वर्ष 1995–96 में इनमें से कितने आवेदकों को कनेक्शन जारी कर दिये जावेंगे तथा वर्तमान में किस रजिस्ट्रेशन नम्बर तक के आवेदकों को कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं?

उत्तर

(1) जी हां। किसी भी आवेदक को रसोई गैस कनेक्शन जारी नहीं किया गया है। अतः सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही नहीं है।

(2) वित्तीय वर्ष 1995–96 में इनमें से किसी भी आवेदक को गैस कनेक्शन जारी करना संभव नहीं है, क्योंकि वर्ष 1988 में जिला प्रशासन द्वारा आमन्त्रित आवेदनों के समस्त आवेदकों को गैस कनेक्शन दिये जाने के पश्चात् ही पेट्रोलियम मन्त्रालय द्वारा वर्ष 1991 के आवेदकों के लिये गैस कनेक्शन आवंटित किये जाने पर ही गैस कनेक्शन दिया जाना संभव हो सकेगा।

सवाईमाधोपुर के पेट्रोल पम्प्स के सम्बन्ध में शिकायतें

183. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला सवाईमाधोपुर में कुल कितने पेट्रोल पम्प हैं? इन पेट्रोल पम्प्स में कितने चालू हैं और कहां-कहां पर हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कितने पेट्रोल पम्पों के सम्बन्ध में गत दो वर्ष में शिकायत प्राप्त हुई एवं उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाई की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला सवाईमाधोपुर में कुल 29 पेट्रोल पम्प हैं। इनमें से 27 पेट्रोल पम्प चालू हैं। जहां-जहां पर पेट्रोल पम्प चालू हैं, का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) गत दो वर्षों में किसी भी पेट्रोल पम्प की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-11 देखें।)

जिला विकास अभिकरण के माध्यम से अनुसूचित जाति/जन जाति के किसानों को ट्रैक्टर ऋण

184. श्री हरिसिंह (महुआ) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला विकास अभिकरण के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति विकास निगम द्वारा इन वर्गों के किसानों के लिये ट्रैक्टर क्रय करने हेतु ऋण उपलब्ध करवाया जाता है? यदि हां, तो वर्ष 1990 से वर्ष 1994–95 तक कितने किसानों को ऋण उपलब्ध करवाया गया? जिलेवार एवं वर्षवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला बारां में अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को भी ऋण उपलब्ध करवाया गया है? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में किन-किन किसानों को ट्रैक्टर के लिये ऋण उपलब्ध करवाये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों को ट्रैक्टर ऋण उपलब्ध करवाये जाने में कितना अनुदान दिया जाता है? ऋण एवं अनुदान के लिये किसानों के चयन करने के क्या मानदण्ड एवं प्रक्रिया है?

उत्तर

(1) यह सही है कि वर्ष 1993–94 से योजना अनुमोदन उपरान्त राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. के द्वारा एन. एस. एफ. डी. सी. योजनान्तर्गत किसानों को ट्रेक्टर एवं ट्रेक्टर मय ट्रोली क्रय करने हेतु ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। वर्ष 1990 से वर्ष 1993–94 तक किसी भी अनुसूचित जाति के किसानों को इस योजनान्तर्गत लाभान्वित नहीं किया गया है। वर्ष 1994–95 के अन्दर जिलेवार उपलब्ध कराये गये ऋणों की सूचना निम्न प्रकार है :–

वर्ष	जिले का नाम	लाभान्वितों की संख्या	प्रयोजन
1994-95	जयपुर	1	ट्रेक्टर हेतु
1994-95	नागौर	1	ट्रेक्टर मय ट्रोली
1994-95	कोटा	3	ट्रेक्टर मय ट्रोली
1994-95	जयपुर	2	ट्रेक्टर मय ट्रोली
1994-95	सीकर	1	ट्रेक्टर मय ट्रोली
1994-95	बारां	1	ट्रेक्टर मय ट्रोली
	योग :–	9	

(2) जिला बारां में वर्ष 1994-95 में एक अनुसूचित जाति के किसान श्री कृष्ण मुरार पुत्र श्री माधोलाल की ट्रेक्टर मय ट्रोली हेतु ऋण उपलब्ध करवाया गया है।

(3) अनुसूचित जाति के वो व्यक्ति जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं एवं जिनकी कुल वार्षिक आय 11000/– रुपये से कम है, को निगम द्वारा वर्ष 94–95 से ट्रेक्टर हेतु 6000/– रुपयों का अनुदान दिया जाता है।

(समाज कल्याण राज्य मंत्री)

1– चयन के मानदण्ड

1– व्यक्ति अनुसूचित जाति का होना चाहिये।

2– ऋण लेने वाले व्यक्ति की पारिवारिक समस्त स्रोतों से वार्षिक आय गरीबी की रेखा से दुगने तक ही होनी चाहिये।

3– यदि प्रार्थी की वार्षिक आय 11000/– रुपये से अधिक होती है उसे नियमानुसार अनुदान देय नहीं है।

4– ऋण लेने वाले व्यक्ति पर किसी बैंक, सहकारी संस्था एवं राज्य सरकार का अवधि पार ऋण बकाया नहीं होना चाहिए।

5– ऋण लेने वाला व्यक्ति राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।

6– ट्रेक्टर ऋण हेतु ट्रेक्टर चलाने का स्वयं का स्थायी ड्राईविंग लाइसेन्स होना चाहिये।

2– प्रक्रिया

1– इच्छुक व्यक्ति को निर्धारित प्रपत्र पर परियोजना, प्रबन्धक, जिला कार्यालय को आवेदन करना पड़ता है।

(2) प्राप्त आवेदन पत्रों पर जिला स्तर पर गठित कमेटी द्वारा विचार किया जाता है एवं योग्य व्यक्ति को, प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी जाती है।

(3) निगम स्तर पर प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृतियों पर विचार करके उपलब्ध धनराशि की सीमा तक वरियता के आधार पर वितीय स्वकृति जारी की जाती है।

ग्राम पाटोदी, बालोतरा और पचपदरा में समाज कल्याण भवन

185. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार पंचायत समिति बालोतरा, जिला बाड़मेर के ग्राम पाटोदी बालोतरा और पचपदरा में समाज कल्याण भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या सरकार की कोई ऐसी नीति निर्धारित है जिसके तहत रेगिस्तानी क्षेत्र में समाज कल्याण छात्रावास भवनों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाती हो?

(3) क्या सरकार पंचायत समिति बालोतरा के ग्राम कल्याणपुर में समाज कल्याण छात्रावास इस वर्ष खोलने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) वितीय संसाधन उपलब्ध होने पर विचार किया जाना संभव हो सकेगा।

(2) वितीय संसाधनों की उपलब्धता एवं स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर छात्रावास भवनों का निर्माण करवाया जाता है।

(3) ग्राम कल्याणपुरा में छात्रावास खोला जाना वितीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

शेरगढ़ (जोधपुर) में समाज कल्याण के छात्रावास

186. **श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री खेतसिंह राठौड़)

(1) तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर में समाज कल्याण विभाग द्वारा कितने छात्रावास संचालित हैं तथा उनमें कितने छात्र रहते हैं ?

(2) उक्त छात्रावासों में बिस्तर, चारपाई, भोजन व अन्य पर प्रति वर्ष कितना पैसा व्यय किया जाता है ?

(3) उक्त छात्रावासों में सुबह–शाम भोजन व नाश्ते में क्या दिया जाता है ?

(4) उपरोक्त छात्रावासों में कितने स्थान छात्रों के लिए स्वीकृत हैं ? कार्यरत अधिकारी व कर्मचारियों का नाम, पद सहित सूची सदन की मेज पर रखें। क्या इन छात्रावासों में रिक्त पद हैं ? यदि हां, तो रिक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर में तीन छात्रावास-बालेसर, बेलवा तथा सेतरावा संचालित हैं। जिनमें क्रमशः 60, 20 एवं 25 छात्र रह रहे हैं।

(2) उक्त छात्रावासों में तीन वर्षों में बिस्तर, चारपाई (अनावर्तक सामान) तथा भोजन वस्त्रादि पर निम्न प्रकार व्यय किया गया है :–

क्र. सं.	छात्रावास का नाम	वर्षवार 1992–93 बिस्तर चारपाई	1992–93 भोजन वस्त्रादि	1993–94 बिस्तर चारपाई	1993–94 भोजन वस्त्रादि	1994–95 बिस्तर चारपाई	1994–95 भोजन वस्त्रादि
1.	बालेसर	57000	1,47,897	—	1,51,256	—	1,49,666
2.	बेलवा	—	66,801	2890	64,862	—	50,562
3.	सेतरावा	16075	66,062	13181	65,945	—	68,842

(3) उक्त छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को प्रातः एवं सायं भोजन में गेहूं के आटे की रोटी एक समय दाल के साथ एवं एक समय सब्जी के साथ दी जाती है।

(4) उपरोक्त छात्रावासों की स्वीकृति छात्र संख्या क्रमशः 60, 20 एवं 25 हैं। उपरोक्त छात्रावासों में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों के नामपद तथा रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट "अ" के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है। रिक्त पदों को शीघ्र भरवाने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–12 देखें।)

कारापाल पदों के लिये साक्षात्कार

187. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या कारागृह राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री जुबेर खान)

(1) क्या यह सही है कि माह अप्रेल, 1991 में कारापाल पदों के लिये साक्षात्कार लिये गये थे ? यदि हां, तो कितने लोगों के ?

(2) क्या यह साक्षात्कार मध्य में ही रद्द अथवा स्थगित कर दिये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) सरकार अब इन कारापाल के पदों को भरने का क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जब साक्षात्कार हुए ही नहीं तो स्थगित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) माह अप्रेल, 1991 में कारापाल पद के लिये साक्षात्कार ही नहीं लिये गये तो कथित पदों के भरने का प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान खादी बोर्ड द्वारा संचालित योजनायें

188. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या खादी ग्रामोद्योग राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान खादी बोर्ड द्वारा कौन कौनसी योजना राज्य में किस-किस माध्यम से चलाई जा रही है ? योजनाओं की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कौन-कौन से ग्रामीण उद्योगों की बोर्ड द्वारा किस-किस प्रकार की सहायता किस-किस माध्यम से दी जा रही है ? सूचना सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बोर्ड द्वारा निम्न योजनाओं को राज्य में संस्था/समितियों/व्यक्तिगत इकाइयों के द्वारा चलाया जा रहा है। सूची प्रस्तुत है :–

1. सूती ऊनी खादी का उत्पादन
2. ग्रामोद्योगिक इकाइयां स्थापित करना
3. संस्था समितियों का पुनर्जीविकरण
4. प्रशिक्षण
5. प्रदर्शनी एवं हाट बाजार
6. खादी ग्रामोद्योगिक उत्पादों का प्रचार प्रसार
7. ब्याज अनुदान
8. पूंजी वृद्धि योजना
9. घर के साथ कर्घा घर
10. बिक्री केन्द्रों की स्थापना
11. रेशम धागे की रीलिंग एवं बुनाई में प्रशिक्षण
12. अपरम्परागत बुनकरों को बुनाई प्रशिक्षण
13. पुनर्जीवित सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु चयनित ब्लाकों में समग्रहित खादी ग्रामोद्योगिक योजना
14. विशेष रोजगार योजना (दौसा जिला)

2. बोर्ड द्वारा खादी ग्रामोद्योग आयोग के निर्धारित पेटर्न के अनुसार 96 ग्रामोद्योगों को पूंजीगत ऋण, अनुदान एवं कार्यकारी पूंजी के रूप में संस्था, समितियों एवं व्यक्तिगत कामगारों को सहायता

(खादी ग्रामोद्योग राज्य मंत्री)

उपलब्ध कराई जाती है । उद्योगों की सूची संलग्न है ।

(उद्योगों की सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–13 देखें ।)

बीकानेर के अकालग्रस्त गांव

189. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) इस वर्ष बीकानेर जिले के कितने गांव अकाल से प्रभावित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) सरकार ने अकालग्रस्त गांवों के लोगों को रोजगार देने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इस वर्ष 1995 में कोई गांव अकाल से प्रभावित घोषित नहीं किया गया है ।

(2) बीकानेर जिले में कोई गांव अकालग्रस्त घोषित नहीं करने के कारण अकाल राहत के अन्तर्गत कार्य नहीं खोले गये ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है –

(1) श्री शांतिकुमार धारीवाल एवं चार अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से झालावाड़ महोत्सव के आयोजन में हेरिटेज फाउण्डेशन एवं अन्य पदाधिकारियों द्वारा सरकारी धन का कथित दुरुपयोग करने एवं फर्जी बिल बनाकर भुगतान प्राप्त करने के सम्बन्ध में ।

(2) श्री बनवारीलाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 17-2-95 को ग्राम-सीतारामपुरा पंचायत मण्डावर जिला टोंक में एक महिला के साथ कथित बलात्कार की घटना की जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में ।

(3) श्री परसादीलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर जिले के थाना तिजारा में दर्ज मुकदमा संख्या 10/95 के अपराधी को गिरफ्तार नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा ।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री हीरालाल विश्नोई, सदस्य, विधान सभा की ओर से सांचोर तहसील में पेयजल की भयंकर समस्या के सम्बन्ध में ।

(2) श्री मोहनलाल मोदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से नीमकाथाना के श्री नन्दलाल पटवारी कालेज को पोस्ट ग्रेजुएट कालेज में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में ।

(3) श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी, सदस्य,

(श्री अध्यक्ष)

विधान सभा की ओर से मेवाड़ पूर्व रियासत का प्रमुख ठिकाना बिजोलिया को तहसील का दर्जा प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री महावीर भगोरा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला उदयपुर की कोटड़ा तहसील में परिवहन सुविधाओं का अभाव होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री हीरालाल सहरिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से सीताबाड़ी मेला ग्राम पंचायत को सुपुर्द नहीं करने से मेला व्यवस्था में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

(6) श्रीमती इन्दिरा मायाराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से सांगानेर निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम गोनेर को जयपुर से जोड़ने वाली सड़क के अत्याधिक खराब होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री मांगीलाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी क्षेत्र की तहसील केशवरायपाटन की पंचायत बाबई के ग्राम रमजपुरा में दो आवासों के बीच की जमीन पर मकान बनाने एवं रास्ता बन्द करने के मामले में तहसीलदार द्वारा अनपेक्षित हस्तक्षेप करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री अर्जुनलाल जीनगर, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला चित्तौड़गढ़ की पंचायत समिति राशमी की रेवाड़ा सहकारी समिति के सहायक व्यवस्थापक के विरुद्ध अनियमित कार्यवाही करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री कन्हैयालाल पाटीदार, सदस्य, विधान सभा की ओर से फल-सब्जी मण्डी, जयपुर में कृषकों को अपनी उपज लाने में हो रही परेशानी तथा सब्जी मण्डी में छायादार पेड़ लगाये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री किशन मोटवानी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में सहायक अभियन्ता व कनिष्ठ अभियन्ता के पदों पर नियुक्ति में बरती जा रही कथित अनियमितता के सम्बन्ध में।

(11) श्री बगाराम परमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान प्रशासनिक एवं पुलिस सेवाओं में जनजातियों के निर्धारित आरक्षित कोटे में से जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए आनुपातिक कोटा निर्धारित करने के सम्बन्ध में।

(12) श्री रामपाल उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा जिले की रायपुर तहसील की कतिपय जलदाय योजनाओं की समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचनाओं को पढ़ने की अनुमति होगी।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि आज दिनांक 26 अप्रेल, 1995 को मांग संख्या–26 जो चिकित्सा विभाग से सम्बन्धित है, भी विचार एवं मतदान हेतु नियत है।

(श्री अध्यक्ष)

अतः यह निर्णय लिया गया है कि प्रक्रिया नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत चिकित्सा विभाग से सम्बन्धित जो प्रस्ताव माननीय सदस्यों से प्राप्त हुए हैं उनके प्रस्तावक माननीय सदस्यों को चिकित्सा विभाग की अनुदान की मांग पर विचार के समय बोलने की अनुमति होगी।

अनुपस्थिति–अनुमति

श्रीमती मनोरमासिंह, सदस्या विधान सभा को सदन की बैठकों दिनांक 26-4-95 से सत्रान्त तक अनुपस्थित रहने की अनुमति

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्रीमती मनोरमासिंह, सदस्य, विधान सभा ने पुत्र की शादी की व्यवस्था के कारण दिनांक 26 अप्रेल, 1995 से सत्रान्त तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उनको सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, आज सुबह 9 बजे मैंने आपको एक एडजोर्नमेंट मोशन की सूचना दी.... (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी : अध्यक्ष महोदय, 295 के अन्तर्गत मैंने आपको सूचना दी है....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय....मैंने एक एडजोर्नमेंट मोशन दिया है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, बाल विकास परियोजना में वहां कार्यरत एक लिपिक वहां की आंगनवाड़ी की गरीब महिलाओं के साथ रेप करता है, रिकवरी निकालता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप, उस पर व्यवस्था दूंगा।

श्री रामनारायण डूडी : अध्यक्ष महोदय, मैंने 295 के तहत सड़क निर्माण के बाबत दिया है...

श्री अध्यक्ष : मेरे पास नहीं आया है उसको देखूंगा, पढूंगा उसके बाद व्यवस्था दूंगा, बिराजे आप।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको एक एडजार्नमेंट मोशन दिया है....

श्री बद्री प्रसाद गुरुजी : अध्यक्ष महोदय, साधवी ऋतम्भरा की जो मध्य प्रदेश सरकार ने गिरफ्तारी की है उससे कानून और व्यवस्था का प्रश्न खड़ा हो गया है जनता की भलाई के लिए जो कार्य कर रही थी....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। शांतिलाल चपलोत चतुर्मुखी तो नहीं हो सकता।

(श्री अध्यक्ष)

कि चार मुख इधर करके बोलना चालू कर दे। बिराजें आप।

श्री रामनारायण डूडी : अध्यक्ष महोदय, मैंने 295 में दिया है, मेरी बात तो सुनिए....

श्री अध्यक्ष : बिराजिए आप। क्या आप नहीं चाहते हैं कि मैं कोई जीरो आवर की बात करूं।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, आज प्रातः मैंने आपको एक एडजार्नमेंट मोशन दिया है कि भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिन्दू परिषद....

श्री रामनारायण डूडी : अध्यक्ष महोदय, 295 के अन्तर्गत मैंने एक सड़क के बारे में दिया है वह आज नहीं आया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री रामनारायण डूडी : बिराज जाऊं, आप सुनें तो....

श्री अध्यक्ष : मैं सब सुन रहा हूं, आप बिराजें।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मैंने 19 तारीख को एक स्थगन प्रस्ताव दिया था अलवर जिले के कोआपरेटिव बैंक के एम. डी. के द्वारा 75 लाख रुपये के सम्बन्ध में....

श्री अध्यक्ष : बिराजें, मैं कल उस पर व्यवस्था दूंगा।

श्री जुबेर खान : आज एक हफ्ता हो गया है अभी तक सरकार की ओर से उत्तर भी आ गया है कोई आज तक व्यवस्था नहीं दी गई है।

श्री अध्यक्ष : मैं व्यवस्था दूंगा, बिराजें आप।

श्री जगदीप धनखड़ : वह 75 लाख रुपये दारू के ठेके में काम आ गये.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित न करें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : × × ×

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित नहीं करें। माननीय धनखड़ साहब और जोर से बोलें।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : × × ×

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित नहीं होगा अभी।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) । × × ×

श्री अध्यक्ष : मैंने कल व्यवस्था देने के लिए कह दिया है, बिराजें आप।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : अध्यक्षजी, एक सैकण्ड सुन लीजिए, अलवर बैंक वाले मामले में सरकार का जवाब आ गया है जैसा मेरे को मालूम हुआ है, अगर जवाब आ गया है तो सदन को बता दीजिए ताकि स्थिति का पता लग जाये।

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(66)

श्री अध्यक्ष : बिराजिए आप, कल व्यवस्था दूंगा।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : अध्यक्ष जी मेरा ऐसा मानना है कि सरकार उस दोषी आफिसर को बचाना चाहती है कम से कम आप तो उसमें पार्टी मत बनिये।

श्री अध्यक्ष : मैं पार्टी नहीं बन रहा हूं, यह किसने कह दिया आपको ? उलाहना दे रहे हैं या आसन पर आरोप लगा रहे हैं ? यह बता दें आप।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : मैं रिक्वेस्ट कर रहा था।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैंने आज सुबह आपको 9 बजे रूल 50 के तहत एक एड्जार्नमेंट मोशन दिया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने पहले हिन्दू मुस्लिम दंगे करवाए... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री विष्णु मोदी : आप मेरी सुनिए पहले। आज सुबह।

श्री अध्यक्ष : अभी आपने दिये हैं कोई न तो हम सिद्ध पुरुष हैं और न आप सिद्ध पुरुष हैं... बिराजें आप। माननीय मोदी जी बिराजिए। कोई अंकित नहीं होगा।

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैंने आपसे यह निवेदन किया कि आपने कोई दिया होगा, मैं उसको पढ़ूंगा, पूरा पढ़ने के बाद ही किसी न किसी प्रकार की व्यवस्था दूंगा बिराजिए।

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित नहीं होगा।

श्री कालूलाल गूजर (माण्डल) : × × ×

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : × × ×

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) । × × ×

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री अध्यक्ष : आपका अंकित ही नहीं हो रहा है, किसको सुना रहे हैं आप ?

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) । × × ×

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : × × ×

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैंने इसको देख लिया है। आई डिस-अलाऊ इट। यह व्यवस्था दे दी है। बिराजिये आप। (व्यवधान) बिराज जायें आप।

श्री बद्री प्रसाद गुरुजी : × × ×

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No. 67

(67)

श्री अध्यक्ष : श्री भरतसिंह जी। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री रामप्रताप कासनियां : × × ×

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : × × ×

श्री अध्यक्ष . विराज जायें आप। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री अध्यक्ष : यह व्यवस्था का प्रश्न है या अव्यवस्था का प्रश्न है? माननीय बिराज जायें आप... (व्यवधान) आप विराजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री रामप्रताप कासनियां : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप विराज जायें माननीय। मैंने इसको डिस अलाऊ कर दिया है....(व्यवधान)....मैं अपनी व्यवस्था दे चुका, आप बिराज जायें (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री अध्यक्ष : जिस स्थगन प्रस्ताव पर अध्यक्ष ने अपनी सम्मति नहीं दी हो उसके बारे में कुछ भी चर्चा सदन में नहीं की जा सकती। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

व्यवस्था

स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : आप विराज जायें। राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 307 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, प्रक्रिया के नियम 50 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था के सम्बन्ध में निम्नलिखित निदेश जारी करता हूं:–

संसदीय परम्पराओं के अनुसार उसी विषय पर माननीय सदस्यों को स्थगन प्रस्ताव की सूचना देनी चाहिए जो समस्या अत्यन्त गम्भीर प्रकृति की हो तथा जिस समस्या के समाधान में सरकार की असफलता दृष्टिगोचर होती हो। राजस्थान सरकार का इससे कोई लेना-देना नहीं है। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। अध्यक्ष जिन प्रस्तावों पर नियम 50 के अन्तर्गत सम्मति देना उचित समझते हैं, उन्हीं प्रस्तावों को सदन के सम्मुख लाया जायेगा

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

और जो प्रस्ताव अस्वीकार किये जायेंगे उनकी सदन में कोई सूचना नहीं दी जायेगी। (व्यवधान) यह निर्देश संख्या 10 में है। बिराजें आप।

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जायें। आप बहुत पुराने हैं और गम्भीर प्रकृति के हैं। बिराजें आप। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियाँ : × × ×

श्री कालूलाल गूजर : × × ×

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। (व्यवधान)

श्री बद्री प्रसाद गुरुजी : × × ×

श्रीमती तारा भण्डारी : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी : × × ×

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियाँ : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय मोदीजी, मैं आपको नाम से पुकार रहा हूं। आप बिराज जायें... (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराज जायें आप। (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : × × ×

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री किशन गोपाल कोगटा : × × ×

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री अध्यक्ष : आधा घण्टा हो गया है आपको। आपने अपना फर्ज पूरा कर लिया है, बिराजिये आप। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री अध्यक्ष : अच्छा फर्ज निभाया है, बिराजें आप। (व्यवधान) 25 मिनट हो गये बिराजें आप।

श्रीमती तारा भण्डारी : × × ×

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। श्री भरतसिंह जी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें आप। आप बिराज जायें। माननीय धारीवाल साहब आप बिराज जायें। (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : × × ×

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : ×××

श्री अध्यक्ष : श्री भरतसिंह जी। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये।

श्रीमती तारा भण्डारी : ×××

श्री विष्णु मोदी : ×××

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : ×××

श्रीमती तारा भण्डारी : ×××

श्री गोपीराम जाट : ×××

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : ×××

श्री मोहन मेघवाल : ×××

श्री किशन गोपाल कोगटा : ×××

श्री विष्णु मोदी : ×××

श्रीमती तारा भण्डारी : ×××

श्रीमती उजला अरोड़ा : ×××

श्री हरिनारायण बैरवा : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरा आपसे निवेदन है कि किसी का अंकित नहीं हो रहा है। आप क्यों बोल रहे हैं? रिकार्डिंग ही नहीं हो रही है। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : ×××

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये।.... (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : ×××

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : ×××

श्री अध्यक्ष : एक पाइंट आफ आर्डर आपका है और एक पाइंट आफ आर्डर आपका है।....(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : ×××

श्री किशन गोपाल कोगटा : ×××

श्रीमती तारा भण्डारी : ×××

श्री अध्यक्ष : क्या पाइंट आफ आर्डर है आपका? (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : ×××

श्री कालूलाल गूजर : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है।

श्री मोहनलाल मोदी : ×××

श्रीमती तारा भण्डारी : ×××

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।.... (व्यवधान)... विराजिये आप। अंकित नहीं हो रहा है।

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, व्यवस्था दे दूंगा। मैं अकेला हूं और आप दो सौ माननीय सदस्य हैं, सौ बातें आप लिख-लिख कर देते हैं। एक दिन में 50-50, 131 के प्रस्ताव आ रहे हैं। माननीय सदस्य सुनिये आप मेरी बात। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री अध्यक्ष : इसलिए मैं जितना समय होगा, देख कर दे दूंगा, अतिशीघ्र।

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : अतिशीघ्र दे दूंगा, बिराजिये आप। (व्यवधान) ...

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : इस सदन के सत्रावसान के पहले-पहले दे दूंगा। बिराजिये आप।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (ओसियां) : आप की, चेयर की रूलिंग सर माथे पर और उसको हम चैलेंज नहीं करना चाहते हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, शकधर के पेज नम्बर 439 पर....

श्री भंवरलाल शर्मा : वह क्या है ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह कई बार पढ़ ली हमने।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : क्या है बताइये ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : बताओ क्या है? फरमाओ ना ? देखो घनश्याम जी उन्होंने तो होम वर्क बन्द कर दिया 10 साल पहले उनके पीछे मत जाओ, + + + खतम हो जाओगे बिलकुल। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप अपना अध्ययन खुद करें।

श्रीमती तारा भण्डारी : आप खतम हो गये, आपका गुजरात में सफाया हो गया, आपका महाराष्ट्र में सफाया हो गया, आपका कर्नाटक में सफाया हो गया। आप तो साफ हो गये, आप खतम हो गये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैडम, आपको तो मैं सम्बोधित ही नहीं करता।.... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आपका यू.पी. में और हिमाचल में क्या हुआ ? वह भी बता दें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मेम्बर के एडजोर्नमेंट मोशन को आपने रिजेक्ट कर दिया लेकिन कोल एण्ड शकधर में है – "The mover of an adjournment motion has a right to reply."

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : Hon'ble Speaker's decision cannot be challenged.

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।
+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : साहब मैं तो अर्ज कर रहा हूं। भंवरजी, आप मेरे से क्यों उलझ रहे हैं, वह तो मैंने पहले ही अर्ज कर दिया, अब, अध्यक्ष महोदय, जो इश्यू ये रेज कर रहे थे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता लेकिन एक फारमर प्राइम मिनिस्टर की वाइफ श्रीमती सोनिया गांधी पर टिप्पणी हो और....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये अब। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : और मदर टेरेसा पर हो तो, अध्यक्ष महोदय, उससे बड़ा गम्भीर विषय और क्या हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब मैंने व्यवस्था दे दी है और डिस अलाऊ कर दिया है उसके बाद किसी प्रकार की चर्चा नहीं हो सकती है। बिराजिये आप।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैं यही अर्ज कर रहा हूं, मैं यही पंक्ति पढ़ रहा हूं ...

श्री महावीर प्रसाद जैन : किस रूल के तहत ?....(व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप तो, "The mover of an adjournment motion has a right to reply" मेरी यही आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है कि श्रीमानजी बोलना चाह रहे थे तो इनको बोलने दें, अध्यक्ष महोदय, सोनिया गांधी का सब्जेक्ट है गालियां दी हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने, माननीय सदस्य, इसको डिस अलाऊ किया है, एडमिट ही नहीं किया है तो पहले स्वीकार करने का, बोलने की बात ही कहां है। आप बिराजिये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को....

श्री अध्यक्ष : मूवर के राइट का तो सवाल ही कहीं नहीं है। वह मैंने डिस अलाऊ किया है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : लेकिन अगर इस इश्यू पर डिबेट आप करवायें तो मैं आपको प्रूव कर सकता हूं आप डिस अलाऊ कर दें तो भी – he has a right.

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप, बिराजिये आप। डिस अलाऊ हो गया है। बिराजिये आप।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, +++

श्री अध्यक्ष : +++ माननीय श्री भरतसिंह जी।

श्री जगदीप धनखड़ : यह जो स्वस्थ परम्परा है उसको कायम रखें, यह परम्परा अत्यन्त आवश्यक है, इस परम्परा का निर्वहन करेंगे तो सदन की गरिमा रहेगी। माननीय सदस्य को आप बोलने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। फिर आप कहेंगे कि हमको बोलने का अवसर नहीं दे रहे हैं। आप बिराजिये। दो मिनट में अपनी बात कहें। कोई भाषण नहीं होगा।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री भरतसिंह (खानपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय यातायात मंत्री जी का ध्यान दिलवा कर....(व्यवधान)....

श्री विष्णु मोदी : ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये । ....(व्यवधान)....

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये आप ।

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री अध्यक्ष : आपने स्वयं ने कहा है कि दो मिनट में खतम कर दूंगा ।

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये । ....(व्यवधान).... बिराजिये आप ।.... माननीय सदस्य ।....

श्रीमती मीना अग्रवाल : × × ×

श्रीमती तारा भण्डारी : × × ×

श्री गोपीराम जाट : × × ×

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री कालूलाल गूजर : × × ×

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री जुबेर खान : × × ×

(कांग्रेस (इ) विधायकों द्वारा बहिर्गमन)

श्री रामप्रताप कासनिया : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप ।.... (व्यवधान).... श्री भरतसिंह जी श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल । ....श्री हरिनारायण बैरवा....(व्यवधान).... अब कृपया शांत रहे ।

श्री भगराज चौधरी : इस सम्बन्ध में क्षमा याचना नहीं की गयी है इसलिए कांग्रेस पार्टी के सारे सदस्यगण हम सदन से वाक आउट कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप ।

एक माननीय सदस्य : व्यवस्था दे दी गयी है उस पर, फिर क्या बात है इसके अन्दर (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप । भरतसिंह जी बोल रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं ।

श्री किशनगोपाल कोगटा : आपको एक आइडेन्टिटी कार्ड बनाना पड़ेगा धनखड़ साहब के लिए (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप । बहुत हो गयी परम्परा । भरतसिंह जी बोल रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं कोई ।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, यह आपका पहला सत्र है और पहले सत्र में ही इधर झुकाव....(व्यवधान)

श्री किशनगोपाल कोगटा : समाज कल्याण मंत्रीजी, उनके लिए एक आइडेन्टिटी कार्ड बनवाइये (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उनके सारे मंसूबे फेल हो गये (व्यवधान)

+++अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री जगदीप धनखड़ : वह निष्पक्षता का परिचय देते हुए जो भी कौल एण्ड शकधर में कहा गया है, उसमें निश्चित रूप से (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। आप वाक-आउट कर रहे हैं या बोल रहे हैं। बिराजिये आप। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : मान्यवर, डिस-अलाऊ होने के पश्चात् (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : धनखड़ साहब, आपको विचार रखना है तो इस साइड में आओ, कहां फंस गये गलत।

श्री अध्यक्ष : श्री भरतसिंह जी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ये बहिष्कार नहीं करेंगे सदन का। (व्यवधान)....जाइये-जाइये। जल्दी जाइये। एबसेन्ट लग जायेगी। (व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री अध्यक्ष : माननीय भरतसिंह जी।

श्री भरत सिंह (खानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यातायात मंत्रीजी का ध्यान दिलवाकर निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा से सांगोद और वहां से खानपुर राष्ट्रीयकृत मार्ग है और इस मार्ग में कैथून, देवली, बालहेड़ा होकर बसें चलती हैं। इस मार्ग पर करीब एक दर्जन प्राइवेट बसें हैं, जो मैं समझता हूं कि आपके विभाग की जानकारी में है और मिलीभगत से चल रही है। इन बसों का जो परमिट जारी किया है वह डीसीएम, भीमपुरा, प्रहलाद-पुरा, मवासा, बड़गोदिया, अरणखेड़ा, बिनयानी होते हुए कनवास से सांगोद जाने का है। इन बस मालिकों ने जिनकी संख्या एक दर्जन के करीब है, इन्होंने इस रूट का परमिट लेकर जो आपका राष्ट्रीय-कृत मार्ग है, उस पर होकर यह बसों का संचालन कर रहे हैं। उससे जहां रोडवेज को राजस्व की हानि हो रही है, वहीं जिस गांव में, जिस रूट पर ये निर्धारित बसें चलनी हैं, उस रूट के लोगों को बसें नहीं मिलने से (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : थोड़ी बहुत तो +++।

श्री मोहनलाल मोदी : +++ इतनी काफी है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को बोलने दें।

श्री भरत सिंह : इस पर ध्यान दें और उसकी व्यवस्था करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : हरिनारायण जी।

श्री हरिनारायण (खण्डार) : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में प्राइवेट बसों की व्यवस्था बिगड़ी हुई है। उनको परमिट तो दे रखा है ग्राम फलोदी का लेकिन एक भी बस फलोदी तक नहीं जाती। जिसके कारण जनता में भारी आक्रोश है। इसी प्रकार से भगवत-गढ़ की जो बस है, वे भी मनमानी करते हैं। कभी भी किसी भी समय में वे गाड़ियों को रोक देते हैं जिससे जनता काफी परे-

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री हरिनारायण)

शान होती है। इसी प्रकार जो सवाई-माधोपुर नगर बस सेवा है। वहां सवाई-माधोपुर से चकचुन्दरा तक का उन्हें बस परमिट है लेकिन चकचुन्दरा को एक भी बस नहीं जाती है, जिससे जनता को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए निवेदन यह है कि इन बसों को चकचुन्दरा तक पहुंचाया जाय और राजस्थान परिवहन निगम की बसें मेरे विधान सभा क्षेत्र में बढ़ायी जाय।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। मोतीलाल जी।

श्री मोतीलाल (रूपवास) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि भरतपुर में 2-11-1994 को शाम 6-7 बजे एक टीचर का मर्डर हुआ था लेकिन आज 6–7 महीने हो गये, उस टीचर के मर्डर के बारे में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री मोतीलाल : जब वहां बदमाश डकैत आये हुए थे तो पड़ौसी घर में डकैती डालने के बाद में टीचर का मर्डर करके घुस गये। वहां पड़ौसियों ने उनका घेराव किया। उसके बाद एस. एच. ओ. मथुरा के थाना भरतपुर में रिपोर्ट की। एस. एच. ओ. वहां नहीं पहुंचा। जब एस. एच. ओ. ने सुनवाई नहीं की तो एस. पी. के पास गये वे लोग, एस. पी. साहब नहीं पहुंचे और तीसरी बार डी. आई. जी. के पास गये तो वह भी नहीं गये। उसके बाद बाकी सब जने घर आये। बदमाश 4–5 घटे वहां रहकर रात्रि में वहां से फरार हो गये। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह सवाल ऐसा महत्वपूर्ण है जिसकी वजह से एस. सी. के साथ भरतपुर में अत्याचार हो रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी प्रकार के 3–4 मर्डर हो चुके हैं, आज तक वहां पर कोई भी मर्डर नहीं खुला है। क्या कारण है? गृह मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे। जबकि वैर तहसील में एक चौधरी का मर्डर हुआ था, वह आठ दिन में खुल गया क्योंकि वह जनरल कास्ट का था और ये एस. सी. का है और इस वजह से कोई सुनवाई नहीं है। यह ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री हरिश्चन्द्र जी।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं तो नागरिक आपूर्ति और रसद मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं कि सवाईमाधोपुर जिले के अन्दर इस समय पेट्रोल और डीज़ल की भारी किल्लत आ रही है। सवाईमाधोपुर के चारों सब-डिवीजन में ही पेट्रोल पम्प हैं। पेट्रोल पम्पों की हालत यह है कि 10 दिन से वहां वैसे तो एक माह से, बराबर स्थिति इतनी खराब हो गयी है। इधर तो ब्याह शादी का सौका है, पेट्रोल मिल नहीं रहा है। आश्चर्य तो यह है कि गंगापुर, सवाईमाधोपुर जिले में पेट्रोल और डीजल भरतपुर से आता है और भरतपुर के नजदीक है मथुरा रिफाइनरी (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री हरिश्चंन्द्र पल्लीवाल : मैं तो इस स्थिति को जान रहा हूं कि जब वहां पर पेट्रोल और डीजल ही नहीं पहुंच रहा है तो पेट्रोल पम्प वाला क्या करेगा ? तो आप यह कह रहे हैं कि माननीय सदस्य का पेट्रोल पम्प है। मैं जानता हूं, कितनों के यहां पर पेट्रोल पम्प होंगे....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। बीच-बीच में नहीं बोलें माननीय सदस्य, समय जाया नहीं करें।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : मेरा तो यह निवेदन है कि (व्यवधान) मेरे स्वयं के बिजनेस की बात यह है कि वहां पर समस्या आ रही है, डीजल और पेट्रोल नहीं मिल रहा है। तो मेरा यह निवेदन है अध्यक्ष महोदय, आज पेट्रोल नहीं आ रहा है तो उसकी ऐसी व्यवस्था करावें। वैसे तो आज अखबारों के अन्दर आया था कि राजस्थान के अन्दर गंगानगर, कोटा, जयपुर, जगह-जगह पेट्रोल नहीं है तख्ती लटकी हुई है तो मेरा यह निवेदन है कि सवाई माधोपुर जिले में भारी किल्लत है पेट्रोल नहीं आने की। उस समस्या का समाधान करावें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। श्री रामनारायण जी (अनुपस्थित) श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर नेशनल हाइवे पर रोजाना दुर्घटना होती रहती है। अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में मेरी आंखों से देखा हुआ प्रत्यक्ष प्रमाण आपको बताता हूं। नेशनल हाइवे नम्बर 11 पर, जैसे ही मेरे क्षेत्र से आ रहा था तो उस समय एक दुर्घटना हुई। ऐसी दुर्घटना कई दिनों तक देखने को मिलती है लेकिन उस समय उसने भयंकर रूपधारण कर लिया। दोनों तरफ के रास्ते जाम हो गये। रास्ते जाम होने के कारण न कोई सोधन इधर से जा सकता था, न उधर से आ सकता था। उस समय न वहां कोई पुलिस मौजूद थी, कम से कम एक घंटा हो गया। एक घंटे के बावजूद भी ट्रेफिक पुलिस कहां गयी थी, कोई भी किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं कर सके। आपके वी. आई. पी. लोग उसके अन्दर फंसे हुए थे जिनका अमूल्य समय था। उसके कारण रोजाना यहां दुर्घटना होती है, रोजाना इस प्रकार नेशनल हाइवे के रास्ते जाम हो जाते हैं इसलिए मैं बहुत गम्भीर समस्या की ओर माननीय मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। दुर्घटना के बारे में विशेष दल लगाया जाय ताकि तुरन्त रास्ते खुल जायं और इसकी व्यवस्था की जाय।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री हीरालाल विश्नोई (अनुपस्थित) श्री मोहन लाल जी मोदी।

श्री नन्दलाल पटवारी कालेज नीमकाथाना की क्रमोन्नति

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) : अध्यक्ष महोदय, मेरे नीमका-

(श्री मोहन लाल मोदी)

थाना विधान सभा क्षेत्र में नीमकाथाना में श्री नन्दलाल पटवारी कालेज 1966 से चल रहा है। यह डिग्री कालेज है। इसको पोस्ट ग्रेजुएट कालेज में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में वहां की जनता बराबर प्रयत्नशील रही है लेकिन आज तक इस कालेज को पी. जी. कालेज नहीं बनाया गया है।

यह कालेज ग्रामीण क्षेत्र से सम्बन्ध रखता है। इस कालेज में आधे विद्यार्थी एस. सी. व एस. टी. के हैं। अगर पिछड़े वर्ग को शामिल किया जाये तो 3/4 विद्यार्थी एस. सी., एस. टी. व पिछड़े वर्ग के हैं। इस वक्त छात्र संख्या 795 है। इस वर्ष पी.जी. क्लासेज चालू करने में राज्य को कोई अतिरिक्त बजट देने की आवश्यकता नहीं होगी। यहां के ग्रामीण विद्यार्थियों को जयपुर में अधिक भार के कारण, जगह नहीं मिलने कारण ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों में बड़ा असन्तोष है। इसके बाद के बहुत से कालेजों को पी. जी. कालेज में क्रमोन्नत कर दिया गया है। चिमनपुरा कालेज जो 1977 में चालू हुआ था और छात्र संख्या भी नीम का थाना से कम है उसको पी. जी. कालेज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उच्च शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस सत्र से इस कालेज में पी. जी. क्लासेज चालू की जावें।

श्री अध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी।

अतिरिक्त तहसील बिजोलिया को तहसील का दर्जा

श्री बद्री प्रसाद गुरूजी (माण्डलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत अतिरिक्त तहसील बिजोलिया को तहसील का दर्जा देने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन है कि बिजोलिया क्षेत्र, जो ऊपर माल क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जो अपनी राजनीतिक चेतना के लिए प्रसिद्ध रहा, श्री माणिक्यलाल वर्मा व श्री विजय सिंह पथिक की कर्मस्थली बिजोलिया मेवाड़ रियासत का एक प्रमुख ठिकाना रहा है। स्टेट टाइम में वहां पर तहसील मुन्सिफ कोर्ट आदि सभी प्रशासनिक व्यवस्थाएं थीं, परन्तु जो बिजोलिया आजादी की लड़ाई में अग्रणी रहा है, देश की आजादी के बाद वहां से तहसील हटा दी गयी। मुन्सिफ कोर्ट हटा दी गयी। उन कारणों का मैं वर्णन नहीं करूंगा कि इसके पीछे क्या कारण रहे, मुख्य मंत्री, श्रीमान् शेखावत साहब स्वयं अच्छी तरह जानते हैं। सन् 1977 में जब शेखावत साहब मुख्य मंत्री बने तब उन्होंने वहां पर मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना करा दी जिसका क्षेत्र की जनता आभार व्यक्त करती है परन्तु तहसील की स्थापना करते, उससे पहले सरकार बर्खास्त कर दी गयी जिसके कारण तहसील की स्थापना न हो सकी।

वर्तमान में माण्डलगढ़ तहसील में 50 पंचायतें हैं जिनमें से 18 पंचायतों का कार्य क्षेत्र अतिरिक्त तहसील बिजोलिया के अन्तर्गत आता है। इसके अलावा खेराड़ क्षेत्र की माल का खेड़ा, मागटला, श्यामपुरा विकरण, झझोला पंचायतें बिजोलिया के ज्यादा नजदीक हैं बनिस्पत माण्डलगढ़ के व इन लोगों का व्यापार, आवागमन बिजोलिया के साथ ही जुड़ा हुआ है व इनका आर. एस. ई. बी. सहायक अभियन्ता कार्यालय भी बिजोलिया ही है।

(श्री बद्री प्रसाद गुरूजी)

वर्तमान में अतिरिक्त तहसील बिजोलिया के अन्तर्गत 18 पटवार मण्डल हैं, 2 गिरदावर हैं, 121 राजस्व गांव हैं। इसका 353.6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। 1981 की जनसंख्या 57,344 है व 1991 की जनसंख्या पूरी माण्डलगढ़ तहसील के 1,64,000 में से 79,800 करीब है। कुल क्षेत्रफल 57,344 हैक्टेयर है, 3257 हैक्टेयर चारागाह है, 2857 हैक्टेयर वन क्षेत्र भी हैं। तादाद खसरा संख्या 57,344 हैक्टेयर है जिसमें सिंचित क्षेत्र 3194 हैक्टेयर व असिंचित क्षेत्र 8580 हैक्टेयर है, अकृषि योग्य क्षेत्रफल 45,640 हैक्टेयर है। जिला मुख्यालय से दूरी 90 किलोमीटर है, उपखण्ड मुख्यालय से दूरी 40 किलोमीटर है, रेलवे स्टेशन से दूरी 22 किलोमीटर है। कुल खाते 20,709 है व इस क्षेत्र में मण्डोल व पचानपुरा बांध बने हुए हैं व अभी भाजपा सरकार ने जूट का नाका बांध की स्वीकृति दी है जिसका कार्य आरम्भ हो गया है।

बिजोलिया में एम.एम. कोर्ट है, पुलिस स्टेशन है, खनि अभियंता का कार्यालय है, सहायक अभियंता, आर.एस.ई.बी. है, अस्पताल, पोस्ट आफिस, बैंक आदि है। साथ ही तिलिस्मा महादेव का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भी है व स्थापत्य कला का अनूठा निर्माण मंदाकिनी, जो पर्यटकों का केन्द्र है, स्थित है। खनिज विभाग की आय करीब चार करोड़ पचास लाख है, दस लाख टन खनिज का विकास प्रति वर्ष होता है। इस प्रकार अतिरिक्त तहसील बिजोलिया, तहसील होने की पूरी क्षमता व पूर्तियां रखता है। क्षेत्र की जनता वर्षों से वर्तमान मुख्य मंत्रीजी से बार-बार आग्रह करती रही है व पूरी आशा रखती है कि इसी वर्ष इसे तहसील का दर्जा देकर लोगों की आशा-आकांक्षा की पूर्ति कर जन जीवन को राहत प्रदान करते हुए उन्हें अनावश्यक कठिनाइयों मे राहत प्रदान करा जन आकांक्षा की पूर्ति करायेंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर भगोरा।

कोटड़ा तहसील जिला उदयपुर में परिवहन सुविधा का अभाव

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के जरिये कोटड़ा तहसील जिला उदयपुर में परिवहन सुविधा के अभाव में क्षेत्रीय लोगों को होने वाली कठिनाइयों के सम्बन्ध में मैं माननीय परिवहन मंत्री का ध्यान इस विशेष लेख के जरिये आकर्षित करना चाहूंगा।

उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील का मुख्यालय जिला मुख्यालय से 125 किलोमीटर दूर है। उदयपुर से कोटड़ा वाया सोम 132 किलोमीटर दूरी है। तहसील मुख्यालय से अन्य क्षेत्र 40 से 50 किलोमीटर तक अवस्थित हैं। कोटड़ा तहसील जिले की दूरस्थ तहसील है एवं सम्पूर्ण क्षेत्र पहाड़ी होने से परिवहन के साधनों से पूर्णतया कटा हुआ है। तहसील मुख्यालय पर पहुंचने में बस से साढ़े पांच-छह घंटे लगते हैं। उदयपुर से कोटड़ा वाया गोगुन्दा देबला कुल तीन बसें हैं, वाया सोम भी तीन ही हैं। इसके अलावा देबला से आगे व कोटड़ा से स्वरूपगंज रोड पर एक या दो बसें आबू रोड व सिरोही डिपो की चलती हैं।

(श्री महावीर भगोरा)

भौगोलिक दृष्टि से कोटड़ा तहसील की अन्तिम पंचायतों कूकावास, जेड़, सामोधी, मानवां एवं बीकनी से कोई सीधी बस सेवा जिला मुख्यालय की नहीं है। जिला मुख्यालय जाने के लिए वाया कोटड़ा या वाया स्वरूपगंज-पिंडवाड़ा होकर आना पड़ता है जो 150 से 200 किलोमीटर पड़ता है। इसी तरह बाकल क्षेत्र की पांच पंचायतें क्रमशः समीजा, बास, मादड़ा, पड़ावली कलां, पलखबी खुर्द के वासियों को अपने जिला व तहसील मुख्यालयों पर जाने के लिए 125 से लेकर 150 किलोमीटर तक की यात्रा दो-दो, तीन-तीन बसें बदल कर करनी पड़ती है। कोई भी सीधी बस सेवा उपलब्ध नहीं है और इस दूरी को तय करने के लिए आठ से दस घंटे व्यर्थ करने पड़ते हैं। कोटड़ा तहसील मुख्यालय से दिन में दो बजे के बाद जिला मुख्यालय या उपखण्ड मुख्यालय जाने के लिए कोई बस सेवा उपलब्ध नहीं है। रोडवेज ने पैसेंजर नहीं मिलना बताकर बस संचालन में असमर्थता प्रकट की हैं जो एकदम असत्य एवं बेबुनियाद है। यह रोडवेज विभाग द्वारा अपनी जिम्मेदारी को छिपाना है क्योंकि रोडवेज के कन्डक्टर इस रूट पर पूरी की पूरी बसें बिना टिकट ले जाते हैं और एक-एक बस में 100 से 150 पैसेंजर रहते हैं। इस क्षेत्र में कभी प्रभावी निरीक्षण नहीं किया जाता है एवं शिकायतें करने के बावजूद भी ऐसे कन्डक्टरों को ले-देकर छोड़ दिया जाता हैं। इस सम्बन्ध में निम्न हस्ताक्षरकर्ता ने रोडवेज प्रशासन को कई बार शिकायत की परन्तु वही ढाक के तीन पात। बसों के अभाव में इन मार्गों पर प्राइवेट जीपें धड़ल्ले से बिना परमिट चलती रहती हैं। जिनमें 40-40 पैसेंजर ऊपर-नीचे भरे रहते हैं। जिन्हें कलेक्टर तक ने चैक किया एवं सम्बन्धित विभाग को कार्यवाही के निर्देश दिये फिर भी आज वही स्थिति मौजूद है। रोडवेज विभाग की उपेक्षा से न केवल क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है वरन् जीवन की जोखिम भी उठानी पड़ती है और बिना परमिट प्राइवेट टैक्सियों, बसों के चलने से हजारों रुपये की कर चोरी हो रही है जिससे राजकोष को अपार हानि उठानी पड़ती है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के बिन्दु पर माननीय परिवहन राज्य मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट कर क्षेत्रीय लोगों को राहत दिलाने हेतु वर्तमान व्यवस्था के अलावा निम्न व्यवस्था करने हेतु आग्रह है :–

1. उदयपुर से मामेर बस वाया गोगुन्दा-देवला-सुलाब-कागवास-कोटड़ा, मामेर एवं इसी मार्ग से वापसी।

2. आबू रोड से कोटड़ा वाया स्वरूपगंज मांडवा, कागवास, जूडा, कोटड़ा एवं इसी मार्ग से वापसी।

3. आबू रोड से उदयपुर वाया स्वरूपगंज, रोहिडा, मांडवा, कागवास, देवला एवं उदयपुर एवं इसी मार्ग से वापसी।

4. उदयपुर से अम्बाजी वाया सोम कोटड़ा, खेड़ला एवं इसी मार्ग से वापसी।

5. डूंगरपुर से कोटड़ा वाया खैरवाड़ा, कोटड़ा एवं वापसी।

6. उदयपुर से ओगडा वाया गोगुन्दा,

(श्री महावीर भगोरा)

बास पड़ावली, बोगेथा एवं वापसी ।

7. उदयपुर से झाड़ोल वाया गोगुन्दा, मजावद, छाटी, झाड़ोल एवं वापसी ।

8. देवला से मामेर वाया जूड़ा कोटड़ा शटल बस ।

9. प्राइवेट जीप एवं बसें, जो बिना परमिट चल रही हैं उन पर अविलम्ब रोक लगायी जाय ।

10. कोटड़ा तहसील मुख्यालय से जयपुर व अहमदाबाद सीधी बस सेवा आरम्भ करायी जाय । धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल सहरिया ।

सीताबाड़ी मेला ग्राम पंचायत को सुपुर्द नहीं करना

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत सीताबाड़ी मेला ग्राम पंचायत को सुपुर्द नहीं करने से मेला व्यवस्था में अनियमितताओं के क्रम में विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन है कि जिला कलक्टर, कोटा ने वर्ष 1990 में ग्राम पंचायत के अधिकारों का हनन कर आदेश क्रमांक 254655 दिनांक 26.4.90 से सीताबाड़ी मेला विकास कमेटी का गठन किया था । चूंकि उस समय सरपंच तथा प्रधान के अपरिहार्य गृह कारणों से व्यवस्था नहीं करने के कारण तत्कालीन जिला कलक्टर, कोटा ने विकास कमेटी का गठन उस अवधि के लिए किया था लेकिन खेद है कि उसे अभी तक कार्य रूप में लिया जा रहा है तथा मेला सीताबाड़ी, केलवाड़ा को कमेटी करवाती आ रही है । आज कोटा जिला से बारां जिला अलग हो गया है, साथ ही पंचायतों के नये चुनाव भी हो चुके हैं तथा अधिकतर गत वर्षों में यह देखने में आया है कि जब से मेला विकास कमेटी मेलों का आयोजन करती आ रही है, मेले की व्यवस्था अत्यन्त बिगड़ चुकी है तथा दुकानदार, यात्रियों को रोशनी, पानी तथा चिकित्सा आदि की सुविधाओं के लिए भयंकर रूप से परेशान होना पड़ता है । इससे इस क्षेत्र में भरने वाले आदिवासी मेले की गरिमा को धक्का लगा है । विकास कमेटी गत पांच वर्षों में सीताबाड़ी मेले में विद्युत की व्यवस्था भी नहीं कर सकी है, साथ ही जो आय होती है उसका मनमाने ढंग से अपव्यय विकास कमेटी कर रही है । इस

(12.50)

(श्री समर्थलाल मीणा, सभापति, पदासीन)

बाबत पूर्व में भी सरपंच, ग्राम पंचायत केलवाड़ा ने विकास कमेटी को भंग कर पंचायत को सुपुर्द करने बाबत प्रशासन को लिखा था । उच्चाधिकारियों का मानना है कि पंचायत अधिनियम के तहत जो भी विकास कार्य में राशि पंचायत द्वारा खर्च की जायेगी, उस पर भी ग्राम सचिव के तथा सरपंच के हस्ताक्षर होंगे, साथ ही यह भी है कि उसे विकास अधिकारी के परामर्श से ही खर्च किया जाता है, तो इस स्थिति में मेला कमेटी का कोई औचित्य नहीं रहता । अतः सीताबाड़ी मेला कमेटी, ग्राम पंचायत केलवाड़ा को भंग करके पंचायत अधिकारों की रक्षार्थ सीताबाड़ी मेले की

(श्री हीरालाल सहरिया)

व्यवस्था ग्राम पंचायत को सुपुर्द करें तथा मेला आय की जमा राशि पंचायत को हस्तान्तरित करावें जिससे नयी पंचायत सीताबाड़ी मेला स्थल का सर्वांगीण विकास करा सके। धन्यवाद।

सूचना

नोहर क्षेत्र के ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों द्वारा विधान सभा पर प्रदर्शन

श्री सभापति : श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : माननीय सभापति महोदय, ऑन ए पाइंट आफ इन्फार्मेशन। पिछले दिनों नोहर क्षेत्र में ओलावृष्टि से भयंकर नुकसान हुआ। सैकड़ों किसान राजस्थान विधान सभा के मुख्य द्वार पर खड़े हैं और उन किसानों की मांग इतनी सी है कि ओलावृष्टि से हुए नुकसान की, मुआवजे की क्षतिपूर्ति हमें दी जाय। राजस्थान की सरकार कहती है कि हम क्षतिपूर्ति देंगे लेकिन वहां किसानों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। माननीय सभापति महोदय, बेघर हो गये हैं, खाने को अनाज नहीं रहा है, सारी फसल बरबाद हो गयी है। उनकी दस मांगें जो हैं, माननीय सभापति महोदय, साधारण सी मांगें हैं।

श्री सभापति : कृपया बिराजें।

श्री रामनारायण मीणा : यदि कृषि को उद्योग का दर्जा दे दिया जाय. माननीय सभापति महोदय, तो यह सारी की सारी समस्या समाप्त हो जायेगी। राज्य सरकार इस मामले में कुछ करे।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : सभापति महोदय, मैं भी इसमें निवेदन करना चाहता हूं। मैं अभी नीचे से आया तो मुझे उन्होंने घेर लिया और इसी वजह से मुझे काफी देर वहां रुकना पड़ा। काफी बड़ी तादाद में कृषक आये हुए हैं और उनका यही कहना है कि साहब, नोहर के अन्दर 50 गांवों के अन्दर भारी ओलावृष्टि से इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि उन काश्तकारों के पास में खाने के लिए कुछ भी नहीं है. उनके मकानों तक को नुकसान पहुंचा है, फसल बिलकुल बरबाद हो गयी है इसलिए वे चाहते हैं कि साहब, हमको पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया जाय तो पर्याप्त सहायता दी जाय जिससे हम अगली फसल तो बो सकें और उसके लिए काश्तकार सभी यहां आये हुए हैं। वे माननीय मंत्री महोदय से भी मिलना चाहते हैं लेकिन मंत्री महोदय यहां तशरीफ नहीं रख रहे हैं इसलिए किसी और मन्त्री महोदय को आप कह दीजिये कि वे आकर मिल लेवें उनसे तो उनकी समस्या का समाधान हो जायेगा।

श्री सभापति : बात कर लेंगे, श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापति महोदय, मेरे जिले का मामला है।

श्री सभापति : सरकार को पता लग गया।

श्री रामनारायण मीणा : सभापति महोदय, सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। गृह मंत्री जी यहां बिराजमान

(श्री रामनारायण मीणा)

हैं। आप मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? आप डण्डे मारते हो, पानी मांगने आते हैं। वहां नहीं, आप ही हो। अफसर तो आप हो, हम आपको मानते हैं। आप इसको समझो। क्या करना चाहती है सरकार? आप मिलने का इन्तजाम कीजिये।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : सभापति महोदय, वहां एक ओर तो ओलों से संकट आया हुआ है, दूसरी ओर किसान का गेहूं मण्डियों में पड़ा है। जो भाव निर्धारित किये गये हैं उस भाव पर सरकार नहीं खरीद रही है। यह मामला सदन के समक्ष पहले भी उठाया गया तो किसान को तो दोहरी मार मारी जा रही है।

श्री सभापति : कृपया बिराजें धनखड़ साहब।

श्री जगदीप धनखड़ : सभापति महोदय, किसान से सम्बन्धित मुद्दों के समय मंत्रीगण अनुपस्थित रहते हैं, सरकार नदारत रहती है। ओलावृष्टि हो गयी।

श्री सभापति : आसन पैरों पर है। श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : सभापति महोदय, अगर आप मंत्री महोदय को नहीं भेज सकते हैं तो कृपा करके एक पांच आदमियों के डेपुटेशन को अलाउ करिये जो आकर मंत्रीजी से मिल लें, इसकी तो व्यवस्था कर दीजिये। किसान तबाह हो गये ओलों के मारे और यह संवेदनशील सरकार है, सब किसानों के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। वे इतना ही चाहते हैं कि उनको उचित मुआवजा मिले, मंत्री महोदय उनसे बात कर लें। मंत्री महोदय उनसे बात कर लें। यदि वह नीचे नहीं जा सकते तो उनके प्रतिनिधि मण्डल को यहां ऊपर आने की आप व्यवस्था कीजिये।

श्री किशनाराम नाई (डूंगरपुर) : रामनारायण जी और कितनी मांगें, 30 लाख की हैं अभी तो।

श्री जगदीप धनखड़ : सभापति महोदय, जैसा मैंने आपको पूर्व में कहा कि किसान को दोहरी मार पड़ रही है।

श्री किशनाराम नाई : 30 लाख कह दिया तो उन्होंने 30 लाख अगले ने दे दिया।

श्री जगदीप धनखड़ : ओलों की मार तो अलग है और जो फसल आलरेडी है उसका भी जो मूल्य तय किया गया है उस से नीचे बिक रही है। सरकार उसको भी नहीं खरीद रही है तो जहां तक किसान का मतलब है, सरकार नदारत है। ऐसी स्थिति में, माननीय सभापति महोदय, आप सरकार को निर्देश दें कि अविलम्ब इस मामले में एक स्टेटमेंट दे ताकि कम से कम किसान जो संकट की स्थिति में है उसके बारे में कोई न कोई निराकरण किया जा सके। सभापति महोदय, अगर किसान से मिलने में सरकार इतनी उदासीन रहेगी तो मैं मानता हूं कि गरीब किसान का क्या रहेगा। जो फसल पक गयी वह भी बरबाद हो गयी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपने सरकार का ध्यान आकर्षित कर दिया। श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

श्री जगदीप धनखड़ : सभापति महोदय, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, आप सरकार को हिदायत दें कि इस मामले में सरकार की तरफ से निश्चित रूप से एक बयान आज ही जारी किया जाय ताकि उस बयान पर चर्चा हो सके। माननीय सभापति महोदय, आप बड़े किसान के हित को देखने वाले हैं, आपके मन में किसान के लिए पीड़ा है। आप कम से कम इस स्थिति में जहां सरकार के कुछ वरिष्ठ मंत्री बैठे हैं, हिदायत दीजिये कि ऐसे मामले में जहां किसान के ऊपर इतना बड़ा संकट है कम से कम इस स्थिति से सदन को अवगत तो करायें कि क्या स्थिति है। क्या उसके निराकरण के लिए सरकार सोच रही है ?

श्री सभापति : बिराजें। विधान सभा के बाहर प्रदर्शनकारी कोई भी आते हैं तो सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता उनसे मिलने के लिए। यह व्यवस्था है पहले से।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह व्यवस्था कभी नहीं रही है। माननीय सभापति महोदय, आप भी काफी अर्से से एम.एल.ए. रहे हैं और मुझे भी यह मौका मिला है, आप भी मंत्री रहे हैं। जब कभी भी इस प्रकार के डेपुटेशन आते हैं तो उनसे या तो मंत्रीजी स्वयं जाकर, हम जाकर मिला करते थे लेकिन अगर यह जाकर मिलने में डरते हों तो उनके तीन आदमियों को हम यहां ले आते हैं। आप उनसे बात तो कर लें और या यह कह दो कि हम किसानों से मिलना ही नहीं चाहते और हम तो कालीचरण जी सराफ के मार्फत ही सारी हुकूमत चला देंगे तो यह कह देंगे कि हम तो जयपुर शहर से ही हमारा काम जम जायेगा।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापति महोदय, सैकड़ों किलोमीटर से चलकर यह लोग आये हैं। पूर्व विधान सभा की सदस्या, सुचित्रा आर्य उनको लीड कर रही हैं तो एक संकट की स्थिति से इस सदन को अवगत कराने के लिए आये हैं। इस उम्मीद से आये हैं कि सरकार जो + + + से किसान के लिए सो रही है, कम से कम आपके माध्यम से जब कोई मामला उन तक जायेगा तो निश्चित रूप से वह जगेगी तो, माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे पुरजोर अनुरोध है कि इस प्रकार के मामले में किसान हित की, कम से कम आप सरकार को यह निर्देश दें कि अविलम्ब इस मामले में एक स्टेटमेंट को जारी करे जिस पर चर्चा हो सके और किसान को इस संकट से निकालने के लिए कोई व्यवस्था की जा सके। माननीय सभापति महोदय, इसको आप कानूनी दायरे में व्यवस्था न देकर किसान हित में व्यवस्था दें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, अब उप मुख्य मंत्री जी आ गये हैं। मेरे ख्याल से इसके बारे में वह निश्चित तौर पर खड़े होकर यह आश्वासन देंगे और उसके लिए आप यह प्रबन्ध भी करेंगे कि तीन व्यक्ति उनके यहां आ जाये और आप से बात कर लें।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : माननीय

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री राधेश्याम)

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इतनी जबरदस्त ओलावृष्टि और तबाही हुई है ।

श्री सभापति : आप कृपया सुनिये ।

श्री हरिशंकर भामड़ा (उप मुख्य मंत्री) : माननीय सचेतक महोदय, आप तो जानते हैं कि यदि प्रदर्शन हो रहा है, प्रतिनिधि मण्डल को आप बता दीजिये, उनसे बात कर लेंगे उनकी समस्या क्या है, समझ लेंगे और सरकार द्वारा जो कदम उठाने हैं, उनको बता देंगे ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां, लेकिन उनको ऊपर आने के लिए पांच व्यक्तियों का प्रबन्ध कर दीजिये । मैं लेकर आता हूं ।

श्री हरिशंकर भामड़ा : हां, आप तय कर दीजिये । व्यवस्था वैसे हम कर देंगे ।

गोनेर की सड़क का टूटा होना

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) । माननीय सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत गोनेर की टूटी फूटी सड़क के बारे में विशेष उल्लेख करना चाहती हूं । ग्राम गोनेर सांगानेर निर्वाचन क्षेत्र का एक ऐसा ग्राम है जहां श्री जगदीश महाराज का मन्दिर होने के कारण प्रतिदिन पांच हजार से दस हजार यात्री प्रतिदिन जगदीश महाराज के दर्शन करने एवं धोक करने आते हैं । यहां की सड़क की दुर्दशा इतनी खराब है कि तीन-तीन घन्टे यातायात रूक जाता है । सड़क नाम की चीज तो है ही नहीं, गड्डे में कीचड़ पानी भरा हुआ है । मंत्री महोदय को कई बार पत्र भी लिखा जा चुका है किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । इस गांव की जनता के साथ-साथ यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखकर इस सड़क को शीघ्र बनवाने की कृपा करें । धन्यवाद ।

(13.00 बजे)

श्री सभापति : श्री मांगीलाल मेघवाल ।

पंचायत जन प्रतिनिधियों एवं न्यायालय की अवहेलना कर तहसीलदार द्वारा आंतक फैलाना

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवरायपाटन) : मेरी तहसील केशवरायपाटन (बूंदी) क्षेत्र की बाबई पंचायत ग्राम रमजपुरा में श्री विमल कुमार जैन एवं पड़ोसी श्री बीरबल मीणा के बीच मकान बनाने एवं रास्ता बन्द करने के मामले को लेकर विवाद हुआ । ग्राम पंचायत तक मामला गया स्थानीय ग्राम पंचायत ने नोटिस देकर श्री बीरबल को इस विषय में स्पष्टीकरण बाबत जवाब तलब किया । श्री बीरबल ने आकर अपना हक जताया । तब ग्राम पंचायत ने पर मौके पंचों को मौके की रिपोर्ट एवं मौके की वस्तु स्थिति हेतु भेजा । पंचों ने मौके पर जाकर श्री बीरबल से लिखित में लिया कि श्री विमलकुमार का रास्ता बन्द नहीं करूंगा, निर्माण सामग्री हटा दूंगा । साथ ही दरवाजा भी दूसरी ओर निकालूंगा । परन्तु ये नहीं माने, तब यह मामला कोर्ट में गया । इस प्रकरण में स्थानीय मुंसिफ मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़ ने अपने निर्णयानुसार श्री बीरबल को दरवाजा निकालने की मनाही कर श्री

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

विमलकुमार जैन की आपत्तियों को सही माना।

इस सब मामलात के बाद भी जब श्री बीरबल नहीं माने तो दुःखी एवं पीड़ित श्री विमल कुमार जैन ने ग्राम पंचायत एवं स्थानीय जिम्मेदार नागरिकों से निवेदन किया कि मुझे तंग किया जा रहा है। ग्राम पंचायत की सरपंच जो अनुसूचित जाति की महिला हैं, ने स्थानीय पुलिस से मदद मांगी और इस मामले को सुलझाने का अंतिम प्रयास किया। पुलिस के हस्तक्षेप से दरवाजा बन्द करवा दिया गया तब श्री बीरबल जिला प्रशासन से मिला और अतिरिक्त तहसीलदार ने तीसरे-चौथे दिन आकर पंचायत एवं मुंसिफ मजिस्ट्रेट के आदेशों की अवहेलना कर मौके पर आकर दरवाजा खुलवाया तब स्थानीय लोगों ने इनको मना किया और ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप करने की बात कही तो अतिरिक्त तहसीलदार श्री दयानन्द शर्मा ने कहा कि यह अनपढ़, गंवार खटीकनी क्या जानती है। हम अधिकारी हैं, नियम, कानून हम जानते हैं। इस प्रकार से अपमानित और जातिसूचक शब्दों से जन-प्रतिनिधि को अपमानित किया। यह प्रकरण मेरे सामने भी आया तब मैंने सभी लोगों से विवेक एवं धैर्य से काम लेने के लिए कहा। तब जाकर मुझे इन सभी लोगों ने बताया कि इसी तहसील में लबान ग्राम पंचायत की जनजाति महिला सरपंच की भी भारी अवहेलना केशवरायपाटन के तहसीलदार श्री पारीख कर रहे हैं। चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु सरपंच ने जब अतिक्रमण हटाने की बात लिखित में दी तो तहसीलदार ने कहा कि जमीन तुम्हारे बाप की नहीं है, सरकार की जमीन है। अतिक्रमियों से पैसा खाकर यह तहसीलदार विकास में रोड़ा अटका रहा है।

अतः मैं सरकार से इस प्रस्ताव के माध्यम से मांग करता हूं कि इन दोनों तहसीलदारों को पाबन्द किया जाय और इनके काले कारनामों की जांच करवायी जाये। नहीं तो कहीं ऐसा न हो जाये कि जनता कोई अप्रिय वारदात कर बैठे। इन दोनों की मनमानी एवं भ्रष्ट हरकतों से अधिकांश व्यक्ति पीड़ित हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह सम्पूर्ण दस्तावेज, मुंसिफ न्यायालय का निर्णय, पंचायतों की लिखा-पढ़ी और ये फोटो मैं आपके माध्यम से सदन पटल पर रखना चाहूंगा और इस गम्भीर मामले में निवेदन करना चाहूंगा कि हाड़ौती में मांगरोल के तहसीलदार के साथ भी मारपीट हुई है।....

श्री सभापति : श्री अर्जुनलाल जीनगर। कृपया बिराजिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल : कहीं ऐसा न हो जाये कि यह मामला हाउस में आये। लोग भाटे मारेंगे इन तहसीलदारों को... (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बिराजिये। श्री अर्जुनलाल जीनगर। श्री कन्हैयालाल पाटीदार आप बोल रहे हैं? बोलिये।

जगदीशचन्द्र डाकोत, सहायक व्यवस्थापक रेवाड़ा सहकारी समिति के विरुद्ध गलत कार्यवाही करना

श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान

(श्री अर्जुनलाल जीनगर)

विधान सभा के प्रक्रिया एवं संचालन के नियम 295 के तहत माननीय सहकारिता मंत्री का ध्यान....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आसन की अनुमति के बिना यहां हाउस की टेबल पर आप जो पत्र रख रहे हैं। मेरे ख्याल से यह ठीक नहीं है। मैंने अनुमति नहीं दी है।

श्री रामनारायण चौधरी : आप अपने टेबल अधिकारियों से कहिए कि वे उसको वहां से हटा लें।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : सहकारी समिति रेवाड़ा पंचायत समिति राशमी जिला चित्तौड़गढ़ के सहायक व्यवस्थापक श्री जगदीश चन्द्र डाकोत के विरूद्ध गलत कार्यवाही करने की ओर ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं।

श्री जगदीश चन्द्र डाकोत, सहायक व्यवस्थापक सहकारी समिति रेवाड़ा को प्रस्तावानुसार दिनांक 31-3-81 से 12-8-81 तक व्यवस्थापक का चार्ज दिया गया था। इस समय में श्री डाकोत ने किसी प्रकार का सहकारी समिति में गबन नहीं किया।

श्री अर्जुनलाल दुप्पड़, स्पेशल आडिटर, सहकारी समितियां, चित्तौड़गढ़ ने अपने फैसले में लिखा है कि प्रतिवादी की 11/1/95 को सुनवाई की पेशी रखी गयी लेकिन उक्त दिनांक को पीठासीन अधिकारी के पंचायत चुनाव में जाने के कारण अगली पेशी दिनांक 10-2-95 को रखी गयी। दिनांक 10-2-95 को वादी-प्रतिवादी उपस्थित हुए जबकि श्री डाकोत को इस पेशी दिनांक की कोई जानकारी नहीं थी व न ही श्री डाकोत उपस्थित हुए फिर भी इस फैसले में लिखा गया है कि श्री डाकोत उपस्थित हुए हैं। उपस्थिति इस दिनांक को दर्ज नहीं है।

श्री दुप्पड़ ने एक पक्षीय फैसला सुनाया है तो न्यायोचित नहीं है। श्री दुप्पड़ ने अपने फैसले में बताया कि वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड एवं उत्तर के आधार पर पत्रावली पर कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने से दिनांक 28-2-95 को फैसला सुनाया गया जबकि श्री दुप्पड़ ने किसी प्रकार का कोई रिकार्ड नहीं देखा। सहकारी समिति रेवाड़ा का सारा रिकार्ड मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय, राशमी में सन् 1986 से जब्त शुदा है। जबकि श्री दुप्पड़ बताते हैं कि मैंने रिकार्ड चैक किया। किस रिकार्ड के आधार पर फैसला सुनाया गया है ?

श्री अर्जुनलाल दुप्पड़, स्पेशल आडिटर, सहकारी समितियां, चित्तौड़, ने अपने फैसले क्रमांक फा/गबन/664-67, दिनांक 31.3.95 में यह निर्णय दिया है कि श्री डाकोत, सहायक व्यवस्थापक, सहकारी समिति, रेवाड़ा ने 7074 रुपये 35 पैसे की राशि संस्था में कम जमा कराकर दुरुपयोग किया व गबन किया है।

उपरोक्त सारा गबन सहकारी समिति, रेवाड़ा के व्यवस्थापक श्री शिवनारायण शर्मा, निवासी रेवाड़ा द्वारा किया गया है। श्री शर्मा गत 20वर्षों से व्यवस्थापक के पद पर कार्यरत हैं।

श्री दुप्पड़, श्री शर्मा, व्यवस्थापक

(श्री अर्जुनलाल जीनगर)

सहकारी समिति, रेवाड़ा को बचाना चाहते हैं जबकि रोकड़ पर हस्ताक्षर व सारे काम की जिम्मेदारी व्यवस्थापक की होती है। व्यवस्थापक श्री शर्मा अधिकारियों से मिलीभगत करके एक गरीब श्री जगदीश डाकोत को गबन के आरोप में फंसाना चाहते हैं। श्री डाकोत पूर्णतः निर्दोष हैं। सदन के माध्यम से पूर्ण मामले की जांच करवाकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही कर सजा दिलाने की पुख्ता कार्यवाही करें।

श्री सभापति : श्री कन्हैयालाल पाटीदार।

फल-सब्जी मण्डी, जयपुर में अपनी उपज को लाने वाले कृषकों की परेशानी

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) : माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र एवं सम्पूर्ण झालावाड़ जिले से संतरे की फसल किसान जयपुर मण्डी में आकर बेचते हैं। माननीय सभापतिजी, सन्तरे की फसल अत्यन्त नाजुक होती है। अधिक धूप एवं मामूली सी रगड़ आदि से फल खराब हो जाते है। लूज पड़ जाते हैं। जयपुर मण्डी में छायादार प्लेट फार्म उपलब्ध नहीं होने से सन्तरे तेज धूप में ऊपर ढेर कर दिये जाते हैं जो दिन भर धूप में तपते रहते हैं तथा सड़क पर वाहन और लोगों के आवागमन से धूल आदि उड़ती रहती है। सन्तरे धूल एवं धूप से अपनी चमक खो देते हैं लूज पड़ जाते हैं और जब इसकी बिक्री होती है तो किसान को उसका मूल्य कम प्राप्त होता है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा सरकार से अनुरोध है कि फल एवं सब्जी मण्डी में छायादार प्लेट फार्म का निर्माण कराया जावे ताकि किसान जो अपना खून पसीना एक कर अच्छी फसल पैदा करता है वह मण्डी की अव्यवस्था से विकृत रूप धारण नहीं करे और किसान को उसका समुचित मूल्य प्राप्त हो सके। यहां उल्लेखनीय बात यह है, सभापति महोदय, कि जयपुर मण्डी में आने वाली सन्तरे की अधिकांश फसल हमारे झालावाड़ जिले से ही आती है।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा अन्याय किसानों के साथ यह हो रहा है कि ट्रैफिक पुलिस ने गोपालपुरा मोड़ से न्यू सब्जी मण्डी, लालकोठी तक सुबह 9 बजे से 11 बजे तक ट्रकों के अन्दर प्रवेश करने पर रोक लगा रखी है। माननीय सभापतिजी, लगभग 400 किलोमीटर दूर से ट्रक सन्तरे लेकर आते हैं, कुछ लेट भी हो सकते हैं। यदि ट्रकों को 8 बजे बाद मण्डी में नहीं पहुंचने दिया गया तो वे संतरे दूसरे दिन जाकर बिकते हैं और उनमें से काफी मात्रा में खराब भी हो जाते हैं। और यदि कोई किसान ट्रेफिक वालों को 200–300 रुपये दे देता है तो उसे अन्दर जाने की अनुमति मिल जाती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि किसानों के साथ हो रहे इस अन्याय से किसानों को निजात दिलवाई जाये। कम से कम फल एवं सब्जी के ट्रकों

(श्री कन्हैयालाल पाटीदार)

को इस तरह से रोका नहीं जाये। पूरे हिन्दुस्तान में कहीं भी इस तरह से फल-सब्जी के ट्रकों को रोका नहीं जाता है। ट्रेफिक पुलिस ने कलेक्टर, जयपुर को मिस-गाइड कर यह पाबन्दी लगायी है जबकि गोपालपुरा मोड़ से न्यू सब्जी मण्डी, लाल कोठी तक रोड को दो भागों में विभक्त करने वाली पट्टी बनी हुई है और इस रोड पर अभी तक कोई विशेष दुर्घटना भी नहीं हुई है कि ट्रेफिक पर पाबन्दी लगायी जाये। करीब तीन-चार सौ किलोमीटर दूर से जो किसान आते हैं, मात्र उनसे पैसा हड़पने के लिये यह पाबन्दी कायम की है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से किसानों की उपरोक्त समस्याओं के तुरन्त समाधान हेतु सरकार से अनुरोध करता हूं।

श्री सभापति : श्री किशन मोटवानी (अनुपस्थित) श्री दयाराम परमार।

राजस्थान प्रशासनिक एवं पुलिस सेवाओं में जनजातियों के निर्धारित आरक्षित कोटे में से जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिये अनुपातिक कोटा निर्धारित करना

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत जनजाति उपयोजना क्षेत्र में जनजाति समुदाय के व्यक्तियों को राजस्थान राज्य प्रशासनिक सेवाओं में आरक्षण का फायदा न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। देश की आजादी के बाद और प्रदेश में रहने वाले जनजाति समुदाय के लोग जो कि आर्थिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़े थे उनको अन्य समाजों के साथ लाने के लिये विभिन्न क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था की गयी और उस आरक्षण व्यवस्था के आधार पर विभिन्न सरकारी सेवाओं में उक्त समुदाय के लोग आने लगे हैं।

आज प्रदेश में 12.44 प्रतिशत जनजाति समुदाय के लोग निवास करते हैं और उसी प्रतिशत के आधार पर 12.44 प्रतिशत विभिन्न सरकारी सेवाओं में आरक्षण कर रखा है लेकिन आज तक जो परिणाम सामने आये हैं उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि जनजाति उपयोजना क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को राजस्थान प्रशासनिक एवं राजस्थान पुलिस सेवाओं जैसे पद पर आने का अवसर नहीं के बराबर मिला है। मेरी जानकारी के अनुसार केवल एक व्यक्ति आर. ए. एस. और एक व्यक्ति आर. पी. एस. है। इसका कारण यह रहा है कि जनजाति उपयोजना क्षेत्र में रहने वाले लोग अभी तक आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े होने के साथ मानसिक स्तर से भी कमजोर है।

इसलिये कई लिखित परीक्षाओं में उत्तीर्ण करने के बाद भी उनका चयन नहीं हो पाता है क्योंकि एक आई. ए. एस., आई. पी. एस., आर. ए. एस. या आर. पी. एस. के लड़के को आर. ए. एस. या आर. पी. एस. करने में इतनी कठिनाई नहीं होती जितनी उन व्यक्तियों के लड़कों को, जिनके माता-पिता सड़क पर या खेत

(श्री दयाराम परमार)

में काम करके अपना पेट भरते हैं और इसलिये जनजाति उपयोजना में रहने वाले व्यक्तियों का चयन नहीं हो पाता है क्योंकि उपयोजना क्षेत्र में रहने वाले जनजाति समुदाय के लोग अधिकतर अपना गुजारा खेती या सड़क पर कार्य करके करते हैं, जिससे एक क्षेत्र विशेष के लोगों को आरक्षण लाभ मिलता रहा है।

इसलिये मैं राज्य सरकार से यह मांग करता हूं कि राजस्थान प्रशासनिक एवं पुलिस सेवाओं में जनजाति समुदाय के जो 12.44 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है उसमें से जितने प्रतिशत जनसंख्या जनजाति उपयोजना क्षेत्र में रहती है, उतने ही प्रतिशत आरक्षण उनके लिये अलग करने का प्रावधान किया जाये, ताकि जनजाति उपयोजना में रहने वाले लोगों को राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में आने का अवसर मिल सके जिससे आरक्षण देने की सरकार की जो मंशा है, वह पूरी हो सके, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामपाल उपाध्याय।

भीलवाड़ा जिले की रायपुर तहसील की जलदाय योजनाओं की समुचित व्यवस्था

श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत भीलवाड़ा जिले की रायपुर तहसील की विभिन्न जलदाय योजनाओं की असफलताओं अनुपयोगिता और आने वाले ग्रीष्मकाल में उत्पन्न होने वाली भयंकर कठिनाइयों की ओर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

रायपुर कस्बे की जलदाय योजना का पुनर्गठन 1989 में किया गया और एक कार्य 25 लाख के लगभग राशि का स्वीकृत होकर प्रारम्भ हुआ। लड़की बांध के नीचे कुआ बनवाने का कार्य पूरा किया गया। जगह-जगह पम्प स्टेशन बने, एकाध क्वार्टर बनवाये गये। टंकी पूरी की गयी। कुएं से टंकी तक नयी पाइप लाइन डाली गयी तथा तत्कालीन मुख्य मंत्री व जलदाय मंत्री द्वारा उद्घाटन की रस्म पूरी हुई। परन्तु खेद है कि इस योजना, पुनर्गठित योजना से सम्बन्धित लोगों को एक बूंद भी पानी नहीं मिल पा रहा है जो एक गम्भीर समस्या व अपराध प्रवृत्ति का द्योतक है क्योंकि इतनी बड़ी राशि खर्च करने पर भी पानी नहीं मिल पाना, लोगों के सामने ज्वलन्त समस्या बनना स्वाभाविक है, जिस पर गम्भीरता से विचार किया जाना आवश्यक है।

इसी तहसील की आशावली ग्राम की जलदाय योजना लगभग 10 लाख रुपये की आठ–नौ वर्ष पूर्व स्वीकृत हुई, जिसके तहत विभाग ने कुआ खुदवाया, बिजली लगवायी, आधी–अधूरी पाइप लाइन डलवाई परन्तु इस योजना से आज दिन तक ग्रामीण जनता को एक बूंद भी पानी उपलब्ध नहीं हो पाया है जो एक गम्भीर विचारणीय विषय है।

इसी तहसील के बूर्यापुरा ग्राम की जलदाय योजना लम्बे समय से चालू है परन्तु इस पर टंकी नहीं बनायी गयी है। चूंकि यह क्षेत्र माइकायुक्त है, इससे पानी

(श्री रामपाल उपाध्याय)

में माइका के अनेक छोटे-छोटे कण प्रायः उपलब्ध होते रहते हैं, जो लोगों में अनेक बीमारियों के जनक हैं। अतः इसका ट्रीटमेंट प्लांट, पेयजल के लिये नये कुए की स्वीकृति तथा टंकी निर्माण और पाइप लाइन के विस्तार की भी आवश्यकता है।

अतः पुरजोर शब्दों में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाकर अनुरोध है कि उक्त योजनाओं की समुचित व्यवस्था तुरन्त प्रभाव से करने की व्यवस्था करें।

श्री सभापति : याचिका का उपस्थापन। श्री गोपीराम जाट, सदस्य, विधान सभा एक याचिका का उपस्थापन करेंगे। (अनुपस्थित)

प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्री रामेश्वर भारद्वाज एवं श्री कालीचरण सराफ, सदस्य, विधान सभा जयपुर शहर में उत्पन्न पेयजल संकट के सम्बन्ध में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

जयपुर शहर में पेयजल संकट

श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत जयपुर शहर में उत्पन्न पेयजल संकट के सम्बन्ध में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : सभापति महोदय, जयपुर शहर की वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 14.58 लाख है, वर्तमान में यह जनसंख्या लगभग 17.50 लाख अनुमानित है। जयपुर शहर का विस्तार तेजी से होने के कारण कई बाहरी बस्तियां सामान्य जल योजना से नहीं जुड़ पायी हैं। इस प्रकार से क्षेत्र, विभिन्न गृह निर्माण सहकारी समितियां एवं स्थानीय संस्थाओं द्वारा संचालित पेयजल व्यवस्था पर निर्भर हैं। इस प्रकार की बस्तियों में जो विभागीय योजना से जुड़ी हुई नहीं हैं, लगभग चार लाख व्यक्ति निवास करते हैं। इस प्रकार विभागीय व्यवस्था से लाभान्वित आबादी लगभग 13.50 लाख है। वर्तमान में जयपुर शहर को लगभग 2,200 लाख लीटर पानी प्रतिदिन वितरित किया जा रहा है, जिसमें से 110 लाख लीटर रामगढ़ क्षेत्र से एवं शेष 2100 लाख लीटर नलकूपों अथवा कुओं से प्राप्त किया जा रहा है। इस प्रकार जो आबादी विभागीय जल वितरण व्यवस्था पर निर्भर है, वहां औसतन 163 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जा रहा है। रामगढ़ बांध में पानी की कमी को देखते हुए आपातकालीन समाधान के रूप में नये नलकूपों को बनाने का काम भी हाथ में लिया गया है। इस योजना की अनुमानित लागत 378 लाख रुपये है एवं इसके तहत मुख्यतः 57 नये नलकूप बनाकर 180 लाख लीटर पानी प्रतिदिन उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इन 57 में से 33 नलकूप बन चुके हैं एवं उन्हें चालू कर अतिरिक्त पानी उप-

(श्री भंवरलाल शर्मा)

लब्ध कराने का कार्य प्रगति पर है। नये नलकूपों से 45 लाख लीटर पानी प्रतिदिन मिलने लग गया है एवं 15 मई तक सभी नलकूप चालू कर 180 लाख लीटर पानी प्रतिदिन की व्यवस्था हो जायेगी। जिन गृह निर्माण बस्तियों में जल व्यवस्था नहीं है, उनके लिये सहभागिता की योजना तैयार की गयी है, जिसके तहत 30 प्रतिशत राशि समिति द्वारा जमा करायी जाने पर 20 प्रतिशत राशि नगर निगम, जयपुर अथवा जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तथा शेष 50 प्रतिशत राशि विभाग द्वारा वहन की जाकर जल व्यवस्था किये जाने का प्रावधान किया गया है। दीर्घकालीन समाधान हुआ है एक रूप में, बीसलपुर बांध को स्रोत दिया जाकर प्रारम्भिक योजना की अनुमानित राशि 612 करोड़ रुपये का एक प्रारूप भारत सरकार के उपक्रम वैपकोस से बनाया गया है। योजना हेतु आवश्यक धनराशि प्राप्त करने हेतु विश्व बैंक से विचार विमर्श किया जा रहा है। योजना की सम्भावतया रिपोर्ट तय करने हेतु विशेष सलाहकारों की नियुक्ति की जानी है। इसे विश्व बैंक से सहायता की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

जयपुर शहर में सीवरेज व्यवस्था भी आंशिक रूप से उपलब्ध है यद्यपि चारदीवारी के भीतर क्षेत्र में यह अधिकांश भागों में उपलब्ध है परन्तु बाहरी क्षेत्र की कुछ ही कालोनियों में अभी सीवरेज की व्यवस्था है। वर्तमान में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर नगर निगम और राजस्थान आवासन मण्डल इत्यादि मिलकर जयपुर नगर की पर्याप्त सीवरेज व्यवस्था के विस्तार हेतु प्रयत्नशील हैं इससे प्रदूषण की व्यवस्था नियंत्रित होगी।

श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल) : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो उत्तर दिया, बीसलपुर बांध से पानी लाने की योजना का केवल एक कागजी खाका उन्होंने प्रस्तुत किया है। इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई, ऐसा इसमें कही भी नहीं है। और अभी भी विश्व बैंक से या किसी और एजेंसी से बात करने की जो बात कही है, मैं समझता हूं पानी की स्थायी व्यवस्था जयपुर शहर में नहीं हुई तो इसका सारा का सारा दोष सरकार का होगा इसलिए इसको किस रूप में शीघ्र से शीघ्र ला सकते हैं, ऐसा मेरा प्रश्न है।

दूसरा मेरा सुझाव है इसे तुरन्त किसी रूप में पानी देने योग्य शीघ्र से शीघ्र बनाया जाये। तुरन्त इस समय पानी उपलब्ध कराने की क्या व्यवस्था करेंगे जब कि शहर में प्रतिदिन ऐसी समस्याएं सामने आ रही हैं? कहीं न कहीं आन्दोलन, किसी बस्ती में बन्द, किसी में कुछ और प्रतिदिन समाचार पत्रों में भी यह समाचार छपता है।

तीसरा मेरा प्रश्न यह है कि जिन कालोनियों में पेयजल की व्यवस्था नहीं है उनके सम्बन्ध में माननीय मंत्रीजी ने जो उत्तर दिया है, 30 प्रतिशत सहभागिता के आधार पर इस सम्बन्ध में भी ठोस निर्णय क्या है, कौनसे काउण्टर पर जाकर बस्ती के लोग पैसा जमा करायेंगे और राज्य सरकार ने

(श्री रामेश्वर भारद्वाज)

इसके लिए क्या प्रबन्ध किये हैं और इसके लिए क्या प्रत्येक बस्ती में इस बात की जानकारी कर दी गयी है कि सरकार ने यह योजना बना ली है और आप इसके लिये किसी प्रकार की योजना के आधार पर पैसा जमा कराएं और किस को जमा करायेंगे, ऐसा भी इसमें कहीं कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। यह भी स्पष्ट करें।

इसके साथ-साथ चारदीवारी में जो गंदा पानी सीवरेज लाइन के साथ आ रहा है उसकी एक योजना बनी थी 22 लाख रुपये की कि इसकी पुरानी पाइप लाइनों को बदला जायेगा, इसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई? इसका भी उत्तर मुझे, माननीय मंत्रीजी देंगे इस सम्बन्ध में।

शास्त्री नगर में जो कच्ची बस्तियां हैं जहां पाइप लाइन डाली नहीं जा सकती, यह भी एक योजना बनायी थी कि वहां टैंक बना कर उसमें अनेक नलकी लगा कर पानी उपलब्ध कराया जायेगा, इसके सम्बन्ध में 21 लाख रुपये की योजना का क्या हुआ? इस सम्बन्ध में भी थोड़ा बताने की कृपा करेंगे।

अधिकांश हैण्डपम्प जयपुर शहर में खराब हैं, इनको कब तक ठीक कर दिया जायेगा? और जो ऐसे हैण्डपम्प हैं, जो ठीक नहीं हो सकते, क्या उनके स्थान पर नये हैण्डपम्प लगाये जायेंगे? अभी-अभी यह जो जोन की व्यवस्था की है उसकी मीटिंग में जयपुर शहर में 200 हैण्डपम्प देना स्वीकृत किया है, उसके सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही हुई है? यह भी मेरा प्रश्न है, इसको भी स्पष्ट करें।

जिन बस्तियों में पानी की लाइन नहीं है और अधिकृत बस्तियां हैं उनमें भी पानी की पाइप लाइन जहां थोड़े-थोड़े टुकड़ों में शेष हैं, उसे शीघ्र डालने की क्या कार्यवाही विभाग करेगा?

एक मूल बात मेरी यह थी कि अनेक बस्तियों में पानी नहीं देने की कोई योजना है क्या विभाग की? पानी उपलब्ध है, सप्लाई का समय भी निश्चित है और अधिकांश ऐसे पम्पों पर बिजली की व्यवस्था भी अलग से हो गयी है, तो क्या यह अधिकारियों ने जान-बूझकर ऐसी कोई व्यवस्था कर रखी है कि कोई न कोई प्रतिदिन समस्या खड़ी हो। क्या अधिकारियों की भी जिम्मेदारी ठहरायेंगे? जिनके क्षेत्र में यह समस्या रोज आकर खड़ी होती है क्या उनकी जिम्मेदारी ठहरायेंगे? एक बस्ती में आज पानी दिया, तो हम फोन करते हैं तो उत्तर मिलता है कि कल ठीक कर देंगे या शाम को ठीक कर देंगे, क्या उनको योजना का मालूम है कि इसलिए पानी नहीं आया था? तो क्या माननीय मंत्रीजी अधिकारियों की कोई जिम्मेदारी निश्चित करेंगे और यदि ऐसी कोई गलती पायी गयी तो उनकी जांच करायेंगे? ऐसी मेरी कुछ समस्याएं हैं, माननीय मंत्रीजी इनका समाधान करें।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है उसमें ऐसा माना है कि 185 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी का जो मापदण्ड है उसके हिसाब से 3288 लीटर पानी प्रतिदिन जयपुर शहर को चाहिये परन्तु आज जो

Page No. 92

(92)

(श्री कालीचरण सराफ)

वर्तमान की व्यवस्था है उसके हिसाब से 2200 लाख लीटर पानी की सप्लाई 571 ट्यूबवैल के माध्यम से जलदाय विभाग कर रहा है और 110 लाख लीटर पानी अभी रामगढ़ बंधे से सप्लाई किया जा रहा है। परन्तु आज कलक्टर का एक वक्तव्य अखबारों में छपा है, उन्होंने कहा है कि 30 अप्रेल तक रामगढ़ बंधे से जो पानी सप्लाई किया जा रहा है 110 लाख लीटर, वह बन्द कर दिया जायेगा क्योंकि उसका जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। इसका मतलब यह हुआ कि 30 अप्रेल के बाद जयपुर शहर को केवल 2100 लाख लीटर पानी की सप्लाई की जायेगी जबकि मानदण्ड के अनुसार आवश्यकता है 3288 लाख लीटर की। 60 प्रतिशत पानी मात्र हम देने में सफल हो रहे हैं।

मंत्रीजी ने कहा कि 17.50 लाख की जनसंख्या अभी जयपुर शहर की है, वैसे यदि नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या देखी जाये तो लगभग 23 लाख की जनसंख्या है परन्तु मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। आज जो स्थिति है जयपुर शहर में 1.75 लाख कनेक्शंस जलदाय विभाग ने दे रखे हैं और 25,000 कनेक्शंस लोगों ने इल्लीगल रूप से ले रखे हैं, इस हिसाब से केवल 10 लाख लोगों को हम पानी सप्लाई करते हैं 23 लाख में से। आज जो कृषि भूमि पर बनी कालोनियां हैं उनमें पानी की सप्लाई की कोई व्यवस्था जलदाय विभाग की तरफ से नहीं, आज जो जयपुर शहर में कच्ची बस्तियां हैं उनको पानी की सप्लाई की कोई व्यवस्था जलदाय विभाग की ओर से नहीं और आज जो स्थिति है, 571 ट्यूबवैल के माध्यम से हम जयपुर शहर को पानी सप्लाई कर रहे हैं और एक सर्वेक्षण के अनुसार जलदाय विभाग की यह रिपोर्ट है कि हर साल एक मीटर पानी नलकूपों का नीचे चला जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि कब तक इन ट्यूबवैल्स के माध्यम से आप जयपुर की जनता को पानी सप्लाई कर के जयपुर की जनता को जिन्दा रखेंगे ?

माननीय सभापति महोदय, 1982 में बीसलपुर योजना की जब शुरूआत हुई थी तो हमने यह मांग की थी कि प्रथम चरण में जयपुर शहर को इसमें शामिल किया जाये परन्तु राजनीतिक आधार पर, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, उसने कहा कि जयपुर शहर को प्रथम चरण में शामिल नहीं किया जायेगा, अजमेर, नसीराबाद, ब्यावर को पहले चरण में शामिल किया जायेगा। बात भी सही है, अजमेर में पानी की ज्यादा किल्लत थी, नसीराबाद में किल्लत थी, ब्यावर में किल्लत थी, उनको पानी की सप्लाई पहले चरण में दी, कोई बात नहीं हमने संतोष कर लिया, परन्तु उस समय यह कहा गया था कि बीसलपुर योजना का प्रथम चरण 1992 में पूरा हो जायेगा और आज 1995 हो गया, आज तक वह पहला चरण भी पूरा नहीं हुआ। पिछले 8 साल से लगातार, मैं जब से विधायक बना हूं हर वर्ष बजट सत्र में पेयजल समस्या के बारे में यहां पूछता हूं और एक ही जवाब मिलता है, बीसलपुर योजना पर कार्य प्रगति पर है, विश्व बैंक से विचार विमर्श चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, सभापति महोदय, आज तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पांचों विधायक

(श्री कालीचरण सराफ)

जयपुर शहर से जीते हैं और कोई एक-एक, दो-दो हजार से नहीं, हर विधायक 20-20, 25-25 हजार वोटों से जीता है और जलदाय मंत्री भी हमारे जयपुर शहर के हैं, आप कब तक जयपुर की जनता को धोखे में रखना चाहते हैं ? ... (व्यवधान) .. आज जो स्थिति है जयपुर शहर की, माफ करना, माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से यदि नलकूपों के माध्यम से जयपुर शहर की जनता को पानी वितरित किया जायेगा तो दो-तीन साल में जयपुर शहर में पानी के लिए युद्ध छिड़ जायेगा। आज उसके लिए कोई व्यवस्था गम्भीर रूप से करनी होगी, कल यह कहने से काम नहीं चलेगा कि बीसलपुर योजना से पानी लाने का प्रयास किया जा रहा है, मामला विचाराधीन है, विश्व बैंक से इसके बारे में विचार-विमर्श चल रहा है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा इसके बारे में गम्भीरता से विचार करें और बीसलपुर योजना, जो 612 करोड़ की योजना है, उसके लिये सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि यहां जयपुर शहर में नगर निगम क्षेत्र में वाटर सप्लाई कारपोरेशन का गठन करें और उसको पूरे अधिकार दें और यह कोई आवश्यक नहीं कि विश्व बैंक से ही हमें मिले और ऋण नहीं मिले तो हम कोई काम ही नहीं करेंगे। आज हिन्दुस्तान में कई इस प्रकार की लीजिंग और फाइनेंशियल एजेन्सियां हैं जिनके माध्यम से हम ऋण ले सकते हैं। आप वाटर सप्लाई कारपोरेशन का गठन करिये, उसको पूरे अधिकार दीजिये। विश्व बैंक यदि पैसे देता है तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है पर यदि विश्व बैंक पैसे नहीं देता है तो जयपुर की जनता को प्यासा नहीं मारा जा सकता। इसके लिये आवश्यक है कि अन्य जो इस प्रकार की वित्तीय संस्थाएं हैं उनसे हम जयपुर शहर को पानी की सप्लाइ के लिए ऋण लें और यह योजना जल्दी से जल्दी चालू करें। क्योंकि यदि यह योजना आज प्रारम्भ होगी तो उसके बाद भी छह-सात साल इसको पूरा होने में लगेंगे। आप यदि इसी प्रकार से पानी नलकूप के माध्यम से देते जायेंगे तो जैसे-जैसे पानी का जल स्तर नीचे जा रहा है, फ्लोराइडयुक्त पानी मिलता जा रहा है। यह स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है।

माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से इसके बारे में माननीय मंत्रीजी गम्भीरता से सोचेंगे और मुकम्मल जवाब, कोई इस प्रकार का आश्वासन जयपुर शहर को देंगे। बीसलपुर योजना कौनसी तारीख से प्रारम्भ की जा रही है और कब वह समाप्त होगी। केवल यह कहना कि विश्व बैंक से विचार-विमर्श चल रहा है, बीसलपुर योजना का कार्य प्रगति पर है। क्या प्रगति पर है ? क्या काम चल रहा है ? जयपुर की जनता बहुत चिन्तित है और हम इस क्षेत्र के विधायक हैं, निश्चित रूप से हमें इसकी चिन्ता है।

आज यह स्थिति हो गयी जयपुर शहर की, जब से यह गर्मी प्रारम्भ हुई है आप आये दिन अखबारों में पढ़ते होंगे, आज फलांनी बस्ती के लोगों ने रास्ता रोका, आज फलांनी जगह पानी की अव्यवस्था। आखिर इसका कहीं न कहीं, कोई न कोई निराकरण तो हमें करना पड़ेगा। अब

(श्री कालीचरण सराफ)

माननीय मंत्रीजी ने पिछली बार सदन में घोषणा की थी कि कच्ची बस्ती में रहने वाले जितने भी कनेक्शन चाहेंगे, हम उनको फ्लेट रेट पर 48 रुपये में कनेक्शन देंगे। लोगों ने एप्लाई भी कर दिया। जवाहर नगर कच्ची बस्ती, जिसका समाचार परसों छपा था, लगभग 3700 लोगों ने वहां पर कनेक्शन के लिए एप्लाई किया। 900 लोगों को उसमें से कनेक्शन दे दिया और उसके बाद अचानक अक्टूबर में क्या पता अधिकारियों ने क्या सोचकर के 48 रुपये को सीधा 600 रुपये कर दिया। 600 रु. अमानत राशि कर दी। 48 रुपये की जगह मान लीजिये यदि खर्चा बढ़ता है, 80 कर देते, 90 कर देते, 100 कर देते, समझ में आ सकता था पर 48 रुपये की राशि फ्लेट रेट माननीय मंत्रीजी गये थे, जवाहर नगर में उद्घाटन किया। नल चालू किया ...

श्री सभापति : माननीय कृपया बिराजें।

मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित हो गया।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय दो मिनट। (व्यवधान) नहीं, दो मिनट बात सुन लीजिये। आज स्थिति क्या है? 48 रुपये में कनेक्शन दिया जायेगा फ्लेट रेट पर, लोगों ने एप्लाई कर दिया और आज उसको अचानक 600 रुपये कर दिया रेट में, क्या कारण रहे? मैं मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि कच्ची बस्तियों में गरीब जनता रहती है। उनके लिये दोनों समय का भोजन करना भी दुश्वार है और उनके लिए 48 रुपये से सीधे 600 रुपये कर दिये और आज उसका परिणाम क्या हो रहा है? जयपुर शहर में लगभग 25 हजार कनेक्शन इस प्रकार से इल्लीगल लिये गए हैं। अखबारों में आपने पढ़ा होगा उससे दूषित जल उनको सप्लाई हो रहा है। पीलिया फैल रहा है। एमीबाइसिस की बीमारी फैल रही है। मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहूंगा, मानवीय आधार पर जो आपने अभी घोषणा की, अपनी घोषणा पर कायम रह कर जो 48 रुपये फ्लेट रेट में कच्ची बस्ती के लोगों को कनेक्शन देने की बात आपने कही थी इस सदन में, उस पर आप कायम रहें और जो 600 रुपये का आदेश है, उसको वापस लिया जाये। इसकी भी घोषणा आप यहां पर करें।

आपने कृषि भूमि पर बने मकानों में 30 पर्सेण्ट, 20 पर्सेण्ट और 50 पर्सेण्ट की योजना....(व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : यह 600 रुपये किस बात के लिये? एक महीने का खर्चा है? क्या ले रहे हैं यह?

श्री कालीचरण सराफ : क्या चीज?

श्री शिवनाथ सिंह : 600 रुपये की आपने बात कही और 600 रुपये (व्यवधान) मिस-गाइड मत कीजिये। 48 रुपये में एक महीने का खर्चा लेने के लिए फ्लेट रेट की बात कही थी....

श्री कालीचरण सराफ : एक महीने की बात नहीं है।

श्री शिवनाथ सिंह : आप 600 रुपये की बात कहते हो तो 600 रुपये उसके इन्स्टालेशन चार्जेज के हैं या एक महीने का खर्चा है? यह बताइये आप।

श्री कालीचरण सराफ : अमानत राशि हैं। इसी प्रकार से कृषि भूमि के बारे में मंत्रीजी ने कहा कि 30 पर्सेण्ट कृषि भूमि पर जो कॉलोनीज हैं, उनके लोग दे दें। बाकी 20 पर्सेण्ट नगर निगम देगी। 50 पर्सेण्ट जलदाय विभाग देगा। इसके बारे में क्या रूपरेखा तैयार है? जयपुर शहर की कृषि भूमि पर 1186 कॉलोनीज हैं। इसके बारे में कितना टोटल आपने हर बस्ती का क्या कोई एस्टीमेट बनाया है? उसकी क्या योजना बन गयी? यह अब कब से प्रारम्भ करेंगे? कब तक इसको पूरा करेंगे? इस बारे में माननीय मंत्रीजी बतायें।

एक बात मैं और कहना चाहूंगा जयपुर शहर के आस-पास नगर निगम क्षेत्र में कई गांव हैं जहां आज भी यह स्थिति है कि दो-दो, तीन-तीन किलोमीटर से उनको पानी लाना पड़ता है। वहां पर पानी की सप्लाई लाइनें नहीं हैं। उसके बारे में मंत्रीजी क्या सोच रहे हैं? पिछली बार मैंने इस सदन में यह कहा था – खो-नागोरियान, घाटी करोलान, गैटोर, झालान गांव, मैंने मंत्री जी को कहा था कि यहां पर टंकियां बना कर वहीं पर पानी की सप्लाई का सिस्टम बनाया जाना चाहिये। इस बारे में राज्य सरकार क्या सोचती है?

आज कई इस प्रकार के इलाके हैं जहां पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। केवल हैण्डपम्प के आधार पर वहां की जनता जीवित है। आज जयपुर में 1300 से ऊपर हैण्ड पम्प लगे हुए हैं और 30 पर्सेण्ट हैण्ड पम्प उनमें खराब हैं और 89 हैण्ड पम्प तो बिलकुल बेकार हो गये। मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि जो 30 पर्सेण्ट हैण्ड पम्प आपके जिलाधीश महोदय ने स्वीकार किये, आज अखबार में जो स्टेटमेंट है, वह कब तक ठीक हो जायेंगे और जो अभी चार-पांच दिन पहले विधान सभा कक्ष में माननीय ललित जी, जो प्रभारी हैं, उन्होंने मीटिंग ली थी अधिकारियों की, उस समय यह कहा था कि 200 हैण्ड पम्प और हम जयपुर शहर मे इन गर्मियों में लगायेंगे। वह 200 हैण्ड पम्प, 15 मई की तारीख उन्होंने दी थी, पर अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है....

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय।

श्री कालीचरण सराफ : वह कब तक लगायेंगे। इस बारे में भी माननीय मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे। एक बात और मैं निवेदन करना चाहूंगा....

श्रीमती उजला अरोड़ा : जयपुर का मामला है, मैं भी दो-तीन प्रश्न कर लूं.... (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : एक बात मैं और कहना चाहूंगा। पानी की कमी है, परन्तु आज जयपुर शहर में कम से कम इस प्रकार के हजारों पाइण्ठ होंगे जहां पानी का लीकेज हो रहा है। इस बारे से हम बार-बार जो सम्बन्धित अधिकारी हैं, उनको सूचना भी देते हैं परन्तु लीकेज को.... (व्यवधान) इसके बारे में मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे। मैंने पांच-सात सजेशन दिये हैं, उनके बारे में जानकारी दें।

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा।

एक माननीय सदस्य : (व्यवधान) उस एरियां में पानी दिया जाये। अगर यहां

96

(एक माननीय सदस्य)

जयपुर को पानी चाहिये पीने के लिये तो ईसरदा बांध बनाकर लिया जाये। वहां खर्चा करेगी सरकार तो वहां से पानी मिल सकता है।

श्री सभापति : कृपया बिराजें।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : मान्यवर, मंत्री महोदय ने बताया कि 57 नलकूपों में नये सिरे से खोद कर इस बार पानी दिये जाने की योजना है। जिसमें से 53 बन चुके हैं, सप्लाई जारी हो गयी है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी अगर वह सप्लाई जारी हो गयी है तो उससे कोई ऐसा लगता नहीं है कि बूंद भर भी सहयोग मिला हो और यह चार और भी बन जायेंगे तो पूरा सहयोग मिल जायेगा। ऐसी सम्भावना मुझे नहीं लगती। मंत्री महोदय ने कोई एक्शन प्लान बनाया हो या नगर को पानी दिये जाने की कोई और सुचारू व्यवस्था सोची हो, तो कृपया बतायें। साथ ही यह भी बतायें कि कानोता बांध को जयपुर में पेयजल से जोड़े जाने के बारे में कार्य किया गया था तो कानोता बांध के बारे में आप यह बतायें कि उसको पेयजल से जोड़ने की योजना गयी या अभी नहीं गयी।

मैं यह भी पूछना चाहूंगी कि जमवा रामगढ़ बांध, जो इस समय केवल 30 तारीख तक जल दे पायेगा उसके रास्ते में जो जल संग्रहण क्षेत्र है, वहां पर जो अतिक्रमण हैं। आगे आने वाले दिनों में, अगले साल में पानी पूरा हमको मिल सके, क्या उन अतिक्रमणों को हटाने की आपकी कोई योजना है ? मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि गये साल आपने जयपुर नगर को मेरे निर्वाचन क्षेत्र में और सबको बीस-बीस हैण्ड पम्प दिये थे उनमें से आपकी मशीन के अभाव के कारण आठ जयपुर में नहीं लग पाये, आठ गांवों में नहीं लग पाये तो यह किस प्रकार से काम चलेगा ? और इस साल आपने कोई घोषणा नहीं की। हैण्ड पम्प खराब हो गये। जिस जगह पानी देने की सरकार की अनिवार्यता है कि वह पानी देगी, 61 हैण्ड पम्प मेरे निर्वाचन क्षेत्र के गांवों में खराब हैं। क्या वहां पर आप उतने हैण्ड पम्प लगाकर और जहां पर नहीं है क्या वहां पर पानी देने के बारे में हमें आश्वास्त करेंगे।

माननीय मंत्री महोदय, यह बतायें कि कृषि भूमि में बहुत सी योजनाएं विभाग से जुड़ी हुई नहीं हैं। यह मेरा निवेदन है अगर पैसे की बात है तो 1144 बस्तियां हैं, उसमें से कुल मिला कर 135 पर अभी निर्णय लिया गया है, वहां कैम्प लगाये गये हैं। आप त्वरितता से इन सारी बस्तियों से अगर विकास की राशि ले लें तो आपको पैसे की कोई कमी रहने वाली नहीं है। हम तो इस तरह परेशान हैं, शाम को जब घर पर पहुंचते हैं तो बीसियों फोन आये हुए होते हैं कि सप्लाई का टाइम निकल जाने पर भी परसों पानी नहीं आया, कल पानी नहीं आया। इस परेशानी को किस प्रकार से सुलझायें। मंत्री महोदय बतायें हमें। हम तो इस आशा में खड़े हैं पता नहीं कब नानी रांदेगी और कब पोते खायेंगे, कुछ समझ में नही आता।

श्री सभापति : श्री राजपाल सिंह।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (बनीपार्क): माननीय सभापति महोदय, जितनी भी कई सालों से योजनाएं बन रही हैं.... (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें। पीने के पानी की बात है। थोड़ा शांति रखें।

श्री रतनलाल ताम्बी : हमको भी समय देना।

श्री सभापति : यह केवल जयपुर शहर का मामला है।

श्री रतनलाल ताम्बी : राजस्थान में भी जनता प्यासी है। उसकी बात भी करना चाहते हैं।

श्री बनवारीलाल बैरवा : उसके लिये हम नहीं बोलेंगे, हम अपनी बात नहीं रखेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है ? हमारा तो गला ही कट रहा है।

श्री सभापति : श्रीं राजपाल सिंह।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : माननीय सभापति महोदय, जयपुर के लिए जितनी भी योजनाएं अभी बन रही हैं या जितने भी नलकूप खोदे जाने की व्यवस्था या कोई और व्यवस्था की जा रही है, मोटे रूप से वे सारी व्यवस्थाएं इस बिन्दु पर केन्द्रित हैं कि जिन लोगों को पी.एच.ई.डी. जयपुर में पानी दे रहा है उनको मिलने वाला पानी लगातार कम हो रहा है और मिलने की सम्भावना भी कम हो रही है। जलदाय विभाग की जिम्मेदारी जयपुर की सारी जनता को जल पहुंचाने की है और पी.एच.ई.डी. की कोई सोच ही अभी तक नहीं बन पायी कि वह लोग जो अभी पी. एच.ई.डी. के कनेक्शन से दूर हैं उनको भी पानी देने की कोई जरूरत है।

पी.एच.ई.डी. तो अभी तक अपने एग्जिस्टेंट कन्ज्यूमर्स को पानी देने के मामले में स्ट्रगल कर रहा है। रामसिंह जी ने जयपुर को पानी देने के लिए रामगढ़ बांध बनाया और उसके बाद में जयपुर को पानी देने की समस्या या पानी देने की सहूलियत के लिए किसी भी सरकार ने कोई भी कारगर कार्यवाही नहीं की। बीसलपुर के नाम की बड़ी भारी बात हुई, उसकी चर्चा मैं अभी नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि वह रामगढ़ के बन्धे के द्वारा भी पानी नहीं दे पा रहे हैं। अब रामगढ़ के बन्धे के अन्दर पानी नहीं दे पायेंगे इसकी कमी की योजनाएं जरूर बनती रही हैं। लेकिन जो जयपुर की जनता को आप पानी नहीं दे पा रहे हैं उसको किस रूप में दिया जाये ? न तो उसकी कोई सोच बनी है और जब सोच ही नहीं बनी है तो योजना बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता।

श्री सभापति : आप तो स्पेसिफिक सवाल करें। यह जानकारी मंत्री महोदय को सारी है। आप सवाल करें।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : सभापति महोदय, मैं स्पेसिफिक सवाल पूछूंगा, अगर स्पेसिफिक जवाब आप मुझे दिलाने का वायदा करें। इस बात का मैं आसन से प्रोटेक्शन मांगूंगा।

पहला सवाल तो यह है, सभापति महोदय, कि 1947 में जब हिन्दुस्तान

Page No. 98

(१०८)

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

आजाद हुआ तो जयपुर के अन्दर जयपुर के म्युनिसिपल बोर्ड की लिमिट में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पानी की सुविधा मुहैया थी सौ प्रतिशत। आज पी.एच.ई.डी. पचास प्रतिशत से भी कम लोगों को पानी दे रहा है। तो यह जो सेवा 1947 से लेकर 1995 तक लगातार हमारी कम होती गयी, आधी रह गयी है। तो यह सेवाएं बढ़ाने के लिए पी.एच.ई.डी. है या सेवाएं घटाने के लिए पी.एच.ई.डी. है। इसके बारे में बतायें कि जयपुर जब मिला हमको विरासत में तो सौ के सौ लोगों को हम पानी मुहैया करा पा रहे थे और आज 1995 में सौ आदमियों में से पचास आदमियों को हम पानी मुहैया करा पा रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : उस वक्त जनसंख्या क्या थी जयपुर की ?

श्री सभापति : कृपया बैठे-बैठे न बोलें।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : सवाल जनसंख्या का नहीं है। सभापति महोदय, दूसरा मेरा स्पेसिफिक सवाल है कि आपकी एग्जिस्टेंट पी.एच.ई.डी. का जो सिस्टम है उसको स्ट्रेंथेन करने के लिए या उसको बिलकुल अपडेट रखने के लिए या उसकी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे कानून व्यवस्था की बड़ी तकलीफ होने वाली है जयपुर शहर के अन्दर।

इस महीने में करीब चार-पांच हजार व्यक्ति मेरे से सिर्फ इस बात के लिए मिले हैं कि रामगढ़ के अन्दर पच्चीस लाख गैलन पानी जो हमको मिलता है वह 30 तारीख को बन्द हो जायेगा। यह आपको जानकारी पहले से थी। अब यह पच्चीस लाख गैलन पानी आपको कैसे मिले इसके लिए आप चले गये बनीपार्क विधान सभा क्षेत्र के अन्दर। इस साल आपने 57 नलकूप खोदे हैं और सत्तर प्रतिशत नलकूप बनीपार्क विधान सभा क्षेत्र में खोदे हैं। जिस कालोनी में आपने यह नलकूप खोदे हैं, उन लोगों को पानी के लिए आपने कह रखा है कि नहीं, पानी नहीं देंगे। वहां उनका पानी, उनकी आंखों के सामने पैदा होगा, उनकी आंखों के सामने ब्रह्मपुरी में जायेगा तो वह नहीं मान सकते। वह इसको स्वीकार नहीं कर सकते। यह पानी की समस्या पानी की समस्या नहीं रहेगी, माननीय सभापति महोदय, यह पानी की समस्या जयपुर शहर के अन्दर इस बार लॉ एण्ड आर्डर की समस्या के रूप में सामने आयेगी। इस महीने के अन्दर चार-पांच हजार आदमी मेरे सामने आ चुके हैं।

पानी के लिए आप रेगुलर इर्रेगुलर का सवाल कैसे कर सकते हैं ? पानी मेरा, ले जायेंगे आप। पहली चीज तो मैं यह कहना चाहूंगा कि रामगढ़ के बन्धे के अन्दर पानी की जो कमी आयी है वह कमी जयपुर की है। जयपुर के लोगों को उसको पूरी करनी है यह बात सही है। लेकिन जयपुर के जिस इलाके से पानी की कमी की पूर्ति हम करेंगे उसको तो हम एक सूत पानी नहीं देंगे एक बूंद पानी नहीं देंगे, रेगुलर, इर्रेगुलर की बात करेंगे तो लोग भी यह बात करेंगे कि पानी मेरा है किसी और को मैं पानी नहीं दूंगा।

आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

इतना ही एश्योरेंस चाहूंगा कि पानी जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं और जिसको आप डेफिसिट को कंपनसेट करने के लिए ले जाना चाहते हैं, ले जायें, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। लेकिन जो सरप्लस पानी है। अब चालीस लाख गैलन पानी आप यहां से प्रोड्यूस करेंगे। पच्चीस लाख के रामगढ़ के पानी के डेफिसिट को मीट-आउट करेंगे, पन्द्रह लाख गैलन पानी को आप कहां देना चाहते हैं? वह भी उनके हाथ से आप छीनना चाहते हैं और पन्द्रह लाख गैलन का पानी भी हाथ से छीनना चाहते हैं। जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी और आपको पानी छीनने नहीं देगी और जयपुर की सड़कों पर पानी के लिए लड़ाई होगी। आप चाहते हैं कि जयपुर की सड़कों पर पानी के लिए लड़ाई हो तो बात दूसरी है। वरना, माननीय सभापति महोदय, इस पिंक सिटी को अगर डेजर्ट सिटी बनाने से बचाना है और इस पिंक सिटी को जयपुर की त्राहि-त्राहि से बचाना है, इन पिंक सिटी के अन्दर लॉ एण्ड आर्डर का साम्प्रदायिक तनाव नहीं होगा, पानी के लिए तनाव होगा। इस पानी के तनाव से बचाना है तो जिस इलाके से पानी लिया जा रहा है, जिनकी नजर के सामने पानी पैदा हो रहा है उसी की नजर के सामने अगर पानी किसी और के पास जायेगा, तो न तो इसको स्वीकार किया जायेगा और न ऐसा होने दिया जायेगा।

मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जयपुर की समस्या को समग्र रूप से देखा जाये। इसमें किसी को तकलीफ नहीं है, मुझे कम से कम तकलीफ है। लेकिन उसी रूप में देखा जाये और उन लोगों के सामने आंख मूंद ली जाये, रेगुलर, इर्रेगुलर का सवाल उठाया जाये तो बनीपार्क विधान सभा क्षेत्र, पूरा ही इर्रेगुलर है। चुनाव हो रहे हैं मैं, तो एम.एल.ए. भी इर्रेगुलर हूं इस हिसाब से तो। अब यह कोई बात थोड़ी हुई। हरेक जगह उसी फार्मूले को आप लगाना चाहते हैं। हार्ट के लिए भी वही दवाई, ब्लड प्रेशर के लिए भी, वही दवाई। हरेक के लिए, रेगुलर, इर्रेगुलर। जे.डी.ए. में चले जाओ, सड़क बनेगी, नहीं बनेगी, रेगुलर इर्रेगुलर, नाली बनाओ, रेगुलर, इर्रेगुलर। पानी पिलाने में, रेगुलर, इर्रेगुलर। पानी पिलाना एक लोक कल्याणकारी राज्य का दायित्व है। अब पानी आप नहीं पिला पा रहे हो, कारण यह है कि, अलग चीज है। पानी पिलाने में आप लगाइये आप में हिम्मत होनी चाहिए कूलर के लिए चार्ज लगाइये, बाथरूम में टब में पानी जाता है उसके लिए चार्ज लगाइये। लोगों को पानी पिलाने की जिम्मेदारी आपकी है लोगों के कूलर चलाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। लोगों को पानी पिलाने की जिम्मेदारी आपकी है लेकिन वह टब के अन्दर नहाये इस बात की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। इस दृष्टि से आप देखें और इस पानी के दुरुपयोग को रोकें और इस दुरुपयोग को रोककर पानी को उन लोगों तक मुहैया कराईये जिन लोगों को पानी की जरूरत है।

आपने जनता योजना चलायी, बहुत अच्छी चलायी। कच्ची बस्तियों में आपने पानी दिया और आपकी भूरि-भूरि प्रशंसा हुई। इसमें कोई सन्देह नहीं है पानी के मामले में जितना आपने काम किया है और भी लोकल सेल्फ में जितना काम किया है

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

आपकी बड़ी वाहवाही है । जनता आपकी तरफ देखती है और जनता जब आपको इस कुर्सी पर बैठे देखती है तो उसकी मांग आपसे और भी बढ़ जाती है । क्योंकि जब राजा सच्चा है तो राजा की तरफ ताकती हुई जनता उससे उम्मीद भी ज्यादा करती है । इसलिए कपड़े भी ज्यादा खेचेंगे आपके और आपके पास हमको ले जाने के लिए हमारे भी कपड़े खींचेगी । मैं चाहता हूं कि इस गर्मी के अन्दर मेरे भी कपड़े न फटें, सरकार के भी कपड़े न फटें और पानी के लिए दर-दर भटकता है, उस आदमी के भी कपड़े नहीं फटें । कपड़े किसी के नहीं फटें और जो हमारा काम है वह हमारा काम पूरा हो जाये ।

मै इस बात के लिए मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 1990 में जब पहली बार मैं विधायक बन कर यहां आया तो मैंने कहा था कि जयपुर के अन्दर अण्डर ग्राउण्ड वाटर के पोल्यूशन के सोल्यूशन की सम्भावनाएं हैं । पांच-दस साल में अण्डर ग्राउण्ड वाटर टेबल जयपुर का पूरा का पूरा पोल्यूट हो जायेगा और ज्यादातर पानी हम जमीन से एक्सट्रेक्ट कर रहे हैं और वह पूरा का पूरा पानी पीने के लायक नहीं रहेगा जब तक सीवरेज सिस्टम जयपुर में लायेंगे नहीं तब तक सोक-फिट के द्वारा गन्दा पानी जमीन के अन्दर जाता रहेगा और जयपुर के अन्दर पूर्ण रूप से जयपुर की नीचे की वाटर टेबल पोल्यूट हो जायेगी । मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मंत्री महोदय को, बधाई देना चाहूंगा कि जयपुर की जनता ही नहीं, राजस्थान के सीवरेज सिस्टम के लिए पहली बार किसी ने 1947 से लेकर आज तक सही रूप में सोचा तो पहली बार माननीय भंवरलाल जी शर्मा साहब ने सोचा जिन्होंने 82 करोड़ की अकेले जयपुर के लिए योजना दी और पूरे राजस्थान के अन्दर सीवरेज सिस्टम योजना दी । इस प्रकार की योजना के आप जनक हैं । जयपुर के विकास के आप जनक हैं । आप जनक हैं इसीलिए जनता आपकी तरफ देखती है । जनता आपसे पानी मांगती है । मैं चाहूंगा, सभापति महोदय, इन दो मामलों के अन्दर कि जयपुर से पानी जहां तक क्रिएट किया जा रहा है उन लोगों को पानी दिया जायेगा इस बात के आश्वासन के लिए । दूसरा, इस बात के लिए कि बीसलपुर का पानी हो चाहे ईसरदा का पानी हो, मैं इस चर्चा में नहीं फंसना चाहता ।

मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि जयपुर की जनता के लिए पानी मुहैया कराने की व्यवस्था के अन्दर कोई भी सवाल नहीं आये । धन्यवाद ।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय ।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से....

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय सभापति महोदय, दो मिनट, सिर्फ दो मिनट....(व्यवधान)

श्री सभापति : इस पर जनरल डिबेट नहीं होगी । यह जयपुर शहर का मामला है माननीय मंत्री महोदय ।

श्री बनवारीलाल बैरवा : सभापति महोदय, हमारी बात सुनी जाये.... (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया आप बिराजें। आसन पैरों पर है .. (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बीसलपुर का पानी लाया जायेगा, बीसलपुर का पानी वहीं सिंचाई में काम लिया जायेगा और अगर जयपुर के लिए पीने का पानी चाहिए तो आप ईसरदा बांध बना कर के लायें। हम वहां से पानी नहीं आने देंगे और थोड़ी बहुत जो लाइन डाली है....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, पहले आप मेरी सुनिये। पहले आप बिराजें। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग पर जब डिमाण्ड आये, जब जनरल डिबेट होगी। इस समय जनरल डिबेट नहीं होगी।

श्री बनवारीलाल बैरवा : सिर्फ एक प्रश्न करने की इजाजत दीजिए आप.... .(व्यवधान)

श्री सभापति : मैं आपको इजाजत देने में असमर्थ हूं, आप बिराजें।

श्री बनवारीलाल बैरवा : सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। सभापति जी, ऐसा कैसे हो सकता है यह बांध हमारे जिले में बन रहा है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बहुत पुराने सदस्य हैं. बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं कृपया आप बिराजें।

श्री बनवारीलाल बैरवा : सभापति जी, हमारे इलाके के लोगों ने हमें यहां हमारी बात रखने के लिए भेजा है.... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य आसन पैरों पर है। मैंने निवेदन किया कि इस पर जनरल डिबेट नहीं होगी। यह केवल जयपुर शहर के पानी की व्यवस्था का मामला है। आप बिराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री बनवारीलाल बैरवा : जयपुर से सम्बन्धित ही पूछ रहा हूं, हमारी एक शंका का समाधान तो कर दें। जयपुर शहर से सम्बन्धित मसला है।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि मैं माननीय मंत्रीजी के क्षेत्र में गत 35 साल से निवास कर रहा हूं।

श्री रतनलाल ताम्बी : जयपुर से सम्बन्धित मसले पर हम बात करना चाहते हैं....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य बिराजिये।

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय सभापतिजी, जयपुर से आये हुए माननीय सदस्यों ने....

श्री कालीचरण सराफ : हिमाचल प्रदेश से पानी आ रहा है....

श्री रतनलाल ताम्बी : पहले हमारी समस्या सुनें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य श्री रतनलाल जी बिराजिये।

एक माननीय सदस्य : बीसलपुर का पानी सभी एरिया में मिलना चाहिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप बिराजिये।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय सभापतिजी, हम एक सवाल पूछना चाहते हैं।

श्री सभापति : मैं असमर्थ हूं आपको इजाजत देने में। मेरी व्यवस्था हो चुकी है। आप बिराजिये।

श्री बनवारी लाल बैरवा : जयपुर के मसले पर पूछना चाहते हैं ... (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया आप बिराजें।

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय सभापतिजी, बीसलपुर बांध की मूल योजना....

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप बहुत पुराने सदस्य हैं।

श्री बनवारी लाल बैरवा : मान्यवर, इसलिए तो मैं कह रहा हूं।

श्री रतनलाल ताम्बी : हम जयपुर से सम्बन्धित मसले पर ही बात करना चाहते हैं।

श्री बनवारी लाल बैरवा : जयपुर से सम्बन्धित मसला है, मान्यवर, जयपुर से सम्बन्धित मसला है....

श्री सभापति : कृपया आप आसन ग्रहण करें।

श्री रतनलाल ताम्बी : हम अपनी बात कहना चाहते हैं। जयपुर से सम्बन्धित मसले पर हमको भी अवसर दें।

श्री सभापति : कृपया आप आसन ग्रहण करें।

श्री रतनलाल ताम्बी : आप असमर्थ नहीं हैं, समर्थ हैं इसलिए आप हमारी बात सुनिये।

एक माननीय सदस्य : जयपुर से सम्बन्धित है, बीसलपुर से सम्बन्धित है इसलिए माननीय सदस्य बोल रहे हैं आप दो-दो मिनट का समय हमें दीजिये।

श्री बनवारी लाल बैरवा : बीसलपुर बांध अगर तैयार हो जायेगा, अगर सरकार चिन्तित होती जयपुर को पानी देने के लिए तो अब तक कदम उठा लिया गया होता। 96 में प्रोजेक्ट तैयार होगा और सिर्फ ब्यावर, किशनगढ़ और अजमेर को दे पायेंगे। हमारी जो नहरें बनी थीं, तीन किलोमीटर तक की नहर आज तक खोद पाये हैं बाकी की नहरें वहां खुदी ही नहीं है। हमको नहरों के लिए पानी नहीं मिलेगा और नहरें हैं ही नहीं। 96 के अन्दर....

श्री सभापति : अब आप बिराजिये। माननीय सदस्य (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा : उसके बारे में अगर सरकार चिन्तित होती तो....

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप आसन की बिना अनुमति के बोल रहे हैं।

श्री बनवारी लाल बैरवा : मान्यवर, एक सवाल पूछने दो।

श्री रतनलाल ताम्बी : इससे सम्बन्धित मसला कहना चाहते हैं।....

श्री सभापति : आप बिराजिये।

श्री रतनलाल ताम्बी : आप अनुमति दीजिये। हम लोग 5–7 एम.एल.एज. इस बारे में बात करना चाहते हैं। माननीय सदस्य उधर भी खड़े हैं और इधर भी खड़े हैं। हमारी सुनिये आप। हमारे साथ न्याय कीजिये। सुनिये हमारी बात।

श्री नरपत सिंह राजवी (चित्तौड़गढ़) : सभापति महोदय, एक मिनट मैं बोल लेता हूं।

श्री बनवारी लाल बैरवा : सभापति महोदय, बीसलपुर बांध के साथ और क्या योजना बनायी जा रही है उसके बारे में हमें जवाब चाहिये।

श्री रतनलाल ताम्बी : जयपुर की समस्याओं का समाधान कैसे हो इस बारे में सुझाव है।

श्री सभापति : माननीय रतनलाल जी साहब बिराजिये।

श्री नरपत सिंह राजवी : सभापति महोदय, हम बैठ जायेंगे, सारे बैठ जायेंगे। प्रश्न सिर्फ इतना है कि बीसलपुर के बांध के सम्बन्ध में इस सदन में पूर्व में चर्चा हुई थी....

अनेक माननीय सदस्य : इनको अनुमति कैसे दे रहे हो बोलने की ?

श्री रतनलाल ताम्बी : दो-दो मिनट सबको दीजिये। राजस्थान में भयंकर समस्या खड़ी हो जायेगी इसलिए हमारी बात को सुनिये।

श्री नरपत सिंह राजवी : सभापति महोदय, इस सदन में पूर्व में भी बीसलपुर बांध के सम्बन्ध में, सी. डब्ल्यू. सी. में भेजने के बारे में, क्राइटेरिया के सम्बन्ध में और कैचमेंट एरिया और सब्सिक्वेंट डाउन स्ट्रीम एरिया के सम्बन्ध में चर्चा हुई थी। आप डेफिनेटली यह मानते हैं कि सबसे पहला चार्ज पेयजल का है। जयपुर में पीने का पानी मिलना चाहिये, अजमेर में मिलना चाहिये, ब्यावर में मिलना चाहिये लेकिन इस क्षेत्र से सम्बन्धित दूसरे जो कैचमेंट के दूसरे डाउन स्ट्रीम में हैं उनको भी पानी की डिमाण्ड होगी। अगर बीसलपुर बांध के सम्बन्ध में कोई चर्चा होती है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बीसलपुर का बांध पूरा बनेगा तभी जयपुर में पेयजल शुरू होगा। हम कौन से जयपुर में रहते नहीं हैं। प्रश्न सिर्फ इतना है कि फर्स्ट चार्ज ड्रिंकिंग वाटर का रहना चाहिये यह सब मानते हैं लेकिन उस पर पूरा विचार करने के लिए अगर जैसे एक समिति गठित की हुई है माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि सम्बन्धित क्षेत्र के विधायकों को बुला लें वह भी अपनी राय रख दें ताकि एक ऐसा स्वरूप निखर कर आये जिसमें किसी की खिलाफत भी नहीं हो, किसी क्षेत्र की अनदेखी भी नहीं हो और साथ के साथ पेयजल की समस्याओं का समाधान हो। यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय सभापतिजी, बीसलपुर योजना मूल रूप से जिस समय बनी थी तो उसके अन्दर यह व्यवस्था थी कि अजमेर को, किशनगढ़ को, ब्यावर को और केकड़ी को इससे पेयजल की व्यवस्था करायी जायेगी और बाकी का जो पानी बचता है वह काश्तकारों को सिंचाई के लिए देंगे।....(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया सुनिये।

श्री बनवारी लाल बैरवा : अब उसके बाद में संशोधित इसकी स्कीम गयी और वह स्कीम अभी तक पास होकर आयी नहीं है। इसके बीच में उसी नदी से दूसरी एक व्यवस्था और हुई उसके बारे में विचार हुआ कि ईसरदा के ऊपर एक बांध बांधा जाय और जयपुर को पानी दिया जाय। उसको हम एग्री करते हैं, हम कहीं विरोध नहीं करते। जयपुर से आये हुए माननीय सदस्यों ने पानी के लिए जो मांग की है जो उनकी चिन्ता है हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सहमत हैं। हमारा निवेदन करना तो यह है कि ईसरदा की जो योजना है उसको आप तेज गति से चालू करायें, उस पानी को कलेक्ट करें और अगर आप नहीं करेंगे तो हमारे उधर के जो काश्तकार हैं वे बिलकुल आपको पानी नहीं देंगे। पानी के लिए तरसते रहेंगे जयपुर वाले और वहां हमारे झगड़ा होता रहेगा, जेल जाते रहेंगे, हमारे सिर फूटते रहेंगे, लोग हमारे को मारते रहेंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि हमको इस समय यह बतायें कि जो आप पानी देना चाहते हैं, 96 के अन्दर यह प्रोजेक्ट तैयार हो जायेगा, बांध बन कर तैयार हो जायेगा उसके पानी का आप कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, आप क्या उपयोग करेंगे ? क्योंकि आपकी नहरें तैयार नहीं हैं, आपके जयपुर में पानी लाने की व्यवस्था तैयार नहीं है। सिर्फ आप अजमेर और ब्यावर की समस्या का समाधान निश्चित रूप से कर पायेंगे। बाकी ईमानदारी से अगर आपकी कोई योजना होती तो अब तक कुछ न कुछ व्यवस्था आप करते। आपकी यह योजना है ही नहीं, बीसलपुर से पानी आपको उधर देना ही नहीं है, आपको पानी ईसरदा से देना है तो ईसरदा के बारे में विचार कीजिये। ईसरदा के बारे में आप हमें बताइये। इतना ही आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री जगदीश प्रसाद मीणा (उनियारा) : माननीय सभापति महोदय, बीसलपुर की पानी की समस्या चल रही है इस बारे में कम से कम एक साल से हमारे देवली एरिया में, उनियारा क्षेत्र में कई बार हड़ताल हुई, कई बार भूख हड़ताल पर बैठे पर इसके ऊपर सरकार ने आज तक कोई विचार नहीं किया। अगर पानी देने की स्कीम है तो ईसरदा बांध बांधना पड़ेगा। जब तक ईसरदा बांध का निर्णय नहीं होगा, ईसरदा बांध बांधने के बारे में सरकार तय नहीं करेंगे तब तक उसमें रोड़ा अटका रहेगा।....(व्यवधान)

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : माननीय सभापति महोदय, जयपुर के अन्दर जो जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य हैं, मैं तो जयपुर के अन्दर गत 35 साल से निवास करता आया हूं और माननीय मंत्रीजी के क्षेत्र में निवास करता हूं। हवामहल घी वालों के रास्ते के अन्दर। सन् 1987 से मैं स्थिति देख रहा हूं, पानी की कमी यहां पर बार-बार आ रही है। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि पानी इतना कम आता है जयपुर शहर के अन्दर और वह भी चार दीवारी के अन्दर शाम के समय आता है। स्थिति इतनी विकट हो गयी है, मंत्रीजी से मैं निवेदन यहीं करूंगा कि जो रामगढ़ बांध से पानी मिलता था, 30 तारीख को पानी मिलना बन्द हो

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

जायेगा। तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि रामगढ़ खाली क्यों रहता है? कारण यह है कि उसके बीच में कैचमेंट एरिया है, इसके बीच में अवरोध है तो मेहरबानी करके उन अवरोधों को हटा दीजिये और अगर आपके अवरोध हट जायेंगे तो निश्चित रूप से जो रामगढ़ का बंध खाली रहता है वह रामगढ़ का बांध आपका भर जायेगा और जो चार दीवारी के अन्दर पानी की समस्या है उस पानी की समस्या का काफी हद तक समाधान हो जायेगा। मेहरबानी करके जो आपका स्वयं का क्षेत्र है और इस के अन्दर पानी की स्थिति इतनी विकट रूप धारण कर चुकी है तो इसके अन्दर ज्यादा से ज्यादा हैण्ड पम्प लगायें यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, जो ध्यान आकर्षित करने का प्रस्ताव आया है वह जयपुर की पेयजल के बारे में है इसलिए मैं वहीं तक सीमित रहूंगा। दो दिन बार....(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अगर आप जयपुर तक सीमित रहेंगे और यहां घोषणा कर देंगे, आप जयपुर के ही नहीं पूरे राजस्थान के मंत्री हैं। जिलों की हालत आपने देखी नहीं है। रोज-रोज यहां ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगते हैं और रोज सेंक्शन करते हो। कभी 200 हैण्ड पम्प कर दिये तो कभी 400 हैण्ड पम्प कर दिये। सभापति महोदय, अलवर की हालत देखिये, क्या हालत हो रही है और बनी पार्क से आने वाले माननीय सदस्य अभी कह रहे थे कि हवामहल के चक्कर में.... (व्यवधान) यह सरासर गलत है। हमारे राजस्थान के साथ अन्याय किया जा रहा है। अपने क्षेत्र में व्यवस्था करवाने के लिए अपनी पार्टी के सदस्यों से ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगवा लेते हैं, इस सदन को गुमराह किया जा रहा है।

श्री रतनलाल ताम्बी : इस साल भयंकर समस्या आने वाली है। पी. एच. ई. डी. की नाकाबलियत से राजस्थान की जनता परेशान है। इन मंत्रीजी को जयपुर के अलावा कोई दिखता ही नहीं है।

(14.00)

इन्होंने जयपुर को डुबो दिया, राजस्थान को डुबो दिया। इसलिए राजस्थान की समस्या पर गम्भीरता से विचार नहीं करेंगे तब तक यह सदन नहीं चल सकता। हालात इतने खराब हो गये हैं। फ्लोराइड युक्त पानी पीना पड़ रहा है जिससे लोग कुबड़े हो रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं। दूषित पानी पिलाने वाली राजस्थान सरकार के ये + + + मंत्री जिन्होंने राजस्थान के हालात खराब कर दिये और आज आपको जयपुर दिख रहा है। आप ईसरदा बांध के जरिये उसके हालात को ठीक कीजिए।.... (व्यवधान).... बीसलपुर बांध को बार-बार

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

ऊंचा करके आप इस इलाके की जनता के साथ न्याय नहीं कर सकते।

श्री समापति : आप पहले मंत्रीजी को सुनें।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : केवल जयपुर की बात करते हैं, राजस्थान की मंत्रीजी को कोई चिन्ता नहीं है।.... (व्यवधान)....

श्री रतनलाल ताम्बी : लाखों आदमी परेशान हैं इससे।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, जयपुर, राजधानी के लिए ही पानी की व्यवस्था, यहां पर सारा पैसा खर्च कर दो, पूरा राजस्थान चाहे प्यासा मरे। राजस्थान के साथ भेदभाव बरतो और मात्र जयपुर शहर के लिए पानी दे दो...(व्यवधान)... जयपुर शहर के 4 एम. एल. एज. हैं उनकी पूर्ति करते रहो, बाकी जो 196 क्षेत्र हैं वे चाहे त्राहिमाम-त्राहिमाम करते रहें। यह पूरा पक्षपात है, यह जानबूझ कर साजिश रची जा रही है। सरकार का पैसा है चाहे जैसे जयपुर में खर्च हो। जयपुर शहर में हजारों लाखों हैण्ड पम्प हैं, यहां पर मशीनें लग रही हैं और दौसा जिले में पानी के के नाम पर कुछ भी व्यवस्था नहीं की गयी है। मंत्री महोदय, दौसा जिले में आपने क्या किया है? आपने दौसा जिले में एक मशीन नहीं भेजी। सभापति महोदय, एक भी मशीन नहीं भेजी है जिससे हैण्ड पम्प खुद सके।....(व्यवधान)....

श्री रतनलाल ताम्बी : राजस्थान के पी. एच. ई. डी. मंत्री कौन हैं? यह हमें आज तक मालूम नहीं है। आपको तो केवल जयपुर, जयपुर, जयपुर दिख रहा है। तो जयपुर के मंत्री अलग बना दीजिये। हमें कोई दिक्कत नहीं है। सारे हैण्ड पम्प राजस्थान में खराब पड़े हैं। बजट नहीं होने से काम समय पर नहीं हो रहा है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह सारा पैसा जयपुर शहर में बिखेर दो जलदाय विभाग का और बाकी के लोगों को मर जाने दो। दौसा जिले में तो एक पैसा खर्च नहीं हुआ....(व्यवधान)....एक हैण्ड पम्प नहीं लगाया गया, एक मशीन नहीं भेजी। सारी मशीनें जयपुर में हैं, सारा काम जयपुर में है।....(व्यवधान)....

श्री रतनलाल ताम्बी : सभापति महोदय, राजस्थान के पी. एच. ई डी. मंत्री कौन हैं? राजस्थान को कौन देख रहा है? यह हमें आज तक मालूम नहीं है। सारा राजस्थान पानी के बिना तरस रहा है। सारे हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं, सारी योजनाएं ठप्प पड़ी हैं।....(व्यवधान)....

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह मंत्री महोदय की जानबूझ कर की गयी साजिश है कि पहले यहां के लोगों को....(व्यवधान).... यह सारा पैसा जलदाय विभाग का यहीं खर्च किया जाये, यह पक्षपात है।

श्री रतनलाल ताम्बी : यह भेदभाव बंद होना चाहिए....(व्यवधान)....

श्री सभापति : कृपया आप बिराजें.... (व्यवधान)....

श्री शैलेन्द्र जोशी : सभापति महोदय, कृपया व्यवस्था दें कि इसमें कोई पक्षपात नहीं बरता जायेगा।

श्री सभापति : माननीय रतनलालजी बिराजें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : पूरे राजस्थान में समान बंटवारा कीजिये। समान रूप से पानी की व्यवस्था की जाये। ड्रिंकिंग वाटर के लिये समान रूप से डिस्ट्रीब्यूशन हो। किसी के साथ भेदभाव मंत्रीजी द्वारा नहीं किया जाये। इस तरह का कोई पक्षपात नहीं बरता जायेगा।

श्री रतनलाल ताम्बी : पूरा राजस्थान तबाह हो गया है। आप पूरी जांच करवा लें, माननीय विधायकगण से, इधर के सबसे पूछ लें। पी. एच. ई डी. की समस्या से पूरा राजस्थान ग्रसित हो रहा है।....(व्यवधान)....

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप बिराजें....(व्यवधान)....माननीय सदस्यगण मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव माननीय दो सदस्यों ने दिया है और जयपुर शहर के अन्दर पीने के पानी की जो समस्या है उसके बारे में दिया है, उस पर चर्चा हो गयी और इसके अलावा चर्चा आप लोगों ने और कर दी, उसके सम्बन्ध में मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर दिया, अब कृपया आप मंत्री महोदय को सुनें....(व्यवधान)....

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापतिजी, ऐसा एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एक महीने पहले दिया था....

श्री रतनलाल ताम्बी : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कई दे रखे हैं कोई जवाब दिया मंत्रीजी ने आज तक ?....(व्यवधान).... केवल जयपुर का जवाब देते हैं। हमने कई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिये, हमने 295 दिये, एक का भी जवाब नहीं दिया मंत्रीजी ने आज तक। केवल जयपुर का जवाब देते रहे। यह मिली भगत है। जयपुर के बारे में रोज सवाल उठा देते हैं और मंत्रीजी जवाब दे देते हैं परन्तु हमारा जवाब नहीं देते। राजस्थान का पी. एच. ई. डी. मंत्री कौन है ? राजस्थान को कौन देख रहा है ? राजस्थान की जनता प्यासी है.... (व्यवधान) ... दूषित पानी से ग्रसित है, बीमारियां फैल रही है और राजस्थान का निकम्मा पी. एच. ई. डी. जिसने सारे राजस्थान के अन्दर....

श्री शैलेन्द्र जोशी : सभापति महोदय, दौसा जिले में एक भी मशीन नहीं भेजी गयी है। एक भी मशीन हैण्ड पम्प के लिए नहीं भेजी गयी है। जानबूझ कर सारी की सारी जयपुर जिले में रखी हुई है। सारा पैसा जयपुर शहर के लिए लगाया जा रहा है....(व्यवधान)....इसलिए इमबेलेंस पैदा हो रहा है सारे राजस्थान के अन्दर, पी. एच. ई. डी. के द्वारा एक भी हैण्ड पम्प खोदने की मशीन नहीं भेजी गयी है।....(व्यवधान)....और जो टारगेट रखे गये हैं वे टोटली फाल्स होते हैं.... (व्यवधान) .. आप यह पैसा केवल जयपुर शहर में बरबाद कर रहे हैं। इस तरह की भेदभावपूर्ण नीति नहीं होने देंगे, कोई भेदभाव नहीं चलने देंगे। दौसा जिले के साथ यह सौतेला व्यवहार कितने दिन चलेगा ?

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : बाड़मेर जिले का भूकरिया गांव जहां एक दिन भी पानी नहीं आया....(व्यवधान)....

श्री अरुणसिंह (डीग) : भरतपुर के साथ सौतेला व्यवहार करते हो.... (व्यवधान)....

श्री सभापति : कृपया बिराजें आप। माननीय सदस्य आप बिराजें (व्यवधान)....

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय सदस्य कालीकरण जी बैठ जाइये आप। वैसे ही सरकार का इतना पैसा खर्च करवा दिया और पूरे राजस्थान के साथ अन्याय करवाया है।

श्री रतनलाल ताम्बी : भीलवाड़ा जिले में फ्लोराइड युक्त छह सौ गांव हैं.... (व्यवधान).... वहां का पानी पीने के काबिल नहीं है....(व्यवधान) जहां पानी पीने से बीमारियां फैलती हैं, आदमी कुबड़े हो रहे हैं। फ्लोराइड पानी वाले गांव का कोई मंत्री नहीं है। आप जयपुर में पी. एच. ई. डी. मंत्री अलग बनाइये। राजस्थान का पी. एच. ई. डी. मंत्री अलग होना चाहिए जो सारे राजस्थान की समस्या को देखे। आज राजस्थान में नुकसान हो रहा है, हजारों हैण्ड पम्प गांव-गांव में खराब पड़े हैं। इस राजस्थान में पीने के पानी की परेशानी है।

श्री सभापति : ताम्बी जी आप बिराजें। माननीय सदस्यगण... (व्यवधान) आप मेरा निवेदन सुनिये, आप बिराजें ... (व्यवधान)....माननीय सदस्य बिराजें.... (व्यवधान)....

श्री रतनलाल ताम्बी : आज राजस्थान की जनता का जीवन मरण का प्रश्न है। क्या बात करते हैं आप....

श्री परसादीलाल मीणा : ड्रिलिंग हैण्ड पम्प की गाड़ियां जोधपुर के अन्दर भी है, जयपुर के अन्दर भी हैं, वहां ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर कोई काम नहीं हो रहा है। पूरा का पूरा पैसा शहरी क्षेत्र के अन्दर लगाना चाहते हैं।... (व्यवधान).... यह सरकारी मंत्री नहीं हैं, यह केवल शहरी मंत्री हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप बिराजें।

एक माननीय सदस्य : यह बहुत गम्भीर मामला है। पूरे राजस्थान की जनता प्यासी मर रही है।

श्री सभापति : आसन पैरों पर है, कृपया आप बिराजें।

एक माननीय सदस्य : आदिवासी लोग पानी लाते हैं, सभी हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं आप जयपुर की चर्चा कर लेते हो, गांवों की कोई बात ही नहीं, कोई चर्चा ही नहीं होती सदन में....(व्यवधान)....

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : सभापतिजी, जयपुर शहर से भी बाहर कई ग्रामीण क्षेत्र हैं और दूसरे शहर भी हैं। इनको केवल जयपुर शहर की चिंता है, हमें कोई गिला नहीं, जयपुर शहर में पेयजल की व्यवस्था करें मगर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की गाड़ियों को या जो साल भर से काम नहीं कर रही हैं और हैण्ड पम्प की ड्रिलिंग के अन्दर देरी हो रही है... (व्यवधान)....

श्री सभापति : विराजें।

श्री अमराराम चौधरी : पचपदरा में लाखों रुपये का पानी बेकार ढुल रहा है लेकिन चिनारा गांव में पानी नहीं दिया जा रहा है। सेंट्रल टीम आयी। एक दिन पानी पहुंचा था उसके बाद बन्द हो गया और 25 साल से उस गांव में नहीं पहुंचा। वहां जब सेंट्रल टीम आ जाती है, आप पधारो तो पानी पहुंचता है। हमारे घर डूब रहे हैं, लेकिन आज दिन तक पानी नहीं पहुंचा है....(व्यवधान)....

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण आप बिराजें। माननीय सदस्य, जयपुर शहर के अन्दर पीने के पानी की समस्या के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया, उसके अन्तर्गत माननीय मंत्री जी जवाब देना चाहते हैं। आप सुनना नहीं चाहते हैं तो मुझे विवश होकर दूसरा सवाल लेना पड़ेगा।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापति महोदय, एक मिनट का समय....

एक माननीय सदस्य : जवाब दिलवाइये, यह क्या बात हुई? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया है, उसका जवाब दिलवाइये।

श्री सभापति : आप सुनना ही नहीं चाहते।

श्री रतनलाल ताम्बी : यह समस्या पूरे राजस्थान के गांवों की है। कौनसे मंत्री हैं जो समस्या के समाधान में मदद करेंगे....(व्यवधान)....

श्री शैलेन्द्र जोशी : पूरे राजस्थान की पेयजल समस्या पर चर्चा हो....(व्यवधान)....

श्री रतनलाल ताम्बी : एक दिन इसकी चर्चा रखवाइये।

श्री जगदीप धनखड़ : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि किशनगढ़ के अन्दर पानी के....(व्यवधान)....आज सुबह मैंने बात की है वहां पर लोग आन्दोलन की तैयारी कर रहे हैं और मंत्री जी जयपुर की....(व्यवधान)....

श्री पराक्रम सिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जो टी.एस.एस. स्कीम चल रही थी उसे राजस्थान गवर्नमेंट ने बन्द कर दिया है....(व्यवधान)....

श्री सभापति : कृपया बिराजें.... (व्यवधान)....आप कृपया शांति व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग दें... (व्यवधान).... कृपया बिराजें। (व्यवधान) .. आपने अपनी बात कह दी अब आप अव्यवस्था फैला रहे हैं। (व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सारे राजस्थान का जवाब दिलवाइये, सभापति महोदय.... (व्यवधान) सारे राजस्थान का जवाब सुनना चाहेंगे, अकेले जयपुर का नहीं सुनना चाहेंगे....(व्यवधान)

(14.11)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री रतनलाल ताम्बी : माननीय अध्यक्ष महोदय, पी. एच. ई. डी. मंत्री

(श्री रतनलाल ताम्बी)

कौन है उनसे जवाब दिलवाइये.... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आप विराजें माननीय सदस्य।

श्री अमराराम चौधरी : पानी बेकार जा रहा है....(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : पानी की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है.... (व्यवधान)

श्री अरुणसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, भरतपुर में पानी की भयंकर समस्या है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मिली भगत से इस तरह से पब्लिक फाइनेंस का मिस-यूटीलाइजेशन करवाया जा रहा है। जानबूझकर करवाया जा रहा है.... (व्यवधान)....

अनेक माननीय सदस्य : पहले राजस्थान फिर जयपुर....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। (व्यवधान) बैठिये आप।

श्री रतनलाल ताम्बी : फिर राजस्थान का क्या होगा? (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी : हालात बहुत गम्भीर हैं....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह पांच दिन के बाद भाग जायेंगे फिर राजस्थान का क्या होगा?....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप बिराजें बिराजें आप माननीय सदस्य। (व्यवधान)....

श्री रतनलाल ताम्बी : हमें चाहिए राजस्थान का पी.एच.ई.डी. मंत्री, जयपुर का पी एच. ई. डी. मंत्री नहीं चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री रतनलाल ताम्बी : पहले राजस्थान फिर जयपुर।

श्री अध्यक्ष : परसों के रोज पेयजल की डिमाण्ड है उस दिन सारी बातें होगी। (व्यवधान)....

श्री रतनलाल ताम्बी : एक दिन पूरी चर्चा हो।

श्री अध्यक्ष : आप बैठें माननीय सदस्य। अब तो हाउस चलने दें आप परसों के रोज पी.एच.ई.डी. की डिमाण्ड है उस दिन पूरा डिस्कशन हो जायेगा। (व्यवधान) बिराजें आप।

श्री रतनलाल ताम्बी : राजस्थान का पी.एच.ई.डी मंत्री चाहिए हमें, जयपुर का नहीं। राजस्थान की समस्या कौन सुनेगा? (व्यवधान)....

श्री अरुण सिंह : हम मंत्री का जवाब नहीं सुनेंगे। (व्यवधान)... हम बरदाश्त नहीं करेंगे।

श्री रतनलाल ताम्बी : जयपुर का मंत्री होने के नाते सारे राजस्थान को नहीं देख रहे हैं। सारा राजस्थान कितना परेशान है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। (व्यवधान) आप बिराजें माननीय सदस्य बिराजें आप। माननीय खेतसिंह जी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन था कि हमारी पार्टी के माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि 28 को यह मांग पेयजल की रखी गयी है और 28 को ही 4 बजे मुखबन्द है। इसलिए माननीय सदस्यों को यह मौका ही नहीं मिलेगा कि वह अपनी समस्याएं रखें और मंत्री महोदय उसका जवाब दें। क्योंकि 4 बजते ही कुछ लोग बोलेंगे और उसके बाद मुखबन्द हो जायेगा और मंत्री जी जवाब नहीं दे पायेंगे और फिर यह शिकायत ज्यों की त्यों रह जायेगी। इसलिए मैने मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया है कि कृपापूर्वक यह मुखबन्द या तो लेट रख दीजिए और उसी रोज मंत्री जी जयपुर की समस्या के बारे में बात कह दें, और और भी बात कह दें।

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य पानी के विषय में जिस प्रकार की चर्चा कर रहे थे उससे ऐसा लग रहा था कि जयपुर में पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है या सरकार केवल जयपुर पर ही अपनी दृष्टि रखे हुए हैं और बाकी को भूले हुए है। मैं ऐसा समझता हूं कि यह गलत है। आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि कुछ प्राकृतिक आपदायें हैं जिन आपदाओं का निराकरण आपस में बैठकर हम कर सकते हैं। केवल चर्चा करने से उनका निराकरण नहीं हो सकता। आज पानी का संकट जहाजपुर में भी है, पानी का संकट पाली में भी है, पानी का संकट बाड़मेर में भी, सब जगह संकट है। उस संकट का समाधान किस तरह से किया जाय। कोई पानी यह तो है नहीं कि जानबूझकर पानी हम ही पीये जा रहे हैं और बाकी की जनता को उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। यह सब के लिए संकट है। इस संकट का समाधान हम किस तरह से कर सकते हैं उसके सम्बन्ध में पिछली बार भी आपको मालूम है इसी प्रकार का संकट था। सब ने मिलजुलकर उसका समाधान किया। जिस सीमा तक समाधान हो सकता था वह समाधान किया। लेकिन मुझे खेद है आज मैंने कुछ लोगों के ऐसे भाषण सुने जो यह कहते हैं कि मेरे क्षेत्र से पानी नहीं जा सकता, मेरे क्षेत्र से पानी जायेगा तो ला एण्ड आर्डर की समस्या खड़ी हो जायेगी तो वह मेरी जिम्मेदारी है, पानी भी ले जाऊंगा और ला एण्ड आर्डर की समस्या का समाधान भी करूंगा। (व्यवधान) मैं मेरा है तो मेरे वाले को भी कह रहा हूं। आज जयपुर शहर में जितना पानी उपलब्ध है वह पानी कम नहीं है। रामगढ़ का बंधा नहीं भरा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। रामगढ़ का बंधा इस लिए नहीं भरा कि उसके जगह-जगह एनीकट्स बन गये, उसमें अवरोध पैदा कर दिये। अवरोध उठाते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि जयपुर में पानी ले जाने के लिए आप यह एनीकट्स क्यों हटा रहे हैं। आज कोई यह कहे कि इस मोहल्ले से पानी हम जाने नहीं देंगे तो रामगढ़ वाले भी कह देंगे कि एक बूंद नहीं जाने देंगे, बीसलपुर वाले भी कह देंगे कि नहीं आने देंगे। इसलिए इस प्रकार की यह एप्रोच ठीक नहीं है। (व्यवधान) मेरी सुनिए, वनीपार्क को बीसलपुर नहीं, यह स्वाभाविक है यदि मैं आज अपने गांव के लिए

(112)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कहता हूं कि अपने गांव से पानी नहीं निकलने दूंगा तो दूसरे गांव वाला भी कहेगा। यह नहीं हो सकता कि मैं अपने गांव में तो दूसरे गांव का पानी ले आऊं और मेरे गांव से कोई साधन दूसरे गांव में जा सकते हैं उनको मैं भेजूं नहीं। इसलिए इस समस्या का समाधान केवल भाषण से नहीं होगा, चर्चा से नहीं होगा। आप लोग बैठना चाहें मैं बैठने के लिए तैयार हूं जितना समय चाहें उतना समय देने के लिए तैयार हूं और एक और कहता हूं कि अगर साधन चाहिए ता साधन देने को तैयार हूं। जहां से भी पानी उपलब्ध हो मैं लाने को तैयार हूं लेकिन इस प्रकार की चर्चा छेड़ कर राजस्थान में अशांति पैदा करने की तैयारी अपन नहीं करें, इससे कोई लाभ नहीं है।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत(भीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने फरमाया और जो माननीय सदस्यों की भावनाएं थीं वह कुछ और थीं। माननीय सदस्यों को नाराजगी सिर्फ इसी बात से थी कि मंत्री जी कुछ पक्षपात करते हैं। समस्या पूरे राजस्थान में है, भरतपुर के माननीय सदस्य ने भरतपुर की समस्या के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया उस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का एक महीने के पश्चात भी कोई रिप्लाई नहीं आया। उसी प्रकार से कई अन्य सदस्यों ने भी प्रस्ताव लगाये लेकिन जयपुर की समस्या तुलनात्मक रूप से कम होते हुए भी समस्या हो सकती है, आप भी सही हैं, लेकिन जहां गम्भीर समस्या थी उनके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर तो यहां मंत्री जी स्टेटमेंट नहीं देते और जहां समस्या कम है उसको पहले लगा करके, स्टेटमेंट देकर के और फिर डिक्लेरेशन....(व्यवधान) वह गलत है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह नहीं है।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत: नाराजगी इसी बात की है और कोई नाराजगी नहीं है। आप बिलकुल सही हैं कि पानी सबका है।

श्री अमराराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, पचपदरा में तालाब भर गया है और हीराकी ढाणी में तालाब भरा हुआ है वह पानी आप खोल करके, आगे निकाल करके....

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, यह चर्चा नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था....

श्री अमराराम चौधरी : वह पानी गरीब जनता को नहीं मिल रहा है। इसके लिए दो बार नहीं, मैं बार-बार जनरेटर लगाने का कह रहा हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी से दो साल से जनरेटर लगाने का कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय बिराजिये। चर्चा समाप्त हुई।

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य विधान सभा खाजूवाला एवं छत्तरगढ़ में नयी तहसील एवं सहायक कलेक्टर के पद सृजित किये

(श्री अध्यक्ष)

जाने के सम्बन्ध में राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करेंगे। (अनुपस्थित)

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री नरपत सिंह राजवी, सदस्य, विधान सभा – श्री राधाकृष्ण गुप्ता एवं बिरदीचन्द यादव द्वारा अधिकारियों की कथित मिली-भगत से ग्राम बेरियावाली (खाजूवाला) जिला बीकानेर की 278 बीघा भूमि का फर्जी आवटन के सम्बन्ध में गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी . अध्यक्ष महोदय. ये बोले उससे पहले एक मिनट निवेदन करना चाहूंगा। आज जिस प्रकार से जयपुर के सदस्यों को कांग्रेस के लोगों ने बोलने से रोका है मैं कहना चाहूंगा कि जयपुर के लोग भी किसी भी चर्चा पर कांग्रेस के माननीय सदस्यों को नहीं बोलने देंगे जब तक इस बात का फैसला नहीं हो जाता। (व्यवधान) यह नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यह क्या बात हुई।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जानबूझ कर ऐसी बात कही है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत: माननीय तिवाड़ी जी, हमने आपको बोलने से नहीं रोका है, हमने सरकार को बोलने से रोका है।.... (व्यवधान).... हमने माननीय सदस्यों को बोलने से नहीं रोका है, सरकार को रोका है। (व्यवधान) आप असत्य बातें कर रहे हैं। सदस्यों को बोलने से हमने नहीं रोका है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री भैरोंसिह शेखावत : पानी के मामले में किसी को बोलने से नहीं रोका जायेगा। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : यह नगरपालिका की बात है क्या? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री रतनलाल ताम्बी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर के सभी माननीय सदस्य बोले हैं, उसके बाद हम लोग बोले हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कैसे कह दिया कि बोलने नहीं देंगे।

एक माननीय सदस्य : यह माफी मांगें।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सदस्य ने कैसे कह दिया कि वह हमें बोलने नहीं देंगे। यह निंदनीय है।

श्री रतनलाल ताम्बी : हमने किसी को बोलने के लिए नहीं रोका है। माननीय मुख्य मंत्रीजी आप प्रोसीडिंग्स देखिए। जयपुर के सभी माननीय सदस्यों के बोलने के बाद हम बोले हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपको जब भी बोलना होगा, आपको छूट होगी।.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

एक माननीय सदस्य : माननीय मुख्य मंत्रीजी कुछ फरमा रहे थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किसी पर बोलने की रोक नहीं है, कोई किसी भी विषय पर बोले इसमें कौन सी बड़ी बात हो गयी।

एक माननीय सदस्य : उनको रोकिए। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं जमवा रामगढ़ से सबको पानी पिलाती हूं जयसिंहपुरा से सबको पानी पिलाती हूं। पानी देने की मनाही नहीं है लेकिन वहां के लोगों को तरसाओ मत। उनको पानी पिलाने की बात थी, जवाब दे रहे थे, क्या व्यवस्था है, आपने हल्ला मचा दिया। कितनी अफसोस की बात है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी ने बात कह दी उसके बाद अब क्या रह गया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अब वह व्यवस्था कह रहे हैं, मैं समझना चाहती हूं आप क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? आप बोलते हैं हम कभी भी आपकी बात के बीच में नहीं बोले।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

बोरियावाली (खाजूवाला) जिला बीकानेर को 278 बीघा भूमि का अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी आवंटन

श्री नरपत सिंह राजवी (चित्तौड़गढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के सम्बन्ध में श्री राधाकृष्ण गुप्ता पूर्व आर.ए.एस. अधिकारी के सूत्र सूचना केस संख्या 172 के सम्बन्ध में मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिनांक 19-11-91 को अपराध संख्या 172/91 अन्तर्गत धारा 212, 218, 420, 466, 467, 468, 477-ए, आई.पी.सी. तथा 5(1)डी, 2 पी.सी. एक्ट में श्री राधाकृष्ण गुप्ता, सेवानिवृत, आर.ए.एस. अधिकारी, (2) श्री बिरदीचन्द यादव, आर.ए.एस. तत्कालीन सहायक उप निवेशन आयुक्त, (3) श्री हरिश्चन्द्र तत्कालीन तहसीलदार (4) श्री रामचन्द्र नाथ, सेवानिवृत्त, तहसीलदार तथा (5) श्री शंकरलाल धोलीवाल, तत्कालीन आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया था। प्रकरण में इन अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध संक्षिप्त में यह आरोप था कि उन्होंने राज्य सरकार की भूमि को हड़पने की नियत से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भूमि को निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित करवाया और तत्पश्चात 278 बीघा नहरी भूमि को बारानी भूमि बताकर आवंटित करवायी।

उपरोक्त आरोपों के विषय में अनुसंधान किये जाने पर श्री राधाकृष्ण गुप्ता एवं अन्य अधिकारियों व. कर्मचारियों के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं पाया गया तथा प्रकरण में एफ.आर. (अदम बक) दिये जाने का निर्णय दिनांक 6-7-93 को लिया गया। एफ. आर. प्रतिवेदन दि. 27-8-93 को न्यायालय को प्रेषित किया गया जिसे

(श्री कैलाश मेघवाल)

न्यायालय में दिनांक 7-1-94 को स्वीकृत किया गया।

प्रकरण के अनुसंधान से यह पाया गया कि ग्राम बेरियावाली (खाजूवाला) जिला बीकानेर में (1) वायद खां की 174 बीघा 9 बिस्वा, (2) इमामबक्श की 20 बीघा, (3) नसीर की 104 बीघा 8 बिस्वा भूमि थी। ये सभी व्यक्ति वर्ष 1947 के पश्चात् किसी समय पाकिस्तान चले गये, किन्तु ऐसी कोई पुख्ता साक्ष्य अनुसंधान से उपलब्ध नहीं हो पाया जिसके आधार पर निश्चित रूप से पाकिस्तान जाने का वर्ष तय किया जा सके। श्री नत्थू खां तत्कालीन पटवारी ने इन तीनों व्यक्तियों की भूमि वर्ष 1961 दिनांक 9-1-61 में भारत सरकार की भूमि दिखायी व नामान्तकरण संख्या 102, 103 व 104 राष्ट्रपति, भारत सरकार के नाम खोला। इन नामान्तकरण को सरपंच चतुर्भुज तथा केसरी सिंह भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा तस्दीक किया गया। इस प्रकार वर्ष 1961 में ही नामान्तकरण खोला जाना पाया गया है और इस कार्य में श्री राधाकृष्ण गुप्ता की कोई भूमिका नहीं रही है और उस समय इस भूमि को किसी भी व्यक्ति को आवंटित किये जाने की प्रक्रिया भी विचाराधीन नहीं थी जिससे यह सन्देह हो कि अपराधिक उद्देश्य से अभिलेख में पटवारी ने गलत प्रविष्टियां करायी हो। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1961 में श्री राधाकृष्ण गुप्ता ने भूमि आवंटन हेतु कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया था। यदि तत्कालीन पटवारी ने वर्ष 1961 में भूमि को गलत तरीके से राज्य सरकार की नहीं दर्शाकर भारत सरकार की दर्शायी तो इस विषय में सम्बन्धित सक्षम विभागीय अधिकारी को ही जांच कर उपयुक्त निर्णय लेना चाहिए था। किसी नवीन निर्णय के अभाव में वर्ष 1961 में राष्ट्रपति, भारत सरकार के नाम खोले गये नामान्तरकरण को फर्जी मानने का कोई आधार नहीं है।

पाकिस्तान से भारत आये विस्थापितों की पाकिस्तान में भूमि/सम्पत्ति की एवज में उनके क्लेम के आधार पर भूमि आवंटित की जानी थी। श्रीमती रिझी बाई पत्नी वधूमल पाकिस्तान विस्थापित थी जिसको पाकिस्तान में भूमि की एवज में रीजनल सैटलमेंट कमिश्नर ने 29 एकड़ भूमि का क्लेम दिनांक 20-7-67 को जारी किया। इस क्लेम को श्री रामकुमार गुप्ता पुत्र श्री सोहन लाल, निवासी गंगानगर, ने वर्ष 1967 में 25,000/– रुपये में इकरारनामे द्वारा खरीदा। एक पृथक पावर आफ अटार्नी श्रीमती रिझी बाई व अन्य ने श्री रामकुमार गुप्ता के पक्ष में तैयार करायी जिसके आधार पर श्री गुप्ता ने इस 278 बीघा भूमि की रजिस्ट्री वर्ष 1969 (30-9-69) में 12 व्यक्तियों के नाम दर्ज करायी। इस विक्रय में राधाकृष्ण के 4 पुत्रों के नाम 33.5 बीघा भूमि है। अनुसंधान में पाया गया कि श्री रामकुमार गुप्ता की श्री राधाकृष्ण गुप्ता से कोई रिश्तेदारी नहीं है। विस्थापित द्वारा स्वयं के क्लेम को विक्रय करना तथा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इसे क्रय करना ऐसी कार्यवाही नहीं है जो प्रिवेंशन आफ करप्शन एक्ट के प्रावधानों को आकर्षित करती हो।

श्री नरपत सिंह राजवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी द्वारा तैयार किया

(श्री नरपत सिंह राजवी)

गया जवाब मैंने भी पढ़ा है। मात्र दो बिन्दु मैं पूछना चाहता हूं कि किसी भी स्थिति में क्या 29 एकड़ का अवार्ड जारी होने के बाद 278 बीघा भूमि उसके बदले में आबंटित की जा सकती थी ? अगर इसमें कोई भी क्रिमिनल कांस्पिरेंसी नहीं हुई तो 29 एकड़ की जगह 29 एकड़ का तबादला हो सकता था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रपति के नाम सन् 1955 से पूर्व जितने भी पाकिस्तान चले गये वही सम्पति दर्ज की जा सकती थी। निष्क्रान्त सम्पत्ति अधिनियम की धारा 7 (ए) में स्पष्ट प्रावधान है कि सन् 1955 और 1955 के बाद में जो कट-आफ-डेट है, उसके बाद में जो भी पाकिस्तान जाने वाले हैं उनकी सम्पत्ति राज्य में निहित होगी और राज्य में जब निहित नहीं हुई है, इन्होंने कहा कि वे कब पाकिस्तान गये, इसका हमारे पास सबूत नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि सम्वत् 2012 की गिरदावरी उनके नाम है। कालबास में 2012 तक उन्होंने रकम जमा करवायी है फिर कौनसी बात का सबूत चाहिए ? सबूत देखने की अधिकारियों ने कोशिश नहीं की और जिस पहले अधिकारी ने सूत्र सूचना के आधार पर सत्यापन कराना चाहा उस अधिकारी को वहां पर किसी भी स्थिति में नहीं रहने दिया और यह जांच दूसरे को दे दी गयी। प्रश्न इस एक अधिकारी द्वारा किसी प्रकार से 278 बीघा जमीन ले ली उसका नहीं है, प्रश्न इस बात का है कि आज की तारीख में भी अगर इस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त होने वाले अधिकारी के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता है तो हमको अफसोस होता है। इस सम्बन्ध में मैंने पूर्व भी पत्र लिखे थे। एक पत्र का हवाला देना चाहूंगा, जिसमें जिला पुनर्वास अधिकारी ने अपने पत्र क्रमांक 4728 दिनांक 12.12.89 में यह स्पष्ट माना है कि आदेश दिनांक 1.9.69 के तहत वह तबादला उन्होंने दिया, यह आबंटन नहीं है, वह फर्जी है। अब पुनर्वास अधिकारी खुद जो अधिकारी हैं, कस्टोडियन का क्लेम एक्सेप्ट करने वाला, वह मानता है कि यह क्लेम फर्जी है, यह आदेश फर्जी है। उसके बाद मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय मंत्रीजी ने अधिकारियों पर भरोसा करके हाउस के अन्दर यह कैसे कह दिया कि इस क्लेम में कोई सबूत नहीं है।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तहसीलदार खाजूवाला ने अपनी नजरतानी संख्या 3। दिनांक 4.8.88 में यह स्वीकार किया कि यह क्लेम फर्जी है, यह सरकारी जमीन राज्य सरकार में निहित होने वाली जमीन है और यह जो तबादला दिया है यह भी इतना नहीं दिया जा सकता। उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं, यह भी सबूत में नहीं है। और तो और, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कागजात आज की तारीख में उन फाइलों में उपलब्ध नहीं हैं और भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का जहां तक सवाल है, यह सूत्र सूचना को सत्यापित करने के बाद उन्हीं के रिकार्ड के आधार पर, उनके साथ यह रिकार्ड नहीं मिला। अब कोई न कोई इसके पीछे जरूर फालो-अप करने वाला होगा जिसने इन पत्रों का पीछा किया, जिसने सारी तफतीश का पीछा किया और पीछा करने के बाद कह दिया कि कोई सबूत नहीं और चुपचाप

(श्री नरपत सिंह राजवी)

से एफ.ग्रार. लगाने की सिफारिश कर दी। ग्रौर एफ.आर. भी कौनसी लगायी है ? ग्रदमबक। मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह वाकया नहीं हुग्रा ? ग्रदमसबूत लगा सकते थे कि ग्राप सबूत एकत्रित नहीं कर पाये। ग्रदमबक लगाने का अधिकार भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ग्रौर मंत्रीजी को भी नहीं है। ग्रगर घटना घटी है ग्रौर उसके तथ्य ग्राप इकट्ठे नहीं कर पाये, सबूत इकट्ठे नहीं कर पाये। तो कौनसे नियमों के तहत ग्राप कर सकते हैं ? यह कम से कम ग्रापको विचार करना चाहिए था। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रिझी बाई ग्रौर जिसके नाम से 29 एकड़ का क्लेम तत्कालीन ग्रार. ए. एस. ग्रधिकारी ने खरीदा उससे भी बयान नहीं लिये गये ग्रौर उसके लिए जरूरी इसलिए नहीं समझा, जैसा कि इन्होंने जवाब में बताया कि उसको पूछने की ग्रावश्यकता नहीं थी क्योंकि यह तो डिस्पुटेड नहीं है, 29 एकड़ जमीन का क्लेम स्वीकृत ही नहीं हुग्रा हो, यह बात सही है कि इतना क्लेम स्वीकृत उनका हुग्रा, यह बात भी सही है कि उनको इस क्लेम के जमीन कहीं दे दी गयी जिसका कब्जा वह नहीं ले पाये लेकिन यह बात भी सही हैं कि यह क्लेम रजिस्टर करने से पहले रिझी बाई पत्नी वधूमल का एक पुत्र बालिग हो चुका था, उससे भी बयान लिये जा सकते थे कि वास्तव में स्थिति क्या थी। उस समय जब यह तबादला हुग्रा, श्री गुप्ताजी ए. डी. एम., मण्डी सेक्रेटरी थे ग्रौर खाजूवाला के उस क्षेत्र में मण्डी कटी उसका क्षेत्र उसके नीचे था। उसके बावजूद कहते हैं कि कोई सबूत नहीं। 1969 में ही उन्होंने हनुमानगढ़ में रजिस्ट्री करवायी है ग्रौर माननीय मंत्री जी ने जवाब में यह लिखा है कि रजिस्ट्री हनुमानगढ़ में करायी, इसमें कानूनों का कोई उल्लंघन नहीं हुग्रा, मैं इतना पूछना चाहता हूं....

श्री जगदीप धनखड़ : ग्रध्यक्ष महोदय, पाइंट ग्राफ ग्रार्डर।

श्री नरपत सिंह राजवी : माननीय धनखड़ साहब, I think you would realise only for two minutes.

व्यवस्था का प्रश्न

न्यायालय के विचाराधीन मामलों पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती

श्री जगदीप धनखड़ : पाइंट ग्रॉफ आर्डर ग्रापको पता है हैड प्रिसिडेंस। माननीय अध्यक्ष महोदय, I am raising a point of order मेरा पाइंट ग्राफ ग्रार्डर बड़ा लिमिटेड है कि पुलिस इंवेस्टीगेशन हुग्रा एक मामले में, वह सिचुएशन शुरू हुई 1991 में। इंवेस्टीगेशन के पश्चात् पुलिस ने एक रिपोर्ट दी जो सैक्शन 173 सी.ग्रार पी.सी. के तहत दी। उसमें यदि पुलिस किसी को दोषी मानती है तो भी कोर्ट को अधिकार है कि पुलिस किसी को दोषी माने उसको दोषी न माने, ऐसा हुग्रा है ग्रौर यदि पुलिस कोई निचोड़ निकालती है, उसके बाद न्यायालय के समक्ष मामला ग्राता है। यह मामला न्यायालय के समक्ष ग्राया, जैसा माननीय गृह मंत्रीजी ने ग्रपना स्टेटमेंट दिया और ग्रगस्त, 1994 में, माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री जगदीप धनखड़)

इस मामले को कोर्ट ने निर्णित कर दिया, उस समय कोर्ट पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को न एक्सेप्ट करता, कोर्ट फर्दर इंवेस्टीगेशन के लिए कह सकता था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जहां एक मामला पूर्ण रूप से जुडिशियली डिटरमिन हो गया, कोर्ट ने उस फाइनल रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया उसके पश्चात् समझ में नहीं आता, माननीय सदस्य ने, यह कैसे तो रिसेंट आकरेंस का मामला है? वह एक अलग बात है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि उधर के लोगों को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कम पूछने चाहिए,+++वह एक अलग बात है। रूल 131(ए) में लिखा हुआ है, यह होना चाहिए आफ रिसेंट आकरेंस। आकरेंस तो हुआ 1991 में, पुलिस का इंवेस्टीगेशन हुआ, फाइनल रिपोर्ट एक्सेप्ट हो गयी, उसके बाद तो मेरे दो मुद्दे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, It does not come in the purview of a calling attention admissibility. नम्बर दो, जो मैटर जुडिशियली डिटरमिन हो गया, माननीय सदस्य जो भी कुछ रिफलेक्ट करेंगे यह उस न्यायाधीश के कण्डक्ट पर रिफलेक्ट करेंगे जिसने उस फाइनल रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया। माननीय न्यायाधीश के कण्डक्ट पर रिफलेक्ट करना, मैं समझता हूं कि इस सदन की मंशा नहीं हो सकती। माननीय अध्यक्ष महोदय, I am seeking your protection for our judiciary यदि यह मामला मात्र अनुसंधान पर सीमित था, समझ में आता पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मामला न्यायालय में निर्णित हो गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पाइंट आफ आर्डर पर आप व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष : बिलकुल दूंगा। I disallow your point of order. बिलकुल, स्टेट वर्सेज भगवतसिंह का केस है 1285 पेज, पेज गलत हो सकता है और 1985 का है कि यदि कोई एफ. आर. हो गयी, कोर्ट ने मानली उसके बाद भी यदि कोई पिटिशनर चाहे तो उसको खुलवा सकता है इसलिए I disallow your point of order. बिराजिये आप।

श्री जगदीप धनखड़ : यह किसी ने भी नहीं चाहा, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : और यह जुडिशियल डिसीजन नहीं है, एफ. आर. तो पुलिस लेकर जाती है और कोर्ट उसको स्वीकार कर लेती है बिराजिये आप। I disallow your point of order.

श्री जगदीप धनखड़ : और मैंने आपको कक्ष में भी कहा था कि इस निर्णय में न तो राज्य सरकार ने और न किसी कम्प्लेनेंट ने इसको री ओपन करने की व्यवस्था की....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री जगदीप धनखड़ : यह फाइनल हो चुका है।

+++अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप । रिसेंट ओकरेंस का जहां तक सवाल है 1994 में ही एफ. आर. कोर्ट ने काग्निजेंस लेकर उसको फाइल कर दी, 1994 में इसलिए This is resent occurrence. माननीय सदस्य बोलें । बिराजिये आप । आपने बहुत अच्छी बात उठा ली । आपकी बात हो गयी । बिराजिये आप ।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आप से विनम्र निवेदन है कि इस मामले में न्यायालय के निर्णय को किसी ने चुनौती नहीं दी है, किसी ने ऊपर अपील नहीं की है ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये आप । I disallow.

श्री जगदीप धनखड़ : किसी ने प्रोटेस्ट में पिटिशन नहीं की है, राज्य सरकार उससे संतुष्ट है ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप ।... अभी आपको डिमाण्ड पर बोलना है, माननीय सदस्य, इतना गला अभी से खराब कर लेंगे तो... माननीय सदस्य, बिराजिये ।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि न्यायपालिका की गरिमा पर आंच लगाने पर उतारू हैं, हम चाहते हैं कि जुडिशियरी....

श्री अध्यक्ष : न्यायालय की गरिमा पर कोई आंच नहीं आ रही है ।

श्री जगदीप धनखड़ : पर चर्चा नहीं करवायें । और क्या होगा ? माननीय सदस्य जो भी बोल रहे हैं वह न्यायाधीश के आचरण पर बोल रहे हैं, उनको स्वीकार नहीं करना चाहिए था ।

श्री अध्यक्ष : आचरण पर नहीं बोल रहे हैं, माननीय सदस्य ।

श्री जगदीप धनखड़ : आपको अनुसंधान कराना चाहिए था ।

श्री अध्यक्ष : आप भी वकील हैं और मैंने भी वकालत की है । जब भी एफ. आर. लगी है और कोर्ट ने स्वीकार कर ली तो हमने वापस उसको खुलवाया है, प्रोटेस्ट पिटिशन लगवा कर । बिराजिये आप ।

श्री जगदीप धनखड़ : बिलकुल ठीक है, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ । यहां ऐसा होता, ऐसा नहीं हुआ, किसी ने कुछ नहीं किया है । यह मामला खतम हो चुका है ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप ।

श्री नरपत सिंह राजवी : मेरा बिना बात का स्टेटमेंट धनखड़जी, आपका सर्टिफिकेट मुझे नहीं चाहिए....

श्री जगदीप धनखड़ : चाहे जैसे थोड़े ही बना देंगे । यदि उनको....

श्री अध्यक्ष : आप मत बनाइये । माननीय सदस्य, बिराजिये ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

बोरियावाली (खाजूवाला) जिला बीकानेर की 278 बीघा भूमि का अधिकारियों की मिली भगत से फर्जी आवंटन

श्री नरपत सिंह राजवी : किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को मैं बताना

(श्री नरपत सिंह राजवी)

चाहता हूं कि न्यायपालिका के बारे में आपने जरूर जाना शुरू किया होगा लेकिन मेरा जन्म उस घर में हुआ है। मै न्यायपालिका का आदर करना जानता हूं, मैं आपके शब्दों के फेर में नहीं आना चाहता हूं लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो अधिकार एक सदस्य को है, मैंने उसके जजमेंट को चैलेंज नहीं किया है, इंवेस्टीगेशन को चैलेंज किया है और इंवेस्टीगेशन जो कोर्ट के अन्दर प्रस्तुत की जाती है उसी आधार पर एफ. आर. लगती है। मैंने कहा कि अदम बकुआ नहीं की जा सकती है। मैंने तथ्य सामने रखे हैं, मैंने जो पत्र लिखे हैं, वह पत्र रिकार्ड पर हैं पर इंवेस्टीगेशन में लिये ही नहीं हैं और उनको अगर इंवेस्टीगेशन में लिया जाता तो उस पर किसी भी स्थिति में एफ. आर. नहीं लग सकती थी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि....(व्यवधान)... अच्छी तरह से समझ रहा हूं आप तो बिराजो।....(व्यवधान)....

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सदस्य तो डिटरमिण्ड हैं कि वह न्यायिक अधिकारी व न्यायपालिका के ऊपर लांछन लगायें।

श्री अध्यक्ष : न्यायपालिका की कोई बात ही नहीं हो रही है। बिराजिये आप।

श्री जगदीप धनखड़ : जो मामला डिटरमिण्ड हो गया उसके बाद में नहीं कह सकते कि हम और एविडेंस लाते। वह प्रक्रिया खतम हो गयी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बहुत हो गया, बिराजिये आप।

श्री जगदीप धनखड़ : सरकार उस समय जागरुक होती तो उसको चुनौती देती।

श्री अध्यक्ष : आपने पाइंट आफ आर्डर उठाया मैंने उसको डिस अलाऊ कर दिया। बिराजिये आप।

श्री नरपत सिंह राजवी : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि गंगानगर के पुनर्वास अधिकारी के पत्र संख्या 4728 दिनांक 12-12-1989 और तत्कालीन तहसीलदार के पत्र के सम्बन्ध में जो विवरण दिया है उसका कम से कम अध्ययन कर लिया होता तो यह एफ आर. लगाने की नौबत नहीं आती। इसमें एक बार कहा कि साहब हनुमानगढ़ से कब चले गये, यह पता नहीं, राजस्व रिकार्ड में सम्वत 2012 में वह काश्तकार थे उनकी वहां गिरदावरी हुई है, उन्होंने रकम जमा करवायी है और स्थिति यह कि डालवास और गिरदावरी भी गायब करवा दी। यहां तक कि सूत्र सूचना का सत्यापन हुआ है वह भी कार्यालय से गायब करवा दिया गया। ऐसी स्थिति में अगर सदन का ध्यान आकर्षण नहीं करवाऊंगा तो मेरे ख्याल से मेरी नालेज में आने के बाद अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने ध्यानाकर्षण करना उचित समझा।

अब जहां तक सनद का सवाल है, सनद उन्होंने ले ली और सनद लेने के बाद में जब सनद का सत्यापन करवाया गया तो सत्यापन उसी अधिकारी के द्वारा किया हुआ बताया गया है जो खुद इस पत्र सूत्र सूचना में मुल्जिम है, श्री बिरदी चन्द यादव। उन्होंने सत्यापन कर यह बताया,

(श्री नरपत सिंह राजवी)

जबकि हकीकत यह है कि जब इसका सत्यापन करने के लिए यहां के जांच अधिकारी पहुंचे जैसलमेर हाउस में, जो डिप्टी कमिश्नर कोलोनाइजेशन के अधिकारी के डिपार्टमेंट का आफिस है, उन्होंने कहा कि यह दस्तावेज हमारे पास नहीं है, लेकिन उन्होंने साथ में यह भी कहा कि ये हस्ताक्षर जो किये गये हैं वह ट्रेस किये हुए हैं। अब इस बात की कम से कम जांच तो कर लेनी चाहिये थी। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि श्री बिरदी चन्द के पत्र क्रमांक 1594 दिनांक 3–4–1986 इसमें उस अधिकारी ने स्वयं ने उसके पत्र के माध्यम से माना कि मैंने सत्यापन करवा लिया है लेकिन उसकी आर्डर शीट नहीं है और आफिस कापी नहीं है। उन सब बातों पर जांच मैं चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय अच्छी तरह से करवायें अगर भ्रष्ट नहीं हैं तो छोड़ दें और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो उसको कम से कम दंडित करें। लेकिन मैं यह स्पष्ट रूप से चाहूंगा कि 29 एकड़ के अगेंस्ट में 278 बीघा का क्लेम राजस्थान के किसी भी कानून में स्वीकृत नहीं हो सकता था। यह किस आधार पर हुआ है ? आप संतुष्ट हैं तो बता दें।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ध्यानाकर्षण करते हुए जो तथ्य सामने लाये हैं लेकिन पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, कि एफ आर. लगने के बाद भी अगर कुछ ऐसे नये तथ्य सामने आते हैं, क्योंकि एफ. आर. दो तरह से जाती है। एक एफ. आर. होती है "अदम वकुआ" कोई घटना हुई नहीं तो आकरेंस टुक प्लेस, एक एफ. आर. जाती है कि अगर कोई आकरेंस हुई तो है लेकिन उसका साक्ष्य नहीं जुटा सके, जिस साक्ष्य के आधार पर अदालत में मुकदमा चलाया जा सके और उसको दंडित करवाया जा सके। "अदम सबूत" वह कहलाती है। इन दो परिस्थितियों में एफ. आर. लगती है और इस एफ. आर. लगने के बाद अदालत नोटिस भी देती है कम्प्लेनेंट को कि आप को कुछ कहना हो तो कहिये और उस नोटिस के बाद, सारा रिकार्ड देखने के बाद या तो अदालत वापस लौटा देती है कि इसमें कमियां हैं, हम स्वीकार नहीं करते हैं या अदालत स्वयं कोग्निजेंस लेकर उस कार्यवाही को चालू कर सकती है। यह लीगल पोजिशन है और इसलिए इस विवाद में तो मैं उलझना नहीं चाहता, सुप्रीम कोर्ट के माननीय एडवोकेट साहब मेरे से सहमत होंगे इस बारे में कि एफ. आर. कभी भी खोली जा सकती है।

लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जो कुछ तथ्य सामने आये हैं, बात यह है कि प्रशासनिक अनियमितता तो कही जा सकती है। 1961 में एक जमीन का नामान्तरण राष्ट्रपति के नाम पर कर दिया और पटवारी ने कर दिया उस समय तक राधाकृष्ण गुप्ता या बिरदीचन्द यादव और किसी कि किसी भी तरह की कोई दरख्वास्त जमीन अलाटमेंट करवाने की नहीं है। मैं यह मान सकता हूं कि वह राष्ट्रपति के नाम उस समय नहीं होनी चाहिए थी जो कट आफ डेट इवेक्यू एक्ट, निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम है, इसमें कट आफ डेट है वह है 7–5–1954, 7–5-1954 के पहले जो लोग चले गये उनकी जमीन तो राष्ट्रपति के नाम से और उसके बाद में

(श्री कैलाश मेघवाल)

होगी वह राजस्थान सरकार की जमीन ही मानी जायेगी, तो वह एक इनोसेंट मिस्टेक हो सकती है, केलकुलेटिव मिस्टेक हो सकती है लेकिन उस समय उस अमल बरामद में किसी तरह का कोई झगड़ा दिखता नहीं है।

दूसरा, माननीय विधायक ने कहा कि 29 एकड़ के मुकाबले 278 बीघा जमीन कैसे दी गयी है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 278 बीघा करेक्ट पोजिशन है जिस समय अलाट की गयी उस समय उसकी जो किस्म थी वह असिंचित भूमि की थी और उस असिंचित भूमि की किस्म को वहां की 29 एकड़ के मुकाबले, क्योंकि 29 एकड़ का क्लेम पास हुआ था। अध्यक्ष महोदय, आज मैं जब सारी स्थिति समझ रहा था तो एक स्थिति आपके सामने और रख देना चाहता हूं जिससे कि सारे सदन के सदस्यों को मालूम हो। उस समय जिस तरह के कई तरह के आज माफियाओं की यहां चर्चा करते हैं तो ये इवेक्यू प्रापर्टी के समय जिस समय सैटल हो रहे थे, सारे क्लेम हो रहे थे, इधर-उधर जो ग्रेटेस्ट आक्सोडस आफ द हिस्ट्री हुआ था 1947 में और उसके बाद जो भी स्थितियां रहीं। उसमें कई बार जो बाहर से आये, पाकिस्तान से आये हुए लोग यहां क्लेम भी कर देते थे और उस क्लेम के आधार कहां किसी तरह की जमीन उनको एवज में मिल सकती है यह उनको पूरी जानकारी नहीं होती थी तो उस समय इंटेलिजेंटली या कुछ चतुर और बुद्धिमान लोगों ने, इस तरह के माफिया डवलप हो गया कि वो जो कोई होता तो ध्यान रखते थे कि इसका क्लेम तैयार होगा और वह उसके पास पहुंच जाते कि भाई तेरा क्लेम बेचना है क्या? उससे पूरी पावर आफ आटर्नी लिखवा लेते और वह जानते थे कि यह जमीन हमको कहां लेनी है और इससे हमको क्या लाभ हो सकता है। उस समय सामान्यतः एक माफिया जो डवलप हुआ, उस समय की यह स्थिति थी। यह जो रझी बाई का क्लेम हुआ। इस रझी बाई के पक्ष में इस 29 एकड़ के क्लेम को खरीद लिया गया पावर आफ अटार्नी लेकर और उसके बाद, पावर आफ अटार्नी लेने वाले बड़े चतुर होते हैं। उसने सीधा ही दूसरों के नाम से 12 आदमियों के नाम से बेच-बेचा दिया। तो इस तरह से ये फैक्ट्स तो साफ है। मैं माननीय सदस्य को एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सैटलमेंट कम मैनेजिंग आफिसर्स डिपार्टमेंटल रिहेबिलिटेशन सैटलमेंट विंग, जैसलमेर हाउस, नई दिल्ली से यह जो सारा हुआ था। यह आपके भी ध्यान में सही स्थिति है। एक पत्र का आपने हवाला दिया है। यह जो आपने लिखे हैं, मैंने नोट भी किया है और रिकार्ड से भी उनको ले लूंगा और माननीय विधायक को एक निवेदन और करना चाहता हूं अगर उनके पास और कोई तथ्य हों तो वह तथ्य मुझे दे दें। मुझे इसमें निष्पक्ष जांच कराने में, इनका मैं परीक्षण करवा लूंगा। हमारा अपना राज्य अन्वेषण ब्यूरो है। उनको भेज दूंगा कि किस तरह का कोई अपराध बनता है। प्राइमाफेसी आज की तारीख में जिस तरह के तथ्य मैंने देखे हैं उस अनुसंधान की पत्रावली में, उनके आधार पर जो धाराएं लगायी हुई थीं और जो प्रिवेंशन आफ करप्शन एक्ट के अन्तर्गत धाराएं लगायी हुई थीं। वह केस बाद में

(श्री कैलाश मेघवाल)

प्रमाणित नहीं सामने आया। यह मैंने भी देखा है लेकिन अगर नये तथ्य भी सामने आते हैं तो उन तथ्यों का परीक्षण करवा लिया जायेगा और अगर वह साक्ष्य के रूप में ऐसी स्थिति पैदा करते हैं कि केस चालान हो सके तो वापस खुलवाने की भी कोशिश कर लेंगे। यह मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं और भी जो तथ्य उनके पास हैं, वह मुझे बता देवें।

श्री नरपत सिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, यह बात खतम हो गयी, मुझे तो संक्षेप में इतना ही कहना है कि यहां जितने मैंने तथ्य दिये हैं, इनमें अधिकांश तथ्य सूत्र-सूचना के अन्दर आ चुके हैं। इसके अलावा मैं यह बताना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी को कि खाजूवाला बेरियावाली मंडी को जमीन सिंचित सन् 1968 में घोषित की गयी थी, आवंटन 1996 का है। आपको सूचना गलत दी गयी है। आप इसको दुबारा क्लेरिफाई कर लें और जब आपको ...

श्री अध्यक्ष : आप माननीय मंत्रीजी से बात कर लें। बिराजियें आप।

अनुदान की मांग पर विचार एवं मतदान। श्री राजेन्द्र राठौड़, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुदान की मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य एवं सफाई, विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य एवं सफाई की प्रस्तुति

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान की मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य एवं सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,16,33,93,000/- (रुपये पांच अरब सोलह करोड़ तैंतीस लाख तिरानवे हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

मांग संख्या-26 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 26-मुख्य शीर्षक चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि :-

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) :

1. वर्ष 94-95 के दौरान पी.बी.एम. हास्पिटल व एस.पी. मेडिकल कालेज बीकानेर में स्वीकृत वर्क्स पूरे न कराने, नर्सिंग स्टाफ व शैय्याओं का विस्तार न किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

2. खाजूवाला, पूगल व छतरगढ़ सिंचित क्षेत्रों में बीमारियों के रोकथाम हेतु एवं इलाज हेतु मोबाइल यूनिट स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

3. राज्य के दूसरे नम्बर पर स्वीकृत मेडीकल कालेज बीकानेर के प्रति सरकारी उपेक्षा पूर्ण नीति को दूर करके कतिपय

(249)

(श्री भीमसेन चौधरी)

सुपर स्पेशलिस्ट को त्वरित गति से प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) :

4. राज्य में गांवों तथा शहरों में डाक्टरों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की समुचित व्यवस्था कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

5. प्रदेश में गिरते चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं सफाई के स्तर में सुधार नहीं होने के कारण मलेरिया-पीलिया आदि बीमारियों के फैलने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

6. जनसंख्या वृद्धि की रोकथाम पर परिवार कल्याण कार्यक्रमों का कारगर प्रभाव नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

7. राज्य में डाक्टरों, वैद्यों व दवाइयों की कमी से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिए।

8. राज्य में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में अपनायी जा रही चिकित्सा सुविधाओं में विषमता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) :

9. अस्पतालों, डिस्पेंसरीज आदि में उपकरणों की कमी तथा जीवन रक्षक औषधियों की अनुपलब्धता से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए।

10. परिवार कल्याण कार्यक्रम को कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम बनाकर चलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

11. मलेरिया रोग की रोकथाम में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिए।

12. ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ आदि की कमी से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) :

13. ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सालयों एवं चिकित्सकों की कमी से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए।

14. ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सालयों में पर्याप्त भवन एवं डाक्टरों के क्वाटर्स बनाये जाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) :

15. कुशलगढ़ क्षेत्र में लम्बे समय से डाक्टरों के व अन्य स्टाफ के रिक्त पद राज्य सरकार भरने में असमर्थ रही इस पर चर्चा के लिए।

16. कुशलगढ़ क्षेत्र के राजकीय हास्पिटल डुगरा छोटा में एक्स-रे मशीन होते हुए भी स्टाफ के अभाव में मरीजों को राहत नहीं मिलने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए।

17. राजकीय औषधालय कुशलगढ़ (बांसवाड़ा) में सफाई व मरीजों के बिस्तर आदि की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) :

18. राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आनन्दपुर कालू में प्रसूति गृह नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

19. राज. रेफरल प्राथमिक स्वा. केन्द्र निम्बाज तहसील जैतारण में एक्स-रे मशीन साल भर पहले आ जाने के बावजूद भी चालू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) :

20. अस्पतालों में डाक्टरों की कमी एवं ब्लड-बैंक के अभाव में मरीजों को होने वाली परेशानी से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) :

21. अस्पतालों में डाक्टरों एवं दवाइयों की कमी से मरीजों की मृत्युओं से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) :

22. ब्यावर में अमृतकौर "अ" श्रेणी अस्पताल में डाक्टरों व नर्सिंग स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़) :

23. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सूरजगढ़ के ग्राम-पचेरी, छुटिना, उदावाड़ी, सांवलोद एवं हीरावा के राजकीय स्वास्थ्य केन्द्रों पर नर्स एवं कम्पाउण्डरों के अनुपस्थित रहने के कारण ग्रामवासियों को चिकित्सा सुविधा में हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

24. जिला अलवर के कस्बा मुबारिकपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीमराज भाटी (पाली) :

25. पाली विधान सभा क्षेत्र में इन्द्रोको की ढाणी गांव में चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. पाली विधान सभा क्षेत्र में पाली हंजावा गांव में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) :

27. अलवर में 6 फैक्टरी एरिया में चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) :

28. सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर के न्यूरोसर्जिकल यूनिट में दो नये वार्ड खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल वर्मा (डग) :

29. डग क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री भगराज चौधरी (आहोर) :

30. जालौर जिले की आहोर पंचायत समिति के ग्राम भोरड़ा एवं भूती में नये

(श्री मगराज चौधरी)

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने एवं ग्राम नोसरा व घाणा में स्वास्थ्य केन्द्र व अन्य स्थानों पर आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढा) :

31. झुन्झुनूं जिले के उदयपुरवाटी रैफरल अस्पताल में डाक्टरों की कमी पूर्ति करने व अस्पताल में डाक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) :

32. कोटपूतली क्षेत्र में रैफरल अस्पताल पावटा में खोलने एवं चिमनपुरा स्थित चिकित्सालय में सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) :

33. दौसा जिले में स्थित बांदीकुई अस्पताल व अन्य अस्पतालों की बिगड़ी हुई स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) :

34. राज्य में अत्याधुनिक कैंसर इन्स्टीटयूट स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. राज्य में प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर नर्स, कम्पाउण्डर के पदस्थापन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. एस.एम.एस. चिकित्सालय, जयपुर में किडनी प्रत्यारोपण (ट्रांसप्लांट) की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिनारायण (खण्डार) :

37. निर्वाचन क्षेत्र खण्डार में नये चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) :

38. कपिल हास्पिटल नीमकाथाना में 50 बिस्तर की जगह 100 बिस्तर का हास्पिटल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. नीमकाथाना छावनी डिस्पेन्सरी में चिकित्सा की पूर्ण व्यवस्था नहीं होने के कारण ग्राम नागरिकों को हो रही परेशानी पर चर्चा के लिये।

40. नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र के सांवलपुरा तंवरान में हास्पिटल जो मन्जूर शुदा था उसको बन्द करने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

41. कपिल हास्पिटल नीमकाथाना में सर्जन के रिक्त स्थान से मरीजों को हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी) :

42. डूंगरपुर जिले के ग्रामीण अंचलों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा) :

43. निम्बाहेड़ा एवं छोटी सादड़ी

(श्री उदयलाल आंजना)

स्वास्थ्य केन्द्रों की अव्यवस्था से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) :

44. चिकित्सा सेवाओं में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) :

45. खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र के गांव कनबई में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

46. खैरवाड़ा तहसील मुख्यालय पर रैफरल अस्पताल की सुविधा न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

47. खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र में डी.डी.टी. का छिड़काव समय पर नहीं होने से मलेरिया प्रकोप बढ़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) :

48. सिरोही मुख्यालय स्थित चिकित्सालय की टूट-फूट ठीक करवाने तथा सड़ी हुई वायरिंग बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

49. सिरोही मुख्यालय स्थित चिकित्सालय में समस्त खाली पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

50. सिरोही तहसील के ग्राम वाडेली व मडिया में उप स्वास्थ्य केन्द्र तथा मंडवारिया में एड-पोस्ट स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) :

51. अलवर मुख्यालय स्थित चिकित्सालयों में रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

डा. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी) :

52. राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

53. खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर डाक्टर्स की नियुक्ति एवं सब सेन्टर्स पर नर्सेज की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

54. सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर की लेबोरेट्री सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

55. सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में ब्लड बैंक में विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

56. सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में गैस्ट्रो सर्जरी की स्थापना की आवश्यकता व कार्डियोलोजी विभागों की सेवाओं में सुधार हेतु चर्चा के लिये ।

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) :

57. अलवर तहसील के ग्राम झमतड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) :

58. सिरोही मुख्यालय के महिला

(श्रीमती तारा भण्डारी)

चिकित्सालय के टूटे-फूटे शौचालय एवं स्नानघर की मरम्मत करवाने तथा पानी की माकूल व्यवस्था कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. शिवगंज तहसील की छीबा गांव ग्राम पंचायत के गांव चोटीला में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा ग्राम पंचायत आलपा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) :

60. राजस्थान नर्सिंग कोन्सिल के रजिस्ट्रार का पद नहीं भरे जाने एवं उस पर सेवा निवृत्त कर्मचारी का अनाधिकृत रूप से कार्य करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

61. नर्सिंग कर्मचारियों की डी.पी.सी. लम्बे समय से न होने के कारण कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) :

62. सी.एच.सी. गंगरार में एम्बुलेंस बस की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल) :

63. राजकीय मालुबाई लुकड अस्पताल में पिछले कई वर्षों से एक्स-रे टेक्नीशियन, एम.एस. डाक्टर का पद, शिशु रोग, हड्डी विशेषज्ञ आदि के रिक्त पदों से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) :

64. न्यू हास्पिटल भरतपुर की बाउन्ड्री वाल बनाने हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

65. जहाजपुर अस्पताल परिसर की भूमि पर नाजायज विक्रय एवं अवैध निर्माण की स्वीकृति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

66. जहाजपुर क्षेत्र में डाक्टरों एवं कम्पाउन्डरों/नर्सों आदि के स्टाफ की कमी से जनता को होने वाली कठिनाइयों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

67. ग्रामों में चिकित्सालय भवनों के विस्तार, निर्माण एवं रख-रखाव पर धन राशि की व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

68. 1989-90 में खोले गये भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील में एलोला कोटडा तहसील के छापरेल तथा रामपुर तहसील के बोरियापुर में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. जहाजपुर के रैफरल अस्पताल में जन मांग को देखते हुए 22 शैय्याएं बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) :

70. चिकित्सा विभाग में प्रशासनिक कार्यों के लिये जिला व प्रदेश स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. नागौर जिले में कनिष्ठ विशेषज्ञों

(श्री हरजीराम बुरडक)

के पदों पर अन्य डाक्टरों को पदस्थापित किये जाने के कारण हो रही जन असुविधा पर चर्चा के लिये ।

72. राजकीय अस्पताल लाडनूं के इन्चार्ज डाक्टर द्वारा सरकारी आवास में चलायी जा रही वाणिज्यिक कार्यवाही जांच में सही पाये जाने के उपरांत भी बंद नहीं किये जाने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये ।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढा) एवं

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) :

73, पीलिया रोग के फैलाव तथा उसकी समुचित चिकित्सा एवं रोकथाम के उपायों में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

74. भगवान दास खेतान राजकीय अस्पताल झुन्झुनूं में नर्सिंग स्टाफ तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं सफाई कर्मचारियों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

75. अस्पतालों के लिए दवाई तथा अन्य सामग्री की खरीद में होने वाले घोटालों की रोकथाम तथा खरीद प्रक्रिया में सुधार लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

76. मलेरिया/पीलिया तथा इसी प्रकार की अन्य बीमारियों के फैलने से पहले इनकी रोकथाम के लिए कारगर कदम उठाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री कालूलाल गूजर (मांडल) :

77. ग्राम करेड़ा जिला भीलवाड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक महिला डाक्टर (स्त्री रोग विशेषज्ञ) का पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

78. विधान सभा क्षेत्र के ग्राम भगवानपुरा, कोडियास शाखा, कारोई, चिताम्बा, चांखेड, लेसवा, छाजुओं का खेड़ा, गुन्दली, रामपुरिया, घोड़ास, भादूसुरास, गोरख्या, चिलेश्वर आदि गांवों में प्राथमिक चिकित्सालय नहीं होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

79. विधान सभा क्षेत्र माण्डल जिला भीलवाड़ा में अस्पतालों हेतु पर्याप्त भवन की व्यवस्था कराने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवरायपाटन) :

80 केशवरायपाटन तहसील के गुड़ली, चड़ी, सारसला, बासोद, बलकासा, हिंगोनिया, चरड़ाना, आजन्दा, रेबारपुरा, बसवाड़ा, खरायता एवं गुढ़ा पंचायत मुख्यालयों पर उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलकर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

81. केशवरायपाटन तहसील मुख्यालय के चिकित्सा भवन में भू-गर्भीय हलचल से हो रहे भारी नुकसान को देखते हुए अन्यत्र नया भवन बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

82. केशवरायपाटन क्षेत्र के डाक्टर, नर्स एवं अन्य स्टाफ को तहसील एवं जिले के बाहर प्रतिनियुक्ति पर लगाये जाने से जनता को हो रही भारी असुविधा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

83. केशवरायपाटन क्षेत्र के अधिकांश मेडिकल स्टाफ के मुख्यालयों एवं कार्यालयों में उपस्थित नहीं रहने से जनता को हो रही भारी परेशानी पर चर्चा के लिये।

84. केशवरायपाटन तहसील के जैथल, झालीजी का बराना, नोताड़ा, लबान, रोटेदा, भीया एवं मायजा ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर डिस्पेन्सरी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) :

85. कुम्हेर कस्बे में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) :

86. पंचायत समिति लालसोट के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मण्डावरी में मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र की सुविधाएं नहीं होने से, उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

87. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दौलतपुरा (लालसोट) में चिकित्सा अधिकारी के मुख्यालय पर नहीं रहने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

88. पंचायत समिति लालसोट के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दौलतपुरा एवं बगड़ी में भवन नहीं होने से उत्पन्न असुविधा पर चर्चा के लिये।

89. राजकीय चिकित्सालय गंगापुरसिटी में कार्यरत महिला चिकित्सक का भ्रष्टाचार में लिप्त होने पर भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) :

90. ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं के अभाव से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) :

91. उदयपुर सम्भाग विशेषकर उदयपुर जिले की जनजाति जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र में स्थित प्रा. सामुदायिक स्वा. केन्द्र एवं रैफरल अस्पतालों में डाक्टर के रिक्त पद नहीं भरे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

92. जनजाति उपयोजना क्षेत्र में उप स्वा. केन्द्र, पी.एच.सी., सी.एच.सी. एवं एम.सी.एच. केन्द्र खोलने में निर्धारित मानदण्ड में शिथिलता बरतने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93. निजी क्लिनिक एवं नीम हकीमों द्वारा गरीब लोगों के जीवन के साथ की जा रही खिलवाड़ की रोकथाम पर चर्चा के लिये।

94. उदयपुर में सार्वजनिक चिकित्सालय में सफाई कर्मचारियों के पद वार्डों

(श्री महावीर मगोरा)

के विस्तार के अनुसार सृजित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

95. पदस्थापित मेडिकल कर्मियों के मुख्यालय पर नहीं रहने से क्षेत्रीय लोगों को चिकित्सा सुविधा समय पर नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर):

96. सीमावर्ती क्षेत्र में जो औषधालय भवन बने हैं उनमें डाक्टर, कम्पाउण्डर, नर्स एवं स्टाफ लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

97. सरकारी औषधालयों में स्टाफ, नर्स एवं डाक्टरों की अनुपस्थिति से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

98. सरकारी अस्पतालों में सफाई की व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. सरकारी डाक्टरों द्वारा प्राइवेट प्रेक्टिस करने से ग्राम जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):

100. इण्डियन ड्रग्स अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक जारी फार्मेसी लाइसेन्स धारकों के अभाव में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर दवाई की दुकान खोलने की इजाजत देने की सरकारी घोषणा से पैदा हुए जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

101. सहभागीदारिता के आधार पर 700 उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की सरकारी घोषणा के साथ-साथ निश्चित मानदण्ड निर्धारित करने में सरकारी विफलता से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

102. मलेरिया नियंत्रण बाबत गठित रामेश्वर शर्मा कमेटी की रिपोर्ट माननीय सदस्यों को उपलब्ध नहीं कराने तथा मलेरिया नियंत्रण में सरकारी विफलता पर चर्चा के लिये।

103. रायथल (बून्दी) स्थित उप-स्वास्थ्य केन्द्र को कम्पाउण्डर डिस्पेन्सरी में क्रमोन्नत नहीं करने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

104. विभाग में मितव्ययता के सिद्धांत के विरुद्ध पूर्ण अधिकार सम्पन्न शासन सचिव के कार्यरत होते हुए भी कमिश्नर स्तर के दूसरे आई.ए.एस. अधिकारी सरकार द्वारा पदस्थापन आदेश जारी करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़):

105. झुन्झुनूं जिले के राजकीय चिकित्सालयों में सफाई की सुचारू व्यवस्था न होने के कारण चिकित्सालय में भर्ती रोगियों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

(श्री सुन्दर लाल)

106. झुन्झुनूं जिले के राजकीय चिकित्सालयों में कार्यरत डाक्टर/कम्पाउन्डर/नर्स समय पर ड्यूटी पर उपस्थित नहीं होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

107. सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र (झुन्झुनूं) के राजकीय चिकित्सालयों में डाक्टर/कम्पाउन्डर/नर्सों के रिक्त पड़े पदों से जनता को हो रही परेशानी पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर) :

108. सदर अस्पताल धौलपुर में सफाई व्यवस्था सन्तोषजनक नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

109. सदर अस्पताल धौलपुर में बर्न यूनिट, इंसेन्टिव केयर यूनिट व टी. बी. वार्ड खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

110. धौलपुर जिले के सदर अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन नहीं होने से मरीजों को हो रही असुविधा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

111. धौलपुर सदर अस्पताल में डाक्टरों एवं विशेषज्ञों के खाली पदों को नहीं भरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) :

112. बालोतरा नाहटा चिकित्सालय 100 शैय्या का होने के बावजूद भी स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

113. मलेरिया और अन्य बिमारियों को मध्ये नजर रखते हुए परेरू गिड़ा, कल्याणपुर और सिलेली में चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमरा राम (धोद) :

114. पंचायत समिति धोद सीकर का सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र कुदन में चालू रखे जाने से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

115. निजी चिकित्सालयों को इलाज सम्बन्धी दरों पर नियंत्रण रखने एवं अप्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा चिकित्सा किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

116. विधान सभा क्षेत्र धोद में स्वास्थ्य कर्मियों के स्थान पिछले 9 वर्ष से रिक्त पड़े होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्री शीशराम ओला (झुन्झुनूं) :

117. ग्रामीण जनता के लिये राज्य में अधिक चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

118. सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में रोगियों की शैय्याओं की कमी से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

119. झुन्झुनूं जिले में राजकीय चिकित्सालयों में दी जाने वाली दवाइयां गरीब/

(श्री शीशराम ओला)

जरूरतमंद बीमारों तक नहीं पहुंचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

120. राजकीय चिकित्सालयों में स्वीकृति के हिसाब से स्टाफ न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गोपीराम जाट (आमेर) :

121. ग्राम दौलतपुरा कोटडा में सीनियर एडपोस्ट नहीं होने से ग्रामीणों को हो रही असुविधा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

122. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जाहोता में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र नहीं होने की वजह से ग्रामीणों को हो रही असुविधा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

123. आमेर सामुदायिक चिकित्सा भवन में मरीजों का वार्ड रूम नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

124. धानकिया तहसील जयपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

125. कालवाड़ तहसील जयपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं होने पर उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) :

126. उदयपुर के आर. एन. टी. मेडीकल कालेज तथा सामान्य चिकित्सालय में डाक्टर्स-पेरा मेडिकल स्टाफ आदि की भयंकर कमी के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

127. आर. एन. टी. मेडिकल कालेज, उदयपुर में बार-बार रेजीडेन्टस और इन्टर्न डाक्टर्स व नर्सेज की हड़तालें के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

128. उदयपुर में सेक्टर 4 व चांदपोल के सेटेलाइट हास्पिटल के भवन बनाने में आने वाली रूकावटों से उत्पन्न स्थिति को विभाग द्वारा दूर कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जीतराम (मालपुरा) :

129. टोंक जिले में डाक्टर, कम्पाउन्डर्स एवं नर्सों के रिक्त पदों पर पदस्थापन नहीं करने से उत्पन्न समस्या एवं जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

130. सआदत अस्पताल, टोंक में ब्लड बैंक नहीं होने से मरीजों को हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

131. टोंक मुख्यालय पर टी. बी. अस्पताल के भवन निर्माण के आश्वासन के बाद भी राशि की स्वीकृति नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

132. राजस्थान के अन्य जिला मुख्यालयों की भांति टोंक जिला मुख्यालय पर "अ" श्रेणी का आयुर्वेदिक चिकित्सालय नहीं होने से लोगों को हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

133. सआदत चिकित्सालय टोंक में गहन चिकित्सा इकाई नहीं होने से टोंक जिले के लोगों को हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

श्री इन्द्र सिंह पूनिया (सादुलपुर) :

134. तहसील राजगढ़ जिला चूरू के अस्पतालों पर दवाइयों का समुचित रूप से वितरण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

135. चूरू जिले में मच्छरों के भारी प्रकोप से जनता को मलेरिया होने की स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री कन्हैया लाल पाटीदार (पिड़ावा) :

136. रेफरल अस्पताल पिड़ावा में डाक्टर्स एवं महिला चिकित्सक के रिक्त पदों की पूर्ति कर लोगों को राहत पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

137. पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुख्यालय बोलीया बुजुर्ग में भवन उपलब्ध होने पर भी सब-सेन्टर नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

138. पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र के गांव हरनावदा कोटड़ा अस्पताल में पद-स्थापित डाक्टर व कम्पाउण्डर के अस्पताल में ड्यूटी न देकर पिड़ावा में निजी चिकित्सक के रूप में कार्य करने के कारण उनके विरूद्ध कार्यवाही कर उनके स्थान पर अन्य डाक्टर व कम्पाउण्डर का पद-स्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

139. विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा पंचायत मुख्यालय बोलीया बुजुर्ग एवं सोयला में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

140. पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र के गांव धरोनियां की आबादी को देखते हुए सब सेन्टर को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मे क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती मनोरमा सिंह (राजाखेड़ा) एवं

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) :

141. सिरोही जिले के ग्राम गुड़ा, मडिया, वाडेली (तहसील सिरोही) एवं चौटीला, सबली, सेऊंडा, कलदरी (तहसील शिवगंज) में सब-सेन्टर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

142. सिरोही जिले के सिरोही नगर मुख्यालय के अस्पताल में गहन चिकित्सा ईकाई, सोनाग्राफी मशीन, बर्न यूनिट, आपातकालीन सेवा हेतु ट्रोमा वार्ड, फिजियोथेरापी यूनिट एवं एक्लेम्पशिया को सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) एवं

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

143. जोधपुर शहर परकोटे के अन्दर पैंकों का बास, बकरा मण्डी, जालप मौहल्ला एवं गुलाब सागर क्षेत्र में नवीन डिस्पेंसरी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

144. जोधपुर शहर परकोटे के अन्दर स्थित डिस्पेंसरी नव चौकिया, हुसैन मण्डी,

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

महिला बाग आदि डिस्पेंसरियां क्रमोन्नत करने एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री एमादुद्दीन अहमद खां (तिजारा) :

145. तिजारा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पंचायत समिति तिजारा एवं पंचायत समिति कोट-कासिम के अन्तर्गत चिकित्सालयों में डाक्टर एवं नर्स के आवश्यकतानुसार पद स्वीकृत कर तुरन्त भरने एवं रिक्त पदों पर पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) :

146. नसीराबाद निर्वाचन क्षेत्र के सभी अस्पतालों खासतौर से एम. ओ. के अपने चिकित्सालयों के मुख्यालयों पर न रहकर अजमेर शहर से प्रतिदिन आवागमन करने से मरीजों को हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

147. राजकीय, साधारण चिकित्सालय, नसीराबाद में एक्स-रे मशीन, ब्लड शुगर टैस्ट मशीन, ई.सी.जी. मशीन आदि उपकरणों का टैस्ट में काम आने वाली सामग्री के अभाव में उपयोग न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

148. नसीराबाद स्थित राजकीय जनरल चिकित्सालय में पंखे, लाइट, कम्बल, बेडशीट व पर्दे आदि न होने से मरीजों को हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

149. नसीराबाद स्थित 100 बेड राजकीय जनरल चिकित्सालय में दिनांक 25–9–94 व 4–1–95 को की गई शिकायतों पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ब्यावर द्वारा कार्यवाही न करने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

150. नसीराबाद स्थित राजकीय जनरल चिकित्सालय में डाक्टरों के नवसृजित पद सीनियर स्पेशलिस्ट फिजीशियन व जूनियर विशेषज्ञ फिजीशियन के पदों के रिक्त होने व उनके विरूद्ध कतिपय पदों पर सी. ए. एस. डाक्टरों को पदस्थापित करने से उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) :

151. सआदत अस्पताल टोंक में विभिन्न बिमारियों के मरीजों की चिकित्सा हेतु भवन अपर्याप्त होने से हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

152. सआदत अस्पताल टोंक में नार्मस के अनुसार कर्मचारी व सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

153. टोंक जिले स्थित यूनानी अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में दवाइयों एवं कर्मचारियों के अभाव के कारण जनता के चिकित्सा सुविधा से वंचित रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र बुड़ानिया (सरदार शहर) :

154. सरदार शहर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा के अभाव से

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

ग्रामीणों में उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

155. सरदार शहर कस्बे के राजकीय चिकित्सालय में दिन प्रतिदिन आ रही गिरावट व उपकरणों की कमी के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

156. राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में आ रही गिरावट से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

157. चूरू जिले में मच्छरों के कारण फैल रहे मलेरिया की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) :

158. श्री गंगानगर शहर में 5 करोड़ की लागत से निर्मित भवन में सामान्य चिकित्सालय को स्थानान्तरित करने और वर्तमान सामान्य चिकित्सालय को महिला चिकित्सालय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

159. श्री गंगानगर शहर के चिकित्सालय में आधुनिक उपकरण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

160. श्री गंगानगर शहर के चिकित्सालय में मरीजों की तुलना में दवाइया बहुत कम मात्रा में उपलब्ध कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

161. श्री गंगानगर शहर के चिकित्सालय में उपकरण वेकार पड़े रहने और कर्मचारियों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

162. श्री गंगानगर निर्वाचन क्षेत्र के गांवों में स्वास्थ्य पर दवाइयों व कर्मचारियों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

व्यवस्था

प्रश्नकाल, शून्यकाल, नियम 50, 295, 131 के प्रस्ताव आदि पर चर्चा की प्रक्रिया व समय सीमा विषयक

मुझे माननीय सदस्यों को व्यवस्था के बारे में कुछ निवेदन करना है। माननीय सदस्यों को विदित ही है कि कल दिनांक 25 अप्रेल, 1995 को सदन में शून्यकाल में पर्ची पद्धति से छोटे-छोटे मामले उठाये जाने और उनको एक सामान्य बहस का रूप दे देने तथा ऐसे मामले भी उठाये जाने के सम्बन्ध में, जिनके सम्बन्ध में राज्य सरकार तत्काल कुछ कहने की स्थिति में नहीं होती है, के बारे में यह आपत्ति की गयी थी कि इस प्रक्रिया से सदन का काफी अमूल्य समय निकल जाता है और राज्य स्तरीय ज्वलन्त समस्याओं के समाधान की दिशा में कार्यवाही हेतु माननीय सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत सुझावों से सदन वंचित रह जाता है। अध्यक्ष से सभी पक्ष की ओर से नियम सम्मत व्यवस्था देने की मांग की गयी जिस द्वारा शून्यकाल को विनियमित किया जा सके और विधायी तथा वित्तीय कार्य के लिए सदन में सार्थक बहस होने के लिए समुचित अवसर उपलब्ध हो सके ताकि माननीय सदस्यों के रचनात्मक सुझाव प्राप्त

(श्री अध्यक्ष)

हो सकें जिन पर राज्य सरकार यथेष्ट कार्यवाही कर सके ।

यह भी मन्तव्य प्रकट किया गया था कि इस सम्बन्ध में सत्ता एवं प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, नेता महोदय और ग्रुप लीडर्स मिलकर कोई सर्वसम्मत सुझाव माननीय अध्यक्ष के समक्ष रखें ताकि भविष्य के लिए प्रश्नोत्तर, विशेष उल्लेख के मामले, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और शून्यकाल आदि की प्रक्रिया को विनियमित किया जा सके, जिससे सदन में उक्त के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण मामलों में उपयोगी चर्चा हो सके ।

सम्बन्धित महानुभाव और पदाधिकारियों से विचार-विमर्श कर प्रक्रिया नियमों में विद्यमान नियमों, संसदीय व्यवस्थाओं, अध्यक्ष पीठ से दिये गये विनिर्णयों तथा अध्यक्षीय निदेशों को ध्यान में रखते हुए उक्त के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था दी जाती है :–

1. प्रश्नकाल

(1) प्रक्रिया नियमों के नियम 31(2) के अनुसार तारांकित प्रश्न पूछने और उसका उत्तर देने में साधारणत: 5 मिनट से अधिक समय नहीं दिया जाएगा और प्रयास यह रहेगा कि प्रत्येक दिन कम से कम 12 प्रश्नों पर विचार किया जा सके ।

(2) एक प्रश्न पर 5 से अधिक अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जायं एवं अनुपूरक प्रश्न सीधा व स्पष्ट होना चाहिए, असम्बद्ध विषय पर प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए । मूल प्रश्नकर्ता दो अनुपूरक प्रश्न पूछ सकेगा और अन्य तीन सदस्य एक-एक अनुपूरक प्रश्न पूछ सकेंगे ।

2. प्रक्रिया नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

विस्तार :

(1) वे विषय जिन्हें प्रश्नों, अल्प सूचना प्रश्नों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों एवं व्यवस्था के मुद्दों आदि से सम्बन्धित नियमों के अधीन नहीं उठाया जा सकता है उन्हें नियम 295 के अधीन उठाया जा सकता है ।

(2) इस नियम के अधीन किसी विषय को उठाने के लिए सचिव के नाम सम्बोधित लिखित सूचना तीन प्रतियों में विषय उठाये जाने की तिथि के प्रात: 9.30 बजे तक विधान सभा सचिवालय में पहुंच जानी चाहिए । उसमें प्रस्तावित किये जाने वाले कथन का पाठ साधारणत: 250 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। (निदेश संख्या-14 यथा संशोधित रूप में ।

(3) कोई विषय तब तक नहीं उठाया जा सकेगा जब तक अध्यक्ष ने उसकी सम्मति नहीं दे दी हो और केवल अनुमोदित पाठ ही अभिलेख पर लिया जायगा ।

(4) सामान्यत: एक बैठक में 12 मामलों का उठाया जाना अनुज्ञेय होगा ।

(5) कोई सदस्य एक सप्ताह के दौरान केवल एक विषय उठा सकेगा ।

(6) नियम 295 के अधीन उठाये गये

(श्री अध्यक्ष)

विषयों पर मंत्री साधारणतः वक्तव्य नहीं देते हैं। तथापि, यदि कोई मंत्री ऐसा चाहे तो वह अध्यक्ष की अनुज्ञा से वक्तव्य दे सकेगा।

(7) (i) विशेष उल्लेख में सारभूत रूप से एक निश्चित मुद्दा उठाया जाना चाहिए,

(ii) उसमें कोई मानहानिकारक या अपराध में फंसाने वाली प्रकृति के अभिकथन अन्तर्विष्ट नहीं होने चाहिए,

(iii) वह ऐसे विषय पर नहीं होना चाहिए जिस पर किसी प्रश्न/ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आदि पर चर्चा कर ली गयी है या जिसे स्वीकार कर लिया गया है,

(iv) उसके द्वारा पूर्णतः स्थानीय या केवल किसी व्यक्ति/किन्हीं व्यक्तियों से सम्बन्धित मुद्दे से नहीं उठाया जाना चाहिए तथा

(v) वह किसी ऐसे विषय से सम्बन्धित नहीं होना चाहिए जो न्यायाधीन है।

(8) मंत्री, सदस्यों को उनके द्वारा नियम 295 के अधीन उठाये गये विषयों के बारे में साधारणतः एक सप्ताह के भीतर सरकार का दृष्टिकोण और/या उस विषय में की गयी कार्यवाही की उन्हें सूचना देते हुए लिखेंगे। सदस्यों द्वारा और स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, सम्बन्धित मंत्री/विभाग से सीधे ही प्राप्त किये जा सकेंगे।

3. प्रक्रिया के नियम 50 के अन्तर्गत प्राप्त स्थगन प्रस्ताव

(1) संसदीय परम्पराओं के अनुसार उसी विषय पर माननीय सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव की सूचना देनी चाहिए जो समस्या अत्यन्त गम्भीर प्रकृति की हो और जिस समस्या के समाधान में सरकार की असफलता दृष्टिगोचर होती हो।

(2) अध्यक्ष जिन प्रस्तावों पर नियम 50 के अन्तर्गत सम्मति देना उचित समझे उन प्रस्तावों को सदन के सम्मुख लाया जायेगा और जो प्रस्ताव अस्वीकार किये जायेंगे, उनकी सदन में कोई सूचना नहीं दी जाएगी। ऐसे अस्वीकृत मामलों को माननीय सदस्य सदन में नहीं उठायेंगे न ही विवाद का विषय बनायेंगे।

(3) अध्यक्ष जिन प्रस्तावों को पर्याप्त लोक महत्व का मानते हुए सरकार की ओर से उन पर वक्तव्य दिलाना चाहे, उनके बारे में भी सदन में व्यवस्था दी जा सकेगी।

(4) एक ही बैठक में एक से अधिक ऐसा प्रस्ताव नहीं किया जायेगा।

(5) एक ही प्रस्ताव द्वारा एक से अधिक विषय पर चर्चा नहीं होगी। प्रस्ताव हाल ही में गठित किसी विशिष्ट विषय तक सीमित रहेगा और अविलम्बनीय लोक महत्व का हो।

(6) प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकेगा।

(श्री अध्यक्ष)

4. शून्यकाल–पर्ची पद्धति द्वारा संक्षेप में बोलने की अनुमति की मांग

(1) विषय हाल ही में गठित किसी अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी विशिष्ट विषय से सम्बद्ध होना चाहिए ।

(2) माननीय सदस्य, अध्यक्ष के चैंम्बर में अधिक से अधिक प्रातः 11.00 बजे तक ऐसे महत्वपूर्ण विषय को एक पर्ची पर लेखबद्ध कर प्रस्तुत कर दें । उसके बाद प्राप्त पर्चियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

(3) इस प्रक्रिया से अधिक से अधिक 4 माननीय सदस्यों को एक दिन की बैठक में अवसर प्रदान किया जायेगा ।

(4) इस प्रक्रिया से उठाये जाने वाले विषय कोई बहस का मुद्दा नहीं बनेंगे ।

(5) यदि कोई बहुत महत्वपूर्ण मामला हो और सरकार से कोई अपेक्षा की जाती है तो उसके लिए विधिवत प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर ही विषय उठाने की अनुमति दी जायेगी ।

(6) इस प्रक्रिया से उठाये जाने वाले विषय के लिए राज्य सरकार से वक्तव्य दिलाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा । माननीय सदस्य संक्षेप में अपनी बात कह सकेंगे ।

5. प्रक्रिया नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

(1) कोई सदस्य जो अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहते हों, उठाये जाने वाले विषय को स्पष्टतः और संक्षिप्ततः सूचना में विनिर्दिष्ट करते हुए सचिव को उसकी तीन प्रतियां देते हुए रख सकेगा ।

(2) प्रक्रिया नियमों के नियम 131(क) में प्रस्ताव की ग्राह्यता की शर्तें उल्लिखित हैं जिनमें से मुख्य नीचे उधृत हैं :–

1. यह हाल ही की किसी घटना के विनिर्दिष्ट विषय से सम्बन्धित होगा ।

2. वह गम्भीर लोक महत्व का हो जिसमें राज्य सरकार का तुरन्त हस्तक्षेप करना अपेक्षित है ।

3. वह किसी विशेषाधिकार का प्रश्न उठायेगा ।

4. उसमें न्यायिक या अर्द्ध न्यायिक कृत्य करने वाले किसी कानूनी अधिकरण या कानूनी प्राधिकरण या किसी आयोग या जांच न्यायालय के समक्ष लम्बित किसी विषय पर चर्चा करना नहीं चाहा गया हो ।

प्रक्रिया

(1) अध्यक्ष प्रस्ताव की ग्राह्यता को विनिश्चित करने से पहले सूचना देने वाले सदस्य से ऐसी सूचना मांग सकेगा जैसी वह आवश्यक समझे । वह मामले के तथ्यों को मंत्री से लिखित में सुनिश्चित भी कर सकेगा ।

(श्री अध्यक्ष)

(2) प्रस्ताव को कार्य-सूची पर लिये जाने के बाद वह सदस्य, जितने प्रस्ताव की सूचना दी है, प्रश्नों के तुरन्त पश्चात् और कार्य सूची का कार्य प्रारम्भ करने से पहले मंत्री का ध्यान आकर्षित करते समय अपने प्रस्ताव का वाचन करेगा और मंत्री वक्तव्य देगा। उसके बाद वह सदस्य जिसने सूचना दी है और कोई अन्य सदस्य जिसने अध्यक्ष को पूर्व प्रज्ञापना दी है, मंत्री से स्पष्टीकरण चाह सकते हैं, परन्तु कोई विचार-विमर्श नहीं होगा।

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को कार्य-सूची में सम्मिलित किये जाने की सीमा

(1) सामान्यतः एक ही बैठक में दो से अधिक ध्यानाकर्षण सूचनाओं को सूचीबद्ध नहीं किया जायेगा।

6. अनुदान की मांगों पर वाद-विवाद की सीमा तथा सरकार की ओर से उत्तर

(1) कार्य सूची में जिस विभाग की अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान नियत है, उक्त मांग पर वाद-विवाद निश्चित रूप से मध्यान्ह पश्चात 3.00 बजे तक प्रारम्भ हो जायेगा और राज्य सरकार की ओर से मंत्री महोदय द्वारा रात्रि 8.00 बजे उत्तर दिया जा सकेगा।

श्री परसादीलाल मीणा : रात को दो बजे तक भी हाउस चलता है अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं, इसको आप कट करें। पहले दो बजे तक भी, तीन बजे तक भी, बारह बजे तक भी....

श्री अध्यक्ष : तीन बजे प्रारम्भ तो कर दें।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, सदन में अगर चर्चा पर पाबन्दी लगेगी तो मैं समझता हूं प्रजातांत्रिक व्यवस्था में....

श्री परसादीलाल मीणा :....और जितने समय तक सदस्य बोलेंगे उतने समय तक हाउस चलेगा।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। कोई पाबंदी नहीं है, आप बिराजें। माननीय रमाकांतजी। (व्यवधान) बिराजें आप भाटीजी।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों के अधिकारों को सीमित किया जा रहा है। प्रजातांत्रिक मूल्यों में कटौती हो रही है।

श्री अध्यक्ष : भाटी साहब, बिराजें। मैं आपको पूरे अधिकार दे रहा हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको रोकना चाह रहा हूं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय सदस्यों के अधिकारों को सीमित किया जा रहा है, उनके अधिकारों में कटौती की जा रही है, हमारा बोलने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : बहुत महत्वपूर्ण मांग पर

(श्री अध्यक्ष)

पूरी बहस नहीं हो पाती, माननीय सदस्य। इसलिए थोड़ा-सा तो कम करना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : हम हमारी जनता की बात को यहां प्रस्तुत करते हैं, यह तो मंच है, इसमें हमारे राइट को करटेल किया जा रहा है, वह अनडेमोक्रेटिक है राइट को करटेल करना।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं बोलना चाह रहा हूं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : हम इजाजत से बोलते थे....

श्री अध्यक्ष : तीन बज गयी है और मांग पर....

श्री शैलेन्द्र जोशी : हम अध्यक्ष की, आसन की अनुमति से बोलते थे।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आसन की अनुमति से बोल रहा हूं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : शून्य काल में अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर भी आपने कटौती कर दीं, उनका भी सीमित अधिकार क्षेत्र कर दिया।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, आसन की अनुमति से महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करते थे... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : इस तरीके से अधिकारों के हनन से हम हमारे इलाके की यहां पर मागें नहीं रख पायेंगे, यह अनडेमोक्रेटिक है। यह डेमोक्रेसी केजो हैल्दी ट्रेडिशन्स हैं, जो हैल्दी नोर्म्स हैं....

श्री अध्यक्ष : एक मिनट बिराजें आप। बिराजिये आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : इस सदन की मर्यादा है, जो एक स्वस्थ परम्परा है उसके प्रतिकूल आचरण है।

श्री जगदीप धनखड़ : I am on a point of order.

श्री अध्यक्ष : एक मिनट बिराजें आप।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : मैं आपका सब सुन लूंगा, आप बिराजिये एक मिनट। माटी साहब, बिराजिये। यह इसलिए कहा था कि कल बात हुई थी और इस पक्ष-विपक्ष सभी ने बैठ कर तय किया है, मांग तीन बजे प्रारम्भ हो जायेगी तो मैं समझता हूं....

श्री परसादीलाल मीणा : दो बजे तक चलेगा।

श्री जगदीप धनखड़ : पक्ष-विपक्ष ने कैसे किया ?

श्री अध्यक्ष : चलने की मैं नहीं कह रहा हूं, मैं यह कह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्य भाग ले सकें वरना शून्य काल और ध्यानाकर्षण ही पांच बजे तक चलते रहे तो माननीय सदस्य....

श्री परसादीलाल मीणा : दो बजे रात तक चलाइये।

श्री अध्यक्ष : अच्छे तरीके से उस मांग पर विचार नहीं हो पायेगा और विचार माननीय सदस्य प्रकट नहीं कर पायेंगे । इसलिए यह दिया है ।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सदन की सार्थकता इस बात में है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जन प्रतिनिधि अपनी भावना को यहां उजागर कर सकें, आपके माध्यम से सरकार के समक्ष वह रख सकें । अध्यक्ष महोदय, किसी भी संसदीय प्रणाली में जीरो आवर तो अंकित नहीं है पर आपने देखा है कि जीरो आवर के ही रोज पालियामेंट्री डेमोक्रेसी में कितना नाम कमा चुके हैं । ऐसी स्थिति में अध्यक्ष महोदय, समझ में नहीं आता कि किन लोगों से राय कर, विचार-विमर्श कर, यह मामला विधिवत बिजनस एडवाइजरी कमेटी में नहीं आया, आप चार को ही इजाजत देंगे ?

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप ।

श्री जगदीप धनखड़ माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मात्र चार व्यक्तियों को ही जीरो ओवर में बोलने की इजाजत दी जायेगी ?

श्री अध्यक्ष : एक तो आप हो ही जायेंगे, बिराजें आप ।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं-नहीं अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी व्यवस्था पर पुनर्विचार करें क्योंकि इस व्यवस्था का अर्थ यह रहेगा कि जन प्रतिनिधि को जो अधिकार है कि वह सदन के माध्यम से सरकार तक, कार्यपालिका तक अपनी आवाज पहुंचाये, उस पर भारी अंकुश लगेगा ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, कोई अंकुश नहीं लगाऊंगा । बिराजें आप ।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, यह परम्परा कहीं पर नहीं है कि इस प्रकार से....

श्री रमाकांत : कह तो दिया कि कोई अंकुश नहीं लगायेंगे, अब तो बिरोजो ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें माननीय सदस्य ।

श्री रमाकांत : कोई अंकुश नहीं लगेगा बिराजें ।

श्री जगदीप धनखड़ : इस पर पुनः विचार कीजिये अध्यक्ष महोदय ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर, सर ।

श्री अध्यक्ष : माननीय भाटी साहब ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी । अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, पेज 798 पर शकधर की तरफ–
"A point of order when raised has the effect of suspending the proceedings before the House. A point of order should also be regarding that matter which is relevant and which is being talked about at the moment".

अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी, मैं आप कहें वह शपथ लेकर अर्ज कर दूं

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

कि इन नियमों में मैं चलूंगा लेकिन उस हालत में क्या हो, अध्यक्ष महोदय, हम कहां जाएं कि अगर मुख्य मंत्री और सरकार सी.बी.आई. का नाम लेकर, डाकुमेंट्स फेब्रीकेट करके हमें चुप कर दें....

श्री अध्यक्ष : माननीय, आप क्या पाइंट आफ आर्डर उठाना चाह रहे हैं ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यह क्या पाइंट आफ आर्डर पर बोल रहे हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं यह अर्ज कर रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं भाभड़ा साहब, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन आप वहां बिराजे थे तब मैंने आपकी एक-एक रूलिंग मानी, एक एक रूलिंग लेकिन अब आप वहां बिराज रहे हैं, उस सरकार को तो मैं खींचूंगा जिसके आप अंग हैं और वह मेरा अधिकार है। मैं इधर बैठा हूं और मेरे पास कोई रास्ता है नहीं। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि अगर सरकार उस तरफ से मिसइन्फोर्मेशन हाउस को देवे या डिसीव करे हाउस को और आप हमें चुप कर दो कि नहीं भाई, इस व्यवस्था के तहत तुझे चलना पड़ेगा भाटी, तो हुकुम, जायें कहां ?

श्री अध्यक्ष : विधान सभा में ही।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : तो फिर हमें इस रूलिंग की अवहेलना करनी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। मैं आपको पूरा मौका दूंगा। बिराजिये आप। माननीय रमाकांत जी।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नहीं-नहीं, मौका तो दिलवायेंगे हुकुम, लेकिन यह व्यवस्था गलत है या तो इनको आप बांधिये। इनको बांधिये न पहले।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। मैंने पक्ष, विपक्ष सब बैठ कर बात की है और सभी से जो कन्सेसेज आयी हैं उस बात को निवेदन किया है आपको। बिराजें आप।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं तो एक आपको अर्ज करूं, अध्यक्ष महोदय, आप तो एक आदमी को बांध दो कि वह इस हाउस में + + + न बोले और....

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप, बिराजिये।

श्री रमाकान्त : कृपया सहयोग कीजिये।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर है मेरा।

श्री अध्यक्ष : इसको अंकित न करें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नहीं, अध्यक्ष महोदय, +++ अनपार्लियामेंट्री नहीं है, हिन्दुस्तानी वर्ड है, हुजूर। मुख्य सचेतक साहब, क्या +++ अनपार्लियामेंट्री है, सर ?

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : +++ अनपार्लियामेंट्री नहीं है, सर। अरबों लोग +++ का प्रयोग करते हैं।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। माननीय रमाकान्त जी।

श्री रमाकान्त : अभी तो और पाइंट आफ आर्डर आ रहा है, सर।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, आपने जो अभी रूलिंग दी उसके सम्बन्ध में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण रूलिंग आपने दी है और हमारे सारे नियम और प्रक्रियाएं जो बनायी हुई हैं उनका संक्षिप्त में यहां पर विवेचन कर दिया। अध्यक्ष महोदय, एक कहावत है – "Opposition will have their say and the Government will have its way." राजस्थान विधान सभा राजस्थान का सर्वोच्च सदन है जहां हम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। सत्ता पक्ष के साथ-साथ विरोधी पक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर यह निर्णय लिया गया था जब माननीय भामड़ा साहब अध्यक्ष थे कि इस सदन की कार्यवाही 60 दिन के आस-पास तक चलेगी, अब 60 दिन की जगह 50 दिन भी नहीं चलती, 40 दिन भी नहीं चलती और इफेक्टिव 30 दिन भी साल में नहीं चलती है और जो वह दिन हम यहां पर बैठते हैं उन दिनों में भी अगर हमारे अधिकारों की अवहेलना होती है तो, अध्यक्ष महोदय, हम अपनी जनता का प्रतिनिधित्व कैसे करेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं माननीय सदस्य।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : एक मिनट अध्यक्ष महोदय, आपकी रूलिंग, महत्वपूर्ण रूलिंग हमने दस मिनट तक सुनी है तो कम से कम टोटेलिटी में दस मिनट हमारी बात भी सुन लीजिये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान रूल 23 और 24 की तरफ लाना चाहूंगा, प्राइवेट मेम्बर्स डे। एक गलत परम्परा पड़ती जा रही है जब कि फ्राइडे हमारा एक प्राइवेट मेम्बर्स डे होना चाहिए। आपने उसके ऊपर अपनी कोई रूलिंग दी नहीं, जो हमारा अधिकार है उसकी तो कटौती आप करते जा रहे हैं, आपके प्रति पूरा सम्मान है, उसकी आप रूलिंग देते तो हमको प्रसन्नता होती, खुशी होती कि हमारे अधिकारों की आप रक्षा कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं जरूर दूंगा। आप बिराजें।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अब कब देंगे ? एक फ्राइडे की प्रोसीडिंग्स बन गयी है, अगला एक फ्राइडे अन्तिम फ्राइडे होगा जिस दिन सम्भवतः आप विद्युत विभाग के ऊपर डिस्कशन करवा देंगे। प्राइवेट मेम्बर्स डे को आपने पूरे बजट सेशन के अन्दर गोलमोल कर दिया। इसके अलावा आपको ताड़ना देनी चाहिए थी गवर्नमेन्ट को कि नियम 131 के अन्दर गवर्नमेन्ट के पास से 15-15 दिन रिप्लाई नहीं आता है। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य महोदय आज क्यों उत्तेजित थे पेयजल के मामले में, क्योंकि 25 दिन से इनका जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया हुआ है पेयजल के मामले में उस पर गवर्नमेन्ट की तरफ से रिप्लाई नहीं आया। तो गवर्नमेन्ट को तो आप ताड़ना देते नहीं हैं और इन रूलिंग्स के माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, आप कृपा कर के हमारे अधिकारों का हनन न करें।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको विश्वास

(श्री अध्यक्ष)

दिलाता हूं, लक्ष्मण सिंहजी के अधिकारों को किसी प्रकार से करटेल नहीं करूंगा। विराजिये आप।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : जीरो आवर एक बहुत महत्वपूर्ण है, हम अपनी बात कहने के अलावा और कर क्या सकते हैं। हम अपनी बात भी न कहें ?

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप, विराजें।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : तो इसलिए कृपया इस चीज को, आठ बजे वाली चीज कभी नहीं चलेगी। यहां पर एक-एक बजे तक, जब यह माननीय सदस्य इधर बैठते थे, एक-एक बजे तक हमने उधर बैठ कर डिमाण्ड पास करवायी है।

श्री अध्यक्ष : मेरा मतलब यह है कि डिमाण्ड या इस तरीके की बात है, जल्दी आ जाए तो ठीक रहेगा।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : As for as possible लेकिन इसको इस तरह से आप बांधिये मत....

श्री अध्यक्ष : उसका अर्थ यही है।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : कि चार बजे तो क्या हो, तीन बजे प्रारम्भ कर दी जाये, आठ बजे तक यह हो। इसको आप वाटर-टाइट....

श्री अध्यक्ष : यह तो एक सामान्य है, इसमें थोड़ा समय बढ़ जाय तो कोई बात नहीं है। विराजिये आप।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, वाटरटाइट कम्पार्टमेंटलाइज इसको आप नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष को अधिकार है ज्यादा देर तक चलाने का, तीन बजे प्रारम्भ हो जाये तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरा मतलब यह है। माननीय रमाकांत जी।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहूंगा। यह बात सही है कि प्रश्नों के बारे में माननीय सदस्यों की यह राय थी, कई सदस्यों ने मुझे यह कहा कि हम प्रश्न क्यों देते हैं, दो या तीन प्रश्न से ज्यादा, इस बार बहुत कम ऐसे मौके आये हैं कि हम दस प्रश्नों तक पहुंचे हों, तीन-चार प्रश्नों तक ही पहुंचे हैं। दूसरे भी अपने प्रश्न देते हैं, इसीलिए देते हैं कि उनको भी जानकारी हो। इसलिए मैंने आपसे यह एग्री किया था कि निश्चित तौर पर आप दो क्वेश्चन सप्लीमेंट्री तो जो प्रश्नकर्त्ता हैं उसको पूछने दीजिये और तीन-चार, जैसा प्रश्न हो उसके ऊपर चार-पांच को भी आप मौका दे सकते हैं। यह बात तो प्रश्नों के बारे में अपनी तय हुई थी। दूसरा मैंने आपसे यह निवेदन किया था कि तीन बजे तक मांगों पर डिबेट शुरू हो जानी चाहिए....

श्री अध्यक्ष : तीन बजे एग्जेक्ट मैंने चालू करवा दी है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : और तीन बजे आज आपने इसके लिए कर दिया, अब उसके बीच में दो घन्टे रहते हैं। प्रश्न हो जाते हैं 12 बजे और 3 घन्टे बीच में रह जाते हैं और इन तीन घन्टों के अन्दर जीरो

(श्री खेतसिंह राठौड़)

आवर और आपके एडजोर्नमेंट मोशंस हैं और ध्यानाकर्षण और जो भी हों उनको अपने आप एडजस्ट कर दीजिये । यह मत कहिये कि मैं तो जीरो आवर में सिर्फ 4 व्यक्तियों की स्लिप्स पर ही बोलने दूंगा । 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 3 घन्टे का बहुत बड़ा मार्जिन है उसमें सब एडजस्ट कर दीजिये । इस बारे में आप इतनी सख्ती मत कीजिये ।

श्री अध्यक्ष : समय और स्थिति के अनुसार अपना विवेक तो अध्यक्ष यूज करेगा ही करेगा, आप बिराजें । माननीय रमाकान्त जी ।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, पूरा संकट समय का है ।

श्री रमाकान्त : क्या बात है ? कोई एण्ड ही नहीं है किसी भी चीज का ।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा संकट समय का है ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें ।

श्री रमाकान्त : कृपया मेरे को सहयोग कीजिये ।

श्री अध्यक्ष : माननीय बोलने दें । इसमें कोई अब डिबेट की बात नहीं है । मैं आपको पूरा मौका देता ही हूं । आप चालू करने दें । माननीय, बिराजें आप मुझे पता है कि आप विद्वान हैं । बिराजें । (व्यवधान) बिराजें आप । माननीय रमाकान्त जी ।

मांग संख्या 26 पर विचार

श्री रमाकान्त : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या–26 को इस बजट में बहुत ज्यादा महत्व दिया है, सबसे ज्यादा महत्व दिया है । यह बजट चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को समर्पित किया गया है । मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी को बहुत-बहुत साधुवाद देना चाहता हूं । (व्यवधान) सुनिये तो सही, शुरू नहीं हुआ उससे पहले ही अपने-अपने रिएक्शन देने लग गये । एक शब्द तो बोला ही है अभी मैंने ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां पिछले वर्ष में केवल मात्र 73 करोड़ रुपये का प्रावधान था उसकी जगह 124 करोड़ का प्रावधान किया गया है जो 70 प्रतिशत वृद्धि है । यह सारी की सारी राजस्थान के इतिहास में एक रेकार्ड वृद्धि है । इसकी मैं समझता हूं हम जितनी भी प्रशंसा करें उतनी कम है । मैं कम से कम ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर 125 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में वृद्धि हुई है । मैं इसका भी बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा कि मुख्य समस्या चिकित्सकों की गांव में रहने की अनिच्छा तथा चिकित्सालयों में आवश्यक सुविधाओं का न होना, यह एक बड़ी चिन्ता का विषय है । जब राज्यपाल महोदय स्वयं कह रहे हैं कि चिकित्सक गांव में नहीं जाते तो फिर उनको गांवों में कौन भेजेगा । चिकित्सालय

(श्री रमाकान्त)

गांवों के अन्दर हैं नहीं, आप स्वयं कह रहे हैं चिकित्सालयों के अन्दर सुविधा नहीं है, यह आप कह रहे हैं। एक बात बजट में और कही गयी, अध्यक्ष महोदय, कि चिकित्सा व्यवस्था में उप-केन्द्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं और इतनी महत्वपूर्ण हैं कि 1991 से लेकर आज तक एक भी उप केन्द्र खोला ही नहीं। जिस चीज को इतना महत्वपूर्ण समझते हैं हम और 1991 से लेकर आज तक एक भी उप केन्द्र नहीं खोला जाये तो फिर वह अपनी भूमिका कैसे अदा करेगा? अध्यक्ष महोदय, एक ऐसी नीति बनायी गयी थी कि 5 हजार की जनसंख्या के ऊपर एक उप केन्द्र होगा, 15 हजार की जनसंख्या के ऊपर एक प्राइमरी हैल्थ सेन्टर होगा और 50 हजार की जनसंख्या के ऊपर एक सामुदायिक विकास केन्द्र जिसे हम रेफरल अस्पताल कहते हैं, वह होगा। परन्तु यह सारी की सारी व्यवस्था केवल मात्र कागजों में रही और इस व्यवस्था को लागू करना चाहिए था पिछले 10 साल के अन्दर किसी ने भी लागू नहीं किया और आज स्थिति यह है कि कहीं पर तो एड पोस्ट की बात कही है, कहीं पर पी. एच. सी., कहीं पर न्यू पी. एच. सी., कहीं पर पी एच.सी. का कुछ स्वरूप है, कहीं पर जो सामुदायिक विकास केन्द्र हैं उसमें 6 डाक्टर्स हैं, कहीं सामुदायिक विकास केन्द्र में 4 डाक्टर्स हैं तो यह एक इतनी असमानता और इतनी अव्यवस्था पिछले 10-15 साल के अन्दर हो गयी है जो मैं समझता हूं कि आज हमारे सामने एक सबसे बड़ी चुनौती का विषय है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं, एक उदाहरण देकर, मेरे क्षेत्र में एक जगह तो प्राइमरी हैल्थ सेन्टर केवल 2 किलोमीटर में मौजूद है और एक अजबगढ़ एस. टी. का क्षेत्र है जहां 20 किलोमीटर तक चाहे उत्तर में चले जाएं, चाहे दक्षिण में चले जाएं कहीं पर कोई किसी प्रकार का चिकित्सा केन्द्र नहीं है। यह एक व्यवस्था पिछले सालों के अन्दर हो गई है। मैं समझता हूं कि माननीय चिकित्सा मंत्री इस बारे में भी बहुत ज्यादा ध्यान देंगे।

मैं एक और आपको आंकड़ा देना चाहता हूं। राजस्थान का एवरेज है कि एक संस्था 4344 आदमियों की जनसंख्या को सर्व कर रही है। कहा जाता है कि अलवर बहुत एडवांस जगह है और वह दिल्ली के पास में है। ताज्जुब करता हूं मैं आपके प्रगति विवरण को देखकर कि अलवर के जो हालात बना रखे हैं हर एक क्षेत्र के अन्दर जहां स्टेट एवरेज 4344 है वहां अलवर का 5644 है अर्थात् मेडिकल संस्थान वहां पर बहुत कम हैं। मेडिकल संस्थान जितने होने चाहिए उतने नहीं हैं। आज राजस्थान के अन्दर 20 स्क्वायर किलोमीटर में एक मेडिकल संस्थान है। एक अध्ययन के अन्दर, माननीय अध्यक्ष महोदय, कहा गया है कि जनसंख्या के आधार पर केवल आप संस्थान खोलेंगे तो मैं समझता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर लोगों के साथ में न्याय नहीं होगा और अध्ययन में यह कहा है कि 6 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि गांवों के अन्दर जब आदमी बीमार होता है तो लोग उसको खाट पर लादकर 4

(श्री रमाकान्त)

आदमी, 6 आदमी उठाकर उसको स्वास्थ्य केन्द्र पर ले जाते हैं, 20 किलोमीटर पर ले जायेंगे। राजस्थान की एवरेज आज 20 किलोमीटर है। यह प्रगति विवरण में लिखा है तो हमें यह जो असमानता और गैप हो गया है उसको ठीक करना होगा वरना तो जो हमने इस देश से वायदा किया है कि 2000 तक सब को स्वास्थ्य सुविधा हो, चिकित्सा सेवाओं पर 2000 हमारे लिए बहुत लम्बा पड जायेगा, बहुत लम्बी दूरी पर चला जायेगा और यह जिस प्रकार से मिनिमम नीड्स प्रोग्राम का हश्र हुआ है। हमने 1965 में कहा था कि 5 वर्ष में सारी की सारी मिनिमम नीड्स पूरी कर देंगे। हमने 2000 तक जो सब के स्वास्थ्य का वायदा किया है वह कर नहीं सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, उसी अध्ययन में जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, जिसमें 6 किलोमीटर लिखा है, उसी के द्वारा मैं आपको बताता हूं कि हमारे प्राइमरी हैल्थ सेन्टर जितने हैं उनमें से 60 प्रतिशत के अन्दर इक्विपमेंट इनएडिक्वेट हैं। कहीं पर लेबोरेटरी नहीं है, कहीं पर एक्स-रे मशीन नहीं है, कहीं पर आपरेशन थियेटर नहीं हैं, कहीं पर आपरेशन करने का किट नहीं है, कहीं पर फर्नीचर नहीं है, कहीं पर बैड नहीं है। इस वक्त तो केवल मात्र कहीं पर डाक्टर नहीं है, कहीं पर बिल्डिग नहीं है। तो इस प्रकार की एक ऐसी चीज नाम मात्र को जो कहे जा सकते हैं कि हमने इतने प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खोल रखे हैं। परन्तु केवल मात्र 40 प्रतिशत ही इस तरह के हैं जो साधारण दृष्टि के अन्दर ठीक-ठीक हैं, 60 प्रतिशत तो बिलकुल कम्प्लीटली इनएडिक्वेटली फर्नीशड हैं। केवल 30 प्रतिशत ऐसे हैं जिनके अन्दर इमरजेंसी ड्रग्स अवेलेबल हैं, 70 प्रतिशत में इमरजेंसी ड्रग्स नहीं हैं और जहां पर गांव का आदमी जाता है और वह जीवित नहीं बच पाता, क्योंकि उस इमरजेंसी के अन्दर तो अस्पताल में ड्रग्स हैं न आसपास में कोई इमरजेंसी ड्रग्स हैं। केवल 16 प्रतिशत ही ऐसे हैं, अध्यक्ष महोदय, जिनके अन्दर आपरेशन थियेटर ठीक-ठीक तरीके से हैं। बिलकुल ठीक तरीके से तो एक भी नहीं है जिस आपरेशन थियेटर को यह कहा जा सके कि वहां पर आपरेशन हो जायेगा और वहां पर किसी प्रकार का सेप्टिक नहीं होगा। ऐसा तो एक भी नहीं है। परन्तु अध्ययन वाले यह बताते हैं कि 16 प्रतिशत ऐसे हैं जहां पर कि किसी न किसी प्रकार के आपरेशन हो सकते हैं।

गांवों के अन्दर, माननीय अध्यक्ष महोदय, गर्भवती महिलाओं के बारे में कोई चिन्तन नहीं है, कोई रेकार्ड नहीं है, कोई प्राइमरी हैल्थ सेन्टर किसी प्रकार का रिकार्ड मेंटेन नहीं करता है कि यहां पर कितनी गर्भवती महिलाएं हैं और स्थिति क्या होती है कि आदमी तो कभी बीमार पड़े न पड़े, महिलाओं को तो यह बीमारी परमानेंट है, पर्पिचुअल बीमारी है और महिलाएं 50 प्रतिशत हैं तो 50 प्रतिशत जो हमारी जनसख्या के लोग हैं, उन 50 प्रतिशत के लिए आज स्थिति गांवों के अन्दर यह है कि किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। क्योंकि एक तो वहां पर महिला चिकित्सक नहीं हैं, पुरुष चिकित्सक हैं तो वहां पर पुरुष चिकित्सकों का कतई कोई ध्यान नहीं है। माननीय अध्यक्ष

(श्री रमाकान्त)

महोदय, हमारे यहां पर प्राइमरी हैल्थ सेन्टर जो हैं उनमें यह अत्यन्त आवश्यक है कि मृत्यु और जन्म का रिकार्ड रखा जाना चाहिए।

(15.20)

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदया, कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है किसी प्रकार का कोई रिकार्ड नहीं है। वहां पर बच्चे पैदा हों, अव्वल तो बच्चे अस्पताल के अन्दर वहां पैदा ही नहीं होते, मेल डाक्टर हैं, कहीं-कहीं पर मेल के साथ में फीमेल भी हैं तो वहां पर पैदा हो जाता है तो उसका वेट रिकार्ड होना चाहिए, उसका ब्लड-प्रेशर रिकार्ड होना चाहिए, उसका हेमोग्लोबिन रिकार्ड नहीं है. कोई व्यवस्था नहीं है, कोई आदेश नहीं है। हैल्थ विभाग में इस प्रकार का रिकार्ड रखा जाये। इसके अभाव के अन्दर भगवान भरोसे बच्चे पैदा हो रहे हैं, भगवान भरोसे बच्चे पल रहे हैं और भगवान भरोसे बच्चे बड़े हो रहे हैं। फेमिली प्लानिंग व्हीकल जो दी हुई है, वह सदा फेमिली प्लानिंग में व्यस्त रहती है और रहनी भी चाहिए। अत्यन्त आवश्यक है कि वह फेमिली प्लानिंग के केसेज को लाये ले जाये, सब कुछ करे। परन्तु गांव के अन्दर किसी प्रकार की एम्बुलेंस की सुविधा तो है नहीं कि उस व्हीकल से यह कोई चाहे कि फलां गांव के अन्दर एक ऐसा पेशेण्ट है जो बिलकुल मरने जा रहा है, इस जीप को लेकर के उसको ले आयें। यह सुविधा गांव के अन्दर नहीं है। यह तो एक मैंने प्राइमरी हैल्थ सेन्टर और गांव के अन्दर जो हमारी व्यवस्था है, उस बारे में जिक्र किया है।

अब मैं थोड़ा सा नेशनल सेवा पर, जो हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं, उसके बारे में दो शब्द अर्ज कर देना चाहूंगा। आज ही के इण्डियन एक्सप्रेस अखबार के अन्दर है. दिल्ली के सारे के सारे डाक्टरों ने यह बात कही है कि हम लोग एड्स से तो बच जायेंगे क्योंकि हम अपने आप पर संयम बरत लेंगे, सब कुछ कर-करा लेंगे, प्रिकाशंस हैं, प्रिकाशंस ले लेंगे। पर हम तो टी. बी. से मरेंगे। हमारे यहां पर टी. बी. हास्पिटल के अन्दर जिस प्रकार के टी. बी. के पेशेण्ट आ रहे हैं और हम उनके सम्पर्क में आते हैं, हमारे यहां पर डाक्टर्स की डेथ हो रही है। यदि यह स्थिति शहर के डाक्टर्स की है, यदि यह स्थिति दिल्ली के अन्दर सफदरजंग के डाक्टर्स की है तो गांव में टी. बी. के मामले में उसके परिवार वालों की क्या स्थिति हो रही होगी? एक दफा हमने सोचा था कि टी. बी. पर तो अब करीब-करीब इस देश के अन्दर हमने काबू पा लिया है, परन्तु यह टी. बी. फिर दुबारा से मुंह बायें खड़ी हो गयी है और फिर दुबारा से गांव के अन्दर स्थिति बदल गयी है। पिछले 10-15 साल के अन्दर इसका जिक्र बहुत कम होने लगा था, परन्तु सदन में जिक्र हुआ है अजमेर का, और मैं जानता हूं अलवर के अन्दर किस प्रकार की स्थिति है टी. बी. हास्पिटल की, जिस प्रकार से केयर करनी चाहिए थी टी. बी. के बारे में, सारे के सारे हिन्दुस्तान के अन्दर यह समस्या दुबारा से मुंह बायें खड़ी हुई है। हमें यह देखना होगा।

150

(श्री रमाकान्त)

सभापति महोदया, यहां जयपुर में एक विज्ञान कांग्रेस हुई थी। अभी रीसेंटली हुई थी। विज्ञान कांग्रेस में कहा था कि यदि देश को सबसे बड़ी किसी चीज की थ्रेट है तो एड्स की नहीं है, वह मलेरिया की थ्रेट है और मलेरिया के मामले में हमने पिछले 10–15 साल के अन्दर बहुत ज्यादा कोताही बरती है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं। बहुत कुछ बातें मैंने भी देखी हैं और स्थिति क्या हुई हैं, 1989 में जहां 139057 मलेरिया के केसेज रिकार्डेड थे, वह 1991 के अन्दर, दो वर्ष के अन्दर 211890 पहुंच गये हैं। 1994 के अन्दर क्या स्थिति है? आज स्थिति यह है, हिन्दुस्तान की बात कर रहा हूं, राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं कि करीब–करीब 20 लाख पेशेण्ट मलेरिया से प्रतिवर्ष इफेक्टेड होते हैं। कभी एक प्रदेश होता है तो कभी दूसरा प्रदेश होता है। मैं समझता हूं कि राजस्थान के सारे के सारे चिकित्सा विभाग को, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी को जितना धन्यवाद दिया जाये, मलेरिया के समय में इन्होंने जितनी कोशिश और मेहनत के साथ रात-दिन प्रयास किया, उसकी जितनी तारीफ की जाये कम है। परन्तु राजस्थान के अन्दर सामना कण्ट्रोल में आया तो आसाम में शुरू हो गया, आसाम से फिर यू.पी. में आ जायेगा और फिर थोड़े दिन के अन्दर, आने वाली बरसात के अन्दर, एक महीने के बाद फिर राजस्थान में आ जायेगा। राजस्थान के अन्दर, जैसा कि विज्ञान कांग्रेस ने कहा कि सारे हिन्दुस्तान के लिए मलेरिया बड़ी भारी चिन्ता का विषय है। इस चिन्ता के विषय को हमको बहुत नजदीकी से देखना होगा। हमको बहुत अच्छी तरह से इसके प्रिवेंशन के बारे में ध्यान देना होगा। यदि इसके प्रिवेंशन के बारे में ध्यान नहीं दिया तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदया, कि हम उपचार के माध्यम से इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पायेंगे। इसके बारे में मैं विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। सारा सदन जानता है, माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी भी जानते हैं कि क्या-क्या करने की बातें हैं मैं उन बातों को नहीं कहूंगा। परन्तु मैं वार्निंग देना चाहता हूं कि यदि हम इन्हीं गर्मियों के दौरान (व्यवधान) और हमारे लिए, क्योंकि जितने राष्ट्रीय प्रोग्राम हैं, उन सब प्रोग्राम्स का दुर्भाग्य यह है कि हमको उन समस्याओं के समाधान के अन्दर जितना आगे बढ़ना चाहिए था, सभापति महोदया, हम हर मामले में पिछड़ रहे हैं।

आज अंधापन, वैसे तो यह बात बहुत सालों से है कि सारे संसार के अन्दर सबसे ज्यादा अंधेपन की यदि बीमारी है तो वह हिन्दुस्तान में है। हिन्दुस्तान के अन्दर 2 प्रतिशत अंधे हैं। हमने कम से कम 15 साल पहले यह उद्देश्य तय किया था कि हम 2 प्रतिशत को 0·03 प्रतिशत में लायेंगे। परन्तु 2 प्रतिशत से घटकर के 1·99 प्रतिशत नहीं आ पा रहे हैं। यह इस प्रकार की एक चीज है जिसके बारे में मैं समझता हूं कि हमारे स्वास्थ्य विभाग को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

ट्यूरिस्ट डिपार्टमेण्ट की माननीय मंत्री महोदया यहां नहीं हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि थाइलैण्ड ने ट्यूरिज्म-ट्यूरिज्म के चक्कर के अन्दर अपने देश को ऐसा बरबाद कर दिया है आज

(श्री रमाकान्त)

वहां से एड्स निकल नहीं सकता। सारे संसार से निकल जायेगा पर थाइलैण्ड से नहीं निकल सकता। थाइलैण्ड का कोना–कोना एड्स से ग्रस्त हो गया है। एक प्रकार के ट्यूरिज्म के लालच में मुझे समझ में नहीं आता, माननीय सभापति महोदया, मैं 1957 में पहली दफा विदेश गया था उसके बाद तो बीसों दफा मुझे जाना पड़ा, 1978 तक यह स्थिति थी (व्यवधान) अब इसी नवम्बर में कोरिया जा रहा हूं। भाग्य में हुआ तो चल चलेंगे। मैं यह निवेदन कर रहा था आपको कि हम लोग बाहर जाते थे, हमारे यहां यलो फीवर नहीं होता था अफ्रीका में हुआ करता था। हमको यलो फीवर का इंजेक्शन लगाकर जाना पड़ता था। हमको बाद में मलेरिया का इंजेक्शन लगाकर जाना पड़ता था, 1978 तक कॉलेरा का लगाकर जाना पड़ता था वरना वहां तो घुसने नहीं देते थे। क्या बात है कि हम यह नहीं कह सकते कि बाहर से जो व्हाइट स्किन वाला या फारनर आयेगा, हम, राजस्थान सरकार कुछ नहीं कर सकती है इस मामले के अन्दर, हमें भारत सरकार को कहना पड़ेगा कि इस प्रकार के दबाब के अन्दर यूरोपियन से और इनसे हीन भावना के तहत दबाव में मत आइये। ये जब आयें तो इनके पास में जब तक कि एच.आई.वी. पोजिटिव या नेगेटिव इस बात का टेस्ट न हो, जिसके पास एच.आई.वी. पोजिटिव हो उसको घुसने नहीं दिया जाये। जब तक हम यह बात, यह आवाज नहीं उठायेंगे हम हमारे यहां पर एड्स पर कण्ट्रोल नहीं कर पायेंगे। यह दिन–प्रतिदिन जो ट्यूरिज्म का मामला आ रहा है, दिन-प्रतिदिन बिना टेस्ट के आ रहे हैं मैं ये आंकड़े देकर बताना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदया, कि 1986 के अन्दर हमारे यहां पर पहला–पहला केस रिकार्ड हुआ था। 1986 में केवल मात्र एक और आज 1·6 मिलियन, 16 लाख आदमी इस देश के अन्दर इफेक्टेड हैं। जिस समय बाहर का फारनर आता है उसके कांटेक्ट में आकर के यदि किसी को एच.आई.वी. पोजिटिव हो जाता है तो उसका एड्स नो वर्ष बाद जाकर इफेक्ट होता है। 9 वर्ष बाद में पता लगता है उस आदमी को कि कहां क्या गलती हो गयी है। तो इस तरीके से इस समय यदि ट्यूरिज्म के चक्कर के अन्दर यदि हमने इस बात का ध्यान नहीं दिया तो 9 वर्ष के बाद जो आज थाइलैण्ड की स्थिति हो रही है, उससे ज्यादा बदतर स्थिति हमारी हो जायेगी।

इसी सिलसिले के अन्दर एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि आज एक कल्चर तो हो गयी कि जो भी डिस्पोजल सीरिंज है, वही काम में ली जाये जिस किसी को इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है उससे कहा जाता है कि डिस्पोजल सीरिंज लेकर आओ। वह लेकर के आता है पर हास्पिटल के बाहर जाकर खड़े होकर देखिये, शाम को कितने सारे डिस्पोजल सीरिंज बाहर रखे हुए पड़े होते हैं और रद्दी उठाने वाला उन सबको ले जाता है। उन सबको ले जाकर के उन कम्पनियों के अन्दर धो–पोंछ करके फिर दुबारा आ जाते हैं। तो बाहर डिस्पोजल सीरिंज के लिए आदमी ने अपनी जेब से दस रुपये खर्च किये, पर सारी की सारी चीज तो वापस हास्पिटल में आ गयी। मेरा इस

(श्री रमाकान्त)

मामले के अन्दर कई यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज का अनुभव है, वहां पर डाक्टर की ड्यूटी होती है कि शाम को अपने सामने सबको डस्ट्राय करवाता है और गिनवाता है कि आज दिन भर के अन्दर कितने इंजेक्शन लगे, आज दिन भर के अन्दर कितने दांतों का काम हुआ। उसके अन्दर कहां–कहां क्या हुआ। उन सबका कम्प्लसरी डेस्ट्राय अपनी आंखों के सामने करके उसको दस्तखत करने पड़ते हैं। यदि हमने ये सारी बातें यहां पर नहीं की तो जो हमने यहां पर एक कल्चर पैदा की है कि डिस्पोजल सीरिंज लेकर के आओ, उसका जो हमको लाभ होना चाहिए था वह नहीं हो सकेगा।

सभापति महोदया, हमारे यहां एक मेडिकल का अतिरिक्त सेक्शन है, (आई.ई.सी.) इंफोर्मेशन-एजुकेशन-कम्युनिकेशन, ना तो उसका कोई कम्यूनिकेशन है, न कोई इंफोर्मेशन देता है, न वह कोई एजुकेशन देता है। यदि वह सेक्शन अच्छी तरह से काम करें तो मलेरिया जैसी चीज आने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि वह लोगों को एजुकेट करें तो फेमिली प्लानिंग के लिए दूसरा विकल्प लाने की आवश्यकता नहीं है। यदि वह लोगों के साथ कम्यूनिकेट करें, लोगों के साथ जाकर बैठें और स्वच्छ जल की बात हो तो सारी डिजीजेज हमारे यहां पर बंद हो जाये। मुझे पता नहीं, वह क्या करता है आज कम से कम वह 10 साल से कार्य कर रहा है, परन्तु जनता पर और गांव के अन्दर उसकी कोई छाप नहीं है। इस मामले के अन्दर कोई किसी प्रकार का किसी को अनुभव नहीं है। हम आई.ई.सी. में इतना बड़ा बजट लेकर के बैठे हुए हैं, वह कुछ कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ?

एक समस्या है, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी का आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैंने इनमें वैसे भी कहा है कि राजस्थान के अन्दर एक क्वेक्स की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गयी है, मैं गढ़राजौर गया था थोड़े दिनों पहले एक डाक्टर साहब मुझे वहां दिखाई दिये। इनके चिकित्सा कार्यकलाप को देखकर के मैंने सोचा कि हंसूं कि रोऊं। वहीं पर उन्होंने बकरी का इलाज किया। उस बकरी का इलाज करने के बाद में वहीं पर, उसी घर के अन्दर मैंने देखा कि उन्होंने महिला का भी इलाज कर दिया और महिला का इलाज करके फिर वहां पर जो बच्चा था उस बच्चे का भी इलाज कर दिया। वह बकरी का इलाज कर रहा है, वह बच्चे का इलाज कर रहा है और उसके पास कोई डिग्री नहीं है। वह दसवीं तक भी पढ़ा हुआ नहीं है, न जाने क्या बी.एम.एस.. एम.डी.एस. है, क्या चीज है, इस तरह की सौ रुपये के अन्दर बनारस में कोई डिग्री मिलती है। जब तक हम ऐसा कोई कानून नहीं बनायेंगे, जब तक हम रेड्स डालकर इन सारे लोगों को बिलकुल समाप्त नहीं करेंगे, हमारे देश का जो स्वास्थ्य है बहुत ज्यादा चिन्तन का विषय बना हुआ है। आज ये लोग शोषण तो कर रहे ही हैं, आज कोई भी किसी भी प्रकार का बीमार आदमी आता है, उसको किसी न किसी प्रकार का ग्लुकोज पानी चढ़ा करके, ग्लुकोज के चढ़ते ही वह समझता है, आदमी या महिला कि मैं तो काफी अच्छा,

(श्री रमाकान्त)

ठीक हो गया, डाक्टर तो बहुत अच्छा है, परन्तु वह ग्लुकोज के अलावा कुछ नहीं जानता है। उसके चढ़ने के बाद में उसके साइड इफेक्ट्स यह होते हैं कि उस वक्त तो बहुत अच्छा महसूस करता है, महीने भर बाद वह परमात्मा के पास चला जाता है। और इसकी एक और स्थिति हुई है कि जब वह ववेक, बिलकुल कम्पलीट नहीं, जो मैट्रिक पास भी नहीं, जब वह डाक्टर बना हुआ बैठा है, तो हमारे विभाग के जो एम.पी डब्ल्यू. हैं, मलेरिया का काम उन्हें करना चाहिए। मलेरिया का काम वे नहीं कर रहे हैं। सेनिटरी इंस्पेक्टर, जिसका स्वास्थ्य से बिलकुल लेना-देना ही नहीं है, वह बिलकुल पढ़ाई ही नहीं जाती है, वह सभी गांवों में डाक्टर साहब कहलवाने लग गये। आजकल जितने एम. पी. डब्ल्यू. हैं, एम.पी.डब्ल्यू. हो या सुपरवाइजर हो, मलेरिया का काम करना चाहिए उनको। वे डाक्टर साहब बने हुए हैं। अपनी डाक्टरी का थेला जेब में लगाये हुए वे भी सारे गांव के अन्दर डाक्टरी कर रहे हैं। इन पर हमको बहुत सख्त और अत्यन्त जरूरी है कि जितनी जल्दी हम उन पर नियंत्रण कर सकें, अन्यथा एक संक्रामक रोग पैदा कर देंगे, सारे के सारे देश के अन्दर, जिससे पार नहीं पा सकेंगे।

सभापति महोदया, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि आज समय आ गया है, राजस्थान के अन्दर हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटी अलग बननी चाहिए। अभी हमारे पास पांच मेडिकल कॉलेज हैं, उन पांच मेडिकल कॉलेज में दुःख की बात....(व्यवधान)....क्षमा करना, छह मेडिकल कॉलेज है। दुःख की बात यह है कि लोगों को अपनी धारणा के अन्दर वे मेडिकल कॉलेज दिखायी नहीं देते हैं, वह तो उनको बड़े अस्पताल दिखायी देते हैं और जब उनके सामने बड़े अस्पताल दिखायी देते हैं तो हमारे राज के अन्दर भी उनका बड़े अस्पताल के नाम से चिन्तन है। हमारा चिन्तन यह नहीं है कि उनके अन्दर जो लड़के पढ़ रहे हैं, जो डाक्टर पैदा होने जा रहे हैं और डाक्टरों के अन्दर भी आज सुपर स्पेशलिटी आ रही है, यदि हम उनको सही मेडिकल कॉलेज का रूप नहीं दे सकेंगे, वे एक स्वास्थ्य का, चिकित्सा का काम करते हैं, यह एक प्रकार से उनका बाई प्रोडक्ट है, उनका कार्य अध्यापन करने का है। यह बात हमारे दिमाग के अन्दर, जब तक मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं बनेगी तब तक आ नहीं सकती क्योंकि जो साधारण यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी, वह इस बात का ध्यान नहीं दे सकती। मैं आपको उदाहरण के लिये दो बात बताना चाहता हूं। जब मैं स्वास्थ्य सचिव था, उस समय मैंने सुपर स्पेशलिटी यहां पर शुरू की थी। सुपर स्पेशलिटी के मामले में यहां की यूनिवर्सिटी ने इतनी खिलाफत की....(व्यवधान)....

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने नहीं गवर्नमेंट ने....

श्री रमाकान्त : क्षमा करना, गवर्नमेंट ने। मैं तो अदना-सा आदमी, बैकग्राउण्ड के अन्दर था। मैंने नहीं, उस समय की जो राजस्थान की गवर्नमेंट थी उसने शुरू की थी, परन्तु मेरा.. (व्यवधान)....

Page No. 154

(154)

श्री सभापति : आइडिया इनका होगा।

श्री रमाकान्त : परन्तु मेरे कार्यकाल के अन्दर, मैं भी उसका एक अंग था। इतनी तकलीफ आयी इस यूनिवर्सिटी की तरफ से, यूनिवर्सिटी में समझ ही नहीं कि सुपर स्पेशलिटी क्या है ? भूगोल का, इतिहास का, हिन्दी का, संस्कृत का वहां पर सारा एक एटमास्फियर है, वह एटमास्फियर इस बात को समझ नहीं सकता। इसका एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं– यहां एस.एम.एस. के अन्दर या किसी भी मेडिकल कॉलेज के अन्दर यूनिट्स कहलाती हैं और एक यूनिट हैड होता है। यूनिट हैड प्रोफेसर होता है, कभी-कभी रीडर भी हो सकता है और उस यूनिट के अन्दर कम से कम दो लेक्चरर पोस्ट ग्रेजुएट जरूर होने चाहिएं तब जाकर वह कम्प्लीट यूनिट होगी। यूनिट लोगों के इलाज करने के लिए नहीं है, वह यूनिट, जो पढ़कर पी.जी. करना चाहते है, एम.सी.एच. करना चाहते हैं, उससे रजिस्ट्रेशन करवा कर वह एम. सी.एच. कर सकते हैं या डी.एम. कर सकते हैं इसलिए वह यूनिट है। परन्तु उस यूनिट के अन्दर शैय्याएं भी दे दी जाती हैं। 20 दे दी जाती हैं, 40 दे दी जाती हैं, 10 दे दी जाती हैं, जैसी भी हो, प्रिंसिपल साहब देना चाहे, परन्तु बेसिकली जो यूनिट है, वह यूनिट इस बात के लिए है कि वह एम.सी.एच. पोस्ट ग्रेजुएशन अर्थात एम.डी. के बाद के अन्दर या एम.एस. के बाद के अन्दर जो अध्ययन है, वह वहां पर रजिस्ट्रेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता ? यह यूनिवर्सिटी 31–1– को आर्डर देती है– "The registration of Dr. (Miss) Raman Khurana cannot be done under Dr. P.K. Chhajar because the unit headed by Dr Chhajar is not complete." यहां तो यह आदेश देती है और ठीक 4-5 दिन बाद देती है आदेश – "I am directed to inform you that Dr. (Miss) Raman Khurana has been registered for M. C. H in... for two years under guidance of Dr. P K. Chhajar."

जी हां, दोनों ही यूनिवर्सिटी के हैं। एक यूनिवर्सिटी दस दिन पहले एक आदेश देती है, दस दिन बाद दूसरा देती है। इस यूनिवर्सिटी को पता ही नहीं है कि यूनिट क्या चीज होती है ? यूनिट का कोई लेना-देना नहीं होता है इसलिये यदि हम अच्छे डाक्टर प्रोड्यूस करना चाहते हैं, यदि हम यहां पर और यह सभापति महोदय, हिन्दुस्तान के जो प्रगतिशील प्रदेश हैं, उन्होंने ले लिया है इसको, यूनिवर्सिटीज ओपन हो चुकी है, चल रही हैं। अच्छा काम वहां पर हो रहा है और वहां के मेडिकल कॉलेजेज बढ़ रहे हैं इस तादाद के अन्दर। अब यदि हमने यह काम नहीं किया तो हम हैल्थ डिपार्टमेंट के अन्दर पीछे रह जायेंगे।

आखिर के अन्दर एक और निवेदन करना चाहता हूं....(व्यवधान) नहीं साहब, मच्छर का नहीं, मच्छर तो गये। आखिर में निवेदन करना चाहता हूं कि एक्सीडेंट से सबसे ज्यादा डेथ होती है। न तो पुलिस विभाग इसकी परवाह करता है, उनके यहां मर्डर इतने नहीं होते हैं, मर्डर होते होंगे सौ, एक्सीडेंट के अन्दर मौतें होती है तीन हजार। न यातायात विभाग परवाह करता है और न हैल्थ डिपार्टमेंट के यहां पर इतनी ज्यादा व्यवस्था है। एक्सीडेंट में आदमी भयंकर ट्रोमा में आता है। जनरली एक्सी-

(श्री रमाकान्त)

डेंट के वक्त आदमी ट्रोमा से मरता है, उस की टांग टूटने से वह नहीं मरता है, उसके हाथ टूटने से वह नहीं मरता है। उसमें एक खौफ पैदा होता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, उस समय उसको इमीजिएट रिलीफ मिल जाये तो उसके बाद में बाकी चिकित्सा हो सकती है।

सभापति महोदया, मेरे घर के अन्दर यह हादसा हो चुका था। मेरे छोटे भाई जो डायरेक्टर माइंस एण्ड जियालॉजी थे, उनके इकलौते लड़के की उदयपुर के अन्दर एक्सीडेंट से मौत हो गयी थी और मौत उदयपुर के अन्दर हुई थी, गांव हमारा थानागाजी है, थानागाजी के हम रहने वाले हैं। परन्तु चूंकि उस समय सबसे ज्यादा एक्सीडेंट बहरोड़ में होते थे इसलिये हमारे परिवार ने तीन लाख रुपये खर्च करके बहरोड़ के अन्दर एक अस्पताल बनवाया एक्सीडेंट्स देखने के लिये। राज्य सरकार से बातचीत करके, तय करके अब उसको एक्सीडेंट हॉस्पिटल, वह एक्सीडेंट का काम करेगा अमेरिकन आधार पर, लिखा हुआ है एक नोट फाइल के अन्दर इस बात का। वह अस्पताल, डिस्पेंसरी के काम में आता है। डिस्पेंसरी चल नहीं सकती, क्योंकि पास में बहुत बड़ा सामुदायिक अस्पताल मौजूद है तो कोई उसमें क्यों जायेगा, सड़क के किनारे, इतना दूर जा करके। वह तो मेंट ही इसलिए ही था क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सीडेंट उस समय बहरोड़ से लेकर शाहपुरा के बीच में हुआ करते थे। जिससे कोई भी। एक्सीडेंट हो तो तत्काल वहां इत्तला पहुंच जाये और वहां एक एम्बुलेंस हमने दिलवायी थी तीन लाख रुपये की, बम्बई के सेठ साहब से मिलकर के। उस एम्बुलेंस का कोई पता नहीं है। उस अस्पताल का कुछ नहीं और अब कहा गया जरूर है: मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी को कि इस बार इन्होंने अपने बजट भाषण के अन्दर वित्त मंत्रीजी से यह कहलवाया है कि वे इस बारे में ध्यान देंगे। इसलिये मैं उनको बहुत साधुवाद देना चाहता हूं परन्तु आज से दस वर्ष पहले एक चीज, एक प्रक्रिया शुरू की गयी थी, उसके बारे में पूर्ण रूप से उपेक्षा की गयी है।

लास्ट वर्ड, कि फेमेली प्लानिंग के अन्दर स्टरलाइजेशन पर हमने सारा का सारा ध्यान दिया है। स्टरलाइजेशन से कुछ नहीं होने वाला है। आज से दस साल पहले हमारी ग्रोथ थी, वह 3:1 है, 2.1 के हम सपने ही देखते रहेंगे। हमको इस फेमेली प्लानिंग के अन्दर ज्यादा ध्यान लोगों को फेमेली प्लानिंग की एजुकेशन देने पर दिया जायेगा और हम अपनी आर्थिक क्रान्ति के द्वारा, आर्थिक स्थिति को उन्नत करेंगे और साथ ही साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में गांव-गांव के अन्दर जाकर लोगों पर ध्यान देंगे तो बहुत कुछ कर सकेंगे, अन्यथा केवल मात्र हम स्टरलाइजेशन के आधार पर फेमेली प्लानिंग प्रोग्राम को चलाना चाहते हैं, वह चला नहीं सकेंगे, सभापति महोदया, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री अमराराम जी। श्री जितेन्द्र सिंहजी।

डा. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी) : माननीय सभापति महोदया, मांग संख्या 26 जो स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं से सम्बन्धित

(डा. जितेन्द्र सिंह)

है, पर मैं मेरे विचार रखना चाहूंगा।

(15 40)

(श्री समर्थलाल मीणा, सभापति, पदासीन)

आजादी के बाद राजस्थान में जो सुधार हुआ है चिकित्सा सेवाओं में, आजादी के बाद एक वक्त ऐसा था कि राजस्थान में बंगाल से तो डाक्टर इम्पोर्ट करने पड़ते थे और केरल से नर्सेज इम्पोर्ट करनी पड़ती थी। वक्त बदला और जो सियासतें आयीं और जिस वक्त से, जिस तरह से प्रगति हुई, वह निःसन्देह, उसने बहुत लम्बा समय देखा और उसमें बहुत तरक्की हुई।

सभापति महोदय, पीड़ित मानव की सेवा ही परम धर्म है यही जीसस क्राइस्ट से लेकर मदर टेरेसा और महात्मा गांधी और यही एक आम गरीब आदमी की दिल की आवाज है। राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं को मैं दो हिस्सों में बांटना चाहूंगा। पहली ग्रामीण सेवाएं और दूसरी बड़े शहरों की सेवाएं।

सभापति महोदय, सब से पहले बड़े शहरों की सेवाओं में मैं उत्तरी भारत के प्रख्यात अस्पताल सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज हास्पिटल के बारे में आपको कहना चाहूंगा। आज आस-पास के प्रान्तों से बहुत से रोगी इलाज के लिए आपके इस संस्थान में आते हैं और आपके इस संस्थान से निकले हुए डाक्टर अमेरिका, इंग्लैण्ड, बॉम्बे हास्पिटल और आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, कलकत्ता में बड़े प्रख्यात सर्जन हैं। महोदय, डाक्टर बी.के. गोयल, डाक्टर गिरधारी शर्मा बॉम्बे हास्पिटल में, वह सभी आपके राजस्थान की देन हैं। बहुत प्रचुर मात्रा में और बहुत अच्छे डवलपमेन्ट्स हुए हैं सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में लेकिन मैं केटेगरिकली आपको बताना चाहूंगा कि अभी भी ऐसी स्थितियां हैं कि बहुत सुधार की आवश्यकता है।

महोदय, सब से पहले मैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में आपको कहना चाहूंगा। इस समय सर्वाधिक केंसर के बाद मौतें हार्ट अटैक से होती हैं। बड़े दुःख की बात है कि सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के अन्दर अभी इंडिपेन्डेंट कार्डियोलॉजी यूनिट नहीं है। कार्डियो सर्जरी यूनिट है लेकिन कार्डियोलॉजी यूनिट्स भी अभी मेडिसिन के अण्डर में है। हृदय रोग एक ऐसा आघात है, हाल ही में हमने अभी हमारे एक युवा विधायक को खो दिया। इलाज तो जो आपका उस वक्त का डाक्टर है वही कर पायेगा, आप इंग्लैण्ड, अमेरिका बॉम्बे हास्पिटल या एम्स में नहीं जा सकते इसलिए आपको यह सुविधाएं डवलप करनी होंगी आपके हास्पिटल के अन्दर।

महोदय, आपके पास प्रशिक्षित कार्डियोलोजिस्ट हैं एस.एम.एस. हास्पिटल के अन्दर और आपके वहां पर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। वह लोग एंजियोग्राफी कर रहे हैं। एंजियोग्राफी जो कि बाहर एम्स में या एस्कोर्ट हास्पिटल में 20-20 हजार रुपये में होती है यहां 6000 में हो रही है और बड़े उच्च स्तर की हो रही है। उसको डवलप करने के लिए आपको वहां एंजियोप्लास्टी डवलप करना पड़ेगा।

(डा. जितेन्द्र सिंह)

मैं कहना चाहूंगा स्वास्थ्य मंत्रीजी को कि उसके लिए लूप का अरेंजमेंट करें क्योंकि यह एंजियोप्लास्टी ऐसी चीज है कि अगर उसको ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध हो, जो हार्ट के छोटे इस तरह के जिसमें बाइपास सर्जरी की आवश्यकता नहीं है वह एंजियोप्लास्टी से बहुत अच्छे तरीके से यहीं उपलब्ध हो जायेगी और यहां हो सकती है। माननीय विश्नोई जी और हमारे बहुत से लोगों की एंजियोग्राफी यहीं हुई थी।

दूसरा, इतने बड़े संस्थान के अन्दर आपके हॉलसटर यह कई इस तरह की यूनिट्स हैं जिसमें उनको प्राइवेट संस्थानों की तरफ भागना पड़ता है जांच कराने के लिए। एक ट्रेडमिल टैस्ट हैं। ट्रेडमिल टैस्ट में 6 लाख रुपयों की यूनिट आती है जिसमें 20 लाख रुपये तो आपके सैल्फ एम्प्लायमेंट स्कीम में दे दिया। वह मशीन बिलकुल जर्जर हालत में है, तो नयी मशीन खरीदी है उसने 20 लाख रुपये कमा कर दिये। हॉलसटर मशीन है वह उनको बाहर से मंगानी पड़ती है, एक मंत्री महोदय बीमार थे तो सुराणा एक्स-रे क्लिनिक से मंगाना पड़ा। बाहर से क्यों?

दूसरा, महोदय, जो अत्यन्त आवश्यक काम है हार्ट के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में, वह है इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट नहीं है एस. एम. एस. हास्पिटल के अन्दर जो कि प्राइवेट संस्थानों में है। अगर हार्ट अटैक का मरीज है तो वह दौड़ कर आपके उन 8 यूनिट्स में जायेगा जहां पर आपका बर्न का पेशेंट भी पड़ा है, एक्सीडेंट का पेशेंट भी पड़ा है तो वहां पर कौन कण्ट्रोल करेगा उसको जाकर? हर हास्पिटल में इंटेंसिव केयर कार्डियक यूनिट अलग होना अत्यन्त आवश्यक है। हृदय का रोगी होगा तो उनकी एक्सपर्ट टीम हो। जैसे एस्कोर्ट में है, उनकी अलग टीम होती है वही लोग मेण्टेन कर सकेंगे। एनेस्थेसिया का हैड ऑफ डिपार्टमेंट जाकर हार्ट के रोगी को नहीं सम्भाल सकता। तो आपके इंटेंसिव केयर कार्डियक यूनिट इंडिपेन्डेंटली कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में होना निहायत जरूरी है।

महोदय, डी. एम. कोर्सेज हो रहे हैं यहां, डाक्टर ऑफ मेडिसिन। आल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में हो रहा है, पी. जी. आई. चण्डीगढ़ में हो रहा है, **Why not in S.M.S. Hospital, which is equally senior Institution?**

महोदय, इसके बाद मैं गेस्ट्रो एण्ट्रोलॉजी विभाग को लेना चाहूंगा। मैं क्रमवार ले रहा हूं क्योंकि यह सिर्फ एक इस संस्थान की बात नहीं है। इसमें गरीब आदमी का इलाज हो, **S.M.S. Hospital is meant for poor patients.** अमीर आदमी तो बहुत से अमीर नर्सिंग होम्स है, उनमें इलाज करवा लेगा। महोदय, आपका गेस्ट्रो एण्ट्रोलॉजी विभाग का क्या हाल है? 40 पर्सेण्ट सर्जरी के केसेज गेस्ट्रो एण्ट्रोलॉजी से सम्बन्धित होते हैं लेकिन इंडिपेंडेंटली कोई गेस्ट्रो सर्जरी, एण्ट्रो सर्जरी डिपार्टमेंट नहीं है जबकि आपके एक्सपर्ट और ट्रेण्ड लोग हैं और बहुत समय से वह लोग यहां पर कोलोनोस्कोपी कर रहे है, एंडोस्कोपी कर रहे हैं, आपके पास ट्रेण्ड हैं एक नया पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है यह विभाग अलग

(डा. जितेन्द्र सिंह)

से खोलने के लिए। आपको गेस्ट्रो एण्ट्रोलॉजी सर्जरी जिसके अन्दर गाल ब्लेडर की स्पेशल सर्जरी होगी, कैंसर कोलोन सर्जरी होगी इसके लिए आपको एक अलग से विभाग बनाना पड़ेगा। **Nobody can be master of all things.**

एक आदमी एक ही सब्जेक्ट का मास्टर हो। जब आपके पास एक्सपर्ट मौजूद हैं तो **why are you doing like this ?** आप गेस्ट्रो एण्ट्रोलॉजी का अलग से विभाग स्थापित करिये आपके पास टैलेण्ट है, विदेश रिटर्न डाक्टर्स हैं, हाथ-पर-हाथ धरे बैठे हैं। महोदय, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गेस्ट्रो एण्ट्रोलॉजी विभाग के अन्दर इंडिपेडेंटली इकाई स्थापित करें।

महोदय, दूसरा सर्वाधिक खतरनाक रोग है वह कैंसर है। मंत्री महोदय पधारे थे, उद्घाटन भी हुआ था एक जगह। सर्वाधिक मौतें देश के अन्दर और दुनिया-भर में कैंसर से होती हैं और दुर्भाग्य की बात है कि कैंसर के उपचार की समुचित व्यवस्था है यहां पर एस. एम. एस. हॉस्पिटल में लेकिन उसके लिए आपको उसका जिस तरह से टाटा हॉस्पिटल में या और दूसरी जगह पर इंडिपेंडेंट विभाग है, उसकी इकाई **That is known as Oncology. Oncology means related with the cancer department; cancer medicine.** उसके लिए आपके पास ट्रेण्ड लोग हैं यहां; जो टाटा में ट्रेण्ड हैं, बाहर ट्रेण्ड हैं, तो आप एन्कोलॉजी डिपार्टमेंट जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में आता है उसके लिए इंडिपेंडेंट उसको डिवाइड करिये। यह मालूम हुआ कि सर्जरी भी वहीं करवा ली और वहां से उनकी कैंसरथेरेपी भी उसी के जनरल वार्ड में चल रही है, नो, **These things cannot be controlled there.** उसके लिए आपको ब्लड स्टडी करनी पड़ती है उसके लिए आपको ट्रेण्ड लोग चाहिये। तो एन्कोलॉजी मेडिसिन, एन्कोलॉजी सर्जरी, **Oncology means the treatment related to the cancer drugs** तो आपको एन्कोलॉजी डिपार्टमेंट अलग से स्थापित करना पड़ेगा। आपके पास ट्रेण्ड लोग हैं यहां पर जो बैठे हैं, क्या करें।

तीसरा, आपका एण्डोक्रा? इनोलोजी है। महोदय, उसका भी आप विभाग अलग से बनायें। मैं हमारे मुख्य मंत्री जी को और स्वास्थ्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो सवाई मानसिंह हॉस्पिटल की इमरजेंसी थी, मैंने आज से 6 साल पहले देखा था जब मैं मेरे फादर को लेकर गया था, **it was just like a mortuary at that time.**

और जिनका इसी इंटेंसिव केयर यूनिट में देहावसान हुआ। मुझे दुःख है कि किन परिस्थितियों में हुआ लेकिन मैं डाक्टर होने के नाते कुछ नहीं बोला। एक उनका सक्शन पम्प तक काम नहीं कर रहा था उस समय, आज से 6–7 साल पहले की बात बता रहा हूं लेकिन मैंने अपने हर्प से एक शब्द तक नहीं निकाला। महोदय, मुझे बड़ी खुशी है कि एक युवा मंत्री ने आज जो इमरजेंसी है एस.एम.एस. हास्पि-

(डा. जितेन्द्र सिंह)

टल की, मैं कह सकता हूं कि भारत की सर्वश्रेष्ठ इमरजेंसी में से एक है और आप धन्यवाद के पात्र हैं....

श्री परसराम मदेरणा : गांव में तो मलेरिया से मर रहे हैं और शहरों के अन्दर यह धन्यवाद के पात्र बन रहे हैं।

श्रीमती तारा भण्डारी : माननीय नेता महोदय, आपका खून मीठा है।

श्री परसराम मदेरणा : मलेरिया पैरासाइट्स आपके वहां फैले कि नहीं फैले।

डा. जितेन्द्र सिंह : Yes, Sir, Of course.

श्री परसराम मदेरणा : डा. साहब, सही-सही बात कहो यहां पर, यह बात नहीं है। You are an expert. And when you are an expert, you should give unbiased, independent and emancipated opinion as a doctor,

डा. जितेन्द्र सिंह : वह, सर, आ रहा है।

श्री भंवर सिंह डांगावास : माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आलोचक तो बहुत मिलेंगे, सराहना कर रहे हैं तो करने दीजिये इनको।

श्री परसराम मदेरणा : अलोचना करना तो आपका काम है हम तो बहुत कंस्ट्रक्टिव सजेशन देने वाले हैं और हमेशा सहयोग की भावना से चलते हैं लेकिन क्योंकि वह एक मेडिकल एक्सपर्ट हैं, उनकी राय वक्त रखती है। अगर अपने को ये कह दें कि यह फैल्सी पैरम क्या है, तो अपन तो यही कह दें कि फैल्सी पैरम यह है।

डा जितेन्द्र सिंह : महोदय, तीसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है जिसको मैं मंत्री महोदय को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इतने चौंकाने वाले आंकड़े आपको देने जा रहा हूं। आपके लेब्रोरेटरी इन्वेस्टिगेशन एस. एम. एस. हास्पिटल से एक वर्ष के अन्दर 20 करोड़ रुपये के लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन बाहर होते हैं। What for this is ? 20 करोड़ रुपये के I have got datas with me लेबोरेटरी की आपकी यह हालत है जहां ब्लड केमिस्ट्री होती है, आपके वहां हीमोग्लोबिन निकल रहा है 6, वह तो शुक्र हो खुदा का कि मेरी मदर बच गयी 9 ग्राम हीमोग्लोबिन इधर आ रहा था और था वाकई में 6 ग्राम I am not criticizing but it must be corrected. It is really h rrible उनके पास इतने साधन नहीं हो सकते मैं जानता हूं इतना बड़ा आउट डोर है आपके पास पांच हजार इनडोर, आउट डोर पेशेण्ट और आपके पास दस हजार बाहर के उनसे मिलने वाले, पन्द्रह हजार की भीड़ जब एक दिन में हॉस्पिटल में घुसेगी तो कितना कुछ कर पायेंगे। इसके लिए आप अपनी लेब्रोरेट्रीज की फेसेलिटीज हैं उनको इन्क्रीज करिये या लेबोरेट्री में आप इस तरह का कोई ऐग्रेमेण्ट ग्राउण्ड्स में कर दीजिये। जैसा आपने सैल्फ फाइनेंस स्कीम के अन्तर्गत कैट-स्केन में और एक्स-रे में किया है वरना खाली बैठे-बैठे माइक्रोस्कोप को देखकर वह लोग कुछ नहीं करने वाले।

(डा. जितेन्द्र सिंह)

हजार-हजार टैस्ट एक आदमी नहीं कर सकता। You have to increase the team, you have to increase the strength of technicians.

महोदय, दूसरा आपकी केट–स्केन मशीन जो जापान गवर्नमेंट के रहम से मिली थी इस सरकार को वह कभी भी कालेप्स हो सकती है। चालीस–चालीस इसके ऊपर रोज केट-स्केन होते हैं और दूसरा इस केट-स्केन मशीन ने सैल्फ फाइनेंस के अन्तर्गत आपको दो करोड़ रुपये कमाकर दे दिये। तो आप उन दो करोड़ रुपये से एक एक्स्ट्रा मशीन खरीद लीजिये। किसी दिन अगर कालेप्स होकर यह सिस्टम गिर गया तो आपके पास छह महीने में भी दूसरी मशीन आयेगी, ऐसा नहीं लगता। दो करोड़ रुपये जमा है।

महोदय, तीसरा ब्लड बैंक के बारे में बताना चाहूंगा। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल का ब्लड बैंक भारत के पांच बड़े ब्लड बैंक्स में से एक है। जहां हण्डरेड यूनिट रोज ब्लड का एक्सचेंज होता है। और सबसे बड़ी गम्भीर विषय की बात है जैसा कि रमाकांत जी बता रहे थे। एड्स का इतना भयानक फैलाव हो रहा है। एच.आई.वी. किड्स आती हैं आल इण्डिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से आपके सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के अन्दर। और एच.आई.वी. किड्स बिलकुल आपके कोल्ड रेफ्रिजरेशन में आने चाहिए, वह कम्पाउंडर बेचारा बस पर लादकर ले आता है आप तुरन्त किसी गाड़ी की व्यवस्था करवाइये वरना सारे एच.आई.वी. नेगेटिव मिलेंगे बीमार, जो पाजिटिव है वह भी आपको The whole system will fail. एच.आई.वी. जो आपकी वेक्सिन आती हैं वह टेम्प्रेचर में, गर्मियां आ रही हैं और वह बस में लदे–लदे कम्पाउण्डर उतारता है, टैम्पो में डालता है और एक किट इतना बड़ा होता है जिसमें हण्डरेड के करीब होते हैं एक्स–पेरिमेंट्स। और इस तरह के पच्चीस किट वह लाता है बेचारा। आप तुरन्त किसी आयाम से या तो एम्बुलेंस से यह व्यवस्था करवाइयें कि एच.आई.वी. किड्स उसके माध्यम से आये। वरना everything will fail. और आपके ब्लड में कोई भी एच. आई.वी वायरस आना शुरू हो जाये। एच.आई.वी. पेशेण्ट्स आते हैं उनका रिकार्ड नहीं रखा जाता। उसका रीजन यह है कि वह लोग सोशल बाइकाट करते हैं उनको that we know, क्योंकि टी.बी. में इस तरह से, देहातों में हुआ करता था तो बता देते थे। मैं तो आज की तारीख में भी मेरे रोगियों को नहीं कहता कि तेरे टी.बी. है क्या? क्योंकि अभी तक सोशल स्टेट्स ऐसा है जो कि स्वीकार नहीं करता। और खुदा न खास्ता किसी एच आई.वी. का पता लग गया तो गांव के बाहर धक्का देकर निकाल देंगे जैसे लेबर्स को निकालते हैं। उसका रिकार्ड कलक्टर के माध्यम से मेण्टेन हो और उस पेशेण्ट को वार्न कर दिया जाएं, गवर्नमेंट नजर रखें उस पर। चाहे उसे आउट न करें। otherwise they will be the carrier of the disease

महोदय, दूसरा आपकी न्यूरो सर्जरी यूनिट बहुत अच्छी है। बहुत अच्छे डाक्टर हैं। डाक्टर धारकर हैं यहां पर। He is a very good doctor. Being a

(डा जितेन्द्र सिंह)

real doctor, he is not worried about practice and all that

वहां पर हालत यह हो रही है कि उनके वार्ड के अंदर 40 तो बैड हैं और 100 बीमार वहां पर नीचे फर्श पर पड़े हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि एक्सट्रा बैड्स दीजिये, एक्सट्रा वार्ड दीजिये जो टेलेण्ट्स हैं उनके पास फेसेलिटी दीजिये।

Your Hospital has given talents.

डॉक्टर पी के. सेठी, मैग्सेसे अवार्ड मिला और जयपुर फुट आज वर्ल्ड के अन्दर जाना जाता है। आपका इंस्टीट्यूशंस छोटा-मोटा इंस्टीट्यूशंस नहीं है, it is a world recognized institution, जिसके लिये मैग्सेसे अवार्ड मिला। डॉक्टर गंगवाल, डॉक्टर जी.के. नारायणन, जो कि हस्तियां थीं यहां। So the institution is very good but we have to maintain all the things.

महोदय (व्यवधान) वह सबका ही ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरा, हास्पिटल की स्थिति यह है आपके पास। हास्पिटल के अन्दर आपके पास जितने बैड्स सैंक्शन हैं उतने बैड आपके पास वाकई में हैं नहीं। बैड बढ़ाइये आप। लाकर्स नहीं है बीमारों के लिये। बीमारों के बैठने के लिये स्टूल नहीं है। The laundary of SMS Hospital is in a state of total collapse. आपके अच्छे संस्थान में; don't make the SMS Hospital a Istanabool. एक तो यूरोपियन पार्ट हो रहा है और एक एशियन पार्ट हो रहा है। आपकी इमरजेंसी में तो घुसते ही तो ऐसा लगता है जैसे ओबेराय शेरेटन में घुसे हों और बाहर निकलेंगे तो जैसे हनुमान ढाबे से निकल रहे हों। महोदय, इसके लिये जो लाण्ड्री का है, उसकी स्थिति यह है कि स्टोर्स के अन्दर आपके पास बैडशीट्स नहीं हैं। आपके पास बहुत खूबसूरत वार्ड्स हैं लेकिन बैड शीट नहीं।

महोदय, बड़ी खुशी की बात है आपने डबल बजट कर दिया, गांवों के लिये दवाओं का निःसन्देह इसके लिये आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन एस.एम.एस. हास्पिटल का जो 115 लाख रुपये का दवाओं का बजट है उसी के अन्दर श्रीमन् आपकी पट्टियां, उसी के अन्दर आपकी डिस्पोजेबल्स, उसी के अन्दर लेबोरेट्री ड्रग्स, उसी के अन्दर एक्स-रे। 25 लाख रुपया सिर्फ सालाना आपकी दवाओं का बचता है एक लाख पन्द्रह हजार में से। 25 लाख में से कितने गरीब व्यक्तियों को दे सकते हैं? उसमें बहुत से हमारे जैसे विधायक या कोई आते हैं वहीं मार लेते हैं दवाइयां। गरीब को कुछ नहीं मिलती श्रीमान्। इसलिये बजट के बारे में संशोधन के लिये कुछ कीजिये। (व्यवधान) हां, गांवों की ले रहा हूं साहब।

महोदय, टेलीफोन व्यवस्था की हालत यह हो रही है एस.एम.एस. की कि अगर डाक्टर को ढूंढना हो, किसी के हार्ट-अटैक हो गया हो और डाक्टर यादव या डाक्टर मधोक को ढूंढना हो तो मरीज का-लेप्स कर लेगा उसके बाद तो इनसे कोरस्पोंडेंस होगी कि डाक्टर साहब वहां हैं। आपके पेजिंग सिस्टम शुरू हुआ। पेजिंग सिस्टम

(डा. जितेन्द्र सिंह)

लेटेस्ट, आप सब जगह मत दीजिये अगर कास्टली समझ रहे हैं। लेकिन जो कार्डिक यूनिट्स हैं, मुख्य मंत्री महोदय तो खुद इसकी भयावहता को जानते हैं कि हार्ट के पेशेण्ट के लिये promptness of the doctor is very essential. A very mild attack can be very fatal, and very fatal attack can be very miner.

अगर उसको वह सुविधा नहीं मिली। तो पेजिंग सिस्टम, जो कि कार्डिक यूनिट्स के डाक्टर्स हैं, उनके पास पेजिंग सिस्टम होना चाहिए कि डाक्टर कहीं बैठा है और हर जगह होता है, एम्स में वह सब जगह लटकाये ही रहते हैं, वहीं से उनकी बीप-बीप हो जाएगी patient is serious and he will rush आप पेजिंग सिस्टम शुरू करिये।

महोदय, आपकी मेडिकल कालेज की लाइब्रेरी बनी हुई है डेढ़-दो करोड़ की लागत से, वह खाली पड़ी है। तुरन्त उसके अंदर शिफ्ट करिये।

श्रीमन् रेजीडेण्ट डाक्टर की, जो सीनियर रेजीडेण्ट डाक्टर्स हैं उनको लिया जा रहा है लेकिन दुःख की बात है कि इसमें एस.सी., एस.टी. और बैकवर्ड्स का कोई रिजर्वेशन नहीं है। जबकि यह आल इण्डिया मेडिकल इंस्टीट्यूट और यह दूसरे जितने भी इंस्टीट्यूट हैं इन सबके अन्दर सीनियर रेजीडेण्ट डाक्टर्स को, एस.सी., एस.टी. और बैकवर्ड्स का रिजर्वेशन है। AIIMS हैं, Coimbatoor Medical College है, पी.जी.आई है, तो सीनियर रेजीडेण्ट डाक्टर का इसमें एस.सी., एस.टी और बैकवर्ड्स का रिजर्वेशन है उनको ड्यू रिजर्वेशन दिलवाइये।

महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि अस्थायी व्याख्याता हैं। अस्थायी व्याख्याताओं के लिये जैसे आपने कालेज के लेक्चरर्स को रेगुलराइज किया। पांच-दस साल से बेचारे अस्थायी व्याख्याता लोग बैठे हैं और आपका सलेक्शन बोर्ड है, वह बैठा। जैसे आपने रेगुलराइज किया है दूसरे कालेज के लेक्चरर्स को, उन्होंने क्या हार्म किया है कि पांच-दस साल बैठे-बैठे यूं ही वक्त गुजर गया उनका। तो उनके रेगुलराइजेशन के लिये कुछ कीजिये। दूसरा डी.एम. कोर्सेज, आप एस.एम.एस. हास्पिटल को एक पी.जी.आई. इंस्टीट्यूट के रूप में स्थापित करें। इसके लिये न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी और गैस्टोएण्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट्स में आप अलग से इंडिपेंडेंट इकाइयां बनाइये। यह निहायत जरूरी है।

महोदय, इस समय आपके नर्सिंग कालेज की यह स्थिति है कि चार साल से कोर्ट केस चलने के कारण आपका बी.एस.सी. नर्सिंग कोर्स बंद पड़ा है। अब स्टार्ट हुआ है तो नर्सेज का, एक्स-रे टैक्निशियन्स का, लेबोरेट्री टैक्नीशियंस की भारी कमी है, आप इसमें सीटें तुरन्त बढ़ाइये। आप अगर नौकरी नहीं भी देंगे तो वह बेचारे कहीं खप लेंगे और आपको यह क्वेकरीज के लिये भागना नहीं पड़ेगा। तो आप इसके अन्दर नर्सिंग की सीटें एक्स-रे टैक्नीशियन की, लेबोरेट्री टैक्नीशियन की, इमीजियेटली बढ़ाइये आपके

(डा. जितेन्द्र सिंह)

इंस्टीट्यूशंस में। और लोग तो उल्टा आपको कैपेटीशियन फीस देकर जायेंगे इसके अन्दर। चाहे उनको नौकरी न दें।

महोदय, मैं अब ग्रामीण चिकित्सा सेवाओं के बारे में कहना चाहूंगा। ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर बहुत पी.एच.सीज. खुली हैं, वर्क का बहुत एक्सपेंशन हुआ है, ए.एन.एम. सैण्टर्स बने हैं। लेकिन अभी भी दुर्भाग्य से स्थिति यह हो रही है कि आपने कहीं-कहीं जैसे रेफरल हास्पिटल बना दिये। रेफरल हास्पिटल में आठ डाक्टर हैं। मैं आपको बीस हास्पिटल्स ऐसे गिना सकता हूं जहां आठ डाक्टर हैं और दिन भर का उनका आउट डोर है बीस। माननीय शिवनाथ सिंहजी बिराज रहे हैं, उदयपुरवाटी रेफरल अस्पताल के अन्दर 30 से ज्यादा बीमार अगर आते हों तो हां भरें। और दूसरा नीमकाथाना हास्पिटल का आउट डोर है साहब फोर टू फाइव हण्डरेड।

श्री परसराम मदेरणा : बीमार तो तीन आ रहे हैं लेकिन डाक्टर की टोटल पोस्ट कितनी है?

डॉ. जितेन्द्र सिंह : आठ हैं साहब।

श्री परसराम मदेरणा : वहां डाक्टर कितने हैं?

डॉ. जितेन्द्र सिंह : आठ डाक्टर भी मौजूद हैं। लेकिन उनको चेंज करिये महोदय। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : दो क्यों, एक डाक्टर साहब हैं, तीन तो है ही।

श्री शिवनाथ सिंह : ये नहीं हैं वहां।

श्री परसराम मदेरणा : अच्छा यूं है।

श्री शिवनाथ सिंह : पेशेण्ट एक आती है, डाक्टर दो हैं।

डॉ. जितेन्द्र सिंह : पोस्ट तो आठ हैं वहां पर लेकिन....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

I am just completing, Sir

तो डाक्टर्स का जहां ज्यादा आउट पुट है। जैसे नीमकाथाना हास्पिटल का एग्जाम्पल देता हूं 500 पेशेण्ट का है उसका टर्न आउट। तो इसका थोड़ी–सा बैलेंस करे दीजिये डाक्टर्स का। जहां पर आउट पुट कम है तो हो सकता है वहां सीटें भी हों लेकिन वहां आप उनकी पोस्टें दे दीजिये।

महोदय, बेयरफुट डाक्टर्स की योजना गांवों में चाइना पद्धति में बेयरफुट डाक्टर्स की कोई योजना है क्या मंत्री महोदय? बीच के अंदर यह कार्यक्रम था जब कट मौशिन्स का हुआ था तो मैंने कहा था कि गांवों में इस तरह की चाइनी पद्धति के बेयर फुट डाक्टर्स बनाने की योजना हैं क्या? इस तरह की है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह बेयर फुट डाक्टर जो सूक्ष्म सेवाएं उपलब्ध कराने वाले डाक्टर हैं, You are making certified quacks. क्वेकरीज नहीं रुकेंगी। वह सिर्फ आकर दवाओं के बारे में ज्ञान नहीं देंगे। वह तो फिर इंजेक्शन ठोकेंगे और खुद के

(डा. जितेन्द्र सिंह)

प्रेक्टिस शुरू करेंगे। आप दूसरी तरफ तो उन क्वालिफाइड डाक्टर्स को उपभोक्ता संरक्षण कानून के अन्दर ले रहे हैं और दूसरा जो दो महीने के ट्रेन्ड हैं, आपके बेयरफुट चाइना पद्धति के डाक्टर हैं वह सारे इलाज शुरू कर देंगे। मलेरिया का इलाज शुरू कर देंगे। गांवों के अन्दर, माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने जैसा कहा।

मैं अन्त में मलेरिया के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। 1980 के अन्दर फेलसीपेरम मलेरिया की पर्सेण्टेज पांच प्रतिशत हुआ करती थी। No In 1995, it is 38 percent

फेलसीपेरम मलेरिया में तीस पर्सेण्ट, एप्रोक्सीमेटली पच्चीस पर्सेण्ट डेथ होती है। तो यह मलेरिया क्यों बढ़ा इसका रीजन है। रीजन यह है कि जैसे वहां डवलप हुआ, जिसके एक बार फेलेसीफार्म मलेरिया हो जाता है, that man is carrier of that disease. जिसके फेलसीपेरम मलेरिया हो गया वह मैन ठीक हो जायेगा दवा से लेकिन he is carrier. उसके जीवाणु मौजूद हैं और वह जैसलमेर से चलकर जयपुर आ गया और कोई मच्छर ने काट लिया तो वह दूसरे के फैल गया। That man will suffer from falciparum malaria. So you keep a recoard of persons suffering from falciparum malaria.

यह छोटी बीमारी नहीं है फेलसीपेरम मलेरिया। मैं रोज मरते हुए देखता हूं। तीसरे दिन ही खतम हो जाता है सेरीब्रल मलेरिया होकर....(व्यवधान) फेलेसीपेरम मलेरिया के रिकार्ड को आप रखिये इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं कि कितनी मौतें हुई या नहीं हुई लेकिन यह निश्चित है कि चाहे किसी बीमारी से मरे। यह बड़ा भयावह है। एक अदनी-सी बीमारी ने लोगों में इतना भयंकर रूप लिया। महोदय, आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्रीमती तारा भण्डारी।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : सभापति महोदय, आज हमारे चिकित्सा मंत्री ने मांग संख्या 26 के अन्तर्गत चिकित्सा सम्बन्धी बजट इस सदन में रखा है। इस मांग का शीर्षक है चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य एवं सफाई। लोक स्वास्थ्य का अर्थ होता है प्रदेश की जनता का आरोग्य। सभापति महोदय, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने प्रदेश की जनता के आरोग्य को ध्यान में रखते हुए एक कल्याणकारी राज्य की छवि को प्रस्तुत करते हुए इस वर्ष का बजट चिकित्सा को समर्पित किया है। सभापति महोदय,

"सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तुः निरामया"।

इस प्रकार की भावना को मद्दे नजर रखते हुए हमारे मुख्य मंत्रीजी ने चिकित्सा का बजट जो इस वर्ष बढ़ाया है वह अभूतपूर्व है। वर्ष 1994–95 का बजट जो चिकित्सा के लिए था 73 करोड़ 9 लाख इस वर्ष यह बजट 124 करोड़ 66 लाख करके राजस्थान की जनता को एक विश्वास दिलाया है कि चिकित्सा सेवाओं में अब तक जो कमियां रही हैं उन कमियों को दूर करके चिकित्सा सेवाओं का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा और इन सेवाओं का लाभ

(श्रीमती तारा भण्डारी)

प्रदेश की गरीब जनता को देने की कोशिश की जायेगी।

समापति महोदय, जब से राजस्थान में भा. ज. पा. सरकार आयी है, चिकित्सा सेवाओं में उत्तरोत्तर सुधार करके वृद्धि करने का पूरा प्रयास किया है और ये सेवाएं ग्रामीण अंचलों तक जाये ऐसी भावना बनायी है। समापति महोदय, एक जमाना था जब ठोकर भी लगती थी तो हम लोग जमीन की चुटकी भर मिट्टी लेकर उस घाव पर डाल देते और वह घाव ठीक हो जाता। लेकिन आज किसी घाव पर अगर अचानक भी मिट्टी लग जाए तो टिटनस हो जाता है। अगर कहीं हम गिर पड़ जाये तो सबसे पहले भय टिटनस का होता है। इसके बहुत सारे कारण हैं जैसे पर्यावरण प्रदूषण हो गया, जनसंख्या का दबाव भी इतना अधिक हो गया और सबसे बड़ी बात है कि आवागमन बढ़ गया। हिन्दुस्तान के लोग बाहर, बाहर के लोग हिन्दुस्तान में या हिन्दुस्तान भर में आपस में स्टेट्स में जो आवागमन है इससे कहीं की बीमारी कहीं पहुंच जाती है। किसी का रोग किसी को लग जाता है। आज वह समय नहीं है कि हम चुटकी भर मिट्टी डालकर अपनी बीमारी को ठीक करें।

आज चिकित्सा सेवाओं में बहुत ही बारीकी से या कहना चाहिए कि आणविक तौर पर विचार करके, बहुत ही प्रमाणिकता से विचार करके इन सेवाओं को दिया जाना चाहिए अन्यथा एक बीमारी का इलाज करें तो दूसरी बीमारी शुरू हो जाती है। हकीकत है, समापति महोदय, ग्रामीण सेवाओं का हाल आप जानते हैं। हम सब सदन के सदस्य कई बार इस बात को डिस्कस भी कर चुके हैं कि आज डाक्टर गांवों में जाना नहीं चाहते। समापति महोदय, हमारी सरकार ने प्रयास करके भेजे गये डाक्टरों को वहां नहीं जाने पर उनके विरूद्ध कठोरता से कार्यवाही करके, उनके खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही करके और नहीं ज्वाइन करने पर सस्पेण्ड करके सरकार ने यह प्रयास किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में चाहें तो सीमावर्ती इलाके हों, बाड़मेर हो, जैसलर हो वहां पर डाक्टर जरूर पहुंचे।

समापति महोदय, नई नियुक्तियां देने के मामले में भी सरकार ने बहुत सापेक्ष या जिन्हें कहना चाहिए बहुत ही अच्छा प्रभावी निर्णय लिया। सन् 1990 में जब नयी-नयी चुनकर आयी थी, इसी सदन में मैंने एक प्रश्न उठाया था कि राज्य भर में करीब 2500 चिकित्सकों के पद उस समय खाली थे और 2200 के आस पास डाक्टर नियुक्ति विहीन बेरोजगार घूम रहे थे हमारी सरकार ने इस बात पर गम्भीरता से विचार किया कि एक तरफ तो सरकार के कोष का तेरह लाख रुपया जो जनता के गाढ़े पसीने की कमाई होती है, एक डाक्टर पर व्यय करने के बाद वह डाक्टर अपनी डिग्री हासिल करता है। इतना समझदार डाक्टर बेरोजगार घूमें और दूसरी ओर प्रदेश की जनता चिकित्सा सुविधाओं से विहीन रहे। सरकार ने वित्तीय प्रबन्धन करके डाक्टरों को नियुक्तियां दीं और मुझे सदन को यह बताने में बहुत खुशी होती है कि पिछले पांच वर्षों में हमारी सरकार ने सात हजार के लगभग डाक्टरों को नियुक्तियां दीं।

(श्रीमती तारा भण्डारी)

सभापति महोदय, एक जमाना कांग्रेस का था जब चालीस वर्षों में चार हजार डाक्टरों की नियुक्तियां की गयी थीं और यह दूसरा जमाना पांच वर्ष का हमारी सरकार का है। इन पांच वर्षों में सात हजार के लगभग डाक्टरों को अपाइन्टमेंट दिये गये और इस शर्त पर दिये कि....(व्यवधान).... आप आंकड़े देख लो हाउस की प्रोपर्टी है। फुर्सत में आ जाना रिकार्ड बता दिया जायेगा....(व्यवधान).... सभापति महोदय, मुझे समझ नहीं आया कि नेता महोदय ने क्या फरमाया।

श्री रामनारायण चौधरी : ए. एन. एम. की संख्या होगी।

श्रीमती तारा भण्डारी : वह आप आंकड़े देख लीजियेगा। आप मुझसे बहुत वरिष्ठ हैं, आपकी बात को मैं डिनाई नहीं करती लेकिन आप आंकड़े देख लीजिए। मैं कहना चाहती हूं कि डाक्टरों की नियुक्तियां तो दीं और इस शर्त के साथ दी कि पहला अपाइन्टमेंट गांवों में हो और गांवों में नहीं जाने पर उनकी नियुक्तियां कैंसिल कर दी गयीं। सभापति महोदय, यही कारण है कि आज छोटे-छोटे गांवों में पी. एच. सी. खुले हुए हैं, मातृ शिशु कल्याण केन्द्र खुले हुए हैं वहां पर आज चिकित्सक उपलब्ध हैं, महिला चिकित्सक उपलब्ध है। यह बात अलग है कि प्रदेश में कई जगह अभी भी खाली होगीं लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई गम्भीरता से प्रयास नहीं किये होंगे। अनुपातिक संख्या में देखें, आप एक बार कम्पेरीजन कर लें कि 40 वर्ष तक कांग्रेस ने कितने डाक्टर नियुक्त किये और इन पांच वर्षों में हमारी सरकार ने कितने डाक्टर नियुक्त किये। सभापति महोदय, डाक्टरों की नियुक्ति तो की इसके साथ-साथ चिकित्सा के सभी स्तरों पर, चिकित्सा सेवाओं की जितनी भी इकाइयां हो सकती हैं सब में वृद्धि की। वर्ष 1994-95 के आंकड़े मैं आपको बताऊं तो उप केन्द्र से लगाकर एस.एम.एस. तक चिकित्सा सेवाओं में विस्तार किया गया है, सुधार किया गया। हम लोग सभी कहते थे कि उप केन्द्र में पट्टी नहीं, ग्रामीण जनता के यहां पर कोई पट्टी नहीं होती है, दवा नहीं होती है। सभापति महोदय, एक उप केन्द्र का बजट दो हजार रुपये मात्र था और हमारी सरकार ने वर्ष 1994-95 में तीन हजार रुपये बढ़ाया और कुल मिला कर यह बजट पांच हजार रुपये प्रति उप केन्द्र किया है। सभापति महोदय, इसी तरह से एड पोस्ट में तीन हजार का बजट था इस बार वर्ष 1994-95 में इस बजट को छह हजार किया। मातृ शिशु कल्याण केन्द्र जो हमारी सबसे पहली आवश्यकता है, फैमेली प्लानिंग की जनसंख्या वृद्धि को आज हमें चिन्ता है, इस मातृ शिशु कल्याण केन्द्र का पहले बजट 10 हजार रुपये था, 1994-95 में 20 हजार रुपये किया है। सभापति महोदय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जिसका बजट 12 हजार रुपये था वह अब 24 हजार रुपये किया और डिस्पेन्सरीज में बिस्तर नहीं, 8 हजार का बजट था वर्ष 1994-95 में 16 हजार रुपये का किया। हास्पिटल में आने वाले रोगी को, प्रति रोगी डेढ़ रुपये का बजट उपलब्ध कराया जाता था, सभापति महोदय, 1994-95 में यह तीन रुपये प्रति रोगी किया गया। सेवाओं के बढ़ाने की बात हमारे

(श्रीमती तारा भण्डारी)

माननीय सदस्य कह रहे थे और बढ़ानी भी चाहिये लेकिन वर्ष 1994-95 में ग्रामीण क्षेत्रों में 180 शैयाओं की वृद्धि की गयी और शहरी क्षेत्रों में 241 शैयाओं की वृद्धि की गयी। खाली शैयाएं ही नहीं बढ़ायी शैयाओं पर मिलने वाला बजट भी बढ़ाया। सभापति महोदय, शैयाओं पर सरकार 1200 रुपये देती थी, इस बार प्रति शैयाओं पर 2400 रुपये बजट वृद्धि की गयी।

दवाओं का बजट दुगुना किया। हास्पिटल में जो दवाइयां सप्लाई होती थीं उनमें बड़ा घपला था। सभापति महोदय, इसमें कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है क्योंकि 440 नाम की दवाइयों की बड़ी लम्बी सूची होती थी, बजट की स्थिति बड़ी खराब थी। तो 440 दवाइयों में से कौन सी खरीदी जाय, कौन सी नहीं खरीदी जाय और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि कौनसी दवाई हास्पिटल में खरीदी गयी या उपलब्ध है यह भी जानकारी नहीं कर पाते थे। इतना घपला चलता था कि अगर जांच करने जायं तो सही जांच हो ही नहीं सकती थी और दवाइयां काला बाजार में बिकती थीं। पिछले वर्ष इन दवाइयों पर कन्ट्रोल हुआ, सूची की स्क्रूटनी हुई और स्क्रूटनी करके 70 जीवन रक्षक दवाइयों की सूची बनायी गयी और ये ही 70 दवाइयां प्रदेश के सभी हॉस्पिटल्स् में उपलब्ध होगी यह भी तय किया गया। इसके साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया गया कि हमारे जो चिकित्सालय हैं अरोग्य भवन हैं वहां यदि कोई मरीज आता है तो वह चिकित्सालय कुछ तो उसको दें और इसके लिए यह निर्णय किया गया कि इन 70 दवाइयों में से आने वाले रोगी को जो उसकी आवश्यकता होगी चाहे रोगी भर्ती का हो या रोगी बाहर का हो प्रत्येक को यदि उन 70 दवाइयों में से कोई काम की दवाई है तो निश्चित रूप से वह दवा उसे दी जायेगी। सभापति महोदय, इससे काफी फायदा होगा एक तो प्रदेश की जनता में जो गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, पिछड़ा वर्ग है, चाहे पेन्शन भोगी हों, चाहे पूर्व सैनिक हो अथवा किसी भी प्रकार से गरीब या उसे कहना चाहिये व्यक्ति असमर्थ है तो उन सभी को दवाइयां उपलब्ध होगी और साथ-साथ कालाबाजारी पर अंकुश लगेगा, भ्रष्टाचार भी कम होगा। सभापति महोदय, निःशुल्क दवाइयों के मामले में अभी जैसे क्षय रोग की चर्चा की गयी थी, हमारे माननीय रमाकान्तजी ने की थी। क्षय रोग वास्तव में किसी जमाने में बड़ी भयंकर बीमारी थी, टी. बी. वाले का नाम भी ले लेते तो परिवार वाले उसके बर्तन, कपड़े सब कुछ अलग कर देते थे। इसलिए कई बार तो यह भयंकर बीमारी छिपायी जाती थी। आज क्षय रोग न तो इन्क्योरेबल है और न ही इतनी भयानक है और उसमें माननीय चिकित्सा मंत्रीजी को और हमारे मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि क्षय रोग के लिए निःशुल्क दवाइयां दी जा रही हैं उसका बजट भी दुगुने से ज्यादा किया। क्षय रोग के लिए पहले जहां 50 लाख रुपये बजट था वर्ष 1994-95 में 170 लाख किया।

एक माननीय सदस्य : आप 1995-96 की बता रही हैं।

श्री गोबिन्द सिंह गुर्जर (नसीरा बाद) : आप तो आगे साल की बता रही हैं।

श्रीमती तारा भण्डारी : 1995–96 की तो सुनते रहना वह तो मंत्रीजी बतायेंगे कौन-कौन-सा प्रावधान कहां-कहां किया है। मैं तो वर्ष 1994–95 की उपलब्धि बता देती हूं क्योंकि वर्ष 1995–96 में तो माननीय सदस्यगण कहां कौन सा बजट एलोकेट करना है वह सारे सदन की राय हमारे मंत्रीजी अनाऊंस करेंगे। वह तो मैं नहीं कह सकती। सभापति महोदय, दवाइयों के साथ-साथ अस्पताल में जाने जाने वालों को पट्टी भी नहीं मिलती थी, लोगों को पट्टी बाहर से मंगवानी पड़ती थी। आज बजट में वृद्धि करके यह व्यवस्था की गयी कि हॉस्पिटल में आने वाले रोगी को कम से कम जीवन रक्षक दवाइयां मिल जाय, कुछ गॉज मिल जाय, पट्टी मिल जाय।

एक बात मैं यहां कहना चाहूंगी, सभापति महोदय, हमारे यहां जो कुत्ता काटने की दवा आती है एण्टी रैबिज वह बाहर से आती है। आज हालत यह है कि कई बार कुत्ता काट जाता है और हॉस्पिटल में दवाई नही होती और जब गरीब आदमी को बाहर से इंजेक्शन लाना पड़ता है तो यह बड़ा महंगा है, डेढ़ सौ, दो सौ रुपये इस इंजेक्शन के लगते हैं। इस बारे में हमें गम्भीरता से सोचना चाहिये कि कुत्ता काटने वाली दवा अमीर लोग तो ले आते हैं 200, 250 या 500 रुपये में इंजेक्शन, उनके कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन गरीब को अगर कुत्ता काट लेता है और उसका बाप महीने का केवल 1000 रुपये कमाता है तो वह 200 रुपये का इंजेक्शन नहीं ला सकता और कुत्ता काटने की बीमारी से वह आदमी मर जाता है यह भी सत्य है। सभापति महोदय, मैं इसी मामले में आपको एक बात और कहना चाहूंगी कि गांवों में हॉस्पिटल तो खुल गये, कई जगह पी. एच. सी. है, सामुदायिक केन्द्र हैं, एड पोस्ट भी है लेकिन जहां पी. एच. सी. है वहां पर कई जगह दवाई की दुकान नहीं है। सरकार ने इस बजट में व्यवस्था की है कि जहां हॉस्पिटल मौजूद हैं, चिकित्सालय मौजूद हैं वहां पर किसी भी प्रकार के गांवों के लोगों को एन्करेज करके या कोई व्यवस्था करके दवाई की दुकान खोलेंगे। इस बात की मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि मेरे यहां भी कई जगह पी. एच. सी. है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अंग्रेजी पढ़ा-लिखा आदमी नहीं है, फार्मा किया हुआ नहीं है और इस स्थिति में दवाई की दुकानें नहीं है। यह जो प्रयास किया जायेगा यह भी एक सार्थक प्रयास है। सभापति महोदय, पिछले वर्ष 1994–95 में ग्रामीण अंचलों तक तो चिकित्सा सेवाओं का बहुत विस्तार किया गया, प्रदेश के 27 जिलों में एम्बुलेंस उपलब्ध करायी, एक्स-रे मशीनें उपलब्ध करायी, ओपरेशन थियेटर और लेबर रूम का निर्माण हुआ। सभापति महोदय, जिस जगह मातृ-शिशु कल्याण केन्द्र हैं वहां पर लेडी डाक्टर का होना, लेबर रूम का होना, आपरेशन थियेटर और साथ में एम्बुलेंस उपलब्ध कराना गांव वालों के लिए यह एक बहुत बड़ी सुविधा है। गांव वालों ने कभी यह सफेद गाड़ियां देखी नहीं थीं लेकिन आज मुझे सदन में यह बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि मेरे छोटे-छोटे गांवों में, कैलाश नगर में एम्बुलेंस है, कालन्दरी

(श्रीमती तारा भण्डारी)

में एम्बुलेंस हैं, जावाल में एम्बुलेंस ओसालिया. में एम्बुलेंस है, सिलधर में एम्बुलेंस है, एक्सरे मशीनें वहां है और आज वहां लेडी डाक्टर भी उपलब्ध है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इन सुविधाओं का विस्तार हो और सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ इनके रिजल्ट्स भी अच्छे आयेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

सभापति महोदय, आज ही तो मौका मिला है। इन चिकित्सा सेवाओं से जहां हमारी माताएं स्वस्थ होगी वहीं शिशु भी स्वस्थ जन्मेगा और साथ-साथ फैमिली प्लानिंग का, यह जनसंख्या का बढ़ता हुआ दबाव, यह सैलाब है, इस पर भी रोक लगेगी। सुविधाएं मिलेंगी तो निश्चित रूप से लोगों का रूझान नसबंदी या आप्रेशन की तरफ जायेगा और जनसंख्या नियंत्रण भी होगा।

श्री परसराम मदेरणा (नेता प्रतिपक्ष) : ये सफेद गाड़ियां परिवार कल्याण के काम में आती हैं ?

श्रीमती तारा भण्डारी : आती है।

श्री परसराम मदेरणा : आप कह रही हो कि सफेद गाड़ियां देखी नहीं। हमने परिवार कल्याण में सफेद गाड़ियां चलायी थीं, तब हमारे को उक्त चुनाव में वे सफेद गाड़ियां ही तो ले डूबी।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, नेता महोदय का भय वाजिब है। इन्होंने इमरजेंसी के समय में सफेद गाड़ियां चला कर लोगों को बहुत डराया था, जबरन नसबंदी की थी लेकिन हमारी सरकार जबरन नसबंदी में विश्वास नहीं करती। धन्यवाद है हमारे मुख्य मंत्रीजी को जिन्होंने हमारी माताओं को प्रोत्साहित किया है कि एक लड़की के जन्म के बाद यदि कोई नसबंदी कराता है तो उसको राजलक्ष्मी बाण्ड मिलेगा, 2 लड़कियों के जन्म के बाद अगर कोई नसबंदी कराता है तो राजलक्ष्मी बॉण्ड मिलेगा और इस बॉण्ड में बालिका वर्षों में जैसे-जैसे बढ़ती है उसके बढ़ने के साथ-साथ धनराशि में भी वृद्धि होगी। लोगों का रूझान इस ओर बहुत बढ़ा है क्योंकि लोग समझने लगे हैं कि लड़के-लड़की में अब कोई फर्क नहीं है। फैमिली प्लानिंग की सेवाओं का इस बार बहुत जोर-शोर से प्रचार-प्रसार हुआ है। एड्स की बात कर रही थी। हम लोगों ने तो एड्स का नाम ही पहली बार सुना, कभी सुना नहीं था लेकिन पिछले एक, डेढ़ वर्ष में एड्स के बारे में जनता में जो जागरण पैदा किया जा रहा है, जनता में जो एड्स का भय पैदा किया जा रहा है, जनता में एड्स की जो खतरनाक स्थिति बतायी जा रही है, उससे भी बड़ा लाभ हो रहा है। एड्स फैलता है, स्वच्छंद यौनाचार से, एड्स फैलता है गलत कामों से, इस एड्स की रोकथाम से तो हमारी संस्कृति भी सुधरेगी, हमारे संस्कार भी अच्छे होंगे और निश्चित रूप से राजस्थान की भयाक्रांत जनता इस एड्स से बचने के उपाय करेगी।

सभापति महोदय, चिकित्सा सेवाओं में जो वृद्धि की गयी है, वह तो अभी बहुत

(श्रीमती तारा भण्डारी)

कुछ गिनायी जा सकती है लेकिन यह अवसर उपलब्धि गिनाने का नहीं। चूंकि चिकित्सा सेवाएं, शिक्षा सेवाएं, पेयजल, रोजगार, ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। किसी भी प्रदेश के लिए, किसी भी कल्याणकारी राज्य के लिए यह आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं है और इनमें भी बहुत कुछ करना बाकी है। बहुत सुधार करना बाकी है।

डाक्टरों के बारे में चिंता करते हैं। मैं स्वयं इस हाउस में डाक्टरों की लापरवाही के बारे में बोली, डाक्टरों की संवेदनहीनता के बारे में बोली हूं, डाक्टरों की अमानवीयता के बारे में बोली हूं। आज माननीय सदस्यगण कह रहे थे कि एक्सीडेंट से मौत नहीं होती, ट्रोमा से हो जाती है। सही बात है। वाहन इतने बढ़ गये, यातायात, आवागमन के साधन बढ़ गये, सड़क छोटी पड़ गयी, इसलिए आपस में टक्कर हो गयी और बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं और एक्सीडेंट से आदमी नहीं मरता। अगर उसको समय पर राहत मिल जाय, डाक्टर की संवेदनशीलता के कारण उस मरीज को समय पर सहायता मिल जाये तो उसका बचाव हो सकता है। इसलिए मैं यही कह कर इतना और कहूंगी कि इस वर्ष जो बजट में वृद्धि की है, विशेष तौर से ग्रामीण सेवाओं में ऐड और 25 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है, वह वृद्धि बहुत अच्छी है लेकिन मेरे साथ बैठे है, आयुर्वेद राज्य मंत्री और एक तरफ बैठे हैं राजेन्द्रजी राठौड़, कहीं राठौड़ और मेघवालजी का इम्बेलेंस तो नहीं। सभापति महोदय, बहुत बड़ी बात है। आयुर्वेद एक प्राचीन पद्धति है। आयुर्वेद से कोई रिएक्शन नहीं। आयुर्वेद की जड़ी-बूटियां हमारे यहां पैदा हो सकती हैं लेकिन आज आयुर्वेद की स्थिति क्या है? आज रसायनशालाओं की स्थिति क्या है? दवाइयों के निर्माण की हालत क्या है? और दूसरी तरफ आप देखें, एलोपैथी तो महंगी से महंगी होती जा रही है। इंजेक्शन के रिएक्शन का भय, गोली के रिएक्शन का भय और पेट के लिए दवा लो तो गला खराब. गले की दवा लो तो सिर में दर्द हो जाय।

सभापति महोदय, मैं पुरजोर शब्दों में इस सदन में कहना चाहूंगी कि यह एलोपैथी तो हमारे लिए खतरनाक है, एक बार जीवन की रक्षा भले ही हो जाये लेकिन निरन्तर ऐलोपैथी की दवाएं लेने से हमारा स्वास्थ्य गिरेगा और एक तरफ आयुर्वेद हैं जो नीचे से व्यक्ति के स्वास्थ्य को ठीक करते हुए एक सम्बल प्रदान करता है और अभी तो डंकल लागू नहीं हुआ। जब डंकल के फार्मूले आ जायेंगे, पेटेंट दवाइयां आ जायेंगी तब हम राजस्थानी बन्धुओं के लिए यह ऐलोपैथी की दवाइयां दूर के डूंगर हो जायेंगी। इसलिए, सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी को कहना चाहूंगी कि ऐलोपैथी, होमियोपैथी, इनका भी विस्तार किया जाय। आज हमारे छोटे-छोटे बच्चे होमियोपैथी की मीठी गोलियां हंसते हुए ले लेते हैं और बीमारी भी चली जाती है। मैं स्वयं पिछले 5 साल से होमियोपैथी ट्रीटमेंट लेती हूं और निश्चित रूप से उसमें फायदा भी होता हैं तो अकेले ऐलोपैथी को समृद्ध करके होमियोपैथी, आयुर्वेद और यूनानी को हम अलग नहीं कर सकते। सभी पद्धतियां हमारे देश की हैं और सभी

(श्रीमती तारा भण्डारी)

पद्धतियों में कहीं-न-कहीं विस्तार होना चाहिए और विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में खुलवाइये होमियोपैथी। लोग हंसते-हंसते उस दवा को ले लेंगे और उस दवा का फायदा भी होगा।

सभापति महोदय, मैं एस.एम.एस. के बारे में दो शब्द जरूर कहूंगी। एस.एम.एस. हमारे प्रदेश का प्रमुख चिकित्सालय है। या यह कहना चाहिए कि जिस प्रकार से चंडीगढ़ का पी.जी.आई. है या ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीटयूट है, उसी प्रकार से हमारे राजस्थानवासियों के लिए एस. एम. एस. सबसे बड़ा अस्पताल है। मैं इसके बारे में एक सुझाव देना चाहूंगी। आज एस.एम.एस की स्थिति क्या है? मामूली रोगी, जिसको एक सी.ए.एस. या साधारण एम. ओ. रोगी को....

श्री शिवनाथ सिंह (गुढा) : मुख्य मंत्रीजी गये, आप कुछ भी कहते रहो।

श्रीमती तारा भण्डारी : कोई बात नहीं, हमारी बात रेकार्ड होगी, मंत्रीजी सुन लेंगे। मैं तो मुख्य मंत्रीजी के बैठे भी अपनी बात कह सकती हूं। यह भय तो आपको है कि मुख्य मंत्रीजी के सामने तो बोले नहीं, पीछे से बोलते हैं।....(व्यवधान)....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : मुख्य मंत्रीजी उठ कर गये तो उनको क्रिटीसाइज करना शुरू कर दिया।

श्रीमती तारा भण्डारी : बस दो मिनट, एस.एम.एस. के बारे में मेरी बहुत ऊंची कल्पना है। मेरा यह सुझाव है कि एस. एम. एस. में वे ही केसेज लाये जायें जो या तो जिला अस्पतालों से या संभागीय अस्पतालों से रेफर किये जायें। आज एस. एम. एस. में जाइये, वहां पर चल नहीं सकते, अगर वार्ड में जायें तो बिस्तर पलंग पर भी हैं, बिस्तर, जमीन पर भी है और भीड़ है, और एस.एम.एस. में जो विशेषताएं डवलप होनी चाहिए, जिन विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाता है इसलिए इस बात को भी ध्यान में रखा जाये। अभी पिछले ही दिनों एस.एम.एस. में बाईपास सर्जरी की चर्चा बहुत जोरों से हुई थी कि हमने बाईपास सर्जरी शुरू की है, एक बाईपास सर्जरी होकर रह गयी। अब उसका कारण मैं नहीं जानती, उसका कारण या तो मेडिकल स्टाफ जानता है या हमारे मंत्री जाने। पर मैं इतना कहना चाहूंगी कि एस.एम.एस. में बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए। क्योंकि हमारा प्रदेश प्रतिवर्ष बाईपास सर्जरी के लिए लाखों रुपये खर्च करता है। लोग या तो दिल्ली जाकर, बम्बई जाकर या मद्रास जाकर अपनी बाईपास सर्जरी कराते हैं और यदि यही सुविधा हम जयपुर में डवलप करें तो प्रदेश का कोष भी बचेगा और हमारे डाक्टरों को अपना हुनर दिखाने का भी अवसर मिलेगा।.. सभापति महोदय, एस.एम.एस. में एक मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट की पोस्ट है। मेरा एक सुझाव है कि इस पद पर फुल टाइम वर्कर होना चाहिए जो प्रेक्टिस भी नहीं करता हो। इस प्रकार के अधीक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए।

(श्रीमती तारा भण्डारी)

सभापति महोदय, एक बात और है। चिकित्सालय का समय एक टाइम का है। वह चाहे एस.एम.एस. हास्पीटल हो या चाहे मेरे सिरोही का हास्पीटल हो, 8 बजे से 2 बजे का समय चिकित्सालय का समय है। इस 8 बजे से 2 बजे के समय में सबसे बड़ा नुकसान होता है वह सरकारी कर्मचारियों का होता है। उनको अपने किसी को दिखाना है तो स्वाभाविक रूप से आप समझ सकते हैं कि हास्पिटल का समय भले ही 8 बजे का हो लेकिन डाक्टर 9 बजे और 10 बजे तक अपनी मर्जी से आते हैं और उन लोगों को जो भी जांच करानी है आने वाले मरीज को उनको या तो एक दिन की छुट्टी लेनी पड़े या कुछ और करना पड़ता है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि सारे ज़िला मुख्यालयों के अस्पतालों का दो टाइम का समय कराया जाये ताकि सभी लोगों को चिकित्सा सेवा मिल सके।

सभापति महोदय, एक बात और एस.एम.एस. के बारे में सुनी थी और मुझसे कहे बिना नहीं रहा जा रहा है। एस.एम.एस. के बाहर जो थड़ियां और केबिन्स लगे हुए हैं उनको हास्पिटल प्रशासन और नगर निगम का प्रशासन मिलकर कहीं हास्पिटल केम्पस में, परिसर में लगाना चाहता है। सभापति महोदय, यह सबसे बड़ा अन्याय एस.एम.एस. के साथ और हास्पिटल में आने वाले रोगियों के साथ होगा और मैं इस मामले में इतना ही निवेदन करूंगी कि यदि ऐसा कहीं निर्णय लिया गया है तो, मान्यवर, इसे केंसिल कर दें और नहीं लिया है तो इस बारे में गम्भीरता से सोचकर भविष्य में ऐसा निर्णय नहीं हो इस बात पर विचार करें....

श्री सभापति : श्री राजेन्द्र पारीक।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, मैं सिरोही की एक बात कहना चाहती हूं। आज मैं पहली बार बोल रही हूं। मैं सिरोही नगर के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगी। मेरे विधान सभा क्षेत्र सिरोही में ग्रामीण क्षेत्रों की चिकित्सा सुविधाएं अच्छी हैं, बहुत बेहतर हैं। डाक्टरों की पोस्टें भी भरी हुई हैं लेकिन सिरोही नगर हास्पिटल का दिवाला निकल चुका है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी, आप सुनें। डाक्टर जाना नहीं चाहते। माननीय मंत्री महोदय ने मेरे यहां तीन-तीन बार स्पेशलिस्ट नियुक्त किये लेकिन जाना नहीं चाहते। सभापति महोदय, सिरोही का अस्पताल 1896 में हमारे वहां की महारानी राठौड़ी ने बनाया था। उसके बाद उस स्थान में कोई रेनोवेशन नहीं हुआ, उसमें कभी कोई काम नहीं हुआ। आज मैं कहना चाहूंगी कि यह हमारा अस्पताल सौ वर्ष पूरे करने वाला है, इस अवसर पर सिरोही हास्पिटल का मास्टर प्लान बना हुआ है और उस मास्टर प्लान में इंगित है कि कहां ओ.पी.डी. का विस्तार होगा, कहां ब्लड बैंक बनेगा और कहां पर और कुछ बनेगा। इस मास्टर प्लान की अवहेलना करके और धज्जियां उड़ाकर हास्पिटल परिसर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मेरा यह निवेदन है कि सिरोही हास्पिटल का जो मास्टर प्लान बना हुआ है उस मास्टर प्लान के अनुसार सिरोही हास्पिटल का विस्तार किया जाय। इसके साथ-साथ वहां एक

(श्रीमती तारा भण्डारी)

ब्लड बैंक बना हुआ है, उसको दानदाताओं ने बनाया है लेकिन ब्लड बैंक रजिस्टर्ड नहीं हैं। रजिस्टर्ड ब्लड बैंक के लिए उसका जितना स्क्वायर फिट एरिया होना चाहिए वह इस भवन में नहीं है। और तो और, सभापति महोदय, मेरे यहां ब्लड डोनेट करने वालों की कमी नहीं है। लाइन लगी हुई है इतने दानदाता हैं। बार बार ब्लड दे चुके और पुरस्कृत हो चुके हैं लेकिन ब्लड बैंक की व्यवस्था नहीं होने से ब्लड कलक्ट नहीं किया जा सकता है। आज ही चिकित्सा के बजट की मांग है। बजट इनको ज्यादा मिल गया है तो मैं भी कहूंगी कि मेरे सिरोही के मुख्यालय पर ब्लड बैंक की स्थापना की जाय। सिरोही मुख्यालय पर एक सोनोग्राफी की मशीन दी जाय। सभापति महोदय, सिरोही नगर की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि नेशनल हाइवे नं. 14 पूरे सिरोही के अन्दर से होकर गुजरती है और यही कारण है कि आये दिन दुर्घटनायें होती हैं। कोई दिन खाली नहीं जाता जब सिरोही में कोई दुर्घटना नहीं होती हो। इन दुर्घटनाओं को देखते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि मेरे यहां गहन चिकित्सा इकाई और आपातकालीन ट्रोमा वार्ड की स्थापना की जाये।

सभापति महोदय, सिरोही जिले में फ्लोराइड के गांव बहुत हैं। फ्लोराइड युक्त पानी को पीकर वहां के लोग विकलांग हो रहे हैं और अक्षम हो रहे हैं। तरह तरह की बीमारी से घिर जाते हैं, दाद की बीमारी होती है, हड्डियों की बीमारी होती है। इस नाते मैं चिकित्सा मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहती हूं....

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, मेडम मुख्य रूप से एलोपैथी की सुविधाओं की मांग कर रही हैं....

श्रीमती तारा भण्डारी : दोनों ही बातें मांगी हैं।

श्री परसराम मदेरणा : अभी तो आयुर्वेद की बात कर रही थीं। उसकी तारीफ की पहले से बजट डबल हो गया सेन्टर से लेकर और बाद में इन्होंने काता कताया कपास कर दिया। कपास किया तो किया लेकिन आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक की तारीफ की और अब आप इंस्टीट्यूशन मांग रही हैं और बजट मांग रही हैं एलोपैथी का। आपको तो आयुर्वेद का बजट मांगना चाहिए।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, मैंने पहले ही इस बात का निवेदन कर दिया है कि आज का जमाना, आज का वातावरण और आज की बीमारियां इतनी घातक और गम्भीर रूप ले चुकी हैं कि इसके लिए आधुनिक उपकरण भी चाहिए, आधुनिक दवायें भी चाहिए और साथ-साथ में ऐसे लोग भी हैं जिनको गम्भीर बीमारियां नहीं हैं, जिनको घातक बीमारियां नहीं हैं उनके लिए आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और यूनानी वह भी चलायी जाएं। सभापति महोदय, आयुर्वेद में तो वह करामात है....

श्री सभापति : श्री अमराराम (धोद)।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, मेरी बात तो समाप्त ही नहीं हुई है। मैं तो बैठने वाली ही हूं।

(श्रीमती तारा भण्डारी)

सभापति महोदय, मेरी तो इतनी ही रिक्वेस्ट है कि मेरे फ्लोराइड वाले गांवों में उचित चिकित्सा व्यवस्था की व्यवस्था करायी जाए। आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री अमराराम (धोद)।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय सभापति महोदय, ग्राम स्वास्थ्य की मांग पर चर्चा चल रही है उसमें मैं अपने आपको शामिल करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि जहां हमारे हास्पिटल में पर्चियां मिलती थीं, दवाइयों की बात हो सकती है, दवाइयां बढ़ाने की बात है वह केवल मात्र कागजों तक है। मैं सीकर के उस कल्याण अस्पताल की जो जिला अस्पताल है, वहां आज तक जो पर्चियां आराम से मिलती थीं वह पर्चियां भी मिलना दूभर हो गया है। जहां मेडिकल आउटडोर में चार डाक्टर बैठने चाहिएं और 8 बजे बैठने चाहिए वहां वह 10 बजे आते हैं। एक आता है और तमाम के तमाम डाक्टर्स आज उन प्राइवेट चिकित्सालयों के अन्दर अपनी ड्यूटीज़ देते हैं और सरकारी अस्पतालों को इस तरह से दिखाना चाहते हैं कि उनमें उनका कोई इलाज नहीं होता और जो पर्चियां आराम से मिलती थीं वह भी अब नहीं मिलती हैं। अस्पतालों में केवल मात्र दवाइयों की जगह पर्ची मिलती थी वह भी अब नहीं मिल रही है।

जहां तक दवाइयां बढ़ाने का सवाल है निश्चित रूप से 1976 में जो दवायें इनडोर पेशेन्ट्स को $1\frac{1}{2}$ रुपया थी उसको 3 रुपया किया है। उसको बढ़ाया जरूर गया है लेकिन 1976 से लेकर आज तक अगर कीमतों की बढ़ोतरी को देखें तो मैं समझता हूं कि $1\frac{1}{2}$ रुपये और 3 रुपये में तो एक टेबलेट और एक केप्सूल भी नहीं आता। कुछ सुधार हो सकता है लेकिन आज भी जहां मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात है, लगातार चाहे वह कांग्रेस का राज था चाहे चार साल से भारतीय जनता पार्टी का राज रहा है, 9 साल से लगातार पोस्टें खाली हैं। कोई नहीं भरी गयी हैं। न कांग्रेस के राज में भरी गयीं और न आज भारतीय जनता पार्टी के राज में भरी जा रही हैं और खाली रहने का कारण हो सकता है फिर भी कागजों में जाये लेकिन किसी भी गांव में कोई भी डाक्टर पहली बात तो पोस्टिंग को वह अपनी सजा समझते हैं और अगर पोस्टिंग किसी दबाव में कर दी और उसने ज्वाइन भी कर लिया तो महीने में 20 दिन वह उस अस्पताल का मुंह तक नहीं देखता और एक दिन जाकर और दस्तखत करके वह तनख्वाहें उठाते हैं और जब डाक्टर ही नहीं जाते तो हम कैसे उम्मीद करें कि कम्पाउन्डर्स और नर्सेज गांवों में उप-स्वास्थ्य केन्द्र और सबसेन्टर्स पर पहुंच जायेंगी नामुमकिन है। जहां तक आटो फाइनेन्स की बात की गयी है, जहां हम गरीबों को ऊपर उठाने की बात कर रहे हैं बिलकुल कुछ चीजों में आटो-फाइनेन्स हो सकता है लेकिन निश्चित रूप से जो कोई भी एक्सीडेन्ट हो कर आया है उसके पास न परिवारजन हैं, न उसको कोई जानने वाला है, कोई भी लाकर उसको हास्पिटल में एडमिट कराता है उसको दवाइयों की जरूरत है उसको एक्सरे की जरूरत है तो हमारी सरकार ने कह दिया वह तो आटोफाइनेंस से होगा उसके

(श्री अमराराम)

पास पैसे है तो उसका एक्सरे होगा। एड-मिट कराने वाला पहले उसकी जेब चैक करे। कम से कम जो एक्सीडेंट होते हैं, जो एक्सीडेंट हो करके अस्पताल में आता है वह चाहे किसी भी अस्पताल में आये उससे किसी भी जांच के पैसे नहीं लिए जायं। आज हमारा चिकित्सा विभाग सब कामों से निजात पाना चाहता है। आज सफाई व्यवस्था वह ठेके पर देना चाहता है और धीरे-धीरे जो खतरनाक तरीके की ओर बढ़ रहा है कि जितनी भी जांच है आज तक जो फ्री होती थी, धीरे-धीरे आटो-फाइनेंस के द्वारा या और किसी कारण से आप उनके पैसे लगाना चाहते हैं और मैं समझता हूं राजस्थान के 40 प्रतिशत लोग जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं वह आटोफाइनेंस से कैसे दवा करेंगे? आपके अस्पताल में दवाई नहीं और इसी का कारण है कि लोग इतनी महंगी दवाई, अस्पताल में मिले नहीं इसी के कारण लोग झाड़ फूंक और डोरा तंत्र में अपने आपको ले जाते हैं और जिनमें हजारों लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है। यह उसी का नतीजा है। इसके अलावा गांव में ऐसे लोग भी हैं जो अनट्रेन्ड है किसी तरह की ट्रेनिंग नहीं ली, माननीय सदस्य अभी बता रहे थे कि कोई डब्लू.पी.एम. है या और कोई है या इसके अलावा भी और बहुत से लोग हैं जो अपने आपको डाक्टर कहते हैं गांव के नीम हकीम है जो लोगों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसके साथ-साथ शहरों में और बड़े कस्बों में जो निजी चिकित्सालय हैं निश्चित रूप से उसमें सहयोग करते होंगे। सीकर का एक उदाहरण है निजी अस्पताल में जहां मसकूलर इंजेक्शन लगाना था उसने ड्रिप में लगाया और बैंक मैनेजर को जीवन से हाथ धोना पड़ा। इसी तरह से जितने भी छोटे रूप में चिकित्सालय हैं उनमें जितना भी नर्सिग स्टाफ है वह ट्रेन्ड है या नहीं है इसकी कोई देखरेख नहीं है और जिनको शायद दोनों हाथों से लूटने की छूट दे रखी है, कोई रेट नहीं है। जब हर चीज की रेट हो सकती है तो स्वास्थ्य के साथ में निजी चिकित्सालयों में कोई न कोई रेट स्वास्थ्य विभाग द्वारा निश्चित होनी चाहिए और उनमें जो भी स्टाफ है वह ट्रेन्डशुदा हो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। रेकग्नाइजेशन हो तभी चैक करेंगे। हमारी सरकार यह चाहती है कि लोगों का इन्वालमेंट हो। मैंने पिछले साल मेरे विधान सभा क्षेत्र में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र के लिए एक प्रवासी राजस्थानी को तैयार किया, मैंने विभाग को भी लिखा लेकिन आज तक मुझे उस पत्र का जवाब तक नहीं मिला।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कौन सा गांव है?

श्री अमराराम (धोद) : मूण्डवाड़ा। पूरी बिल्डिंग बनाकर देने को तैयार है लेकिन उसका उत्तर आज तक नहीं मिला। जहां तक धोद पंचायत समिति का सवाल है, हमारी सरकार कहती है कि हर पंचायत समति में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र होना चाहिए, किन्हीं राजनैतिक कारणों से पूरी पंचायत समिति को छोड़ कर एक कोने में बना दिया गया। केवल इस लिए आज उस पूरी पंचायत समिति की 43 पंचायतों में से मात्र दो पंचायतें उसमें लाभान्वित हों और 41 पंचायतें उसके लिए

(श्री अमराराम)

सफर करें, मैं समझता हूं यह सबसे बुरी हालत होगी। निश्चित रूप से आज जो बजट स्वास्थ्य में बढ़ाया जाना चाहिए, जो बढ़ाया गया है, जो दरें बढ़ी हैं उसके अनुपात में बहुत कम है इसलिए इसको और बढ़ाया जाना चाहिए और जो आम गरीब है उस तक पहुंचने के लिए इस स्वास्थ्य योजना को और अधिक बढ़ाया जाना चाहिए, यही मैं मांग करता हूं। आपने मुझे समय दिया, आपको इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री शीशराम ओला।

श्री शीशराम ओला (झुंझुनू) : सभापतिजी, आज चिकित्सा की मांग पर सदन में बहस चल रही है। मंत्रीजी की और सरकार की बड़ी तारीफ की जा रही है, करवायी जा रही है। जयपुर का सवाई मानसिंह अस्पताल पूरे नादर्न इन्डिया में अपना नाम और स्थान रखता है जिसमें डाक्टर मेहता, डा. जे.पी. सेठी, डा. पी.सी सेठी, डा. जी सी. शर्मा डा. गंगवाल आदि बड़े अच्छे डाक्टर हुए और जिनकी पूरे राष्ट्र में चर्चा है। जयपुर का यह एस.एम. एस. अस्पताल बड़ा केन्द्र बिन्दु है और इस अस्पताल के नाम को कायम रखना उसकी चिकित्सा की व्यवस्थाओं को कायम रखना तो दर किनार रहा आज उस अस्पताल में कोई इंसान जाता है तो सबसे पहले उसकी पाकेट में यदि रूमाल है तो दुर्गंध से बचने के लिए मुंह के सामने रूमाल लगाना पड़ता है। ऐसी स्थिति है। न्यूरो सर्जरी में एक बड़ी भयंकर स्थिति में वहां पर रोगी आता है और उस रोगी को शैय्या नहीं मिलती है, रोगी को सम्भालने वाला न कम्पाउण्डर है न नर्स है न डाक्टर है। दूसरे वार्ड में जाकर देखें तो जमीन पर मरीज पड़ा है शैय्या नहीं है। यही नहीं उनके लिए कोई दवा दारू की व्यवस्था नहीं है। नार्म्स के हिसाब से न्यूरो सर्जरी में नर्स कम्पाउंडर आदि तो कम हैं और मरीजों की संख्या अधिक हो जाती है। एक आध केस में उनसे कहा गया कि सम्भालिये क्या स्थिति इनकी है कि हम क्या करें, कुछ शायद केरल की नर्सेज हैं कि हम क्या करेगा, हमको इतना आदमी कैसे सम्भाला जायेगा वह तो देखता नहीं है, हम क्या करेगा ? यही नहीं दूसरे भी जहां ऐसे वार्ड है उनमें भी अधिकतर बीमार जमीन पर पड़े हैं उनके पास शैय्या नहीं है और सफाई की यह स्थिति है कि दुनिया भर के कुत्ते घूमते मिलेंगे कोई कूकर खांसी को लिए घूम रहा है, किसी के शरीर से रूं उड़ गये, बीमारी से ग्रस्त है, चर्म रोग से ग्रस्त है वह बीमार के पास जाकर नयी-नयी बीमारियां बीमार को देता है और किसी का खाना पड़ा है उसको खा जाता है, कोई बीमार सो रहा है, मुंह पर कोई चीज है उसको चाट जाता है। कोई उनको रोकने वाला नहीं है। पाखाने, यूरिनल्स इतने गन्दे सड़ते हैं कि वहां जाना दूभर है रोगी का रहना तो कितना दूभर हो सकता है यह वही रोगी जानता है जो वहां पर है। यहां पर डाक्टर के पास यदि कोई जाता है तो उसको कह दिया जाता है कि घर पर मिलना और फिर प्राइवेट नर्सिंग होम हैं, क्लिनिक्स हैं उनमें भेजने की सलाह दी जाती है कि वहां जाइये या तो वह डाक्टर स्वयं चलाते हैं या उनके दोस्त और रिश्तेदार चलाते हैं लेकिन बजाय उनको अस्पताल में दाखिला देने के यह सलाह देंगे

(श्री श्रीराम ओला)

कि अमुक क्लिनिक में जाइये वहां आपका इलाज ठीक होगा या मेरे घर पर आना, घर पर फिर उसको दवा देता है या उसके इलाज की बात उससे कहता है। हर आदमी की वहां पहुंच नहीं है. साधारण व्यक्ति वह सारा इलाज ले सके जो महंगा इलाज है। यहां पर सरकार की बहादुरी के बड़े-बड़े व्याख्यान किये गये, उपलब्धियों के व्याख्यान किये गये और मंत्रीजी पर डी.पी.आर. की शायद ज्यादा कृपा होगी, मुख्य मंत्रीजी की इन पर कृपा होगी, एक तरफ तो मुख्य मंत्रीजी की तस्वीर देखने को मिलती है, एक तरफ मंत्रीजी की मिलती है। आज भी है, करीब करीब देखने को मिलती है, ये उपलब्धियां हासिल कर लीं, ये कर लीं, ये कर लीं। लेकिन कार्य नगण्य है। एस.एम.एस. हास्पिटल की गिरती हुई स्थिति को अगर नहीं सम्भालेंगे तो नार्थर्न इण्डिया का एक बड़ा विख्यात, बड़ा नामी हास्पिटल है उसका स्टैण्डर्ड गिरकर इतना नीचे आ जायेगा कि जो जयपुर के राजा मानसिंह ने एक चिकित्सा की व्यवस्था जयपुर शहर के लिए दी थी, वह भी जीर्ण स्थिति में आ गया है, जर्जर हो गया है। चिकित्सा व्यवस्था की सारी स्थिति डांवाडोल हो गयी है, कोई सुविधा नाम की चीज नहीं रही। यह जिम्मेदारी आज के इनके मंत्री महोदय राजेन्द्रजी राठौड़ की है दूसरे की नहीं। वहां फुटपाथ पर कच्ची दुकानें उन लोगों की ढाबे के रूप में लगी हुई हैं, जहां न स्वच्छ पानी आटा गूंदने के लिए मिलता है, न मरीज के साथ आने वाले को स्वच्छ पानी पीने के लिए मिलता है। वहां पर उस ढाबे में जो खाना बनता है, सब्जियां बनती हैं वे सड़ी-गली सब्जियां जो बच जाती हैं सब्जी बेचने वाले के पास, वह सस्ते में खरीदी जाती हैं, वहां पर बनती है और मरीज के साथ आने वाले अटेंडेंट को वह सब्जियां दी जाती हैं। वह खाता है और मरीज को भी ले जाकर देता है। इससे एक दिन ऐसा आ सकता है कि कोई भी गम्भीर महामारी का रूप पकड़ सकती है, हैजा फैल सकता है। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को सलाह देना चाहूंगा कि हैल्थ डिपार्टमेंट जो इसके लिए विशेष तौर से अलग है. हैल्थ आफिसर्स को उसके लिए भेजें, हैल्थ इंस्पेक्टर्स को भेजें। ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, जो भी ग्रेड के लाइसेंस देना चाहें, लाइसेंसिंग व्यवस्था शुरू की जानी चाहिए, खाने-पीने की चीज में भी और वस्तु में भी। यदि हमने लापरवाही बरती तो आने वाला जमाना और बीमारियां हमको बख्शेंगी नहीं।

आज बाम्बे जायं, महाराष्ट्र में कितनी आबादी है? जयपुर से कितनी ज्यादा आबादी है? करोड़ से ऊपर पार हो गयी लेकिन आप कहीं भी इस तरह की व्यवस्था नहीं पाओगे। हर जगह लाइसेंस इश्यू है। ए ग्रेड ढाबा, बी ग्रेड, सी ग्रेड और उनके इंस्पेक्शन होते हैं कि कहीं कोई खराब वस्तु, सड़ी-गली सब्जियां तो नहीं हैं, खाना तो ठीक से है।

इसी प्रकार से आपके मेडिकल कालेज के सामने, हास्पिटल के पीछे और हास्पिटल के सामने हर फुटपाथ पर अनगिनत दुकानें लग गयीं। जयपुर शहर की जो व्यवस्था थी, इससे वह सारी प्रभावित है। गली-

(श्री शीशराम ओला)

गली में इस प्रकार के ढाबे, कोई आ गया और वहां पर आटा गूंद रहे हैं, मक्खी वहां बहुत है, उस आटे में मक्खियां गूंदी जा रही है। बेहद गंदगी है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 26 और आधे घण्टे की चर्चा, जो कार्य सूची में है, के समाप्त होने तक सदन का समय बढ़ाया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की राय है?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

मांग संख्या--26 पर अग्रेतर विचार

श्री शीशराम ओला : यही नहीं, सभापतिजी, जहां शैय्याओं की कमी है, जहां हास्पिटल के मकान बने, जितनी शैय्याएं थीं, बजट दुगुना करने की बात आयी, उसमें कितनी शैय्याएं बढ़ायी गयीं? जो जयपुर की जनसंख्या बढ़ी, राजस्थान के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय अपने मरीजों को जयपुर हास्पिटल में रैफर करते हैं लेकिन उस दृष्टि से कितनी शैय्याएं बढ़ायी गयीं? शैय्याओं की संख्या वह की वह है और बीमारियां बहुत बढ़ी, बीमारों की संख्या बहुत बढ़ी, शैय्याओं में बढ़ोतरी नहीं की गयी। उस हास्पिटल की देखरेख रख-रखाव, सफाई नगण्य है, स्टैण्डर्ड गिरा है, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण रूप से एक हास्पिटल तो उदाहरण स्वरूप होना चाहिये कि हमारा हास्पिटल वह है जिसमें हम जाकर देखें तो हास्पिटल नजर आयेगा। यह तो हास्पिटल नहीं हैं। वह तो गन्दगी का ढेर जिस हास्पिटल में लगा हो वह हास्पिटल नहीं कहा जा सकता। एक तरफ बेनीप्रसाद जी रूक्मणी जयपुरिया ने मालवीय नगर में साढ़े सात एकड़ भूमि पर 400 बैड का हास्पिटल बनाया जिसकी नींव श्री हरिदेवजी जोशी ने, जब वे मुख्य मंत्री थे, रखी थी। वह हास्पिटल राज्य सरकार को, चिकित्सा विभाग को दिया। साढ़े सात एकड़ जमीन की क्या कीमत वहां पर है? सरकार की जमीन नहीं ली। 75 हजार स्क्वायर फीट में भवन का निर्माण किया गया। वहां पर 150 के करीब शैय्याओं का लाभ रोगीं ले रहे हैं। उसको नहीं देखा जा रहा है और कोई कांवटिया हास्पिटल बहुत छोटा-सा एक बनाया, उसको डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल का दर्जा दिया गया। आपके पास यदि तत्काल कोई व्यवस्था नहीं है, तो दूसरे हास्पिटल जो बड़े-बड़े पड़े हैं जिनमें शैय्याएं हैं, उनका सदुपयोग करना चाहिए, उनको काम में लेना चाहिए ताकि आप पर जो बोझ है वह दूर हो सके और उसका लाभ आने वाले रोगी को, इलाज करवाने वाले रोगी को मिल सके।

यहां पर बहुत बड़ी उपलब्धि की बात कही गयी कि स्वास्थ्य मंत्रीजी धन्यवाद के पात्र हैं, इन्होंने सारी समुचित व्यवस्था

(श्री शीशराम ओला)

कर दी है। सभापति जी, गांवों में जितने हास्पिटल हैं, खोल तो दिये कागजों में पर कार्यरत नहीं हैं। वहां पर डाक्टर नहीं, नर्स नहीं, कम्पाउण्डर नहीं। बोर्ड तो लग गया प्राइमरी हैल्थ सेण्टर लेकिन वहां कुछ नहीं है। कुत्ते बैठे हैं या उन मकानों को तोड़ा जा रहा है या बरबाद किया जा रहा है या टूट रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। ऐसे कितने सारे स्थान हैं? डाक्टरों के लिये स्वीकृति है, स्टाफ स्वीकृत है किन्तु वहां पर कोई डाक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, कम्पाउण्डर नहीं है। अभी एक मसला आया उदयपुर का, हमारे माननीय डाक्टर जितेन्द्रजी ने कहा कि वहां 8 डाक्टर हैं, माननीय शिवनाथ सिंहजी ने कहा कि नहीं, दो डाक्टर हैं। मैं इस विषय पर यह कहना चाहूंगा कि मण्ड्रेला रेफरल हास्पिटल 1988 में बना, 60-70 लाख रुपये की बिल्डिंग डोनर ने बनाकर तैयार की, वहां पर आज तक स्टाफ नहीं है, कभी एक डाक्टर जाता है, कभी दो डाक्टर जाते हैं और वहां 25 किलोमीटर के एरिया में कोई भी हास्पिटल नहीं है। ऐसी वहां की स्थिति है मंत्रीजी।

इसी प्रकार से प्राइमरी हैल्थ सेंटर तो खोल दिये और 2 डाक्टर कम से कम कर दिये लेकिन सारे बगैर स्टाफ के, खाली पड़े हुये हैं मेरे जिले में। यही नहीं बगड़ एक म्युनिसिपल टाउन है और शिक्षा की नगरी है। वहां बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं हैं और मेरे ख्याल से किसी न किसी प्रकार से माननीय मंत्रीजी वहां बहुत पधारते हैं, आपके रिश्तेदार और सम्बन्धी भी हैं लेकिन वहां मेटरनिटी होम में डाक्टरनी नहीं, न कोई डाक्टर है और कोई जाते हैं तो 10-5 दिन में बदली हो जाती है। वहां पर शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें लड़कियां और लड़के भी पढ़ते हैं, वह भी बीमार होते हैं, बहुत सारे शिक्षक भी हैं लेकिन वहां पर चिकित्सा व्यवस्था की स्थिति बहुत नगण्य है, उसको कोई देखने वाला नही है। यही नहीं यहां से गांवों में आदमी कई थैलियां लिये हुये घूम रहे हैं। कोई भी डाक्टर शहर में, चिड़ावा में, झुन्झुनू में बदला जाता है तो बड़ी तसल्ली से कह दिया जाता है कि अच्छी बात है, कल आपकी बदली करवा देंगे, कहां चाहते हैं और आने वाले कल तो आर्डर देखने को मिलता है कि वहीं बदली हो गयी जहां कह कर आये थे। हम नहीं कह सकते कि मेडिकल डायरेक्टर जो जयपुर में बैठते हैं वह है या हैल्थ सैक्रेटरी जो जयपुर में बैठते हैं वह है या हैल्थ मिनिस्टर वह हैं जो थैलियां लेकर घूम रहे हैं? ताल ठोक कर कहते हैं कि कल हो जायेगा और आने वाले कल आर्डर चले जाते हैं। यह तो राजेन्द्रजी राठौड़ के देखने का कार्य है और ये घटनायें आये दिन की हैं और ये चाहेंगे तो मैं इनको चैलेंज करता हूं, मैं इनको नाम दे दूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ठीक है नाम दे देना।

श्री शीशराम ओला : आप चाहेंगे जितने दे दूंगा, एक नहीं, 2 नहीं, 10 लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमको चिकित्सा व्यवस्था में सुधार की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिये बजाय एक दूसरे की क्रिटिसाइज करने के।

मैं आपको यहां पर यह सुझाव भी

(श्री शीशराम ओला)

देना चाहूंगा कि सबसे पहले तो हमारे राजस्थान की राजधानी का एक केन्द्र बिन्दु है, एक बड़ा हास्पिटल है, एस.एम.एस. हास्पिटल, उसकी व्यवस्था को सुधारें। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं आप चाहें जब, हम आपके साथ चलेंगे वहां पर यदि दुर्गन्ध नहीं हो, सफाई व्यवस्था अच्छी हो, मरीज शैय्या पर मिलें सब, जमीन पर पड़े हुए नहीं मिलें, फर्श पर नहीं मिलें तो हम आपको धन्यवाद देंगे और यदि ऐसा है, गन्दगी है, मरीज शैय्या पर पड़ा हैं, डाक्टर्स के इलाज की व्यवस्था नहीं है तो आप हमको धन्यवाद दे देना। यह तो ओपन हैं, इसमें छिपी हुई बात नहीं है, आपको कहीं जाना नहीं है, यहीं हैं, आप चाहें जब चलिये, अब चलिये, सुबह चलिये, आपके पास जब समय हो तब चलिये और आप पहले वहां हिदायत भी कर दो कि सफाई हो जाय तो कितनी करवा देंगे आप? सफाई कुछ होगी नहीं, सफाई हो नहीं सकती, सफाई आप शुरू ही नहीं करवा सकते हैं। क्योंकि आपका कण्ट्रोल ही नहीं है, आपके सफाई कर्मचारियों पर आपके विभाग का कण्ट्रोल नहीं है, आपका हास्पिटल की व्यवस्था पर कण्ट्रोल नहीं है। यह व्यवस्थाएं जब तक आप सुधारेंगे नहीं तब तक स्वास्थ्य सेवाएं ठीक ढंग से राजस्थान की गरीब जनता को नहीं दे सकेंगे।

आप रोक नही सकते डाक्टर्स को प्राइवेट प्रेक्टिस करने से, आप रोक सकते हैं तो रोकिये ना, रोक नहीं सकते हैं और रोकोगे तो दूसरे दिन हड़ताल हो जायेगी और दूसरे दिन आप उनके सामने घुटने टेक देंगे।

इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि गांवों में हास्पिटल तो खोल दिये वह दूसरी सरकार ने खोल दिये, आपने नहीं खोले। अब आप इस साल दुगुना बजट लेकर आये हैं, क्या करेंगे, देखेंगे। लेकिन गांवों में जहां चिकित्सा की अत्यन्त आवश्यकता है उनको वहां मुहैया करवाइये, ज्यादा से ज्यादा उनकी चिकित्सा के लिए व्यवस्था कीजिए और जहां हास्पिटल खोले हैं और आगे खोलना चाहते हैं वहां डाक्टर्स की और पूरे स्टाफ की ठीक से व्यवस्था कीजिये। बड़ी बहादुरी का तमगा आपको दिया गया कि यह बीमारी मिटा दी, वह बीमारी मिटा दी। श्रीमान्‌जी, मलेरिया नाम की बीमारी राजस्थान से और सारे राष्ट्र से समाप्त हो गयी थी अब इस राज्य में, आपके होते हुए मलेरिया से कितनी मौतें हुईं और उस मलेरिया ने कितना भयानक रूप धारण किया। आपको इसके बारे में ज्ञान है? क्या व्यवस्था की है, क्या सोचा है? दीवार दीवार पर लिखा मिलता था कि चेचक कोई दिखा दे तो एक हजार रुपये इनाम, दो हजार रुपये इनाम। वह चेचक वापस गांव में प्रवेश कर चुकी है, क्या व्यवस्था की आपने? जो बीमारियां समाप्त हो गयी थीं वह सारी बीमारियां वापस प्रवेश कर गयीं और भयानक रूप ले रहीं हैं, आपने क्या किया?

मेरा आपसे निवेदन है कि समय रहते हुये इन सब को सम्भालिये, इसमें व्यवस्था कीजिये, इनको नियंत्रित कीजिये ताकि लोगों को बीमारियों से छुटकारा ही नहीं मिले और बीमारियां प्रवेश नहीं कर सकें। गांवों के लिए अधिक से अधिक चिकित्सा व्यवस्था कीजिये। आपका कोई हास्पिटल

(श्री शीशराम ओला)

चल ही रहा है उसमें न पट्टियां हैं और न उसमें रुई लगाई जाती है वह ... (व्यवधान)....

श्री शिवनाथ सिंह : गाज ।

श्री शीशराम ओला : मैं कोई टैक्निशियन नहीं हूं, नाम नहीं जानता हूं वहां की जो बात है वह बता रहा हूं। छोटी मोटी दवाइयां नहीं होने के कारण कोई एक-आध हास्पिटल खुला भी है तो उसमें कौन जायेगा? कोई भी शासन कोई भी संस्था और कोई भी व्यवस्था आदमी के सक्षम होने पर निर्भर करती है। उसका हैड है, वह सक्षम हैं या नहीं है। कोई भी अच्छा डाक्टर यदि हास्पिटल में नहीं जायेगा तो वहां मरीज नहीं आयेंगे। मरीज तो वहां जायेंगे जहां पर डाक्टर अच्छा है। सभापति महोदय, मैं दोहराना नहीं चाहता उदयपुरवाटी की बात, वहां डाक्टर अच्छी नहीं है तो मरीज क्यों जायेंगे? मरीज तो उस डाक्टर के पास जायेंगे जो डाक्टर अच्छे हैं, अच्छा इलाज चलेगा। इसलिए डाक्टर गांवों में रहें, गांवों में जायं और जैसा पहले कांग्रेस सरकार ने व्यवस्था की थी कि 2 वर्ष पूरे रुरल सर्विस में रहना अति आवश्यक है डाक्टर के लिए। यदि वह व्यवस्था आपने हटा ली है तो उस व्यवस्था को पुनः लागू करें और यदि नहीं हटायी है तो उस पर तत्परता से अमल करें ताकि प्रत्येक गांव में डाक्टर जहां डिस्पेंसरी, हास्पिटल जो भी खुल रहे हैं उन पर पहुंचे और उस गरीब जनता की चिकित्सा-सेवा करें।

मेरा पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि मैं ज्यादा लम्बी बात इस सम्बन्ध में नहीं बोलकर आपको जो थोड़े बहुत सुझाव दिये हैं उन पर अमल करें और जहां पर डाक्टर नहीं हैं वहां पर डाक्टर और दूसरे कम्पाउण्डर, नर्स आदि तत्काल जायें।

आयुर्वेद की दृष्टि से मेरे ख्याल से दो सौ-डेढ़ सौ के करीब वैद्यों के स्थान रिक्त पड़े हुये हैं जहां पर औषधालय हैं वहां पर वैद्य जाते नहीं हैं। गांव में जायेंगे तो 4-5 दिन जायेंगे या महीने में तनख्वाह लेने जायेंगे। वरना कोई जाता ही नहीं है या तो आप उन्हें बन्द करवा दें। यह आपका नहीं है, आयुर्वेद मंत्रीजी का है या तो उन्हें बन्द कर दें और बन्द नहीं करें तो उनमें जो वैद्य हैं वह कार्यरत रहें और लोगों की सेवा करें ताकि ग्राम जनता को लाभ मिले। यह मेरा आपसे निवेदन है। मैं आशा करता हूं कि दोनों ही महकमे इन पर विचार करेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (जोहरी बाजार) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 26–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के बारे में आज सदन में चर्चा चल रही है मैं भी अपने विचार इस मांग पर प्रकट करना चाहूंगा। मैं इस बात के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस प्रकार गत वर्ष का बजट शिक्षा को समर्पित किया गया था, इस वर्ष का बजट चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को समर्पित किया गया है। (व्यवधान) मुझे समझ में नहीं आती कि इनको तकलीफ क्यों होती है? गत वर्ष जहां चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को 73 करोड़ 9 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था वहीं इस

(श्री कालीचरण सराफ)

वर्ष 1995–96 के बजट में 124 करोड़ 66 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य हेतु ग्रायोजना प्रावधान में जहां 70 प्रतिशत की कीर्तिमान वृद्धि हुई है वहीं ग्रामीण चिकित्सा के लिए 125 प्रतिशत की वृद्धि इस बजट में की गयी है। इतना ही नहीं....

श्री रामनारायण चौधरी : यह हमने सुन लिया है। ग्राप रिपीट कर रहे हो।

श्री कालीचरण सराफ : हां, तो ग्राप कान बन्द कर लो साहब, ग्रौर तो क्या करूं ? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : ताराजी भण्डारी इससे ज्यादा सुन्दर बोलकर गयी हैं।

श्री कालीचरण सराफ : कोई बात नहीं।

श्री रामनारायण चौधरी : बड़े लिहाज से सुन्दर बोलकर गयी हैं।

श्री कालीचरण सराफ : इतना ही नहीं, इस वर्ष जिन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों ग्रौर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपयुक्त भवन उपलब्ध नहीं हैं, वहां भवनों का निर्माण किया जायेगा। इस प्रकार की घोषणा बजट प्रावधानों में की गयी है।

डाक्टर्स जो गांव में जाते हैं, जिनके लिए रेजिडेन्शियल फेसेलिटीज नहीं, उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जायेगा। यह भी बजट में प्रावधान रखा गया है।

श्रीमती कमला : मालवीय नगर की सेक्टर 5–6 की डिस्पेंसरी के लिए भी जरूर बोलना आप।

श्री कालीचरण सराफ : आप बिराजो जब बोलूंगा। गांवों में जो डाक्टर्स जाते हैं, जिनकी पोस्टिंग होती है उनके लिए रेजिडेन्शियल फेसेलिटीज नहीं थी और आज इस प्रकार का बजट में प्रावधान रखा गया है कि उनके लिए रेजिडेन्शियल फेसेलिटी होगी। मुझे खुशी है इस बात की, मैंने पिछली बार भी चर्चा के दौरान कहा था कि ग्राज प्रदेश में चाहे कोई भी सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, हर सरकार की यह मंशा रहती है कि गांवों में ग्रधिक से ग्रधिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो ग्रौर इस बात को मद्दे-नजर रखते हुए हर सरकार इस वर्ष 50 हॉस्पिटल खोले जायेंगे, इस वर्ष 100 हॉस्पिटल खोले जायेंगे, इस वर्ष 80 हास्पिटल गांवों में खोले जायेंगे, इस प्रकार की घोषणा अपने बजट प्रावधानों में करती है। परन्तु हम गांवों में हॉस्पिटल तो खोल देते हैं ग्रौर वहां डाक्टर्स की पोस्टिंग भी कर देते हैं परन्तु डाक्टर्स गांव में जाते नहीं। क्यों नहीं जाते ? क्योंकि वहां रेजिडेन्शियल फेसेलिटी नहीं है। इस बार बजट में यह प्रावधान है कि गांवों में डाक्टर्स के लिए रेजिडेन्शियल फेसेलिटी की और विशेष ध्यान दिया जायेगा। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस प्रावधान से डाक्टर्स निश्चित रूप से गांवों में जाने के लिए ग्राकर्षित होंगे....

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, फेसेलिटी होते हुए भी नहीं रहते हैं।

श्री कालीचरण सराफ : आप सुनो तो सही, बिराजें आप।

श्री रामनारायण चौधरी : वहां कमाई नहीं है गांवों के अन्दर, इसलिए नहीं रहते हैं। फेसेलिटी की बात मत कहो, उनका अपना क्लिनिक वहां नहीं चल सकता (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : माननीय रामनारायण जी ने ठीक कहा कि केवल रेजिडेन्शियल फेसेलिटीज के आधार पर डाक्टर्स गांवों में नहीं जाते हैं। मैं स्वास्थ्य मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि गांवों में यदि आप वास्तव में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना चाहते हैं तो इसके लिए आवश्यक है कि डाक्टर्स गांवों में जाने के लिए आकर्षित हों, इसके लिए विशेष ग्रामीण भत्ते की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। आज स्थिति क्या है कि डाक्टर्स गांवों में जाते हैं 30 दिन में एक दिन गांवों में हाजरी लगायी, 29 दिन की सी.एल. अपने सब-आर्डिनेट को देकर शहरों में चले आते हैं। अलग-अलग कागज पर अलग-अलग सी. एल.। कोई निरीक्षण करने जाय, इंस्पेक्शन करने जाय, उस दिन की सी.एल. पकड़ा दी कि साहब, आज डाक्टर साहब सी.एल. देकर गये हैं और जिस दिन कोई इंस्पेक्शन के लिए नहीं गया, उस दिन की हाजरी कर दी। इस बात को रोकने के लिए मेरा एक सुझाव है। स्वास्थ्य मंत्री जी को, हर गांव में, हर चिकित्सालय में यदि आप एक रजिस्टर रखेंगे और उसमें डाक्टर अपने हाथ से अपनी हाजरी भरे तो निश्चित रूप से इस परम्परा पर रोक लगेगी।

सभापति महोदय, आज कितने ही सीनियर डाक्टर हैं, इस बात की कोशिश में वे लगे रहते हैं कि मैं सी. एम. एच. ओ. कैसे बनूं ? उसके लिए वह सिफारिश भी लगवाते हैं और सी. एम. एच. ओ. बनने की कोशिश करते हैं। क्यों, क्योंकि आज जो दवाइयों की खरीद होती है और जो पर्चेजिंग कमेटी बनती है वह सी. एम. एच. ओ. के अण्डर में बनती है और वहां उसको कमाई के ज्यादा चान्सेज होते हैं, घोटाले करने के ज्यादा चांसेज होते हैं। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी को एक सुझाव देना चाहूंगा कि हर जिले में सी. एम. एच. ओ. के अण्डर में नहीं, सी. एम. एच. ओ. के ऊपर जन प्रतिनिधियों की एक पर्चेजिंग कमेटी बनायी जाय और उस पर्चेजिंग कमेटी के माध्यम से यदि हम दवाइयां खरीदेंगे तो एक्सपाइरी डेट की दवाइयां भी नहीं खरीदी जायेंगी और दवाइयों की खरीद में कोई घोटाला भी नहीं होगा।

श्री रामनारायण चौधरी : उसमें बी.जे.पी. और आर. एस. एस. वालों को भर दो। जो कोई हॉस्पिटल में जा रहा है, वह भी नहीं जायेगा।

श्री कालीचरण सराफ : हमारे वरिष्ठ सदस्य शीशराम जी ओला ने अभी राजस्थान की राजधानी के प्रख्यात हास्पिटल एस. एम. एस. के बारे में यहां पर कुछ जिक्र किया। मैं जयपुर शहर से चुनकर आया हूं और समय सीमा को ध्यान में रखकर मैं पूरे राजस्थान की बात नहीं करूंगा और केवल अपने आपको एस. एम. एस. तक सीमित रखना चाहूंगा।

सभापति महोदय, 1936 में इस एस.

(श्री कालीचरण सराफ)

एम.एस. हॉस्पिटल की स्थापना की गयी। उस समय जयपुर शहर की पोपुलेशन क्या थी? मेरे ख्याल से 40–50 हजार की जनसंख्या थी। आज जयपुर शहर की जनसंख्या हो गयी 20–25 लाख आज जिस प्रकार का दबाव इस हॉस्पिटल पर है और स्थिति क्या है कि जितना हॉस्पिटल का प्रिमिसेज है, उसमें जितना विकास हम कर सकते थे, जितना विस्तार कर सकते थे, सुविधाओं का, वह हमने कर लिया। आज वहां एक इंच जगह भी खाली नहीं है। तो मेरा सुझाव है स्वास्थ्य मंत्रीजी को कि हॉस्पिटल प्रिमिसेज के बगल में जो महाराजा कालेज और गोखले होस्टल की प्रिमिसेज है, उस महाराजा कालेज और गोखले हॉस्टल को यूनिवर्सिटी कैम्पस में शिफ्ट किया जाय और यह स्थान हॉस्पिटल के लिए उपलब्ध करवाया जाय। जब पिछली बार माननीय ललित किशोर चतुर्वेदी जी स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्होंने इस प्रकार का प्रस्ताव, मैं भी उस मीटिंग में गया था, महाराजा कालेज के छात्रों की मीटिंग थी, उसमें उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि महाराजा कालेज और गोखले होस्टल को हॉस्पिटल प्रिमिसेज में मिला दिया जाय। आज हमारा सौभाग्य है कि चतुर्वेदी जी उच्च शिक्षा मंत्री हैं और राजेन्द्र जी राठौड़ स्वास्थ्य मंत्री हैं। उनका विचार पहले से ही ऐसा बना हुआ है कि गोखले होस्टल और महाराजा कालेज को हॉस्पिटल में दे दिया जाय तो मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप माननीय ललित किशोर जी से बात कर लें, जल्दी से जल्दी महाराजा कालेज और गोखले होस्टल का प्रिमिसेज हॉस्पिटल के लिए ले सकें तो बहुत ही अच्छा रहेगा और जो विस्तार की गुंजाइश आज इस हॉस्पिटल प्रिमिसेज में नहीं है, निश्चित रूप से हॉस्पिटल का विस्तार होगा।

मैं इस बात के लिए राज्य सरकार को और विशेष रूप से स्वास्थ्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा। पिछली बार जब मैंने इस चर्चा में भाग लिया था तो मैंने कहा था कि एस. एम. एस. की एक्सीडेंट यूनिट और इमरजेंसी यूनिट की व्यवस्था ठीक नहीं है। आज जयपुर में कोई भी छोटी-मोटी घटना भी हो जाती है तो इमरजेंसी वार्ड की स्थिति बड़ी डगमगा जाती है, परन्तु मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी को कि उन्होंने विशेष रूप से हॉस्पिटल की एक्सीडेंट यूनिट और इमरजेंसी यूनिट में किस प्रकार से सुधार हो, इसकी ओर ध्यान दिया और आज मुझे फक्र है यह कहते हुए कि 14 साल में हॉस्पिटल के हर यूनिट में कोई न कोई रद्दो-बदल हुआ होगा, परन्तु इमरजेंसी यूनिट में कोई रद्दो-बदल पिछले 14 साल में नहीं हुआ, परन्तु इस बार माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी के प्रयासों से 5 दिसम्बर को इमरजेंसी वार्ड का पुनर्निमाण किस प्रकार हो, नवीनीकरण किस प्रकार हो, इसका शिलान्यास किया गया। और मुझे खुशी है यह कहते हुए कि आज जिस प्रकार की कल्पना इमरजेंसी वार्ड की की गयी है और जिस प्रकार का पुनर्निर्माण और नवीनीकरण इमरजेंसी वार्ड का हो रहा है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि वह दिन दूर नहीं जब एस एम. एस. की एक्सीडेंट और इमरजेंसीयूनिट अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ही नहीं, अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त होगी और

(श्री कालीचरण सराफ)

वहां पर अन्तरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मुहैया करायी जायेंगी । पहले वहां इमरजेंसी यूनिट में आपरेशन की कोई व्यवस्था नहीं थी....

श्री रामनारायण चौधरी : भगवान किसी को नहीं भेजे वहां ।

श्री कालीचरण सराफ : इस बार जो नवीनीकरण का काम वहां पर किया गया है, वहां माइनर आपरेशन के लिये अलग थियेटर है और मेजर आपरेशन के लिये अलग थियेटर है । कम्प्यूटर की व्यवस्था, टेलीफोन की व्यवस्था, 24 सीनियर रेजिडेन्ट डाक्टर्स वहां राउण्ड द क्लाक उपलब्ध रहेंगे । इस प्रकार की व्यवस्था और उसका प्रवेश द्वार भी बिलकुल अलग से है यानि इस प्रकार की व्यवस्था आज इमरजेंसी वार्ड में की गयी है । मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि इस प्रकार की जो सुविधाएं वहां मुहैया हुई हैं तो गम्भीर अवस्था के जो मरीज वहां आते हैं उनको इससे सुविधा मिलेगी । इतना ही नहीं, आज इमरजेंसी वार्ड को एक हजार स्क्वायर फीट के क्षेत्र में बढ़ाया गया है । आज वहां पर दो बिस्तर की कार्डिक पल्मनरी रेसिटेशन यूनिट और चार बिस्तर के आई.सी.यू. की भी शुरूआत की गयी है । आज यदि इमरजेंसी में कोई आई.सी.यू. का मरीज आता है तो इमरजेंसी वार्ड से बहुत दूर पहली मंजिल पर उसको ले जाना पड़ता था । वहां ले जाते, ले जाते ही कई बार तो मरीज खत्म हो जाता था । परन्तु मैं बधाई देना चाहूंगा स्वास्थ्य मंत्रीजी को कि वहां पर चार बेड का आई.सी.यू. भी अलग से उपलब्ध होगा और अब मरीज जब वहां आयेगा तो उसको वहां ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । कोई दुर्घटनाग्रस्त मरीज, गम्भीर अवस्था का मरीज जब जाता था तो उसको ले जाने में ही, इमरजेंसी वार्ड में आधे घंटे से ऊपर लगते थे । परन्तु अब जो नयी व्यवस्था की गयी है, जिस प्रकार ट्राली व्यवस्था वहां ठेके पर देने का विचार चल रहा है, जिस प्रकार कर्मचारी वहां 24 घंटे उपलब्ध रहेगा दरवाजे पर, इससे निश्चित रूप से इमरजेंसी वार्ड के मरीज के इलाज में सुविधा प्राप्त होगी ।

इसी प्रकार से इमरजेंसी वार्ड में फ्रेक्चर क्लिनिक का भी निर्माण करवाया जा रहा है । आज दुर्घटनाग्रस्त कोई होता है तो कभी किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का पांव टूट जाता है और उसको जब इमीजियेट कोई सुविधा नहीं मिलती तो इन्फेक्शन होने का डर रहता है, परन्तु इमरजेंसी वार्ड में इस प्रकार की जो सुविधा दी गयी है उससे निश्चित रूप से मरीज के इलाज में सुविधा प्राप्त होगी ।

माननीय शीशरामजी ओला कह रहे थे कि बड़े हास्पीटल में सफाई की कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं है । मैं माननीय ओलाजी को कहना चाहूंगा कि वह अपने दिल पर हाथ रख कर कहें, जिस प्रकार की सफाई की मुकम्मल व्यवस्था हॉस्पिटल में वर्तमान में है, जब कांग्रेस का राज था यदि उस समय सफाई की व्यवस्था 30 थी तो आज वह निश्चित रूप से 100 है, इतना मैं कह सकता हूं । आज जब से हॉस्पिटल की सफाई व्यवस्था ठेके पर दी गयी है नगर निगम को, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, आज यह तो नहीं कहा जा

(श्री कालीचरण सराफ)

सकता कि सफाई की बिलकुल मुकम्मल व्यवस्था हो गयी है परन्तु पिछले सालों के कम्पेरीजन में जिस प्रकार की मुकम्मल सफाई व्यवस्था में सुधार बड़े हास्पिटल में हुआ है, यह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। पहले जब हम एस.एम.एस हास्पिटल में जाते थे तो अंधेरा रहता था। आज मुझे खुशी है इस बात की कि हास्पिटल में किस प्रकार से मुकम्मल प्रकाश की व्यवस्था हो, उसके लिए 35 स्थानों पर सोडियम लाइट्स और ट्यूब लाइट्स भी लगायी गयी हैं। सुलभ शौचालय नहीं थे, रैन बसेरा नहीं था। मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज वहां सुलभ शौचालय का निर्माण भी हो गया है और रैन बसेरे का निर्माण भी हो गया है। सभापति महोदय, मैं इसके साथ ही एक सुझाव देना चाहूंगा कि इमरजेंसी यूनिट आपने बहुत बढ़िया कर दी, वहां राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर की सुविधायें भी आपने मुहैया करवा दीं, परन्तु जिन डाक्टर्स की इमरजेंसी में ड्यूटी लगती है वह डाक्टर कोई तो मालवीय नगर रहता है, कोई मानसरोवर रहता है, कोई इस प्रकार का मरीज

(15.25)

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन)

वहां आ जाय तो उसको आने में ही एक घंटा, दो घंटा लग जाते हैं। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि जिन डाक्टर्स की आप इमरजेंसी में ड्यूटी लगाते हैं, जो रेजीडेंस फेसेलिटी आपने हास्पिटल प्रिमिसेज में डाक्टर्स को दे रखी है, उसमें यदि बढ़ोतरी भी करना आवश्यक हो तो बढ़ोतरी भी कीजिये, परन्तु इस प्रकार के डाक्टर्स, जिनकी इमरजेंसी सेवाओं में ड्यूटी हैं, वह निश्चित रूप से हास्पिटल प्रिमिसेज में रहने चाहिए ताकि जब भी हम उस डाक्टर को काल करें तो वह उपलब्ध रहे।

इसके साथ-साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा। आज एक समस्या है कि हमने यह कह तो रखा है कि गरीबों को निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध होंगी। परन्तु आज स्थिति क्या है? छह-सात हजार मरीज रोजाना एस.एम.एस. हास्पिटल में आते हैं, परन्तु यदि दवाइयां उपलब्ध करवाने की बात है तो 10–15–20 से ज्यादा मरीजों को हम दवाइया नहीं उपलब्ध करवा पाते। और जो दवाइयों की लिस्ट बनी हुई है, वह पता नहीं कौन से बाबा आदम के जमाने की लिस्ट बनी हुई है, यह आधुनिकता का युग है, रोज नयी-नयी दवाइयों का विस्तार हो रहा है। मैं माननीय मंत्रीजी को यह भी सुझाव देना चाहूंगा कि एक स्पेशलिस्ट के साथ बैठ कर उन दवाइयों की लिस्ट का पुनरीक्षण किया जाय और ऐसी दवाइयां उस लिस्ट में शामिल की जायं जो लेटेस्ट और आधुनिक हैं। यह बात सही है कि इस बार राज्य सरकार ने दवाइयों का बजट दुगुना किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, परन्तु दुगुना करने से भी काम नहीं चलेगा। कम से कम एस.एम.एस. हास्टिपल में तो दवाइयों की व्यवस्था अच्छी मात्रा में हो, इसके लिए कुछ बजट का प्रावधान और रखना पड़ेगा। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि वहां चार स्वयंसेवी संस्थाएं मेडिसन बैंक चलाती हैं। महावीर इन्टरनेशनल, सेवा भारती, लायंस क्लब

(श्री कालीचरण सराफ)

का बैंक वहां अलग चलता है, ज्वैलर्स एसोसियेशन का अलग चलता है। वहां यह देखने में आया है कि केवल महावीर इन्टरनेशनल जो मेडिसन बैंक चलाता है उसके लिए तो दवाइयां रखने की भी व्यवस्था है और उन लोगों के बैठने की भी व्यवस्था है, बाकी जो स्वयंसेवी संस्थाएं इस प्रकार के मेडिसन बैंक चलाती हैं, गरीबों को निःशुल्क दवाइयां मुहैया करवाती हैं, उनके लिए न वहां बैठने की व्यवस्था है और न दवाइयों के रखने की सुविधा है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इस प्रकार की जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो आगे आ कर दवाइयां गरीब लोगों को निःशुल्क मुहैया करवाने का प्रयास करती हैं उनके लिए यदि वहां जगह की आवश्यकता हो तो जगह दें, दवाइयां रखने के लिए यदि उनको आलमारी की व्यवस्था वहां हो तो निश्चित रूप से उसका भी उपयोग गरीब लोग ले सकेंगे।

माननीय सभापति महोदया, आउटडोर में आज लगभग छह-सात हजार मरीज रोज आते है और तीन-तीन, चार-चार घंटे मरीज खड़े रखते हैं, नम्बर नहीं आता, एक डाक्टर के लिए भी सम्भव नहीं है कि वह डेढ़-दो सौ मरीज देख सके। इसके लिए मैं सुझाव देना चाहूंगा कि प्रेसक्रिप्शन के लिए कोई भी टोकन मनी एक रुपया, दो रुपया यदि आप शुल्क रखेंगे तो निश्चित रूप से इस व्यवस्था में सुधार आयेगा। आज होता क्या है कि एक मरीज गया, उसने डाक्टर से प्रेसक्रिप्शन लिखवाया, दो दिन बाद वह दुबारा गया, कहा कि पर्ची लाइये तो वह कहता है कि पुरानी पर्ची तो खो गयी, अब दुबारा जब वह ए.बी.सी.डी. पूरी बतायेगा, डाक्टर्स का टाइम खराब करेगा और यदि एक रुपये या दो रुपये उसका शुल्क लगेगा तो निश्चित रूप से वह गरीब मरीज उस पर्ची को सम्भाल कर रखेगा और डाक्टर्स का जो टाइम खराब होता है दुबारा से उसकी पूरी ए.बी.सी.डी. जानने में, वह टाइम खराब नहीं होगा और निश्चित रूप से वह कम समय में ज्यादा मरीज देख पायेंगे। इसलिये यह व्यवस्था निश्चित रूप से आपको करनी चाहिए।

श्री शिवनाथ सिंह : ऐसों के लिये सोनी हास्पिटल है, दुर्लभजी हास्पिटल है। यह सरकारी हास्पिटल है।

श्री कालीचरण सराफ : आपको मेरी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं, धन्यवाद।

श्री शैलेन्द्र जोशी : स्कूटर स्टैण्ड वाला दो रुपये ले लेता है, कार स्टैण्ड वाला पांच रुपये ले लेता है और इलाज के लिये एक रुपया भी नहीं दे सकता कोई आदमी ? जो आपका इसलिये स्वीकार है।

श्री अमरा राम (धोद) : कार वालों की पैरवी मत करें, जो पैदल आते हैं उनकी पैरवी करें।

श्री कालीचरण सराफ : एक रुपये की बात कर रहा हूं मैं, कोई ज्यादा की नहीं कर रहा। इसी प्रकार से मेरा एक सुझाव और है। आज कई विशेषज्ञ डाक्टर हमारे एस.एम.एस. हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, उनकी हफ्ते में दो दिन आउटडोर में ड्यूटी रहती है और उसके बाद वह चार दिन

(श्री कालीचरण सराफ)

फ्री रहता है । मेरा यह सुझाव है कि एस. एम.एस. हास्पिटल पर मरीजों का दबाव कम पड़े इसके लिये जो विभिन्न हमारे यहां हास्पिटल हैं कांवटिया हास्पिटल, जयपुरिया हास्पिटल, सेठी कालोनी का हास्पिटल, बनीपार्क का हास्पिटल, यदि इस प्रकार के स्पेशलिस्ट डाक्टर की वहां भी आउटडोर में एक-एक, दो-दो दिन ड्यूटी लग जाय तो निश्चित रूप से मरीज का भी खर्चा बचेगा, वह इतनी दूर नहीं आयेगा और हास्पिटल पर प्रेशर भी कम पड़ेगा । माननीय सभापति महोदया, आज हास्पिटल में आवश्यक इलाज जिन चीजों का होना चाहिए, न्यूरो-सर्जरी, हमारे पास डाक्टर्स बहुत बढ़िया-बढ़िया हैं, डाक्टर धारकर, डाक्टर माथुर, डाक्टर पनगड़िया और वहां स्थिति क्या है ? केवल 84 बैड हैं । आज यदि आप न्यूरो-सर्जरी के वार्ड में चले जायें तो जितने मरीज बैड पर होंगे उनसे ज्यादा जमीन पर सोते हुए मिलेंगे, उनसे ज्यादा मरीज नीचे सोते हुए मिलेंगे और कई बैड्स की तो यह स्थिति है कि एक बैड पर दो-दो मरीज ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : शेम ।

श्री कालीचरण सराफ : शेम नहीं है, यह व्यवस्था आपकी दी हुई है ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : पांच साल में क्या किया वह तो बोलो ?

श्री कालीचरण सराफ : तो मैं यह कहना चाहूंगा, जैसा मैंने पहले कहा कि महाराजा कालेज और गोखले होस्टल के प्रिमिसेज यदि आप ले लें और एक ट्रोमा सर्विसेज के लिये अलग से यदि एक होस्टल भी वहां निर्मित कर दिया जाय जिसमें न्यूरो-सर्जरी, आर्थोपेडिक्स यह इस प्रकार के जो केसेज हैं तो यह बिलकुल आवश्यक है कि 84 बैड की जगह कम से कम वहां इस समय दो सौ बैड तो होने ही चाहिए । इसी प्रकार से बर्न यूनिट में 18 बैड हैं । माननीया सभापति महोदया, अब कभी भगवान न करे, यह केरोसिन की जिस प्रकार की पहले दुखान्तिका हुई हो गयी थी उस समय आप सीन देखते बर्न यूनिट का, 50-50, 60-60 मरीज इन्फेक्शन, मेरी वहां जो इन्चार्ज हैं डाक्टर मालती गुप्ता उनसे भी बात हुई । उन्होंने कहा कि हम लोग यहां डाक्टर का काम नहीं करते, हम यमदूत का काम करते हैं । आज यहां जिस प्रकार से बर्न यूनिट में मरीज आ रहे हैं और उनकी सार-सम्भाल नहीं हो रही, बैड नहीं हैं तो एक-दूसरे से जो इन्फेक्शन यहां हो रहा है इससे ही आधे लोग तो मर जायेंगे तो कम से कम इस प्रकार की यूनिट जहां इन्फेक्शन होने का डर है, निश्चित रूप से बैड की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए ।

इसी प्रकार से, आर्थोपेडिक्स वार्ड में आप चले जाइये वहां भी यही स्थिति है । जितने बैड वहां होने चाहिए उतने बैड नहीं हैं । माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि विशेष रूप से न्यूरो-सर्जरी वार्ड, आर्थोपेडिक्स वार्ड और बर्न यूनिट वार्ड में बैड्स की केपेसिटी बढ़ायी जानी चाहिए । एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि पहले डाक्टर्स की ड्यूटी का समय 8 बजे से 2 बजे तक का था । आज हमने उसको दो शिफ्ट में कर दिया, सुबह और शाम को ।

(श्री कालीचरण सराफ़)

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, एस.एम.एस. हॉस्पिटल में लगभग 60 प्रतिशत मरीज आसपास के गांवों से आते हैं और आसपास के गांवों से वे सुबह यदि 8 बजे चलते हैं तो 11 बजे तक यहां पहुंचते हैं वे हॉस्पिटल पहुंचते हैं उसके पहले हॉस्पिटल बन्द हो जाता है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माननीय सभापति महोदया, समय की पाबन्दी आप नहीं रखोगे तो आज हम देर तक नहीं बैठेंगे। रखो तो फिर सब के लिए रखो।

श्री कालीचरण सराफ : क्या हुआ ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और फिर बाद में आप फ्रन्टियर मेल चलवाते हो।

श्री सभापति : यह तो आपकी इच्छा है कि आप बैठें या न बैठें। अभी तो बिराज जायें।

श्री विष्णु मोदी : पहले और बाद में सारा गड़बड़ा जाता है। या तो आप फर्स्ट स्पीकर से ही....

श्री सभापति : अभी तो बिराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह समस्या हो रही है।

श्री विष्णु मोदी : हम सब तो चूक जाते हैं सारी बात।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, आप यह बताओ, एक तो थोड़ा बहुत कुछ याद करके आवें सुबह, दोपहर आते आते वैसे ही भूल जाते हैं और फिर आसन पर आप बिराज जाओ तो फिर बात ही क्या है।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : सभापति महोदया, वैसे भी शांतिकुमार जी 9 बजे बाद कब बैठते हैं ? और 9 बजे तो इनका मीटिंग का टाइम होता है तब निकल जाते हैं फिर क्या बात करते हो आप ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य को पूरा करने दें। आपकी भावनाओं की सभी सदस्य कद्र करेंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप करो कद्र।

श्री सभापति : आप जैसे श्रोता मिलें यह सब की इच्छा होगी।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा इनको बड़ी तकलीफ हो रही है।

श्री सभापति : कन्क्लूड करें।

श्री कालीचरण सराफ : क्योंकि इनके समय में जो कारगुजारियां की हुई हैं। फिर आप चुप रहो साहब।

श्री सभापति : आप कन्क्लूड करें।

श्री कालीचरण सराफ : तो मैं यह कह रहा था कि डाक्टर्स का जो पहले समय था 8 बजे से 2 बजे तक, वही समय रखा जाना चाहिए क्योंकि गांव का मरीज आता है साढ़े 11, 12 बजे तक तो यहां पहुंचता है और जब वह हॉस्पिटल में पहुंचता है तब तक वह डाक्टर चले जाते हैं। 8 से 2 तक की ड्यूटी रहेगी तो 8 बजे मरीज अपने घर से चलेगा, गांव का

(श्री कालीचरण सराफ)

मरीज 11–साढ़े 11 बजे तक वहां पहुंचेगा ।

श्री सभापति : अब पूरा करें ।

श्री कालीचरण सराफ : क्या हुआ साहब ?

श्री सभापति : पूरा करें ।

श्री कालीचरण सराफ : हां, मैं कर रहा हूं । इसी प्रकार से, एक सुझाव मैं और देना चाहूंगा ।

श्री रामनारायण चौधरी : मलेरिया पर नहीं बोलेंगे ?

श्री कालीचरण सराफ : वह आप बोलिये । मैं तो केवल एस.एम.एस. हॉस्पिटल के बारे में बोलूंगा, मैंने पहले ही कह दिया । ऐसा ही मैं एक सुझाव और देना चाहूंगा कि आज उत्तरी भारत में चण्डीगढ़, कानपुर, दिल्ली, लखनऊ हर जगह आल इण्डिया मेडिकल इन्स्टीट्यूट्स हैं परन्तु हमारा एस.एम.एस. हॉस्पिटल इतना पुराना है, सब प्रकार की फैसिलिटीज हैं इसके बावजूद भी इसका दर्जा परिवर्तित नहीं हुआ ।

श्री सभापति : सुझाव रिपीट हो रहा है, कन्क्लूड करें ।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय सभापति महोदया, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से यह चाहूंगा कि यदि इसको भी आल इण्डिया मेडिकल इन्स्टीट्यूट का दर्जा मिले तो निश्चित रूप से केन्द्रीय सहायता भी ज्यादा मिलेगी और जो अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं उनसे भी सहायता प्राप्त करने में हमें सुविधा होगी, तो इस बारे में भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी सोचें ।

एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि यहां रेजीडेन्ट डाक्टर्स हैं उन्होंने हड़ताल करना अपना अधिकार समझ रखा है । पिछले 10 साल के यदि आंकड़े लें आप, 10 साल में 2 साल एक महीना 27 दिन तक रेजीडेन्ट डाक्टर हड़ताल पर रहे यानी आप कल्पना करिये कि किस प्रकार से वहां मरीजों ने अपना इलाज कराया होगा ? किस प्रकार से जो तत्कालीन गम्भीर अवस्था के जो मरीज थे उनके आपरेशन हुए होंगे तो मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि इन हड़तालों पर किस प्रकार से रोक लगे, किस प्रकार से कड़ाई से हम इन हड़तालों को रोक सकें इस बारें में भी माननीय मंत्रीजी को निश्चित रूप से सोचना चाहिए और इसके लिए भी यदि कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो तो वह कदम भी उठाने से हिचकना नहीं चाहिए ।

माननीय एक बात कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा कि एस.एम.एस. हॉस्पिटल में काटेज की फैसिलिटीज बहुत कम हैं । आज वहां यदि काटेज रूम आप देखें तो 2–3 रूम्स का एक एक काटेज रूम बना हुआ है । कोई आवश्यकता नहीं है, आप पार्टीशन करके एक काटेज को दो काटेज में परिवर्तित कर सकते हैं और एक मंजिल उस पर और चढ़ा सकते हैं । आज आप देखिये कि काटेज के लिए 3–3, 4–4 महीने तक वेटिंग में लगा रहना पड़ता है । आज काटेज की व्यवस्था नही है वहां तो

(श्री कालीचरण सराफ)

इसके बारे में भी आप निश्चित रूप से सोचेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसके साथ साथ, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जयपुरिया हॉस्पिटल को आपने पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दर्जा दिया था मालवीय नगर में जो है, उसके बाद आपने कांवटिया हॉस्पिटल बना दिया, शीशरामजी ने कहा साढ़े 7 एकड़ में जयपुरिया हॉस्पिटल बना हुआ है. मेरी समझ में नहीं आया कि किस प्रकार से उसका दर्जा तो कम कर दिया, सेटेलाइट बना दिया और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कांवटिया में भेज दिया। चलो आपने भेज दिया बहुत बढ़िया किया, परन्तु आज वहां सौ बेड हैं जयपुरिया हॉस्पिटल में और सौ बेड आपने कावंटिया में किये हैं जबकि 4 सौ आपके पास सेंक्शन हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के नाम से। तो मेरा यह अनुरोध है कि यदि डेढ़ सौ बेड और हम दोनों जगह उपलब्ध करवा दें और उसकी केपेसिटी है तो निश्चित रूप से मरीजों को राहत मिलेगी।

इसके साथ साथ, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र मालवीय नगर के सैक्टर नम्बर 1,2,3,4 जो रेलवे पटरी के इस पार है उसमें तो डिस्पेंसरी की सुविधा है परन्तु कमला जी हमारे 6 नम्बर सैक्टर में रहती हैं। 5 नम्बर से 15 नम्बर सैक्टर तक कोई भी डिस्पेंसरी की सुविधा नहीं है और लगभग एक लाख की पापुलेशन उस क्षेत्र में है इस रेलवे पटरी के उस पार तो एक छोटी डिस्पेंसरी यदि 5 नम्बर से 15 नम्बर के बीच में भी आप इस बार मुहैया करवायें तो निश्चित रूप से यह बहुत अच्छा होगा और वहां की जनता के लिए सुविधाजनक होगा। एक बात मैं और कहना चाहूंगा....

श्री सभापति : आपकी एक एक करके कितनी बातें हैं, एक साथ ही बता दें।

श्री कालीचरण सराफ : कि जयपुर शहर में दो जनाना हॉस्पिटल आपने बनाये। एक जनाना हॉस्पिटल और एक महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट पर और एक चांदपोल के बाहर हैं। जो बाहर की बस्तियां हैं उनके लिए कोई मेटरनिटी हॉस्पिटल नहीं है। तो अपने जयपुर शहर के बाहर मालवीय नगर, बरकत नगर, सांगानेर, मानसरोवर यह जो पूरा इलाका है, लगभग 3, साढ़े 3, 4 लाख की पापुलेशन इस पूरे इलाके में मानसरोवर से लेकर मालवीय नगर तक है तो इस बीच में कोई मेटरनिटी हॉस्पिटल खोलेंगे तो निश्चित रूप से जयपुर शहर की जनता आपको धन्यवाद देगी। आपने मुझे शांति से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री नरेन्द्र बुडानिया।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (सरदारशहर) : सम्माननीय सभापति महोदया, आज एक ऐसे विषय पर इस सदन में हम चर्चा कर रहे हैं जिसके लिए इस धरती का प्रत्येक व्यक्ति और हमारे इस हाउस का प्रत्येक सदस्य चिन्तित है। आज सवाल इस बात का है कि हमारा जो चिकित्सा का स्तर है उसमें धीरे धीरे किस प्रकार से गिरावट

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

आ रही है और इस स्तर पर जहां गिरावट आ रही है उसी प्रकार हमारे राजस्थान के अन्दर बीमार व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है। यह बहुत ही चिन्ता का विषय है। अभी जो मेरे बहुत परम मित्र कालीचरण जी बोल रहे थे, धन्यवाद दे रहे थे। यदि आप धन्यवादों से खुश होते हैं तो हम यह काम शुरू कर देंगे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय सभापति महोदय, आप इसके साथ-साथ यह बात भी ध्यान रखिये कि यदि कोई अच्छा काम हो तो उसको एप्रीशियेट करना चाहिए। आज हॉस्पिटल में जिस प्रकार से इमरजेंसी यूनिट का पुनर्निर्माण और नवीनीकरण हो रहा है, कोई भी व्यक्ति, विरोधी से विरोधी भी वहां जायेगा तो निश्चित रूप से उसकी प्रशंसा किये बिना नहीं रहेगा। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : वहां जाना तो आपको पड़ता है। हमें देखने की जरूरत नहीं है।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : आज हम को इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि....

श्री सभापति : बोलने दीजिए माननीय सदस्य को।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : हमारे राजस्थान के अन्दर नयी-नयी ऐसी बीमारियां आ रही हैं और पुरानी बीमारियों में बढ़ोतरी हो रही है तो हमारे इस विभाग को पूर्वानुमान क्यों नहीं लग पाता है और यदि पूर्वानुमान लगता है तो विभाग उसमें बिलकुल निष्क्रियता बरतता है। पिछले वर्ष राजस्थान के अन्दर मलेरिया की महामारी आयी। उस बीमारी के बारे में सोचता हूं, तो राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति चिन्तित था मलेरिया की बीमारी से। लेकिन क्या हुआ? आप वाहवाही ले रहे हैं। क्या हुआ? राजस्थान के अन्दर हजारों लोग मर गये, सरकार की उदासीनता की वजह से मर गये। सरकार की लापरवाही की वजह से मर गये। सरकार को पूर्वानुमान नहीं हुआ इसकी वजह से मर गये। अनुमान होने के बाद भी कुछ नहीं किया। हजारों लोग, लाखों लोग इस बीमारी से ग्रसित हुए। हजारों लोग मरे। संख्या में मैं पड़ना नहीं चाहता हमारे प्रतिपक्ष के सम्मानीय नेता इस मलेरिया की बीमारी के प्रति चिन्तित रहे और बराबर सही आंकड़े हमारे राजस्थान की सरकार के सामने रखे हैं लेकिन सरकार उनके इलाज की तरफ ध्यान नहीं देकर के उनके द्वारा जो सही आंकड़े बताये गये, जो जनता के सामने सही स्थिति रखी गयी, उसका बराबर विरोध किया। उसका खण्डन करते रहे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार के आंकड़ों का आकलन क्या है, मूल्यांकन क्या है। आप आंकड़े कैसे एकत्रित करते हो, वह बताइए तो सही सदन के सामने। आप कहां से लाते हैं ये आंकड़े। मैं पूछना चाहता हूं। हमारे मंत्रीजी खुद देहाती क्षेत्र के रहने वाले हैं। आज हमारा राजस्थान गांवों में बसता है और रेगिस्तान के अन्दर जो गांव बसते हैं उनकी हालत देखिये, उनकी भौगोलिक स्थिति देखिये। वहां 4 बाइ 4 की गाड़ियां नहीं पहुंचती। वहां

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

आपके आंकड़े कैसे पहुंचेंगे ? वहां लोग बीमारी से ग्रसित होते हैं और मर जाते हैं उनकी बात आप तक कैसे पहुंचेगी ? मुझे बताइए तो सही। आपके आंकड़ों के अलावा जो लोग मर रहे हैं उनका ध्यान तो जन प्रतिनिधि और क्षेत्र के लोग ही आपके सामने रखेंगे। आप उसको स्वीकार करने में क्यों हिचकते हैं ? हिचकिये मत, ऐसी चीज जिसका नुकसान हमको, राजस्थान को हो रहा है उसके अन्दर स्वीकार करने में हमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। हमें स्वीकार करना चाहिए। मलेरिया की महामारी फैली, आज मैं एक अखबार पढ़ रहा था। मेरे पास में उसकी कटिंग भी है। उसमें लिखा है "मलेरिया मेहरबान तो अफसर पहलवान" यह क्या बीमारी है ? 'मलेरिया मेहरबान तो अफसर पहलवान'। चैयरमेन महोदया, भयंकर घोटाला हुआ इस मलेरिया के लिये जो दवाई बांटी गयी उसके अन्दर, जो क्लोरोक्वीन बांटी गयी उसके अन्दर जिन एजेंसियों ने दवाई खरीदी, माननीय मंत्री महोदय, आप जवाब दे रहे थे और सरदारपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने वह दवाई जो खरीदी, उसके आंकड़े रखे थे। आपने खुद ने स्वीकार किया था। मैं तो यह महसूस कर रहा था, आपसे यह उम्मीद करता था, नौजवान मंत्री हैं, आप मजबूत हैं मैं ऐसी उम्मीद करता था कि आप इस सदन में घोषणा करेंगे कि यदि ऐसे अधिकारी और ऐसे लोग हमारे राजस्थान के अन्दर हैं जो जनता के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ कर रहे हैं आप इस हाउस में ही, उनको सस्पेंड करने की घोषणा कर देंगे लेकिन मुझे ताज्जुब तब हुआ जब आप उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे। बचा लीजिए, इस प्रकार के और घोटाले ये आये दिन और करते रहेंगे। लिख लीजिए क्लोरोक्वीन में भारी घोटाला, यह खबर नवभारत टाइम्स की है। आप यदि इस वितरण सिस्टम को सही नहीं करेंगे बहुत बड़ा....

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

अभी तो बोलना शुरू किया है चैयरमेन महोदया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, दूसरे सदस्यों का भी ध्यान रखिये। उन्हें भी बोलना है। आपकी पार्टी की ओर से सुझाव आया है कि और भी बोलने वाले हैं।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : हमारी कांग्रेस की तरफ से मैं तीसरा सदस्य हूं बोलने वाला तो मुझे बोलने तो दीजिए कम से कम।

श्री सभापति : आप कंक्लूड कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : मैं सही बात कहता हूं उसके ऊपर भी आप घण्टी बजा देते हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप जब वहां से बोलती हैं तो आधे घण्टे से पहले विराजमान नहीं होती हैं।

श्री सभापति : हमारी पार्टी के लोगों ने मेरे बोलने पर एतराज नहीं किया। बिराजिये (व्यवधान) इधर से ही सुझाव

(श्री सभापति)

आया था कि बहुत सारे लोग बोलना चाहते हैं और हम तो 8 बजे के बाद बैठेंगे नहीं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप को तो बैठना पड़ेगा। हम बैठें, नहीं बैठें। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र बुडानिया : डी.डी.टी स्प्रे की बात हुई। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि निश्चित रूप से इन्होंने डी.डी.टी. छिड़क-वाई लेकिन उस स्प्रे का प्रभाव कितना हुआ। कोई प्रभाव उस डी.डी.टी. से नहीं हुआ। वह डी.डी.टी. प्रभावहीन है। अब फिर मलेरिया की शुरुआत होने जा रही है। लगातार अखबारों में आ रहा है कि जोधपुर के अन्दर फिर मलेरिया का प्रभाव शुरु, बीकानेर के अन्दर फिर मलेरिया का प्रभाव शुरू, जयपुर के अन्दर पीलिया का प्रभाव शुरू। ये बीमारियां हमारे सामने फिर आने लग रही हैं। क्या कर रही है सरकार? क्या सोचा है इसके बारे में? कैसे मुकाबला करेंगे? मेरी समझ में तो नहीं आता कि आप कोई प्रभावी कदम, ऐसी महामारी फिर फैल गयी तो पिछली हालत देखते हुए मुझे तो बड़ी चिन्ता हो रही है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की आपात स्थितियों में कोई कारगर कदम सरकार को उठाना चाहिए। और प्रभावी कार्यवाही करनी चाहिए।

अब मैं, सभापति महोदया, मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण के अन्दर कहा कि पिछला बजट तो मैंने शिक्षा को समर्पित किया था और यह बजट मैं चिकित्सा को समर्पित कर रहा हूं। यह क्या चीज है, समर्पित क्या चीज है? यह मुझे जरा समझ में नहीं आया। मैं तब से सोच रहा था कि समर्पित क्या चीज होती है? आज हम सब यहां बैठे हैं। मैं कोई बुराई नहीं करना चाहता लेकिन आज हमारे देहाती क्षेत्र की हालत क्या है? स्वास्थ्य के सम्बन्ध में सब लोग चिन्तित हैं। आज कोई भी डाक्टर देहाती क्षेत्र में रहना नहीं चाहता। हां, कालीचरण जी कह रहे थे, निश्चित रूप से मैं राजेन्द्रजी को बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने प्रयास किये, गांव में डाक्टर भेजने के लेकिन वे प्रयास अधूरे रह गये, क्योंकि उनकी उस विभाग पर पकड़ नहीं है। पकड़ इसलिये नहीं है कि उनकी कोई इस प्रकार की योजना नहीं है कि दिल में भय हो कि यदि मैंने जो आदेश किया है उस आदेश की पालना नहीं हुई तो तुझे आगे भविष्य में कभी नुकसान होगा। इस प्रकार का डर और भय उस डाक्टर के दिल में नहीं है। आज हम घोषणा कर रहे हैं आज 89 स्वास्थ्य केन्द्र खोल रहे हैं, 10 सामुदायिक विकास केन्द्र खोल रहे हैं, 75 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोल रहे हैं और 700 गांवों में सब सेण्टर खोल रहे है। मैंने भाषण में सुना था कि जिस प्रकार से शिक्षाकर्मी योजना शुरू की थी उसी प्रकार से आप स्वास्थ्य कर्मी योजना से लगाना चाहते हैं। अच्छी बात है लगाइए आप। लेकिन पहले आपकी जो शिक्षा कर्मी योजना चालू है उसका विस्तार से अध्ययन कर लें। मंत्री महोदय यदि वह सही तरीके से चल रही है प्रैक्टिकल रूप में तो, आप इसको भी इसमें शामिल कर लीजिए। उसी प्रकार से उसमें बहुत खामियां हैं, कहीं वह खामियां हमारी इस योजना में न रह

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

जायें। नहीं तो आने वाला समय हमें माफ नहीं करेगा। क्योंकि हम स्वास्थ्य को जनता तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। उन गांवों में झोंपड़ियों तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं, यदि उनको सही लाभ नहीं मिला तो बड़ा गजब हो जाएगा।....

(समय-समाप्ति सूचक-घण्टी)

राजस्थान का बड़ा नुकसान हो जायेगा....

मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आज हम चिकित्सालय खोल रहे हैं, स्वास्थ्य केन्द्र खोल रहे हैं, औषधालय खोल रहे हैं लेकिन जब तक हम राजस्थान के अन्दर वातावरण नहीं बनायेंगे चिकित्सा का, तब तक हम लोग प्रभावी ढंग से चिकित्सा लोगों तक नहीं पहुंचा सकते हैं। हमें शिक्षा के माध्यम से, शिक्षण के माध्यम से एक ऐसा जागरण अभियान चलाना चाहिये, जिससे कि चिकित्सा का वातावरण बने। अब, चेयरमैन महोदया, देख लीजिये, प्रदूषण की बात चल रही थी। जल प्रदूषण किस प्रकार से बढ़ रहा है, कितना भयंकर जल प्रदूषण बढ़ रहा है, उससे कितनी बीमारियां हमारे देश के अन्दर फैल रही हैं और इस प्रकार से फैल रही हैं, जिसका कोई मूल्यांकन ही नहीं है। एक बात और कहना चाहता हूं....

श्री सभापति : कन्क्लूड कीजिए।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : बहुत जरूरी बात है। आज ड्रग्स लेने की जो एक टेडेंसी बन गयी है लोगों की, मेरे सर में दर्द हुआ, मैंने जाकर एनासिन ले ली। मेरे पेट में दर्द हुआ मैंने बेरलागन खा ली। मेरे को और कोई तकलीफ हुई, मैंने और कोई गोलियां खा लीं। बिना डाक्टर की सलाह के मैं गोलियां खाता रहूं। आप मेडिकल स्टोर पर जाइये, आपको लाइन लगी हुई मिलेगी। जहां डाक्टर का कोई प्रेसक्रिप्शन नहीं है लेकिन मेडिकल स्टोर दवाइयां देते जा रहे हैं। वहां पर आपके मेडिकल स्टोर पर जो लोग बैठे हैं, उनको कोई किसी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं है, ऐसे ही लेकर खड़े कर दिये किसी के ड्रग लाइसेंस ले लिया और वहां खड़े हो गये और वह डाक्टर बने हुए हैं, दवाइयां दे रहे हैं।

श्री सभापति : कन्क्लूड करें।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : इनको यह पता नहीं है कि यह दवाई लेने से अस्थाई रूप से तो फायदा होगा हमें, सर दुख रहा है वह बन्द हो जायेगा लेकिन उसके भविष्य में क्या रिजल्ट्स निकलते हैं, यह उसको पता नहीं होता है। माननीय मंत्री महोदय, आप इसके ऊपर गम्भीरता से विचार करिये। आप जिस प्रकार की दवाइयां लेते हैं, उनको जागरण के माध्यम से, शिक्षण के माध्यम से, वह उन दवाइयों के एडिक्ट हो जाते हैं, उसको आप रोकिये। नहीं तो बहुत बड़ा गजब हो जायेगा और दवाइयां जो बेचते हैं, मेडिकल स्टोर वाले उनको आप रोकिये। हो सकता है यह काम करने में आपको थोड़ी दिक्कत आये लेकिन आपको तो बहुत नोजवान उम्र में मौका मिला है, काम करने का तो आपको इस प्रकार के कदम उठाने चाहिये।

श्री सभापति : बिराजिये-बिराजिये। श्री जीतरामजी।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : अब देखिये आप, आपका भय होना चाहिये डाक्टरों के अन्दर....

श्री सभापति : श्री जीतरामजी।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : आपका भय होना चाहिये कर्मचारियों और अधिकारियों के अन्दर। आप दौरा करिये।

श्री सभापति : माननीय बिराजिये आप।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : आप अचानक रेड मारिये उन पर। आप एक्शन लें....

श्री सभापति : श्री जीतराम। (अनुपस्थित)। श्रीमती सूर्य कान्ता व्यास।

श्री भीमराज भाटी : माननीय सभापति महोदया, मेरा....

श्री नरेन्द्र बुडानिया : एक बात और कहना चाहता हूं, महोदया, एक बात और....

श्री सभापति : हो गया, बिराजिये-बिराजिये।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : मैंने किसी को नहीं टोका। आपकी इच्छा हो गयी कि मैं आगे नहीं बोलूं। एक बात कहना चाहता हूं, जयपुर के बारे में, सब लोगों ने कहा है....

श्री सभापति : बिराजिये आप।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : एक मिनट में कहना चाहता हूं कि जयपुर, यह जो अस्पताल और स्वास्थ्य केन्द्र खोलने जा रहे हैं, कृपा करके....(व्यवधान)....आप इसके लिये क्षेत्र का ध्यान जरूर रखें। आबादी का ध्यान रखें, जनसंख्या के आधार पर यह जो असन्तुलन यहां बना हुआ है, हमारे देहाती क्षेत्र के अन्दर असन्तुलन का (व्यवधान)....

श्री सभापति : बिराजिये आप। व्यवस्था बनाये रखें।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : आपने ध्यान नहीं रखा और आपने यह ताबड़तोड़ के अन्दर बिना योजनाओं के फिर यह सेंटर बना दिये तो....(व्यवधान)....

श्री सभापति : मैंने दो बार नाम पुकारा, बिराजिये आप।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : डाक्टर आपके ऐसे हैं नहीं और असन्तुलन बढ़ जायगा। आप विशेष तौर से रेगिस्तानी क्षेत्र के अन्दर देखिये। आप खुद रेगिस्तानी क्षेत्र से चुन कर आये हैं। आप वहां पैदा हुए हैं, आप देख लीजिये कि सरदार शहर के अन्दर एक गांव की दूरी....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपकी बात समझ में आ गयी है, बहुत लोग बोलने वाले हैं, बिराजिये आप।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : उस दस किलोमीटर के दायरे के अन्दर आप रेगिस्तान का विशेष ध्यान नहीं देंगे तो मैं समझता हूं कि जो सुविधा आप देना चाहते हैं और जो....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय बिराजिये।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : मुख्य मंत्रीजी इस बात के लिये चिन्तित हैं कि गरीबों तक

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

लाभ पहुंच सके, आप चिन्तित है कि गरीबों तक लाभ पहुंच सके। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मंत्रीजी ने जो प्रयास किया, उसके लिये तो धन्यवाद देता हूं और मलेरिया में और इस प्रकार की कमियां रही हैं, उनकी मुझे बड़ी तकलीफ है और भविष्य में इस प्रकार की कमी नहीं रहे, धन्यवाद।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : मांग संख्या 26 के सम्बन्ध में सदन में विचार चल रहा है, उसके बारे में मैं भी अपने कुछ विचार रखना चाहती हूं। माननीय सभापति महोदया, यह बात निश्चित ही माननी पड़ेगी कि देश के अन्य प्रान्तों की तुलना में राजस्थान में अस्पतालों की हालत सन्तोषजनक है। फिर भी सुधार की कुछ आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदया, मैं ज्यादा आंकड़ों के ऊपर नहीं जाऊंगी और न कोई लम्बी चौड़ी बात कहना चाहूंगी मगर सामने जो विराजमान हैं वे अभी बहुत बातें कह रहे थे, यह सारे उनके समय के ही काम किये हुए हैं। हम को भुगतना पड़ रहा है।

माननीय सभापति महोदया, काफी अनुभवी विधायक विराजमान हैं मगर उन्होंने अभी जो बात कही है, मैं उनसे यह कहना चाहूंगी कि इन अस्पतालों की सारी ऐसी अव्यवस्था इन्होंने की थी, उसका परिणाम हमारे मुख्य मंत्रीजी को, हमारे मंत्रीजी को और हमारी सरकार को भुगतना पड़ रहा है।

आज मैं मुख्य मंत्रीजी को, हमारी सरकार को और हमारे युवा मंत्रीजी को बधाई देना चाहूंगी कि इन्होंने जब से सरकार को सम्भाला है, विशेष कर इन अस्पतालों के ऊपर बड़ी भारी चिन्ता की है और कैसे इनका सुधार किया जाये, इसके अन्दर बैठ कर इन्होंने विचार किया है। अभी यह बात हो रही थी कि गांवों के अन्दर चिकित्सालय की सुविधा नहीं है, हालांकि मेरा विधान सभा क्षेत्र शहरी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में जाना मेरा बहुत कम होता है, फिर भी मैं अभी इलेक्शन के वक्त और विशेष कर जब मलेरिया और पीलिया फैला था उस समय मुख्य मंत्रीजी के आदेशों से जब हम गांवों के अन्दर वहां गये, हमें कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली कि वहां डाक्टर नहीं मिला, वहां नर्सेज नहीं मिलीं और वहां कोई ऐसी असुविधा नहीं थी और बराबर उनको दवाइयां वगैरह सब चीजें उपलब्ध हो रही थीं।

माननीय सभापति महोदया, जो यह बात कहना चाहते हैं मेरे को यह तो बात समझ में नहीं आयी....(व्यवधान)

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : आप शहरों में रहती हो, आपको मालूम नहीं है कि गांवों की क्या हालत है ?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मैंने अभी आपको बताया ही था कि मेरा गांवों में जाना कम होता है। गांव में जब मैं गयी और जैसा गांव के अन्दर देखा है, उसकी मैं बात बताना चाहती हूं। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं इस बात में नहीं जाना चाहती मगर मैं अब मेरे विधान सभा क्षेत्र जोधपुर सम्भाग, जोधपुर शहर के बारे में माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : कांहे के लिये निवेदन कर रही हैं ?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : यह क्या बात हो गयी । जो आपने नहीं किये हैं वे बताना चाहूंगी । अब यह हमारे यहां करेंगे....(व्यवधान)....

श्री सभापति : आपकी तुलना में अल्प-संख्यक हैं, बोलने दीजिये ।

श्रीमती मीना अग्रवाल : सभापति महोदया, ये महिला विरोधी हैं ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : पश्चिम राजस्थान में गुर्दा, प्रोस्टेट, प्रजनन क्रिया अंग व अन्य मूत्र रोगों से पीड़ित जनता है । जोधपुर में डा. सम्पूर्णानन्द मेडिकल कॉलेज में नेफ्रोलॉजी रिसर्च सेंटर मार्च, 1995 में बन कर तैयार हो गया था । मैं इस मांग संख्या पर माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगी कि इसको जल्दी से जल्दी चालू किया जाये और वहां डाक्टरों की जो कमी है उसको तुरन्त दूर किया जाय ।

जोधपुर शहर राजस्थान में जयपुर के बाद में दूसरे नम्बर पर है लेकिन न्यूरोलोजिस्ट एवं नेफ्रोलोजिस्ट की सुविधाओं से पूर्णतः वंचित है । अतः माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से मैं निवेदन करूंगी कि इनकी जल्दी से जल्दी व्यवस्था करके जोधपुर की जनता को राहत मिल सके, ऐसी व्यवस्था की जाये । माननीय मंत्री महोदय जब जोधपुर अपना भ्रमण करने आये थे और सभी अस्पतालों का इन्होंने निरीक्षण किया था उस समय इन्होंने यह कहा था कि मैं जल्दी से जल्दी केटस्केन लागू कर दूंगा और लगवा दूंगा । तो मैं इस मौके पर मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगी कि इसको जल्दी से लागू करें, जिससे जोधपुर की जनता को राहत मिल सके क्योंकि जोधपुर की जनता जब बाहर जाती है तो उसको काफी कुछ भुगतान भी करना पड़ता है । तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगी कि इस केटस्केन को जल्दी से जल्दी स्थापित करके इसको चालू किया जाय ।

माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि महात्मा गांधी अस्पताल है, वहां पर पेथोलोजी का एक डाक्टर होता था मगर पूर्व की कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने क्या मालूम इस पोस्ट को कैसे वर्जित कर दिया और मेडिकल कॉलेज से रोटेशन के माध्यम से वहां पर डाक्टर आया करता है तो मैं मंत्री महोदय को आपके माध्यम से निवेदन करूंगी कि इस पेथोलोजी के डाक्टर की जल्दी से जल्दी व्यवस्था करें, जिससे जोधपुर की जनता को राहत मिल सके । रोटेशन से डाक्टर आता है उससे वहां की जनता को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है ।

सभापति महोदया, मैं एक बात आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि आज यह सामने जो विराजमान हैं और यह कह रहे हैं कि सरकार ने यह नहीं किया, यह नहीं किया तो मैं इस तुलना में, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं और इनका मैं बहुत सम्मान करती हूं, फिर भी मैं इनको यह बताना चाहूंगी कि आपने जितनी असुविधाएं

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

की हैं उसकी तुलना की जाये तो मैं यह कहूंगी, मुख्य मंत्रीजी को और मंत्रीजी को बधाई दे रही हूं कि इन्होंने कितना अच्छा कार्य किया है। वह आपने नहीं किया था, वह इन लोगों ने करके बताया है कि जहां कहीं भी डाक्टर नहीं थे उनकी पोस्टिंग की है, डाक्टरों की समुचित व्यवस्था की है।

मैं इस मौके पर यह बात और कहना चाहूंगी, सभापति महोदया, जोधपुर के अन्दर उम्मेद अस्पताल है वहां पर शिशु चिकित्सालय की बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा बना हुआ है मगर जब से यह हास्पिटल बना था उसके बाद जो कुछ उम्मेद हास्पिटल की असुविधा थी उसके सुधार करने के लिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी ताकि काफी लम्बे अर्से से जो काम रुका हुआ है उसको तुरन्त लिया जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को यह ध्यान दिलाना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जोधपुर शहर के अन्दर मेरे यहां पर स्टेट के टाइम से 3 डिस्पेंसरियां हैं मगर एक कहावत कही है, आपने घंटी बजा दी, मैं मेरी बात भूल जाऊंगी। तो हर चीज का विस्तार होता है।

श्री सभापति : जल्दी पूरा कीजिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : जल्दी पूरा करूंगी। हर चीज का विस्तार होता है। आज तक का यही रहा है कि कोई भी चीज का विस्तार होना चाहिये मगर यहां विस्तार नहीं होकर के एक ऐसी अव्यवस्था हो गयी थी। वह सामने विराजमान हैं, उनको सारी इस बात की जानकारी है और खेतसिहजी तो खुद हैल्थ मिनिस्टर रहे हुए थे, अभी वह मौजूद नहीं हैं, मैं यह चाहूंगी कि जोधपुर के अन्दर डिस्पेंसरियों का सुधार होना चाहिये था वह नहीं हुआ है। सभापति महोदया, एक नवजोतिया डिस्पेंसरी ऐसी है जो करीब डेढ़ सौ साल पुरानी है मगर आज तक उसका विस्तार नहीं हुआ। मैं मुख्य मंत्रीजी को और मंत्रीजी को बधाई दूंगी कि उन्होंने यह विश्वास दिलाया है कि मैं जल्दी से जल्दी अच्छी व्यवस्था लागू कर दूंगा।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री रामनारायण डूडी।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : सभापति महोदया, दो मिनट मेरे को और दीजिये। मैंने आपको तीन डिस्पेंसरियों का बताया। एक हुसैन मण्डी डिस्पेंसरी है वहां पर 1982 तक डिलीवरी केसेज होते थे फिर 1982 के बाद कांग्रेस सरकार ने वहां पर सारी अव्यवस्था कर दी और वहां पर सारी असुविधा कर दी। क्योंकि जोधपुर शहर एक ऐसा शहर है जहां महिलाएं फतेहपोल से रवाना होकर उम्मेद हास्पिटल जाती हैं कम से कम उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, रास्ते में कई बाधाएं आती हैं उनका सामना करना पड़ रहा है, तो मैं मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगी कि जो ऐसी अव्यवस्था है उनका जल्दी से जल्दी सुधार किया जाये।

सभापति महोदया, जो सामने विराजमान हैं यह ऐसी बात कर रहे थे कि कोई

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

भी कार्य नहीं हुआ। एक साल, दो साल के अन्दर ही यह सारी व्यवस्था, यह सारे काम आपके बिगाड़े हुए हैं, ठीक किये हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को और मंत्रीजी को बधाई देती हूं कि जो-जो इनकी चीजें कागजों में पड़ी थीं और बस्तों के अन्दर पैकिंग की हुई पड़ी थीं उनको निकाला है और उसको निकाल कर उनकी सुविधा की हैं इसलिए इस मौके पर मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को और मंत्रीजी को बधाई देती हूं कि इन्होंने एक अच्छा कार्य शुरू किया है और जो पुराने हैं उसको भी सुधारने में पूरा सहयोग दिया।

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, सहयोग करें बहुत लोग बोलने वाले हैं, सब को अवसर मिले, ऐसा कीजिये।

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : सभापति महोदया, आज हम सदन में मांग संख्या-26 मेडिकल एण्ड हैल्थ पर विचार विमर्श कर रहे हैं। मेडिकल और हैल्थ के मामलों में जैसा कि माननीय सदस्या ने हमारे सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा, कांग्रेस ने यह किया या बी.जे.पी. ने यह किया, सवाल इस बात को उठाने का नहीं है। जहां तक मेडिकल एण्ड हैल्थ का मामला है, यह बहुत ही मानवीय दृष्टिकोण का मुद्दा है, बीमारी से कोई अछूता नहीं है। किस ने क्या किया और किस प्रकार की व्यवस्थाएं रहीं और किस प्रकार की अव्यवस्था है उसको किस प्रकार से सुधारा जाये, सवाल इस बात का है।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं। जब यह परम्परा यहां पड़ी है कि मैं उनको बधाई दूं, उनको धन्यवाद दूं, मैं भी पूर्व में एम.एल.ए. था और आज भी हूं मगर उस वक्त में हमारे जोधपुर के हैल्थ मिनिस्टर श्री खेतसिंहजी थे, जैसा कि माननीय सदस्या अभी कह रही थीं, जोधपुर के मामले में ही नहीं उन्होंने पूरे राजस्थान के अन्दर एक दृष्टिकोण रख कर पूरी चिकित्सा सेवाओं के विस्तार का कार्य किया, वह आज भी रिकार्ड में है और वह विस्तार बहुत हुआ। गांवों के अन्दर शफाखाने खोले गये, एड पोस्ट खोली गयी और सब-सैण्टर्स खोले गये। मगर आज मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन अस्पतालों के अन्दर, एड पोस्टों के अन्दर, पी.एच.सी. के अन्दर, रेफरल हास्पिटल के अन्दर ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर जो डाक्टर कम हैं, स्टॉफ नहीं हैं और उनके कारण ग्रामीण क्षेत्र में जो बीमारियां हैं उससे लोगों को शहर या जहां भी हास्पिटल है वहां जाना पड़ता है और बहुत ही महंगी दवाओं पर खर्चा करना पड़ता है।

जो भी हास्पिटल गांवों के अन्दर खोले है, हैल्थ मिनिस्टरजी, मैंने आपको 295 के तहत भी विशेष उल्लेख दिया, प्रश्न भी दिये और मेरे क्षेत्र के अन्दर भोपालगढ़ हास्पिटल के अन्दर आज 8 पोस्टें खाली पड़ी हैं। मैं कोई लम्बी-चौड़ी बात नहीं करना चाहता हूं मगर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आसोन के अन्दर पोस्टें खाली हैं, रतकुड़िया के अन्दर पोस्टें खाली हैं, खवासपुरा के अन्दर पोस्टें खाली हैं, पोड़ के अन्दर पोस्टें खाली हैं और कूड़ी के अन्दर पोस्टें खाली हैं, आपके भवन बने

(श्री रामनारायण डूडी)

हुए हैं। भवन चाहे आपने गवर्नमेंट के मार्फत बनाये हों, चाहे जन सहयोग से बनाये हों मगर वहां आज स्टॉफ लगा हुआ नहीं है।

आज हम चर्चा करते हैं ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर डाक्टर जाना नहीं चाहते हैं। सभापति महोदया, दोष उस वक्त आया, जब ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा, पी.एम.टी. की परीक्षाएं जब होने लगीं ग्रामीण क्षेत्र से आने वाला विद्यार्थी वंचित रह गया। उसी वजह से आज ग्रामीण क्षेत्र से जब तक विद्यार्थी नहीं आयेगा, उनका कोटा रिजर्व नहीं किया जायेगा और जब तक कोटा रिजर्व नहीं होगा, मंत्रीजी चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर कोई जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि शहरों में उनको अच्छी फैसेलिटीज मिलती है, प्राइवेट शफाखानों के अन्दर फैसेलिटीज मिलती हैं और इस प्रकार जब आप रिज-र्वेशन करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र से लड़का आयेगा। मैं तो कहता हूं एक बार आप तो यह पी.एम.टी. वाली परीक्षाएं बंद कर दीजिये, इससे पूरे ग्रामीण क्षेत्र से कितने लड़के आते थे आपके इन मेडिकल कॉलेजों के अन्दर और जब से आपने पी.एम.टी. चालू की है उसके बाद में ग्रामीण क्षेत्र से कितने लड़के आये।

इनकी एक वजह है, सभापति महोदया, आप भी ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली हैं। आज शहर के अन्दर जो भी विद्यार्थी बायलोजी, केमेस्ट्री या फिजिक्स का विद्यार्थी है, वह साल भर रैगूलर स्टेडी करता है और वह साल भर रैगूलर स्टेडी करने के बाद में वह मैरिट के अन्दर आ जाता है। मगर पी.एम.टी. परीक्षायें चालू करने के बाद से गांव के अन्दर रहने वाला किसान का लड़का, गरीब लड़का जिसने साल भर पढ़ाई की और शहर वाला तीन महीने के अन्दर कोचिंग वगैरह करके पी.एम.टी. के अन्दर आ जाते हैं।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

सभापति महोदया, थोड़ा ही मामला है। इस प्रकार से जो गैप आया है आप या तो पचास पर्सेण्ट ग्रामीण क्षेत्र के लड़कों के लिये रिजर्वेशन कर दीजिये ताकि वह डाक्टर बनकर जायेंगे तो गांव के अन्दर रहेंगे और एडमिशन लेते वक्त भी उनको पांच साल के लिये बाउण्ड-अप कर दीजिएगा तो वह वहां रहेंगे।

मैं दूसरी तरफ आज जो भी दवाइयां वगैरह हैं। ग्रामीण शफाखानों के अन्दर दवाई नहीं, सफाई नहीं, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। आप जो सी.एम.एच. ओ. है, उनके लिए आप यह निश्चित कर दीजिएगा कि जहां भी रैफरल अस्पताल वगैरह गांव के अन्दर हैं या ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर हैं, पंचायत समिति पर है, उनमें महीने में एक बार वह चैकिंग करें। सभा-पति महोदया, वहां पर खाटों पर कुत्ते सोते हुए मिलेंगे और जो बीमार वहां एड-मिट होने के लिये जाता है, वहां इतनी बदबू आती है कि वह ज्यादा बीमार पड़ जाता है।

श्री सभापति : धन्यवाद, पूरा करिये।

श्री रामनारायण डूडी : मेरा निवेदन यह है कि जहां एक्स-रे मशीनें खराब पड़ी हैं, टैक्नीशियन आपका है नहीं, आपकी

(श्री रामनारायण डूडी)

महिला चिकित्सक है नहीं, आपके वरिष्ठ डाक्टर्स हैं नहीं । तो यह व्यवस्था कम से कम....

श्री सभापति : धन्यवाद, श्री मदन मोहन ।

श्री रामनारायण डूडी : सभापति जी एक सैकण्ड (व्यवधान) मैं दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं आपके जो नर्सिग की ट्रेनिंग हुई थी उसके अन्दर 1993 के अन्दर एडमिशन हुआ ।

श्री सभापति : आप कन्क्लूड करिये, सुझाव दीजिये, लम्बा मत करिये ।

श्री रामनारायण डूडी : मैं निवेदन कर रहा हूं । मैं सुझाव दे रहा हूं । जोधपुर के अन्दर जो मैरिट रखी गयी । अन्य केन्द्रों पर जो मैरिट रखी गयी उसके अन्दर केवल सब्जेक्ट फिजिक्स, बायलोजी और केमेस्ट्री थे । जोधपुर डिविजन के अन्दर जितने भी केन्द्र आते थे उसमें इन्होंने हिन्दी और अंग्रेजी को भी साथ में जोड़ दिया । उससे वहां के बच्चों की जितनी मैरिट थी वह डाउन हो गयी और उनका एडमिशन नहीं हुआ । जब एडमिशन नहीं हुआ तो वह हाई कोर्ट के अन्दर गये....

श्री सभापति : कन्क्लूड करिये माननीय ।

श्री रामनारायण डूडी : हाई कोर्ट में जाने के बाद, में 53 पर्सेण्ट वालों का एडमिशन हो गया और 90 पर्सेण्ट वाले रह गये । वह मंत्रीजी से मिले और मंत्रीजी ने भी आश्वासन दिया । मगर अभी तक नर्सिग की ट्रेनिंग वालों का एडमिशन नहीं हुआ और कोर्ट का फैसला होने के बाद में भी वह रह गये । मंत्री महोदय, इसमें मैं चाहूंगा, वह जो भी हैं 53 पर्सेण्ट के ऊपर जिनकी मैरिट बनती है, उनको एडमिशन दिलाया जाये । यह कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री सभापति : श्री मदन मोहन ।

श्री मदन मोहन (खैरथल) सभापति महोदया, अवैध प्रेक्टिशनर के ऊपर इस सदन में बहुत चर्चा हुई । माननीय सभापति महोदया, अवैध प्रेक्टिशनर को जहां पर रोकने की बात करते हैं, मैं तो यह कहता हूं कि अवैध प्रेक्टिशनर को जितना बढ़ावा दिया जाये, उतना देना चाहिये । क्योंकि जितनी भी ग्रामीण बस्तियां हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में बसने वाले लोग हैं, उनको सबको केवल चिकित्सा की सुविधायें यदि मुहैय्या कराते हैं तो वह अवैध प्रैक्टिशनर ही कराते हैं । जिनको आपने अवैध प्रेक्टिशनर का नाम दिया हुआ है उनको प्रशिक्षण की सुविधा देनी चाहिये । उनके रजिस्ट्रेशन की सुलभ व्यवस्था प्रदान करनी चाहिये । मैं तो राज्य सरकार से यह मांग करता हूं कि जितने भी अवैध प्रेक्टिशनर के नाम हैं, इनको केवल अवैध प्रेक्टिशनर के नाम से नहीं जानकर केवल इनका रजिस्ट्रेशन किया जाये और इनको उचित प्रशिक्षण देकर, इनको गांवों और झुग्गी झोपड़ियों में सेवायें प्रदान करने की छूट दी जाये । यदि आप इन अवैध प्रेक्टिशनर को हटाने की बात करते हैं तो आपको एक-एक झुग्गी झोपड़ी में बसने वाले लोगों

(श्री मदन मोहन)

की सेवा करनी होगी। आपको ग्रामीण जनता के हितों की रक्षा के लिये ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर अधिक से अधिक सब-सैण्टर्स खोलने होंगे, रेफरल हास्पिटल खोलने होंगे, चिकित्सा की सुविधायें मुहैय्या करानी होंगी।

माननीय सभापति महोदया, जितने भी सरकारी डाक्टर्स हैं वह अपने घर पर प्राइवेट प्रेक्टिस करते हैं। जितने भी प्राइवेट औषधालय हैं, उन औषधालयों के अन्दर अपनी प्रेक्टिस करते हैं। अलवर जिले में जो जनरल हास्पिटल है, उस हास्पिटल में सेवा करने वाले जितने भी डाक्टर्स हैं वह सब के सब प्राइवेट औषधालयों के अन्दर प्रेक्टिस करते हैं और अपनी सेवायें देते हैं। जिससे ग्रामीण जनता जो गांवों से चलकर आती हैं उनको वह सुविधा मुहैय्या नहीं होती।

जिस तरह से आप यह कहते हैं कि दवाओं का बजट गत वर्ष से इस बार दुगुना कर दिया। मैं यह कहता हूं कि दुगुना क्या चौगुना कर लो तो भी आपको इससे कोई रिलीफ मिलने वाली नहीं क्योंकि जितनी भी दवायें आप मुफ्त में देते हैं, वह सारी की सारी या तो डाक्टर्स के घर मिलती हैं या कम्पाउण्डर के घर मिलती हैं, नर्सों के घर मिलती हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : सुझाव दीजिये। आप सहयोग कीजिये।

श्री मदन मोहन : सभापति महोदया, परिवार कल्याण के ऊपर जो बातें कही जाती है कि जनसंख्या के अन्दर उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है लेकिन आप इसमें केवल एक समुदाय विशेष के लोगों के साथ ही आपरेशन की प्रक्रिया अपनाते हैं। मैं तो आज राज्य सरकार से मांग करता हूं कि किसी भी समुदाय का हो, प्रत्येक समुदाय के लोगों का आपरेशन किया जाय। मेरे इलाके में ऐसे-ऐसे समुदाय के लोग हैं जिनके एक-एक व्यक्ति के 20-20, 25-25 बच्चे हैं। आपका यह परिवार नियोजन कहां जायेगा ? आपकी जनसंख्या क्यों नहीं बढ़ेगी ? आपने इसके कोई उपाय नहीं किये जो लोग अपने आप में यह कहते हैं कि हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में यह लिखा है कि हम आपरेशन नहीं करायेंगे। क्या आप उनको रोकने के कोई उपाय कर रहे हैं ? क्या आपने कभी उनके आपरेशन करने की सोची है ? राज्य सरकार मूक दर्शक बनकर बैठी हुई है।

मैं स्वास्थ्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा या तो आपने विभाग में आप तल्लीनता से कार्य करें। अपने विभाग की कार्य शैली को सुधारें, अन्यथा आपका परिवार नियोजन सफल होने वाला नहीं है। यह जनसंख्या का विस्फोट इतनी तेजी से होगा कि आप इस देश को क्या, यह तो विश्व की ही समस्या बनने वाली है और विश्व में नम्बर एक पर हम जाने की हैसियत प्राप्त करने वाले हैं। यह समुदाय के अन्दर जो आप भेद रखते हैं और आपरेशन प्रणाली में जो भेद की प्रक्रिया अपनाते हैं उसी का यह मापदण्ड है।

२०८

(श्री मदन मोहन)

माननीय सभापति महोदया, क्षय रोगों के बारे में जो पिछले 50 वर्ष से एक सौ सत्तर लाख की वृद्धि हुई है, मैं माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इसके लिये आपने यह तो व्यवस्था कर दी। आप 64 हास्पिटल और खोल रहे हैं। उसमें से तपेदिक और कैंसर जैसे रोगों के निराकरण के लिए मैं तो मांग करता हूं आपसे कि प्रत्येक जिले में एक-एक टी. बी. का हास्पिटल होना चाहिये और वहां पर दवायें मुफ्त प्रदान करनी चाहिये। राजस्थान के लोग कैंसर के इलाज के लिये बम्बई, अमरीका और विदेशों में जाते हैं, मैं तो मांग करता हूं सरकार से कि कैंसर के हास्पिटल का निर्माण भी इस राजस्थान में करना चाहिये। राजस्थान की जनता को सुविधायें उपलब्ध करानी चाहिये। माननीय सभापति महोदय, जितने भी सब

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

डिविजन थे, उनके ऊपर राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि प्रत्येक सब डिविजन पर 50 बैड का हास्पिटल खोला जायेगा। लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है। एक साल आपका गुजरने जा रहा है लेकिन आज तक किशनगढ़बास सब डिविजन में 50 बैड का हास्पिटल नहीं खोला और करीब 35 हजार की जनसंख्या खैरथल मंडी के अन्दर है। जहां पर एक सामान्य सब सेण्टर कार्य कर रहा है, न कि कोई हास्पिटल कार्य कर रहा है। जहां पर रेफरल हास्पिटल की स्थापना होनी चाहिये वहां पर भी राजनैतिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर आपने जो असमानता का व्यवहार किया है। इसको भी आपको समाप्त करना होगा।

माननीय सभापति महोदया, माध्यमिक स्तर के अस्पताल हैं उनके सुदृढ़ीकरण और शिक्षण, प्रशिक्षण संस्थाओं के लिये जो इस वर्ष 300 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गयी है उसके लिये भी मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देता हूं। चिकित्सा मंत्रीजी को भी धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री भीमराज भाटी।

श्री मदन मोहन : माननीय सभापति महोदया, 40 नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मातृ शिशु केन्द्र और कल्याण केन्द्र जो खोले गये हैं उनके लिये भी मैं.. (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : मुझे गोपीचन्द की तरह बोलना पड़ेगा।

श्री सभापति : आप गोपीचन्द नहीं हो सकते, आप हरिसिंह जी हैं, बिराजिये।

श्री मदन मोहन : माननीय सभापति महोदय, चालू वर्ष में करीब 73 करोड़ 9 लाख रुपये खर्च किये गये। इस वर्ष में 124 करोड़ 66 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे। यह एक 17 प्रतिशत वृद्धि का कीर्तिमान है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिये जहां इस बार 125 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है, यह भी स्वास्थ्य केन्द्र.... (व्यवधान)

श्री सभापति : कन्क्लूड करिये माननीय सदस्य।

श्री मदन मोहन : आप चालीस मिनट बोलो और दूसरों को सात मिनट भी नहीं बोलने दो।

श्री सभापति : आप सहयोग कीजिये आसन को। माननीय श्री भीमराज जी।

एक माननीय सदस्य : अभी समाप्त थोड़े ही किया है।

श्री सभापति : तो करें ना, किसने मना किया है। उनको पूरा करने दो।

श्री मदन मोहन : तो स्वास्थ्य विभाग ने इस वर्ष भवनों के निर्माण और उप स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण के लिए करीब 55 करोड़ रुपये की जो सहायता प्रदान की है उसके लिए मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, इस वर्ष 89 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे। मैं तो यह चाह रहा हूं कि राज्य सरकार को 189 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना चाहिए और यह संख्या बढ़ायी जानी चाहिए, 10 सामुदायिक विकास केन्द्र खोलने जा रहे हैं, उनकी जगह करीब 100 सामुदायिक विकास केन्द्र खोले जाने चाहिये, 20 जिलों के अन्दर सघन चिकित्सा इकाइयां खोली जानी थीं। मैं तो यह कहता हूं कि पूरे राजस्थान में 31 जिले हैं उन 31 के 31 जिलों में जिला स्तर पर तो कम से कम सघन चिकित्सा इकाइयों की स्थापना की जानी चाहिये। धन्यवाद।

श्री सभापति : बिराजिये। माननीय भीमराज जी।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान चूंकि यह बजट स्वास्थ्य को समर्पित है.... (व्यवधान)

श्री सभापति : आप इधर उधर की बातें नहीं करके अपनी बात कीजिये।

श्री भीमराज भाटी : मेरा भी चंचल मन है इसलिए इधर उधर ध्यान लगा लेता हूं। इस साल का बजट, माननीय सभापति महोदया, स्वास्थ्य को समर्पित है। ठीक ही कहा है Healthy mind lives in healthy body. लेकिन मात्र 124 करोड़ रुपये और कुछ लाख रुपये से स्वास्थ्य की तरफ कितना यह राजस्थान की सरकार ध्यान दे पायेगी यह तो आने वाला वर्ष ही बतायेगा। लेकिन, माननीय सभापति महोदया, मेडिकल एण्ड हैल्थ का वार्षिक विवरण हमको दिया गया है उसे मैं जरा आपको पढ़ कर बताऊं कि शिक्षा चिकित्सा में 1994–95 का बजट एस्टीमेट था 4 करोड़ 78 लाख 64 हजार रुपये और प्लान में एक्सपेण्डीचर कुल हो गया 4 करोड़ 85 लाख लेकिन 1995–96 में आने वाले साल में यह 4 करोड़ 45 लाख उसमें घटा दिया गया है। इसी तरह से, माननीय सभापति महोदया, हम लोग हॉस्पिटल के लिए ट्रेनीज बनाने का गवर्नमेण्ट का जो प्रोग्राम है उसमें जिला प्रशिक्षण में ट्रेनीज के 960 थे लास्ट ईयर के टार्गेट और एचीव किये सिर्फ 210 इसी तरह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में ट्रेनीज की संख्या थी 560 उसमें एक्चुअल एचीव किये 270 और स्वास्थ्य मैनेजमेण्ट का 400 था उसमें एचीव किया 90 और उसका लक्ष्य तो अभी इस साल और घटा दिया। 1995–96 में स्वास्थ्य को समर्पित है लेकिन हैल्थ मैनेज-

(श्री भीमराज भाटी)

मेण्ट के जो लोग हैं उनका टार्गेट 210 कर दिया लास्ट ईयर 400 को था उसके बाद 210 कर दिया। इसी तरह नान स्क्रोटल वेस्क्टोमी के लास्ट ईयर टार्गेट थे 340 उसकी जगह इस साल कर दिये सिर्फ 35 और तो और, माननीय सभापति महोदया, यह बजट स्वास्थ्य को समर्पित तो बताया गया है लेकिन मुझे दुःख है कि बैड्स 1994-95 में किये थे 421 जबकि अगले साल टार्गेट सिर्फ 300 बैड्स का रखा है। इसी तरह से जोधपुर में बैड्स की संख्या एक भी नहीं बढ़ायी जायेगी, अजमेर में एक भी नहीं बढ़ायी जायेगी, बीकानेर अस्पताल में एक भी बैड की संख्या नहीं बढ़ायी जायेगी, उदयपुर में....

(18.25)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

एक भी बैड की संख्या नहीं बढ़ागी जायेगी और तो और अजमेर में हद कर दी, अजमेर में बैड्स की संख्या पिछले साल 1 हजार 26 थी, इस साल उसे भी रिड्यूस करके 895 का टार्गेट रखा गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हमारे डाक्टर्स भाई हैं, उनकी हालत यह है, आज मेडिकल कालेज में छह प्रिंसिपल हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह तीन डायरेक्टर स्वास्थ्य और चिकित्सा के, एक मोबाइल सर्जिकल के हैं, एक ई. एस. आई. के हैं, इसी तरह अस्पताल जयपुर में अधीक्षक चार, जोधपुर में दो, बीकानेर में एक, कोटा में एक, अजमेर में दो, इस तरह कुल 21 पोस्टें हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की इस सरकार में इन पोस्टों में से एक पर भी शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स का कोई आदमी नहीं है। आज गांवों में हालत यह है कि दूर-दूर तक पी.एस.सी. नहीं है, कम से कम मेरे विधान सभा क्षेत्र में 99 गांव ऐसे हैं जिनमें प्राथमिक चिकित्सा सेवा की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। हालत यह होती है कि गांव में लोग बीमार रहते हैं, 5–5, 6-6 दिन तक वह सहन करते हैं फिर उनको ट्रेक्टर में डाल कर गांव से शहर में लाते हैं। शहर की हालत यह है कि शहर में डाक्टरों के घर जाना पड़ता है, शहर में सरकारी अस्पतालों में सरकारी डाक्टर मिलता नहीं है उनको घर जाकर अपना इलाज करवाना पड़ता है और घर जाते हैं तो उन ग्रामीणों की लू उतारते हैं। आज की तारीख में राजस्थान के अस्पतालों की हालत यह है कि कई डाक्टर्स जिनके पोलिटिकल कनेकशन्स हैं, जिन्होंने अपने पोलिटिकल गाड फादर्स पाल रखे हैं वे 15–15, 20–20 साल से एक ही जगह पर कायम हैं। ऐसी हालत है। माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी हमारे यहां पधारे थे इन्होंने इनकी पार्टी के लोगों को समझाया कि भाई अच्छे नहीं हैं कम्पाउण्डर, अच्छे नहीं है यह आदमी तो क्यूं आप लोग इनकी पैरवी करते हो ? लेकिन पोलिटिकल प्रेसर से, ऐसे खराब से खराब लोग, ऐसे गड़बड़ से गड़बड़ कम्पाउण्डर, गड़बड़ से गड़बड़ डाक्टर वहां पर कायम हैं। यह गलत बात है। आप राजस्थान की जनता के साथ खिलवाड़ करते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय संक्षिप्त करें।

श्री मोमराज भाटी : यह ठीक बात नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण विषय है। महत्वपूर्ण सेवाओं में लगे हुए राजस्थान सरकार के कर्मचारी चाहे वे डाक्टर हों, चाहे वे कम्पाउण्डर हों, चाहे दूसरे मेल नर्सिंग स्टाफ हों, चाहे लेडीज नर्सिंग स्टाफ हो इन लोगों का व्यवहार बड़ा विनम्र रहना चाहिये। लेकिन मुझे दुःख है राजस्थान सरकार के जो चिकित्सा विभाग के कर्मचारी हैं, अस्पताल में आज रोटी की, खिचड़ी की और दूध की हालत की तो क्या बात करूं उसका स्तर इतना गिरा हुआ है कि रोटी को, मैं हकीकत में कहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी कुत्ते को डालेंगे तो वह भी नहीं खायेगा लेकिन वैसी रोटी को भी, वैसी खराब खिचड़ी को भी जिसमें कंकर आना आम बात है, दूध में अंगुली डालिये पानी जैसा लगेगा, इतना स्तर गिरा हुआ है, गन्दे से गन्दे खाने को भी, बेकार से बेकार चीज को भी वे कर्मचारी जब उन मरीजों को देते हैं तो वह इस तरह से देते हैं कि कोई भिखारियों को भी उस तरह नहीं देता। और अगर किसी तरह की दवा लेने से भूख भी बढ़ती है, कई तरह की दवा होती है, कई बीमारियों में भूख भी बढ़ती है और जब मरीज कुछ एक्स्ट्रा दूध या एक्स्ट्रा खिचड़ी या एक्स्ट्रा रोटी के लिए मांग करता है तो वह भी नहीं दी जाती है। अस्पतालों की हालत यह है।

एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि अस्पतालों की दवाइयां सी. एम. एच. ओ. खरीदता है। मैं कहता हूं कि सी. एम. एच. ओ. या जो भी दवाओं की, पर्चेजिग करते हैं वहां कभी भी स्टेण्डर्ड दवाइयों की पर्चेजिंग नहीं होती। लोकल से लोकल और बेकार से बेकार दवाइयां जिसमें ज्यादा से ज्यादा कमीशन मिलता है उन दवाइयों की पर्चेजिंग होती है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि अच्छी स्टेण्डर्ड की जो रेपुटेड कम्पनीज हों उनकी दवाइयों को आप प्राथमिकता दें और उनकी दवाइयों को अस्पताल में खरीदें क्योंकि इसमें आपके स्वास्थ्य का सवाल है।

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने दवाइयां दुगुनी कर दीं लेकिन दवाइयां तो देते ही हैं, खाना तो देते ही हैं, अमीर आदमी तो सुबह नाश्ते में फ्रूट खा सकता है, ज्यूस भी ले सकता है लेकिन यह राजस्थान की कल्याणकारी सरकार है उस कल्याणकारी सरकार ने यह बजट स्वास्थ्य को समर्पित किया है। तो मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि स्वास्थ्य मंत्रीजी और राजस्थान की सरकार उन गरीबों को, गरीब तो बीमारी में ही फल के दर्शन कर सकता है, गरीब तो बीमारी के समय में ही फल की बात दिमाग में सोच सकता है। तो मेरा आपसे यह अनुरोध है कि अस्पताल में मरीजों को दवाइयों के साथ-साथ फल भी प्रोवाइड कराने के लिए बजट में कोई न कोई प्रावधान करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अस्पतालों की हालत यह है कि गांव के अस्पतालों में जैसे किसी के दरवाजे नहीं हैं, किसी की खिड़की टूटी हुई है....

श्री अध्यक्ष : माननीय, दो मिनट में आप समाप्त करें।

श्री भीमराज भाटी : मैं समाप्त कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी की खिड़की टूटी हुई है लेकिन मैं आपको पाली शहर के अस्पताल की हालत बताता हूं, पाली शहर के अस्पताल में मेटरनिटी वार्ड बना हुआ है, मेटरनिटी होस्पिटल बना हुआ है। हम लोगों ने रोटरी क्लब से 10–15 लाख रुपया खर्च करके उस जमाने में मेटरनिटी अस्पताल बनाया था उस मेटरनिटी अस्पताल के आस-पास ऐसी गन्दगी है, इतना इनहाइजिनिक वहां पर वातावरण बना हुआ हैं कि उससे नवजात शिशु के स्वास्थ्य पर बहुत फर्क पड़ता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अस्पतालों में जो भी इक्विपमेंट्स है वह इक्विपमेंट्स अप टू डेट रहने चाहिये। आप कैपिटल इक्विपमेंट खरीदने के लिए बजट में प्रावधान करवाइये। कम से कम अगर गांव की जो स्वास्थ्य सेवायें हैं उसमें आप सुधार करेंगे तो जो जिला हैड क्वार्टर के अस्पताल हैं उन पर दबाव कम पड़ेगा, जिला स्तर पर जो अस्पताल हैं उनमें अगर स्वास्थ्य सेवा में सुधार करेंगे तो यहां बड़े-बड़े शहरों के अस्पतालों के अन्दर मरीजों का दबाव कम पड़ेगा। तो जो भी आपके पास अवेलेबल इक्विपमेण्ट्स हैं, कैपिटल इक्विपमेण्ट्स के लिए तो आप अलग फण्ड प्रोवाइड कीजिये लेकिन जो इक्विपमेण्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं, एक्सरे मशीन होती है तो एक्सरे प्लेट नहीं है, एक्सरे प्लेट है तो मशीन ठीक नहीं है। एक्सरे मशीन और एक्सरे प्लेट ठीक है तो बिजली का फ्यूज उड़ा देते हैं, इस तरह से लेबोरेट्री टेस्टिंग वाले और एक्सरे वाले हैं, वे लोग भी बाहर के लोगों से मिले हुए रहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा पिछले साल मलेरिया से जो मौतें हुईं, मैं चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा, मैंने एक हजार मौतों का स्टेटमेंट दिया था। एक हजार आदमियों की पूरी लिस्ट, पिता के नाम सहित और उम्र सहित लिख कर दी थी। उसका नतीजा यह हुआ कि उन्होंने इस साल पाली जिले को उस क्रेश प्रोग्राम में लिया उसके लिए चिकित्सा मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही निवेदन करते हुए मुझे दुःख है कि आपने क्रेश प्रोग्राम में तो ले लिया लेकिन अभी तक कोई मलेरिया की टीमें जो तीन-तीन, चार-चार दिन से गांवों में जानी चाहिए वह अभी तक, मैं इस सोमवार को आया हूं, शनिवार, रविवार और सोमवार को, तीन दिन में कोई 20 गांवों में घूमा हूं, उन 20 जगहों के किसी भी गांव में मलेरिया की आपकी कोई टीम नहीं पहुंची है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

श्री भीमराज भाटी : एक छोटा-सा सजेशन देना चाहता हूं। पाली क्षेत्र में आपने जो पी.एच.सी. खोले हैं वहां दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। मेरा आपने यह निवेदन है कि ग्रामीण क्षेत्र में दवाइयों की दुकान खोलने के लिए आपने जो मापदण्ड हैं उसमें थोड़ा रिलेक्शेसन करके, ताकि लोग जो अनएजुकेटेड बैठे हैं गांवों में, तो वह रिलेक्शेसन आप उसमें करें।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप ।

श्री भीमराज भाटी : उन अनएम्प्लॉयड बच्चों को भी जो ग्रेज्युएट हैं, वे ग्रेज्युएट गांवों में दवाइयों की दुकान खोल सकेंगे, उस क्षेत्र में दवाइयों की दुकान खोलने से दवाइयां भी उपलब्ध हो सकेंगी और बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा ।

श्री अध्यक्ष : माननीय बिराजें ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज स्वास्थ्य और चिकित्सा के बारे में चर्चा हो रही है, उसमें मैं भी कुछ अपने विचार प्रकट करना चाहती हूं । इससे पहले मैं एक निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे पहले जो माननीय सदस्या बोल रही थीं, उन्होंने कहा कि इस साल बहुत बजट बढ़ाया है । स्वास्थ्य सेवाओं के लिए....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : बीच में न बोलें, माननीय सदस्या को बोलने दें ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : और कांग्रेस राज में कुछ भी नहीं हुआ इसलिए मैं उनको निवेदन करना चाहती हूं कि आज जो मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें कोटा को छोड़ कर सारे कॉलेज कांग्रेस राज में ही बने थे । जिनके डाक्टर आज देश में ही नहीं विदेशों में भी नाम कर रहे हैं और आपके ही मुख्य मंत्रीजी ने कहा था वह डाक्टर, जब वह अमेरिका गये तो उनको देखकर इतनी खुशी हुई कि सब बड़े-बड़े डाक्टर राजस्थान से गये और इन्हीं मेडिकल कॉलेज से पढ़ करके गये हैं । आयुर्वेदिक शोध संस्थान कांग्रेस राज में बना, होम्योपैथी अस्पताल कांग्रेस राज में बने, चाहे वे एडेड ही हैं लेकिन वह कांग्रेस राज की देन हैं । मलेरिया उन्मूलन कांग्रेस राज में हुआ, आपके आने के बाद दोबारा आ गया वह अलग बात है....(व्यवधान)....हमारे राज में मलेरिया उन्मूलन भी हुआ.... (व्यवधान) ...लेकर नहीं आये, अब शुरू हो गया, मैं ऐसा नहीं कहती लेकिन अब फिर शुरू हो गया । लेकिन एक बार मलेरिया उन्मूलन कांग्रेस राज में हो गया था.... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : माननीय बोलने दें ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अभी बोलने दें, आप फिर बोल लीजिएगा, एक मिनट माननीय सदस्य बता रहे थे कि इस बजट में, अभी जो पिछला बजट था 73 करोड़ 9 लाख रुपये, जिसको बढ़ाकर 124 करोड़ 66 लाख रुपये किया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहती हूं कि इसी बजट की पुस्तिका में आगे लिखा है कि इस बजट में 57 करोड़ रुपये स्वास्थ्य केन्द्रों के और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण में खर्च किए जायेंगे । इसका अर्थ यह हुआ कि स्वास्थ्य सेवाओं पर पिछले साल जो बजट दिया गया था उसमें 6 करोड़ रुपये और कम हो गये । मतलब भवनों में ही लग जायेंगे तो स्वास्थ्य सेवाओं को जो कहा गया है हम बहुत बढ़ायेंगे तो उसमें यह 6 करोड़ रुपये की कमी होगी । मेरा निवेदन है, खैर मैंने तो आपको बताया कि कुछ सदस्य कह रहे थे इसलिए मैंने यहां इस बात को बीच में कहना जरूरी समझा, वैसे मेरा इरादा नहीं था । लेकिन आपने कहा कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया इसलिए मैंने यह कहा ।

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

मैं आगे आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आप नये प्राथमिक केन्द्र खोलेंगे, अस्पताल में नये-नये उपकरण बनायेंगे, उपकरण खरीदेंगे यह भी सब बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ-साथ यह भी बहुत जरूरी है जैसा कि अभी दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा कि इन उपकरणों की देखभाल ठीक चल रही है कि नहीं, उसे भी आप देखें। बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि करोड़ों रुपये उपकरणों और मशीनों पर खर्च किये जाते हैं और बड़े-बड़े अस्पतालों में आधे समय तो मशीनें खराब पड़ी रहती हैं, आधे समय में उनमें मैकेनिक, काम करने वाला नहीं मिलता है। उसके बाद में 6–6 महीने तक ठीक करने वाला नहीं आता है तो इस तरह की जो व्यवस्था है उसको स्वास्थ्य मंत्रीजी सुधारेंगे। जो पैसा स्वास्थ्य पर खर्च हो रहा है उसका लाभ लोगों को मिल सकेगा। आज यह स्थिति है कि डाक्टर लोग बड़ी-बड़ी जांचें गरीब लोगों को लिख देते हैं। अस्पताल में बहुत कम जांच होती है, उन केन्द्रों पर जिनसे डाक्टर बंधे हुए हैं, जाकर जांच करानी पड़ती है और वह पैसा जो अपनी दवाइयों के लिए घर से लेकर आते हैं वह जांचों पर ही खर्च हो जाता है और बेचारे फिर दवाइयों के लिए भी तड़फते रह जाते हैं। तो मेरा निवेदन है कि जो जांच के लिए मशीनरी और उपकरण लाये गये हैं अगर वे 10 दिन से 15 दिन से ज्यादा समय से खराब रहे तो वह डाक्टर जो उसके ईचार्ज हैं उनको जिम्मेदारी उसके लिए सौंपनी चाहिये कि क्यों खराब रही, कैसे क्यों ठीक नहीं की गयी? इस तरह से आप अगर उनको जिम्मेदारी देंगे तो आपके ये उपकरण काम आयेंगे। जिन के लिए आप इतना रुपया खर्च कर रहे हैं।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि डाक्टर साहिबान जो अस्पताल में हैं उनको जो मरीज घर पर जाकर दिखा देते हैं, उनकी भर्ती हो जाती है, उनको अच्छी तरह से इलाज मिलता है, बाकी लोग लाइन में लगे घूमते हैं, उनकी न भर्ती होती है और सीरियस से सीरियस पेशेण्ट को भी वहां से भगा दिया जाता है। कई बार ऐसी स्थिति आयी है। अभी इमरजेंसी का जिक्र कर रहे थे। बिलकुल सत्य बात है, होने वाली होगी, आप बहुत अच्छी इमरजेंसी की सेवाएं बढ़ाने जा रहे हैं। पर मैं अभी की स्थिति बताती हूं। आज से तीन महीने पहले मेरे भाई और भतीजी का एक्सीडेंट हुआ। उस दिन इतनी बुरी हालत थी कि दोनों को कोटपूतली अस्पताल से लाया गया। मैं अस्पताल में खड़ी थी। वहां पर तो वार्ड बॉय ही आपने नियुक्त कर रखे हैं इमरजेंसी में उनमें से एक वार्ड बॉय गायब था इसलिए कोई ट्रोली खींचने वाला नहीं था। स्वास्थ्य मंत्रीजी के यहां मैंने टेलीफोन किया। मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूं, इनके न होते हुए भी इनके सेक्रेटरी साहब ने मेरी मदद की, फोन किया, कहीं से स्पेशल वार्ड बॉय का इन्तजाम किया और मेरे भाई, भतीजी का इलाज भी ठीक हुआ। इसमें कोई शक नहीं है कि वहां डाक्टर्स ने पूरा ध्यान देकर उनका इलाज किया....

श्री अध्यक्ष : माननीया दो मिनट में समाप्त करें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : देखिये, ऐसा है आप मुझे पांच मिनट तो देंगे । पहले यहां 20-20 मिनट तक बोले तब भी नहीं रोका, क्या मुझे पांच मिनट का भी समय नहीं दिया जायेगा । यह तो मेरे साथ इनजस्टिस है मेरे साथ जस्टिस किया जाना चाहिए । मैंने अभी शुरूआत की है, आप मुझे बोलने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : अभी तो पूरी नहीं की है 7 मिनट तो ले ही लिये हैं ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : चलिये मुझे पांच मिनट और दे दीजियेगा ।

श्री अध्यक्ष : आप बोलें ...(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अच्छा क्योंकि आप मुझे नहीं चाहते कि मैं ज्यादा देर तक बोलूं तो मैं शोर्ट करके... (व्यवधान)... मानसरोवर पर बाद में बोलूंगी। मेरा एक निवेदन यह है कि मेरे दो-तीन सजेशन हैं । एक, जैसे आपने बताया था इमरजेंसी की और मानसिंह अस्पताल के बारे में भी एक छोटा-सा निवेदन करना चाहती थी । जयपुर की माननीया सदस्या ने कहा था कि सवाई मानसिंह अस्पताल को चंडीगढ़ और उनकी तरह से बनाया जाये । इससे मैं भी सहमत हूं लेकिन उसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि जैसे अभी कह रहे थे कि मानसरोवर, तो इस तरह की यहां पर जो भी कालोनियां हैं, उनमें जब तक जिला अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की तरह के नहीं बनेंगे तब तक आप मानसिंह अस्पताल को अगर आप रिसर्च सेंटर बना देंगे तो गरीब कहां जायेगा ? जो सीरियस होकर आता है इसलिए पहले उनके लिए अस्पतालों का इन्तजाम हो जाये तभी आप मानसिंह अस्पताल को ऐसा अस्पताल बना सकते हैं । मैं गांव के बारे कहना चाह रही थी कि गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जो बनाये हैं उनमें डाक्टर रहते भी नहीं, जाते भी नहीं हैं और कोई न कोई सिफारिश करके वे शहरों में ही बैठे रहते हैं । जो उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं उनमें भी यही हालत है कि मिडवाइफ को, नर्सेज को और ए.एन.एम. को जो नियुक्त किया जाता है वह वहां पर नहीं जाती है, तनख्वाह उठाती रहती हैं और किसी न किसी की सिफारिश कराती रहती हैं । मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि जो महिलाओं की मृत्यु होती है वह ज्यादातर बच्चे होने में होती है । इसलिए मिडवाइफस को जो केन्द्र बने हुए हैं इनमें किसी भी कीमत पर रहनी चाहिएं और हर पंचायत पर आपको यह उप-स्वास्थ्य केन्द्र बनाने चाहिए ।

दूसरा, मेरा सुझाव यह है कि गरीबी की रेखा से नीचे के जो लोग हैं उनकी जांच के लिये, उनके इलाज के लिये, उनकी दवाइयों के लिये चाहे सरकार को कितना भी पैसा खर्च करना पड़े उनके लिये जितना खाना, कपड़ा पहनना जरूरी है उतना ही जरूरी बीमारी में इलाज का भी है । इसलिये मेरा निवेदन यह है कि जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे चयनित लोग हैं उनके लिये दवाइयों की और जांच का खर्चा सरकार वहन करे । अगर आपके यहां उपकरण खराब हैं तो चाहे अस्पताल वाले उसका पे करें लेकिन उनकी जांच आपको मुफ्त करानी पड़ेगी तभी गरीबों का भला होगा, गांव वालों का भला होगा ।

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

मैं आपसे यह निवेदन कर रही थी कि आयुर्वेद के बारे में बोला गया है। आयुर्वेद का जो संस्थान शोध कर रहा है वही बन्द पड़ा है लेकिन उसके बारे में जैसा कि यहां पर एक माननीय सदस्या कह रही थीं कि यह बात सही है कि आज विदेशों में भी इसका महत्व समझा जाने लगा है, क्योंकि कुछ दवाइयां जैसे कैंसर के बारे में एक दवा है जिसके बारे में बाहर विदेशों में रिसर्च हो रहा है वह भी आयुर्वेद की दवाई है। इसी तरह ईसबगोल है। इसका भी विदेशों में बहुत महत्व हो रहा है....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : ... आज बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं आयुर्वेद की इसलिए मैं आपसे यह निवेदन कर रही हूं कि यह जो दवाइयां हैं उनके ऊपर शोध केन्द्र आपको और खोलने चाहिए। उसमें ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए, क्योंकि गांव के लोगों को सस्ती दवाइयां आयुर्वेद या होम्योपैथी में ही मिल सकती हैं। होम्योपैथी कालेज के बारे में और होम्योपैथी के बारे में मुझे यह कहना है कि जो भी प्राइवेट कालेजेज चलते हैं, क्यों नहीं सरकारी स्तर पर होम्योपैथी कालेज चलाया जाता है? कौनसा ऐसा दबाव है कि होम्योपैथी कालेज सरकारी स्तर पर नहीं हो सकता। उसमें मनमाने तरीके से इम्तिहान होते हैं, मनमाने तरीके से जब चाहें क्लासेज चलायी जाती हैं, मनमाने तरीके से छात्रों को पास किया जाता है। तो क्यों नहीं होम्योपैथी का सरकारी कालेज चलाया जाता?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप....

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : .. तो मैं यह कह रही थी कि होम्योपैथी को भी महत्व दिया जाना चाहिए जितना कि आप एलोपैथी को दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे और बोलने देते तो अच्छा रहता। धन्यवाद।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं तो राजेन्द्र जी राठौड़ को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 24 मार्च, 1994 को इस सदन में जो घोषणायें की थीं उन घोषणाओं की उन्होंने क्रियान्विति ही नहीं की बल्कि जितने अस्पताल थे, जितने मेडिकल कालेजेज थे उनमें सुधार की तरफ भी ये आगे बढ़े हैं। इन्होंने जिस तरह की जन समितियों बनाने के लिए कहा, इन्होंने कमेटीज बनायीं और मेरा अपने उदयपुर का अनुभव मैं बताऊं कि हम लोगों ने जिस तरह से वास्तव में काम करना शुरू किया, हमारे जो सम्भागीय आयुक्त हैं उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनायी और अस्पताल और मेडिकल कालेजेज के बारे में वह एक-एक समस्या के बारे में वहां के अधिकारियों के साथ बैठकर चर्चा करते हैं....

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सदस्य खड़े होकर बोलें....

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी लम्बाई आपको मिल गयी इसलिए भगवान को धन्यवाद दें आप। मैं तो जल नहीं रहा हूं आपसे....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बोलने दें।

श्री राजेन्द्र पारीक : हमारे माननीय सदस्य की लम्बाई बढ़े। रोज रोज यह उलाहना और वह भी उस स्थिति में जब कि माननीय अध्यक्ष उनके रीजन के हैं उसके बावजूद माननीय सदस्य को बार बार सुनना पड़ता है। कोई दवा का इन्तजाम करें जिससे माननीय सदस्य की लम्बाई बढ़े।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय अध्यक्ष जी और शिवकिशोर जी सनाढ्य की लम्बाई में कोई ज्यादा फर्क नहीं है।

श्री अध्यक्ष : दोनों ही छोटे कद के हैं। सीकर के होते तो शायद लम्बे होते। बिराजें आप।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मंत्री जी अपने जवाब में यह भी बताने की कृपा करें कि लम्बाई कैसे बढ़ सकती है?

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन कर रहा था कि यह समितियां बना करके बहुत अच्छा किया है लेकिन इनको कुछ अधिकार भी दिये जाने चाहिएं। इनको अधिकार नहीं हैं। अगर इनको कुछ अधिकार दिये जाते तो निश्चित रूप से यह सफल प्रयोग होता और प्रत्येक हास्पिटल और यदि गांवों तक जहां चिकित्सालय हैं वहां पर छोटी-छोटी समितियां बनाकर उनको कुछ अधिकार दिये गये तो निश्चित रूप से उसमें काफी सफलता मिलेगी। लेकिन एक प्रयोग जो आपने किया है कि ठेका सफाई का दिया है यह बड़े बड़े हास्पिटल में जो सफाई का अपना एक तरीका है, हास्पिटल की अपनी एक विशेषता है वार्ड्स की सफाई की और वहां के रखरखाव की और इनमें जो वहां के लोग दक्ष हैं और जो टेम्परेरी लोग आते हैं वह दक्ष नहीं हैं और जिस तरह से हास्पिटल की सफाई चाहे वह सफाई नहीं हो पाती हो तो कृपा कर इसके ऊपर पुनर्विचार करें आप और हास्पिटल में सफाई करने वाले लोग परमानेन्ट रखे जायें तो ज्यादा उचित होगा।

मैं इसके साथ साथ यह भी यहां पर निवेदन करना चाहता हूं कि जो मेडिकल कालेजेज् हैं, हमारे यहां के मेडिकल कालेज का मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूं। यह जो आपने आंकड़े दिये हैं, जो भाटी साहब कह रहे थे कि कुछ आंकड़े किस तरीके से है। मैंने इन आंकड़ों को मेरे मेडिकल कालेज से मिलाया है और मैंने देखा कि सचमुच में अन्तर है। या तो यह छपने में त्रुटि रह गयी है या इनके कम्पाइलेशन में कहीं न कहीं कमी है। रोगी संख्या जैसे हमारे यहां पर है 1420 और इसमें आपने 1100 और कुछ ही बता रखी है। यह आंकड़े मैं वहां से लेकर आया हूं, इसलिए निवेदन कर रहा हूं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं कि जिस तरीके से आपने अजमेर में कार्डियोलाजी डिपार्टमेन्ट खोला है, माननीय श्री ललितकिशोर जी चतुर्वेदी जिस समय चिकित्सा मंत्री थे उस समय उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे डिपार्टमेन्ट्स हैं जो प्रत्येक मेडिकल कालेज में जो स्पेशलाइजेशन है वह केवल एस.एम.एस. कालेज में ही है और जयपुर में ही हो। यह आवश्यक नहीं है लेकिन यूरोलाजी है, कार्डि-

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

योलाजी है यह कुछ ऐसे विभाग हैं, मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं....

श्री विष्णु मोदी : मान्यवर, उनके मंत्रित्व काल में जितना भट्टा इस डिपार्टमेन्ट का बैठा था उतना किसी का नहीं बैठा....

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : लेकिन जो उन्होंने कहा था मैं वही बता रहा हूं और उसी के आधार पर आगे की बात कर रहा हूं।

श्री परसादीलाल मीणा : उन्होंने तो भट्टा ही बैठा दिया था इस डिपार्टमेन्ट का। लेकिन अब ठीक हो गया।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : परसादी लाल जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद आपने ठीक मान लिया।

मैं निवेदन कर रहा था कि डाइलेसिस की इकाई जैसे हमारे यहां लगी पहले सारे लोग गुजरात की तरफ जाते थे....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बीच में टोकाटाकी नहीं करें समय जाया होता है और कम से कम 50 माननीय सदस्यों के नाम अब हैं।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : डाक्टर मुकेश बड़जात्या वहां पर हैं। डाइलेसिस में 528 केसेज में से 189 तो निःशुल्क और सशुल्क 139 हैं। यह डाइलेसिस वहां पर होने लगी तो लोगों का गुजरात जाना बन्द हो गया। न्यूरोलाजी डिपार्टमेन्ट में आप देखें कि वहां जितने भी केसेज आ रहे हैं न्यूरोलाजी में हमारे यहां जो ए.एस. एफ.ई. वहां काम कर रही है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको कि मेरी लम्बे समय तक डिमाण्ड रही कि हमारे यहां पर न्यूरोसर्जन नहीं था। न्यूरोसर्जन के रूप में आपने डा. तरुण गुप्ता को लगाया है। मैं आंकड़े लाया हूं वहां से कि एक्सीडेन्ट के 60 केसेज हमारे यहां हास्पिटल में आये डा. तरुण गुप्ता ने उनके आपरेशंस किये और 60 में से 50 पेशेन्ट्स जीवित बच गये जब कि पहले सेन्ट परसेन्ट लोगों की डेथ होती थी तो यह न्यूरोलाजी का डिपार्टमेन्ट खोलकर, आपने बहुत अच्छा काम किया।

मैं इसके साथ ही आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगों का स्पेशलाइजेशन है जैसे हमारे यहां पर एनेस्थीसिस्ट की पोस्टें खाली हैं और छोटे छोटे स्थानों पर जहां एनेस्थेसिया के डाक्टर्स आपने लगा रखे हैं जहां साल में केवल एक आध बार ही आपरेशन होता है अगर ऐसे डाक्टर्स को किसी बड़ी जगह पर जैसे हमारे यहां पर जो अस्थी डिपार्टमेंट है वहां आपरेशन हफ्ते में केवल तीन बार हो सकते हैं लेकिन अगर एनेस्थेसिया के डाक्टर हमारे यहां पर होते हमारे यहां यह 6 दिन अस्पताल चल सकता है, आपरेशन थियेटर चल सकता है और अस्थी रोग के पेशन्टस को उसकी इन्तजार नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं आपसे यह भी आग्रह करूंगा कि जिन लोगों को स्पेशलाइजेशन है उन्हें ऐसे स्थान पर लगायें जहां काम बहुत अधिक है।

आज रेजीडेंट डाक्टर्स के ऊपर अस्पताल चल रहे हैं रेजीडेंट डाक्टर्स जब कभी चाहते हैं हड़ताल कर देते हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय दो मिनट में समाप्त करें ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : तो जो लोग हैं, जो कनिष्ठ विशेषज्ञ हैं, जो मेडिकल कालेज है, जो बड़े अस्पताल है, जहां पर रेजीडेंट डाक्टर्स के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, आप कुछ कनिष्ठ विशेषज्ञों की पोस्ट्स बढ़ाइयेगा । आप उसमें कुछ वरिष्ठ चिकित्सकों की पोस्ट्स बढ़ाइयेगा ताकि जब कभी भी आवश्यकता हो तब उनसे काम लिया जा सके । मैं बहुत समय नहीं लेना चाहता, मैं तो मेरी बात को समाप्त कर रहा हूं लेकिन आपकी जो शल्य चिकित्सा इकाई ने बहुत अच्छा काम किया है और खास करके जो ट्राइबल बैल्ट है जो गरीब लोग है वहां पर वरिष्ठ से वरिष्ठ चिकित्सकों के स्पेशलाइजेशन उन लोगों को मिल पाता है तो इनकी संख्या आप अधिक बढ़ाएं क्योंकि इसमें जन सहयोग भी बहुत रहता है । जिस क्षेत्र में भी यह कैम्प लगते हैं उन कैम्पों में जन सहयोग रहता हैं । इसकी संख्या अगर आप बढ़ायेंगे तो जो आपका भाव है गरीब और गांव और वह जो बनवासी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनके घर तक यह चिकित्सा पहुंच सकेगी और सब तरह के साधन उनको उपलब्ध हो सकेंगे....

श्री अध्यक्ष : श्री बनवारी लाल जी शर्मा ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : आपने दो मिनट के लिए कहा था न ? तो दो मिनट तो पूरे कर लेने दो आप । आयुर्वेद पर केवल एक बात मैं कहना चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माननीय सदस्य की बाबत ही कहना चाहता हूं । सदन में काफी विचार हुआ कि आपकी छोटी हैं....

एक माननीय सदस्य : क्या छोटी है ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, अगर कोई लड़की सलवार सूट पहन ले तो इतनी लम्बी नहीं लगेगी जितनी कि वह साड़ी पहन लेगी तो लगेगी । मेरा आपसे निवेदन है कि आप नेकर पहनना छोड़ करके पेन्ट पहनना चालू कर दो तो आप लम्बे लगोगे ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपने नीचे देखा क्या ?

श्री अध्यक्ष : विराजें ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : बोन ट्रांस प्लांट होता है, यह सुविधा यहां एस.एम. एस. में हो जाये तो लम्बे भी हो सकते हैं....

श्री अध्यक्ष : विराजिए । माननीय सदस्य :

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आज हां पक्ष में नेकर और धोती की लड़ाई जारी है, अध्यक्ष महोदय, आज आपको इस बात का फैसला करना होगा कि आया इस जमाने में नेकर रेलेवेंट है या नहीं ।

श्री अध्यक्ष : विराजिए, सब रेलेवेंट है, विराजिए । आप जब घूमने जाते हैं तो आप भी पहनते हैं ।

श्री बनवारी लाल शर्मा : लेकिन खाकी नहीं पहनते हैं ।

श्री अध्यक्ष : कैसी भी पहने आप।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे यहां पर 5 आयुर्वेद के कालेज हैं उसमें से राजकीय क्षेत्र में हमारे यहां उदयपुर वाला और यहां राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर। उदयपुर आयुर्वेदिक कालेज में स्नातकोत्तर की संख्या 15 है लेकिन पी.एच.डी. करने के लिए भी डाक्टर्स वहां पर आते है। यह सुविधा वहां पर प्राप्त है। यदि अनुसंधान के लिए इसमें प्रोविजन किया जावे और पी.एच.डी करने के लिए यदि संख्या बढ़ायी जाये तो निश्चित रूप से आयुर्वेद का इससे विकास होगा। मैं इसी के साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी जो रसायन शालाएं हैं उनकी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता है और वह इसलिए नहीं हो पाता है कि हमारे यहां पर जो कानून बने हुए हैं जो परचेजिंग के पावर्स हैं, पिछली बार भी यह सुझाव दिया गया था कि इनका सरलीकरण होना चाहिए। यदि उनके पास कच्चा माल ही नहीं होगा तो वह बनाऐंगे क्या? क्योंकि हमारे यहां आयुर्वेद में यह प्रबन्ध है कि सीधी दवाइयां वहां से बनके फ्री रूप में जाती हैं। इस बार आगरा की एक कम्पनी से वह दवाइयां खरीदी गयी उनमें कई तरह की शंकाएं उत्पन्न की गयीं....

श्री अध्यक्ष : बिराजिए। श्री बनवारी लाल जी शर्मा।

एक माननीय सदस्य : बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : जो बोलते हैं सब महत्वपूर्ण है, बिराजें आप।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : इसलिए रसायनशालाओं का आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा की मांग पर आज बहस हो रही है और काफी सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं मेरा इस सम्बन्ध में एक ही निवेदन है कि सिरोही से आने वाली माननीय सदस्या ने बहुत कुछ तारीफ की कि हमने बहुत कुछ बजट बढ़ाया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उन्होंने पिछले वर्ष की बजाय इस वर्ष बजट बढ़ाया है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि यह वर्ष चिकित्सा के लिए समर्पित है। मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है कि जिस प्रकार से बढ़ा चढ़ा करके बात कही गयी है और समर्पित बजट बताया है इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। 1995–96 में इस समर्पित बजट में जहां आपने 89 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले है, 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले हैं वहां कांग्रेस गवर्नमेंट ने 88–89 में 300 पी.एच.सी. खोले थे 50 रैफरल अस्पताल खोले थे जब आप समर्पित बजट बता रहे है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जब आप बोलें तो बता देना, बीच में न बोलें। बोलने दें उन्हें।

श्री बनवारी लाल शर्मा : 1988-89 में 571 एड पोस्ट खोली थीं। तो मेरा यह निवेदन है ऐसी बात नहीं है, यह प्रयास है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले आपने 45 मिनट भाषण दिया, आप थके नहीं क्या अभी बोलने दीजिए इन्हें।

श्री बनवारीलाल शर्मा : तो मेरा यह निवेदन है, ठीक है इसमें कोई सन्देह नहीं और खास तौर से चाहे वह कांग्रेस गवर्नमेंट के हों, चाहे वह बी.जे.पी. गवर्नमेंट के हों हम सब का उद्देश्य यह है कि राजस्थान की जनता को मेडिकल पाइंट ऑफ व्यू से ज्यादा से ज्यादा सुविधा दे सकें और चिकित्सा मंत्री को या चिकित्सा विभाग को ऐसे कुछ सुझाव दे सकें, जिनसे कि जनता को लाभ मिल सके। उसी संबंध में मंत्री महोदय से मेरा यह निवेदन है जो पोस्टें खाली हैं चाहे वह स्पेशलिस्ट की हैं चाहे वह वरिष्ठ विशेषज्ञ की हैं उनके क्या कारण हैं एक तो आपके प्रशासनिक कारण है कि आपने डी.पी.सी. नहीं की। मान कर चलिए कि धौलपुर अस्पताल है उसमें दो दो तीन तीन साल से विशेषज्ञों की पोस्ट्स खाली हैं और कारण बताया गया कि डी.पी.सी. नहीं हुई है। डी.पी.सी. अब हो गयी हैं। जल्दी से पोस्टिंग कर दिया जायेगा। तो मेरा यह निवेदन है कि मेहरबानी करके जो भी विशेषज्ञों की पोस्टें खाली हैं उनको आप भरें। इसके अलावा बहुत से आप जो ट्रांसफर कर देते हैं आपके रिकार्ड में तो वह पोस्ट भरी हुई होती है लेकिन डाक्टर मन चाही जगह पर नहीं पहुंच पाते हैं और छुट्टी लेकर बैठ जाते हैं और वहां की जनता सफर करती है। तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप इसका पता लगाइए कि जहां ट्रांसफर हो जाते हैं, आपके रिकार्ड के हिसाब से तो वह जगह भरी हुई है लेकिन वास्तव में वहां पर डाक्टर कार्यरत नहीं है उनका आप प्रबन्ध करें।

इसके साथ साथ मेरा यह निवेदन है कि प्राइवेट प्रेक्टिस यह समस्या अकेले एक जगह की नहीं पूरे राजस्थान की समस्या है। मुश्किल यह है कि प्राइवेट प्रेक्टिस को लीगली आप बाउंड कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन कम से कम आप यह तो देखिए कि अस्पताल के समय में भी डाक्टर्स के पास कोई मरीज जाता है और उन्होंने अपनी खुद की क्लिनिक खोल रखी है तो उस मरीज को गाइड करते हैं कि आप घर पर आइये। उन्होंने क्लिनिक खोल रखी है चाहे अपनी बीवी के नाम से खोल रखी है चाहे अपने भाई के नाम से खोल रखी है। मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार से जो अव्यवस्था हो रही है और जो डिससेटिसफेक्शन फैल रहा है धौलपुर का ही उदाहरण ले लीजिए। नागरिक मंच के लोग आये थे, राजाखेड़ा चुनाव के वक्त आप पधारे भी थे आपने अस्पताल का विजिट भी किया था। यह सही है आपने प्रयास किया, वहां से कुछ ऐसे डाक्टर्स को हटाया भी लेकिन यह कौम एक ऐसी कौम है जो सब जगह एप्रोच रखती है। बीमार तो आज बी.जे.पी. का कार्यकर्ता भी होता है, बीमार कांग्रेस का भी होता है चाहे किसी भी पार्टी का हो जिस पार्टी की भी सरकार आ जाती है उसी की एप्रोच लगाकर के वह अपनी मनचाही जगह पर पहुंच जाते हैं तो मेरा यह निवेदन है कि आप कम से कम जो डाक्टर्स वहां कार्यरत हैं और जिन्होंने क्लिनिक खोल रखी हैं ऐसे डाक्टर्स के खिलाफ आप कार्यवाही करें या इस प्रकार का कोई ऐसा कानून बनावें।

(श्री बनवारीलाल शर्मा)

तीसरा, आठ-आठ दिन तक डाक्टर्स गांवों में नहीं जाते हैं। जहां डिस्पेन्सरीज हैं वहां आठ-आठ दिन तक जाते नहीं हैं और उन्होंने एक परम्परा बना ली है कि आज जाकर रजिस्टर में, जैसा कायदा बताते हैं कि मरीजों के नाम लिखे जाते हैं, चाहे वे चपरासी से मिले होते हैं, चाहे दूसरे डाक्टर्स से मिले होते हैं। मरीजों के उन्होंने 8 दिन में नाम लिख दिये। आप कम से कम जो नाम उन्होंने लिखे हैं उनका यह तो वैरीफाई करायें कि ये इस नाम के लोग वास्तव में वहां पर आये हैं या नहीं आये। आठ दिन बाद जाकर के उन्होंने भर दिया। इसलिए क्यों नहीं आप इनको चैक करने के लिए सरप्राइज विजिट कराते हैं ? क्यों नहीं आप एक सैल बनाते हैं जो कि वहां डिस्पेन्सरीज में जाकर, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर चैक करें और सरप्राइज विजिट करके देखें कि वास्तव में यह जाते हैं या नहीं जाते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : चैक किससे करवायेंगे ? सब मिले हुए हैं।

श्री बनवारी लाल शर्मा : अब तो यह अपने हिसाब से किसी से करवायें। मिले हुए हैं यह सही बात है। अब मेरे विधान सभा क्षेत्र में चितौरा और बरौदा दो डिस्पेन्सरीज ऐसी हैं कि जहां पर मेरे ख्याल से मुश्किल से महिने में कभी एक डाक्टर पहुंचता होगा या नहीं जाता है। आखिर कारण क्या है ? इसकी आप जांच करायें।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि अस्पताल के खाने के बारे में आपको भी सब जानकारी है। सब जगह अस्पतालों के खाने की स्थिति यह है, चाहे वह दूध का मामला हो, चाहे सब्जी का हो, चाहे दाल का हो, आप लोगों ने जैसा बताया। अभी कमेटी बनाने का निर्णय किया है, हमारे यहां कमेटी तो बनी नहीं है, आप कमेटी बनाकर और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एक्शन भी होना चाहिए। सिर्फ कमेटी बनाने से ही कोई फायदा नहीं होगा। वह कमेटी समय-समय पर वास्तव में जांच करे, खाने का निरीक्षण करे और उसके स्तर को सुधारने की कोशिश करे।

सफाई व्यवस्था के बारे में सब जगह की परेशानी है। आप देख रहे हैं सफाई की। सफाई का यह सही है कि आपने प्राइवेट लोगों को ठेका देने की व्यवस्था की है, अच्छा है कि सफाई हुई लेकिन किसी तरीके से चाहे आप अपने कर्मचारियों के द्वारा, चाहे ठेके के द्वारा किसी प्रकार सफाई की व्यवस्था ठीक करावें।

इसके अलावा मेरा यह निवेदन है कि माननीन मंत्री महोदय जागरूक हैं, प्रयास कर रहे हैं और इनके प्रयास वास्तव में कुछ न कुछ इफेक्ट ला रहे हैं लेकिन फिर भी ये कमियां हैं इन पर और गौर करें और खास तौर से धौलपुर का है।

समय के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अस्पतालों का समय जो आपने दो बजे तक का कर रखा है, उसको अगर दो समय का, खासतौर से जिला हैडक्वार्टर पर सुबह और शाम का कर दें तो इससे मरीजों को राहत मिलेगी वरना

(श्री बनवारीलाल शर्मा)

एक मरीज को डाक्टर सुबह आठ बजे देख जाता है तो दूसरे दिन विजिट करने के बाद में उसको 24 घण्टे के बाद में मिलता है तो अगर वह शाम को भी देखेगा तो उस मरीज को उसमें सेटिस्फैक्शन रहेगा। तो कम से कम समय के बारे में आप मेहरबानी करके जैसा अन्य जगह पर आपने कर रखा है, इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर भी सुबह और शाम के समय पर डाक्टर्स की ड्यूटी रखें।

धौलपुर के अस्पताल में सोनोग्राफी की मशीन नहीं है, जिला हैडक्वार्टर है। मेरा तो आपसे निवेदन है कि मेहरबानी करके जो जिला हैडक्वार्टर के अस्पताल हैं, जो सदर अस्पताल हैं वहां पर कम से कम वर्न यूनिट, सोनोग्राफी की मशीन, आई.सी. यूनिट, टी. बी. वार्ड, इस प्रकार की सब जगह व्यवस्था करें और अगर सब जगह आप नहीं कर सकते हैं तो जो आपके पास में, जैसे आई. सी. यू. के सिर्फ 20 हैं, और जगह नहीं कर सकें तो कम से कम धौलपुर की ज्यॉग्राफिकल स्थिति को देखते हुए वहां पर तो गहन चिकित्सा की यूनिट खोलें।

श्री विष्णु मोदी : वह तो डकैती का एरिया है, बहुत जरूरी है।

श्री बनवारी लाल शर्मा : आप 20 ही खोल रहे हैं लेकिन धौलपुर को जरूर शामिल करें। इसी प्रकार से सोनोग्राफी के बारे में मेरा निवेदन है और खासतौर से टी. बी. वार्ड में वहां पर बैड्स के बारे में मेरा निवेदन है कि टी. बी. वार्ड के लिए अलग से 10 बैड्स की अगर स्वीकृति दे दें तो उस क्षेत्र की जनता को राहत मिलेगी।

मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र के लिए मेरे विधान सभा क्षेत्र में धौलपुर को छोड़कर एक भी मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र नहीं है। और आप जान सकते हैं कि दूर-दराज की जनता को कितनी परेशानी, गर्भवती महिलाओं को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप कम से कम मेहरबानी करके 15 खोल रहे हैं उसमें धौलपुर को जरूर शामिल करें। इसी के साथ में मैं आपसे निवेदन करूं....

श्री अध्यक्ष : माननीय समाप्त करें।

श्री बनवारी लाल शर्मा : एक सैकण्ड में कर रहा हूं। धौलपुर में जो स्त्री रोग वरिष्ठ विशेषज्ञ की जगह बहुत दिनों से खाली पड़ी है, उसको भी भरने की कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ में मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री वी. पी. सिंह जी।

श्री किशन गोपाल कोगटा : अध्यक्ष महोदय, मैं....

श्री अध्यक्ष : आप रोज बोल रहे हैं और यह प्रायोरिटी तय करना मेरा काम है। बैठिये आप। माननीय वी. पी. सिंह जी।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : कल भी मुझे टाइम नहीं मिला था। अध्यक्ष महोदय, मैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी को आपके माध्यम से 2-3 सुझाव देना

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

चाहता हूं। सबसे पहले मैं जो एस. एम. एस. अस्पताल के अन्दर सुविधाएं हैं और यह सही बात है, साल भर से अगर आप एस. एम. एस. गये हों तो उसके अन्दर सुधार हुआ है इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सफाई ज्यादा अच्छी है वहां पर। पर हम क्या करें? यहां से भी और वहां जो जितने भी थूकने के लगे हुए हैं और सब जने सिगरेट इत्यादि पीते हैं, यह वहां पर बिलकुल मना ही कर देना चाहिए कि न तो जर्दा वहां पर लेकर जायें, न सिगरेट पीने की इजाजत वहां पर मिलनी चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो इमरजेंसी सर्विसेज की बात कही गयी है और उसके साथ में खाने की जो व्यवस्था हुई है इमरजेंसी के साथ पहले वहां पर खाना नहीं था और पुलिस वाले ढूंढते रहते थे कि इमरजेंसी के अन्दर कोई आया है, कहां से एक्सीडेंट हुआ है और उसको वह छोड़ते भी नहीं थे। वह भी जो एस. आई. वहां पर लग गया है तो वह इमिजिएटली इमरजेंसी केसेज को वह दे देते हैं कि साहब आपको आपरेशन करना है, जो भी करना है, इमिजिएटली करो और अभी एक साल पहले यह व्यवस्था हुई है उसके लिए भी मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। यह भी मैं कहना चाहता हूं कि जो एन्जियोप्लास्ट शुरू हुआ है, सोनोग्राफी बहुत बढ़िया है वहां पर, आपके बाई-पास सर्जरी वहां पर हो रही है तो वह छोटी-मोटी चीज हैं और लोग तो अमरीका और इंग्लैण्ड जाते हैं बाई-पास सर्जरी के लिए और एस्कोर्ट्स अस्पताल ढूंढते हैं, जो आपके यहां पर सुविधा मिलने लग गयी है।

मैं यह भी कहूंगा कि सबसे बड़ी जो समस्या है, आज गांवों के अन्दर डाक्टर नहीं जाते हैं, माननीय प्रतिपक्ष में बैठते हैं उन्होंने कहा, हमने भी कहा, सब जनों ने यह कहा कि गांवों में डाक्टर नहीं जाना चाहते हैं। उसके लिए आपने कुछ इंसेंटिव दे रखे हैं कि तीन साल अगर आपने गांवों के अन्दर सर्विस कर ली तो एम. डी. और एम. एस. के लिए आपको प्राथमिकता वहां पर मिल जाती है। मेरा यह निवेदन है कि डिस-इन्सेंटिव भी शुरू करें और डिस-इन्सेंटिव यह है कि जो भी शहर में रहना चाहे डाक्टर, उसको ये सुविधाएं कम मिलेंगी। डिस-इन्सेंटिव आपने शुरू कर दिया कि जैसे 5 हजार रुपये गांव के डाक्टर को भी मिलते हैं और यहां पर भी मिलता है और यहां पर जो प्राइवेट प्रेक्टिस होती है वह 20 हजार, 25 हजार, 50 हजार जो भी अच्छा डाक्टर होगा वह मिल जायेगा। तो डिस-इन्सेंटिव शुरू कर दो कि जो भी शहर में रहेगा उसको ये-ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी और ये-ये आपको गांव में मिलेंगी, इस पर आपको विचार करना पड़ेगा। यह सबसे बड़ी चीज है कि शहर में डाक्टर रहना चाहे तो उसको ये सुविधाएं कम मिलेंगी, यह तनख्वाह कम मिलेगी। यह आप करने लग जायें, डिस-इन्सेंटिव देने लगें शहर के लिए।

मेरा निवेदन है, एक ही पाइंट और है कि एड्स के बारे में डेढ़ साल पहले भी मैंने कुछ कहा था, काफी कुछ आप लोगों ने किया भी है, आज एड्स के बड़े-बड़े होर्डिंग्स लग गये हैं सब जगह। पहले तो

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

लोगों से पूछो कि यह एड्स होता क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशियेंसी सिन्ड्रोम। और उसके साथ में एच. आई. वी. क्या होता है? ह्यूमनो इम्यूनो वायरल। मेरा यह कहना है कि आज वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन ने कहा है कि सबसे ज्यादा चाइना और हिन्दुस्तान के अन्दर बाई 2000 ए. डी.। डाक्टर बालीजा ने कहा है कि आपके यहां 5 करोड़ आदमी इस डिजीज से इफेक्टेड हो जायेंगे। यह कोई छोटी बात नहीं है, मजाक की बात नहीं है, आप सुनिये और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को गलत फहमी है कि यह खाली सैक्स से ही ट्रांसमिट होती है। यह गलत फहमी दूर करें, गलत फहमी इसलिए है कि सबसे बड़ा जो इन्फेक्शन ब्लड में होता है वह सैक्स से हो, पर सैक्स से भी कैसे। आपको पता है कि यह डेंटिस्ट के पास में आप चले जाओ और आपसे पहले जो पेशेण्ट था वह भी अगर इफेक्टेड था और उसने भी लगाया और उसके खून से ट्रांसमिट हुआ तो वह आपको भी लग जायेगा।

इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसके बारे में भी जानकारी देनी चाहिये। दूसरी सबसे बड़ी चीज वह ब्लड डोनर जो प्रोफेशनल ब्लड देते हैं उनसे सबसे ज्यादा खतरा है, 6 हफ्ते तक पता ही नहीं चलेगा ब्लड नेगेटिव आ जायेगा, ब्लड आप देखेंगे कि एच. आई. वी. नहीं है और 6 हफ्ते बाद वह एच. आई. वी. बन जाता है। इसलिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा आप जो ब्लड लेते हैं और लोग देते हैं। दूसरा एक सीरींज लगाया और ब्लड ले लिया, फिर दूसरे के लगाया और ब्लड ले लिया, फिर तीसरे के लगाया और ले लिया वह भी हो गया और यह भी नहीं सोचेंगे, खाली सैक्स के लिए बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगा दिये आपने कि साहब सैक्स से ही होता है, सब को डरा देते हैं कि सैक्स से, ऐसा मत करो आप। मेरा यह निवेदन है कि आप (व्यवधान)....

श्री विष्णु मोदी : यह ज्ञान, मंत्री महोदय को हाउस की बजाय घर बैठकर एक दिन पूरी तरह से दे दें। बहुत संवेदनशील मामला है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। आप दोनों ही एक्सपर्ट हैं। विराजिये आप।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : खतम नहीं हुआ यह तो बीच में ही बोलने लग गये थे। मैं मंत्री महोदय की तारीफ करूंगा कि 2 साल के अन्दर पोलिये के जो केसेज हैं.... (व्यवधान)....

श्री रोहिताश्व : डेढ़ साल के अन्दर।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : डेढ़ साल ही हुआ है, डेढ़ साल के अन्दर पोलिये के केसेज में 82 पर्सेण्ट तक आप लोग पहुंच गये हैं और यह इनम्यूनजाइशन का जो प्रोग्राम है वह बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत उसके अन्दर डिक्रीज हुआ है जितना आता था, यहां पर 3 हजार या 4 हजार थे, अब उसमें साल भर के अन्दर बहुत अच्छा फर्क पड़ा है, 50 पर्सेण्ट कम हो गया है, पोलियो के केसेज के अन्दर। उसके लिए मैं आप लोगों की तारीफ करता हूं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह जी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष जी, मुख्य मंत्रीजी ने इस साल का पूरा बजट स्वास्थ्य को समर्पित किया है....(व्यवधान) ....स्वास्थ्य बजट । यदि मुख्य मंत्रीजी का यह पहला समर्पण होता तो हम सोचते कि कुछ वह करेंगे लेकिन वह तो हमेशा किसी न किसी चीज के लिए समर्पित रहते हैं । पिछले साल इन्होंने शिक्षा को समर्पित किया था और शिक्षा की जो दशा हुई उस पर इस सदन के सभी माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है । इस साल स्वास्थ्य को समर्पित है । माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इस बात से यदि खुश हों कि इनको धन्यवाद दिया जाय तो मैं जो काम आपने अच्छे किये हैं, उनके लिये तो धन्यवाद देता हूं और जो काम आपने अच्छे नहीं किये हैं लेकिन आप चाहते हैं कि उनके लिए भी धन्यवाद देऊं, तो मैं उदार मन से आपको धन्यवाद देता हूं । लेकिन उतनी ही उदारता मैं आपसे यह भी चाहता हूं कि जो हार्ड फेक्ट्स हैं, उनको भी आप स्वीकार करें ।

मैं सब बातों पर नहीं जाऊंगा । सबसे बड़ा खतरा आज जो मलेरिया और पीलिया रोग का हमारे सामने आ रहा है, उसको आप यूं कह कर मत टालिये । दोनों ही रोग जान लेवा हैं । हमारे एक माननीय सदस्य जो मंत्रिमण्डल के भी सदस्य थे, सबसे अच्छी चिकित्सा उनको मिल सकती थी, परन्तु इस रोग ने उन्हें हमसे छीन लिया । यह मामूली बात नहीं है । वह तो एक केस है लेकिन आज गांवों में छोटे अस्पतालों में इस प्रकार के बहुत से केसेज हैं और यह मान्यता बनने लग गयी है कि जिसको पीलिया हो गया उसकी मौत निश्चित है । इस बात को आप गम्भीरता से लें कि इसकी रोक-थाम के लिए आप क्या कर सकते हैं ? आप अपनी टीम के साथ बैठकर वार्ता करें, साधारण रूप से इसको न लें ।

प्रतिपक्ष के नेता महोदय इस बात को बार-बार कह रहे हैं पर कभी हमने उसको हंसी-मजाक में लिया और कभी सीरियस लिया, लेकिन मलेरिया का प्रकोप बढ़ रहा है और उस मलेरिया के प्रकोप को रोकने के लिए अभी कोई प्रभावी कदम उठाये नहीं गये हैं । जहां-जहां मलेरिया के केसेज आये, आपने स्लाइड्स लीं और जहां पोजिटिव केसेज आपको मिले वहां स्प्रे का इन्तजाम भी आपने किया । लेकिन मलेरिया का प्रकोप इस स्टेज पर पहुंच चुका है कि आपको पूरी तरह से इन्टेंसिव स्प्रे का प्रोग्राम हाथ में लेना पड़ेगा । मैं अपने यहां के लिए कह सकता हूं कि मेरे पूरे पंचायत समिति क्षेत्र में सिर्फ 5 गांवों को आपने लिया है, जिनमें इस साल स्प्रे होगा लेकिन इन 5 गांवों से काम चलने वाला नहीं है । आपको एक फिक्स प्रोग्राम बनाकर इसमें चलना पड़ेगा । मलेरिया रोग से जो पीड़ित लोग गांवों में हैं उनके केसेज आप तक नहीं पहुंचते हैं, स्लाइड्स लेने का आपके पास पूरा इंतजाम नहीं है और इंतजाम है तो उसको आप पूरा कर नहीं पाते हो। आपके हैल्थ वर्कर हर गांव के लिए नियुक्त हैं, उनसे आप मालूम कीजिये कि कितनी स्लाइड्स वह ले पाते हैं । आज जो आदमी हॉस्पिटल में आ गया, बुखार हो गयी, सलाइड्स आपने ले लीं लेकिन इस प्रकार के लोग जो कि गांव में मलेरिया बुखार से पीड़ित होते हैं, आपके हॉस्पिटल में नहीं

(श्री शिवनाथ सिंह)

आ पाते हैं उनकी स्लाइड्स लेने का कोई इंतजाम आपका नहीं है। इसलिए चाहे एक जिले में 100 गांव, 50 गांव, 200 गांव एक तरह से एटरेंडम उन गांवों में स्लाइड्स लेने का इंतजाम कीजिये जिससे आपको पता चलेगा कि मलेरिया का कितना प्रकोप आगे बढ़ रहा है।

एड्स के बारे में श्री वी. पी. सिंहजी ने कहा. मेरी मान्यता इसमें दूसरी है कि जितना एड्स के रोग का फैलाव नहीं है उससे अधिक हम उसके भय का फैलाव कर रहे हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि इस शताब्दी के अन्त तक 5 करोड़ देशवासी इस एड्स रोग से ग्रसित हो जायेंगे, और यह स्थिति है तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए यह फिगर्स डाक्टर्स, एक्सपर्ट्स देते हैं वह अपने अनुमान के आधार पर देते हैं, इतना प्रकोप इसमें नहीं है, राजस्थान में इससे डरने की बहुत बड़ी आवश्यकता भी नहीं है।....(व्यवधान) ....यह काम आपको सौंपा है, क्योंकि आप बहुत एक्सपर्ट हैं।

श्री अध्यक्ष : आप एक्सपर्ट हैं इसमें आप बिराजिये।

श्री शिवनाथ सिंह : बहुत एक्सपर्ट हैं इस मामले में और कहां-कहां बाहर घूमकर आप आते हैं इसलिए आपका ध्यान रखना पड़ेगा हमारे को।

श्री रोहिताश्व : केयरफुल रहना पड़ेगा।

श्री शिवनाथ सिंह : हमेशा आपका चैकिंग करना पड़ेगा हमको। माननीय अध्यक्ष जी....

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मोटे आदमियों को नहीं होता है, पतले आदमियों को होता है आपके जैसे को।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। बिराजें आप।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, सिरोही से आने वाली माननीय सदस्या ने....(व्यवधान)....

श्री विष्णु मोदी : नहीं, आप क्या रोहिताश्व जी के लिए कहना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। न तो आपको कह रहे हैं और न रोहिताश्व जी के लिए कह रहे हैं। बिराजिये आप। ...(व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र पारीक : हमको क्या पता है कि किस के लिए कह रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : किसी के लिए नहीं कह रहे हैं। आप बिराजें। बोलने दें।

श्री राजेन्द्र पारीक : हाउस में तय तो होना चाहिये कि किसके लिए कह रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : बोलने दें, माननीय सदस्य।

श्री शिवनाथ सिंह : सिरोही से आने वाली माननीय सदस्या अभी कह रही थीं कि 40 साल में कुछ नहीं किया, हमने किया। उधर से 3–4–5 ऐसे माननीय सदस्य हैं जब उनके भाषण में रोचकता

(श्री शिवनाथ सिंह)

नहीं होती है तो 40 साल के फार्मूले पर चले जाते हैं और इधर से आवाज उठती है और वह समझते हैं कि हमारे भाषण में रोचकता आ गयी। उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि सब बातों की नहीं लेकिन इस 40 साल के अरसे में जो शुरू-शुरू में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बने थे उस वक्त उनमें गाड़ियां थीं और गर्भवती महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए विटामिन्स की गोलियां गांव-गांव में जाकर बांटने की डाक्टर्स को ड्यूटी थी। उससे गर्भवती महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होता था। आज वह प्रोग्राम नहीं है। ऐसे और कई प्रकार के प्रोग्राम थे—गांव के कुओं में दवाई डालने का पुख्ता इंतजाम था, ग्रामसेवक की ड्यूटी थी, हैल्थ वर्कर की ड्यूटी थी। आज माननीय मंत्रीजी इस मलेरिया रोग की रोक-थाम करना चाहते हैं तो गांव के, हर कुये में, हर बावड़ी में, हर टंकी में आपको इस दवा को, जो रोग के कीटाणुओं को मारती है उसको डालने का इंतजाम किया जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, आज जो चर्चा चली वह शहरों पर सीमित रही। पर मैं उन देहातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था नहीं है। आप डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल नहीं खोल पाते हैं, बजट की कमी है। मत खोलिये लेकिन जो आपके पास है उनमें तो सुधार कीजिये। आज अस्पतालों की हालत जिला लेवल तक भी ऐसी है और गांवों में इस प्रकार की है कि कोई भी डाक्टर रहना नहीं चाहता है, रहता नहीं है, उनका कोई भी इंतजाम आप कीजिये।

मेरी राय में तो आज बिजली की कमेटियां जिला लेवल पर बनी हैं, शिक्षा के मामले में बनी है और भी मामलों में बनी हैं, कोई बिगाड़ नहीं होगा आपका, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऐसी कमेटियां बनें और उनमें महीने में एक बार चर्चा चले तो वहां डाक्टर्स को यह शंका रहेगी कि हमारी चर्चा आयेगी, कलक्टर इसका अध्यक्ष हो तो उस मामले में थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है। वैसे बीमारी बहुत लम्बी चौड़ी फैल चुकी है और उस पर नियंत्रण पाना आपका बहुत मुश्किल है। फिर भी जिला लेवल पर ऐसी कमेटियां बनेंगी तो कुछ सुधार होगा।....

माननीय अध्यक्ष महोदय, गांवों के अस्पताल के बाद, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह की व्यवस्था यदि आप कर पायें कि लेबोरेट्री की जो सुविधा है वह कम से कम जिला मुख्यालय पर तो रखिये। आज जिला मुख्यालय पर बीमार जाता है, उनको अपने खून का, पेशाब का सब टेस्ट बाहर करवाना पड़ता है, वह डाक्टरों की मिलीभगत से, टैक्निशियनों की मिलीभगत से, उनके सब औजार, उनके सब इम्प्लीमेंट्स खराब रहते हैं और वहीं सामने ही अस्पताल के वह लगे रहते हैं, वहां जाकर उनको कराना पड़ता है। इसलिए कम से कम जिला अस्पताल पर तो जितने भी लेबोरेट्री के टैस्ट हों, एक्स-रे का हो, सोनोग्राफी का हो, यह इंतजाम तो आप कीजिये क्योंकि स्वास्थ्य को समर्पित आपका यह बजट है।

अध्यक्ष महोदय, अभी थोड़ी देर पहले

(श्री शिवनाथ सिंह)

खेतड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने जिक्र किया था, मैं पिछले डेढ़ साल से इस बात को उठाता आ रहा हूं मुझे आशा है कि मुख्य मंत्रीजी के कान में बात गयी और उन्होंने पूछा और अंत में यह कहा कि क्या इस अस्पताल को वहां से हटा लें ? हटा लेंगे तो अच्छा रहेगा। वह रेफरल अस्पताल जो उदयपुरवाटी का है, उसके लिए एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। उसमें 7 डाक्टर्स की नियुक्ति होनी चाहिए, आज वहां, 3 डाक्टर्स हैं। जूनियर एक्सपर्टस की पोस्ट है लेकिन उसकी हालत यह है कि आज उसमें पेशेन्ट जाना पसन्द नहीं करता है और वह क्यों नहीं करता है ? डाक्टर्स लोग, आज तीन की पोस्टिंग है, उन तीनों ने भी वहां अपने-अपने क्लिनिक खोल रखे हैं। एक डाक्टर जो उसका इन्चार्ज है, वह कमिटेड है, अच्छा है और मैं कहता हूं, इस अस्पताल की बदहालत से एक बात स्पष्ट होती है कि उस डाक्टर ने बार-बार लिखकर दिया है कि मैं इस हॉस्पिटल का इन्चार्ज नहीं रहना चाहता। आज इन्चार्ज बनने के लिए होड़ लगी रहती है लेकिन उसने कहा कि मेरे बस का रोग नहीं है, मैं इसका इंतजाम नहीं कर सकता, न डाक्टर पर कंट्रोल कर सकता हूं, न कम्पाउडर पर कर सकता हूं इसलिए मेहरबानी करके किसी दूसरे डाक्टर को, जो मेरे से जूनियर हो, मैं उसके नीचे रहकर भी काम करना पसन्द करूंगा। मुझे उसका इन्चार्ज हटा दीजिये। इस प्रकार की व्यवस्था उस हॉस्पिटल की है, तो मंत्रीजी मैं चाहूंगा, आप इस पर ध्यान दें और आपके कई डाक्टर्स की टीम, आफिसर्स की टीम उसकी चैंकिग कर आयी है, देख आयी है लेकिन पता नहीं, उन रिपोर्टस का क्या हो रहा है। आप भी बीडी के अस्पताल में गये थे। उस वक्त लोगों को यह आस बंधी थी कि नौजवान मिनिस्टर है और उस वक्त एक तहलका मचा था, हमें विश्वास आया। आप जिले के कई अस्पतालों में घूमे हैं, सुधार होगा लेकिन आपका वह जाना आज हमारे लिए घातक बन रहा है। वह इसलिए कि आपने उनको देखने के बाद वहां कोई सुधार लाये नहीं और अब डाक्टर्स के मन में यह हो गया कि ठीक है, मिनिस्टर आने से क्या होता है। जो आकर चला गया और हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाया। इस प्रकार की हालत बी.डी. के अस्पताल की है, उदयपुर-वाटी के अस्पताल की है और भी जगह है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस मामले में थोड़ा सा ध्यान दें और यदि सुधार हो सके तो आपको अगली साल भी धन्यवाद देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्रीमान बुरडक साहब।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा और स्वास्थ्य के सम्बन्ध में, मैं 1–2 सुझाव देना चाहता हूं। पहला सुझाव मेरा यह है कि मंत्री महोदय, जब तक आप इस व्यवस्था परिवर्तन का कोई काम नहीं करेंगे, तब तक इसमें कोई सुधार नहीं होगा। यह वर्षों पुरानी जो परिपाटी है, उस समय की यह आवश्यकता होगी, उस समय न तो इतना लम्बा-चौड़ा स्टाफ था और जो भी था, वह काम करने में रूचि भी रखता था। आज आपने प्रशासनिक पदों पर डाक्टर्स की नियुक्ति कर रखी है। यह सबसे बड़ा घातक काम है और इसी से यह सारी व्यवस्था

(श्री हरजीराम बुरडक)

बिगड़ रही है। आप चाहे कितना ही प्रयत्न करें, इसमें कोई सुधार नहीं होगा। आप यह देखेंगे कि स्टेट लेवल पर और जिला लेवल पर जो प्रशासनिक कार्य हैं, उनमें डाक्टर्स को लगा कर उनसे क्या करवाना चाहते हैं? वहां आप अपने प्रशासनिक अधिकारी लगाइये। प्रशासनिक अधिकारी क्या करेगा। जिला लेवल पर जो अधिकारी बना रखा है, उसका काम है किसी का ट्रांसफर करना, किसी की पोस्टिंग करना, किसी की इन्क्वायरी करना, उसमें उनसे आप क्या कराओगे। आप यह कहो कि हम तो हास्पिटल में इंस्पेक्शन उनसे करायें, उसके लिये आप उनको अलग से रखिये। आपने अभी भी जिला लेवल पर 4-5 अलग से डिप्टी सी.एम.एच.ओ. लगा रखे हैं, उस हिसाब से आप उनको टेक्नीकल काम में ही काम में लें और प्रशासनिक कामों से उनको आप बिलकुल हटा दें तब तो उसका सुधार हो सकता है और स्टेट लेवल पर जैसे डायरेक्टर है, आपने 3-4-5 चाहे जितने डायरेक्टर की पोस्टें बढ़ा दीं लेकिन सभी में आपने डाक्टर बैठा रखे हैं तो निदेशालय में डाक्टर्स का कोई काम नहीं है। एक ओर तो आप प्रशासन को खराब कर रहे हैं और दूसरी ओर जो अनुभवी डाक्टर्स हैं, उनका डाक्टरी का काम है, उस काम में नहीं लेकर उनके साथ भी आप अन्याय कर रहे हैं। इस बात को मुख्य मंत्रीजी ने शायद थोड़ा बहुत समझा है और आपके यहां 2-3 आई.ए.एस. अधिकारी लगाये हैं लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि....(व्यवधान)....विरोध तो इसलिये हो रहा है कि वह प्रशासनिक आदमी तो प्रशासनिक तरीके से चलेंगे। जैसे अभी कोई शिकायत की जांच की बात आयी। डाक्टर की शिकायत आयी और डाक्टर को ही जांच करने को भेजा। डाक्टर की शिकायत क्या होगी? शिकायत यही होगी कि वह टाइम पर हास्पिटल में नहीं जाता, घर बैठकर पेशेंट देखता है और वह घर पर फीस लेता है लेकिन जिस आदमी से आप जांच करवा रहे हो, वह खुद भी तो वही काम करता है। उससे आप क्या जांच करवाओगे? इसलिये मेरा निवेदन यह है कि जांच के लिये और प्रशासनिक कार्यों के लिये आप प्रशासनिक अधिकारी को लगाइये। आपने पिछले बजट सेशन में यह घोषणा की थी कि जिला लेवल पर और सब डिविजन लेवल पर कमेटी बनाऊंगा और आपने कमेटी बनायी। आपने आदेश भी पारित किये लेकिन उनकी कहां पालना हुई? एक भी कमेटी की मीटिंग हमने तो कहीं देखी नहीं। आपने विधायकों को भी उसमें मेम्बर रखा. (व्यवधान)....बनी हैं मेरे पास आर्डर पड़े हैं। कमेटी बनी है लेकिन उनकी तामील नहीं हुई आर्डर की। आर्डर आपने सेक्रेटेरिएट से निकलवा दिये। आर्डर निकल गये लेकिन उसकी मीटिंग कहीं नहीं हुई। वह आर्डर तो मेरे पास पड़े हैं....(व्यवधान).... इन्होंने निकाले हैं। आर्डर तो जारी हुए हैं। आपको पूछ लो.... (व्यवधान)....आपके पास नहीं आये होंगे, इसमें तो मैं क्या करूं....(व्यवधान)... यह तो मेरे पास है। आप चाहें तो मैं लाकर दे दूंगा। गवर्नमेंट का आर्डर है, कोई यूं थोड़े ही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : निश्चित रूप से कमेटी बनाने की घोषणा की थी। कमेटी बनाने के आदेश भी जारी हो गये। काफी जिलों में कमेटियां बन भी गयी हैं। मेरे

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पास भी शिकायत आयी है कि कुछ जिलों में कमेटी नहीं बनी है। उसको मैं दिखवा रहा हूं पर इसमें मेरा एक ही निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, अगर जन प्रतिनिधि इसमें थोड़ी रुचि लें, क्योंकि यह इस तरह का कार्य है जो अकेले सरकार के बलबूते पर नहीं कर सकते। हर कमेटी के अन्दर जन प्रतिनिधि हैं और ऐसा नहीं है कि सब जगह मीटिंग नहीं हुई। जयपुर में, जोधपुर में और दूसरी जगह मीटिंग हुई हैं। अगर जन प्रतिनिधि थोड़ी इसमें रुचि लें तो इस तरह के कामों के अन्दर, अपन सब लोगों को राजनीति से ऊपर उठ कर आगे आने की बात होनी चाहिए (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : रुचि का तो आप उपदेश दे रहे हैं लेकिन आपने सभी जिलों के लिए यूनीफार्म आर्डर निकाला होगा। आपको एज एम.एल.ए. सूचना मिली कि इस प्रकार की कमेटी नागौर जिले के लिए कांस्टीट्यूट कर दी गयी है। दूसरे माननीय सदस्यों को इस प्रकार की सूचना नहीं हुई है। आखिर एक आदेश जो निकला है यूनीफार्मली वह सभी के पास में जाना चाहिए था। यह कुछ जगह निकला, कुछ जगह नहीं निकला और फिर आप को-आपरेशन चाहते हैं? आपका आदेश तो सभी एम.एल.एज. के पास जाना चाहिए था, फिर को-आपरेशन की बात करते हैं। ....(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : हमारे पास नहीं है। जयपुर शहर में भी नहीं है। इस तरह की सूचना जयपुर में नहीं है।

श्री हरजीराम बुरडक : आदेश तो सेक्रेटेरियट ने निकाले हैं। मगर आप सुनो तो सही।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप, बिराजिये। यह मैटर कोई डिस्कशन का नहीं है। मंत्रीजी ध्यान दें इस पर।

श्रीमती कमला : वह सिर्फ जयपुर शहर के लिए है, देहात के लिए नहीं बनी है। देहात में कोई नोटिस नहीं है। जयपुर शहर में जरूर दो बार मीटिंग हुई है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय बुरडक साहब, कम्प्लीट करें।

श्री हरजीराम बुरडक : नहीं, मैं बता रहा हूं, यह जो आदेश सेक्रेटेरियट से निकला है, वह सब जिलों के लिए, सभी उपखण्ड स्तर तक के लिए, जनरल आदेश है और जयपुर के लिए तो 2–3 जगह जो मेडिकल कालेज हैं, उनके लिए अलग है। लेकिन वह सारे राजस्थान के लिए आदेश है, इसमें कोई अलग जिले का नाम नहीं है।

दूसरा, मेरा सुझाव था, आप नये जो चिकित्सा संस्थान खोलने जा रहे हैं, कहीं आप डिस्पेंसरी खोलेंगे, कहीं स्वास्थ्य केन्द्र खोलेंगे, कहीं उप केन्द्र खोलेंगे लेकिन पिछले 2–4 साल में इस तरह के केन्द्र खुले हैं कि 5 मील के एरिया में तीन स्वास्थ्य केन्द्र मिल जायेंगे और 50 कि.मी. के एरिया में आपको एक भी कोई स्वास्थ्य केन्द्र नहीं मिलेंगे तो आप नये चिकित्सा संस्थान खोलें उससे पहले पूरे राजस्थान में जिले वाइज जो मौजूदा आपकी स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध हैं उनको आप नक्शे में अंकित करके जहां दूरी है, नजदीक में कोई साधन नहीं हैं,

(श्री हरजीराम बुरडक)

वहां पर आप चिकित्सा संस्थान खोलें। ऐसा नहीं हों कि मैंने कह दिया वहां खोल दिये, और आपकी पार्टी के किसी ने कह दिया, वहां खोल दिये ताकि जनता को कोई राहत मिल सके।

तीसरा, मेरा यह था कि जितने भी आपके स्टाफ के पद खाली पड़े हैं वह अधिकतर गांवों में खाली हैं, शहरों में खाली नहीं हैं। आप ऐसी कोई व्यवस्था करें जिससे कि गांवों में सारे पद भरे रहें, खाली रहें तो शहरों के रहें। शहरों में एक-एक जगह दो-दो, चार-चार हास्पिटल भी हैं, अगर एक जगह कोई नहीं मिलेगा तो लोग दूसरे में चले जायेंगे। लेकिन जहां गांवों में कोई व्यवस्था ही नहीं है, आपने लिस्ट में दे दिया कि हमने इतने तो उप स्वास्थ्य केन्द्र खोल दिये, वहां पर कोई स्टाफ ही नहीं है। नागौर में कितने ही उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर कोई स्टाफ नहीं है, सिर्फ आपके कागजों में ही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि....

श्री अध्यक्ष : श्री किशन गोपाल जी कोगटा।

श्री हरजीराम बुरडक : आप व्यवस्था परिवर्तन की बात करिये। आपने डेढ़ रुपये से दवाई का तीन रुपये कर दिये, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप इस पर विचार करें।

श्री भंवर सिंह डांगावास (मेड़ता) : नागौर जिले में ऐसी बात नहीं है, भावीरा के अन्दर है, गोटन के अन्दर है, दस्तगर के अन्दर है, जितने भी मेरे क्षेत्र के अन्दर हैं सब में हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, अब इसमें डिबेट की कोई बात नहीं है। उन्होंने कह दी और मिनिस्टर चाहें तो जवाब दे देंगे। माननीय कोगटाजी।

श्री रामनारायण चौधरी : आपको जवाब देने का मौका नहीं मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्यों को भाग लेना है और मैं चाहता हूं कि समय पर और सब माननीय सदस्य बोल सकें इसलिए मैं प्रयत्न करूंगा कि आप बीच में थोड़ा....

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर चर्चा चल रही है। माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद दूंगा कि इस वर्ष का बजट स्वास्थ्य को समर्पित किया है। स्वास्थ्य सब के लिए 2000 तक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए....

श्री अध्यक्ष : आप इससे सम्बन्धित कोई सजेशन दें।

श्री किशन गोपाल कोगटा : चालू वित्तीय वर्ष में 73.9 करोड़ की तुलना में 124.66 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। 70 प्रतिशत बढ़ाया है....

श्री अध्यक्ष : यह तो कई माननीय सदस्य बोल चुके हैं, आप तो कोई सजेशन दें। आप उससे रिलेटेड हैं, समय बहुत कीमती है।

श्री किशन गोपाल कोगटा : ग्रामीण क्षेत्र के लिए 125 प्रतिशत की जो वृद्धि की वह स्वागत योग्य है। वास्तव में जो कुछ सुधार करना चाहिए स्वास्थ्य विभाग के मामले में, ग्रामीण क्षेत्र में करना चाहिए। नियम यह है कि हर पंचायत हैडक्वार्टर पर एक रेफरल हास्पिटल होगा, लेकिन न उसकी बिल्डिंग पर ध्यान दिया जाता है, न स्टाफ पर, न पैरा मेडिकल स्टाफ पर और न उसकी व्यवस्था पर। मैं मेरे खुद के मसूदा का उदाहरण दूं, एक बिल्डिंग है, हैल्थ सब सेंटर थी, उसको हैल्थ सेंटर बनाया, उसको रेफरल बना दिया। एक टेबल पर सात डाक्टर बैठते हैं, अब वह मरीज मारे शर्म के ब्यावर जाना चाहता है कि किस डाक्टर को दिखाऊं। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मंत्री महोदय को कि इस साल 13 लाख रुपये किये और एक नया भवन रेफरल हास्पिटल के लिए बनायेंगे। इसी प्रकार कुछ ऐसे स्थान हैं आज ग्रामीण क्षेत्र में, जहां हेल्थ सेंटर खोल तो दिये लेकिन उनकी बिल्डिंग्स नहीं हैं, अभी भी किराये की बिल्डिंग में या छोटे से स्थान पर चल रहे हैं, इस बजट में जो बिल्डिंग बनाने का प्रावधान किया, वह स्वागत योग्य है। इसके साथ-साथ केवल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रेफरल हास्पिटल या स्वास्थ्य केन्द्र खोलना ही पर्याप्त नहीं है, वहां ठहरने के लिए, वहां रहने के लिए जो सुविधाओं की कमी काफी लम्बे समय से महसूस की जाती रही थी वह इस बजट में उनके क्वार्टर्स बना कर, उनको आवास व्यवस्था सुलभ कराने के लिए जो 57 करोड़ रुपये रखे हैं वह स्वागत योग्य कार्य है। इसका परिणाम होगा कि डाक्टर्स लोग, कम्पाउण्डर्स लोग वहां छोटे स्थानों पर गांवों में रहेंगे।

इसके साथ-साथ सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले व्यक्तियों के लिए महुआ, फतेहपुर, देवली में राजमार्ग पर तीन आपातकालीन सेवा इकाइयों की स्थापना की इसमें व्यवस्था है। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि अधिकारियों के डेटाज के आधार पर आपने इन तीन स्थानों पर खोले, एक्चुअल में अजमेर जिले में विजय नगर है जहां वर्ल्ड बैंक की सहायता से सड़कों का पुनर्निर्माण हुआ है, वहां रोज इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं कि डेटाज लें तो सबसे पहले विजय नगर में खुलना चाहिए था।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप इस रोड पर ज्यादा जाते हैं मंत्रीजी।

श्री किशन गोपाल कोगटा : विजय नगर के आस-पास इधर भीलवाड़ा, इधर अजमेर है लेकिन एक्सीडेंट इतने होते हैं कि औसत इन तीनों स्थानों से ज्यादा हैं। तो मैं मांग करूंगा कि तीन स्थानों पर तो खोलें ही खोलें लेकिन चौथा स्थान और खोलें जिससे उस क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिले। इसके साथ-साथ अजमेर जिले की कुछ समस्यायें हैं।

श्री अध्यक्ष : समस्यायें तो आपको कुछ कहनी नहीं है।

श्री किशन गोपाल कोगटा : आपने अजमेर में कार्डियोलाजी विभाग तो खोल दिया है लेकिन वह तभी सार्थक होगा जब टी.एम.टी. के उपकरण वगैरह व एंज्योग्राफी की सारी व्यवस्था आप करवायेंगे, नहीं तो यह अधूरी व्यवस्था रहेगी, क्षेत्र वालों को पूरी सुविधायें मिलेंगी नहीं। इसलिये मैं

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

चाहूंगा कि इस बजट में आप यह सुविधायें प्रदान करें। इसके साथ-साथ राजस्थान में सब-डिवीजन में करीब-करीब अजमेर को छोड़ कर सब जगह सिटी स्केन की मशीन लगी हुई है लेकिन अजमेर डिविजन एक ऐसा है जो छूटा हुआ है। मैं चाहूंगा आपके माध्यम से, मंत्री महोदय आज इसकी घोषणा करें। इसके साथ-साथ आपने एम्बुलेंस व्यवस्था गांवों में रेफरल हास्पिटल या हास्पिटल में की है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं बोलें माननीय सदस्य।

श्री किशन गोपाल कोगटा : लेकिन ड्राइवर की समस्या है। एम्बुलेंस तो आ गयीं लेकिन ड्राइवर नहीं हैं, ड्राइवर की पोस्ट नहीं है और पोस्ट भी है तो एक है, वह आठ घंटे करता है काम और उसके बाद जब आवश्यकता पड़ती है तो ड्राइवर मिलता नहीं। तो इस पर तो विचार करना पड़ेगा। जिस प्रकार आपने 24 घंटे डाक्टर्स की व्यवस्था कर रखी है उसी प्रकार से ड्राइवर्स की, एम्बुलेंस की व्यवस्था करें जिससे गरीब लोगों को 24 घंटे यह सुविधायें मिले, कहीं भी उसका उपयोग हो सके।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय।

श्री किशन गोपाल कोगटा : इसके साथ-साथ एक्स-रे टेक्नीशियन और लेबोरेट्री टेक्नीशियन की भी कमी रहती है। एक्सरे मशीन पहुंच गयी लेकिन उसकी पोस्ट क्रियेट नहीं। मेरे मसूदा, विजय नगर और अन्य जगह भी जहां एक्स-रे मशीन हैं, एक बार शुरू कर दी, डेपुटेशन कर दिया लेकिन आज तक आपने एक्स-रे टेक्नीशियन की पोस्ट क्रियेट नहीं की और एक्स-रे टेक्नीशियन लगाये नहीं। तो मैं चाहूंगा कि एक्स-रे मशीन जहां लगायें उसके साथ-साथ टेक्नीशियन भी लगायें।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें माननीय। बहुत अच्छे सजेशन दिये हैं आपने।

श्री किशन गोपाल कोगटा : मेरे क्षेत्र में एक खरवा स्टेशन ऐसा है जो नेशनल हाईवे पर है लेकिन वहां पर एक डाक्टर, एक कम्पाउण्डर है जबकि रात-दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। डाक्टर हास्पिटल टाइम के बाद चला जाय, रात को कोई एक्सीडेंट हो या कोई काम आये तो वहां पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। मैं चाहूंगा वहां फर्स्ट ग्रेड का एक डाक्टर और दो अन्य डाक्टर लगें जिससे नेशनल हाईवे पर जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं उनको सुविधायें मिले। आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण जी मीणा। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बीच में डिस्टर्बेंस न करें। श्री लक्ष्मण सिंहजी। श्री शकरलालजी अहारी।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी भी पर्ची लगी है।

श्री अध्यक्ष : श्री माधवसिंह जी दीवान। श्री रामस्वरूप मीणा।

श्रीमती कमला : जो नहीं हैं उनकी बजाय हमको मौका दे दें।

श्री अध्यक्ष : जो लिस्ट दी जाती है माननीय सचेतकों द्वारा, उसको पूरी

(श्री अध्यक्ष)

एग्जास्ट करने के बाद ही मैं दूसरी बात करता हूं।

श्रीमती कमला : नहीं, पर्ची हमारी भी लगी है।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, आपने जो समय दिया उसके लिए तो बहुत-बहुत धन्यवाद।

एक माननीय सदस्य : बैठ जाओ।

श्री अध्यक्ष : माननीय बोलने दें आप। समय लिमिटेड है, बहुमूल्य भी है।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, आज जो स्वास्थ्य पर चर्चा चल रही है उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि मनुष्य की सबसे पहली आवश्यकता स्वास्थ्य होती है, सुखों में भी वर्णन किया गया है तो स्वास्थ्य का ही किया गया है, पहला सुख निरोगी काया। अगर हमारा शरीर ही निरोगी नहीं रहेगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस प्रकार हमारा स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। मेरा तो आपके माध्यम से एक सुझाव है कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि हम सात सौ अस्पताल, खोलेंगे इतने ही बताये हैं इन्होंने, जितने भी बताये हैं, मैं तो एक ही निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय, जितने भी अस्पताल खोलें, कम से कम सदन में यह तो घोषणा कर दें कि किन मापदण्डों के तहत इन अस्पतालों को खोलेंगे। वहां पर कोई इस प्रकार का भेदभाव तो नहीं बरतोगे कि यह क्षेत्र, विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम तो कांग्रेस का है, यह विधान सभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का है या सरकार के लोग नहीं है वहां पर सदस्य....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं ऐसा आदमी लगता हूं क्या आपको ?

श्री रामस्वरूप मीणा : इसलिए आप कम से कम यह घोषणा आज सदन में करें कि मापदण्ड क्या होंगे अस्पताल खोलने के।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार ने उस समय हमारे यहां अस्पताल खोले थे, उसके बाद एक भी अस्पताल मेरे क्षेत्र में नहीं खुला। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि कम से कम आपके समय में मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में तहसील नादोती और टोडाभीम में एक या दो अस्पताल तो मुझे अवश्य दें।

दूसरा मेरा निवेदन है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि आपने जितने भी अस्पताल खोले हैं, मेरे दो अस्पतालों की तरक्की की है आपने, नादोती और टोडाभीम की, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र वहां पर बनाया है लेकिन डाक्टर आपने आज तक एक भी नहीं बढ़ाया, एक साल हो गया। पद खाली पड़े हुए हैं आपके डाक्टरों के बगैर, लेडिज डाक्टर का पद खाली पड़ा हुआ है, स्त्रियां प्रसव पीड़ा के कारण मौत के मुंह में जा रही हैं, कोई उनका इलाज करने वाला वहां पर नहीं है, जो सबसे बड़ा चिन्ता का विषय है। यह बहुत गम्भीर मामला है। कोई भी लेडिज डाक्टर की व्यवस्था आपने नहीं की है। अस्पतालों में दवाइयां नहीं हैं यह तो सभी माननीय सदस्यों ने कहा है।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

मेरा तो आपके जरिए एक सुझाव और है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सब को पता है इस बात का कि डाक्टर लोग जो दवाइयां लिखते हैं, वही दवाइयां लिखते हैं जिस कम्पनी के लोग उनके पास आते हैं, जिसमें उनका कमीशन होता है। आप स्वयं भी इस बात की हकीकत को जानते हो, एक दवाई जिसके कारण लोगों के रिएक्शन हो रहा है, मरीज मर रहे हैं, दवाइयां उनको फायदा नहीं कर रही हैं, लेकिन बड़े दुःख की बात है, माननीय अध्यक्ष महोदय, उनकी दवाई को डाक्टर लोग लिखते हैं। कारण क्या है इसके पीछे? इसका कारण यही हैं कि फलां दुकान पर वह दवाई मिलेगी, ज्यादातर उसी दुकान पर वह भेज देते हैं दवाइयां लेने के लिए और उसका कारण यही है कि उसका कमीशन होता है। आप स्वयं जानते हैं इस सच्चाई को उसके बावजूद भी आपने कोई इन्तजाम इस बात का नहीं किया। क्या मरीजों को इसी प्रकार की दवाइयां मिलती रहेंगी, घटिया किस्म की दवाइयां मिलती रहेंगी? जिन दवाइयों की किसी भी प्रकार की कोई आपके यहां से स्वीकृत नहीं होती है। ऐसी फर्जी दवाइयां बाजार में बिकती हैं। उसका मूल कारण यही है कि हमारे द्वारा उनको कमीशन दिया जाता है।

तीसरा, मेरा निवेदन आपको प्राइवेट प्रेक्टिस के बारे में है आप कृपया इसको तो समाप्त करें। डाक्टर लोगों की ड्यूटी अस्पताल में लगी हुई है। अस्पताल में एक घन्टा भी नहीं बैठ पाते हैं और वे सारा समय अपने घर बिताते हैं। क्या आपने इसके बारे में कोई नियम बनाया है? मैं तो जो कुछ कहता हूं, सारी बातें बता दी गयीं लेकिन जो कुछ है इसमें ही आप सुधार कर लो, सारा बजट इस सेवा के लिए समर्पित कर दिया लेकिन बड़े दुःख की बात है आप इसमें क्या कर रहे हो। सबसे बड़ा अस्पताल हमारे यहां राजधानी में एस.एम. एस. हॉस्पिटल है, मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था सदन के माध्यम से कि वहां की बर्न यूनिट के अन्दर, माननीय मंत्री महोदय, 8-8 मौतें डाक्टरों की लापरवाही से हुई हैं जिनका आधा शरीर नीचे का केवल जला हुआ था जो मर नहीं सकते थे। मैंने उसके बारे में पहले आपको प्रमाण भी दिये थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें आज तक आपने क्या कार्यवाही की? क्या वे लोग डाक्टरों की लापरवाही के कारण चले गये? इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि कम से कम वहां व्यवस्था सुधारें। दूसरा, मेरा निवेदन है कि हमारे यहां की जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, आप स्वयं जाकर देख लें, इमरजेंसी में भी कई बार इस प्रकार की लापरवाही होती हैं जिससे वहां पर अब तक कई तरह की मौतें हो चुकी हैं।

तीसरा, मेरा निवेदन है कि चुम्बकीय डाक्टर के बारे में पहले भी मैंने आपको निवेदन किया था। एक हमारे चुम्बकीय डाक्टर थे जिनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला, प्रधान मंत्री जी से मिला, मुख्य मंत्री जी से मिला। इतने महान डाक्टर हुए जो चुम्बक के द्वारा इलाज करते थे उनका एक्सीडेंट हुआ। एस.एम.एस. हॉस्पिटल के अन्दर उनको भर्ती कराया गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय आप पहले रिपीट कर चुके हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं कर चुका हूं, यह बहुत गम्भीर मसला है जिस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। एक बार नहीं, दो बार करूंगा, दो बार नहीं चार बार करूंगा।

श्री अध्यक्ष : इसलिए उस विषय को लिमिटेड रखें।

श्री रामस्वरूप मीणा : जब तक कोई कार्यवाही नहीं होगी तब तक, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा। यह एस.एम.एस. हॉस्पिटल का मामला है।

श्री अध्यक्ष : जो अध्यक्ष की पीठ पर बैठता है उसको ध्यान रहता है कि किस-किस माननीय सदस्य ने क्या-क्या कहा है इसलिए आप लिमिटेड बोलें।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदय आज इसके बारे में चर्चा करें कि इसके बारे में आपने क्या कार्यवाही की है।

चौथा, मैं सुझाव देना चाहूंगा कि आपने अब तक हमारे यहां जितने भी हॉस्पिटल खोले हैं, कम से कम आप यह तो देख लें कि दवाइयों का रेकार्ड उनके अन्दर है। जो दवाइयां यहां से हॉस्पिटल में जाती हैं वह गरीबों तक पहुंचती हैं या नहीं पहुंचती है। इस बात का भी लेखा-जोखा होना चाहिए कि कितनी दवाइयां स्टोर में गयीं, कितनी दवाइयां बाहर गयीं। कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं, इंजेक्शन होते हैं जो फ्रिज के अन्दर रहते हैं। अगर फ्रिज सही नहीं होता है तो लाखों रुपयों की दवाइयां आपकी बेकार हो जाती हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि अस्पतालों के अन्दर फ्रिजों को सही किया जाय। मेरे गुढ़ाचन्द्र जी नादौती तहसील के अन्दर बड़ा अस्पताल है, उस अस्पताल में मैं स्वयं गया तो फ्रिज के अन्दर जूते रखे हुए मिले, माननीय अध्यक्ष महोदय, जूते फ्रिज के अन्दर। वह खाली जूते रखने के लिए बना रखा था? कोई काम नहीं था, आपका फ्रिज चालू नहीं था, यह हालत आपके फ्रिजों की हो गयी है तो फिर दवाइयां कहां रखेंगे आप? ऐसी दवाइयां जो ठण्ड में रहती हैं अगर गर्मी में रखोगे तो बेकार हो जाती हैं। उन फ्रिजों की हालत यह हो गयी उनके अन्दर जूते रखे हुए थे। आप स्वयं गुढ़ाचन्द्र जी में जाकर जांच कर लें। डाक्टर लोग वहां रहते नहीं हैं, अस्पतालों में, प्राइवेट प्रेक्टिस बढ़ती जा रही है लोगों की। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। मेरे क्षेत्र का मामला है, मैं स्वयं गया मौके पर। मेरे से भी लोगों ने कहा मैं भी ताज्जुब कर गया। मैंने जाकर देखा वास्तव में जूते रखे हुए थे तो ऐसी हालत अस्पतालों की हो गयी है जहां पर जूते रखे जायं। दवाइयां मिलती नहीं हों, प्राइवेट प्रेक्टिस बढ़ती चली जा रही हो। इतनी बड़ी लापरवाही का उदाहरण और कोई हो नहीं सकता। इसलिए मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि इस प्रकार की व्यवस्था करें ताकि अस्पतालों में होने वाली अव्यवस्था को सुधारा जा सके और गरीबों का इलाज

(श्री रामस्वरूप मीणा)

हो सके। कम से कम आप वहां पर पट्टियां हैं, दवाइयां हैं, गोलियां हैं उनको तो आप अस्पताल में भिजवायें। पहले ये सारी चीजें मिलती थीं लेकिन आज उन चीजों का अभाव हो गया है। मेरा निवेदन है कि जहां आपने एम्बुलेंस लगा रखी हैं वें एम्बुलेंस वहीं अस्पताल में काम में ली जायें। मेरे यहां पर टोडामीम में एम्बुलेंस है उस एम्बुलेंस को करौली हैड क्वार्टर पर लगा रखा है जिसको एल साल हो गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि क्या उस एम्बुलेंस की जरूरत हमारे हास्पिटल में नहीं हैं, क्या हमारे इमरजेंसी नहीं है? क्या जिसकी ड्यूटी लगी उसको वहां कार्य नहीं करना चाहिए था। वह सी.एम.एच.ओ. जो नई गाड़ी होती है उसको अपने यहां मगवा लेता है। मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि जिस गाड़ी की आप जहां ड्यूटी लगायें वह गाड़ी वहीं कार्य करनी चाहिए। इस बात की आप जांच करा लें। यह मेरे यहां ही नहीं शायद इस प्रकार की शिकायत आपको कई जगह मिलेगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय बोलने दें। एक मिनट में समाप्त करें माननीय।

श्री रामस्वरूप मीणा : नादौती और टोडामीम का क्षेत्र पूरा आ गया है। एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं माननीय।

श्री अध्यक्ष : अच्छे सजेशन देते हैं पर जल्दी जल्दी बोलें तो ठीक है।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि मेरे पास समय कम है। आप यह कह दो कि खूब बोलो खुलकर फिर देखो आप तमाशा।

श्री अध्यक्ष : तो आप जूतों की बात एक घन्टे तक रटते रहेंगे।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आखिर में मेरा एक निवेदन है। केवल दो बात और कहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को सुझाव देना चाहूंगा कि आप कम से कम महीने में एक बार जिला हैड क्वार्टर का दौरा करें और आपके सी.एम एच.ओ. को कम से कम इस बात के लिए पाबन्द करें कि वे हमारे जो अस्पताल हैं तहसील हैड क्वार्टर पर, उन अस्पतालों में आपका स्वयं सी.एम.एच.ओ जाय, उनका निरीक्षण करे और जन प्रतिनिधियों को भी अपने साथ रखे ताकि उसकी हकीकत आपके सामने आ सके। तो मेरा आपके जरिए निवेदन है जो कमेटी आपने बनायी है, आपने कहा उसमें जन प्रतिनिधियों को रखेंगे लेकिन मेरा यह सुझाव है कि सी.एम एच.ओ. जो कि वहां पर दौरे पर आता है उसका न तो हमको पता लगता है कब वह आते हैं कब उन्होंने निरीक्षण किया अस्पताल का, साल साल भर हो जाता है, तीन-तीन साल हो जाते हैं, कोई निरीक्षण वे किसी प्रकार का नहीं करते तो कम से कम जब भी वह निरीक्षण करें अस्पताल का, तो जन प्रतिनिधियों को साथ में रखे, उसकी जानकारी हमको देवें। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पुनः माननीय मंत्री महोदय से इस बात के लिए निवेदन करना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : श्री टिकमचन्द जी कान्त।

श्री रामस्वरूप मीणा : कि आप जो भी अस्पताल खोलें निष्पक्ष होकर हमारे क्षेत्र में दो या तीन अस्पताल अवश्य खोलें जो आपकी सीमा में आते हो। यही मेरा निवेदन है। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : अध्यक्ष महोदय, समय कम है, बातें बहुत ज्यादा हैं। चिकित्सा और सरकारी चिकित्सा की सबसे बड़ी आवश्यकता गरीब को है और इसी कारण से इसको विशेष कर जनहित के अन्दर कल्याण के हित में विशेष रूप से देखे जाने की आवश्यकता है। पहला सुख निरोगी काया। जीवन के अन्दर पहला सुख है वह निरोगी काया है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर इस बार का बजट चिकित्सा को हमने समर्पित किया है लेकिन हमने इस ओर बिलकुल ध्यान पूर्व के वर्षों में भी रख के सतत् इसके अन्दर हम वृद्धि करते गये। (व्यवधान) क्या कह रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : बोलने दें माननीय। आप भी नहीं सुनना चाहते हैं उन्हें और आप उनका नाम ले रहे हैं।

श्री टीकमचन्द कान्त : यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने गरीब का, गांव का....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय, अभी आपको भी बोलना है। इसलिये थोड़ा चुप रहें। नहीं तो नम्बर नहीं आयेगा अब।....

श्री टीकमचन्द कान्त : और इस प्रदेश के व्यक्ति का विशेष ध्यान रखा है। बजट के अन्दर हमेशा पूंजी निर्माण की बात आती है लेकिन अगर राजस्थान का व्यक्ति शिक्षित और स्वस्थ हुआ तो यह बड़ी पूंजी का निर्माण है और इस कारण मैं इसको भी एक पूंजी निर्माण के रूप में देखता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जनसंख्या विस्फोट अब भयंकर रूप ले चुका है। हमारी जितनी भी विकास की गंगा है उस गंगा का सारा पानी यह जनसंख्या का विस्फोट पी जाता है। इस धरती के भू-गर्भ से पानी खतम हो गया है। पेड़ों की कटाई करके हमने उसको समाप्त कर दिया है। हम इस पर्यावरण के अन्दर जितना प्रदूषण और बिगाड़ कर सकते थे वह कर लिया। इस जनसंख्या विस्फोट के लिए पूरा विश्व सचेत हुआ है। हिन्दुस्तान भी सचेत हुआ है। हिन्दुस्तान के अन्दर "बिमारू" राज्यों को छोड़कर के केरल सबसे आगे पहुंच गया। अन्य राज्य सबसे आगे पहुंच गये। "बिमारू" राज्यों के अन्दर से एक राजस्थान ही है। सन् 2000 तक 2.1 प्रतिशत की जनसंख्या वृद्धि तक हमें पहुंचना है। आज हमारी स्थिति है 3.45 लेकिन इसके अन्दर राजस्थान ने सबसे पहले ध्यान दिया। अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के अन्दर राजस्थान ने कुछ चीजें पहले की हैं। राजलक्ष्मी बॉण्ड, यह राजस्थान ने सबसे पहले जारी किया हिन्दुस्तान के अन्दर हम कितने सचेत हैं इस ओर। और इसके हमको रिजल्ट मिले, करीबन-करीबन कई हजार परिवारों ने इनका लाभ लिया और इस प्रकार यह जो परिवार कल्याण का कार्यक्रम है यह आगे बढ़ रहा है। इसका लाभ हमें मिल रहा है। अभी

(श्री टीकमचन्द कान्त)

तक, अध्यक्ष महोदय, विकल्प प्रारम्भ किया, अब तक तो सिर्फ यह रह गया था कि हमने कुछ लक्ष्य दे दिये। सरकारी कर्मचारियों को हमने लक्ष्य दे दिये, चिकित्सा विभाग को, वे जायें जबरदस्ती करें, कुछ भी करें और यह लक्ष्य प्राप्त करें। इस बार हमने विकल्प के रूप में लोगों को समझाने से लगाकर के इस चिकित्सा के विभाग का भाग बनाने से अलग हटकर के एक नयी प्रबन्ध व्यवस्था की ताकि लोग ज्यादा शिक्षित हों, ज्यादा निकट आयें उसे अपनायें। यह प्रथम बार राजस्थान ने किया है हिन्दुस्तान के अन्दर।

अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य कर्मी योजना, बांसवाड़ा क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र, दूर दराज का क्षेत्र जहां प्रत्येक व्यक्ति पहुंच नहीं पाता वहां वहीं के लोगों को ही तैयार करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर हम इस विश्व मांग को पूरा करें, इस देश की मांग को पूरा करें और अब राजस्थान, अब अगर इससे आगे जनसंख्या बढ़ती है तो यह राजस्थान को हम सिर्फ खाने लग जायेंगे। गोचर भूमि खा लेंगे हम। स्वयं लोगों को हम खाने लग जायेंगे। यह हालत खड़ी हो जायेगी। इस कारण मैं धन्यवाद देता हूं राजस्थान की सरकार को और मंत्रीजी को कि उन्होंने हिन्दुस्तान के अन्दर पहली बार यह चीजें सोचीं। अध्यक्ष महोदय, आवश्यकता होती है। इन चीजों को लोगों तक पहुंचाने की, आवश्यकता होती है लोगों को सूचना देने की, शिक्षा देने की, आवश्यकता होती है लोगों तक संचार के माध्यम से इन चीजों को पहुंचाने की। अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के अन्दर पहली बार ये आई. इ. सी. (इन्फोर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन) वाला हमने एक अलग ही विभाग कर दिया। इसका डायरक्टर ही अलग कर दिया और इसके माध्यम से लोगों को शिक्षित करने की बात की, लोगों तक सूचना पहुंचाने की बात की, लोगों को इसके अन्दर जोड़ने की बात की, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन योजनाओं का लाभ ले सकें।

साथ ही साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं बात करता हूं कुछ उन कार्यक्रमों की जो राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं। अगर अंधों की संख्या की बात करें अंधापन दूर करने की। अध्यक्ष महोदय, हमें बिलकुल चेतना पड़ेगा। जहां तक हमने इस प्रगति प्रतिवेदन के अन्दर आंकड़े देखे हैं, प्रतिशत देखा है 2.54 अगर अंधता इस प्रकार से राजस्थान के अन्दर है तो आज साढ़े 11 लाख से लगाकर 12 लाख अंधे इस राजस्थान के अन्दर हैं। विश्व के अन्दर जितने भी अंधे हैं उसका तीसरा हिस्सा हिन्दुस्तान में है और उसके अन्दर से जब जाते हुए आयें तो राजस्थान के अन्दर साढ़े ग्यारह लाख, बारह लाख अंधों की संख्या बन गयी है, केट्रेक्ट है, ग्लूकोमा है, वगैरह कई प्रकार जो अंधता के कारण बनते हैं उन सारी बीमारियों के अन्दर। आज उस क्षेत्र के अन्दर, सन् 1968 तक तो जो पूरी की पूरी सहायता होती थी उसके अन्दर जितना भी बजट आता था, सारा का सारा केन्द्र से आता था लेकिन अब राज्य सरकार का और केन्द्र का. दोनों मिलकर के आधा-आधा बजट है इसके अन्दर। मैं चाहता हूं केम्प ज्यादा लगें।

(श्री टीकमचन्द कान्त)

हम सामाजिक संस्थाओं का सहयोग ले रहे हैं लेकिन इस राजस्थान को इस अंधता से से मुक्त करने के लिए आवश्यक है कि इनके कार्यक्रमों पर ज्यादा जोर दिया जाय। प्रतिनिधि भी ज्यादा जो इसके अन्दर दें। हालांकि जिलों के अन्दर सम्पर्क कमेटियां बनी हुई हैं। हमें भी इसके अन्दर सक्रिय होकर भाग लेना चाहिए और यह करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय दो मिनट में समाप्त करें।

श्री टीकमचन्द कान्त : जैसा कि मैंने कहा, अध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त करता हूं। थोड़ी सी बात कहनी है।

श्री अध्यक्ष : बस दो मिनट ही हैं।

श्री टीकमचन्द कान्त : दो मिनट, पांच मिनट जैसा भी दे दें।

श्री अध्यक्ष : जैसा भी नहीं है....

श्री टीकमचन्द कान्त कोई बात नहीं, मांगता रहूंगा आप ही से।

अध्यक्ष महोदय, उप केन्द्रों की बात, सब सेण्टरों की बात अभी वहां से आवाज आयी, 1991 से लेकर के अब तक सब सेण्टर या उप केन्द्र नहीं खोले गये। उप केन्द्रों की अब तक स्वीकृति या उप केन्द्र जो मिलते थे केन्द्र से मिलते थे। हमेशा से होता आया है 1991 से हम लोग मांग करते रहे, राजस्थान सरकार मांग करती रही लेकिन अभी तक हमको एक भी उप केन्द्र केन्द्र सरकार से नहीं मिला और शायद यह घटना अकेले राजस्थान के साथ ही है। अन्य राज्यों को तो शायद मिल रहे हैं। तब कहीं जाकर के, क्योंकि उपकेन्द्र ग्रामीण चिकित्सा के लिए आवश्यक हैं। ग्रामीणजन को चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए उपकेन्द्र आवश्यक हैं। मैं धन्यवाद देता हूं चिकित्सा मंत्रीजी को, मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि 700 उपकेन्द्र इस राज्य की योजना के अन्दर हमने इस बार दिये हैं। और सबसे बड़ी बात केन्द्र सरकार का तो अभी तक 2000 रुपया जो 8000 उप केन्द्र हैं उसके अन्दर मिलेगा प्रत्येक उप केन्द्र के लिये लेकिन हमने उन 8000 केन्द्रों के लिए 2000 और 3000 राज्य का, 5000 उन 8000 उप केन्द्रों को भी देंगे और यह 700 उप केन्द्र जो नये स्वीकृत हुए हैं राज्य की योजना से उनके भी पांच-पांच हजार रुपये राज्य सरकार अपनी योजना से देगी। यह आवश्यक है, ग्रामीणों की आवश्यकता देखकर के इसलिये कई चीजें अभी 300 डिस्पेंसरियों की बात चल रही थी....

श्री हरजीराम बुरडक : खोलने की जो बात कर रहे थे। केन्द्र से पैसा लेने के लिए उनको सबको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम देकर के आपने सब पैसे ले लिये। इस तरह से उनको चला रहे हो। आप गलत बात.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय बिराजिये। मंत्रीजी सब जवाब दे देंगे। बिराजिये आप। मंत्रीजी का काम है जवाब देने का वे दे देंगे। मंत्री दे देंगे। आप उनसे पूछ लेना क्लेरीफिकेशन कर लेना। आप इन्हें बोलने दीजिये अभी।

श्री टीकमचन्द कान्त : प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 1988–89 के अन्दर 83 खोलने

(श्री टीकमचन्द कान्त)

की बात थी। अब हालांकि हमारी एक स्थिति थी उस जमाने में लेकिन अब मैं, ज्योंही यह आठवीं योजना प्रारम्भ हुई उसके पूर्व के अंतिम वर्ष की बात बता रहा हूं। 1989-90 के अन्दर संख्या हमारे पास में थी 1059, यह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या थी और उसके बाद के काल से लगाकर यह 1994–95 का वर्ष इसके अन्दर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या थी 1507. यह वृद्धि की है यह वृद्धि दर्शाती है कि हम इसके अन्दर सतत वृद्धि करते आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एक चीज और....

श्री अध्यक्ष : बस एक मिनट ही बाकी है।

श्री टीकमचन्द कान्त : एक मिनट ही बाकी है, मैं पूरा करता हूं। अब जब 1951 के अन्दर के मेरे पास आंकड़ा है, 1955–56 के आंकड़े हैं मेरे पास में तो अध्यक्ष महोदय, उसके अन्दर 19 हजार लोग प्रति चिकित्सक के हिस्से में आते थे, 19675 लगभग और आज की स्थिति यह है अगर मैं आपको आंकड़ा दूं 1988 89 का तो उस समय के अन्दर 9413 व्यक्ति प्रति चिकित्सक जनसंख्या थी और आज 1994-95 के अन्त के अन्दर की जो जनसंख्या है, प्रति चिकित्सक जनसंख्या है वह है 7978 के लगभग हमारी उपलब्धि है। इसके अन्दर की जाने वाली प्रगति को यह इस प्रकार दर्शाती है। अध्यक्ष महोदय, ज्यादा बात न करके मैं इसको थोड़ा समेटने की कोशिश करूंगा ...

श्री अध्यक्ष : अब थोड़ा समेटने का मतलब क्या है ?

श्री टीकमचन्द कान्त : अब खास बातें पूछनी हैं। मैं कहता हूं कि यह आप पर, मेरे पर सब पर असर करती हैं। एक्सरेज सबसे खतरनाक रेज मानी जाती है। और एक्सरेज के जो, जहां आश्चर्य होता है, इसके कमरों से लगाकर के सारी इस प्रकार की व्यवस्था होती है कि वह रेज बाहर जाकर और किसी को प्रभावित नहीं करें। आज जयपुर के अन्दर जो प्राइवेट एक्सरेज हैं, क्या इस चिकित्सा विभाग ने जाकर देखा है कि एक्सरेज लेते समय उसकी किरणें बाहर नहीं जायें ? वे तो दो-तीन मिलीमीटर चीज को कैसे भी पार करके बाहर निकल जाती हैं और वह सीधी जाती है, और पूरे के पूरे उसके इफेक्ट में, जो जहां कहीं भी आता है, तो प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर एक्सरेज की किरणों का भार जो है यह रेडियेशन खतरनाक होता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस प्रकार जो प्राइवेट एक्सरेज वाले लोग हैं उनके यहां देखा जाये कि जो एक्सरेज प्रतिरोध हो सकती है, वहां, बाहर नहीं जाये और अधिक लोगों को इफेक्ट नहीं करे।

एक दूसरी चीज और, अध्यक्ष महोदय, गर्भपात। मान लिया सरकार ने कह दिया, लेकिन यहां गर्भपात के लिये कितनी आपने परमिशन दी है ? एम. टी. पी. केन्द्र कितने, गर्भपात के केन्द्र जयपुर में कितने, मर्जी आये जिसने गर्भपात का केन्द्र खोल लिया। अध्यक्ष महोदय, करीबन 100 के करीब गर्भपात के केन्द्र जयपुर के अन्दर हैं और मेरा ख्याल है कि दस-बारह केन्द्रों को ही गर्भपात की परमिशन मिली होगी। एक देखिये उसकी प्रिमिसेज,

(श्री टीकमचन्द कान्त)

उसका रूप कैसा होगा एक ट्रेंड डॉक्टर वहां रहेगा, यह सब चीजें नहीं है। अवैध चीजें जो चल रही हैं, अध्यक्ष महोदय, इसको दूर किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री टीकमचन्द कान्त : एक और। मैं बिलकुल ठीक मानता हूं कि राजस्थान की सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। पहले एक चिकित्सक एम.बी.बी.एस. करने के बाद में सीधा एम.डी. के लिये, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिये भी या एम.एस. के लिये जा सकता है। मेरी एक बार चिकित्सा मंत्रीजी से बात हुई थी, वे कहां तक सत्य है, मेरा ख्याल है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण सेवा के तीन साल आवश्यक है या पांच साल आवश्यक है। अगर ग्रामीण सेवा के तीन साल या पांच साल उसने कर लिये तो उसको स्नातकोत्तर में जाने की इजाजत दी जा सकती है, वह जाये, इसको थोड़ा और कठोर बनाइये। एक बात यह कि उसको एम.बी.बी.एस. देने के बाद के अन्दर आप उसको प्रेक्टिस की परमिशन देते हो। अब अगर वह व्यक्ति, इस राजस्थान का, इस जनता का जिसके ऊपर, दस लाख रुपये से अधिक खर्च होता है, एक डाक्टर बनाने के ऊपर, वह व्यक्ति कल अगर अपनी मनमर्जी से, बॉण्ड तो हम भरवाते हैं, उसके बाद में कहता है कि लड़कियां पढ़ कर शादी करके चली जाती हैं.. और हमारे राजस्थान के लोगों का पैसा उस पर खर्च हुआ है। ग्राम कुकड़ा है, जगह-जगह मांग हो रही है लेडी डॉक्टर उनको चाहिये तो फिर रिजर्वेशन लड़कियों के लिये करने की आवश्यकता भी नहीं है, उनके लिये पहला बॉण्ड यह हो कि वे गांवों में जाकर सेवाएं दें। और अगर सेवाएं नहीं दे सकती हैं तो प्रेक्टिस करने का सर्टिफिकेट उनको नहीं देना चाहिये। मेरे दृष्टिकोण से तो यह कानून बना लेना चाहिये ताकि कल कहीं जाकर यह ठीक होगा।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री टीकमचन्द कान्त : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट और, बस दो बात कह कर चुप हो जाऊंगा।...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : बोलने दें माननीया...

श्री टीकमचन्द कान्त : यह एलोपैथिक चिकित्सा, दिन-ब-दिन महंगी होती हुई चिकित्सा, आप मान कर चलिये कि अस्पताल में जाने वाले 90 प्रतिशत लोगों की चिकित्सा में सिर्फ कैप्सूल, दवाइयां, गोलियां, छोटा सा इंजेक्शन इससे पूरा हो जाता है। मुश्किल से दस प्रतिशत लोग ही ऐसे होते हैं जिनके लिये गहन चिकित्सा वगैरह, यह सब कुछ होती है और यह चिकित्सा भी 90 प्रतिशत लोगों के लिये जो है, वह दिन-ब-दिन महंगी होती जा रही है। एक बार फिर सावधान करना चाहता हूं कि यह जो बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आ रही हैं उनकी तरफ से जो दवाईयों का उत्पादन होगा इतना महंगा होगा कि गरीब खा नहीं सकेगा और राजस्थान, हिन्दुस्तान के अन्दर पहला प्रान्त है, जिसने आयुर्वेद का मंत्रालय अपना अलग किया है बाकी केन्द्र ने भी बाद में किया है आयुर्वेद का मंत्रालय अलग और अन्य राज्यों में भी नहीं है। आज राजस्थान के अन्दर आयु-

(श्री टीकमचन्द कान्त)

वेंद की स्थिति क्या हैं ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपको फिर कहता हूं कि इस भारत को बचाना होगा, भारत के गरीब को बचाना होगा। यह सारी की सारी जो दूसरी दवाइयां आ रही हैं, वे धीरे-धीरे व्यक्ति के अन्दर नये प्रकार का एक जहर पैदा कर रही हैं। अगर इससे बचना है तो आयुर्वेद की तरफ जाना होगा, आयुर्वेद की सोच पैदा करनी होगी। आखिर भारतीय पद्धति जायेगी कहां ? एक तरफ हम गर्व से कह सकते थे कि राजस्थान के अन्दर हमने सर्वप्रथम आयुर्वेद का मंत्रालय अलग किया है और आज आयुर्वेद की स्थिति क्या है ? मेरा आपसे, विशेष कर सदन से निवेदन है कि....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप ।

श्री टीकमचन्द कान्त : हम लोग कार्य करें, अच्छा एक चीज और....

श्री अध्यक्ष : एक चीज तो बहुत देर से है, कई माननीय सदस्य बोलने वाले हैं ।

श्री टीकमचन्द कान्त : मैं दूसरी बात नहीं कहूंगा, आयुर्वेद के साथ आपने....

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको चार मिनट ज्यादा दिये हैं गिनती से ।

श्री टीकमचन्द कान्त : आयुर्वेद का एक मिनट और । आयुर्वेद के साथ-साथ में यहां होम्योपैथी और यूनानी, पूरे स्वास्थ्य विभाग का सेक्रेटरी तो एक ही है, होम्योपैथी और यूनानी भी है । अब मैं आपसे निवेदन करूं कि होम्योपैथी दवाई इतनी जबरदस्त है कि आपका केन्सर उससे जा सकता है, आपकी खराब से खराब बीमारी, जिसको एलोपैथी ठीक नहीं कर सकती, वह इससे ठीक हो सकती है । अध्यक्ष महोदय, होम्योपैथी इतनी श्रेष्ठ पद्धति है और होम्योपैथी के लिये कॉलेज वगैरह कुछ खोलने की....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप । श्री शांतिकुमार जी धारीवाल । आप बिराजिये अब । श्री शांतिकुमार जी धारीवाल । (अनुपस्थित) ।

श्री परसादीलाल जी मीणा ।

श्री टीकम चन्द कान्त : यह कर दें कि दसवीं पास लड़का कोई भी छह महीने का कोर्स करके प्रेक्टिस करे तो कम से कम वह अपने परिवार का, दूसरों से दवाइयां लाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मेरा यह आप से निवेदन है कि आयुर्वेद को बचाइये, होम्योपैथी को लाइये और इस प्रकार से इस राजस्थान के स्वास्थ्य को और ज्यादा सुदृढ़ करिये । धन्यवाद ।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, आज स्वास्थ्य की मांग पर चर्चा हो रही है । उसमें बहुत सारे माननीय सदस्य बोल चुके हैं, हमारी सबसे बड़ी.... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आपने ज्यादा लम्बे-लम्बे कर दिये ।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, हर विधान सभा सत्र में बजट के

(श्री परसादीलाल मीणा)

दौरान जो ग्रामीण इलाके से विधायक चुन कर आते हैं उनकी एक ही शिकायत रहती है मंत्रीजी से और इस विभाग से कि गांवों में आपके डाक्टर नहीं रहते, गांवों में नर्स नहीं रहती, गांवों में कम्पाउण्डर नहीं रहते और यह सबसे बड़ा कारण है । कितनी भी अपन व्यवस्थाएं कर लें जब तक डाक्टर गांव में नहीं रहेगा, तब तक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या आपकी दूसरी संस्थाएं गांव के लोगों को फायदा नहीं दे सकती हैं। जैसा कि माननीय बुरडक साहब ने कहा कि पोस्टिंग तो गांव में करवा लेते हैं, जाते ही नहीं हैं, इसका तो माननीय मंत्रीजी आपके पास एक ही उपचार है और उस उपचार को अगर आप कर देंगे तो राजस्थान के गांवों के लोग आपको याद करेंगे। आप इसके दो पार्ट कर दीजिये । शहरों का निदेशालय अलग कर दीजिये और ग्रामीण निदेशालय आप बिलकुल अलग रख दीजिये और दोनों में आप आई.ए.एस. अफसर लगा दीजिये । आज क्या होता है माननीय मंत्रीजी, कोई डाक्टर एक साल तक अस्पताल में नहीं जाता है, केवल अपनी तनख्वाह लेने जाता है, मैंने अभी आपको उसका एक उदाहरण दिया और भी दूसरे कई डाक्टरों के उदाहरण हैं । चतुर्वेदीजी के समय में एक डाक्टर किरण नारंग थीं वह केवल तनख्वाह लेने के लिये जाती थीं, दौसा में अपना क्लिनिक चलाती थीं। कलक्टर तक, विजिलेंस तक सबने कोशिश कर ली, पर आपके आने के बाद उसकी हमने शिकायत की, जांच हुई और वह रिजाइन करके अपने घर बैठ गयी, पर आज सबसे बड़ी हमारे सामने समस्या है कि पी.एच.सी. खुल जाती है, एड-पोस्ट खुल जाती है, सब सेंटर खुल जाते हैं पर आज तक ऐसे सैंकड़ों सब-सेंटर दौसा जिले में हैं जहां पर आपका ए.एन.एम. आज तक नहीं पहुंचा । कागजों में पोस्टिंग है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपको उदाहरण दूं एक बार मेरे एक्सीडेंट में लग गयी थी, मैं दिल्ली गया हुआ था तो बीकानेर हाउस में आपका स्टाफ रहता है वहां से एक ए.एन.एम. को पट्टी के लिये वहां के अधीक्षक ने बुलवाया तो उन्होंने कहा मैं तो आपकी पंचायत समिति ढोब में पोस्टेड हूं और मेरा डेपूटेशन यहां करवाया है । तनख्वाह उठा रही है, मंत्रीजी, ढोब के लालसोट से और नौकरी दे रही है दिल्ली में । ऐसे हालात आपके मंत्रालय में बहुत ज्यादा हैं। गांव के सब ए.एन.एम., डाक्टर कोई नहीं जाते, सब प्राइवेट प्रेक्टिस करते हैं। पोस्टिंग करा लेते हैं गांव में जाने का नाम नहीं । तो, माननीय मंत्रीजी, अगर आप इसके दो पार्ट कर देंगे, गांव का अलग शहरों का अलग । शहरों के माननीय विधायक कभी यह शिकायत नहीं करते हैं कि हमारे डाक्टर नहीं, हमारे नर्स नहीं, हमारे कम्पाउण्डर नहीं, उनके तो भरमार रहती है । उनके तो यह रहता है कि हमें यहां लगवा लो, हमें यहां लगवा लो और हमारी शिकायत रहती है कि हमारे स्टाफ है ही नहीं । आप सारी व्यवस्थाओं को ठीक करेंगे, तो इस विभाग को आप दो पार्ट में कर दीजिये तो आपकी व्यवस्था ठीक हो सकती है । आपके पास जो बार-बार हमारी शिकायतें आती हैं यह शिकायतें आना भी दूर हो जायेंगी ।

दूसरी बात यह है कि आज विधायक वहां जाता है और किसी को चिन्ता नहीं, आपके सी.एम.एच.ओ. को चिन्ता नहीं ।

(श्री परसादीलाल मीणा)

सी.एम.एच.ओ. की सलाह पर ही, सी.एम.एच.ओ. की निगरानी में ही डाक्टर इस तरह की लापरवाही करते हैं। क्या आपके सी.एम.एच.ओ. को पता नहीं कि फलां डाक्टर एक महीने से नहीं है, फलां डाक्टर 6 महीने से नहीं है ? सारा पता है, वह सी.एम.एच.ओ. को सारा पता है, उसकी सलाह से ही, उसकी निगरानी से ही इस तरह की लापरवाही की जाती है। मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में एक दौलतपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है वह 1989 में खुला था, आज तक वहां डाक्टर कभी महीने में एक दिन से ज्यादा नहीं रुकता। आज तक पता नहीं कि आपने दवाइयों का बजट बढ़ाया वह दवाइयां कहां जा रही हैं। आज-कल गांवों में पता ही नहीं है पी.एच.सी. में जैसे आप बता रहे हैं एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 16,000 की दवाइयां हम दे रहे हैं....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 24,000।

श्री परसादीलाल मीणा : 24,000 की दे रहे हैं, माननीय मंत्रीजी, गांव वालों को तो पता ही नहीं आप कौन-कौनसी दवाएं दे रहे हैं। गांव वालों की बात तो दूर, हम एम.एल.एज. को पता नहीं कि आप कौन-कौनसी दवाएं सप्लाई कर रहे हैं। कोई भी मरीज जायेगा, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, फौरन डाक्टर पर्ची लिख देगा कभी कोई इंजेक्शन, कोई गोली, कोई कैप्सूल गांव वालों को बिलकुल नहीं दिये जाते हैं। सारे बजट को डाक्टर अपनी प्राइवेट प्रेक्टिस में, डाक्टर के घर जाओ दिखाने तो 100 रुपये का नोट दो और दिखाने के बाद वह दवाई भी वही दे देगा कि इतने पैसे और दे दो। सारी दवाइयों को आपके डाक्टर काम में ले रहे हैं और वह डाक्टर प्राइवेट प्रेक्टिस कर के उन दवाइयों का उपयोग करते हैं। गरीबों के नाम जो दवाइयां आप देते हैं वह बिलकुल गांवों में काम में नहीं आ रही हैं। आप कह रहे हैं कि हम सब-सेण्टर में ही पांच-छह हजार की दवाई देते हैं। मंत्रीजी, सब-सेण्टर जब चालू ही नहीं हुए, आपको मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बीसों सब-सेण्टर बता दूं जहां पर आज तक आपकी ए.एन.एम. नहीं लगी। वह कागजों में सैंक्शंड है, कागजों में स्टाफ लगा हुआ है। आपकी दवाइयां भी कागजों में आ रही हैं क्या ? कौन इसको देख रहा है, कौन क्या कर रहा है ? मैं आपको बता दूं कि हमारे एक सब सेण्टर कोलीवाड़ा है, घाटा, भीलवाड़ा खुर्द है, वहां आज तक स्टाफ ही नहीं गया। एक ही सब-सेण्टर है क्या वहां, चालू ही नहीं हुए और आपकी दवाइयां जा रही हैं। इस तरह की जो आपकी व्यवस्थाएं हैं उनको आप देखिये।

मैं आपको कहना चाहूंगा एस.एम.एस. हॉस्पिटल, जयपुर के बारे में। जयपुर के कालीचरणजी ने बहुत कहा कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, डाक्टर जितेन्द्रजी कह गये बहुत अच्छी व्यवस्था है। सब कह रहे हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्था है। माननीय मंत्रीजी आपके अस्पताल में भर्ती होने से पहले सम्बन्धित डाक्टर के घर पर दिखाएं तो उसका एडमिशन होगा नहीं कह देंगे कि कोई बैड खाली नहीं है। अगर वह पैसा ज्यादा देगा तो उसको बैड भी मिल जायेगा। और यह पैसे वाले लोगों को, सिफारिश वाले लोगों को ही बैड मिलता

(श्री परसादीलाल मीणा)

है। जिसकी सिफारिश नहीं हो, जिसके पास पैसा नहीं हो उसको एस. एम. एस. में बैड तक नहीं मिलता। सैंकड़ों मरीज वहां फर्श पर मिलेंगे, उनको गद्दे तक नहीं दिये जाते हैं इस तरह के हालात हैं आपके अस्पताल में। हमारे पास सैंकड़ों लोग हमारे निर्वाचन क्षेत्र के आते हैं, मंत्रीजी, कि साहब फलां डाक्टर को, यादव साहब को या नवलखा साहब को टेलीफोन कर दो हम को बैड मिल जाये, हमारा एडमिशन हो जाये। इस तरह की हालत है। डाक्टर के घर पर बताये बिना किसी का एडमिशन नहीं होता है आपके अस्पताल में। आप इन व्यवस्थाओं को देखिये। एक-एक डाक्टर की जो जयपुर में बैठे हैं, बड़े मठाधीश बैठे हैं, जो अपने आपको मठाधीश मानते हैं, उनकी 10,000 रुपये रोज की, मंत्रीजी, घर पर प्रेक्टिस है। अस्पताल में बिलकुल नहीं बैठते हैं और वह अपने घर बैठ कर प्रेक्टिस करते हैं, 10,000 रुपये रोज कमाते हैं। आज आप देख लीजिए उनकी कितनी प्रोपर्टी है। आप उनको जरा भी जयपुर से हिला नहीं सकते। एक डाक्टर को, माननीय मंत्रीजी, आप चाह कर भी हटा देंगे तो जैसे आसमान फट जायेगा वैसी घटनाएं हो जायेंगी। आप हिला सकते हैं किसी डाक्टर को जयपुर में से ? आप किसी डाक्टर की प्राइवेट प्रेक्टिस बंद कर सकते हैं ? पहले घर दिखाओ उसके बाद अस्पताल जाओ। किसी भी अस्पताल में चले जाओ। आज क्यों जयपुर की तरफ लोगों का पलायन हो रहा है गांव में क्यों नहीं ? आज गांव का आदमी, चलो जयपुर चलें, गांव में कोई इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं हैं, मंत्रीजी, मेरा आपको सुझाव है कि आप जिला लेवल के अस्पताल पर ऐसी सुविधाएं मुहैया कराएं जिससे आपके गांव के लोगों का यहां पर एस.एम.एस. पर दबाव नहीं रहे।

श्री अध्यक्ष : माननीय, एक मिनट में समाप्त करें। एक मिनट और शेष रहा है।

श्री परसादीलाल मीणा : एक मिनट ही ?

श्री अध्यक्ष : हां।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरे को बहुत कम टाइम दिया है।

मेरा दूसरा सुझाव है। मंत्रीजी, आपके जो खाद्य निरीक्षक हैं यह कितने सैम्पल लेते हैं ? एक भी नहीं लेते, यह सब व्यापारियों से, सब दुकानदारों से मन्थली ले रहे हैं। एक भी सैम्पल नहीं भरते हैं और सैम्पल भरते हैं तो ऐसा लेते हैं कि लेबोरेटरी में उनके माफिक रिपोर्ट आ जाये। सारी मिलावट हो रही है, सारा सब-कुछ हो रहा है और आपके निरीक्षक लखपति और करोड़पति बनते जा रहे हैं। सब की दुकानदारों से मन्थली बंधी हुई है। मैंने कभी भी नहीं सुना कि आज कोई निरीक्षक मार्केट में या कहीं भी सैम्पल लेने आया हो, सब जगह मिलावट हो रही है। खाद्य में मिलावट हो रही है, तेलों में मिलावट हो रही है, सारी चीजों में मिलावट है। आपके विभाग में किसी तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं है। आप इन बातों को देखें। मैं

(श्री परसादीलाल मीणा)

आपको कहना चाहूंगा कि बर्न यूनिट बनी हुई है, अध्यक्ष महोदय, उसमें मौत हुई है। दीवाली के टाइम मीणा लड़की की मौत हुई उसकी आपने जांच कराई और जांच रिपोर्ट, जैसा मुझे पता चला है, माननीय मंत्रीजी, आपके पास आ चुकी है। आ चुकी है तो उसमें आप कार्यवाही करें, जिस डाक्टर के खिलाफ कार्यवाही करने की सिफारिश की है आपके अधिकारी ने आप उसके खिलाफ कार्यवाही करें। रिपोर्ट मंगा कर आप बतायें, क्योंकि यह मामला हाउस में उठा है, मंत्रीजी, अगर जांच रिपोर्ट आ गयी, अगर किसी डाक्टर के खिलाफ उसमें कार्यवाही करने की सिफारिश की है तो आप आज ही घोषणा करिये हाउस में कि मैं उसके खिलाफ यह कार्यवाही कर रहा हूं।

मंत्रीजी, मैं आपको बताऊं, ए.सी.डी. ने कई डाक्टरों के छापे मारे, रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़े। आपको उदाहरण के लिए बताऊं, मंत्रीजी, गंगापुरसिटी में जो डाक्टर चन्द्रा जैन है उसको 300 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों डी.एस.पी., ए.सी.डी., सवाईमाधोपुर ने पकड़ा। पहले वह 300 रुपये लेती थी अब कहती है मेरी फीस बढ़ गयी, अब 500 रुपये लेती है और वहीं बैठी है। आप उसका ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप उसको निलम्बित भी नहीं कर सकते फिर किस बात का यह ए.सी.डी. और किस बात की यह सारी व्यवस्थाएं आपकी हैं? मंत्रीजी, अगर उसके खिलाफ ए.सी.डी. ने छापा मारा है, पुलिस से उसकी जमानत हुई है, उससे पैसे बरामद किये हैं 300 रुपये भ्रष्टाचार के उसमें क्या किया? मंत्रीजी, अगर एक डाक्टर के खिलाफ इस तरह की कार्यवाही नहीं होती है तो फिर 300 लेती थी वहीं 500 रुपये लेती है अब और वहीं गंगापुरसिटी में बैठी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय, समाप्त करें अब।

श्री परसादीलाल मीणा : वह कहती है कि मेरे तो 50,000 रुपये खर्च हो गये हैं। ऊपर अधिकारियों को देने के लिए। यह जो आपके डाक्टर-डाक्टर भाई-भाई, कर्मचारी-कर्मचारी भाई-भाई, मास्टर-मास्टर भाई-भाई, इस तरह का यह जो वातावरण चल रहा है....

श्री रामस्वरूप मीणा : इन्होंने पहले भी मांग की है इसकी।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, रामस्वरूपजी, बोलने दें इन्हें।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, डाक्टर-डाक्टर भाई-भाई, मास्टर-मास्टर भाई-भाई, कर्मचारी-कर्मचारी भाई-भाई और सब कहीं भी आओ जाओ, इस तरह का जो वातावरण बना हुआ है, मंत्री जी, आप उस वातावरण को हटाने के लिए, आपका डायरेक्टर कौन है आज? आपका डायरेक्टर डाक्टर और जिसके खिलाफ शिकायत है वह डाक्टर, आखिर कार्यवाही करेगा कौन? आप इन सब डायरेक्टर्स को हटा कर इनको मूल विभाग में पहुंचा दें....

श्री अध्यक्ष : परसादी लालजी, बिराजिये आप।

श्री परसादीलाल मीणा : और आई.ए.एस. अधिकारी डायरेक्टरेट में बैठाइये जिससे आई.ए.एस. अधिकारी एक निर्णय

(श्री परसादीलाल मीणा)

कर सके। जिस डाक्टर के खिलाफ कार्यवाही होगी आई.ए.एस. को वह डाक्टर कभी प्रभावित नहीं कर सकता है। आपने आई.ए.एस. को तो ई.एस.आई. में बैठा रखा है, कहीं किसी कोने में बैठा रखा है, आपने डाक्टर गहलोत, कोई गुप्ता और कोई और कोई, ऐसे बैठा रखें हैं, क्या कार्यवाही करेंगे वो। मेरा आपसे सुझाव है, माननीय मंत्रीजी, कि आप अपना जवाब देते समय....

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। श्री राजेन्द्रजी गहलोत। (अनुपस्थित)।

श्री परसादीलाल मीणा : ग्रामीण और शहर की चिकित्सा व्यवस्था के लिए अलग-अलग डायरेक्टरेट की घोषणा करें।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीरजी भगोरा।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात की शुरूआत इससे करता हूं कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। माननीय हमारे एक सदस्य ने बात उठायी, परन्तु निरोगी काया रहेगी कहां से? हमारे देश की 60 प्रतिशत आबादी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है और जब उसको खाने पीने की सुविधा ही नहीं है, कुपोषण की स्थिति है तो कैसे निरोगी काया रह सकती है? इसी तरह से माननीय परसादीलाल जी ने दो बातें कहीं। कि हमारे यहां खाद्यान्नों में मिलावट होती है, हम जब मिलावटी खाना खायेंगे तो हम निरोगी कैसे रह सकते हैं? शुरूआत जो मैंने इसी हिसाब से की है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने बताया फूड इंस्पेक्टर, सैनेटरी इंस्पेक्टर किस तरह की ड्यूटी अंजाम देते हैं, हमारे उदयपुर में ऐसे नौ इंस्पेक्टर हैं। नौ महीने में सिर्फ नौ सैम्पल दिये। जब इसका मूल्यांकन किया गया था उपभोक्ता संरक्षण परिषद् ने, यह सोचने की बात है कि क्या ड्यूटी वह अंजाम दे रहे हैं, क्या उनका कोई मूल्यांकन करता है? उनकी ए. सी. आर. वगैरह कैसे भरी जाती हैं? कैसे उनके प्रमोशन होते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात करूंगा। हमारे यहां जो कुपोषण की स्थिति है, हमारे ग्रामीण लोगों को सर्वप्रथम जो चिकित्सा विभाग का पैरामेडिकल स्टाफ है उन्हें स्वास्थ्य की और पोषण की शिक्षा देने की आवश्यकता है। और वह जन साधारण तक इस संदेश को पहुंचाये।

दूसरी बात, माननीय मंत्री महोदय ने हमारे आदिवासी अंचल में डाक्टरों की पोस्टिंग का बहुत प्रयास किया। मैं इसके लिये इनको धन्यवाद देता हूं। परन्तु कोई डाक्टर मुख्यालय पर नहीं जाता है। इसका कारण क्या है? मुख्यालय पर उनके आवास की व्यवस्था नहीं है। सब सेण्टर के भवन बने हुए नहीं हैं। जब भवन बनें। चाहे चिकित्सालय ही हों। उनके बाद उन भवनों के रिपेयर्स का कोई प्रोविजन विभाग में नहीं है। हमने प्रयास करके जिलों में, चाहे जवाहर रोजगार योजना हो या और किसी योजना में भवन बनवा कर दिये। पर कभी रिपेयर्स का प्रावधान विभाग ने कर ही नहीं रखा है। इन भवनों की स्थिति बड़ी जीर्ण-शीर्ण हैं।

(२४७)

(श्री महावीर भगोरा)

इसी तरह से डाक्टरों के अभाव में गांवों में सैंकड़ों नीम-हकीम जगह-जगह पर अपनी प्राइवेट प्रेक्टिस करके लोगों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर बात बताता हूं कि इनके जो क्लास फोर्थ हैं, वार्ड ब्वाय हैं वो तो डाक्टर हैं ही परन्तु गांवों में एक मास्टर है, वह भी डाक्टर बना हुआ है। एक व्यापारी डाक्टर बना हुआ है। चिकित्सा संबंधी जो दवाई बांटता है वह बन जाय डाक्टर तो हमें कोई एतराज नहीं है। पर इसमें भी कोई निगरानी नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस पर मेहरबानी करके, कठोर कार्यवाही करें।

जैसे विदेशों में लोग कहते हैं कि हिन्दुस्तान में हर आदमी डाक्टर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनके जो स्टोरेज हैं उनमें दवाइयां आउट डेटेड होती जाती हैं पर कोई लायबिलिटीज फिक्स नहीं होती है, न उनके भौतिक सत्यापन की कोई व्यवस्था है। हमारे यहां सब सेण्टरों पर और आंगन बाड़ी केन्द्रों पर किट को रिफिलिंग की व्यवस्था का प्रोविजन है, परन्तु वहां कोई रिफिलिंग व्यवस्था नहीं है और इसी वजह से गांवों में यह जो नीम-हकीम हैं, यह विकसित हो रहे हैं।

इसी तरह से जो उपकरण हैं चिकित्सालय में, चाहे एक्स-रे मशीनें हो या और कोई उपकरण हमने कई हॉस्पिटलों में यहां विजिट किया था तो काफी अधिक उपकरण बेकार पड़े हुए हैं और कभी उनकी मरम्मत की व्यवस्था नहीं होती है। कई ऐसे विभाग हैं जहां समय पर उपकरण बदले जाने चाहिये। पर वहां भी कोई बदलने का प्रोविजन इनके विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। मेरा आग्रह है कि समय पर उपकरण बदले जाने चाहिये।

इसी तरह से आपने स्वास्थ्यकर्मी योजना लागू की है। इसके लिये मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। इससे हमारे क्षेत्र के लोगों को निश्चित रूप से चिकित्सा की सुविधा मुहैय्या होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूं कि हमारे यहां उदयपुर जिले में एकमात्र टी.बी. हॉस्पिटल है। उस टी.बी. हॉस्पिटल में जो भी डाक्टर अपने पोस्टेड कर रखे हैं, पर कोई भी मुख्यालय पर नहीं रहता है। वहां आवास व्यवस्था है डाक्टरों की पर सब उदयपुर शहर में रहते हैं और प्राइवेट प्रेक्टिस करते हैं। अभी एक और मेरे ध्यान में आया है। मैंने 131 में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दिया है कि अभी बी.एफ.सी. में पोस्ट भेजी है, वह टी.बी. के डाक्टर्स की भेजी है। हमारे यहां दबाब तो एक्सीडेंट की वजह से आर्थोपेडिक्स में है या जनाना अस्पताल में है, उनमें नाम नहीं भेजे हैं। इसके पीछे क्या कारण हैं? मंत्री महोदय देख लें। मैं तो ज्यादा निवेदन यहां पर नहीं करना चाहता।

दूसरा निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय, कि अभी जो वर्तमान व्यवस्था कर रखी है कि हॉस्पिटलों में, छोटे-मोटे क्लिनिक्स में जो टैस्ट होते हैं, उनमें उनको फीस देनी पड़ती है। उदयपुर सम्भाग ऐसा है जो आदिवासी इलाका है

(श्री महावीर भगोरा)

वहां गरीब लोग हैं। वह वहां जाकर भारी फीस देकर जांच नहीं करा सकते हैं। मैं चाहता हूं जैसी पूर्व में व्यवस्था थी आप इन जांचों को फ्री करायें।

इसी तरह से दवाइयों का मामला है। आदिवासी क्षेत्र में कितनी दवाइयां उन हॉस्पिटल्स में और गरीबों तक पहुंचती है। मेहरबानी करके वहां दवाइयों के लिये राशि बढ़ायें। दवाइयां समय पर आप उपलब्ध करायें। एक निवेदन यह है।

दूसरी बात उदयपुर संभागीय मुख्यालय है, वहां मेडिकल कालेज का हॉस्पिटल है। उस मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल, उस हॉस्पिटल का नियन्त्रक भी है, यह आपकी व्यवस्था में है। पर हमने तो कभी हमारे प्रिंसिपल साहब को मैन बिल्डिंग में उनका दफ्तर था पहले, वह भी हटा लिया और अब पता नहीं वह कहां बैठते हैं। पांच-छह महीने से तो वह गायब ही हो गये। मेरा आग्रह है कि आप उदयपुर हॉस्पिटल पर थोड़ी मेहरबानी करें, ध्यान दें।

एक सिटी-स्केन की मशीन आयी वहां, अध्यक्ष महोदय, उस सिटी-स्केन मशीन की क्या हालत है ? पहली बात तो चार महीने में वह छूटी ही नहीं, क्या दुर्दशा है ? और छूटने के बाद आज यह हालत है कि गरीब भटकता रहता है, प्राइवेट क्लिनिकों में जाकर सिटी-स्केन दो हजार, चार हजार रुपये में कैसे करा सकता है गरीब आदमी। उस मशीन को शुरू करवाओ। उसमें एक पुर्जा खराब हो गया। दिल्ली उसको बदलवाने के लिये, सही करवाने के लिये उसकी इतनी कीमत नहीं है जितनी बार उसके लिये कर्मचारी आते-जाते रहे हैं। पर आज तक तो वह पुर्जा बदल कर आयां नहीं और मशीन खराब पड़ी है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें। माननीय।

श्री महावीर भगोरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक संक्षिप्त में और निवेदन करना चाहूंगा मैं। हमारे क्षेत्र में जो अरावली क्षेत्र है। यहां प्राकृतिक चिकित्सा की बहुत-सी औषधियों के पौध उपलब्ध हैं। उन पौधों के संग्रहण की व्यवस्था, जो हमारे आयुर्वेद मंत्रीजी हैं, वह करें और वन विभाग के सहयोग से ऐसी औषधियां इस क्षेत्र में विकसित हों, उनके पौधों की नर्सरी डवलप करें और कहना चाहिये कि जो रासायनिक प्रयोगशालाएं हैं, इनके माध्यम से पौध डवलप करके और औषधियां उपलब्ध करायें क्योंकि गरीब लोग इतना मंहगा इलाज आज की तारीख में नहीं करा सकते हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय, नहीं करा सकते गरीब। श्रीमती कमला जी।

श्री महावीर भगोरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और कहना चाहूंगा। ट्राइबल एरिये में सी.एस.सी., पी.एच.सी. या सब सैण्टर्स खोलने के जो नोर्म्स आबादी के आधार पर कर रखे हैं, मेरा आपसे आग्रह है कि आप इन्हें दूरी के आधार पर करें माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, ताकि लोगों को सुविधा मुहैय्या हो सके। और इन सी.एस.सी. और पी.एच.सी. में जो

(श्री महावीर भगोरा)

डाक्टरों की पोस्ट हैं, उनको हटा दीजिये आप। हमें तो वहां आप कम्पाउण्डर ही दे दीजिये और स्पेशल प्रशिक्षण देकर कम्पाउण्डर की पोस्ट कराइये। आपने समय दिया। इसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। बिराजिये। श्रीमती कमला जी।

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिये तो सन्तोष प्रकट करना चाहती हूं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिये बजट काफी ज्यादा रखा गया है। लेकिन राजस्थान में जितनी बड़ी आवश्यकता है, जितनी मांग है और जितनी स्थितियां है, उसके अनुपात में फिर भी वह बहुत मामूली सी चीज है। लेकिन जितनी भी आपके पास आई है इस संबंध में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि आज की जो स्थितियां हैं, हॉस्पिटल की, दवाखानों की, मरीजों की, डाक्टर्स की स्थिति वह बहुत से माननीय सदस्यों ने कही है। मैं उसको किसी और प्रकार से जोड़ना नहीं चाहती। सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं कि आप आने वाले पांच-दस बरसों के लिये एक योजना इस प्रकार की बनायें कि हम इस साल के अन्त तक इतनी पापुलेशन पर सब सेण्टर्स जरूर कायम कर देंगे और इतनी पापुलेशन पर एड पोस्ट या एक औषधालय जरूर दे देंगे और इतनी पापुलेशन पर एक प्राइमरी हैल्थ सेण्टर या 'ए' क्लास का औषधालय अवश्य दे देंगे और इतनी पापुलेशन पर एक मातृ शिशु चिकित्सा केन्द्र हम जरूर दे देंगे और इतनी पापुलेशन पर एक रेफरल अस्पताल 30 बैड का या 100 बैड का देंगे। इस तरह के मापदण्डों के अनुसार आप एक समयबद्ध योजना तैयार करके उस हिसाब से राजस्थान को चिकित्सा सुविधा दें और उसके जो माकूल इंतजामात और देखरेख इम्प्लीमेंटेशन का जो एक बहुत सख्त काम है, उसको भी अगर उतनी तहे दिल से लगा सकें तो वह बहुत बड़ी तरक्की या बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी होगी। मैं विशेष तौर पर जो हमारी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है, प्राकृतिक और योग पद्धति है, होम्योपैथी है और यूनानी है। इसके बारे में खास तौर से आपसे निवेदन करना चाहती हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम वो राज्य हैं जिनको यह गौरव प्राप्त है कि यहां राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कायम है। यह राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जो दिल्ली में जो मेडिकल का संस्थान है, उसके बराबर का एक संस्थान देश में कायम किया हुआ है और इसकी स्थापना भी इसी हिसाब से की गयी थी कि आल इण्डिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो दिल्ली में है, उसी पैटर्न पर इसको यहां लागू किया गया था। किस प्रकार से हम राजस्थान में संघर्ष करके और उस वक्त के मंत्रीजी से, उस वक्त के मंत्रालय से बहुत संघर्ष करने के बाद इसको लाये थे। मैं उस वक्त में मंत्री थी इसलिये मुझे मालूम है। कैसे सीधे पार्लियामेंट हाउस में डाक्टर कर्ण सिंह जी से एक पर्ची पर लिखवाया कि आप यह-यह व्यवस्थाएं कर देंगे तो हम आपको देंगे। सीधा जोधपुर हाउस में मुख्य मंत्रीजी, जोशीजी, बिराजमान थे

(श्रीमती कमला)

उसी पर्चों पर लिखकर ले गयी कि जो आप शर्तें लगा रहे हैं उसको हम मंजूर करते हैं। वापस पार्लियामेंट हाउस में उनके चेम्बर में जाकर इसके लिए उनसे स्वीकृति कराकर आयी कि राजस्थान इसका पहला हकदार है इसलिए आपको यह दिया जायेगा। उसके बाद, अध्यक्ष महोदय, जब यह कायम हो गया तीन महीने तक लगातार उसके ऊपर काम करके आल इण्डिया मेडिकल इन्स्टीट्यूट के पैटर्न पर उसका मैंने पूरा फार्म बनाया, उसकी पूरी पोथी बनायी, उसकी पूरी प्रोफाईल्स बनायी। लेकिन उसके बाद आज वह संस्थान वहीं का वहीं है। इसलिए मेरा आयुर्वेद मंत्री जी से यह निवेदन है कि आप यह न समझें कि एलोपैथी के इस महा समन्दर में आयुर्वेद एक छोटी सी बूंद है। आयुर्वेद का अपना एक बहुत बड़ा अस्तित्व है, उसकी अपनी एक संस्कृति है, उसका अपना एक बहुत पुराना चिकित्सा पद्धति का भण्डार है और वह हमारी एक बहुत बहुमूल्य धरोहर है जिसे हमें एलोपैथी पद्धति के मुकाबले में बहुत प्रभावी और बहुत व्यापक रूप से कायम करने की जरूरत है।

सबसे पहली जरूरत यह है कि इस आयुर्वेद संस्थान के लिए जो हमने पांच साल का या उसके स्वरूप का जो इतना बड़ा प्रोफाइल बनाकर तैयार किया हुआ है जो कहीं पर आलमारी में रखा होगा इतने वर्षों से, 1977 के पहले की बात है। उसके बाद आज तक इसमें वह कोई भी व्यवस्थाएं नहीं हैं जो आल इण्डिया मेडिकल इन्स्टीट्यूट के अन्दर है और यहां पर भी उस प्रकार होना चाहिए। इसमें एजुकेशन भी होना चाहिए, शोध भी होना चाहिए, एक्सटेन्शन भी होना चाहिए। इसके हर्बल फार्म्स एण्ड फार्मेसी वगैरह के जो अंग हैं उनको भी उसी तरह से बढ़ाना चाहिए। जो आज हमारे यहां पर कुछ नहीं हो रहा है।

मेरा आपसे निवेदन है कि कोई एक दिन बैठकर के आप इस आयुर्वेद संस्थान के महत्व को सारी दुनिया के सामने प्रतिपादित करने के लिए एक रास्ता बनायें, मीटिंग करें और इसे लागू करने के लिए मौका दें राजस्थान को।

दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि आयुर्वेद की जो कुछ व्यवस्थाएं हैं मैंने अपने समय में सात योजनाएं आयुर्वेद को दी थीं। एक योजना यह थी हम तमाम क्लाइमेटिक जोन्स के अन्दर चाहे नदी किनारा है, चाहे कोई नाले हैं, चाहे कोई पहाड़ है, चाहे बंजर जमीन है, चाहे खेतों के डोले हैं वहां जो भी दवाइयां आज बन रही हैं या खड़ी हो रही हैं वह तमाम वैद्य उस एरिये के उसको संकलित करेंगे कि हमारे क्षेत्रों में यह-यह दवाइयां आज के दिन खड़ी हैं और बन रही हैं और इनको हम संकलित कर सकते हैं। मैंने तमाम वैद्यों को, तमाम अधिकारियों को आदेश देकर के वह सारा ब्यौरा तैयार करवाया। उसके बाद दूसरी यह योजना बनायी कि जिस क्लाइमेटिक जोन में जो दवाई पैदा होती है अपने नेचुरल इनग्रेडियन्ट्स के साथ में उसमें हम उनको हर्बल फार्म्स से तैयार करेंगे। एज रेवेन्यू मिनिस्टर मैंने बहुत जगहों पर हर्बल

(श्रीमती कमला)

फार्म्स के लिए जमीन दिलवायी, कुए खुदवाये, हर्ब्स लगवायीं और उनको तैयार करवाने का काम किया, जो राजस्थान भर में तैयार होने जा रहा था। लेकिन महकमा बदलने से या व्यवस्थाएं बदलने से वहां का वहां मौजूद है। इसलिये वह व्यवस्था हमें करनी है।

तीसरी, जो चीज हमें करनी है वह यह है कि जितने भी हर्बल फार्म्स हैं उनके साथ फार्मेसीज बनानी हैं, क्योंकि जो जेन्युइन प्लाण्ट्स और हर्ब्स खड़ी हुई हैं उन्ही के ऊपर आपकी चमत्कारिक दवाइयां तैयार होंगी। कितनी-कितनी पुरानी सड़ी गली, सब स्टैण्डर्ड दवाइयां आज खरीद कर के हम बोरों में डाल देते हैं। वह दवाइयां आयुर्वेद के उस चमत्कार को नहीं दिखा सकती जो हमारा आयुर्वेद वर्षों से दिखाता चला जा रहा है। इसलिये वह जेन्युइन दवाइयों का हर्बल फार्म्स, उनके साथ हर्बल फार्मेसी। मैंने तीस एकड़ जमीन झालाना डूंगरी में हमारे इस संस्थान के लिये दी थी, पजेशन भी ले लिया था। बाद में न मालूम किस कारण से वह सारा का सारा एरिया दूसरे विभाग को दे दिया गया और वह हर्बल फार्म्स फार्मेसी वहीं की वहीं धरी रह गयी।

उसके बाद दुबारा जब मैं रेवेन्यू मिनिस्टर बनी तो दूसरी जगह पर मैंने इनको फार्म दिया है लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई डवलपमेंट नहीं हुआ है। तीसरा, मैंने यह किया था कि एक औषधि निगम बनाने का प्रस्ताव किया था कि इस औषधि निगम के जरिये से हम क्लिनिकल टैस्ट करेंगे और जो हमारा लेबोरेट्री टैस्ट है वह दोनों तैयार करेंगे। उसके माध्यम से हम प्रामाणिक दवाइयां तैयार करके न सिर्फ इस प्रदेश को बल्कि दूसरे प्रदेशों को भी देंगे।

एक मैंने यह तैयार किया था कि जो आज बुजुर्गवार हैं, हमारे आयुर्वेद के धुरन्धर चिकित्सक हैं, उनके सबके पास जो कुछ भी ज्ञान है उसको इकट्ठा करो और, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि हमने राजस्थान के तमाम जो भी इस तरह के चिकित्सक थे उनसे एक-एक दवाई के बारे में बीमारी के सन्दर्भ में इतना बड़ा वोल्यूम तैयार किया था उन दवाइयों का, फिर हमने एक इकट्ठा डाक्यूमेंट तैयार किया और वह पब्लिश कराके हम राजस्थान के घर-घर में देना चाहते थे। लेकिन जब वह बदल गया तो वह सारी इतनी मेहनत की हुई, वह डाक्यूमेंट आज भी कार्यालय में है या नहीं है पता नहीं लेकिन अगर वह कहीं मौजूद है तो मेरा निवेदन है कि आप उसको डिपार्टमेंट से निकलवाइये, उसको पब्लिश करवाइये। उसमें इतनी चमत्कारिक, उन लोगों के अनुभूत नुस्खे हैं कि अगर उनको लागू किया जाये तो मैं समझती हूं कि मुर्दे को भी खड़ा करने की जो कहावत आयुर्वेद में चलती है वह उसमें मौजूद है और मैं इसका आपको प्रत्यक्ष प्रमाण बता सकती हूं।

मैंने जो चौथा आइटम रखा था वह यह था कि इनके आधार पर हम संगोष्ठियां करेंगे कि जिस-जिस वैद्य ने जिस-जिस बीमारी के लिये जो इलाज बताया है उसका परीक्षण करने से क्या नतीजा निकलता है, वह संगोष्ठियां हुईं, उनके परिणाम भी देखे लेकिन दो-तीन संगोष्ठियों के बाद

(श्रीमती कमला)

आगे फिर वह काम चल नहीं सका। इसके अलावा एक और इसमें योजना जोड़ी थी कि हम जहां-जहां, जिन-जिन एरियाज में जिस प्रकार के ज्यादा रोगों का प्राबल्य है वहां पर साल में एक बार हम शिविर लगायेंगे और देश भर के जितने भी अच्छे आयुर्वेद के चिकित्सक हैं उन सबको भी उसके अन्दर इनवाइट करेंगे और चार-पांच दिन के उस शिविर के अन्दर आयुर्वेद के माध्यम से, जेन्युइन जड़ी-बूटियों से विधिवत फार्मेसीज में तैयार की हुई, विधिवत टेस्टेड की हुई दवाइयों के जरिये से हम उसका इलाज करेंगे।

तो, इस तरह के छह-सात प्रोग्राम मैंने आयुर्वेद के लिये तैयार किये थे और उस वक्त हमारे जो वैद्य, जो अपने आपको वैद्य कहने में शर्माते थे, वह बड़ी शान के साथ कहते थे कि हमारा विज्ञान, हमारी चिकित्सा पद्धति दुनिया में सर्वोपरि है इसलिये हम आयुर्वेद के चिकित्सक हैं। यह हमारे लिये गौरव की बात है। लेकिन उसके बाद से आज तक आयुर्वेद के लिये कोई व्यवस्था, कोई उसको आगे बढ़ाने की या इस संस्थान का उपयोग करने की हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं हुई।

मैं मंत्री महोदय से चाहती हूं और खास तौर से सरकार मे के सभी मंत्रियो से निवेदन करती हूं कि जो गैट आया है, जो डंकल आया था और आज जो डब्ल्यू. टी.ओ. आया, 'वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाइजेशन' यह आज हमारे इस आयुर्वेद के लिये बहुत बड़ा दरवाजा खुला है कि हम अपनी इस सारी चिकित्सा पद्धति को अगर वैज्ञानिक ढंग से, विधिवत परीक्षणों के साथ प्रामाणिक करते हुए एक बड़े पैमाने पर जितना खर्च आज आपने एलोपैथी को दिया है उसी के बराबर अगर आप आयुर्वेद को दें तो मैं समझती हूं कि राजस्थान से वह विद्या शुरू हो सकती है कि अन्तरराष्ट्रीय केन्द्र बनेगा। जहां से हम इस तरह की दवाइयां, इस तरह के उपचार देंगे कि वह सिर्फ प्रतिक्रियाएं नहीं करेंगी बल्कि इतने गम्भीर लाइलाज रोगों का इलाज करने के लिये आपको रास्ता बतायेंगी। मेरा निवेदन है कि इसे मामूली चीज न समझें, यह बहुत बड़ी चीज है और बहुत उपयोगी चीज है और आज इसका दरवाजा खुला है उसका हमें उपयोग करना चाहिये।

इसके साथ ही प्राकृतिक चिकित्सा और योग को भी बताना चाहती हूं। आज इसकी जितनी जरूरत है शायद पहले कभी नहीं थी। पहले जमाने में जब छोटा सा परिवार होता था, ज्यादातर लोग संयम से रहते थे तो इतनी ज्यादा इस तरह की व्यवस्थाओं की जरूरत भी नहीं होती थी लेकिन सबसे ज्यादा उस वक्त ही इसका प्रचलन था। आज जब मनुष्य के इतने मानसिक तनाव हैं, जब इन्सान अपनी सोच-समझ को खो बैठता है, लोभ-लालच में और दुनिया भर के अपराधों के बीच वह फंसा हुआ है और इतने टेंशन से अनेक बीमारियां उसने पाल रखी हैं उस वक्त में योग का आज के दिन किसी भी दवाई से सबसे ज्यादा उपयोग है। अफसोस की बात है कि आज उसको हम जब वह विदेश से रिटर्न होकर आ जाता है, किसी वहां की संस्था के मार्फत या वहां के किसी प्रोपराइटर के माध्यम से तो हम कहते हैं कि योग बड़ी जबरदस्त चीज है।

(श्रीमती कमला)

हमारी चीज है, वहां ले जाकर उन्होंने उस को प्रारम्भ किया, उसको बढ़ाया, लोगों ने अपनाया, आज सारे संसार के अन्दर इतनी उपयोगिता हो रही है और हमारे देश में इसका कोई उपयोग नहीं है। इसी तरह प्राकृतिक चिकित्सा है।

होम्योपैथी के बारे में कई माननीय सदस्यों ने कहा, बहुत सस्ती और बहुत कारगर दवाइयां हैं लेकिन वह भी कहीं नाममात्र का ही नहीं हैं कि कहीं एक हास्पिटल भी खोलें या फिर यूनानी का भी कहीं नाम नहीं है। बीस आयुर्वेद के चिकित्सालय खोल देते हैं तो मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, मैं और किसी विषय पर ज्यादा समय न लेकर खास तौर से यह निवेदन करना चाहती हूं कि यह आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को अपना स्थान और इस आयुर्वेद संस्थान का जो इतना बड़ा स्टेटस है, जिसके जरिये इतनी जबरदस्त कामयाबी और जबरदस्त काम हो सकता है वह आज एक कालेज बन कर पड़ा हुआ है। बस कालेज के नाम से पढ़ाई हो रही है, परीक्षाएं हो रही हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है तो इसको उस लायक बनाना हमारे लिये बहुत जरूरी है। इस बाबत में चर्चा होनी चाहिए, कमेटी बैठानी चाहिए और आगे इसके लिए रास्ता बनाना चाहिए यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 26 पर हम चर्चा कर रहे हैं। जीवन की मूलभूत आवश्यकता चिकित्सा, स्वास्थ्य और सफाई की है। राज्य सरकार ने पिछला वर्ष शिक्षा को समर्पित किया और यह वर्ष चिकित्सा को समर्पित किया इसके लिए तो सरकार का स्तुत्य कदम कहने में कोई कठिनाई नहीं है। परन्तु प्रश्न एक है गत वर्ष जहां 72 करोड़ 90 लाख, इस साल 124 करोड़ 60 लाख रुपये कुल मिला कर इसके लिए व्यवस्था की गयी है। जब चिकित्सा को बजट समर्पित है तब सी.एच.सी. 10 खोलने से क्या राजस्थान की चिकित्सा सुविधाएं जो आज आवश्यकता है वह उससे पूरी होंगी? पी.एच.सी. 89 खोलने से समस्या का समाधान हो जायेगा? एम.सी.डब्ल्यू. सेण्टर 15 खोलने से यह पूरी हो जायेगी? उप स्वास्थ्य केन्द्र कुल मिला कर 700 खोलने हैं। 1989–90 में सरकार ने उप केन्द्र राजस्थान में खोले थे। तो इन छह वर्षों में पूरे राजस्थान में एक उप केन्द्र भी नहीं खुला। ऐसी स्थिति में 700 केन्द्रों से राजस्थान की इस समस्या का कहां समाधान होगा। इस लिहाज से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जब स्वास्थ्य को बजट समर्पित करना चाहते हैं तो राजस्थान में वर्तमान में जो बजट प्रावधान आपने किये हैं वह अपर्याप्त होंगे। इस समय यह सवाल है कि जब समर्पित बजट और आपने पूरे राजस्थान की चिकित्सा सुविधा की बात कही है। उस हिसाब से राजस्थान....

(20.42)

(श्री समर्थलाल मीणा, सभापति, पदासीन)

की क्या आवश्यकता है इसका कोई मास्टर प्लान बनाना चाहिए, कोई योजना बननी

(श्री रतनलाल ताम्बी)

चाहिए कि प्रति वर्ष क्या खोला जायेगा। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि जहां 421 शैयाएं गत वर्ष थीं इस वर्ष केवल 300 रही है। 1989–90 में जब वह सरकार थी तो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये थे। उपलब्धि मैं बताना चाहता हूं. आठ महीने बाद भीलवाड़ा जिले के तीन प्राइमरी हैल्थ सेन्टर, फुलेरा तहसील जहाजपुर, छापरेल तहसील कोटड़ी और बोरियापुर तहसील रायपुर दिया तो कुछ नहीं पर पिछली सरकार दे गयी उसको आठ महीने बाद आपने आदेश जारी करके राजस्थान में 12–13 इस तरह की पी.एच.सी. इसलिए बन्द कर दी कि बजट से अधिक हो गयीं।।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य यह बात कब की है ?

श्री रतनलाल ताम्बी : 1989–90 में स्वीकृत हुई थी और 1990 के सितम्बर, अक्टूबर में माननीय चतुर्वेदी साहब राजस्थान के चिकित्सा मंत्री हुआ करते थे। तो उन्होंने दिया तो कुछ नहीं पर पहली सरकार स्वीकृत कर गयी थी उन 12–13 चिकित्सालयों को वांपस ले लिया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हर साल सप्लीमेण्टरी ग्राण्ट, सप्लीमेण्टरी बजट डिमाण्ड्स हमारे सामने आती है, करोड़ों रुपये डेफिसिट रहता है तो उसको आप हर साल मांगते हैं। तो राजस्थान में 12–13 प्राइमरी हैल्थ सेन्टर हैं वह भी आपको उचित नहीं लगा कि उनको रख दिया जाये, कोई बात नहीं 1989-90 के बाद 90-91, 1991–92, 92–93, 93–94, 94–95, और 1995-96 अभी चालू है, जब जब भी बजट बना राजस्थान का इन 12–13 जगहों के लिए, बांसवाड़ा भी था, उदयपुर भी था, सीकर भी था, टोंक भी था....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमू) : उसमें सीकर नहीं था।

श्री रतनलाल ताम्बी : लिख आप देख लें उसमें सीकर भी है। आप सीकर के हो या जयपुर के पता नहीं कहां के हैं? ध्यान से आप देख लेना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं तो चौमू का हूं।

श्री रतनलाल ताम्बी : तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिये। यहां पर चिकित्सा मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री महोदय बिराजमान हैं, मैंने यह सवाल रखा है कि 13 प्राइमरी हैल्थ सेन्टर स्वीकृत हुए थे, आठ महीने बाद उनको निरस्त कर दिया गया था वह आज तक राजस्थान में वापस नहीं खोली गयी। इस मौके पर यह बात भी बार-बार आ रही है कि गांवों में डाक्टर्स नहीं रहते। एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया और मैं इसका इस रूप में सुझाव देना चाहता हूं कि आप इस सेवा को दो तरह से बांट दें। एक शहरी चिकित्सा सेवा और एक ग्रामीण चिकित्सा सेवा। आप भर्ती भी उसी हिसाब से करें और पद स्थापन भी उसी हिसाब से करेंगे तो इस समस्या का कुछ हद तक समाधान हो जायेगा।, वरना हमेशा यह मामला गम्भीर बना रहता है। तो इस दृष्टि से मेरा यह सुझाव था, मैं समझता हूं इसमें आप चिन्तन करेंगे।

Page No. 254

254

(श्री रतनलाल ताम्बी)

चिकित्सा सेवाएं भौतिक रूप से बढ़ रही हैं इसमें कोई दोराय नहीं है। गुणात्मक इसमें सुधार हो इस दृष्टि से भी आज देखने की आवश्यकता है। अस्पतालों की क्या हालत है? दवाइयां अपने बजट में बढ़ायी इसके लिए तो धन्यवाद। गत वर्ष के मुकाबले आपने दुगुनी की है। इसके साथ-साथ ये दवाएं कीमतों के बढ़ने से कितनी क्या इसकी व्यवस्था आगे बढ़ी है इसको भी देखने की आवश्यकता है। मैं एक निवेदन इस मौके पर यह भी करना चाहता हूं, मेरा सुझाव यह भी है कि प्राइवेट प्रेक्टिस को आप अपराध घोषित कर दें इससे अधिक यह मामला जमना नहीं हैं। प्राइवेट प्रेक्टिस को एक अपराध के रूप में लें तो मैं समझता हूं यह व्यवस्था ठीक होगी।

आज तक चिकित्सा सेवाओं की संस्थाएं बढ़ी हैं उसके साथ भवनों की हालत बहुत गम्भीर है। 1989–90 से लगाकर आज तक आपने जितनी भी पी.एच सी. खोलीं, सी.एच.सी. खोली हैं उनकी आज भी भवनों की व्यवस्था नहीं हैं। तो साथ-साथ आप बजट में यह व्यवस्था भी करते चले जाइये। जब बजट स्वास्थ्य को समर्पित कर दिया तो आज राजस्थान में कई जगह भवन नहीं है। मेरे क्षेत्र में 1988–89 के वर्ष में खोले हुए जो पी.एच सी. है उनमें से एक आमलदा गांव है, बिसलिया गांव है वहां पर आज तक पी.एच.सी. की बिल्डिंग नहीं है। मैं इस मौके पर भ्रमणशील चिकित्सा इकाइयों के कार्य की बहुत सराहना करना चाहूंगा। जब मैं पंचायत समिति का प्रधान था, दो वर्ष लगातार था। तो इसका बड़ा लाभ होता है। तो इस इकाई को आप और अधिक सशक्त और मजबूत बनायें यह गरीबों के लिए इकाई बहुत ही वरदान साबित होती है। इस दृष्टि से इस इकाई के शिविर जो आप लगाते हैं, आधा पैसा जनता सब जगह दे नहीं सकती, तो आधा सरकार दे और आधा जनता दे। भ्रमणशील चिकित्सा इकाइयों के माध्यम से काफी बड़ी तादाद में राजस्थान के गांवों में लाभ हो सकता है।

मैं इस मौके पर सी.एच.सी. 10 के स्थान पर 100, पी.एच.सी. 89 के स्थान पर 200, एम.सी.डब्ल्यू 15 के स्थान पर 50, उप केन्द्र 700 के स्थान पर 1000 और उच्चीकृत केन्द्र जो बड़े बड़े गांव हैं जहां पर सब सेन्टर चल रहे हैं वर्षों से वहां पर प्रावधान रखने के लिए जब चिकित्सा को समर्पित बजट है इस व्यवस्था के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा। शैयाएं 1994-95 में 421 थी। उल्टी जब चिकित्सा को आप समर्पित कर रहे हैं तो 300 शैयाओं की व्यवस्था रख दी है। इसलिए शैयाओं को भी बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के साथ-साथ काफी मांग चारों ओर नजर आ रही है। हमारे क्षेत्र में इन पांच वर्षों में न कहीं शैयाएं बढ़ी हैं और न ही कोई इंस्टीट्यूशन्स खुली हैं। मैं समझता हूं चिकित्सा मंत्री महोदय जिस उत्साह के साथ काम कर रहे हैं इस साल आपको स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए समर्पित वर्ष के रूप में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट प्रावधान काफी अच्छे दिये हैं और जहां-जहां असंतुलन है....

श्री परसराम मदेरणा (नेता प्रतिपक्ष) : माननीय सदस्य बढ़ोतरी के जो लक्ष्य दे

(श्री परसराम मदेरणा)

रहे हैं बजट में प्रावधान कहां है? यह बजट सब वापस मोडिफाई होगा क्या?

श्री रतनलाल ताम्बी : प्रावधान किया जाय यही मांग है।

श्री परसराम मदेरणा : तो यह कहो न आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : प्रावधान भी है, आप इनके धोखे में मत आइये।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं यही तो मांग कर रहा हूं। मैंने जो मांगा वह प्रावधान नहीं हैं। ऐसा है, प्रावधान इतना ही है जितनी आपने घोषणा की पी.एच.सी., सी.एच.सी. उसके जो प्रावधान हैं।....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट में खतम कर रहा हूं। एक मैं निवेदन आयुर्वेदिक के बारे में करना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी आप स्वयं को यह ध्यान होगा कि 15 वर्ष पहले राजस्थान में आयुर्वेदिक औषधालयों की मांग बहुत करते थे लोग और एक एक औषधालय के लिए डेपुटेशन पर डेपुटेशन आते थे लेकिन आज स्थिति यह हो गयी है कि आयुर्वेदिक औषधालय की मांग करने कोई आता नहीं और जो आयुर्वेदिक औषधालय जो जबरदस्ती खोल देते हैं ' उनमें दवाइयां पहुंचती नहीं है तो उसकी प्रतिष्ठा कम होती जा रही है। तो मेरा निवेदन यह है कि आयुर्वेदिक पद्धति के बारे में भी काफी चर्चा हुई, होम्यियोपैथी और यूनानी की भी हुई। तो आपके जो एलोपैथी पर प्रेसर है वह भी कम हो इसके साथ साथ आयुर्वेदिक पद्धति को भी हम राजस्थान में, हिन्दुस्तान में सबसे प्रमुख और अच्छी मानी जाती हैं और राजस्थान को इसका श्रेय प्राप्त है उस दृष्टि से मैं निवेदन करना चाहता हूं।

(20.50)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

मेरे क्षेत्र में शकरगढ़ एक बहुत बड़ा कस्बा है, सी.एस.सी. की वहां मांग है, जहाजपुर में भी मांग है, पंडेर में भी मांग है....

श्री अध्यक्ष : माननीय समाप्त करें।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं समझता हूं कि इस दृष्टि से भी आप विचार करेंगे और मैंने जो सुझाव रखे हैं उस पर सरकार गम्भीरता से ध्यान देगी, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री मांगीलाल मेघवाल। (अनुपस्थित)। श्री कालूलालजी गुर्जर। (अनुपस्थित)। श्री अर्जुनलालजी जीनगर।

श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा की मांग की चर्चा पर भी अपने कुछ विचार रखना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदिकाल से....

श्री परसराम मदेरणा : आसन के द्वारा इस सदन का जो संचालन किया जाता है, सबसे अपीलिक बात इस सदन में है और आपके कार्यकाल में है, जिस विनम्रता के साथ आप बिराजने की बात कहते हैं वह सबसे ज्यादा अपीलीय है।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : माननीय अध्यक्ष महोदय, आदिकाल से ही मनुष्य को जीवन जीने के लिए पांच मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा और शिक्षा है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पूर्व का बजट शिक्षा को समर्पित किया था....

श्री अध्यक्ष : आप तो सजेशन दीजिए और कोई दो-तीन बातें जो आपको पाइंटेड कहनी हैं वह कहिये।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं और यह वर्ष चिकित्सा के लिए समर्पित है इसके लिए भी मैं आभारी हूं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय दरियादिल इंसान हैं। इन्होंने मेरे क्षेत्र के एक बालक को नया जीवन दिया है। 18 वर्षीय बालक की किडनी खराब हो गयी थी। माननीय मंत्री महोदय ने विभाग से 2 लाख रुपये स्वीकृत कराये और उस बालक का जीवन बच गया। इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह मुख्य मंत्रीजी ने दिया या स्वास्थ्य मंत्रीजी ने?

श्री अर्जुनलाल जीनगर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की समस्याओं के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में 50 ग्राम पंचायतें हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : करके दिखा दिया न। अब आप बीमार पड़के ले लो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं तो रोज ही बीमार रहता हूं पर आप कुछ देते नहीं हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देखो आप, यह मत बोलो, मैंने दिया है; आप कहो नहीं दिया क्या? बस तो।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : माननीय अध्यक्ष महोदय, जनसंख्या सिर्फ 2 लाख है, परन्तु पूरे क्षेत्र में 2 सी.एच.सी. खोल रखे हैं गंगरार और राशमी में। सी. एच. सी. गंगरार के अन्दर 30 बेड स्वीकृत हैं परन्तु भौतिक सत्यापन किया जाये तो वहां 10 मिलेंगे। हाईवे पर स्थित होने के कारण आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। परन्तु एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। मैं मंत्रीजी से चाहूंगा कि एम्बुलेंस की व्यवस्था करायें। इसी प्रकार से सी.एच.सी., राशमी में 30 बेड स्वीकृत हैं परन्तु भौतिक रूप से 10 उपलब्ध हैं। मैं चाहूंगा कि ऐसी व्यवस्था करायें कि सभी बेड उपलब्ध हो जायें। एक जीप दे रखी है पर टायर और इंजन नहीं है। मैं चाहता हूं कि उस जीप के अन्दर नयी व्यवस्था करायी जाये। एक्सरे मशीन दे रखी है, दो वर्ष हो गये लेकिन टेक्नीशियन नहीं है। धीरे-धीरे वह खराब होने की स्थिति में है। मंत्री महोदय से चाहूंगा कि इसकी व्यवस्था करायें और सी.एच.सी. के लिए सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था करायें। अंत में मैं चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में जनसंख्या की दृष्टि से वर्तमान में 3 पी.एच.सी. सेंटर हैं मैं चाहूंगा कि जनसंख्या के नोर्म्स के हिसाब से 2 पी.एच.सी. और खोले जायें। अंत में एक मांग और रखना चाहता हूं कि राजस्थान के प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर ए.एन.एम.

(श्री अर्जुनलाल जीनगर)

सेंटर होना चाहिए ताकि प्रत्येक ग्रामीण को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जी।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, मैं पी.एच.सी. हैडक्वार्टर के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामीण जनता में जहां गांवों में ज्यादा जनसंख्या रहती है वह अपने छोटे-छोटे इलाज के लिए पी.एच सी. हैडक्वार्टर पर आते हैं। सबसे पहले डाक्टर्स और स्टाफ की अप-डाउन करने की टेंडेंसी है उनको खतम किया जाय। हर डाक्टर यह चाहता है कि ट्रेन से जुड़ा रहे या ट्रांसपोर्टेशन के फास्ट मीडिया से जुड़ा रहे और गांव में नहीं जाय, यह गांव में जाना पड़ेगा, डाक्टर को नौकरी करनी है तो गांव में रहना पड़ेगा, ऐसी व्यवस्था सरकार करे। यह मेरा सुझाव है। इसके अलावा मेरा यह भी निवेदन है कि आज से करीब 10-15 साल पहले तक हर अस्पताल में यह व्यवस्था थी- कि पाचन तंत्र खराब है तो उसके लिए कार्बोनिटिक मिक्सचर मिलता था, लाल दवा मिलती थी, यदि बुखार है तो उसके लिए पेरासीटामोल का सोल्यूशन मिलता था, यदि दस्त हैं तो उसके लिए ला मेटिरिया या कोई सोल्यूशन मिलता था एंटी डाइरियल। लेकिन आज स्थिति यह है कि कोई भी जो फार्मेसी डिपार्टमेंट है, जिसमें पाउडर बना करके, चोल बना करके पी.एच.सी. में सप्लाई होता था, जगह-जगह, जन-जन को फायदा होता था वह चीज तो हटा ली। एक छोटा-सा मरीज जाता है, छोटी-सी बात के लिए जाता है। उसके पेट में गड़बड़ी है या बुखार है तो डाक्टर महंगी से महंगी दवा देता है। वह यह नहीं देखता कि इस पर कितना बोझ आयेगा और यह आदमी सरकार के लिए क्या आस्था लेकर जायेगा। 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये का नुस्खा, कैपसूल बीकासूल, पेरासीटामोल, एनालजीन, नवलजीन, ब्रूफेन लिखने में क्या लगता है। यह सोचना चाहिए डाक्टर को कि इस बेचारे की आय कितनी है। एक दिन में जो आदमी 12-15-20 रुपये कमाता है, बच्चों का पेट पालता है, वह अपनी बुखार के लिए, पेट के दस्त के लिए या छोटी-मोटी बीमारी के लिए 30-40-50 रुपये का नुस्खा कैसे ले सकता है तो इस तरह के जो पहले फार्मेसी का सोल्यूशन मिला करता था जो कि निःशुल्क मिलता था वह दिलवाने की व्यवस्था की जाये। यह मेरा सुझाव है श्रीमान। इसके अलावा मेरा यह भी निवेदन करना है कि जो डाक्टर्स हैं उनको पाबन्द किया जाये। जो पी एच.सी. पर 5 डाक्टर रहते हैं, बहुधा यह होता है कि 10 से 5 तो वे मिलते हैं, उसके बाद वे बड़े-बड़े शहरों की ओर कूच कर जाते हैं और दूसरे दिन अस्पताल खुलने के टाइम आते हैं। रात के टाइम में कोई भी अर्जेंसी होती है तो पी.एच.सी. जिसमें 4-5 डाक्टर्स का स्टाफ रहता है वहीं एक डाक्टर महाशय नजर नहीं आते। ऐसी स्थिति में पी.एच.सी. पर एक डाक्टर कम से कम उपस्थित रहे, ऐसी पाबन्दी की जाये, ऐसा रोस्टर रखा जाये, यह भी मेरा सुझाव है। अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में हर एक को मालूम है कि सब्जी मंडी लाल कोठी पर है और हर एक को मालूम है कि सूरजपोल में अनाज

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

मण्डी है लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि जयपुर में मरीजों की मण्डी गंगवाल पार्क में है जहां पर कि 25–30 डाक्टर रहते हैं। सुबह चले जाइये, आपको ढाई सौ, तीन सौ आदमी मिल जायेंगे, ट्रेफिक आर-पार नहीं हो सकता और शाम को होगा। जो आदमी गोविन्ददेव जी का मन्दिर है उसमें जो ढोक लगा कर के नहीं आये जो रुपया देकर नहीं आये जो प्रेसक्रिप्शन की स्लिप लेकर नही आये, जो मरीजों की मण्डी गंगवाल पार्क में रहते हैं, जे.के. लोन हास्पिटल के बगल में उसकी एंट्री नहीं होती, उसका एडमिशन नहीं होता, उसको बैड नहीं मिलता, क्योंकि जो वार्ड कम्पाउण्डर है, वही कम्पाउण्डर उन डाक्टर्स के यहां सुबह मिलता है, वहीं देखता है, वही लाता है और वही देखता है कि कौन तो नतमस्तक होकर, दस्तक देकर, रुपये देकर आया है। बल्कि मैं तो कहता हूं कि 100 रुपये और 50 रुपये फीस लेते हैं डाक्टर, वह भी उनका वही कम्पाउण्डर लेता है जो वार्ड में रहता है। यह सारी प्रक्रिया है इसको नष्ट किया जाय और यह वास्तविकता है, यह हकीकत है, मैं सत्य बयान कर रहा हूं, यह 100 प्रतिशत सही है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है तो इस तरह के जो सुझाव मैं दे रहा हूं उसको किया जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय समाप्त करें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : इसके अलावा मेरा यह भी कहना है कि जितने भी आज बजट हैं उसमें इस बात पर तो ध्यान दिया गया, एक पेशेंट के ट्रीटमेंट पर लेकिन मेडिकल टीचिंग जो डे बाई डे डिक्रीज हो रहा है, जिसका स्टेटस गिर रहा है। आज रेजीडेंट डाक्टर की स्ट्राइक है, पढ़ने के दिन कम रह गये हैं, हम कैसे डाक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं आगे के लिए जो आज वी.आई.पी. का टेलीफोन आ रहा है, डाक्टर क्लास लेते हुए छोड़ रहे हैं, क्लास की संख्या कम है। विद्यार्थी जो डाक्टर बन रहे हैं वे पढ़ाई करने नहीं जा रहे हैं उसको ज्यादा से ज्यादा आप आपरेशन में लगा देते हैं, उन को आप वार्डों में लगा रहे हैं, उनको एस. एम.एस. अस्पताल में सेवा में लगा रहे हैं और पढ़ाई के प्रति बहुत ही पुअर स्टेण्डर्ड हो गया है, और सब स्टेण्डर्ड मेडिकल टीचिंग हो गयी है। मेडिकल टीचिंग को हमने यदि बूस्टअप नहीं किया, यदि इसको अपग्रेड नहीं किया तो आने वाले समय में कंसाक्वेंशनल इफेक्ट बहुत बुरे होंगे।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : और एस.एम.एस. हॉस्पिटल की जो ख्याति है वह भी नहीं रहेगी। इसके अलावा मेरा यह भी निवेदन है....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें माननीय।

श्री शैलेन्द्र जोशी : स्वास्थ्य मंत्री महोदय, आज कौन व्यक्ति ऐसा है राजस्थान में जिसको एस.एम.एस. हॉस्पिटल के पैथोलोजिकल डिपार्टमेंट की किसी भी रिपोर्ट को रिलाइबल करता है, डिपेंडेबल करता है, बिलीवेबल करता है। सब यह कहेंगे कि यहां पर आप करवा दीजिये, हम कहते हैं कि साहब आपके यहां पर पैथोलाजिकल डिपार्टमेंट है, इतना बड़ा, यह सब

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

टेक्नोक्रेट बैठे हैं, आप यहां करवा दीजिये। नहीं, नहीं भाई यहां नहीं, आप सामने वाली गली में उस तरफ जो क्लिनिक है उसमें जाइये, क्यों यह बाइलेटरल सजेशन देते हैं डाक्टर्स, डाक्टर्स को + + + बड़े-बड़े डाक्टर कहते हैं नहीं, नहीं भाई यहां पर कुछ नहीं, यदि नहीं तो ये खर्चा क्यों ? ये सफेद हाथी क्यों ? ये व्हाइट ऐलिफेंट क्यों बांध रखे हैं। कमिशन की बात नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि जब पैथोलाजिकल लेबोरेट्री है, बड़े-बड़े माइक्रोस्कोप हैं तो उस पर उन डाक्टरों को जिनकी हेल्प के लिए वह हैं उनको क्यों करना पड़ता है वे खुद सजेस्ट करते हैं। इसके अलावा यह भी सजेशन है कि आज एस.एम.एस. में क्या दिक्कत है....

श्री अध्यक्ष : बिराजें। श्री कन्हैयालाल पाटीदार।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, यदि कोई विधायक भी जाता है, मैं सुझाव दे रहा हूं, मेरा अन्तिम सुझाव है। कोई भी विधायक यदि जाये, बड़े आफिसर जायें तो उसको दस टेस्ट लिख दिये। दस टेस्ट के लिए हर एक की लाइन में लगना पड़ता है और कमरा नम्बर ढूंढ़ना पड़ता है। एक गांव का छाजूराम क्या करेगा इस एस.एम.एस. हास्पिटल में आकर। कैसे मालूम करेगा कि उसका सीटीस्केन होगा, पैथोलाजीकल टेस्ट कहां होगा इसका ट्रेडमिल टेस्ट कहां होगा और जो कार्डियोलाजी है उसके ई.सी.जी. के लिए कहां जाना होगा। उसके लिए आप ऐसा कीजिये कि जितने भी पैथोलाजिकल और दूसरे टेस्ट हैं उसके लिए एक विन्डो पर जाये....

श्री अध्यक्ष : श्री कन्हैयालाल पाटीदार।

श्री शैलेन्द्र जोशी : ....एक विन्डो पर जहां सब कुछ हो जाये और इधर-उधर भटकना नहीं पड़े। और अंत में मेरा सुझाव यह है कि जितने भी मरीज हैं उनके जो अटेन्डेन्ट हैं उनके लिए रैन बसेरा हो। सरकार ने सर्दियों के दिनों में रैन बसेरा हर जगह बनाया लेकिन ऐसे रैन बसेरे बनायें जिससे मरीजों को अटेन्ड करने के लिए जो लोग होते हैं उनको बारहों महीने रहने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। उनके लिए स्थायी तौर पर एस.एम.एस. हास्पिटल के परिसर में परमानेंट तौर पर एक रैन बसेरा, शेल्टर हाउस का इन्तजाम किया जाये जिससे कि अटेन्डेन्ट दोनों तरफ से पिटता है। एक तरफ तो स्टाफ और डाक्टर कहता है कि हाहर जाओ और मरीज कहता है कि मेरे पास रहो और उसको सोने की भी सुविधा नहीं है, उसके अपने नित्य कर्म की भी सुविधा नहीं है, मैं वास्तव में सही सजेशन दे रहा हूं लेकिन आपके यहां तो सजेशन में भी कटौती है और जो इर्रेलेवेन्ट टाक करते हैं उनको समय दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : सजेशन तो यही है कि रैन बसेरे हों, बस। उसमें दस लाइनें बोलने की कहां जरूरत पड़ रही है, बैठिये आप।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री कन्हैयालाल पाटोदार (पिड़ावा) : माननीय अध्यक्ष जी, आज हम सदन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की डिमाण्ड के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं कि इस वर्ष के बजट को चिकित्सा को समर्पित किया गया है। इसके माध्यम से शहरी चिकित्सा एवं ग्रामीण चिकित्सा में उन्नति होगी। प्रदेश एवं प्रदेश से लगे हुए अन्य प्रदेशों से आने वाले बीमारों को इस बजट से काफी फायदा होगा। यों तो पिछले वर्ष भी चिकित्सा के क्षेत्र में काफी उन्नति हुई है, हर चिकित्सा केन्द्र पर चाहे किसी भी स्तर का केन्द्र हो, चाहे वह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हो चाहे डिस्पेन्सरी है, सभी चिकित्सा केन्द्रों पर निःशुल्क दवाइयां दी जाती थीं उनको दुगुना किया गया है। क्षय रोग नियंत्रण में 50 लाख से बढ़ाकर 160 लाख का प्रावधान रखा गया था। 230 पी.एच.सी. पर आपरेशन थियेटर, लेबर रूम, एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था की गयी थी। जब पिछले वर्ष ही हमने चिकित्सा क्षेत्र में इतनी उन्नति की थी लेकिन इस बार तो लगभग 70 प्रतिशत बजट हमने चिकित्सा क्षेत्र में अधिक दिया है तो निश्चित रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में काफी उन्नति होगी। इसके लिए हम सभी प्रदेशवाशी माननीय मुख्य मंत्रीजी का और स्वास्थ्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करते हैं।

माननीय चिकित्सा मंत्री जी को एक बार मैं और धन्यवाद दूं। बरसों से हम सुनेल में एक महिला चिकित्सक की मांग करते आ रहे थे। हमारे अनुरोध पर माननीय चिकित्सा मंत्री ने सुनेल में महिला चिकित्सक उपलब्ध करायी है, इसके लिए धन्यवाद। साथ ही मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसी तरह से मेरे पिड़ावा रैफरल हास्पिटल में भी महिला चिकित्सक की नियुक्ति प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री कन्हैयालाल पाटोदार : माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी एवं माननीय मुख्य मंत्री महोदय झालावाड़ का जो जिला हास्पिटल है उसको 1982 में 'बी' ग्रेड मिली थी। झालावाड़ जिले के आस-पास मध्य प्रदेश का क्षेत्र है और लगभग पचास-पचास किलोमीटर दूरी से मध्य प्रदेश के बीमार भी इस चिकित्सालय में चिकित्सा लेने आते हैं। साथ ही झालावाड़ जिले से लगा हुआ कोटा जिला है और लगभग उसके सौ गांवों के मरीज भी हमारे झालावाड़ जिले में चिकित्सा प्राप्त करने आते हैं। झालावाड़ जिले में कम सुविधाओं की वजह से कभी-कभी तो इतने मरीज इकट्ठे हो जाते हैं कि मरीजों को जमीन पर सुलाना पड़ता है। ऐसी दशा में मुख्य मंत्रीजी से और स्वास्थ्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि झालावाड़ जिले के अस्पताल को 'ए' ग्रेड अस्पताल में परिवर्तित किया जाये। आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र गोयल। (अनुपस्थित)। श्री ओमप्रकाश शर्मा। (अनुपस्थित)। श्री बाबूलाल। (अनुपस्थित)। श्री हरिनारायण बैरवा। (अनुपस्थित)। श्री गोपीराम जाट। (अनुपस्थित)। श्री शांतिकुमार धारीवाल।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : अध्यक्ष महोदय, मैं तो कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं करना चाहता हूं। बहुत छोटी सी बात है और काम की बात है।

श्री धनश्याम तिवाड़ी : आप एक बात जरूर कहें। मैं आशा करता था कि शैलेन्द्र जी उठायेंगे। मेन्टल हास्पिटल की बात अब तक किसी ने नहीं उठाई।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप पर छोड़ता हूं। आप ज्यादा जानते हैं उस बारे में।

श्री रामप्रताप कासनिया : यह तो विषय मेरा है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप उठा लेना।

अध्यक्ष महोदय, दो चार बातें निवेदन करना चाहता हूं। एक तो मलेरिया बहुत फैला और मलेरिया के बावत सबसे पहले पी.टी.आई. ने यह खबर दी और पी.टी. आई. ने यह खबर 15 जून को दी थी। पी.टी.आई. की खबर न केवल हिन्दुस्तान टाइम्स, टाइम्स आफ इण्डिया, इण्डियन एक्सप्रेस, जनसत्ता वगैरह-वगैरह सब ने छापी और बड़े जोरदार तरीके से छापी। वह मेरे हिसाब से एक एफ.आई.आर. थी। राजस्थान सरकार को उसको एफ. आई. आर. के तौर पर लेना चाहिए था लेकिन नतीजा यह हुआ कि पी.टी.आई. के संवाददाता ने जिन लोगों से पूछकर यह बात निकाली 'मलेरिया रिपर्सेस इन बाड़मेर', राजस्थान मलेरिया के चंगुल में है। 'मलेरिया क्लेम्स मोस्ट लाइव्स इन राजस्थान'। उन्होंने पूरी फिगर्स दी हैं। उन्होंने उस रिपोर्ट में यह बताया कि मलेरिया से 1990 में 4434, 1991 में 3764 और 1992 में 2251 मौतें पहले ही दर्ज हो चुकी हैं....

श्री रामप्रताप कासनिया : प्रेस वाले चले गये छापेगा कौन ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपकी तो अपर स्टोरी पूरी खाली है। आप कह चुके हैं वह विषय आपका है मेन्टल वाला।

श्री रामप्रताप कासनिया : शराब पीने से कभी मलेरिया होता ही नहीं है।

श्री राजेन्द्र पारीक : शराब पीने वाले को पीलिया होता है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, इकानामिक एण्ड स्टेटिसटिक्स डायरेक्टोरेट ने जो स्टडी की है उसमें उन्होंने यह फिगर्स दी हैं। उन्होंने साफ बता दिया था कि मलेरिया देश में बढ़ रहा है और बाड़मेर की तरफ से चालू हुआ है इस पर कुछ न कुछ कार्यवाही होनी चाहिए। जिन लोगों ने यह रिपोर्ट तैयार की ताज्जुब की बात तो यह है कि मंत्री महोदय आपके इस विभाग के बड़े अफसरों ने उन लोगों को प्रताड़ित करना चालू कर दिया। उनको डांटा, फटकारा और उनके तबादले कर दिये। कम से कम यह रोकिये आप और अगर आप भी नहीं रोक पायेंगे तो मैं समझता हूं कि इस हाउस के ज्यादातर सदस्यों की यह मान्यता है कि +++ के साथ में 40 आदमियों की

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

जो टीम है अगर उसमें कोई होशियार है तो आप ही दिखते हैं हमें या आपके बराबर वाले हमारे मित्र हैं....

श्री अध्यक्ष : जिस दिन की मांग होती है उसी के बारे में कहते दीखते हैं आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और कोई नहीं सम्भाल पायेगा इसको। आपको भी संभालना पड़ेगा इस बात को। आपको देखना होगा यह मलेरिया का मामला पिछली बार हुआ था। आज कोई भी छोटी सी बात होती है मुख्य मंत्रीजी इलाज के लिए बम्बई पधारते हैं। हम भी कोई बात होती है तो उसके लिए दिल्ली या बम्बई की तरफ रास्ता देखते हैं। बुलाओ, हिन्दुजा को इनवाइट करो, टाटा को इनवाइट करो, बिड़ला को इनवाइट करो, अपोलो को इनवाइट करो। आप दो साल से तीन साल से लगातार कह रहे हैं कि हम फोकट में जमीन देंगे, यह करेंगे वह करेंगे। बुलाओ ना उनको वह तैयार हैं आने के लिए राजस्थान में अगर यहां पर ऐसे संस्थान बना दिए जावें तो दिल्ली और बम्बई रोगी जाना बन्द हो जावें वह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी सरकार नहीं कर सकती, सरकार के पास साधन बहुत सीमित हैं। ग्रामीण इलाके काफी खाली पड़े हुए हैं जहां चिकित्सा की सुविधाएं पहुंचानी हैं तो कोई शर्म की बात नहीं है अगर कोई निजी संस्था यहां आकर कोई बड़ा मेडिकल इन्स्टीट्यूट खोलती है या मेडिकल इन्स्टीट्यूट टाइप कुछ खोलती है। एसकोर्ट ने खोला। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि आप जैसा डायनामिक आदमी अगर काम नहीं कर पाये, मुख्य मंत्री जी नहीं करने दें वह बात अलग है, मेहरबानी करके इनको काम करने दो। वाकई यह बात सही है जितने भी लोगों ने कही है कहीं एक्सरे मशीनें खराब हैं। आप कोटा मिसाल ले लीजिए। आपने कोटा को मेडिकल कालेज से दिया,'मेडिकल कालेज भारतीय जनता पार्टी की देन है। पच-पच कर मर गये, चिल्ला चिल्ला करके मर गये हमारे राज में तो कोटा को मेडिकल कालेज नहीं दिया लेकिन आपने दिया, मानते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ आपको वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भी देना चाहिए था। उस अस्पताल को जो वहां पर आज विद्यमान है उसको आपने मेडिकल कालेज का अस्पताल बनाकरके इतना सत्यानाश किया है, ईमानदारी से कहता हूं मैं आपसे, कोई राजनीति इसमें नहीं है लेकिन मैं सही कहता हूं जनता आपको दुआएं देगी अगर मेडिकल कालेज का अस्पताल आप अलग कर देंगे और जो महाराव भीमसिंह अस्पताल है उसको डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बना देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दुआएं मिलती रहती हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : दुआएं और लो जितनी मिलें ट्रक दो ट्रक, वैगन दो वैगन दुआएं तो आती रहनी चाहिए....

श्री अध्यक्ष : माननीय समाप्त करें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कोटा तो आपको दुआएं देता ही रहा है यह तो दो पांच निकम्मे हम हैं....(व्यवधान) आप पन्द्रह कम होते हैं क्या?

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुन दास जी मदान।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आखिरी निवेदन कर रहा हूं। कोटा नं. 3 की सिटी है। जयपुर, जोधपुर और उसके बाद में कोटा और उसमें अगर आपने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल अलग नहीं दिया, तो जो प्रेजेंट आपका मेडिकल सैटअप वहां पर है उसका तो डे.बाई डे.सत्यानाश होता ही जा रहा है। कम से कम 25 से ज्यादा स्पेशलिस्टों ने रिटायरमेंट की दरख्वास्तें आपके पास भेजी हैं और उनकी दुकानें वहां ऐसी चल रही हैं जैसे आपका वह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल नहीं चल रहा हो। एम.बी.एस. अस्पताल में इतना रश नहीं रहता अगर उन 25 डाक्टरों के पास जो पेशेंट पहुंचते हैं उनकी संख्या गिन ली जावे तो मेरा ख्याल है कि उससे दुगुनी संख्या निकलेगी जो आउटडोर में पेशेंट आते हैं। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि आपने उसको मेडिकल कालेज के साथ जोड़ करके उस अस्पताल का सत्यानाश कर दिया। मेहरबानी करके दूसरा अस्पताल दें कोबोल्ट थैरेपी दें, सीटी स्केन दें ऐसी सुविधाएं वहां पर दें।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। श्री अर्जुन दास जी मदान।

श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : आदरणीय अध्यक्ष जी, आज सदन जिस विषय के ऊपर विचार कर रहा है वह कल्याणकारी राज्य के कल्याणकारी योजना में मेरी दृष्टि से एक विशिष्ट स्थान रखता है और वह है स्वास्थ्य चिकित्सा, जब भी एक मरीज किसी डाक्टर के पास जाता है मैं समझता हूं कि अपने जीवन की सारी समग्रता उस डाक्टर के यहां जाकर समर्पित कर देता है और यह विश्वास होता है कि डाक्टर और उसके बीच का रिश्ता एक नर और नारायण के बीच का रिश्ता होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस नैतिक कर्तव्य की हम बात करते हैं, ऐसा लगता है कि आजकल नैतिक कर्तव्य कोई आकस्मिक घटना बन गई हो और नैतिक दायित्व और नैतिक उत्तरदायित्व एक इतिहासपूर्ण परिच्छेदों में समा गया जिसकी हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते।

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज इस विषय के ऊपर सदन में कई चीजे तो ऐसी हैं जो व्यक्ति के हाथों बातें नहीं हैं। आदमी जन्मा है वह मरेगा, निश्चित रूप से मरेगा, जो जीवन में मिले हैं चाहे हम टेम्प्रेरी जितने लोग यहां बैठे हैं निश्चित रूप से किसी न किसी दिन बिछड़ेगे चाहे हम टेम्प्रेरी बिछड़ें, चाहे हम कब बिछड़े। कोई तो विधि का विधान है और उस विधि के विधान में चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं या इस सदन में बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति ही क्यों न हो उस परमात्मा के विधान में कोई व्यवधान डाल नहीं सकता, उसके हाथ की चीज है, उसको माननी पड़ेगी लेकिन हम एक व्यक्ति को, अच्छा जीवन दे सकें, एक स्वस्थ जीवन हम प्रदान कर सकें, एक व्यक्ति अपना सही जीवन यापन कर सके यह स्वास्थ्य की सेवाओं का मैं एक मूल मंत्र मानता हूं। लेकिन दुर्भाग्य है कि जैसा आज मैंने कहा कि वह नर और नारायण के बीच का रिश्ता एक मरीज और डाक्टर के बीच का रिश्ता था जो आज एक दानव और दैत्य का रिश्ता बनता चला जा रहा है। आज मान लीजि-

(श्री अर्जुनदास मदान)

एगा ऐसा लगता है जैसे कोई उपभोक्ता और व्यवसाय की दृष्टि में जो सम्बन्ध होते हैं। एक मरीज तो आज एक उपभोक्ता बन गया और डाक्टर एक व्यवसायी बन गया और जिस समन्वय का अभाव दोनों के रिश्तों के बीच में आया है उसी से कटुता पैदा हुई है।

मान्यवर, परिस्थितियां तो बहुत हैं मैं जानता हूं कि समय की सीमायें आपके साथ भी हैं और मेरे साथ भी हैं और मुझे तो यह बहुत दुःख है इसको कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि कई लोग तो आपसे रोटी का आटा ले जाते हैं हमको तो पलेथन का भी नहीं मिलता, हम रोटी कैसे सेंके। स्थिति यहां तक दूभर है कि समय का अभाव होता है कहीं न कहीं से कोई चोट पड़ जाती है. एक मन की जो विचार रखने की भावना आती है कभी-कभी उसमें यों करना चाहिए कि उसमें कुछ अंकुश लगता है, लगना भी चाहिए। लेकिन मेरा निवेदन है कि कम से कम ऐसी व्यवस्था तो बनाएं कि जिन लोगों को भी आप बुलवाएं. मैं तो मुख्य सचेतक महोदय से भी निवेदन करूंगा, सदन में भी कह देना मैं अपना दायित्व समझता हूं कि जिनकी जिम्मेदारी वह सौंपना चाहें दस लोगों को, बीस लोगों को विषय बांटने की, यह विषय आप लेंगे यह विषय मैं लूंगा और उसके ऊपर हम विचार विमर्श करें तो अधिक उपयुक्त होगा।

खैर, सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय को, निश्चित रूप से इनके हाथों से काफी काम हुआ है। लोग कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, प्रतिपक्ष में बैठे हुए जो लोग हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि 1992–93 में स्वास्थ्य केन्द्र 1403 थे वह 1994–95 में 1507 हो गए। शैयाओं की संख्या जो 34054 थी वह 35663 हो गई और इसमें 300 शैयाओं की बढ़ोतरी की बात और की जा रही है। प्रति व्यक्ति चिकित्सा के ऊपर जो 1992–93 में 71 रुपये खर्च हो रहा था वह 1994–95 में हमारे मंत्री महोदय के शासन काल मे 108 रुपये प्रति व्यक्ति हो गया। एक शैय्या जो 1992-93 में 1292 व्यक्तियों की सेवा करती थी वह 1993-94 में 1252 लोगों के ऊपर हो गई और 1994–95 में वह घटकर 1233 लोगों की हो गई। मान्यवर, इससे यह देख लीजिएगा कि प्रान्त की आबादी निरन्तर बढ़ती चली गई पिछले तीस वर्षों में राजस्थान में तीस गुना आबादी बढ़ी है। देश की आबादी में बढ़ने वाला प्रतिशत 16.76 रहा तो मेरे राजस्थान का 22 प्रतिशत रहा। यह आबादी की बढ़ती हुई रफ्तार है लेकिन इसके बावजूद प्रति शैया जो सेवा अर्पित करती है उनमें व्यक्तियों की मात्रा कम होती चली गयी इसका मतलब यह है कि चाहे आबादी बढ़ी हो उसके अनुपात में शैयाओं की संख्या इतनी बढ़ी की व्यक्तियों की संख्या धीरे-धीरे कम होती चली गयी। इसका उल्टा अर्थ न समझें और मैं समझता हूं जितने लोग समझते हैं उसको मानेंगे।

इसके अतिरिक्त, माननीय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जैसे परिवार कल्याण के ऊपर यह पूरा समग्रता का बजट है वह 443.90 करोड़ रुपये था जो अब 514.75

(श्री अर्जुनदास मदान)

करोड़ रुपये का हो गया। कैपिटल एक्सपेण्डीचर यानि डिस्पेन्सरी बनवाना, किसी प्रकार के नर्सों के क्वार्टर्स बनवाना और लोगों के लिए अस्पताल बनवाना, इसके ऊपर पिछले वर्ष जो हमारा केवल मात्र खर्चा था 18.52 करोड़ रुपये था यह 71.22 करोड़ रुपये हो गया अर्थात् 400 टाइम की प्रगति हुई। तो मैं निश्चित रूप से आज साधुवाद देना चाहता हूं माननीय राठौड़ जी को, निश्चित रूप से एक सराहनीय कार्य किया है।

मैं और अधिक समय न लेता हुआ एक निवेदन करूंगा जब जनवरी, 1992 में दिल्ली में चिकित्सा मंत्रियों की एक बैठक हुई थी उस समय तत्कालीन चिकित्सा मंत्री श्री ललित किशोर चतुर्वेदी जी ने एक घोषणा की थी कि जितने भी अपाहिज हैं, जितने भी दरिद्र हैं, जितनी भी विधवाएं हैं, जितने भी 70 साल के ऊपर के लोग हैं, उनकी हम निःशुल्क सेवाएं देंगे। आज भी निःशुल्क सेवाएं समाप्त तो नहीं हुई हैं लेकिन आज मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो बजट का एलोकेशन है विधवाओं के लिए, बूढ़ों के लिए या और जितने भी लोग हैं, जो गरीबी की रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं विधवाएं, दरिद्र लोग, 70 साल से ऊपर के लोग उनका एलोकेशन एक अलग से रखें। शैयाओं के लिए मैं कहूंगा कि 15 पर्सेन्ट या 20 पर्सेन्ट शैयाओं के ऊपर केवल मात्र इन्हीं लोगों का ही अधिकार रहेगा, उनसे मेरा निवेदन है कि वे इस पर सोचें।

दूसरा, मैं निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि आज बहुत बड़े उपकरण खरीदते हैं और उपकरणों में आपने कई बार देखा होगा कि बहुत बड़ी उसमें कमी आ जाती है। आज सवाई मानसिंह अस्पताल में निःशुल्क चिकित्सा के लिए कोबाल्ट मशीन तो अब ठीक हो गई लेकिन उसके बाद जो सेन्ट्रल मानीटर है, इन्टेंसिव केयर यूनिट में 10 लाख रुपये का लाया गया लेकिन वह सर्विस नहीं दे रहा है आज की तारीख में भी आज से 12 वर्ष पहले माइक्रोस्टोप एनालेसिस लाया गया ताकि लोगों का निश्चित रूप से जब किसी का ब्लड टैस्ट करना हो, किसी का यूरिन टैस्ट करना हो, तो उसका एनालेसिस हो सके, किन्तु आज वह सही स्थिति में नहीं है। इस सम्बन्ध में मेरा आपसे निवेदन है, मैंने भी माननीय पहले सर्विस की है। जिस प्रतिष्ठान में मैं नौकरी करता था वहां का मिल मालिक यह कहता था कि जहां से मशीन खरीदता था, वह यह तय कर लेता था कि इतने प्रतिशत मैं आपको एक्स्ट्रा साल के दूंगा और जिससे मशीन आती थी उस पर ये कंडीशन लगी रहती थी कि जब भी मेरी मशीन खराब होगी तो उसको आप ठीक करोगे। मैं बहुत विनम्रता से निवेदन करूंगा, क्योंकि इससे बहुत गरीब लोगों पर कुठाराघात होता है। मान लीजिये आपकी यह एनालेसिस वाली मशीन ही खराब हो गयी तो क्या होगा, माननीय, कि आप ब्लड टैस्ट नहीं कर पायेंगे, आप यूरिन टैस्ट नहीं कर पायेंगे। मजबूरी में आप यह कहेंगे कि आप बाहर जाकर के टैस्ट कराकर लाओ। अब उसमें, अगर एक आदमी को यह व्यवस्था सौंप दें कि जो मशीन आप ला रहे हो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी आप पर

(श्री अर्जुनदास मदान)

होगी। आप अभी एक टैण्डर निकालते हैं, टैण्डर के ऊपर आदमी मरता है कि इस मशीन को ठीक करूंगा। कुछ टैण्डर आ जाते हैं, वर्किंग लोड दिया, अब उसके बावजूद जब वह चीज सुधरी तो इसके बीच इतना अन्तराल हो जाता है कि जिन-जिन मरीजों को टैस्ट कराना होता है उनकी जेब से पैसे निकल चुके होते हैं। इसलिए व्यवस्था यह होनी चाहिए कि जिनसे मशीन खरीदी जाय उनको इसका परमानेंट ठेका दिया जाय, टेम्प्रेरी ठेका नहीं दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय बिराजें।

श्री अर्जुनदास मदान : नहीं साहब, अभी तो दो मिनट और लूंगा। खैर सारी बातों को समाप्त करके मैं तो और ज्यादा नहीं कहना चाहता, माननीय अगर ऐसी स्थिति है तो मैं समाप्त करता हूं।

कॉटेज अलाटमेंट के बारे में अभी बहुत चर्चा चली थी और मैं भी यह निवेदन करूंगा, माननीय, कि 1976 से 1981 के बीच में मनोत कमेटी एक निर्मित हुई थी और उस गठित कमेटी ने यह तय किया था कि जिन लोगों को यह अलॉट करने का अधिकार था उन्होंने लाखों रुपये इसमें गबन किये थे और माननीय मुख्य मंत्री के पास फाइल गयी, तत्कालीन मुख्य मंत्री के पास तो फाइल गयी लेकिन वर्तमान मुख्य मंत्री जो तत्कालीन मुख्य मंत्री थे, उस समय भी माननीय भैरोंसिहजी थे, आज भी माननीय भैरोंसिह जी हैं। लेकिन उस घटनाक्रम में जिन-जिन लोगों ने उस पैसे को खाया था, आज माननीय मुझे बहुत दुःख है कि उनके ऊपर डिपार्टमेंटली इन्क्वायरी के आर्डर होने के बावजूद भी आज वह फाइल न जाने कहां पड़ी है। मैं निवेदन करूंगा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, कि जो रिमार्क था उसके ऊपर आप जांच करायें और जिन-जिन लोगों ने पैसे खाने का थोड़ा प्रयास किया था उसके ऊपर आप अंकुश लगायें।

माननीय, अब मैं थोड़ा पापुलेशन के ऊपर और निवेदन करूंगा कि आज फैमिली प्लानिंग में देश की बहुत बुरी स्थिति है। यदि हमारे प्रदेश ने इसके ऊपर कोई परिचर्चा नहीं की, कोई इसके ऊपर अंकुश नहीं लगाया तो आपकी सारी की सारी योजनाएं बेकार हैं। आप चाहते हैं कि इन योजनाओं के माध्यम से जो सूरज की किरणें हैं वे गरीब की झौंपड़ी तक जायं, इसके पहले कि वह जायें और उसको प्रज्वलित करें, उसको आभाषित करें, प्रकाशित करें, स्थिति यह हो जाती है कि वह सूर्य की किरणें गरीब के मकान तक पहुंच ही नहीं पातीं और बढ़ने वाली आबादी धुंध बन कर उस सूर्य को ढांप लेती है। परिस्थिति यह होती है किरण आ नहीं पाती और हम वापस उसी स्थिति में जीते रहते हैं जिस स्थिति से हमने प्रारम्भ किया था। इसलिए मैं बहुत विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चाहे हम किसी भी पार्टी के हों, कांग्रेसी हों, साम्यवादी हों, जनता दल के हों, बी.जे.पी. के हों, एक राजनीतिक प्रतिबद्धता आज हमको सदन में लेनी चाहिए कि ठीक है, विचारों की लड़ाई तो आपके और हमारे बीच में रहेगी। आप अपने अखाड़े में उतरना, हम भी निश्चित रूप से चुनाव के

(श्री अर्जुनदास मदान)

मैदान में आयेंगे लेकिन यह हमारी प्रतिबद्धता है कि फैमिली प्लानिंग के ऊपर कम से कम एक आचार संहिता बन जाये, एक कन्सेन्सस बन जाये, एक मतैक्यता हो जाये, विचारों की भिन्नता के बावजूद भी और हम सारे के सारे लोग यह तय करें कि फैमिली प्लानिंग के ऊपर, चाहे हम किसी भी राजनीतिक दल के हों, हम इसके ऊपर नियंत्रण रखेंगे और यदि नियंत्रण नहीं रखा तो, माननीय, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि पिछले तीस वर्षों में तीन गुनी आबादी हो गयी हमारी और आज स्थिति यह है कि संसार में बंगला देश सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करता है और उसके बाद दूसरे नम्बर पर हिन्दुस्तान आता है और हिन्दुस्तान में भी मेरा प्रान्त राजस्थान सबसे पहले है। माननीय, आबादी की रफ्तार इस तरह से बढ़ती चली गयी और साधनों की उपलब्धता में न्यूनता आती गयी तो जो खाई पैदा होगी उससे स्वतंत्रता का जीवन कोई व्यक्ति जी नहीं पायेगा। इसके बावजूद मैं आपसे निवेदन कर रहा था, माननीय, कि इसके ऊपर हमको विचार करना पड़ेगा।

अब मैं और थोड़ा सा आपसे कोटा के बारे में भी निवेदन करूंगा और इसके बारे में भी थोड़ा कह दूं कि जैसे ताराजी कह रही थीं कि जितनी महिला शिक्षित होगी, वह निश्चित रूप से परिवार नियोजन के प्रति अपने आप सजग होगी, क्योंकि ये आंकड़े जो बताते हैं। आज आप देखिये, माननीय, कि 31 जिलों में 14 तो ऐसे हैं जहां पर 10 प्रतिशत केवल मात्र महिलाएं शिक्षित हैं और उनमें भी आदिवासी महिलाओं का अगर आप प्रतिशत लें तो केवल मात्र तीन प्रतिशत आता है। इस पर देवेन्द्र कोठारी जी की एक रिपोर्ट बनी थी और उसमें उन्होंने इस बात का एनालेसिस फैक्ट दिया था कि शहरी लेडीज, जो पढ़ी-लिखी हैं वहां पर प्रजनन की शक्ति 2.7 है और महिलाओं में, जो गांवों की हैं, जो अशिक्षित हैं उनमें 3.8 प्रतिशत प्रजनन की शक्ति है। अर्थात् महिला ज्यों-ज्यों शिक्षित होती हैं त्यों-त्यों उसमें अपने आप ही एक भावना बनती है, वह शिक्षित निश्चित रूप से होगी लेकिन परिवार नियोजन की दृष्टि से प्रशिक्षित हो जाती है। इसलिए पिछला बजट जो आपके माध्यम से यहां पर शिक्षा को समर्पित किया गया था और आज जो चिकित्सा को समर्पित किया जा रहा है, मैं उसको भी धन्यवाद देता हूं।

अन्त में, मैं इतना ही कोटा के बारे में निवेदन करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से, क्योंकि समय का अभाव है केवल मात्र डेढ़ मिनट और लूंगा। कोटा एक उपेक्षित स्थान रहा है, माननीय, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, उपेक्षित इस सेन्स में कि किसी दृष्टि से आज कोटा कम नहीं है। आज बिजली लें तो कोटा से, पैदावार लें तो कोटा से, कभी अकाल पड़ जाये तो जो भी आप चारा लें तो कोटा से; आज पानी की उपलब्धता, जहां पर परमात्मा की सारी देन है लेकिन राजनीतिक दृष्टि से हम लोग सदैव भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ के साथ रहे और भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के शासनकाल में हमको निश्चित रूप से जैसा अभी शांति धारीवाल जी कह रहे थे कि हम तो 2–5 लोग ही ऐसे हैं जो आ गये बदकिस्मती से, मैं तो बदकिस्मत नहीं समझता, चाहे उन्होंने जिस

Page No. 268

(268)

(श्री अर्जुनदास मदान)

शब्द का उपयोग किया वह मैं तो नहीं करना चाहता लेकिन यह बिलकुल तय है कि हमारी प्रतिबद्धता कोटा जिले की भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ के साथ है इसलिए हम उपेक्षित रहे और प्रगति जो उदयपुर को मिली, जो आज आपके सामने अजमेर को मिली, जो जोधपुर को मिली, कोटा उससे वंचित रहा। क्योंकि कोटा के बारे में जैसे आपातकालीन सेवाएं हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगा कि आपातकालीन सेवाएं हैं, अभी आपने घोषणा भी की है लेकिन कोटा में उसकी स्थिति नहीं है। आपसे निवेदन करूंगा कि आपातकालीन सेवाएं वहां होनी चाहिए।

आप महिला चिकित्सालय की स्थिति देख लें, उसके ऊपर भी ध्यान दें। कोटा आज औद्योगिक नगरी है, लेकिन आज औद्योगिक नगरी होने के बावजूद भी औद्योगिक क्षेत्र की 50–60 हजार की आबादी ऐसी है जिसको स्वास्थ्य सेवाएं मिलती भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय बिराजें।

श्री अर्जुनदास मदान : एक औद्योगिक प्रतिष्ठान से 11–12 किलोमीटर चल कर के मजदूर को हास्पिटल में जाना पड़ता है। उचित हो अगर वहां भी स्वास्थ्य सेवाएं आप उपलब्ध करायें। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। श्री अचलाराम जी।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम भी गया हुआ है। मेरे कटमोशन हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस वक्त कटमोशन का बहुत भारी चर्चा का विषय है और मैं आपके माध्यम से यह सदन को भी बताना चाहता हूं कि कटमोशन गिरने पर सरकार को इस्तीफा तो देना ही पड़ता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कटमोशन पर....

श्री अध्यक्ष : आपका नाम ही नहीं है।

श्री विष्णु मोदी : मैं बोल रहा हूं। माननीय मंत्रीजी आप बिराजिये।

श्री अध्यक्ष : एक-एक नाम का उच्चारण किया है।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट तो सुन लो साहब। अगर कटमोशन मंजूर हो जाता है। मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है, सदन को यह निवेदन है कि इस वक्त कटमोशन की बहुत जोरों की चर्चा है और मेरा आज स्वास्थ्य सेवाओं में कटमोशन दिया हुआ है कि इसमें कटौती की जाये और मैं कटमोशन में.....

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपके जितने सुझाव हैं, आप बिना अनुमति के नहीं बोलेंगे।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, कटमोशन पर जो स्थिति है अगर जैसे मेरा जो कटमोशन है, मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहता

(श्री विष्णु मोदी)

हूं कि उसको मंजूर करें और उसके बाद में जो स्थिति बनती है कि मुख्य मंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ता है लेकिन सरकार भंग नहीं हो सकती। मैं कई जो उधर माननीय सदस्य बैठे हैं उनसे आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उसके बाद में कटमोशन पारित होने पर, मंजूर होने पर मुख्य मंत्री का इस्तीफा होता है लेकिन उसके बावजूद भी मुख्य मंत्री चाहें तो वह भंग करने की सिफारिश नहीं कर सकते। बाद में तो दूसरे को ही गवर्नर को बुलाना पड़ेगा। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरे कटमोशन के पक्ष में मतदान करें।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। माननीय अचलाराम जी। अचलाराम जी को बोलने दीजिये। दो मिनट का ही काम है, आपको टाइम ज्यादा लगेगा।

श्री अचला राम (राज्य मंत्री, आयुर्वेद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 26 पर कुछ कटौती प्रस्ताव....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इन्होंने एक रोज....

श्री अध्यक्ष : आयुर्वेद बहुत बड़ी विद्या है और आप इनकी बात नहीं सुन रहे हैं। बिराजिये आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ढाई घंटे तक तो काल अटेन्शन का जवाब दिया था, अब डिमाण्ड का जवाब सुबह चार बजे तक देंगे अचला राम जी, हम नहीं सुनेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उनको सुनवा दो न साहब। एक ही बात है।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट आप बिराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप मत बोलो अचलाराम जी आप बोलोगे तो हम बहुत परेशान कर देंगे।....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप बहुत बोर करते हैं। आप यह कहोगे कि बोर ही करेंगे, यह कहो कि बोर नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें, माननीय श्री धारीवाल साहब।

श्री टीकमचन्द कान्त : अनुसूचित जाति के मंत्रीजी की बात सुनना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस में दरअसल में बात यह है.....

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जायें, श्री धारीवाल साहब। माननीय मंत्रीजी।

श्री टीकमचन्द कान्त : कांग्रेस क्या अनुसूचित जाति के मंत्री की बात सुनना नहीं चाहती है?

श्री अचला राम : माननीय अध्यक्ष महोदय, कट मोशन के जरिये एवं अन्य प्रकार से बहुत सारे सुझाव दिये जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। इससे इस विभाग को चलाने में मुझे सम्बल मिलेगा और कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति एक प्राचीन पद्धति है जिसको हर परिवार ने स्वीकारा है।.... (व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र पारीक : सब एम. एल. एज. को। एक-एक किलो च्यवनप्राश भिजवाओ।

श्री अचलाराम : अध्यक्ष महोदय, इस विभाग ने बढ़ती हुई आबादी को मद्दे नजर रखते हुए एवं वर्ष 2000 तक सब को स्वास्थ्य सेवा देने के उद्देश्य से मान-नीय स्वास्थ्य मंत्रीजी से सम्पर्क कर एक इस तरह की योजना बनाने जा रहे हैं कि सब को स्वास्थ्य कैसे उपलब्ध हो सके, परिवार कल्याण में हम महती भागीदारी कैसे दे सकें इस पर पूर्ण समर्पित भाव से योगदान करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद के विकास और उत्थान के लिए, उत्थान का जहां सवाल है आयुर्वेद के लिए कुछ माननीय सदस्यों ने यही बोल दिया कि यह समाप्त होने जा रहा है। मैं समझता हूं कि आयुर्वेद कि उत्तरोत्तर उन्नति हो रही है जिस वक्त में आयुर्वेद की स्थापना हुई, उस वक्त मात्र थे 346 औषधालय और 15 लाख का उस पर बजट था। अध्यक्ष महोदय, आज की तारीख में वह बजट बढ़कर पौने पांच गुना हो चुका है और आयुर्वेद औषधालयों की संख्या 3685 हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि ये गत वर्ष आयुर्वेद विभाग की जो महती उपलब्धियां रही हैं वह भी मैं आपकी सेवा में पेश करना चाह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभारी हूं कि जो बजट आयुर्वेद विभाग का 1993–94 में था उसको दुगुना किया। बजट दूसरे तरीके से मिलता था प्रति रोगी, बहिरंग रोगी, अन्तरंग रोगी। बहिरंग के लिए मिलता था एक रुपया और अन्तरंग रोगी के लिए 3 रुपये मिलते थे उनको डबल कर दिया। गत वर्ष 5 औषधालय खोले गये और 300 औषधालय भवन जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन हैं, 59 औषधालय सीमावर्ती क्षेत्रों में निर्माणाधीन हैं, सीमा-वर्ती क्षेत्रों के बजट से 4 एम्बुलेंस खरीदी गयी और औषधालयों को फर्नीचर देने के लिए 9 लाख 65 हजार रुपयें का फर्नीचर खरीदा गया।

अध्यक्ष महोदय, मलेरिया और प्लेग के बारे में आपने बहुत सारी बातें सुनीं। आयुर्वेद विभाग ने भी इसके निवारण हेतु, इस रोग की पाबन्दी हेतु, 11 लाख 70 हजार रुपये की औषधियां निर्मित करके वितरित की। ठीक इसी तरह से सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने भी इसमें मदद की जो 14 लाख आई. यू. 64 के केपसूल्स केन्द्रीय सरकार ने भेजे थे वह भी वितरण किये गये हैं। रोग निदान हेतु राजस्थान में 37 शिविर लगाये गये हैं जिसके जरिये 1 लाख 98 हजार रोगियों का गत वर्ष इलाज किया गया।

अध्यक्ष महोदय, जड़ी-बूटियों के उगाने हेतु राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह कहा गया है कि जो भी इन औषधियों का निर्माण करते हैं उनके लिए जमीन उप-लब्ध करवाई जायेगी। यह हमारे आयुर्वेद के लिए बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त करने के लिए हमने कलेक्टर्स को भी निर्देश दिए हैं..(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री मोदी जी आप आयुर्वेद के खिलाफ हैं ?

श्री अचलाराम : आयुर्वेद अधिकारियों को ठीक करने के लिए, उनका नियंत्रण रखने के निर्देश दिये हैं। प्रभारी चिकित्सकों को हमने उनको ए.सी.आर. भरने के आदेश दिये हैं और उनके अधिकार दिये हैं कि जिससे प्रशासन चुस्त और दुरस्त होगा। पहले निरीक्षण करने के लिए जिला अधिकारियों के पास में गाड़ियों का अभाव था, बजट का अभाव था। गत वर्ष प्रत्येक जिला अधिकारी को 15 हजार तक खर्च करने के लिए या किराये की गाड़ी लेने के लिए उनको बजट दिया गया था। वही बजट इस वर्ष बढ़ाकर के 24 हजार का प्रत्येक जिला अधिकारी को कर दिया है। इस तरह से प्रशासन को ठीक करने के लिए वह जो....

श्री हरजीराम बुरड़क : इण्डियन मेडिसिन बोर्ड में क्या करने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : वह बता देंगे। बिराजें आप।

श्री अचलाराम : सैक्रेटेरियट स्तर पर एक ओ.एस.डी. की पोस्ट, क्रिएट की गयी ....(व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद चिकित्सकों की आयु सीमा समाप्त होने जा रही है, वह ओवर ऐज होने जा रहे हैं, उनकी नियुक्ति के लिए जो रिक्त पद पड़े हुये हैं, उनके बारे में माननीय मंत्री महोदय कुछ कहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजें।

श्री राजेन्द्र पारीक : जो रिक्त पद पड़े हुये हैं उनकी भर्ती की घोषणा तो करवाओ।

श्री अचलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से आयुर्वेद कालेज में....(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र पारीक : वह ओवर ऐज हो जायेंगे, माननीय मंत्री महोदय।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। उन्हें बोलने दें।

श्री अचलाराम : आयुर्वेद कालेज में जो शून्य क्लासेज चल रही थीं, उनकी पी. ए. टी. की परीक्षा है वह जुलाई के अन्तिम सप्ताह में करवाये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे इस विभाग ने कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए एक राज्य स्तर पर "धन्वतरि पुरस्कार" से राज्य कर्मचारियों को सम्मानित करने का, धन्वन्तरि दिवस पर यानी दीपावली के एक दिन पहले प्रति वर्ष उन्हें सम्मानित किये जाने की व्यवस्था की जा रही है। इसी तरह से गत वर्ष उन्हें सम्मानित करना शुरू किया है।

अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष में 2 मृत कर्मचारियों के परिवारजन को और 5 न्यायायिक फ़ैसले के आधार पर आये हुये चिकित्सकों को नियुक्ति दी गयी। 120 नर्स-कम्पाउण्डर्स को नियुक्ति दी गयी, 18 लिपिकों को नियुक्ति दी गयी, 9 जिला आयुर्वेद अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया। एक विशेषाधिकारी (आयुर्वेद) का पद सृजित किया गया। इसी प्रकार से

(श्री अचलाराम)

विभिन्न प्रकार के नये पद सृजित करवाये गये हैं।....(व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद के कितने पद रिक्त हैं ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।....(व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र पारीक : बताओ तो सही माननीय मंत्रीजी। आयुर्वेद चिकित्सकों के कितने पद रिक्त हैं ? कब भर्ती करने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : अभी बहुत भरे हैं, वह तो सुनिये आप। खाली की बात कर रहे हैं। ...(व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र पारीक : फिर यहां बोलने का क्या महत्व है ?...(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : फिर यहां बोलने का क्या महत्व है ?....(व्यवधान)....

श्री अचलाराम : समिति का गठन कर दिया गया है जो विशिष्ट शासन सचिव की अध्यक्षता में करवाया जाय औषधि के लिए ...(व्यवधान)...अध्यक्ष महोदय, यह सारी बातें आपके समक्ष रखकर माननीय सदस्यों से यह निवेदन करता हूं कि वर्ष 1995–96 के लिए मांग संख्या 26 को स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं उन 31 माननीय सदस्यों का जिन्होंने सदन में चर्चा के दौरान व उन 163 माननीय सदस्यों का जिन्होंने कटौती प्रस्ताव के माध्यम से रचनात्मक सुझाव देकर मेरा मार्ग प्रशस्त किया। अध्यक्ष महोदय, मैं साधुवाद देता हूं माननीय मुख्य मंत्री को मेरी ओर से, इस सदन की ओर से और राजस्थान की साढ़े चार करोड़ जनता की ओर से कि उन्होंने इस वर्ष चिकित्सा को समर्पित बजट प्रस्तुत किया। अध्यक्ष महोदय, एक बात पर पूरा सदन एक मत था कि चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरता के लिए और चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ राजस्थान की ग्रामीण जनता को और आम-आवाम को किस तरह से, अच्छी तरह से उपलब्ध हो इसके लिए सदन के माननीय सदस्यों ने एक मत होकर अपनी राय प्रकट की है।

मैं समझता हूं कि आज चर्चा के दौरान भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कई माननीय सदस्यों ने जिस तरह से रचनात्मक सुझाव दिये हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और उन सभी माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाता हूं कि आपने जितने सुझाव दिये, उन सारे सुझावों पर मैं पूरी गम्भीरता से सोचूंगा और आपसे पुनः वार्ता करके और आपकी राय के अनुसार मैं चाहूंगा कि विभाग बेहतरता से चले।

अध्यक्ष महोदय, यहां माननीय सदस्यों ने चर्चा की कि ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर चिकित्सक नहीं जाते, राजकीय चिकित्सालयों में उपकरण खराब पड़े रहते हैं और

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चिकित्सालय में मरीज के प्रति संवेदनशीलता समाप्त हो गयी है। यहां इस बात पर भी चर्चा हुई कि जो दवाइयां राजकीय चिकित्सालयों में पहुंचती हैं, उनका लाभ भी वास्तव में गरीब मरीजों को नहीं मिलता। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि पिछले कुछ सालों में कहीं न कहीं कोई न कोई कमी अवश्य रही होगी और यही कारण कि एक चिकित्सक जो मेडिकल कालेज में प्रवेश लेता है और प्रवेश लेने के पश्चात् जब वह समाज के अन्दर चिकित्सक के रूप में पदस्थापित होता है तो राजस्थान की जनता का 13 और 14 लाख रुपया उस पर खर्च होता है। अध्यक्ष महोदय, एक चिकित्सक को चिकित्सक के रूप में नर सेवा-नारायण सेवा के भाव से उसको काम करना चाहिए, आजकल यह प्रवृति पैदा हो गयी है कि कम से कम समय में चिकित्सक ज्यादा से ज्यादा धन अर्जन करना चाहते हैं। यही कारण कि प्रतिवर्ष 550 चिकित्सक राजस्थान के अन्दर विभिन्न मेडिकल कालेजेज से निकलते हैं। उनमें से लगभग 230 चिकित्सक अपनी पढ़ाई पूर्ण करने पर या तो शहरों में अपनी निजी क्लिनिक खोलना चाहते हैं या बड़े शहरों में ही राजकीय सेवा के माध्यम से कार्यरत रहना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज हमारे चिकित्सक बंधुओं को भी अपना सोच बदलना पड़ेगा। पहले कहा जाता था कि चिकित्सा सेवा है परन्तु यह सेवा धीरे-धीरे व्यवसाय में परिवर्तित हो रही है इसलिए मैं आपके माध्यम से राजस्थान के चिकित्सक बंधुओं से भी निवेदन करूंगा कि अगर वे चाहते हैं कि राजस्थान की जनता का स्वास्थ्य बेहतर रहे और अगर वे वास्तव में राजस्थान की सेवा करना चाहते हैं तो उनको सुदूर ग्रामीण अंचल में बैठे हुए उस व्यक्ति के पास अपनी सेवा का लाभ पहुंचाना चाहिए और पहुंचाना पड़ेगा जिनको उनकी सेवा की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है कि हमारे सारे के सारे चिकित्सक व्यावसायीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे भी बहुत से चिकित्सक हैं जो आज भी समर्पित भाव से सेवा करना चाहते हैं। पिछले दिनों हिन्दुस्तान के अन्दर प्लेग फैलने की बात आयी थी। राजस्थान के अन्दर 1 लाख 49 हजार विभिन्न लोगों ने गुजरात की सीमा से प्रवेश किया। उस वक्त 243 मेडिकल चौकियां स्थापित करके हमारे चिकित्सक बंधुओं ने 24-24 घंटे काम किया। अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं है। कुछ महीने पहले माननीय मुख्य मंत्रीजी को अमेरिका जाने का अवसर मिला और मुख्य मंत्रीजी बता रहे थे कि अमेरिका के अन्दर, जब उन्हें यह मालूम पड़ा कि यहां राजस्थान से पढ़े हुए चिकित्सकों का, राजस्थान के मेडिकल कालेजेज से निकले हुए चिकित्सकों का एक अलग से स्थान है तो उनका सीना गर्व से फूल गया। मेरे कहने का अर्थ यह है कि हमारे चिकित्सक बंधुओं में ज्ञान की कमी नहीं, हमारे चिकित्सक बंधुओं में ज्ञान के साथ सेवा की कमी नहीं परन्तु आज जिस तरह का वातावरण बन गया है, इस वातावरण को तब्दील करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि जब देश के पैमाने पर स्वास्थ्य के मापदण्डों की चर्चा होती है तो राजस्थान, जिसका बड़ा शानदार इतिहास

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

है, राजस्थान जिसका त्याग, तपस्या और बलिदान का शानदार इतिहास, उस राजस्थान को बीमारू प्रदेश के रूप में माना जाता है। आज जब हम स्वास्थ्य के मापदण्डों की बात करते हैं तो जन्म दर में हम सबसे ज्यादा, मृत्यु दर में हम सबसे ज्यादा, और शिशु मृत्यु दर में भी हम सबसे ज्यादा और अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने हिन्दुस्तान के स्वास्थ्य मंत्रियों को एक बैठक में बुलाया था। वहां इस बात की चर्चा हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे सामने, आज नहीं तो कल सबसे बड़ा संकट है, वह संकट आयेगा और वह है, हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या। बढ़ती जनसंख्या से सारे संसाधन छोटे पड़ जाते हैं और इस बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए राजस्थान....

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, ये बड़ी तेज स्पीड से भाषण दे रहे हैं। इसको थोड़ा संक्षिप्त कीजिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने तो सुना भी नहीं है। आप बातों में मशगूल हैं। इसलिए आपने देखा कि कोई यह नहीं टोक दे, इसलिए खड़ा होना उचित समझा। आप बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं तो चाहता हूं कि कम से कम समय में, रामस्वरूप जी की तरह, मैं तो यह चाहता हूं कि रामस्वरूप जी जिस तरह से करते हैं कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा मेरी बात कह दूं।

मैं निवेदन कर रहा था कि बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे सामने एक दिन भयानक संकट पैदा कर देगी।

श्री जगदीप धनखड़ : बढ़ती हुई जनसंख्या पर काबू पाना बहुत जरूरी है। बढ़ती हुई जनसंख्या पर तो काबू बाद में कर लेना। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : आप पहले अपने सेक्रेटरी पर तो काबू पा लो (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : आप घोषणा करो कि परिवार नियोजन ले आयेंगे, अपने आप रुक जायेगी जनसंख्या तो। आप घोषणा करो परिवार नियोजन करायेंगे। मंत्री जी घोषणा करो, परिवार नियोजन कराओगे। अध्यक्ष महोदय, आज घोषणा होनी चाहिए सदन के अन्दर, अगर ये राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेना चाहते हैं। मैं यह घोषणा करता हूं कि मैं परिवार नियोजन अपनाऊंगा और अपना लिया मैंने....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। बिराजिये आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : आपने कभी घोषणा की भी क्या ?

श्री अध्यक्ष : आप 52 साल के हो गये हैं और जानते हैं, अब कुछ होने वाला नहीं है। बिराजिये आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : हमको ही कहते हो। यह बात करते हैं कोरी, परिवार नियोजन की बात करते हैं। परिवार नियोजन की घोषणा कोई नहीं करता।

श्री अध्यक्ष : रामस्वरूप जी, आप 52

(श्री अध्यक्ष)

साल के हो गये हैं और आपको पता है कि अब कुछ होने वाला नहीं है। विराजिये आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं घोषणा करता हूं। हिम्मत करो। सारे मंत्री महोदय, हिम्मत करो।

श्री अध्यक्ष : इसलिए घोषणा कर रहे हैं आप (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : सारे लड़के हैं मेरे, लड़कियां पैदा कर रखी हैं आपने (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री रामस्वरूप मीणा :....और परिवार नियोजन की बात करते हो। करो घोषणा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बोलने दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं आपके माध्यम से टीकाराम से आने वाले माननीय सदस्य को बताता हूं कि माननीय सदस्य.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य, सुन तो लो आप कम से कम, उसके बाद में मंत्री महोदय घोषणा करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैंने स्वयं ने परिवार नियोजन अपना रखा है। मेरे तो केवल मात्र एक ही पुत्र है और एक ही पुत्र रहेगा आप अपनी बात सोचिये (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : पत्नी का परिवार नियोजन करवा रखा है। उसका सर्टिफिकेट ले रखा है, अभी अपना तो करवाया ही नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं सीमित परिवार का निवेदन कर रहा था (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : महावीरजी से पूछो, कितने बच्चे हैं। ये मंत्रीजी बैठे हैं, इनसे पूछो कि कितने बच्चे हैं। (व्यवधान) इनके सबके 8–8, 6–6, 5–5 बच्चे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ :....अवधारणा को बढ़ाने के लिए (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : परिवार नियोजन और परिवार कल्याण के लिए (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह एकाएक सबको क्या हो गया।

श्री रामस्वरूप मीणा : हमको गाली देने वाले को हम क्यों बख्शें ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : करवाओ घोषणा।

श्री अध्यक्ष : इसमें अभी जोश लाने की कहां जरूरत पड़ गयी (व्यवधान) माननीय सदस्य, बिराजिये। बिराजिये। बिराजिये। माननीय मंत्रीजी को बोलने दें। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : इनके तो खुद के ही सात बच्चे हैं (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : इस बात को, सदन के बीच में कह रहा हूं, कराओ घोषणा इस बात की ।

श्री जुबेर खान : इन्होंने इस बात को असत्य बोला था । सात बच्चे हैं, तीन लड़की और चार लड़के । हिम्मत होनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : कोई बात होनी चाहिए (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : दो बच्चे वाले कानून के साथ में जितना खिलवाड़ इस सरकार ने किया है, क्या परिवार नियोजन करेंगे ये ? राजनैतिक रोटी सेकते हैं । सिर्फ राजनैतिक रोटी सेकते हैं अध्यक्ष महोदय । दो बच्चे वाले मामले में क्या-क्या किया इन्होंने ।

श्री अध्यक्ष : बिराजो आप ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन कर रहा था....

श्री जगदीप धनखड़ : कोई परिवार नियोजन की चिन्ता नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि....

श्री अध्यक्ष : बड़े अच्छे सुझाव आ रहे थे, आप बीच में कहां से आ गये ।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, 1975 से 1977 तक परिवार नियोजन के प्रोग्राम को इस पार्टी ने जितना धक्का पहुंचाया है, वे परिवार नियोजन की क्या बात करेंगे । इन्होंने तो परिवार नियोजन के खिलाफ प्रचार करके सत्ता हासिल की है । यह तो इस बात की इनके मुंह पर कालिख है ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये । "समै समै सुन्दर सबै, रूप कुरूप न कोय" । बिराजिये आप । समय-समय पर सब बातें सुन्दर लगती हैं । आप बिराजिये (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी को बोलने दें ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि पिछले 10 वर्षों में....

श्री मोतीलाल (रूपवास) इनके श्री नरसिम्हा राव जी के खुद के 22 बच्चे थे, ये कांग्रेसी क्या जनसंख्या को रोकेंगे? इस बात का जवाब दें कम से कम आप (व्यवधान) बिलकुल सत्य है ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये । जुबेर खान जी, बिराजिये आप ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि पिछले 10 वर्षों में राजस्थान में सीमित परिवार की अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए परिवार कल्याण और परिवार नियोजन पर 454 करोड़ 66 लाख रुपया खर्च हुआ है । यह रुपया खर्च करके इस राजस्थान में 19,81,707 नसबन्दियां की गयीं और 16,27,184 लूप और कोपर-टी लगायी गयी । इतनी अथाह धनराशि खर्च हुई, इतनी बड़ी संख्या में नसबन्दियां हुई और लूप

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

और कोपर-टी भी लगायी गयी। उसके पश्चात् इन 10 वर्षों में हमारी जो जन्म दर है, वह मात्र 2.8 कम हुई है। 1981 में हमारी जन्म दर 37.1 प्रति हजार थी, 10 वर्ष पश्चात् 1991 में 34.3 प्रति हजार हो गयी। मेरे कहने का अर्थ यह था कि इतना पैसा खर्च किया, इतनी बड़ी संख्या में नसबन्दियां हुईं। उसके बाद भी हमारी जन्म दर देश के पैमाने से भी ज्यादा रही। इसलिए इस बार हमने यह तय किया है कि विभाग आये वर्ष लक्ष्य निर्धारित करता है कि इस बार नसबन्दियों के अन्दर जो लक्ष्य निर्धारित करेगा, उसके अन्दर विभाग 40 वर्ष से ज्यादा की उम्र के पुरुष और महिला की नसबन्दी को अपने लक्ष्यों में शामिल नहीं करेगा। मेरे कहने का अर्थ यह है, पिछले दिनों एक शोध हुआ है, उसमें कहा गया कि 15 वर्ष की उम्र से 35 वर्ष की उम्र तक, इस उम्र के दरमियान 87 प्रतिशत बच्चे पैदा होते हैं और 35 वर्ष के पश्चात् और 60-70 साल की उम्र के बीच में बाकी बच्चे पैदा होते हैं। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, कई बार विभाग लक्ष्य प्राप्त करने के लिए और ऐसे लोगों की नसबन्दियां भी कर देता है जिनमें (व्यवधान) मैं दोनों की ही कह रहा हूं....

श्री विष्णु मोदी : यह मेल है या फिमेल है....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं दोनों की ही कह रहा हूं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं दोनों के लिए कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा प्रदेश के अन्दर 60 से 70 फीसदी लोग अपने परिवार को सीमित रखना चाहते हैं, परन्तु उनको आवश्यक साधन उपलब्ध नहीं होते हैं। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक गांव में....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : राजेन्द्रसिंहजी, यह आदमियों की तो आप उम्र 40 से थोड़ी ऊपर ही करो। महिलाओं की तो ठीक है लेकिन आदमियों की जरा 50 तक करो। इसमें यह फर्क रहता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं, माननीय सदस्य, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसका अर्थ यह नहीं है कि 40 वर्ष से ज्यादा उम्र का कोई भी पुरुष अगर....

श्री जगदीप धनखड़ : गृह मंत्रीजी की क्यों उत्सुकता है ?....

श्री राजेन्द्र पारीक : कैलाशजी मेघवाल जी से पूछ कर की जावे कि कितनी उम्र की जाये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का अर्थ यह है कि इसका अर्थ यह नहीं है कि 40 वर्ष से ज्यादा उम्र के किसी पुरुष की नसबन्दी नहीं होगी। हम जो निर्धारित करते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मंत्री महोदय, बहुत बड़ी चूक हो जायेगी, दो बातें रखवाओ आप। 40 साल वाली जो बात आपने कही है न, एक तो वह जो शिलाजीत लेते हैं....

श्री मदन दिलावर (राज्य मंत्री, समाज

(श्री मदन दिलावर)

कल्याण) : धारीवालजी की तीन बार करो, गड़बड़ करते रहते हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और एक वह जो नहीं लेते हैं, दोनों की एज अलग-अलग करवाओ आप।

श्री विष्णु मोदी : यह प्रोफेसर बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि इसका अर्थ वह यह नहीं लें कि 40 वर्ष से ज्यादा उम्र के पुरुष की, महिला की नसबन्दी नहीं होगी। वह स्वयं कराना चाहे, उनका स्वागत है। परन्तु हमारा विभाग जो प्रति वर्ष लक्ष्य निर्धारित करता है उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हम 40 वर्ष से ज्यादा की उम्र के पुरुष और महिला की नसबंदी या आपरेशन किये गये लक्ष्यों को सम्मिलित नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं निवेदन कर रहा था कि परिवार नियोजन कार्यक्रम....

श्री कालीचरण सराफ : रामस्वरूपजी की उम्र 40 वर्ष से कम है या ज्यादा है, यह तो पूछो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : रामस्वरूपजी की उम्र 48 साल है।....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा :....मुझे राष्ट्रीय कार्यक्रम की चिंता है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। विराजिये अब।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने अपनी पत्नी की नसबंदी करायी है, अपनी नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं आपके माध्यम से, अब तक एक अवधारणा बन गयी थी कि परिवार नियोजन और परिवार कल्याण, यह कार्यक्रम सरकार का कार्यक्रम है और विभाग लक्ष्य भी निर्धारित करता है, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास भी करता है। इसीलिए हमने विकल्प योजना आरम्भ की है, दौसा और टोंक, दो जिलों का हमने चयन किया है, सहभागिता के आधार पर और इस कार्यक्रम को सरकारी जाल से बाहर निकाल कर जनता का कार्यक्रम बनाने के लिए हमने इस विकल्प योजना को प्रारम्भ किया है। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, 60 से 70 फीसदी लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार को सीमित करना चाहते हैं परन्तु परिवार को सीमित करने के लिए जो उनको आवश्यक साधन उपलब्ध होने चाहिए वह आवश्यक साधन उपलब्ध नहीं होते हैं इसलिए हमने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश के प्रत्येक गांव में अन्तराल विधि हेतु, गर्भ निरोध के वितरण हेतु एक-एक केन्द्र स्थापित किया जायेगा जो आंगनबाड़ी, ग्राम सेवा सहकारी समिति, जन-मंगल जोड़ा, स्वास्थ्य केन्द्र और आयुर्वेद औषधालय के मार्फत सारी चीज उपलब्ध करवायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि अभी कई माननीय सदस्यों ने स्वास्थ्य उप-केन्द्र की चर्चा की और यह भी कहा कि किन मापदण्डों के आधार पर स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोले जाते हैं। मैं निवे-

(श्री राजेन्द्र राठोड़)

दन करना चाहता हूं कि स्वास्थ्य उप-केन्द्र कैसे खोले जायें, इसके मापदण्ड भारत सरकार बनाती है और भारत सरकार ने मापदण्ड बना रखे हैं पांच हजार की जनसंख्या जहां सामान्य क्षेत्र हो और तीन हजार की जनसंख्या जहां मरुस्थलीय और जन जाति क्षेत्र हों, कठिन क्षेत्र हो। अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश के अन्दर आठ हजार उप-केन्द्र कार्यरत हैं और हमारी जनसंख्या के अनुसार, जो भारत सरकार ने मापदण्ड बनाये हैं, उसके अनुसार लगभग 1400 उप-केन्द्र और हों, तब हम इन मापदण्डों को पूरा कर सकते हैं और मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि जो स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोले जायेंगे, जो निश्चित मापदण्ड हैं उनके अनुसार खोले जायेंगे, इसमें किसी तरह का कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं बरता जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार सात सौ जो उप-केन्द्र खोले जायेंगे, सात सौ उप-केन्द्र खोलने के पश्चात् पूरे प्रदेश के अन्दर कोई भी ऐसी ग्राम पंचायत नहीं रहेगी जिसमें चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की कोई न कोई इकाई काम न करेगी। कहीं प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र होगा, कहीं उप-केन्द्र होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री राजेन्द्र पारीक : यह भारत सरकार की योजना है क्या....

श्री राजेन्द्र राठोड़ : नहीं, यह सात सौ उप-केन्द्र राज्य मद से खोले जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने पिछले पांच साल से, लगातार प्रयास किये, पूर्व में माननीय चतुर्वेदी साहब ने भी प्रयास किये, मैंने भी व्यक्तिगत तौर पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर प्रार्थना की और हमारे उप-मुख्य मंत्रीजी ने प्रधान मंत्रीजी से मिलकर यह बात कही थी कि राजस्थान में विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए हमारे यहां स्वास्थ्य उप-केन्द्र की आवश्यकता बहुत है, उपादेयता बहुत है, परन्तु उन्होंने नहीं खोले अध्यक्ष महोदय। परन्तु माननीय मुख्य मंत्रीजी की सहृदयता है कि उन्होंने इन उप-केन्द्रों का महत्व समझा और सात सौ उप-केन्द्र खोलने का फैसला लिया।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा राजस्थान पहला प्रदेश है, यह स्वास्थ्य उप-केन्द्र जहां भी हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं, सब पर दो हजार रुपये का वार्षिक बजट है जो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, राजस्थान पहला प्रदेश है, अध्यक्ष महोदय, जिसने दो हजार से बढ़ाकर पांच हजार रुपये तक इस उप-केन्द्र का वार्षिक बजट किया है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हमने यह भी निर्णय लिया है, जिस तरह अभी चर्चा कई माननीय सदस्यों ने यह की कि स्वास्थ्य उप-केन्द्रों पर किसी तरह की दवाई उपलब्ध नहीं होती। निश्चित तौर पर जनसंख्या, जिसको हम लाभान्वित करना चाहते हैं वह ज्यादा है और स्वास्थ्य उप-केन्द्र के अन्दर वार्षिक बजट दवाइयों का कम है, इसीलिए दवाई का बजट बढ़ाया है। अध्यक्ष महोदय, हमने निश्चय किया है कि दस ऐसी दवाइयां, जिसमें गाज, बैंडेज और यह भी दवाइयां सम्मिलित हैं, हम इन स्वास्थ्य उप-केन्द्रों पर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे ताकि कम से कम दस वह ड्रग्स, जिनकी आवश्यकता किसी भी आपात

Page No. 280

(280)

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

स्थिति में हो और जब व्यक्ति पास के दूसरे चिकित्सालय तक पहुंचे, तब तक जिन दवाइयों की आवश्यकता है या रोजमर्रा की बीमारियों की आवश्यकता है, वह सारी दस दवाइयां, जिनकी सूची हम तैयार कर रहे हैं, वह उपलब्ध करवा दी जायेंगी।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं निवेदन कर रहा था कि स्वास्थ्य उप-केन्द्रों के भवन बहुत बड़ी संख्या में नहीं बने हुए हैं इसलिए सरकार ने यह फैसला लिया है कि जिन स्वास्थ्य उप-केन्द्रों में भवन नहीं हैं उनमें भवन बना दिये जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, आज तक के इतिहास में कभी भी 3266 स्वास्थ्य उप-केन्द्रों के इतने भवन एक साथ नहीं बने, विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 3266 जो स्वास्थ्य उप-केन्द्र हैं, इनके भवन बनाये जायेंगे। और इसके अलावा... (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, आप जो भवन बना रहे हैं इसमें आपका कितना बजट है, कितना आपने अलग से बजट रखा है या यह डी.आर.डी.ए....

श्री राजेन्द्र पारीक : केन्द्र सरकार की आश्वासित रोजगार योजना है, उसके माध्यम से यह स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जा रहे हैं। राज्य सरकार का कहीं से एक पैसा नहीं है।

श्री हरजीराम बुरडक : आपके विभाग का इसमें क्या लेना-देना है ?

श्री राजेन्द्र पारीक : यह सारे के सारे स्वास्थ्य उप-केन्द्र आश्वासित रोजगार योजना के माध्यम से केन्द्र सरकार बना रही है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये आप।

श्री विष्णु मोदी : भारत सरकार का पैसा है, इससे आप भवन बना रहे हैं, टेक रहे हैं यहां पर आप।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये आप। (व्यवधान) मंत्रीजी को पूरी बात कह लेने दें। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्षजी, सदन के नेता की तरह + + + हर मंत्री का काम बन गया है, काम कम-प्रचार ज्यादा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : पैसा लेने के लिए आप आलोचना करते हैं....

श्री विष्णु मोदी : आदरणीय ताराजी, जो लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पूरी बात करने दें। माननीय बीच में डिस्टर्ब न करें, बिराजिये। (व्यवधान) बिराजिये अब, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप मेरी बात सुन लीजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : केन्द्र सरकार का

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

पैसा राजस्थान में लगे, राजस्थान गवर्नमेंट आलोचना करे केन्द्र सरकार की, तकलीफ की बात यह है। केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में यह पैसा लग रहा है और उसी के माध्यम से उप-स्वास्थ्य केन्द्र बना रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप, बिराजिये।

श्री विष्णु मोदी : आप कहें तो सही कि यह पैसा हम वहां का दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष . बिराजिये आप। केन्द्र सरकार से आया होगा तो... (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह डांगावास : नहीं, केन्द्र सरकार के पास पैसा आया कहां से, पैसा राजस्थान सरकार से केन्द्र सरकार को जाता है, वह वापस अलाट होता है....

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। बात पूरी सुनें माननीय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, कई बार सरकार में बैठने का काम माननीय सदस्यों का भी रहा है और यह जो भवन, स्वास्थ्य उप केन्द्र बिना भवन संचालित हो रहे थे, यह आज के नहीं हैं। 3266 मैंने जो बताये हैं, यह आज के नहीं हैं, बहुत वर्ष पहले, उस वक्त भी केन्द्र सरकार की योजनाओं से पैसा आता था, आपने क्यों नहीं बनवा दिये।

श्री विष्णु मोदी : आपकी जानकारी के लिए मंत्री महोदय, यह पैसा अभी आने लगा है, पहले केन्द्र से जे. आर. वाई. और डी.आर.डी.ए. की जो रोजगार योजनाएं हैं, उनका पैसा पहले नहीं आता था।

श्रीमती तारा भण्डारी : केन्द्र सरकार से पैसा लाने की भी अकल चाहिए, अकल।

श्री विष्णु मोदी : हमारे प्रधान मंत्री ने तीस हजार करोड़ रुपये आठवीं पंचवर्षीय योजना में इन विभिन्न योजनाओं के लिए रखा है।

श्रीमती तारा भण्डारी : आपके कहने से नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन स्वास्थ्य उप केन्द्र भवनों का निर्माण 2406 का तो हमारे स्टेट प्लान से होगा

श्री टीकमचन्द कान्त : पैसा वापस भेज दें क्या ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और 860 का आई.पी.पी.—9 एक योजना है उस योजना के अन्तर्गत होगा और मैं यह निवेदन करूं कि मैं आपके एक-एक प्रश्न का उत्तर दूंगा, कृपया मुझे बोलने दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय, बीच में डिस्टर्ब न करें आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं मेरी बात समाप्त कर दूं उसके बाद आप जो पूछेंगे, बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष : पूरी बात सुनें माननीय,

(श्री अध्यक्ष)

यह क्या कर रहे हैं आप।....(व्यवधान) ... बार-बार क्यों खड़े हो रहे हैं, आप इस भाषण के दौरान पन्द्रहवीं बार खड़े हो गये हैं। अब आप बिराजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : ....यह भी साथ ही निश्चित किया जाय....

श्री जगदीप धनखड़ : मंत्री महोदय प्रचार में ही लगे हुए हैं, प्रचार नहीं, बताइये क्या योजना है....

श्री अध्यक्ष : आप सुनना नहीं चाहते, क्या योजना है और यों हाथ के इशारे दिलाने से काम नहीं चलेगा। बिराजिये आप बात पूरी सुनें माननीय। बिराजिये आप। ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : साथ में यह भी सुनिश्चित किया जाय....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी और भी बिजनस बाकी है माननीय। आप बिराज जायें।

श्री राजेन्द्र पारीक : कि स्वास्थ्य उप केन्द्रों में कम्पाउण्डर जायें।

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जायें, मंत्री जी को आप पूरा करने दें, उसके बाद आप कोई बात करें।... (व्यवधान)....बिराजिये अब।

श्री टीकमचन्द कान्त : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के खजाने पर राजस्थान का हक बनता है या नहीं, नम्बर एक।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री टीकमचन्द कान्त : राजस्थान का हक बनता है या नहीं ?

श्री जगदीप धनखड़ : मंत्रीजी, बतायें फिर कैसे....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजें आप। माननीय मंत्रीजी को बात पूरी करने दें। बीच में खड़े नहीं हों माननीय।

(22.00)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि मुझे मेरी बात पूरी करने दें। आपको कोई जानकारी चाहिए, आप मुझसे कुछ पूछना चाहेंगे अपने प्रश्नों का उत्तर, मैं निश्चित तौर पर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि इन स्वास्थ्य उप केन्द्रों पर एक-एक प्रसाविका कार्यरत रहती है और....

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं बोलें माननीय सदस्य। कितनी बार टोक दिया आपने ? माननीय धनखड़ जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और हम इनसे काम भी लेना चाहते हैं। मलेरिया जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए भी इनको काम में लेना चाहते हैं और परिवार कल्याण का काम भी लेना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, एक ए.एन.एम. तीन हजार और पांच हजार की जनसंख्या और यह सारा काम पूरा कर लेना सम्भव नहीं। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, हमने निर्णय लिया है कि

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हम चरणबद्ध तरीके से तीन वर्ष के अन्दर प्रत्येक स्वास्थ्य उप-केन्द्र में एक-एक ए.एन. एम. के साथ-साथ एक-एक बहुद्देश्यीय कार्यकर्त्ता एम.पी.एच.डब्ल्यू. भी पदस्थापित करेंगे और, अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष में हम एक हजार उप केन्द्रों पर यह कार्य करेंगे चूंकि अभी हमारे पास एम.पी.एच.डब्ल्यू. की उपलब्धता कम है पर निश्चित तौर पर तीन वर्ष के अन्दर यह कार्य पूरा कर दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि स्वास्थ्य उप केन्द्र के बाद जो दूसरी बड़ी इकाई है वह प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र है। एक तरह से मैं यह कहूं कि स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ की हड्डी है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और आज राजस्थान में 1507 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र कार्यरत हैं। इसको खोलने का भी मापदण्ड है, अध्यक्ष महोदय, 30 हजार की जनसंख्या सामान्य क्षेत्र में और 20 हजार की जनसंख्या जो कठिन क्षेत्र हैं उन पर एक प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र भारत सरकार के मापदण्डों के अनुसार सरकार खोलती है। अध्यक्ष महोदय, इस बार 89 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों को खोलने का फैसला हुआ है। इसके साथ ही सन् 1991 की जनसंख्या के आधार पर जितने प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र मापदण्ड के अनुसार प्रदेश में होने चाहिए थे वह लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा कई माननीय सदस्यों ने अभी कहा, खास तौर पर इधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने कहा कि कुछ प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र आप खोल देते हैं पर उनके भवन नहीं होते हैं, कोई किराये के भवन में संचालित होते हैं और इसलिये, अध्यक्ष महोदय, इस बार सरकार ने निर्णय लिया है कि 567 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, इन भवनों के निर्माण के साथ ही 1994 तक जितने प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र स्वीकृत थे, यह 89 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र छोड़ कर, सब के पास अपने-अपने भवन हो जायेंगे। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, हमने यह भी निर्णय लिया है कि 115 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों पर जहां आपरेशन थियेटर नहीं हैं वहां आपरेशन थियेटर और आब्जर्वेशन वार्ड के निर्माण का काम भी इस वर्ष पूरा किया जायेगा। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, कुछ इस तरह के क्षेत्र भी हैं जहां पानी का बहुत अभाव है और खास तौर पर चिकित्सालयों में जब पानी नहीं रहता तो चिकित्सा सेवाओं में व्यवधान भी पैदा होता है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, हमने निश्चय किया कि इस बार 137 इस तरह के प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र जहां पानी का अभाव है और वहीं ट्यूबवैल खोद कर पानी उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, इन प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों पर जनरेटर की भी आवश्यकता काफी रहती है इसलिए सरकार ने यह फैसला किया है कि इस वर्ष 115 जनरेटर खरीद कर इन प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों पर उपलब्ध कराये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सुनें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यहां इस बात को लेकर काफी माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की कि कई स्थानों पर चिकित्सक इसलिए नहीं रहते कि वहां

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चिकित्सक के आवास गृह नहीं होते और वास्तव में, अध्यक्ष महोदय, कई ऐसे स्थान भी हैं जहां चिकित्सक रहना चाहता है, किराये का मकान मिलता नहीं और मैं समझता हूं कि ज्यादा नहीं तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अगर भवन उपलब्ध हो जायं तो वह वहीं रह कर लोगों की सेवा-सुश्रुषा शुरू कर दें। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, इस बार सरकार ने निर्णय लिया है कि 257 चिकित्सा अधिकारियों के आवास गृह बनाये जायेंगे जिनमें से 150 मेडिकल आफिसर के मकान तो हम राज्य मद से बनायेंगे और 187 मेडिकल आफिसर के मकान हम सोशल सेफ्टी नेटवर्क स्कीम के अन्तर्गत बनायेंगे। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, हमारी ए.एन एम. बहनें हैं, इनके लिए भी आवास की काफी कमी है। इस वर्ष 350 प्रसाविकाओं के लिये आवास गृह बनाये जायेंगे जिनमें 200 प्रसाविकाओं के लिये आवास गृह का निर्माण तो राज्य मद से होगा और 150 प्रसाविकाओं के आवास गृह का निर्माण सोशल सेफ्टी नेटवर्क स्कीम के अन्तर्गत होगा।

अध्यक्ष महोदय, हमारी चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं की जो बीच की कड़ी है वह सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र। सन् 1991 में माननीय ललित किशोर जी चतुर्वेदी साहब ने घोषणा की थी कि प्रत्येक पंचायत समिति पर एक-एक रेफरल चिकित्सालय खोला जायेगा। मुझे आपके माध्यम से सदन को अवगत कराते हुए हर्ष है कि मात्र एक को छोड़ कर इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है और केवल जहां उदयपुर और राजसमन्द जिले जब अलग हुए उस समय एक बड़गांव पंचायत समिति का रेफरल चिकित्सालय राजसमन्द में खोला गया है, बड़गांव पंचायत समिति में रेफरल चिकित्सालय इस बार खोल दिया जायेगा। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय अब सरकार ने निर्णय लिया है कि एक लाख की जनसंख्या पर एक रेफरल चिकित्सालय हो, इस ओर कदम आगे बढ़ायेंगे। इस वर्ष 10 नये रेफरल चिकित्सालय खोले जायेंगे और इन 10 नये रेफरल चिकित्सालयों में, अध्यक्ष महोदय, हमने दो वर्ष का एक कार्यक्रम हाथ में लिया है। रेफरल चिकित्सालय वह यूनिट है जिसके प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र और दूसरी सेवाओं से रेफर होकर केसेज आयें, वहां एक्स-रे मशीन और एम्बुलेंस नहीं हो इसलिए, अध्यक्ष महोदय, हमने दो वर्ष का एक कार्यक्रम हाथ में लिया है और दो वर्ष में यह निश्चय किया है कि सभी रेफरल चिकित्सालयों में एम्बुलेंस और एक्स-रे मशीन उपलब्ध करा दी जायेंगी। अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष 50 रेफरल चिकित्सालयों में एक्स-रे मशीन और 54 रेफरल चिकित्सालयों में एम्बुलेंस उपलब्ध करा दी जायेंगी।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य अपने एक प्रश्न के द्वारा मुझसे पूछ रहे थे कि कई गांवों में रेफरल चिकित्सालय बन गये। पहले भी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र थे फिर क्रमोन्नत होकर रेफरल चिकित्सालय बने पर रेफरल चिकित्सालय बनने के बाद भी उनके पास जिस तरह के भवन होने चाहिए थे उस तरह के भवन उपलब्ध नहीं हैं। मैं यह स्वीकार करता हूं इसलिये भी हम लोगों ने एक कार्यक्रम हाथ में लिया है और हमारा यह प्रयास रहेगा कि आने वाले तीन वर्ष

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

में प्रदेश में सभी रेफरल चिकित्सालयों जहां भवन की आवश्यकता होगी वहां नये भवन बनाये जायेंगे और जहां पुराने भवन में आवर्तन परिवर्तन की आवश्यकता होगी, किया जायेगा। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, इस बार 81 रेफरल चिकित्सालयों में इस कार्य को हम प्रारम्भ करेंगे और प्रत्येक रेफरल चिकित्सालय में 15 लाख से लेकर 30 लाख की लागत तक पैसा देकर वहां आवर्तन-परिवर्तन कराया जायेगा या निर्माण की आवश्यकता होगी, वहां निर्माण कराया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष मैंने घोषणा की थी कि जितने भी उप-खण्ड स्तर के चिकित्सालय हैं और जिनमें 30 से कम शैयायें हैं उन सब को बढ़ाकर 30 से 50 कर दिया जायेगा। पिछले वर्ष 9 ऐसे उप-खण्ड स्तर पर संचालित चिकित्सालयों की शैयायें जिनमें 30 या 30 से कम थीं उनको बढ़ा कर 50 किया है। इस वर्ष भी हम 9 ही ऐसे उप-खण्ड स्तर पर संचालित चिकित्सालयों में शैयाओं की आवश्यकता 30 या 30 से कम थी उनको बढ़ा कर 50 कर रहे हैं, शेष रहे 9 को हम आगामी वर्ष तक पूरा कर देंगे। यह लक्ष्य भी, अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है।

अध्यक्ष महोदय, यहां कई माननीय सदस्यों ने चर्चा की कि खास तौर पर महिला चिकित्सक उपलब्ध नहीं हैं। मैं स्वयं स्वीकार करता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि जितनी संख्या में महिला चिकित्सक राजस्थान में होनी चाहिए थीं उतनी संख्या में हमें चिकित्सक उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि हमारे यहां जितनी महिला चिकित्सक आये वर्ष उत्तीर्ण होकर चिकित्सक के रूप में आती हैं उनमें 50 फीसदी के लगभग अपना निजी चिकित्सालय संचालन करना प्रारम्भ कर देती हैं और कुछ ऐसी हैं जो इस सेवा में नहीं आकर एक घरेलू औरत की तरह अपना आचरण करती हैं। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, हमने यह निश्चय किया है कि ऐसे क्षेत्र जहां महिला चिकित्सक की मांग का काफी महत्व है और जहां महिला चिकित्सक उपलब्ध नहीं है वहां हम पास के क्षेत्र में जहां कोई भी महिला चिकित्सक अपना निजी चिकित्सालय चला रही है उसको सप्ताह में दो बार उस राजकीय चिकित्सालय में भेजने के लिये संविदा के स्तर पर हम लोगों ने यह काम हाथ में लिया है और साढ़े तीन सौ रुपये प्रति ट्रिप के अनुसार हम देंगे। मेरे कहने का अर्थ है कि हमने सारा प्रयास करने के पश्चात ही और जब हमें महिला चिकित्सक उपलब्ध नहीं हुई तो हमने एक प्रयोग करने का प्रयास किया है। इसके तहत 230 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में हम यह सुविधा उपलब्ध करायेंगे जहां पर महिला चिकित्सक को सप्ताह में दो बार सेवाएं देने के लिये भेजा जायेगा। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, इस बार 15 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में एक-एक महिला चिकित्सक को पद-स्थापित किया जायेगा। इसके लिये भी जल्दी स्वीकृति जारी कर दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, गम्भीर रोगियों को एक चिकित्सालय से दूसरे चिकित्सालय भेजे जाने के लिये रोगी वाहन का काफी महत्व रहता है। इस तरह मैंने पहले निवेदन किया कि काफी चिकित्सा केन्द्रों में 115

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रोगी वाहन दे रहे हैं। उसी तरह, अध्यक्ष महोदय, कुल 159 रोगी वाहन खरीद कर हम चिकित्सा संस्थाओं को उपलब्ध करायेंगे। अध्यक्ष महोदय, इन रोगी वाहनों के खराब रहने की भी काफी शिकायतें आयी हैं। पिछले वर्ष हमने 118 रोगी वाहन, एक अभियान चलाकर ठीक कराये थे, लगभग 40 लाख रुपये व्यय हुए थे। इस बार भी तीन माह के अन्दर अन्दर प्रदेश में जितने भी रोगी वाहन और दूसरे वाहन हैं, या तो उन्हें ठीक कराया जायेगा और जो ठीक कराने लायक नहीं होंगे उनको नाकारा घोषित करके उनकी नीलामी के लिये आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जिस तरह का यातायात बढ़ रहा है, सड़क यातायात के साथ-साथ दुर्घटनायें भी बढ़ती जा रही हैं। इसलिये तीन राज मार्गों पर, सवाईमाधोपुर में महुआ, सीकर में फतेहपुर, टोंक में देवली, यहां पर क्रेश एम्बुलेंस की स्थापना की गयी है। माननीय सदस्य कह रहे थे कि यहां इस तरह की एम्बुलेंसेज पहले भी स्थापित की गयी थीं, परन्तु उनमें एक ही चिकित्सक पद स्थापित होने के कारण वह चिकित्सक सुबह की पारी में तो जरूर उपलब्ध रहता था उसके बाद सायं की पारी में रात की पारी में उपलब्ध नहीं रहता था। अध्यक्ष महोदय, इस बार यह निर्णय लिया है कि राजस्थान में जितनी भी क्रेश एम्बुलेंस हैं, उनमें सबमें पूरी तीन पारियों में सुबह, शाम और रात्रि को, तीनों समय चिकित्सक उपलब्ध रहे इसके लिये नये पदों का सृजन भी कर दिया है और जो तीन राज मार्गों पर तीन क्रेश एम्बुलेंस खोल रहे हैं उनमें भी तीन पारियों के अन्दर चिकित्सक और पेरा-मेडिकल स्टाफ के लोग उपस्थित रहेंगे। मैं माननीय गृह मंत्रीजी से भी निवेदन करूंगा कि इन एम्बुलेंसेज को यदि वे वायरलेस से जोड़ दें तो कोई दुर्घटना होने पर सूचना जल्दी होने से वहां जल्दी से जल्दी पहुंचा जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने चर्चा की कि उपकरण बड़ी मात्रा में निश्चित तौर पर, खराब रहते हैं राजकीय चिकित्सालयों में कई-कई हाथों में उन उपकरणों से काम करने का अवसर मिलता है। रख-रखाव में भी थोड़ी कमी रह जाती है इस कारण से कुछ खराब भी रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसलिये पिछली बार हमने एक उपकरण नीति बनायी थी। उसमें समयबद्ध कार्यक्रम तय किया था कि किसी भी चिकित्सा संस्थान में कोई उपकरण खराब हो तो मेडिकल इंचार्ज कितने दिनों में उसको ठीक करायेगा, नहीं ठीक होने पर वह कितने दिनों में सी. एम. एण्ड एच. ओ. को रिपोर्ट दे, यह पूरी एक नीति बनी थी और उसके आर्थिक परिणाम भी सामने आये थे। अध्यक्ष महोदय, पिछले एक वर्ष में राजस्थान के विभिन्न राजकीय चिकित्यालयों में, जिनमें मेडिकल कॉलेज भी सम्मिलित हैं, 250 उपकरण ठीक कराये हैं जिनकी अनुमानित आय लगभग चार करोड़ की हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा अब हमने एक और अभियान चलाने का फैसला किया है, जून से चलने वाले इस अभियान में तीन महीने के अन्दर-अन्दर जितने भी राजस्थान के अन्दर उपकरण हैं, चाहे वे मेडिकल कालेज में हो, चाहे प्राथमिक चिकित्सा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

केन्द्र पर हों, चाहे रेफरल चिकित्सालय में हों, उन सारे उपकरणों को ठीक कराया जायेगा और इसके लिये दो करोड़ रुपये की राशि का हम लोगों ने विशेष प्रावधान किया है। जो उपकरण ठीक कराने लायक नहीं रहे, उन उपकरणों को हम लोग नाकारा घोषित करके उनके रिप्लेसमेंट की बात करेंगे। अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने यह भी मांग की कि मेडिकल कॉलेज और दूसरे चिकित्सालयों के अन्दर आधुनिक उपकरण खरीदे जायं। कई माननीय सदस्यों ने उन उपकरणों के बार-बार खराब रहने पर भी चिंता व्यक्त की। अध्यक्ष महोदय, सरकार के संसाधन सीमित हैं। सीमित संसाधनों से सरकार आधुनिक उपकरण भी खरीद ले और उनको खरीदने के पश्चात उन उपकरणों का उपयोग भी पूरा लें, यह सम्भव नहीं है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, हमने यह निर्णय लिया है कि उपकरण के लिये इस बार रजिस्टर्ड सहकारी समितियां बना रहे हैं। ये रजिस्टर्ड सहकारी समितियां राज्य स्तर पर चिकित्सा सचिव की अध्यक्षता में, सम्भागीय स्तर पर सम्भागीय आयुक्त की अध्यक्षता में और जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में संचालित होंगी। हमने इसका अलग से एक संविधान बनाया है। ये समितियां दूसरे वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने के लिये अधिकृत होंगी और उनको जो मार्जिनल मनी के रूप में पैसा चाहिये वह पैसा राज्य सरकार देगी। इन समितियों के लिये हमने राज्य स्तर पर अंशदान के लिये 50 लाख रुपये, सम्भागीय स्तर पर 20 लाख रुपये और जिला स्तर पर 10 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया है। यह तो मार्जिनल राशि है इसके अलावा वे दूसरे वित्तीय संस्थानों से ऋण लें और ऋण लेकर उन उपकरणों को विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में और दूसरे स्थानों पर स्थापित कर दें, फिर नो लोस नो प्रोफिट के आधार पर उनको संचालित करें। उनके रख-रखाव के लिये भी वे आवश्यक प्रबन्ध करें। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, पूर्व में, जिस तरह सीकर से आने वाले माननीय सदस्य और दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा कि ये जो उपकरण होते हैं, जो ऑटो फाइनेंस स्कीम में हमने लगाए हैं, इस ऑटो फाइनेंस स्कीम में जो पैसा आता है वह पैसा राजकीय मद में जमा हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, इस बार निर्णय लिया है कि यह पैसा उसी चिकित्सा संस्थान को दे दिया जायेगा ताकि वह उसी मशीन के लिये और मशीन के रख-रखाव के लिये इस पैसे का उपयोग करे।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह चर्चा भी हुई कि निजी क्षेत्र में जब तक चिकित्सालय स्थापित नहीं होंगे तब तक इस बढ़ती हुई जनसंख्या के अन्दर, हमें सारे कार्यभार को और जिस तरह की सुविधाएं हम आम अवाम को देना चाहते हैं, वे सुविधाएं दे नहीं पायेंगे। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, एक नीति का निर्धारण सरकार ने किया है। उसके अनुसार वह चेरिटेबल इंस्टीट्यूट जो एक सुपर स्पेशलिटि के साथ अपना चिकित्सालय स्थापित करना चाहेगा और चिकित्सालय स्थापित करने से पहले उसके प्रारूप की मंजूरी राज्य सरकार से ले लेता है तो उसे भूमि जो आरक्षित दर है उसके 25 प्रतिशत पर

2048

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

और अगर वह भूमि कृषि भूमि होगी तो उसमें समान्तरण शुल्क भी 25 प्रतिशत उससे लिया जाएगा। इसके अलावा इस तरह के इंस्टीट्यूशंस के लिये जो उपकरण आयेंगे उसमें चुंगी से भी उनको मुक्त रखा जायेगा, उनको सेल्स टैक्स से भी मुक्त रखा जायेगा।, अध्यक्ष महोदय, जो इस तरह के चेरिटेबल इंस्टीट्यूट हैं जो बिना स्पेशलिटि के लगायेंगे उनको भूमि 50 प्रतिशत में आरक्षित दर पर उपलब्ध करायेंगे। उनसे समान्तरण शुल्क भी 50 प्रतिशत लेंगे और किसी तरह का उनसे चुंगी और सेलस टैक्स नहीं लेंगे। अध्यक्ष महोदय, यह योजना अभी हमने दस जिलों में शुरू की है—जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, अलवर, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा और पाली। इसके अलावा, इनके आस्तिक परिणाम सामने आयेंगे तब निश्चित तौर पर इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इस चर्चा के दौरान कई माननीय सदस्यों ने यह मांग की कि जिला चिकित्सालयों में जहां गम्भीर रोगी आते हैं; यहां गहन चिकित्सा इकाई का अभाव है, आई. सी. यू., का इसलिये, अध्यक्ष महोदय, इस बार 20 आई. सी. यू. खोलने की सरकार ने घोषणा की है। इसके लिये आवश्यक उपकरण और आवश्यक स्टाफ की स्वीकृति जारी कर दी जाएगी। पूरे राजस्थान में मात्र दो जिलों, मुख्य जिला चिकित्सालयों, दौसा और राजसमंद को छोड़कर, पूरे राजस्थान में इन बीस आई. सी. यू. के स्थापित होते ही सारे राजस्थान में सभी जिला चिकित्सालयों में आई.सी.यू. स्थापित हो जायेंगी। (व्यवधान) नहीं, वह आ जाएगा, धौलपुर भी उसमें आ जाएगा।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, दौसा में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : दौसा के अन्दर इसलिये नहीं माननीय सदस्य, क्योंकि दौसा के अन्दर जो भवन है और उसमें जो स्थान उपलब्ध है वह स्थान थोड़ा कम है। नये भवन के बारे में विचार चल रहा है और जैसे ही वह नया भवन बन जायेगा वैसे ही इस आई. सी. यू. को स्थापित कर दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, इस बार राजसमंद, हनुमानगढ़ और बारां तीन जिला चिकित्सालयों में नये टी. बी. क्लीनिक की स्थापना की जायेगी। दौसा के सब टी.बी. क्लीनिक को टी.बी. क्लीनिक के रूप में क्रमोन्नत किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ जो अभी नया जिला बना है उसमें सौ शैयाओं को बढ़ाकर 150 शैया करने का सरकार ने निर्णय लिया है। इसके अलावा जोधपुर के माननीय सदस्यों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए जोधपुर के अन्दर जो पावटा सेटेलाइट चिकित्सालय है उसकी शैयाओं को भी 30 से बढ़ाकर 50 करने का निर्णय किया हैं।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर कई माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है कि राजकीय चिकित्सालयों में सफाई की पूरी व्यवस्था नहीं होती है, निश्चित तौर पर अध्यक्ष महोदय, वास्तव में बड़ा सोच का विषय है कि चिकित्सालय जहां मरीज इलाज के लिये आता है और वहां जब वह चारों तरफ गन्दगी देखता है और गन्दगी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

से वह जिस तरह के इन्फेक्शंस अपने साथ लेकर जाता है, वास्तव में यह काफी गम्भीर बात है और सभी तरह के प्रयास हमने किये कि इन चिकित्सालयों का वातावरण हाइजीनिक रहे, इन चिकित्सालयों में साफ-सफाई ठीक रहे। पिछली बार, हमने जिला चिकित्सालय की सफाई को ठेके पर देने का फैसला लिया था उसके आशातीत परिणाम भी सामने आये हैं। कुछ स्थानों पर ऐसा जरूर है, अध्यक्ष महोदय, कि सफाई कर्मचारियों की यूनियन के कारण या ठेकेदार उपलब्ध नहीं होने के कारण इस व्यवस्था को हम लागू नहीं कर सके। इस बार पूरे राजस्थान के अन्दर 100 शैयाओं वाले चिकित्सालयों के अन्दर सफाई व्यवस्था को ठेके पर देने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है।

अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने यह भी चर्चा की थी कि आपने दवाइयों का बजट तो बढ़ा दिया दवाइयों का बजट दुगुना कर दिया, परन्तु इन दवाइयों का लाभ वास्तव में गरीब लोगों को होता नहीं है इसके मुंह पीछे जो कारण बताये, उनमें से एक कारण यह भी है कि दवाइयों की जो अनुमोदित सूची है वह काफी लम्बी है और उसके कारण से उनकी उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पाती है। जब कभी भी कोई भी किसी चिकित्सालय में जाकर पूछता है कि अमुक दवाई आप क्यों नहीं देते तो कहते हैं कि अमुक दवाई इसलिये नहीं देते है कि हमने इस दवाई को नहीं खरीदा, दूसरी दवाई को खरीद लिया है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, हमने यह निर्णय लिया है कि पिछली बार जो 438 दवाइयों की अनुमोदित सूची थी उसको घटाकर 128 की और इस बार 128 को भी घटाकर 70 कर रहे हैं। और यह 70 दवाइयां, अध्यक्ष महोदय, किसी भी राजकीय चिकित्सालय में जो इंडोर पेशेंट होगा, आउटडोर पेशेंट होगा उसको निश्चित तौर पर दी जायेगी। कोई स्वयं नहीं लेना चाहे तो दूसरी बात है। मेरा कहने का अर्थ यह है कि ये फिर बहाना नहीं चलेगा कि इस मरीज को हमने दवाइयां इसलिये नहीं दी कि यह दवाई हमें उपलब्ध नहीं है। उनकी उपलब्धता भी सुनिश्चित की जायेगी और निश्चित तौर पर 70 की 70 दवाइयां पूरे चिकित्सालयों में उपलब्ध हों इसका प्रयास किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, दवाई क्रय करने की जो पद्धति है वह भी काफी जटिल है। देखने में यह मिलता है कि कई बार वर्ष के आखिर के अन्दर दवाइयां खरीदी जाती हैं और फिर वे एक साथ दवाइयां क्रय करने के पश्चात् जब वे दवाइयां चिकित्सा संस्थाओं को भेजी जाती हैं तो वे कभी-कभी अवधि पार भी हो जाती हैं और उनकी लैंथ ऑफ लाइफ भी कम रहती है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, हमने यह निर्णय लिया कि मनोत समिति की सिफारिश के अनुसार इसकी प्रक्रिया का सरलीकरण किया जायेगा और पूरे वर्ष के अन्दर चार बार दवाइयां क्रय की जायेंगी ताकि वे अवधि पार दवाइयां नहीं हों। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, यह भी निर्णय लिया है कि यह दवाइयों का बजट जो हम देते हैं, इन दवाइयों का बजट, कई बार इस तरह की महामारी, जिस तरह अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि मलेरिया के बारे में आपने कुछ नहीं किया। महामारी फैल जाती हैं वहां से वे दवाइयां मंगवाने के लिये हम लोगों को

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

लिखते हैं; दवाइयां वहां पर जाती हैं समय व्यतीत हो जाता है। इसलिये कुल जो बजट हम किसी भी चिकित्सालय संस्थान को देंगे उसमें 50 फीसदी उसी चिकित्सालय संस्थान के प्रभारी अपने विवेक से जो हमारी 70 दवाइयों की एप्रूव्ड लिस्ट है उसमें से वे खरीद लेंगे ताकि समय बचे।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने खास तौर पर जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि जयपुर के अन्दर सवाई मानसिंह चिकित्सालय पर बहुत दबाव है। निश्चित तौर पर सवाई मानसिंह चिकित्सालय के बारे में काफी टीका टिप्पणी भी कई माननीय सदस्यों ने की, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सवाई मानसिंह चिकित्सालय हमारे प्रदेश का ही नहीं उत्तरी भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सालयों में से एक है। किन्तु उस पर कितना दबाव है उस दबाव को दृष्टिगत रखते हुए जिस तरह की सेवाएं वहां पर होनी चाहिये वे सेवाएं वह दे नहीं पाता। अध्यक्ष महोदय, मैंने एक सर्वे करवाया था कि सवाई मानसिंह चिकित्सालय के अन्दर एक दिन के अन्दर चौदह हजार लोग आते और जाते हैं। जिनमें मरीज, मरीज से मिलने वाले, कर्मचारी सबकी संख्या सम्मिलित है। अब, अध्यक्ष महोदय, आप अन्दाजा लगाइये कि चौदह हजार व्यक्ति एक संस्थान में आये-जाएं उसके बाद संस्थान की सफाई व्यवस्था जिस तरह हम चाहते हैं उस तरह रहे, हालांकि मैं निश्चित तौर पर निवेदन करना चाहूंगा कि, और खास तौर पर माननीय खेतसिंहजी से निवेदन करूंगा आप तो स्वयं स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं आप जाकर एक बार एस.एम. एस. हॉस्पिटल को देखिये। एक गुणात्मक परिवर्तन तो मैं नहीं कहूंगा पर परिवर्तन की तरफ हमने बढ़ना प्रारम्भ किया है। अध्यक्ष महोदय, इस सवाई मानसिंह चिकित्सालय....

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसका मतलब तो यह है कि हमारे वक्त वहां पर बिलकुल गन्दगी ही रहती थी और आपने आकर के सारी सफाई की है।

श्री परसादीलाल मीणा : आपको तो खुशी होनी चाहिये कि मामला.... (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह जो आपने एस.एम.एस. हॉस्पिटल के बारे में बताया है कि चौदह हजार.... (व्यवधान)....

श्री जगदीप धनखड़ : चौदह हजार से तो ज्यादा आते होंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मंत्री महोदय,....

श्री अध्यक्ष : माननीय कम्प्लीट करने दीजिये अब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : प्रतिदिन 95 बड़े और 149 छोटे आपरेशन्स होते हैं। कुल 244 आपरेशन्स होते हैं। अध्यक्ष महोदय, और 151 नये रोगी उसमें भर्ती होते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके कार्य भार को देखते हुए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि कुछ इस तरह के विभाग जो दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित किये जा सकते हैं, उनको स्थानान्तरित किया जायेगा इसके लिये

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

विशिष्ट शासन सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बना दी है, एक महीने के अन्दर समिति अपनी रिपोर्ट देगी, उसके अनुसार काम किया जायेगा ।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, जो कांवटिया और जयपुरिया चिकित्सालय के बारे में झुन्झुनू से आने वाले माननीय सदस्य ने चर्चा की थी । हमने यह निर्णय लिया है कि इन दोनों चिकित्सालयों में एस.एम.एस. हॉस्पिटल के मेडिसन विभाग में आउटडोर के लिये वहां सुविधाएं उपलब्ध करवायी जायेंगी । वहां के विशेषज्ञ सप्ताह में दो बार जायेंगे । इन दोनों चिकित्सालयों में यह सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी ताकि एस.एम.एस. का भार कुछ कम हो । इसके अलावा जयपुर में कांवटिया, जयपुरिया व सेठी कॉलोनी इन तीनों चिकित्सालयों में आपात् सेवाएं प्रारम्भ की जायेंगी और आपात् सेवा के साथ-साथ मेडिको लीगल यूनिट ताकि मेडिको लीगल केस होने पर जो बार बार एस.एम.एस. ही जाना पड़ता है उस दबाव को भी कम करने के लिये यहां मेडिको लीगल यूनिट स्थापित की जायेगी और आवश्यक उपकरण, एक्सरे, वह भी स्थापित किये जायेंगे ।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, हमने यह निर्णय लिया है कि इस बार जो आपात् सेवाएं हैं उनको सुदृढ़ किया जाएं । पूरे जिला चिकित्सालयों में आपात् सेवाओं को सुदृढ़ करने की एक योजना बनायी है और प्रयास यह रहेगा कि इसी वित्तीय वर्ष के अन्दर सभी जिला चिकित्सालयों में आपात सेवाएं प्रारम्भ हो जायं, इसके लिये हमने छहों मेडिकल कॉलेज के अन्दर आपात् सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिये वित्तीय प्रावधान रखा है । एस.एम.एस. के अन्दर अब जो इमरजेन्सी यूनिट प्रारम्भ होने वाली है उनमें 35 लाख रुपये लगे हैं । इन आपात् सेवाओं के अन्दर सीनियर रेजिडेंसी सिस्टम प्रारम्भ किया है और उन सीनियर रेजिडेंस को मात्र इन आपात सेवाओं के लिये ही इस इमरजेन्सी यूनिट में लगाया जायेगा ।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, एस.एम.एस. हॉस्पिटल के लिये यह चर्चा हुई कि यहां डी.एम. कोर्स प्रारम्भ किया जाय, टेलीफोन एक्सचेंज की कमियों के बारे में भी चर्चा हुई और पेजिंग सिस्टम शुरू करने के बारे में भी चर्चा हुई । अध्यक्ष महोदय, आगामी वर्ष में जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय में कार्डियोलॉजी में डी.एम. कोर्स प्रारम्भ करने के लिये हमने सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं, अगले वर्ष से डी.एम. कोर्स कार्डियोलॉजी में प्रारम्भ करेंगे । इसके अलावा टेलीफोन एक्सचेंज को भी इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज में बदलने के लिये आवश्यक प्रावधान कर दिये हैं । पेजिंग सिस्टम भी शुरू कर दिया जायेगा । अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा केन्द्रीय मरीज भर्ती हो उसके लिये कम्प्यूटरीकरण करके एक केन्द्रीय कक्ष बनाया जायेगा ताकि बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को, किसी भी परिजन को अपने किसी मरीज के बारे में पूछना हो तो वह काम आसानी से हो जाये । इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, 90 लाख रुपये की लागत से कोबाल्ट मशीन स्थापित की जायेगी ।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

20 लाख रुपये की लागत से इमेज इंटेसिफायर शुरू की जायेगी और जो बाइपास सर्जरी का जो हमने अभी-अभी प्रारम्भ की है .. (व्यवधान).

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सुनें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एस.एम.एस. हॉस्पिटल के कोटेज वार्ड में कुत्ते घूमते हैं, वे बन्द होंगे या नहीं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बनावटी कुत्तों को वहां पर घूमने की इजाजत होगी।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्षजी, मंत्रीजी उखड़ गये थे, मुख्य मंत्रीजी के आने के बाद शांति कायम हुई। आप नाजायज फायदा उठा रहे हैं मुख्य मंत्रीजी की उपस्थिति का, अब आप संक्षिप्त में अपनी बात खतम करिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि ऐसे रोगियों का भी आपके पास कोई इलाज है क्या ?

एक माननीय सदस्य : आगरा में। (व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, वास्तव में कुछ इस तरह के विशिष्ट रोग हो जाते हैं और इन लोगों में जब यह रोग होता है तो मालूम नहीं पड़ता है। मुझे भी अभी मनोरोग चिकित्सक कह रहे थे कि इस तरह के रोगियों को, और उनका उचित उपचार हो इसके लिये अलग से एक कक्ष का निर्माण किया है उनमें इन माननीय सदस्य को....(व्यवधान)....अध्यक्ष महोदय, एस.एम.एस हॉस्पिटल में तीस लाख रुपये की लागत से केन्द्रीय ऑक्सीजन वितरण केन्द्र स्थापित किया जायेगा। शल्य क्रिया जो यूरोलॉजी के मरीजों के लिये विशेष आपरेशन टेबिल खरीदने की व्यवस्था भी की है। इसके लिये, अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य कह रहे थे ट्रेडमिल टैस्ट की व्यवस्था नहीं है उसके लिये उपकरण खरीदने की आवश्यकता होगी तो उस ट्रेडमिल टैस्ट के लिये भी आवश्यक उपकरण खरीद लिये जायेंगे।

इसके अलावा मैं निवेदन करूं दो मिनट के अन्दर, अध्यक्ष महोदय, उदयपुर मेडिकल कॉलेज में 43 लाख रुपये की लागत से कलर डोपलर खरीदा जायेगा और जोधपुर मेडिकल कॉलेज में 12 लाख की लागत से ऑक्सीजन वितरण केन्द्र स्थापित किया जायेगा और 10 लाख की लागत से इन्सिनेटर स्थापित किया जायेगा और 40 लाख की लागत से लाइब्रेरी और तरणताल मेडिकल कॉलेज, जोधपुर में स्थापित किये जायेंगे और कोटा मेडिकल कॉलेज के लिये पांच करोड़ छप्पन लाख रुपये इस बार हमने भवन निर्माण के लिये दिये हैं। और आपकी मांग पर, शांतिलालजी धारीवाल की मांग पर, आपने केट स्कीन की बात कही थी 105 लाख रुपये की लागत से केट स्कीन कोटा में लागू कर दी जाएगी और आपने धारीवाल साहब एक सोनोग्राफी की भी बात कही थी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कोबाल्ट थिरेपी ही कही थी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसी साल सोनो-

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

ग्राफी भी स्थापित कर दी जायेगी और ब्रैंकोस्कोपी भी स्थापित कर दिया जायेगा।

बीकानेर के अन्दर मेटरनिटी वार्ड के लिए 12 लाख रुपये की स्वीकृति भी इस साल की गयी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यहां भ्रमण शल्य चिकित्सा इकाई की काफी चर्चा हुई और कई माननीय सदस्यों ने कहा कि इस चिकित्सा इकाई ने काफी अच्छे काम भी किये हैं, मैं निवेदन करूं कि एक कैम्प लगाने के अलावा इस चिकित्सालय में कार्यरत चिकित्सक कोई दूसरा काम करते नही इसलिए इस बार एक करोड़ और तीस लाख की लागत से इस भ्रमण शल्य चिकित्सा इकाई का हमने एक बेस चिकित्सालय बनाने का निर्णय लिया हैं ताकि जब इनके कैम्प नहीं हो तो इस बेस चिकित्सालय, जो 50 शैयाओं का होगा इनके माध्यम से लोगों की सेवाएं की जा सके। यह चिकित्सालय जो अभी 50 शैयाओं का है अगर इसकी उपयोगिता रही तो इनकी शैयाओं को बढ़ाने का काम भी हम लोग करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, यहां कई माननीय सदस्यों ने कहा कि आपने पिछली बार स्वास्थ्य समितियां तो बना दीं, परन्तु स्वास्थ्य समितियों की बैठक नहीं हुई, मुझे भी इस चीज को कई लोगों ने बताया तो, अध्यक्ष महोदय, इस बार हमने एक तारीख निश्चित कर दी और यह तय कर दिया कि एक माह के अन्दर स्वास्थ्य समिति की बैठक एक बार जरूर हो जायेगी और जिन स्थानों पर स्वास्थ्य समितियां नहीं बनी हैं उनमें भी जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य समितियों का गठन कर लिया जायेगा और इनको हम प्रशासनिक अधिकार भी देंगे। इन स्वास्थ्य समितियों की सिफारिशें इन स्वास्थ्य समितियों द्वारा आयी शिकायतें और उन शिकायतों के आधार पर विभाग निश्चित रूप से उचित कार्यवाही करेगा। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, सभी उप-केन्द्रों में प्रत्येक माह में 10 तारीख को, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 11 तारीख को और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 12 तारीख को इन समितियों की बैठक होगी। जिला चिकित्सालय और मेडिकल कालेज से सम्बन्धित चिकित्सालय में इस बार हम लोग....

श्री हरजीराम बुरडक : जिलों में दूसरी बैठकें होंगी तो, वह कैसे होंगी ? तारीख दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : देखिये, बात यह है माननीय सदस्य, कि अगर तारीख नहीं दें तो यह बात रहती है कि बैठक होती नहीं और तारीख हम पहले दे दें....

श्री हरजीराम बुरडक : नहीं, दूसरी होगी तो ? आप तो महीने में एक कम्पलसरी कर दीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यहां कई माननीय सदस्यों ने कहा कि बहुत बड़ी संख्या में चिकित्सकों के पद रिक्त हैं, निश्चित तौर पर मैं यह मानता हूं कि चिकित्सकों के कुछ पद रिक्त भी हैं। इस बार हमने जो चिकित्सा अधिकारी थे, जिनकी डी.पी.सी. बैठानी चाहिये थी वह

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

डी.पी.सी. बैठा दी है करीब-करीब और मैं यह समझता हूं कि आने वाले माह के अन्दर जितने भी पूरे प्रदेश में जूनियर स्पेशलिस्ट्स के पद रिक्त हैं उन सारे जूनियर स्पेशलिस्ट्स के पदों को भर दिया जायेगा और पिछली बार एक वर्ष के अन्दर 804 चिकित्सकों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से और 327 चिकित्सकों को जिला स्तर पर हम लोगों ने भर्ती की है, जिला स्तर पर सी.एम. एण्ड एच.ओ. और कलेक्टर मिल कर भर्ती करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जो कई माननीय सदस्य कह रहे थे कि इन चिकित्सकों के विरुद्ध आप कोई कार्यवाही नहीं करते, चिकिरिसक उपस्थित नहीं रहते। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले एक वर्ष में अपने कर्त्तव्य के प्रति विमुख रहने वाले 102 चिकित्सकों की सेवाएं हमने समाप्त की हैं, 68 चिकित्सकों को निलंबित किया है और 187 चिकित्सकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की है। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां चिकित्सक बहुत कम संख्या में रहते हैं और रहते हैं तो इसी प्रयास में रहते हैं कि उनका स्थानान्तरण कैसे हो। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, इस बार तय किया है कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, धौलपुर, झालावाड़ और चूरू इन क्षेत्रों में जो चिकित्सक लगातार दो वर्ष तक रहेंगे उनको आगे के दो वर्ष के लिए उनके इच्छित किन्हीं दो स्थानों पर पद-स्थापित कर दिया जाएगा। मैं समझता हूं कि इसके कारण से कुछ चिकित्सक जो यह कहते हैं कि हम लगातार इन्हीं क्षेत्रों में काम करते हैं....

श्री परसादीलाल मीणा : डा. चन्द्रा जैन, गंगापुरसिटी के खिलाफ क्या कार्यवाही होगी ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : निश्चित तौर पर, माननीय सदस्य, आपने जो बात कही है, आपकी भावनाओं से मैं अवगत हुआ हूं, निश्चित तौर पर आवश्यक कार्यवाही करेंगे दुबारा आपको कहने का अवसर नहीं मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, यहां यह भी चर्चा चली कि पेरा मेडिकल स्टॉफ की काफी कमी है और मैं भी समझता हूं कि पेरा मेडिकल स्टाफ की काफी कमी रही है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, इस बार हमने सहायक रेडियोग्राफर की प्रवेश क्षमता 60 से बढ़ाकर 100 की है, प्रयोगशाला तकनीशियनों की प्रवेश क्षमता 270 से बढ़ाकर 540 की है, जनरल नर्सिंग की प्रवेश क्षमता 1000 से बढ़ाकर 1500 की है तथा हम आगामी वर्ष से राज्य में दन्त तकनीशियन, नेत्र सहायक व उप-पशु थेरेपिस्ट के नये प्रशिक्षण कार्य को भी प्रारम्भ कर रहे हैं।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, इस बार कुछ ऐसे संस्थान जो डायग्नोस्टिक लेब राजकीय चिकित्सालयों में लगाना चाहते हैं हमने एक प्रारूप तैयार किया है, हमारी शर्तों पर अगर कोई इस तरह के डाइग्नोस्टिक लेब लगाना चाहेंगे तो निश्चित तौर पर हम उन्हें इसके लिये भूमि उपलब्ध करायेंगे।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अध्यक्ष महोदय, हमने यह भी निर्णय लिया है कि प्रत्येक पंचायत समिति में 3 कैम्प जो नेत्र से सम्बन्धित हों, अन्धता निवारण कार्यक्रम के अन्दर 3 कैम्प निश्चित तौर पर लगाये जायेंगे और इसके लिये प्रयास है। पिछले वर्ष 65,529 नेत्र आपरेशन्स किये गये।

अध्यक्ष महोदय, इस बार कई माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि मलेरिया और दूसरे प्रकोप ज्यादा फैल जाते हैं इनकी सूचना समय पर नहीं मिलती है। अध्यक्ष महोदय, इस बार हम एक निदेशक स्तर के अधिकारी को और जिसके साथ 3 संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी रहेंगे, उनको हम इसी कार्य के लिये प्रभारी बना रहे हैं। इसका नाम डायरेक्टर, (पब्लिक हैल्थ) होगा। ताकि यह पूरे वर्ष इस तरह महामारी, मलेरिया के बारे में ये सूचनाएं भी एकत्रित करेंगे, और आवश्यक कदम भी उठायेंगे। अध्यक्ष महोदय, यहां मलेरिया को लेकर काफी चर्चा हुई। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मलेरिया हमारे राजस्थान के लिये नया नहीं है। राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर मलेरिया काफी फैला है और इस बार हम लोगों ने सारे कारगर और आवश्यक कदम उठाये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि इस बार सरकार पूरी सजग है, मलेरिया को लेकर हमने 9 जिलों में क्रैश प्रोग्राम चलाये हैं और बाकी सब जिलों में हम एक सघन कार्यक्रम चला रहे हैं। हम निश्चित तौर पर मोबाइल टीम के माध्यम से और डी.डी.टी. स्प्रे भी करवा कर हम लोग प्रयास करेंगे कि मलेरिया का फैलाव नहीं हो। कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि मच्छरों का प्रभाव हैं और डी.डी.टी. से मच्छर मरते नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह मच्छर बेइमान हो गये, अब क्या पता ये ज्यादा नशा करने लग गये या नीलकंठ हो गये, इन पर डी.डी.टी. का प्रभाव कम है थोड़ा बहुत हो रहा है। हम लोगों ने भारत सरकार से भी कहा है और भारत सरकार ने भी कहा है कि इस ओर अनुसन्धान कर के और निश्चित तौर पर कोई नयी चीज का इजाद करेंगे तो हमें देंगे।

मैं समझता हूं कि यह इस तरह का विषय है चिकित्सा और स्वास्थ्य जिसमें निश्चित तौर पर, अध्यक्ष महोदय, अगर सभी माननीय सदस्य मिल कर काम करेंगे और इस तरह के विषय के अन्दर हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर सब लोग सार्थक प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर आप सब के सहयोग से चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग जनता की सेवा कर पायेगा। ....(व्यवधान)....

श्री हरजीराम बुरड़क : प्रशासनिक व्यवस्था में क्या कर रहे हैं ?

श्री विष्णु मोदी : एक मिनट सुनिये, अध्यक्ष महोदय। मंत्रीजी ने कहा था कि मेरे से जवाब के बाद आप जो सवाल करेंगे मैं उनका उत्तर दूंगा और आज....

श्री अध्यक्ष : माननीय, बहुत....

श्री विष्णु मोदी : एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, इस सदन की यह परम्परा रही है कि जब भी डिमाण्ड पर डिस्कशन हुआ है

(श्री विष्णु मोदी)

उसके बाद में क्वश्चंस हुए हैं और उसके क्लेरिफिकेशंस हुए हैं। इसलिये आप रश-थ्रू नहीं करिये। अगर सदन का टाइम....

श्री अध्यक्ष : माननीय, अभी और बिजनस लेना है।

श्री विष्णु मोदी : लेना है तो यह बहुत इम्पोर्टेन्ट चीज है और यह सदन की परम्परा रही है कि इसके बाद क्वेश्चंस हुए हैं और उसके जवाब दिये गये हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, दौसा जिले में आई.सी.यू. की यूनिट क्यों नहीं खोली है ?

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय. मैं माध्यम से यह सवाल पूछना चाहता हूं.... (व्यवधान) ...

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि दौसा जिले में....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : दूसरी जगह जहां पर प्रिमिसेज हैं वहां आई.सी.यू. यूनिट खोली जाये, दौसा जिले को वंचित नहीं किया जाय।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, यह इस सदन की परम्परा रही है।

श्री अध्यक्ष : पूछिये।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से दो बातें जानना चाहूंगा। एक तो आपके सुपर स्पेशलाइजेशन में जो बम्बई और दिल्ली, यह हॉस्पिटल्स तो कुछ रिकोग्नाइज हैं लेकिन राजस्थान के जो गुजरात के बार्डर पर, जैसे डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, सिरोही है, यहां अहमदाबाद का कोई अस्पताल आपके रिकोग्नाइज नहीं है तो वहां पर जो सरकारी कर्मचारी या दूसरा आदमी इस तरह इलाज के लिये जाना चाहता है तो उसको या तो दिल्ली जाना पड़ता है या बम्बई जाना पड़ता है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि क्या वो अहमदाबाद में भी जो इस तरह के हॉस्पिटल्स हैं, उनको रिकोग्नाइज करेंगे ? एक।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अहमदाबाद में एक हॉस्पिटल को रिकोग्नाइज करने वाले हैं। राजस्थानी होना चाहिये।

श्री विष्णु मोदी : हां, अभी तक तो नहीं है।

दूसरा सवाल, अध्यक्ष महोदय, यह है कि जो मेडिकल बिल्स हैं, आप माने या नहीं माने, मेडिकल बिल्स के अन्दर जितना दुरुपयोग हो रहा है सरकारी पैसे का, और यह हर जगह है, कोई ऐसी जगह नहीं है कि मेडिकल बिल्स के माध्यम से सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं हो रहा हो। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि क्या वह इस पर विचार करेंगे? कुछ एक अमाउण्ट फिक्स कर दें और बाकी का अगर कोई बड़ी बीमारी हो, उसका पूरा पैसा मिले या कोई इस तरह का रास्ता निकले कि जिससे मेडिकल बिलों का जो फर्जीवाड़ा राजस्थान भर में हो रहा है उसके

(श्री विष्णु मोदी)

ऊपर सरकार कोई विचार कर के कदम उठाये।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि मंत्रीजी ने आई.सी.यू. वार्ड से दौसा और राजसमन्द को दूर रखा है, वहां सुविधा नहीं दे रहे हैं। माननीय मंत्रीजी जब आप सारे राजस्थान के जिला अस्पतालों में ऐसी सुविधा दे रहे हैं तो आप दौसा और राजसमन्द में भी दीजिये। अगर भवन नहीं हैं, वहां पर जमीन अवेलेबल है, भवन नहीं है तो आप भवन के लिये पैसा दीजिये पर आप दो जिलों को क्यों छोड़ रहे हैं? आप दो जिलों पर भी व्यवस्था कीजिये।

श्री अध्यक्ष : बिराजें अब। (व्यवधान) बस हो गया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल है।

श्री अध्यक्ष : अब माननीय, आप समय खराब नहीं करें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा सिर्फ एक प्रश्न है।

मांग संख्या 26 का पारण

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुदान की मांग संख्या–26–चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,16,33,93,000/– (पांच अरब, सोलह करोड़, तैंतीस लाख, तिरानवे हजार) की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

आधे घण्टे की चर्चा

श्री जोगेश्वर गर्ग, सदस्य, विधान सभा पुलिस थाना कोटपूतली (जयपुर) में दर्ज प्रकरण विषयक अतारांकित प्रश्न संख्या 279 (69/गृह मं./गृह/अता.) के उत्तर से जो दिनांक 31 मार्च, 1995 को दिया गया था, उत्पन्न मुद्दों पर आधे घण्टे की चर्चा उठायेंगे। गृह मंत्री उत्तर देंगे।

श्री जोगेश्वर गर्ग : माननीय अध्यक्ष महोदय,....

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, उस चर्चा का ही जवाब दे दूं। आपकी जो कुछ आशंका है, मैं इस प्रकरण की जांच सी.आई.डी. (सी.बी.) से करवा दूंगा और इससे ये सन्तुष्ट हैं।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही दिनांक 27 अप्रेल, 1995 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 22.42 बजे गुरूवार, दिनांक 27 अप्रेल, 1995 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 97 से सम्बन्धित नियमों की प्रति

राज्य में नवीन महाविद्यालय प्रस्तावित करने के सम्बन्ध में राज्य में वर्तमान में निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किये हुए हैं :—

(अ) प्रस्तावित स्थान पर उपयुक्त भवन हो।

(ब) प्रस्तावित स्थान के 20 किलोमीटर में कम से कम चार हायर सेकण्डरी स्कूल हों।

(स) प्रस्तावित स्थान के 30 किलोमीटर की परिधि में कोई भी महाविद्यालय नहीं हो।

(द) क्षेत्रीय दृष्टि से प्रस्तावित स्थान उपयुक्त हो।

(य) राज्य के सभी जिला मुख्यालय पर एक महाविद्यालय होना आवश्यक है।

(र) प्रत्येक जिले में एक पृथक महिला महाविद्यालय होना चाहिये। उन जिलों को प्राथमिकता दी जावेगी जहां छात्राएं 500 से अधिक अध्ययनरत हैं। आगामी वर्षों में संख्या घटाकर 400–300 भी की जा सकती है।

(ब) नये महाविद्यालय के लिये भवन निर्माण करके एक वर्ष का व्यय दानदाता/स्वयंसेवी संस्था कराना चाहे वहां महिला महाविद्यालय खोलने को विभागीय आकलन कर प्राथमिकता दी जाये।

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न संख्या 100 से सम्बन्धित विषयवार सूची की प्रतियां

विषय	कुल स्वीकृत पद	सामान्य वर्ग	ओ.बी.सी.	अ.जा.	अ.ज.जा.
1	2	3	4	5	6
मेडिसिन	48	23	11	8	6
कार्डियोलोजी	8	5	—	2	1
न्यूरोलोजी	4	2	—	1	1
नेफ्रोलोजी	3	2	—	1	—
गेस्ट्रोएन्ट्रोलोजी	3	22	—	1	—
स्त्री रोग एवं प्रसूति	55	27	12	9	7
शिशु औषध	31	15	7	5	4
शल्य चिकित्सा	52	25	11	9	7
कार्डियो थोरोसिक सर्जरी	5	3	—	1	1
न्यूरो-सर्जरी	10	7	—	2	1
प्लास्टिक सर्जरी	3	2	—	1	—
शिशु सर्जरी	9	6	—	2	1
यूरोलोजी	7	4	—	2	1
स्किन एण्ड वी.डी.	11	5	2	2	2
टी.बी. एण्ड सी.डी.	12	6	2	2	2
आर्थोपेडिक्स	31	15	7	5	4
फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहेबिलिटेशन	2	1	—	1	—
दन्त चिकित्सा	15	7	3	3	2
निश्चेतन	61	30	13	10	8

1	2	3	4	5	6
मनोरोग	15	7	3	3	2
ई.एन.टी.	14	6	3	3	2
नेत्र रोग	21	10	4	4	3
रेडियोथैरेपी	11	5	2	2	2
रेडियोडायग्नोसिस	22	10	5	4	3
रेडियेशन फिजिक्स	8	4	1	2	1
पैथोलोजी	29	14	6	5	4
माइक्रोबायोलोजी	18	9	4	3	2
फार्माक्लोजी	14	6	3	3	2
बायोकैमेस्ट्री	15	7	3	3	2
बायोफिजिक्स	3	2	—	1	—
फार्मेसी	5	3	—	1	1
फिजियोलोजी	17	8	4	3	2
एनाटोमी	18	9	4	3	2
पी.एस.एम.	16	8	3	3	2
फोरेंसिक मेडिसिन	8	4	1	2	1
	604	299	114	112	79

विषय	नियमित			तदर्थ (अस्थायी)	
	अ.जा.	अ.ज.जा.	ओ.बी.सी.	अ.जा.	अ.ज.जा.
1	2	3		4	5
मेडिसिन	3	2		–	–

1	2	3		4	5
कार्डियोलोजी	–	–		–	–
न्यूरोलोजी	–	–		–	–
नेफ्रोलोजी	–	–		–	–
गेस्ट्रोएन्ट्रोलोजी	–	–		–	–
स्त्री रोग एवं प्रसूति	1	–		4	2
शिशु औषध	1	–		5	1
शल्य चिकित्सा	3	–		3	–
कार्डियो थोरोसिक सर्जरी	–	–		–	–
न्यूरो सर्जरी	–	–		–	–
प्लास्टिक सर्जरी	1	–		–	–
शिशु सर्जरी	–	–		–	–
यूरोलोजी	–	–		–	–
स्किन एण्ड वी.डी.	1	–		–	–
टी.बी. एण्ड सी.डी.	1	1		–	1
आर्थोपेडिक्स	–	–		5	2
फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहेबिलिटेशन	–	–		–	–
दन्त चिकित्सा	–	–	1	–	–
निश्चेतन	2	–		–	1
मनोरोग	2	–		–	–
ई.एन.टी.	–	–		1	–
नेत्र रोग	–	1		–	–
रेडियोथैरेपी	–	–		–	–
रेडियो-डायग्नोसिस	3	1		–	–

1	2	3		4	5
रेडियेशन फिजिक्स	–	–		–	–
पैथोलोजी	–	–		1	–
माइक्रोबायोलोजी	–	–		–	–
फार्माक्लोजी	1	–		–	–
बायोकैमेस्ट्री	–	–		–	–
बायोफिजिक्स	–	–		–	–
फार्मेसी	–	–		–	–
फिजियोलोजी	–	–		–	–
एनाटोमी	1	–		–	–
पी.एस.एम.	–	–		–	–
फोरेंसिक मेडिसिन	–	–		–	–
	20	5	1	19	7

303

परिशिष्ट-3

तारांकित प्रश्न संख्या 102 से सम्बन्धित पुलिसकर्मियों की

पदानुसार संख्या की सूची

प्रदेश में जिला अनुसार यातायात पुलिसकर्मियों की पदवार सूची :—

क्र.सं.	जिला	अपर पुलिस अधीक्षक	उप अधीक्षक पुलिस	निरीक्षक पुलिस	उप निरीक्षक पुलिस	सहा. उप निरी.	हैड कांस्टेबल	कांस्टेबल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	जयपुर शहर	1	1	3	15	27	50	328
2.	जयपुर देहात	–	–	1	1	1	3	24
3.	टोंक	–	–	–	–	1	2	12
4.	सीकर	–	–	–	1	–	2	16
5.	झुन्झुनूं	–	–	–	–	1	2	15
6.	दौसा	–	–	–	–	1	2	15
7.	अजमेर	–	–	1	2	3	16	104
8.	नागौर	–	–	–	1	1	3	24
9.	भीलवाड़ा	–	–	–	1	1	2	20
10.	भरतपुर	–	–	–	–	1	3	24
11.	अलवर	–	–	–	1	1	3	24
12.	सवाईमाधोपुर	–	–	–	–	1	2	18
13.	धौलपुर	–	–	–	–	–	2	11
14.	बीकानेर	–	–	1	1	2	5	50
15.	गंगानगर	–	–	–	1	1	3	28
16.	चूरू	–	–	–	–	1	2	15
17.	कोटा शहर	–	–	1	2	3	13	92
18.	कोटा देहात	–	–	–	–	1	3	12
19.	बूंदी	–	–	–	–	1	1	12
20.	झालावाड़	–	–	–	–	–	2	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	बारां	—	—	—	1	1	3	18
22.	उदयपुर	—	—	1	1	2	15	94
23.	चित्तौड़गढ़	—	—	—	—	1	2	16
24.	बांसवाड़ा	—	—	1	1	—	1	16
25.	राजसमन्द	—	—	—	1	3	6	24
26.	डूंगरपुर	—	—	—	—	—	2	11
27.	जोधपुर	—	—	1	2	2	7	70
28.	पाली	—	—	—	1	1	2	20
29.	बाड़मेर	—	—	—	—	1	1	11
30.	सिरोही	—	—	—	—	1	6	16
31.	जालौर	—	—	—	—	—	2	11
32.	जैसलमेर	—	—	—	—	1	1	11
	योग	1	1	9	33	61	169	1174

परिशिष्ट–4

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर)

खाजूवाला एवं नापासर के अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु छात्रावास

103. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि स्थानीय जन प्रतिनिधियों की मांग पर सीमान्त क्षेत्र खाजूवाला एवं कस्बा नापासर में अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास स्वीकृत करने के प्रस्ताव विभाग ने तैयार किए हैं ? यदि हां, तो क्या इन प्रस्तावों को सरकार अगले वित्तीय वर्ष में स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी हां। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर छात्रावास संचालित करने पर विचार किया जावेगा।

जोधपुर-देचू पोकरण मार्ग का निर्माण

104. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जोधपुर-देचू-पोकरण रोड़ के ठेके किन-किन ठेकेदारों को दिये गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि ठेकेदार से कम से कम 7 प्रतिशत व अधिक से अधिक 13 प्रतिशत कमीशन लिया गया ?

(3) क्या यह सही है कि कुछ किलोमीटर को छोड़ बाकी की उपरोक्त सड़क 1 वर्ष में ही स्थान-स्थान पर टूटनी शुरू हो गई है ?

(4) नई सड़क बनाने के बाद कितने समय तक सड़कों की मरम्मत नहीं होती ?

(5) क्या कारण है कि राजस्थान राज्य की सड़कें पूरी होने के कुछ ही समय बाद मरम्मत मांगती है, जबकि हरियाणा, पंजाब, गुजरात में ऐसा नहीं होता ?

उत्तर

(1) जोधपुर देचू-पोकरण सड़क की कुल लम्बाई 175/500 कि.मी. है। इसमें से 153 कि.मी. लम्बाई जोधपुर जिले में है एवं शेष 22/500 कि.मी. जैसलमेर जिले में है। इस सड़क के कार्य के ठेके जिन ठेकेदारों को दिये गये उनकी सूची "परिशिष्ट–1" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) नई सड़क बनने बाद सामान्यतया नवीनीकरण 5 से 6 वर्ष पूर्व नहीं कराया जाता है। साधारण मरम्मत कार्य पूर्ण होने के छः माह पश्चात् आवश्यकतानुसार कराई जाती है।

(5) ऐसा कोई तथ्यात्मक अध्ययन न तो कराया गया है और न राज्य सरकार को उपलब्ध है। यह मात्र कयास है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

(306)

अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत स्थाई प्रकृति के कार्य

105. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1994–95 में अकाल राहत कार्यों पर कुल कितनी राशि किस-किस मद से कितनी-कितनी व्यय की गई ?

(2) कुल व्यय राशि में से अकाल राहत मजदूरी तथा सामग्री के पेटे कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रत्येक जिले में स्थायी प्रकृति के कितनी-कितनी राशि के कार्य करवाये गये ?

(4) प्रत्येक जिले में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत स्थायी प्रकृति के जो कार्य करवाये गये क्या वे सभी पूर्ण हो गये ? यदि नहीं, तो अधूरे कार्यों को कब तक पूरा करवा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) संवत् 2050 के अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में वर्ष 1993–94 एवं 1994–95 में अकाल राहत कार्यों पर कुल 20889.841 लाख रुपये की राशि व्यय की गई। मदवार विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट–"क")

(2) संवत् 2050 के राहत कार्यों पर जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार श्रम पर 9802.031 लाख रुपये एवं सामग्री पर 6158.93 लाख रुपये के व्यय किये गये थे। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट–"ख")

(3) सभी कार्य स्थाई प्रकृति के करवाने हेतु जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये हुये थे।

(4) जी नहीं। अधूरे कार्यों को विभागीय बजट से पूर्ण कराये जाने हेतु सभी जिला कलेक्टरों एवं संबंधित विभागों को निर्देश दे दिये गये हैं। कार्यकारी अभिकरण/विभागों के पास राशि उपलब्ध होने पर कार्य पूर्ण कराये जा सकेंगे।

परिशिष्ट–"क"

संवत् 2050–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

	आबंटित राशि (लाखों में)
01–सूखा	
101–आनुग्रहिक राहत	
(1)–नकद अनुदान — —	135.90
–दवाओं की पूर्ति (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं)	93.16

102–पीने के पानी पूर्ति				
(i) जल परिवहन	—	—		90.27
टैंकरों की मरम्मत	—	—		72.03
104–चारे की पूर्ति				
(ii) चारा परिवहन	—	—		694.50
(iii) पशु पोषण केन्द्र				
(अ) पशु आहार अनुदान	—	—	673.16)	
(ब) पशु शिविर	—	—	201.03)	
(स) गौ-शाला अनुदान	—	—	85.98)	960.17
(1) सांड सहायता	—	—		29.85
105–पशु चिकित्सा				
(अ) पशु पालन विभाग	—	—	40.00)	
(ब) भेड़ एवं ऊन विभाग	—	—	13.00)	53.00
282–लोक स्वास्थ्य–जन. स्वा. अभि. विभाग द्वारा				
(अ) जल परिवहन	—	—	300.00)	
(ब) कन्टीन्जेंसी प्लान PHED		—	2500.00)	2800.00
810–अन्य व्यय				
I–राहत कार्यों पर व्यय				
(iii)–अन्य विशेष राहत कार्य				
वर्ष–1993–94			2217.00)	
वर्ष–1994–95			13743.96)	15960.961
			कुल योग–	20889.841

परिशिष्ट–"ख"

संवत् 2050 में राहत कार्यों पर व्यय (दायित्वों सहित)

(फरवरी, 1994 से जुलाई, 1994) (राशि लाखों में)

क्र.सं.	नाम जिला	श्रम	सामग्री	योग
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	1253.69	489.16	1742.85

(308)

1	2	3	4	5
2.	अलवर	201.09	128.15	329.24
3.	बांसवाड़ा	535.43	326.93	862.36
4.	भीलवाड़ा	1497.08	1006.97	2504.05
5.	बीकानेर	346.76	304.70	651.46
6.	बूंदी	61 40	38.56	99 96
7.	चित्तौड़गढ़	374.81	279.19	654.00
8.	चूरू	323.74	258 11	581.85
9.	धौलपुर	16.49	10.12	26.61
10.	गंगानगर	76.20	59.73	135.93
11.	झुंझनू	124.26	76.24	200.50
12.	नागौर	129.66	75.15	204.81
13.	पाली	415.08	323.27	738.35
14.	सिरोही	112.14	85.77	197.91
15.	टोंक	581.07	305.89	886.96
16.	उदयपुर	955.39	597.82	1553.21
17.	राजसमंद	589.47	468.62	1058.09
18.	बाड़मेर	392.129	214.009	606.138
19.	दौसा	84.39	54.59	138.98
20.	सवाईमाधोपुर	31.13	20.24	51.37
21.	जोधपुर	448.322	212.611	660.933
22.	जैसलमेर	341.51	212.22	553.73
23.	जालौर	161.31	104.65	265.96
24.	डूंगरपुर	361.93	241.20	603.13
25.	जयपुर	387.55	264.73	652.28
	योग :	9802.031	6158.93	15960.961

विधान सभा क्षेत्र खानपुर की सिंचाई परियोजना

106. श्री भरतसिंह (खानपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) खानपुर विधान सभा क्षेत्र में कुल कितनी सिंचाई परियोजनाओं से सिंचाई होती है ? इनका प्रस्तावित सिंचाई क्षेत्र कितना है व वास्तव में कुल कितने क्षेत्र में सिंचाई हो रही है ।

(2) क्या भीम सागर तथा गणेशपुर सिंचाई परियोजना में पर्याप्त पानी उपलब्ध है ? यदि हां, तो क्या सम्पूर्ण कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई हो रही है ? गत वर्ष तथा इस वर्ष कितने क्षेत्र में सिंचाई हुई तथा सिंचाई में वृद्धि हेतु क्या कार्य इस गर्मी में करवाया जाना प्रस्तावित है ?

(3) क्या यह सही है कि भीम सागर परियोजना तथा गणेशपुरा परियोजना के वाटर कोरस जगह-जगह पर नष्ट हो गये है ? यदि हां, तो क्या सरकार के पास इनको गर्मी के मौसम में पूर्ण करवाने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्या इनके अभाव में सम्पूर्ण कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई करवाना सम्भव हो सकेगा ?

उत्तर

(1) खानपुर विधान सभा क्षेत्र में 6 सिंचाई परियोजनाओं से सिंचाई होती है । इन परियोजनाओं का कुल प्रस्तावित सिंचित क्षेत्रफल 14250 हैक्टेयर है, जिसके विरुद्ध वर्तमान में कुल 11387 हैक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई हो रही है ।

(2) जी हां । सम्पूर्ण कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई नहीं हो पा रही है । इस गर्मी में कार्य कराना प्रस्तावित हैं । विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है ।

(3) जी हां । वाटर कोर्स का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त उसका रख-रखाव क्षेत्र के काश्तकारों को ही करना होता है, अतः अब इनको पुनः निर्माण करवाने की कोई योजना नहीं है । धोरों का पुनः निर्माण एवं रख-रखाव क्षेत्र के कृषकों द्वारा ही करवाये जाने पर पूर्ण क्षेत्र में सिंचाई करवाया जाना सम्भव हो सकेगा ।

परिशिष्ट—"म्र"

मीमसागर व गणेशपुरा सिंचाई परियोजना से सिंचाई का विवरण

क्र. सं.	बांध का नाम	कुल सिंचित क्षेत्र (हैक्टेयर में)			वर्षवार वास्तविक सिंचाई क्षेत्र (हैक्टेयर में)					
					वर्ष 1993–94			वर्ष 1994–95		
		खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	रबी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	भीमसागर	7766	2220	9986	—	6542	542	585	7200	7785
2.	गणेशपुरा	585	—	585	—	100	100	—	210	210

सिंचित क्षेत्र में वृद्धि हेतु भीमसागर सिंचाई परियोजना क्षेत्र से लगभग 12 किलोमीटर वाटरकोर्स बनाना प्रस्तावित हैं। गणेशपुरा सिंचाई परियोजना पर सुनिश्चित रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत बची हुई नहरों को पक्का करवाना प्रस्तावित है।

जिला नागौर में नये उप-स्वास्थ्य केन्द्र

107. **श्री रूपाराम** (मकराना) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नागौर जिले में वर्ष 1994 में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं ? यदि हां, तो कितने व कहां-कहां ?

(2) क्या यह भी सही है कि मकराना क्षेत्र में नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने बाबत क्षेत्रीय विधायक से प्रस्ताव मांगे गये थे ? यदि हां, तो प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार क्या उप-स्वास्थ्य केन्द्रों की स्वीकृति जारी की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां, वित्तीय वर्ष 1995-96 में वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर ।

सहकारी समितियों को खानों का आबंटन

108. **श्री कालूलाल गुर्जर** (मांडल) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पिछले एक वर्ष से बिजौलिया खनिज अभियन्ता जिला भीलवाड़ा के क्षेत्र में मकरेड़ी श्रमिक समिति को सैंड स्टोन के क्वारी लाइसेंस जारी किए गये हैं या जारी करने के आदेश हुए हैं ? यदि हां, तो कितने क्षेत्र के कितने लाइसेंस किन-किन के नाम कब-कब आदेश हुए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सहकारी समितियां अथवा संस्थाओं को खानें आबंटित करने का नियमों में कोई प्रावधान है ? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त मकरेड़ी श्रमिक समिति को नियमों से परे जाकर खानें आबंटित की गई हैं ? यदि हां, तो किस नियम के तहत ?

(4) क्या इस मामले में नियमों में शिथिलता प्रदान की गयी ? यदि हां, तो, इसके क्या कारण रहे ?

(5) यदि इस प्रकार की अन्य समितियां भी आवेदन करें तो क्या सरकार उन्हें भी नियमों में छूट देकर खानें आबंटित करेंगी ?

(6) क्या सरकार ने सहकारी समितियों को नियमों में छूट प्रदान कर खान आबंटित नहीं करने हेतु किये गये पूर्व के निर्णय को निरस्त कर दिया ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

(1) जी हां। पिछले एक वर्ष में बिजौलिया खनिज अभियंता के क्षेत्र में मकरेड़ी श्रमिक समिति के 30 सदस्यों के नाम खनिज सैण्ड स्टोन के क्वारी लाइसेंस जारी किये गये हैं, जिनका विवरण सूची संलग्न है।

(खनिज मंत्री)

(2) सहकारी समितियों को क्वारी लाइसेन्स स्वीकृत करने का नियमों में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।

(3) जी नहीं। मकरेड़ी श्रमिक समिति के नाम कोई क्वारी लाइसेन्स स्वीकृत नहीं किया गया है बल्कि समिति के सदस्यों के नाम अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 65 के अंतर्गत नियमों में शिथिलता दी जाकर क्वारी लाइसेन्स स्वीकृत किये हैं।

(4) जी हां। समिति के समस्त सदस्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हैं और उन्हें रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से नियमों की प्रक्रिया में शिथिलता बरतते हुए क्वारी लाइसेन्स स्वीकृत किये गये हैं।

(5) जैसा कि भाग 3 में स्पष्ट किया है कोई क्वारी लाइसेन्स समिति के नाम नहीं दिया गया है। राज्य सरकार प्रत्येक मामले में गुणावगुण के आधार पर निर्णय करेगी।

(6) जी नहीं। ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

प्रदर्श

मकरेडी समिति के शेष 30 सदस्यों की सूची जिनके नाम पर हाल ही में (18.2.95) क्वारी लाइसेन्स जारी किये हैं।

क्र. सं. 1	नाम सदस्य 2	निवासी 3	दिनांक 4	साईज 5
1.	छीतर/चम्पा भील	खोरखोड़ा	18–2–95	60 × 30 मी.
2.	श्रीमती कैली/बालू बलाई	,,	18–2–95	60 × 30 मी.
3.	काशीराम/श्यामजी चमार	,,	18–2–95	60 × 30 मी.
4.	शंकर/मदन रैगर	,,	18–2–95	60 × 30 मी.
5.	रूपा/शम्भु बलाई	,,	18–2–95	60 × 30 मी.
6.	शम्भु/हजारी बलाई	,,	18–2–95	60 × 30 मी.
7.	हजारी/कालू बलाई	,,	18–2–95	60 × 30 मी.
8.	बालू/कालू बलाई	,,	18–2–95	60 × 30 मी.
9.	देवी/गणेश भोलू	,,	18–2–95	60 × 30 मी.
10.	ऊंकार/हमा रैगर	,,	18–2–95	60 × 30 मी.

1	2	3	4	5
11.	शम्भु/तुलछा बलाई	खोरखोडा	18–2–95	60 × 30 मी.
12.	श्रीमती शृंगारी/हिमा रैगर	,,	18–2–95	60 × 30 मी.
13.	जगन्नाथ/उदा बलाई	उम्मेदपुरा	18–2–95	60 × 30 मी.
14.	खाना/उदा बलाई	,,	18–2–95	60 × 30 मी.
15.	कैला/उदा बलाई	,,	18–2–95	60 × 30 मी.
16.	जयलाल/राजू बलाई	भैरूपुरा	18–2–95	60 × 30 मी.
17.	श्रीमती कली/ईवर भील	खोरखोडा	18–2–95	60 × 30 मी.
18.	भंवरलाल/कैला रैगर	,,	18–2–95	60 × 30 मी.
19.	गोपाल/बालू बलाई	,,	18–2–95	60 × 30 मी.
20.	एजन/मांगीलाल बलाई	,,	18–2–95	60 × 30 मी.
21.	प्रतापी/कालू बलाई	,,	18–2–95	60 × 30 मी.
22.	श्रीमती राजनी/धन्ना बलाई	,,	18–2–95	60 × 30 मी.
23.	रामचन्द्र/नन्दा जी बलाई	,,	18–2–95	60 × 30 मी.
24.	शम्भु/मदन ढोली	,,	18–2–95	60 × 30 मी.
25.	भैरू/भंवर रैगर	,,	18–2–95	60 × 30 मी.
26	नाथू/मांगीलाल बलाई	,,	18–2–95	60 × 30 मी.
27.	कमली/नाथू बलाई	,,	18–2–95	60 × 30 मी.
28.	मोहनी/मदन रैगर	,,	18–2–95	60 × 30 मी.
29.	टेकु/नारायण बलाई	,,	18–2–95	60 × 30 मी.
30.	गेन्दी/गुलाब बलाई	,,	18–2–95	60 × 30 मी.

तहसील कोटड़ा (उदयपुर) के पंचायत मुख्यालयों पर जनजाति छात्रों हेतु छात्रावास

109. **श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा)** : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा उदयपुर जिले के कोटडा तहसील के पंचायत मुख्यालय "जेड" पर जनजाति के छात्रों हेतु छात्रावास चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से एवं किस भवन में ?

(2) क्या यह सही है कि छात्रावास का न तो सरकारी भवन है और न ही

(श्री महावीर भगोरा)

सरकार द्वारा प्रदत्त आवश्यक सुविधाएं ? यदि हां, तो क्या विभाग इस तरह के छात्रावास चलाना उपयुक्त समझता है ? यदि नहीं, तो विभाग कब तक मूलभूत सुविधाओं (भवन, बिस्तर, बर्तन, बिजली, पानी) आदि की व्यवस्था कर देगा ?

उत्तर

(1) हां, यह सही है कि विभाग द्वारा राजकीय जन जाति छात्रावास कोटड़ा तहसील के पंचायत मुख्यालय "जैड" पर जन जाति उपयोजना क्षेत्र में विशेष केन्द्रीय सहायता मद से चलाया जा रहा है। ये छात्रावास वर्ष 1983 से चल रहा है। छात्रावास पंचायत भवन कार्यालय में चलाया जा रहा है, यह भवन निःशुल्क उपलब्ध है।

(2) हां, यह सही है कि राजकीय जनजाति छात्रावास "जैड" का भवन सरकारी नहीं है। यह पंचायत भवन में संचालित है। छात्रावास में नियमानुसार आवश्यक सुविधायें उपलब्ध हैं। छात्रावास में बिस्तर, बर्तन बिजली व पानी की व्यवस्था है। इन सुविधाओं को और बेहतर बनाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

तहसील भवन, आमेर

110. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील भवन आमेर का कुछ भाग श्रीमती विमला श्रीवास्तव को लीज पर दे रखा है ? यदि हां, तो कितने वर्ग मीटर का ? लीज शर्तें व अनुबन्ध की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अनुबन्ध से अधिक भूमि पर उसने कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो अतिक्रमण हटाने की क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार अवधि समाप्ति के बाद भी लीज को आगे बढ़ा रही है ? यदि हां, तो सरकार को इससे क्या लाभ मिलेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि तहसील भवन, आमेर का कुछ भाग कु० विमला श्रीवास्तव, को लीज पर दे रखा है, आवंटन 140–36 वर्गमीटर का है। लीज व शर्तें एवं अनुबन्ध की प्रति संलग्न है।

(2) जी हां, यह सही है कि अनुबन्ध से अधिक भूमि पर कुमारी विमला श्रीवास्तव ने कब्जा कर रखा है, अतिक्रमण को हटाने तथा लीज डीड की समाप्ति की कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी नहीं।

(अनुबन्ध की प्रति अस्पष्ट होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

मण्डावा (झुंझुनूं) में नाला निर्माण पर व्यय

111. **श्री रामनारायण चौधरी** (मण्डावा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने मण्डावा जिला झुन्झुनूं में सिंचाई विभाग (बाढ़ नियंत्रण एवं राहत) ने एक नाले का निर्माण कराने हेतु तत्कालीन मुख्य मंत्री स्व. श्री सुखाड़िया जी के समय में स्वीकृत किया था तथा उसके बाद वर्ष 1988–89 में भी लाखों रुपये इस नाले पर खर्च किये गये किन्तु अभी भी यह नाला अधूरा ही पड़ा है ?

(2) इस नाले में अब तक किन–किन वर्षों में कितनी–कितनी धनराशि खर्च की गई तथा इस समय इस नाले की क्या स्थिति है ?

(3) क्या यह नाला अभी तक अधूरा है ? यदि हां, तो सरकार के लाखों रुपये खर्च होकर जनता को इससे कोई लाभ नहीं पहुंचा, इन सबके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं तथा सरकार का इस नाले को बनाने के सम्बन्ध में क्या विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1969–70 में इस नाले का निर्माण अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत प्रारम्भ किया गया था। वर्ष 1988–89 में इस नाले पर कोई राशि व्यय नहीं की गई। वर्ष 1992 में उक्त कार्य पूर्ण करवाया जा चुका है।

(2) खर्च का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। कार्य पूर्ण हो चुका है। परन्तु नाले का कच्चा भाग मिट्टी भर जाने के कारण आंशिक रूप से अवरुद्ध है।

(3) जी नहीं। स्वीकृत आंकलन के अनुसार नाले का कार्य पूर्ण कर दिया गया, नाली के बनाये जाने से पानी की निकासी में वृद्धि हुई है।

परिशिष्ट–"अ"

मण्डावा कस्बे में नाले के निर्माण पर किये गये व्यय का वर्षवार विवरण

क्र. सं.	वर्ष	किया गया व्यय
1.	1989–90	678131.40
2.	1990–91	221975.70
3.	1992–92	49952.00
	कुल व्यय :	950059.10

खीरेश्वर (डूंगरपुर) में रेफरल चिकित्सालय

112. श्री भीखा भाई (सागवाड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खीरेश्वर जिला डूंगरपुर स्थान पर सरकार के द्वारा रेफरल हास्पिटल की स्वीकृति दी गई थी ? यदि हां, तो कब ?

(2) उक्त रेफरल हास्पिटल में अभी तक पूरे स्टाफ को नियुक्त न किये जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

भू-माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही

113. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा नाजायज तौर से किसी की भूमि हड़पने, आवासीय या वाणिज्यिक परिसर खाली करवाने या जबरन कब्जा करवाने के लिए भू-माफियाओं के विरुद्ध कोई मुहिम जयपुर में दिनांक 1-3-1990 से 31-1-1995 के मध्य चलाई गई थी ? यदि हां, तो इस अभियान में कितने भू-माफियाओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह अभियान अब समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, जयपुर में दि. 19.5.94 से इस अभियान के तहत कुल 607 अभियोग दर्ज किये गये जिसमें 289 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" पर अंकित कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं। अभियान अभी भी जारी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

राज्य के वृद्धाश्रम

114. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनू) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में वृद्धाश्रम खोले गये थे ? यदि हां, तो कहां-कहां पर कब-कब और उनमें अब तक कितना-कितना खर्चा हुआ है ? वर्षवार सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उपरोक्त वृद्धाश्रम बन्द कर दिये गये ? यदि हां, तो कब और क्यों ?

(3) उक्त वृद्धाश्रम खोलने की क्या योजना थी तथा क्या उद्देश्य थे और उनकी पूर्ति कहां तक हुई ?

उत्तर

(1) जी हां। 6 स्थानों पर वृद्ध एवं अशक्त गृह खोले गये हैं। आयोजना भिन्न

(समाज कल्याण राज्य मंत्री)

मद में दो गृह पुष्कर व टोंक में क्रमशः वर्ष 1962 व 1972 में तथा आयोजना मद में वर्ष 91-92 में 4 स्थानों जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर एवं कोटा में ये गृह खोले गए थे। जिन पर गत चार वर्षों में निम्न प्रकार व्यय किया गया—

वर्ष	आबंटन लाखों में	व्यय
1	2	3
पुष्कर व टोंक		
1991-92	3.45	267000
1992-93	2.53848	235508
1993-94	5.81	539392
1994-95	5.76	510529
(2/95 तक)		
जोधपुर/कोटा/उदयपुर/बीकानेर		
1991-92	8.60	726000
1992-93	6.00	580000
1993-94	5.68500	541136
1994-95	6.69000	354461
(11/94 तक)		

(2) जी नहीं। उपरोक्त में से आयोजना मद में केवल 4 गृह बन्द कर दिए गए हैं। उक्त गृहों में आवासनियों की संख्या अत्यधिक कम होने एवं किसी भी वर्ष में औसतन 5 से अधिक न होने तथा प्रशासनिक व्यय अधिक होने के कारण दिनांक 31.12.94 से उक्त गृहों को बन्द कर दिया गया।

(3) राज्य में उपलब्ध निराश्रित एवं अशक्त वृद्ध व्यक्तियों के लिए ये वृद्ध एवं अशक्त गृह/आवास गृह खोले गये थे। इनके लिए निर्धारित वर्ग के व्यक्तियों द्वारा इनका लाभ न उठाये जाने के कारण ये संस्थाएं बन्द कर दी गयी हैं।

विधान सभा क्षेत्र सराड़ा की अधूरी सड़कों का निर्माण

115. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या सार्वजनिक निमाण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सराड़ा विधान सभा क्षेत्र में जयसमन्द से गामड़ी तक 5 कि. मी तक कच्ची सड़क अधूरी पड़ी हुई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि 1994 में हुई बस दुर्घटना के दौरान सरकार के मंत्रियों ने वहां की जनता को 5 कि. मी. सड़क तुरन्त पक्की करवाने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो अभी तक कार्य प्रारम्भ क्यों नहीं किया गया ?

(3) क्या इस सड़क को पक्की करने की सरकार की कोई मंशा है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस तरह की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हैं।

(3) जयसमन्द से गामड़ी सड़क में जो 5 कि. मी. मिसिंग लिंक है को पक्की करने के लिए करीब 134.00 लाख रुपयों की आव-

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

श्यकता है, क्योंकि यह सड़क पहाड़ को काट कर बनाई जानी है तथा सड़क की दूसरी तरफ जयसमन्द झील है और सुरक्षा के लिए ऊँची व मोटी दीवार बनाई जानी है इस कार्य की स्वीकृति वर्तमान योजनागत प्राथमिकताओं के आधार पर सम्भव नहीं है ।

गुडगांवा नहर परियोजना

116. श्री अरुण सिंह (डीग) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गुडगांवा नहर परियोजना से तहसील डीग में कितनी हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी ? वर्तमान में कितने हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हो रही है ?

(2) अब तक किन-किन नहरों (मुख्य नहर माइनर एवं वितरिकायें) का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है एवं परियोजना पर कितनी राशि व्यय हो चुकी है तथा अभी और कितनी राशि व्यय होने की सम्भावना है ?

(3) इस परियोजना पर गत तीन वर्षों में नहर निर्माण व मरम्मत पर कितनी राशि व्यय हुई है ?

(4) क्या इस परियोजना के बारे में कोई अन्तरराज्यीय समझौता हुआ है ? यदि हां, तो क्या ? क्या समझौते के अनुरूप गुडगांव परियोजना को अपने हिस्से का पानी मिल रहा है ? यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या प्रभावी कदम उठा रही है ?

(5) क्या यह सही है कि शार्ट सप्लाई की स्थिति में हरियाणा क्लिनर नहर जिसका निर्माण राजस्थान के धन से हुआ है, से अवैध तरीकों से पानी लेता है ? यदि हां, तो इसे रोकने हेतु सरकार क्या प्रभावी कदम उठा रही है ?

(6) क्या वर्षा के पानी के साथ बह कर आई मिट्टी से पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण नहर सिल्ट हो जाती है ? यदि हां, तो इस तकनीकी कमी को पूरा करने हेतु सरकार क्या कदम उठायेगी ?

उत्तर

(1) गुडगांव नहर परियोजना से डीग तहसील के 13760 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधायें उपलब्ध करना प्रस्तावित है । वर्तमान में इस परियोजना से डीग क्षेत्र में सिंचाई नहीं हो रही है ।

(2) अब तक पूर्ण की गई नहरों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है । गुड़गांवा नहर परियोजना पर अब तक रुपये 2177.73 लाख व्यय किये गये हैं तथा शेष कार्यों को पूर्ण कराने हेतु 1362.27 लाख रुपये की आवश्यकता है ।

(3) गत तीन वर्षों (वर्ष 1991-92) से 1993-94) में इस परियोजना पर निर्माण कार्यों पर 209.89 लाख रुपये तथा मरम्मत कार्यों पर 53.68 लाख रुपये खर्च किये गये ।

(4) जी नहीं ।

(5) जी हां, इस सम्बन्ध में हरियाणा राज्य के अधिकारियों के साथ विचार

(319)

(सिंचाई मंत्री)

विमर्श के अलावा अन्तरराज्यीय मसलों पर आयोजित बैठकों में इस मुद्दों को उठाया जाता रहा है अपने हिस्से का पानी प्राप्त करने के लिए राज्य प्रयत्न-शील है।

(6) जी हां, इस समस्या के निदान हेतु समय-समय पर नहर से सिल्ट निकाली जाती है। वर्षा के पानी के साथ नहर में आने वाली सिल्ट को रोकने हेतु उचित स्ट्रक्चर बनाये गये हैं।

परिशिष्ट–"अ"

गुड़गांव नहर सिस्टम की पूर्ण की गई वितरिकाओं की सूची

क्र. सं. 1	नहर एवं वितरिकाओं का नाम 2	क्र. सं. 1	नहर एवं वितरिकाओं का नाम 2
	गुड़गांवा मुख्य नहर	17.	गोमरी माइनर
1.	पहाड़ी वितरिका	18.	नौनेरा सब माइनर–II
2.	सतपुरा माइनर	19.	किरावत्ता माइनर
3.	अहलवारी माइनर	20.	बामनी माइनर
4.	बामनवारी माइनर	21.	भोगरा माइनर
5.	सहसन माइनर	22.	नगला स्यालतिका माइनर
6.	कंचननेर माइनर	23.	नगला जालिम सिंह माइनर
7.	कठौल माइनर	24.	पारली माइनर
8.	मौरी माइनर	25.	कनवारी माइनर
9.	घोंसिगा माइनर	26.	धिलानटी माइनर
10.	रावल का माइनर	27.	उदाका सब माइनर
11.	हथीन माइनर	28.	कुलवाना माइनर
12.	पाई वितरिका	29.	धिलावटी सब माइनर
13.	बामनी माइनर	30.	इन्द्राली माइनर
14.	रसूलपुर माइनर	31.	घमारी माइनर
15.	नौनेरा माइनर	32.	पासता माइनर
16.	नौगांवा माइनर	33.	डीग डिस्ट्रीब्यूटरी

34.	श्रीपुर माइनर	39.	खो माइनर
35.	बहज माइनर	40.	टेल वितरिका
36.	इकलेरा माइनर	41.	निगोही माइनर
37.	डीग सब माइनर	42.	खोरी माइनर
38.	महरानियां माइनर	43.	कुचावटी माइनर

विधान सभा क्षेत्र बेगूं के चिकित्सालयों में रिक्त पद

117. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं)। क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बेगूं के कई अस्पतालों में चिकित्सकों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो किस-किस चिकित्सालय में कितने पद कब से रिक्त हैं ? इन पदों को सरकार कब तक भरने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि बेगूं रेफरल अस्पताल को 50 शैया का करने का आदेश हो चुके हैं ? यदि हां, तो क्या वहां 50 शैया के अनुसार स्टाफ दिया जा चुका है ?

(3) क्या यह भी सही है कि बोराव और काटुन्दा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर अब तक किसी चिकित्सक का पदस्थापन नहीं किया गया ? यदि हां, तो सरकार कब तक वहां चिकित्सक उपलब्ध करा देगी ?

(4) रावतभाटा रेफरल अस्पताल में चिकित्सकों व नर्सों के कितने-कितने किस श्रेणी के पद स्वीकृत हैं ? क्या स्वीकृत पदों के अनुसार पद भरे जा चुके हैं ? यदि नहीं, तो इन्हें कब तक भर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं, बेगूं विधान सभा क्षेत्र के अस्पतालों में चिकित्सकों के 21 स्वीकृत पदों में से 20 पद भरे हुए हैं।

(2) जी नहीं, कोई आदेश जारी नहीं हुये, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(3) जी नहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बोराव में डॉ. विष्णु पारीक तथा काटुन्दा में डॉ. अनीता काबरा को पदस्थापित कर दिया गया है।

(4) रावतभाटा रेफरल चिकित्सालय में चिकित्सकों व नर्सों के स्वीकृत पदों का विवरण संलग्न है। स्वीकृत पदों के अनुसार सभी पद भरे हुए हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(321)

रावतभाटा रेफरल अस्पताल में चिकित्सकों व नर्सों के स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण

नाम पद	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत	रिक्त
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	2	2	–
चिकित्सा अधिकारी	1	1	–
नर्स श्रेणी प्रथम	1	1	–
नर्स श्रेणी द्वितीय	4	4	–
महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	1	–
प्रसाविका	1	1	–

हथियारों की दुकान हेतु अनुज्ञा-पत्र

118. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालोर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) प्रदेश में हथियारों की दुकान करने की अनुज्ञा प्रदान करने हेतु क्या-क्या नियम एवं शर्तें निर्धारित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत हथियारों की दुकान हेतु जालोर जिले में किस-किस व्यक्ति अथवा संस्थान ने अनुज्ञा-पत्र हेतु आवेदन किया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) भाग-2 की सूची में से किस-किस व्यक्ति अथवा संस्थान को अनुज्ञा-पत्र जारी किये गये ? ऐसे संस्थानों की सूची उनके भागीदारों/मालिकों के नाम एवं पते सहित सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त अनुज्ञा पत्र किसकी अनुशंसा पर, किसके द्वारा एवं कब प्रदान किये गये ?

उत्तर

(1) आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 5 एवं 7 तथा आर्म्स नियम, 1962 के नियम 4 के प्रावधानों के अन्तर्गत हथियारों की दुकान हेतु लाइसेंस जारी किये जाते हैं। प्रार्थी से चाल-चलन तथा व्यावसायिक स्थल की सुरक्षा एवं अन्य दृष्टि से उपयुक्तता निर्धारित करने हेतु सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक तथा नगर परिषद/नगरपालिका से रिपोर्ट प्राप्त की जाती है। सम्बन्धित शहर/क्षेत्र में पूर्व में जारी किये गये लाइसेंसों की संख्या को भी ध्यान में रखा जाता है।

(2) वर्ष 1986 में आशापुरी आरमोरी के प्रोपराइटर श्री गणपतसिंह द्वारा आवेदन किया गया था।

(3) मैसर्स आशापुरी आरमोरी को

Page No. 322

(322)

(गृह मंत्री)

फार्म संख्या 12, फार्म संख्या 13 एवं फार्म संख्या 14 में तीन लाइसेंस जारी किये गये हैं। इस संस्थान के मालिक श्री गणपतसिंह पुत्र श्री गंगासिंह निवासी ग्राम सियाना तहसील जालौर है।

(4) फार्म नं. 12 में जारी अनुज्ञा पत्र संख्या 118/87 गृह विभाग द्वारा. दिनांक 15-5-1987 को जिला मजिस्ट्रेट, जालौर की अनुशंसा पर जारी किया गया था। फार्म संख्या 13 एवं फार्म संख्या 14 में अनुज्ञापत्र जिला मजिस्ट्रेट, जालौर द्वारा दिनांक 23-2-1987 एवं 24-7-1987 को जारी किये गये थे।

विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) अनुसूचित जाति/जन जाति के विद्यार्थियों हेतु छात्रावास

119. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा)–क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के कस्बा इटावा जिला कोटा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के विद्यार्थियों के लिये कोई छात्रावास संचालित है? यदि हां, तो कब से नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार यहां पर छात्रावास भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, वर्ष 1963 से संचालित है।

(2) छात्रावास भवन का निर्माण राज्य के पास वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

विधान सभा क्षेत्र दूदू के पंचायत मुख्यालयों हेतु सम्पर्क सड़कें

120. श्री बाबूलाल (दूदू)–क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र दूदू के सभी पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से नहीं जोड़ा गया है?

(2) सरकार उक्त क्षेत्र के कितने पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से कब तक जोड़ने का विचार रखती है?

(3) अब तक कितनी ऐसी पंचायतें हैं जो सम्पर्क सड़क से जुड़ी हुयी नहीं हैं?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उक्त क्षेत्र के 15 पंचायत मुख्यालय जो किसी भी प्रकार की संपर्क सड़क से जुड़े हुये नहीं हैं। इनमें से एक (धौंधोली) विश्व बैंक सहायता से कृषि विपणन बोर्ड द्वारा डामर सड़क का निर्माण स्वीकृत है। दूसरा (बिहारीपुरा) प्लान 1995-96 में डामर सड़क का निर्माण प्रस्तावित हैं एवं तीसरा (गहलौता) 30 जिला 30 काम के अन्तर्गत जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जयपुर द्वारा मैटल सड़क से जोड़ना स्वीकृत है। यह कार्य पंचायत समिति दूदू द्वारा प्रगति पर हैं। शेष 12 पंचायत मुख्यालयों को आठवीं पंचवर्षीय योजना के

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

अन्त तक ग्रेवल सड़क से जोड़ना प्रस्तावित है।

(3) उक्त क्षेत्र की 15 पंचायतें किसी भी प्रकार की सम्पर्क सड़क से जुड़ी हुई नहीं है। विवरण परिशिष्ट "अ" पर दर्शाया गया है।

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा क्षेत्र दूदू के सड़क से नहीं जुड़े हुये पंचायत मुख्यालय की सूची

क्र. सं.	पंचायत मुख्यालय का नाम	1971 की जनसंख्या	
1.	धांधोली	1436	विश्व बैंक की सहायता से कृषि विपणन बोर्ड द्वारा स्वीकृत।
2.	बिहारीपुरा	1026	प्लान 1995-96 में प्रस्तावित।
3.	नानण	339	
4.	रसीली	487	
5.	सिरोही कलां	610	
6.	सुनाडिया	962	
7.	बिजोलाव	475	
8.	गेंजी	647	
9.	गहलोता	962	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा "तीस जिला तीस काम" में मैटल सड़क स्वीकृत।
10.	मोखमपुरा	652	
11.	झरना	501	
12.	उरसेवा	518	
13.	अखेपुरा	721	
14.	हरसपुरा	551	
15.	कोरसीना	776	

शाहपुरा (डेगाना) बांध से कृषि भूमि में कटाव

121. **श्री रिछपाल सिंह** (डेगाना):– क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि शाहपुरा बांध (तहसील डेगाना) जिला नागौर की चादर चलने पर हर वर्ष करीब 300-400 बीघा कृषि भूमि की खड़ी फसल नष्ट हो जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस बांध को ऊंचा करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बांध की चादर चलने से कृषि भूमि में निरन्तर कटाव हो रहा है एवं इसका उपजाऊपन कम होता जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार उक्त कृषि भूमि के कटाव को रोकने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

ग्राम हरीयामाली (पाली) चिकित्सालय में रिक्त पद

122. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत):– क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

ग्राम हरीयामाली जिला पाली में चिकित्सक व अन्य स्टाफ के कितने पद स्वीकृत हैं ? इनमें से कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं ? सरकार इन्हें कब तक भरने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरियामाली जिला पाली में स्वीकृत, कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार है :–

स्वीकृत पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1. चिकित्सा अधिकारी	1	1	—
2. मेल नर्स श्रेणी-II	1	1	—
3. लेब टेक्निशियन	1	1	—
4. वार्ड ब्वाय	2	2	—
5. हरिजन	1	1	—
6. महिला स्वा. कार्यकर्ता	1	—	1

महिला स्वास्थ्य-कर्ता को छोड़कर सभी पद भरे हुये हैं। महिला स्वास्थ्य-कर्ता श्रीमती नसीबा दौलत के निलम्बित होने के कारण यह पद दिनांक 1-4-1994 से रिक्त है।

उप निरीक्षकों को नौ वर्ष की सेवा अवधि पर आगामी वेतन श्रृंखला का लाभ

123. **श्री जगदीप धनखड़** (किशनगढ़):– क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने

(श्री जगदीप धनखड़)

नीतिगत निर्णय के तहत या अन्यथा नौ वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने के पश्चात् पुलिस कर्मचारियों को उसके वर्तमान उप से उच्च पद का वेतनमान दिया है ? यदि हां, तो क्या पुलिस उपनिरीक्षकों को भी इसका लाभ दिया गया ? कितने उप-निरीक्षकों को कितने समय के लिए क्या लाभ दिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त लाभ दिया जाना अभी भी जारी है ? यदि नहीं, तो इसे बन्द करने या परिवर्तन करने के क्या कारण/विधिक आधार हैं ?

(3) क्या यह सही है कि इन उप-निरीक्षकों को प्रारम्भ में उक्त लाभ के तहत 2000/– रुपये के मूल वेतन में निश्चित किया गया ?

उत्तर

(1) जी हां। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 25-1-1992 के अनुसरण में कुल 125 उपनिरीक्षकों को 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया है।

(2 एवं 3) वित्त विभाग के आदेश दिनांक 25-1-1992 में चयनित वेतनमान का लाभ देने के लिये 2 व्यवस्थायें निम्न प्रकार से है :–

1. जो व्यक्ति उच्च पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित योग्यतायें पूर्ण करते हैं उन्हें उच्च पद के वेतनमान का लाभ दिया जाता है।

2. जो व्यक्ति उच्च पद के लिये निर्धारित योग्यतायें पूर्ण नहीं करते हैं, उन्हें उच्च पद के वेतनमान का लाभ न दिया जाकर वित्त विभाग के आदेश दिनांक 25-1-1992 में अलग से निर्धारित वेतनमान का लाभ दिया जा सकता है। उपरोक्त वर्णित 125 उपनिरीक्षक उच्च पद (निरीक्षक) हेतु निर्धारित योग्यता पूर्ण नहीं करते हैं। अतः इन्हें वित्त विभाग के आदेश दिनांक 25-1-1992 के तहत उच्च पद के वेतनमान का लाभ नहीं दिया जाकर वित्त विभाग के आदेश में निर्धारित वेतनमान का लाभ ही दिया जा सकता है। पूर्व में गलती से इन उप निरीक्षकों को उच्च पद के वेतनमान (रुपये 2000-3200) का लाभ दिया गया था। बाद में इन्हें वित्त विभाग के आदेश के अनुसार रुपये 1640-2900 का वेतनमान स्वीकृत किया गया। लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश की पालना में फिलहाल इन्हें रुपये 2000-3200 के वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है। वर्तमान में यह प्रकरण राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

विधान सभा क्षेत्र निवाई में सड़क निर्माण

124. श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई):–क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान प्रदेश में सड़क निर्माण का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त अन्य महकमे

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

भी करवाते हैं ? यदि हां, तो वे कौन-कौन से महकमे हैं तथा उनके कार्य विभाजन के आधार क्या हैं ?

(2) वित्तीय वर्ष 1992-93, 1993-94 व 1994-95 में निवाई विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन सी सड़कों को मंजूर कर बनवाया गया ?

उत्तर

(1) जी हां, राजस्थान प्रदेश में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त निम्नलिखित विभाग भी सड़क निर्माण का कार्य करवाते हैं :—

क्र. सं.	विभाग	सड़क निर्माण का कार्य क्षेत्र
1.	कृषि विपणन बोर्ड	कृषि उपज मण्डियों की सम्पर्क सड़कें ।
2.	पंचायत समितियां	अपने-अपने क्षेत्र में गांवों की सम्पर्क सड़कें ।
3.	विकास अधिकरण/नगर सुधार न्यास	कालोनियों में सड़क निर्माण ।
4.	नगर निगम/नगर पालिका	शहर/कस्बों में संपर्क सड़कों का निर्माण
5.	सीमा संगठन बोर्ड	सामरिक महत्व की सड़कें ।

(2) वर्ष 1992-93 व 1993-94 में निवाई विधान सभा क्षेत्र में कोई कार्य स्वीकृत नहीं हुये वर्ष 1994-95 में विभिन्न बजट शीर्षक में स्वीकृत सड़कों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है ।

परिशिष्ट "क"

(I) बजट शीर्षक 5054 सड़कों एवं पुलों पर पूंजी परिव्यय

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति प्रसंग व दिनांक	स्वीकृत राशि	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1.	रा. रा. मार्ग 12 से अलियाबाद तक सड़क निर्माण 3.5 किमी.	एफ. 2/167/94/680 दि. 9-12-94	13.00 लाख	2.51 किमी. डब्ल्यू.बी.एम. का कार्य पूर्ण

(II) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के द्वारा 8443 सिविल जमा सुनिश्चित रोजगार योजना में स्वीकृत सड़कें

(327)

1	2	3	4	5
1.	सम्पर्क सड़क मेटल सम्बल गांव मावता	एफ. 13/मु. रो. यो. 1993-94/2855 दि. 24-2-1995	3.50 लाख	स्वीकृति दि. 24-2-1995 को जारी की गई
2.	मेटल सड़क मूण्डिया से बिड़ोली पं. मु.	,,	5.00 लाख	कार्य प्रारम्भ करवा
3.	ग्रेवल सड़क वनस्थली से सुनारा पं. मु.	,,	5.00 लाख	दिये गये हैं
4.	ग्रेवल सड़क छोरिया से चतुर्भुजपुरा पं. मु.	,,	5.00 लाख	,,
5.	ग्रेवल सड़क करीरिया से मरवाला पं. मु.	,,	5.00 लाख	,,
6.	ग्रेवल सड़क काचरिया से हनुतिया पं. मु.	,,	5.00 लाख	,,
7.	ग्रेवल सड़क सम्पर्क सड़क से दरिया खुर्द पं. मु.	,,	5.00 लाख	,,
		योग:–	33.50 लाख	

साडास (चित्तौड़गढ़) का ओडवाडिया बांध

125. श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार)–क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम साडास (चित्तौड़गढ़) में ओडवाडिया बांध अपूर्ण बना हुआ है ?

(2) क्या ओडवाड़िया बांध को पूर्ण करने के लिए एक करोड़ 9 लाख रुपये की स्कीम तैयार की गई है ? यदि हां, तो ओडवाडिया बांध को बनाने के लिये सरकार कब तक धनराशि उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां । प्रस्तावित बांध निमार्णाधीन बिसलपुर बांध के जलग्रहण क्षेत्र में स्थित होने के कारण फिलहाल इसे स्वीकृत करना सम्भव नहीं है ।

328

नगरपालिका क्षेत्र निम्बाहेड़ा में नये रैफरल चिकित्सालय

126. श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या निम्बाहेड़ा पालिका क्षेत्र में नये रैफरल चिकित्सालय निर्माण की कोई योजना विचाराधीन है ?

(2) क्या यह सही है कि निम्बाहेड़ा पालिका क्षेत्र में किसी रैफरल चिकित्सालय के निर्माण हेतु शिलान्यास कराया गया है ? यदि हां, तो किस स्थान पर शिलान्यास कराया गया व शिलान्यास किसने किया ?

(3) प्रस्तावित रैफरल चिकित्सालय का निर्माण कार्य कब और कहां कराया जायेगा तथा इस निर्माण की लागत क्या होगी ? योजना सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी, हां । रैफरल चिकित्सालय का शिलान्यास मा. मुख्य मंत्री भैरोंसिंह शेखावत द्वारा दिनांक 20.11.92 को आदर्श कालोनी में रिक्त पड़ी जमीन पर कराया गया है ।

(3) रैफरल चिकित्सालय, निम्बाहेड़ा के भवन का निर्माण आदर्श कालोनी निम्बाहेड़ा में नगर पालिका की रिक्त 8 बीघा भूमि पर कराना प्रस्तावित है ।

उक्त भवन निर्माण हेतु जिला प्रशासन द्वारा एक भवन निर्माण समिति का गठन उप खण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा की अध्यक्षता में किया गया है, इसमें क्षेत्रीय सरकारी अधिकारी, गणमान्य नागरिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य हैं । प्रस्तावित भूमि मास्टर प्लान में कामर्शियल काम्प्लेक्स के लिये रिजर्व रखी गई है । उक्त भूमि का लैण्ड यूज बदलने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन होने के कारण भवन निर्माण का नक्शा तैयार नहीं किया गया है, जिसके अभाव में प्रस्तावित भवन के लागत का ब्यौरा तैयार करना सम्भव नहीं है ।

परिशिष्ट–5

सूची "अ"

अतारांकित प्रश्न संख्या 144 की संलग्न सूचियां

क्र.सं.	सड़क का नाम	स्वीकृत राशि	विशेष विवरण
	"अ" राज्य मार्ग		
1.	अपग्रेडेशन आफ कोटडा साम खैरवाड़ा सड़क कि.मी. 100/0 से 130/0, जोब नं. 30/5054/राज्य मार्ग	35.00	डामर 15.00 कि.मी. शेष कार्य प्रगति पर।
	"ब" न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम		
1.	रिमेंनिग कार्य, कोटडा पानरवा सड़क कि.मी. 113/ से 125 जोब नं. 161/5054/न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम/जनजाति।	15.00	कार्य पूर्ण। मेटल 12.0 कि.मी.
2.	बी.टी. सड़क गोगुन्दा झाडोत सोम ओगणा वाया मोह. फलासिया जोब नं. 181/5054/न्यू. आव. कार्यक्रम जनजाति।	24.00	बी.टी. कि.मी. 3 मेटल 2 कि.मी. कार्य प्रगति पर है।
3.	सम्पर्क सड़क निचली सिगरी जोब नं. 201/5054/जनजाति।	23.60	कार्य आबंटित कर दिया गया है।
	योग:–	97.60	

सूची "ब"

क्र.सं.	पंचायत मुख्यालय का नाम	क्र.सं.	पंचायत मुख्यालय का नाम
1.	अटाढिया	3.	गेजवी
2.	डेया	4.	नांदवेल

330

5. आमीवाडा
6. मादला
7. चांदवास
8. आंजरोली खास
9. नेवाज
10. काडा
11. बिरौठी
12. आमोड
13. तुनावतों का खेड़ा
14. अम्बासा
15. अरावन
16. ओगणा
17. बडली
18. मेडी
19. माहुद
20. बुढ़िया
21. नयावास
22. खाखरिया

परिशिष्ट-6

अतारांकित प्रश्न संख्या 150 की संलग्न सूचियां

डेगाना विधान सभा क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास ग्रेवल सड़कें 108.50 कि.मी., मेटल सड़कें 17 कि.मी. व डामर की सड़कें 286.60 कि.मी. है जो निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	सड़क का नाम	डामर कि.मी.	मेटल कि.मी.	ग्रेवल कि.मी.	कुल लम्बाई कि.मी.
1	2	3	4	5	6
1.	बाडीघाटी डेगाना सांजू एस.एच. नं. 18 कि.मी. 21/0 से 89/0	68	–	–	68
2.	डोडियाना भेरूदा हरसोर एस.एच. 21 कि.मी. 122/0 से 145/0	23	–	–	23
3.	बगड डेगाना एम.डी.आर. 24	25	–	–	25
4.	नागौर मेड़तासिटी वाया कुचेरा ओ.डी.आर. 20	20	–	–	20
5.	डेगाना–हरसोर ओ.डी.आर. 3	25	–	–	25
6.	पादू आलनियावास जिला सीमा तक 18/0 से 27/0 एम.डी.आर. 39	9	–	–	9
7.	डेगाना चांदारूण खाटू	15	8	5	28
8.	सम्पर्क सड़क पूनास	–	–	2	2
9.	सम्पर्क सड़क राजोद	–	–	3	3
10.	डेगाना से टंगस्टन माइन	3	–	–	3
11.	रैण से ईडवा	2.5	–	16.50	19
12.	रैण से आकेली	6	–	13	19
13.	डेगाना से जावा	–	–	5	5
14.	पालियास से जावला	2	–	20	22
15.	बंवरला पण्डवाला	–	–	13	13

1	2	3	4	5	6
16.	निम्बड़ी कोठारियां जावला	–	–	9	9
17.	सम्पर्क सड़क पुन्दलोता	–	–	7	7
18.	बाबाजी की प्याउ बछवारी	–	–	12	12
19.	पुरोहितासनी थावंला	21	–	–	21
20.	चूडियास सांजू	16	–	–	16
21.	डोडियाना टेहला बावला	13	–	–	13
22.	सम्पर्क सड़क लाडपुरा	4	–	–	4
23.	सम्पर्क सड़क झगडवास	2	–	–	2
24.	सम्पर्क सड़क चुई	7	–	–	7
25.	सम्पर्क सड़क बरणा	–	5	–	5
26.	सम्पर्क सड़क कितलसर	–	5	–	5
27.	सम्पर्क सड़क मोडीकला	3	–	–	3
28.	सम्पर्क सड़क मेवड़ा	6	–	–	6
29.	बाडीघाटी किला	–	4	–	4
30.	सम्पर्क सड़क आकेली फोम मेड़तासिटी	8	–	–	8
31.	मेहरासी पुन्दलोता	2	–	3	5
32.	गच्छीपुरा अलतवा	5	–	–	5
	कुल योग	286.5	17	108.50	412 कि.मी.

(1) 1971 पर आधारित 1000 की आबादी के ऊपर वाले गांवों को जोड़ने वाली डामर की सड़कें (1995-96) में प्रस्तावित)

क्र.सं.	सड़क का नाम	जुड़ने वाले गांव मय जनसंख्या	लम्बाई (कि.मी. में)
1	2	3	4
1.	अप्रोच रोड चुई से चूआ	चूआ (1376)	2.5 कि.मी.

1	2	3	4
2.	हिम्मतनगर से जालसू नानग	जालसू नानक (1161)	5 कि.मी.
3.	स्टेट हाइवे 21 से बिहरनियाकलां	भिखारनिया (1163)	8 ,,
4.	चकढानी से राजोद	राजोद (1249)	5 ,,
5.	सन्जू से खींवताना	खींवताना (1455)	4 ,,
6.	रेन से सिरसाना	सिरसाना (1224)	8 ,,
7.	ईडवा से भंवराला	भंवराला (1185)	4 ,,
8.	बामना से बरना	बरना (1186)	5 ,,
(2)	एम.एन.पी. खरल के तहत डी.आर.डी.ए. द्वारा मेटल करने के बाद प्रस्तावित डामरीकरण		
1.	रेन ईडवा सड़क से चिकनस	चिकनस एस.सी. 86/86	10 कि.मी.
(3)	पंचायत मुख्यालय मेटल से डामरीकरण		
1.	एस.एच. 21 से सूदवर	सूदवर (770)	2 ,,
(4)	अन्य महत्वपूर्ण सम्पर्क सड़क		
1.	खामीचाद–रताऊ	रताऊ	8 ,,
(5)	शहरी सड़कें		
1.	डेगाना बाईपास एस.एच. (8)		2.5 ,,

कुल 12 सड़कें

परिशिष्ट-7

अतारांकित प्रश्न संख्या 153 का संलग्न विवरण

परिशिष्ट "क"

स्टेट हाइवे सड़क लाडनूं—जसवंतगढ़ पर अस्थाई छप्पर बनाकर अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों की सूची :—

क.सं.	अतिक्रमण करने वाले का नाम	अति. सीमा
1.	श्री विजय सिंह पुत्र श्री हरिसिंह का	2.20 मीटर का छप्पर
2.	श्री दान सिंह पुत्र श्री हरिसिंह का	3.20 ,, ,,
3.	श्री उम्मेद सिंह पुत्र श्री हरिसिंह का	1.5 ,, ,,
4.	श्री भगवती प्रसाद पुत्र श्री नेमीचन्द का	3.5 ,, ,,
5.	श्री राम सिंह पुत्र श्री बाल सिंह का	1.0 ,, ,,

उपरोक्त अस्थाई छप्पर बने हुए हैं इनके साइट प्लान संलग्न किये जा रहे हैं।

335

परिशिष्ट-8

अतारांकित प्रश्न संख्या 160 का संलग्न विवरण

परिशिष्ट "अ"

डूंगरपुर जिले की माही परियोजना में पानी आपूर्ति हेतु किये कार्यों पर वर्षवार व्यय का विवरण

(रु. लाखों में)

वर्ष	माही सागवाड़ा नहर के निर्माण पर किया गया व्यय (माही साइफन सहित)	माही सागवाड़ा नहर को जल आपूर्ति करने सम्बन्धित कार्य	कुल व्यय
(अ) प्लान कार्यों के अन्तर्गत किया गया व्यय :–			
मार्च 1988 तक		150.00	150.00
1988-89	2.27	93.40	95.67
1989-90	50.53	208.95	259.48
1990-91	52.64	252.93	305.57
1991-92	32.69	289.44	322.13
1992-93	95.33	235.15	330.48
1993-94	183.58	248.82	438.40
1994-95 फरवरी 95 तक	178.92	228.45	407.37
	593.96	1707.14	2303.10
(ब) अकाल राहत के अन्तर्गत किये गये व्यय का विवरण :–			
1985-86	11.80	–	11.80
1987-88	64.89	–	64.89
1988-89	94.02	–	94.02
कुल योग :	766.67	1707.14	2473.81

336

परिशिष्ट "ब"

डूंगरपुर जिले को माही बजाज सागर परियोजना से सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने के लिये की गई कार्यवाही का विवरण

डूंगरपुर जिले में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दायीं मुख्य नहर का रिमोडलिंग नरवाली वितरिका का रिमोडलिंग, जयपुरा नहर का निर्माण कार्य, माही नदी को पार करने के लिए साइफन का निर्माण एवं माही सागवाड़ा नहर के 0 से 15 कि.मी. का निर्माण कार्य गत चार-पांच वर्षों से प्रगति पर है। इस कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के लिए वर्ष 1995-96 में अतिरिक्त धन राशि उपलब्ध कराने के प्रयास किये जा रहे हैं। इसके अलावा, अतिरिक्त कमाण्ड क्षेत्र के कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है। इस प्रस्ताव में माही सागवाड़ा नहर एवं उससे सम्बन्धित कार्य सम्मिलित है।

परिशिष्ट-9

अतारांकित प्रश्न संख्या 167 की संलग्न सूची

परिशिष्ट "क"

पुलिस थाना बगरू में पदस्थापित पुलिस कर्मियों की सूची

क्र.सं.	नाम कर्मचारी मय पद	दिनांक तैनाती
1.	श्री महावीर सिंह, सहायक उप निरीक्षक	27.5.92
2.	श्री राधेश्याम, हैड कानि. नं 405	3.4.92
3.	श्री रमेशचन्द्र हैड कानि. नं. 303	17.9.92
4.	श्री रामसिंह, कानि. नं. 736	11.1.92
5.	श्री नानगराम, कानि. नं. 635	25 1.92
6.	श्री भैंरूलाल, कानि. नं. 538	5.7.92
7.	श्री छोटेलाल, कानि. नं. 554	6.7.92
8.	श्री रामोतार, कानि. नं. 976	10.7.92
9.	श्री कैलाश चन्द्र, कानि. नं. 982	21.7.92
10.	श्री भंवर सिंह, कानि. नं. 940	29.7.92
11.	श्री दयाराम, कानि. नं. 959	8.8.92
12.	श्री गोपाल सिंह, कानि. नं. 892	1.2.93
13.	श्री बन्ना लाल, कानि. नं. 850	16.5.92 (चौकी माखरोटा)
14.	श्री छोटू राम, कानि. नं. 1064	11.7.92
15.	श्री राम शरण, कानि. नं. 1033	8.8.92 (चौकी कालवाड़)
16.	श्री विजय सिंह, कानि. नं. 610	1.12.92 ,, ,,

परिशिष्ट-10

अतारांकित प्रश्न संख्या 170 की संलग्न सूची

सूची खनिज माइका के खनन पट्टे — कार्यालय ख.अ. भीलवाड़ा

क्र.सं. पट्टाधारी का नाम	नि.ग्रा. (तह.)	एम.एल. नं.	वर्तमान स्थिति
1. श्री अशोककुमार चौधरी, भील.	सिदड़ियास, भीलवाड़ा	30/79	बन्द
2. श्री आदित्य मिनरल्स एंड मेटल्स रायला जि. भीलवाड़ा	खेड़ा (मांडल)	6/78	बन्द
3. श्री अवधेश कुमार शर्मा, भील.	आंमली (गंगापुर)	6/91	चालू
4. श्री बालूराम गुर्जर गूंदली (भील.)	गूंदली (भील.)	31/86	बन्द
5. श्रीमती बेबी देवी दरोगा मंगरोप, कांगणी	(सहाड़ा)	5/82	चालू
6. श्री बलदेव बिहारी, भीलवाड़ा	कोचरिया (भील.)	11/91	,,
7. श्री डी.बी. गट्टानी, मांडल	मांडल	19/85	बन्द
8. श्री गोपीलाल पारिक गेंगास	मालरीखेड़ा (मांडल)	28/68	चालू
9. ,, ,, ,, ,,	बांडा नं. एक (मांडल)	16/72	,,
10. ,, ,, ,, ,,	दाता नं. दो (मांडल)	22/76	,,
11. श्री गोर्धनलाल जयसवाल, भील.	दाता निलावरी (बनेड़ा)	22/82	,,
12. हरिश कुमार अग्रवाल भील.	गणेशपुरा (मांडल)	5/90	बन्द
13. ,, ,, ,, ,, ,,	टुंका (मांडल)	6/70	चालू
14. श्री हुक्मचंद पारीक, गेंगास	काली का खेड़ा (बनेड़ा)	1/80	चालू
15. ,, ,, ,, ,,	मालरीखेड़ा (मांडल)	15/90	चालू
16. श्री जगदीश चंद्र जोशी, गेंगास	गेंगास (मांडल)	24/78	,,
17. श्री किसान मजदूर स.स.लि. भीलवाड़ा	मादू (मांडल)	3/77	,,
18. श्री महेन्द्र माइनिंग कॉर्पो. भील.	लेसवा (मांडल)	59/80	,,
19. श्री नाथानी मिनरल कॉर्पो. रायला, मांडल	ललितामाइस मांडल	3/70	चालू
20. ,, ,, ,, ,,	गणेशपुरा (मांडल)	2/70	बन्द

1	2	3	4	5
21.	श्री नूर माइनिंग कॉर्पो. बागौर	मोजरास (मांडल)	13/74	चालू
22.	श्री सेठ पूसालाल मानसिहका प्रा. लि. भीलवाड़ा	घोड़ास नं. 13 (मांडल)	19/71	चालू
23.	श्री पांसल माइनिंग कं. भील.	पांसल (भील.)	5/75	बन्द
24.	श्री रामनिवास तिवाड़ी, भील.	कालूखेड़ा (मांडल)	6/89	,,
25.	श्री शाहिद हुसैन, बागौर	मोजरास (मांडल)	20/75	,,
26.	श्री सज्जनमल जयसवाल, भील.	निम का खेड़ा (मांडल)	16/79	चालू
27.	श्री सुगनचंद जैन, भीलवाड़ा	जामोली (जहाजपुर)	66/80	बन्द
28.	,, ,, ,, ,,	गोकुलपुरा (मांडल)	37/86	बन्द
29.	श्री सांवरिया मिनरल्स, मंडपिया	मंगलपुरा (भीलवाड़ा)	21/84	चालू
30.	श्रीमती शांता अग्रवाल, भील.	मादु (मांडल)	9/91	,,
31.	श्री सुदर्शन मिनरल्स एंड कं. भील.	विलियाप्रतापपुरा (शाहपुरा)	37/79	बन्द
32.	श्री सुल्तान हिन्द माइका, बागौर	गणेशपुरा (मांडल)	96/80	चालू
33.	श्री अहमदनुर शेख, राजाजी का करेड़ा	रेह मांडल	8/91	,,

ह.

खनिज अभियन्ता,

भीलवाड़ा।

परिशिष्ट–11

अतारांकित प्रश्न संख्या–183 का संलग्न विवरण

क्र. सं.	पेट्रोल पम्पों का नाम जो चालू हैं
1.	मैसर्स फतेहलाल रतन लाल गोयल बजरियां स्टेशन सवाईमाधोपुर ।
2.	मैसर्स जगदीश नारायण सत्यनारायण बजरियां सवाईमाधोपुर ।
3.	मैसर्स अशोका ओटोमोबाइल्स शहर, सवाईमाधोपुर ।
4.	मैसर्स महावीर ओटोमोबाइल्स, सवाईमाधोपुर ।
5.	मैसर्स श्री गोपाल एग्रो सर्विसेज निवाई रोड, बाली ।
6.	मैसर्स नरूका मोटर्स, माडोतीमोड
7.	रिद्धिचन्द जगन्नाथ पल्लीवाल, गंगापुरसिटी ।
8.	मैसर्स नृसिंह ओटोमोबाइल्स गंगापुरसिटी ।
9.	मैसर्स दिलीप सिंह एण्ड कम्पनी, गंगापुरसीटी ।
10.	मैसर्स शिव फिलिंग स्टेशन, वजीरपुर ।
11.	मैसर्स पिपलाई ओटो सर्विस, पिपलाई ।
12.	मैसर्स गणेश फिलिंग स्टेशन, नादोती ।
13.	मैसर्स खटाना सर्विस स्टेशन, गुडाचन्दरजी ।
14.	मैसर्स सपोटरा सर्विस स्टेशन, सपोटरा ।
15.	मैसर्स रमेश ओटो सर्विस, गुडगांव ।
16.	मैसर्स बगवली सर्विस सेन्टर रामपुर कैलादेवी गंगापुर रोड, करोली ।
17.	मैसर्स अशोका ट्रेडिंग कं., करोली ।

1	2
18.	मैसर्स करोली फोटो स्टोर, करोली ।
19.	मैसर्स मिश्री लाल एण्ड संस, कांचरोली ।
20.	मैसर्स रिखबदास एण्ड संस, पेलीकापुरा ।
21.	मैसर्स रिखबदास एण्ड संस, हिण्डोन ।
22.	मैसर्स विश्वनाथ एण्ड कं., हिण्डोन ।
23.	मैसर्स गोयल सर्विस स्टेशन, सूरोठ
24.	मैसर्स अग्रवाल आयल कम्पनी, हिण्डोन ।
25.	मैसर्स तारकेश्वर प्रसाद सुशीलकुमार ब्यारदव कलां, हिण्डोन ।
26.	मैसर्स डेरोलिया ब्रदर्स, श्री महावीरजी ।
27.	मैसर्स सारवान सर्विस सेन्टर जैरामकापुरा, टोडामीम ।

परिशिष्ट-12

अतारांकित प्रश्न संख्या 186 की संलग्न सूचना

परिशिष्ट—"अ"

शेरगढ़ तहसील में संचालित छात्रावासों में कार्यरत विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी तथा रिक्त पदों की सूचना

क्र०सं०	छात्रावास का नाम	सहायक अधीक्षक	चौकीदार	कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी का नाम		विशेष विवरण
1	2	3	4	5		6
1.	बालेसर	1	1	1. सहायक अधीक्षक	रिक्त पद	सेतरावा के अधीक्षक श्री लक्ष्मीचन्द बाहमणिया के पास अतिरिक्त चार्ज।
				2. चौकीदार	श्री नेमीचन्द	
2.	बेलवा	1	—	1. सहायक अधीक्षक	रिक्त पद	,, ,,
3.	सेतरावा	1	—	1. सहायक अधीक्षक	श्री लक्ष्मीचन्द बाहमणिया	

परिशिष्ट-13

अतारांकित प्रश्न संख्या 188 की संलग्न सूची

: ग्रामोद्योगों की सूची :

समूह : 1. खनिज आधारित उद्योग :

1. कुटीर कुम्हारी उद्योग
2. चूना पत्थर, चूना सीपी और अन्य चूना उत्पाद उद्योग
3. मन्दिरों और भवनों के लिए पत्थर की कटाई, पिसाई नक्काशी तथा खुदाई
4. पत्थर से बनी हुई उपयोगी वस्तुएं
5. स्लेट और स्लेट पेन्सिल निर्माण
6. प्लास्टर आफ पेरिस पाउडर निर्माण
7. बर्तन धोने का पाउडर
8. जलावन के विकेट
9. सोने, चांदी, पत्थर, सीपी और कृत्रिम सामग्रियों के आभूषणों का निर्माण
10. गुलाल, रंगोली निर्माण
11. चूड़ी निर्माण
12. पेन्ट रंजक वार्निश और डिस्टेम्पर निर्माण

समूह : 2. वनाधारित उद्योग :

13. हाथ कागज उद्योग
14. कत्था निर्माण
15. गोंद और रेजिन निर्माण
16. लाख निर्माण
17. कुटीर दियासलाई उद्योग, पटाखे और अगरबत्ती निर्माण
18. बांस और बेंत कार्य
19. कागज के थैले, तश्तरी झोले और कागज के डिब्बों का निर्माण
20. कापियां, जिल्दसाजी, लिफाफा, निर्माण, रजिस्टर निर्माण और कागज की बनाई जाने वाली अन्य लेखन सामग्रियां

21. खस ट्ट्टी और झाड़ू निर्माण

22. वनोत्पादों का संग्रह, प्रशोधन और पैकिंग

23. फोटो जड़ना

24. जूट उत्पादों का निर्माण (रेशा उद्योग के अन्तर्गत)

समूह : 3. कृषि आधारित और खाद्य उद्योग :

25. अनाज दाल, मसाला, चटपटे मसाले आदि का प्रशोधन, पैकिंग और विपणन

26. ताड़ गुड़ निर्माण और अन्य ताड, उत्पाद उद्योग

27. गन्ना गुड़ और खांडसारी निर्माण

28. मधुमक्खी पालन

29. अचार सहित फल और सब्जी का प्रशोधन परिरक्षण एवं डिब्बाबंदी

30. घाणी तेल उद्योग

31. नारियल जटा के अलावा रेशा

32. औषधिक कार्यों के लिए जड़ी बूटियों का संग्रह

33. मज्जा कार्य, मज्जा चटाइयों और हारों आदि का निर्माण

34. मकई और रागी का प्रशोधन

35. काजू प्रशोधन

36. दोना बनाना

समूह : 4. बहुलक और रसायन आधारित उद्योग :

37. शवच्छेदन चर्म शोधन तथा खाल व त्वचा से सम्बन्धित अन्य सहायक उद्योग एवं कुटीर चर्म उद्योग

38. कुटीर साबुन उद्योग

39. रबर वस्तुओं का निर्माण (डिप्डलेटेबल उत्पाद)

40. रेग्जीन पी.बी.सी. के बने उत्पाद

41. हाथी दांत समेत सींग और हड्डी उत्पाद

42. मोमबत्ती, कपूर और मोहर वाली मोम का निर्माण

43. प्लास्टिक की पेकेजिंग वस्तुओं का निर्माण

44. बिन्दी निर्माण

45. मेहन्दी निर्माण

46. इत्र निर्माण

47. शेंपू निर्माण

48. केश तेल निर्माण

49. डिटर्जेन्ट और धुलाई पाउडर निर्माण (अविषाक्त)

समूह : 5. इन्जीनियरिंग और गैर परम्परागत ऊर्जा :

50. बढ़ईगिरी

51. लुहारी

52. एल्युमिनियम के घरेलू बर्तनों का उत्पादन

53. गोबर और अन्य अवशिष्ट उत्पादों जैसे मृत पशु के मांस और मल आदि से खाद और मीथेन (गोबर गैस का उत्पादन और उपयोग)

54. कागज पिन, क्लिप सेप्ट पिन, स्टोव पिन आदि का निर्माण

55. सजावटी बल्बों, बोतलों, ग्लासों आदि का निर्माण

56. छाता उत्पादन

57. सौर तथा पवन ऊर्जा उपकरण

58. हस्तनिर्मित पीतल के बर्तनों का निर्माण

59. हस्तनिर्मित तांबे के बर्तनों का निर्माण

60. हस्तनिर्मित कांसे के बर्तनों का निर्माण

61. पीतल, तांबे और कांसे से अन्य वस्तुओं का निर्माण

62. रेडियो निर्माण

63. केसेट प्लेयर का निर्माण चाहे वह रेडियो में लगा हुआ हो या न लगा हो

64. केसेट रिकार्डर का निर्माण भले ही वह रेडियो में लगा हो या न लगा हो
65. वाल्टेज स्टेब्लाइजर का उत्पादन
66. इलेक्ट्रानिक घडियों और अलार्म घडियों का निर्माण
67. लकड़ी पर नक्काशी और कलात्मक फर्नीचर निर्माण
68. टीन कार्य
69. मोटर बाइंडिंग
70. तार की जाली बनाना
71. लोहे के झंझरी (ग्रिल)
72. ग्रामीण यातायात वाहन जैसे हाथ गाड़ी, बैलगाडी, छोटी नाव, दुपहिया साईकिल/साइकिल रिक्शा, मोटर युक्त गाड़ियों आदि का निर्माण
73. संगीत साजों का निर्माण

समूह : 6. वस्त्रोद्योग (खादी को छोड़कर)

74. पोली वस्त्र यानि ऐसा वस्त्र जो भारत में मानव निर्मित रेशे को रूई, रेशम या ऊन के साथ या इसमें से किसी दो या सभी को मिलाकर हाथ से काता गया तथा हाथ करघे पर बुना हो या भारत में बना ऐसा वस्त्र जो हाथ करघे मानव निर्मित रेशो के धागो को सूती रेशमी या ऊनी धागे या इसमें से किसी दो धागे या सभी धागों को मिला कर हाथ करघे पर बुना गया हो ।
75. लोकवस्त्र का निर्माण
76. होजरी
77. सिलाई और सिली सिलाई पोशाक तैयार करना
78. हाथ से मछली मारने वाले नाइलोन/सूती जाल तैयार करना
79. छींटकारी
80. खिलौना और गुड़िया निर्माण
81. धागे का गोला, ऊनी गोला तथा लच्छी निर्माण
82. कशीदाकारी
83. शल्य चिकित्सीय पट्टी का निर्माण
84. स्टोव की बत्तियां

समूह : 7. सेवा उद्योग :

85. धुलाई
86. नाई
87. नलसाजी
88. बिजली का वायरिंग और घरेलू इलेक्ट्रोनिक उपकरणों की मरम्मत
89. डीजल इंजनों, पम्प सैटों आदि की मरम्मत
90. छिड़काव, कीटनाशक, पंप सैटों आदि के लिए कृषि सेवा कार्य
91. टायर बल्कनीकरण (रिट्रेडिंग) इकाई
92. लाउडस्पीकर, ध्वनि प्रसारक, माइक आदि ध्वनि प्रणालियों को किराये पर देना
93. बेटरी भरना
94. कला फलक चित्रकारी
95. साइकिल मरम्मत की दुकानें और
96. राजगोर
